विकसित भारत
के निर्माण
को गति

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

विकसित भारत के निर्माण को गति

पावर सेक्टर में प्रभुत्व, 54% ताप विद्युत, 56% परमाणु विद्युत और 46% जल विद्युत का उत्पादन बीएचईएल निर्मित उपकरणों से होता है

परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए परमाणु स्टीम टर्बाइन और जनरेटरों का एकमात्र स्वदेशी आपूर्तिकर्ता

एचवीडीसी परियोजनाओं में 3 दशकों से अधिक का अनुभव, 1989 से अब तक 6 एचवीडीसी परियोजनाएं कमीशन की गईं

भूटान में 89% से अधिक जल विद्युत का उत्पादन बीएचईएल निर्मित टर्बाइन-जनरेटर सेटों से होता है।

70% से अधिक भारतीय रिफाइनरियां बीएचईएल द्वारा आपूर्ति की गई कैप्टिव पावर प्लांट से युक्त

91 देशों में फैला निर्यात व्यवसाय, जिसमें 13 गीगावाट से अधिक स्थापित क्षमता और 3.5 गीगावाट निर्माणाधीन

वित्त वर्ष 2024-25 की उपलब्धियां

दिबांग, जल विद्युत परियोजना के लिए 240 मेगावाट का उच्चतम रेटिंग वाला फ्रांसिस टर्बाइन मॉडल विकसित किया

GHAVP परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए 45वें स्टीम जनरेटर (SG) की आपूर्ति की गई - भारत के किसी भी विनिर्माता द्वारा की गई सर्वाधिक आपूर्ति

कोयले से अमोनियम नाइट्रेट के उत्पादन द्वारा कोल टू केमिकल पहल को आगे बढ़ाने के लिए सीआईएल के साथ रणनीतिक संयुक्त उद्यम 'भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड' का गठन किया

आईएनएस नीलगिरि पर पहले उन्नत सुपर रैपिड गन माउंट (एसआरजीएम) की आपूर्ति और कमीशनिंग की गई।

एचआरआरएल बाड़मेर रिफ़ाइनरी के मुख्य फ्रैक्शनेटर कॉलम (एमएफसी) की आपूर्ति की गई, जिसमें एक ही स्तंभ/कॉलम में तीन प्रकार की धातुकर्म संरचनाएं हैं।

बीएचईएल द्वारा आपूरित विद्युतीय उपकरणों से युक्त पहली ईएमयू रेक का पेसेन्जर ट्रायल (यात्री परीक्षण) सफलतापूर्वक पूरा हुआ; प्रतिष्ठित वंदे भारत परियोजना प्रगति पर है।

विषय-सूची

2 वार्षिक समीक्षा

2 शेयरधारकों को पत्र

4 बीएचईएल का नेतृत्व

10 वर्ष के दौरान बीएचईएल एक नजर में

12 कॉर्पोरेट प्रोफ़ाइल

12 बीएचईएल का परिचय

14 अखिल भारतीय उपस्थिति

16 उत्कृष्टता का सम्मान

21 निदेशक मंडल रिपोर्ट

29 प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

61 कॉर्पोरेट अभिशासन

91 संधारणीयता, सीएसआर तथा एचएसई

103 व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता रिपोर्ट

147 अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकीय उपलब्धियां

177 वित्तीय विवरण

178 एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण

252 समेकित वित्तीय विवरण

330 अतिरिक्त जानकारी

331 वित्तीय निष्पादन प्रवृत्ति

334 उत्पाद एवं सेवाओं का परिचय

344 शब्दावली

350 सूचना

विशेषताएं

19 विश्वास और उत्कृष्टता के साक्ष्य (प्रतिष्ठित ग्राहकों से प्रशंसा)

28 भारत में एचवीडीसी क्रांति को गति – प्रभावी, विश्वसनीय और भविष्य के अनुकूल

34 पाँच दशकों से हाइड्रो टर्बाइनों और जनरेटरों का विनिर्माण - इंजीनियरिंग उत्कृष्टता की विरासत

37 परमाणु ऊर्जा - भारत के संधारणीय भविष्य को गति

45 स्पेयर और सेवा व्यवसाय - एक विकास इंजन

90 बहुमुखी प्रतिभा का केंद्र

365 ईएसजी (पर्यावरण, सामाजसेवा और अभिशासन) में निवेश

शेयरधारकों को पत्र

प्रिय शेयरधारको,

निदेशक मंडल की ओर से, मुझे वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी की 61वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने थर्मल पावर क्षेत्र में नई गतिविधियों, सतत निष्पादन तथा स्थिर व्यापक आर्थिक परिस्थितियों के बल पर सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में अपने निष्पादन को सुदृढ़ किया है।

आपकी कंपनी ने सार्वजनिक और निजी उपयोगिताओं से 14.6 गीगावाट के थर्मल ऑर्डर प्राप्त करके विद्युत क्षेत्र में अपना नेतृत्व बनाए रखा है। प्रमुख पारेषण/ट्रांसमिशन पैकेजों तथा उद्योग क्षेत्र में सुदृढ़ निष्पादन ने इस प्रदर्शन को और बेहतर बनाया है। रिकॉर्ड ऑर्डर प्राप्ति और परियोजनाओं के शीघ्र निष्पादन से राजस्व में 19% की वृद्धि हुई।

निष्पादन के प्रमुख बिन्दु

मैं आपके साथ निष्पादन के मुख्य बिंदु साझा करना चाहता हूँ:

- हमने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ₹92,535 करोड़ रुपये का अब तक का (एक वर्ष में) सर्वोच्च ऑर्डर प्राप्त किया और ₹1,96,328 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड ऑर्डर बुक के साथ वर्ष का समापन हुआ, जिससे मजबूत राजस्व की प्राप्ति सुनिश्चित हुई ।
- पावर सेक्टर में ₹81,349 करोड़ रुपये के ऑर्डर प्राप्त हुए, इनमें ₹76,930 करोड़ रुपये के ऑर्डर थर्मल विद्युत संयंत्र व्यवसाय से हैं।
- उद्योग क्षेत्र से ₹11,001 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले, जिसमें खावड़ा-नागपुर लिंक के लिए ±800 केवी, 6000 मेगावाट एचवीडीसी का एक प्रमुख ऑर्डर भी शामिल है।
- परिचालनों से राजस्व 19% बढ़कर ₹28,339 करोड़ रुपये हो गया। कर पश्चात लाभ ₹513 करोड़ रुपये और EBITDA ₹1,745 करोड़ रुपये रहा।
- खरीद समेकन, विक्रेता विस्तार और डिजाइन युक्तिकरण के माध्यम से प्रत्यक्ष सामग्री लागत में 3% से अधिक की कमी हासिल की गई।
- परियोजना के निष्पादन में भारत और विदेशों में लगभग 8.1 गीगावाट क्षमता वृद्धि, जिसमें कमीशनिंग और सिन्क्रॉनाईजेशन शामिल था।
- बिलिंग की तुलना में नकद संग्रह 20% बढ़ा, जिसके परिणामस्वरुप ₹1,977 करोड़ रुपये का शुद्ध नकद अधिशेष प्राप्त हुआ।
- GHAVP परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए 45वां स्टीम जनरेटर की आपूर्ति की, जो भारत में किसी भी विनिर्माता द्वारा निर्मित सर्वाधिक है।
- एनएचपीसी की 12×240 मेगावाट दिबांग जलविद्युत परियोजना के लिए भारत के सर्वोच्च रेटेड 240 मेगावाट फ्रांसिस टरबाइन मॉडल का विकास और परीक्षण किया गया।
- भूटान में 6×170 मेगावाट की पुनात्सांगछू-II जलविद्युत परियोजना की तीन इकाइयों को चालू किया गया।
- एचपीसीएल की राजस्थान रिफाइनरी के लिए एक त्रि-धात्विक मुख्य फ्रैक्शनेटर कॉलम की आपूर्ति की, जिससे क्रिटिकल प्रोसेस उपकरणों की निर्माण क्षमता का प्रदर्शन हुआ।
- भारत की नौसैनिक तैयारी में सहयोग देते हुए, आईएनएस नीलगिरि पर पहली उन्नत सुपर रैपिड गन माउंट की आपूर्ति और कमीशनिंग की गई।

सामरिक पहलें और भावी दृष्टिकोण

सरकार का ऊर्जा सुरक्षा पर निरंतर बल ताप विद्युत निविदाओं की निरंतरता में परिलक्षित हुआ। आपकी कंपनी ने मांग पाइपलाइन को पूरा करने के लिए ईपीसी तत्परता को मज़बूत करके, डिज़ाइन टेम्प्लेट को मानकीकृत करते हुए तथा विक्रेता क्षमताओं को बढ़ाकर प्रतिक्रिया व्यक्त की।

परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में, बीएचईएल भारत के दीर्घकालिक लक्ष्यों में सार्थक योगदान देने की स्थिति में है, जिसका राष्ट्रीय लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट और 2033 तक लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों का विकास है। न्यूक्लियर स्टीम जनरेटर और टरबाइन प्रणालियों में कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड इस रणनीतिक दिशा का समर्थन करता है।

वर्ष के दौरान, बीएचईएल और कोल इंडिया लिमिटेड ने घरेलू कोयले से रासायनिक उत्पादन क्षमता विकसित करने तथा उर्वरकों एवं औद्योगिक फीडस्टॉक्स में आयात निर्भरता को कम करने के लिए एक संयुक्त उद्यम, भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड, की स्थापना की।

पारेषण (ट्रांसमिशन) क्षेत्र में, बीएचईएल ने खावड़ा-नागपुर कॉरिडोर पर एचवीडीसी टर्मिनल स्टेशनों के लिए एक बड़ा ऑर्डर हासिल किया, जिससे इसके उन्नत ग्रिड पोर्टफोलियो में निरंतर वृद्धि हुई। इसके साथ ही, कंपनी ने विविधीकरण लक्ष्यों और दीर्घकालिक व्यवसाय विकास को समर्थन देने के लिए रेल परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा और रक्षा प्रणालियों में रणनीतिक साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

व्यावसायिक उत्कृष्टता और संधारणीयता

कंपनी की एक विनिर्माण इकाई को सीआईआईआई एक्ज़िम बैंक बिज़नेस एक्सीलेंस अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ, जबकि पाँच अन्य को प्लेटिनम रेटिंग प्रदान की गई। कंपनी ने उत्सर्जन इंटेनसिटी में 7% की कमी हासिल की और कैप्टिव सौर क्षमता को 42 मेगावाट तक बढ़ाया है। वर्ष के दौरान 85,800 से अधिक पौधे लगाए गए। सीआईआईआई द्वारा ग्रीनको प्रमाणन के लिए दो और विनिर्माण इकाइयों का मूल्यांकन किया गया, इससे औपचारिक पर्यावरणीय रेटिंग प्राप्त इकाइयों की कुल संख्या सात हो गई।

हम कॉर्पोरेट अभिशासन मानदंडों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने तथा सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से सुदृढ़ अभिशासन पद्धति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

आभार

मैं अपने ग्राहकों, साझेदारों, कर्मचारियों, निदेशक मंडल और भारी उद्योग मंत्रालय को उनके निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने शेयरधारकों के प्रति भी उनके विश्वास और समर्थन के लिए आभार प्रकट करता हूँ। आपकी कंपनी समृद्ध ऑर्डर बुक, तीव्र निष्पादन और रणनीतिक स्पष्टता के साथ, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरा करने और दीर्घकालिक मूल्य प्रदान करने के लिए मजबूत स्थिति में है।

शुभकामनाओं सहित,

(के. सदाशिव मूर्ति)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल)

नई दिल्ली
25 जुलाई, 2025

बीएचईएल का नेतृत्व

निदेशक मंडल की स्थिति 25 जुलाई, 2025 को

कार्यात्मक निदेशक

श्री के. सदाशिव मूर्ति
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री कृष्ण कुमार ठाकुर
निदेशक (मानव संसाधन)

श्री तजिंदर गुप्ता
निदेशक (पावर)

सुश्री बानी वर्मा
निदेशक (औद्योगिक प्रणाली एवं उत्पाद)

श्री राजेश कुमार द्विवेदी
निदेशक (वित्त)

श्री एस.एम. रामनाथन
निदेशक (इंजीनियरिंग, अनुसंधान एवं विकास)

सरकारी निदेशक/अंशकालिक सरकारी निदेशक

सुश्री आरती भटनागर
विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

श्री विजय मित्तल
संयुक्त सचिव
भारी उद्योग मंत्रालय

स्वतंत्र निदेशक

श्री रमेश पाटल्या मावस्कर
स्वतंत्र निदेशक

श्री अशोक असेरी
स्वतंत्र निदेशक

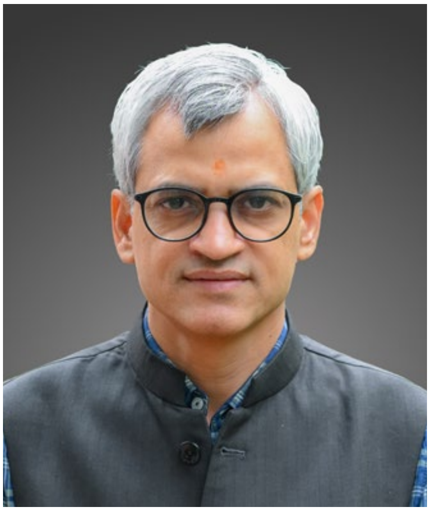

श्री आशीष चतुर्वेदी
स्वतंत्र निदेशक

बीएचईएल का नेतृत्व

प्रबंधन टीम 25 जुलाई, 2025 की स्थिति

प्रबंधन टीम

के. सदाशिव मूर्ति
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कृष्ण कुमार ठाकुर
निदेशक (मानव संसाधन)

तजिंदर गुप्ता
निदेशक (पावर)

बानी वर्मा
निदेशक (औद्योगिक प्रणाली एवं उत्पाद)

राजेश कुमार द्विवेदी
निदेशक (वित्त)

एस.एम. रामनाथन
निदेशक (इंजीनियरिंग, अनुसंधान एवं विकास)

प्रवीण किशोर
कार्यपालक निदेशक (सीपीसी, अतिरिक्त प्रभार- पीईएम), नोएडा

के बी राजा
कार्यपालक निदेशक (एचपीईपी), हैदराबाद

जितेंद्र दास
कार्यपालक निदेशक (उद्योग क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय परिचालन), नई दिल्ली

एम अरुणमोड़ी देवन
कार्यपालक निदेशक (बीएपी), रानीपेट

विनय कुमार बस्सी
कार्यपालक निदेशक (क्षेत्रीय परिचालन प्रभाग), नई दिल्ली

पंकज रस्तोगी
कार्यपालक निदेशक (हाइड्रो बिजनेस ग्रुप), नोएडा

के अशोक
कार्यपालक निदेशक (आईएसजी), बेंगलुरु

एस प्रभाकर
कार्यपालक निदेशक (एचपीबीपी), त्रिची

संजीव कुमार रॉय
कार्यपालक निदेशक (पीएस-मुख्यालय), नई दिल्ली

वाई श्रीनिवास राव
कार्यपालक निदेशक (पीई एवं एसडी), हैदराबाद

बी श्याम बाबू
कार्यपालक निदेशक (ईडीएन), बेंगलुरु

सी वेंकट राव
कार्यपालक निदेशक (कैपेक्स, एसएस एंड पी और सीडीटी), नई दिल्ली, अतिरिक्त प्रभार - सीएफपी और एफएसआईपी

आर पी एस सिसोदिया
कार्यपालक निदेशक (एनआरईबी), नई दिल्ली

जी. सुब्रह्मण्यम
कार्यपालक निदेशक (एचपीवीपी), विशाखापत्तनम

राकेश सिंह
कार्यपालक निदेशक (टीबीजी), नोएडा

ए के वर्मा
कार्यपालक निदेशक (सीओएम), नई दिल्ली

एम श्रीधर
कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन), नई दिल्ली

विनोद जैकब सैम
कार्यपालक निदेशक (पीएस-एसआर), चेन्नई

प्रबंधन टीम

श्यामला वेंकटरमन
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (सीटीएम), नई दिल्ली

रिज़वान फैसल सिद्दीकी
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (टीपी), झांसी

रंजन कुमार
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (हीप और सीएफएफपी), हरिद्वार

पार्थसारथी दास
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (मार्केटिंग और सीसी/ पीएसबीजी I), नई दिल्ली

सुनील दिवाकर
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (सीपीपीपी, पीएमजी और आईपीएम), नई दिल्ली

उदय शंकर
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (पीएस- ईआर), कोलकाता

एन रमेश कुमार
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (एसबीडी), बेंगलुरु

पी के उपाध्याय
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (एचईपी), भोपाल

सुमीत सल्होत्रा
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन सेल), नोएडा

एच मालती
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (कॉर्पोरेट वित्त), नई दिल्ली

वी वी सुब्रह्मण्यम
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास), हैदराबाद

अरुणा गुलाटी
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (सीएसएम और सीसी), नई दिल्ली

यतीन्द्र मोहन
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (पीएस- डब्ल्यूआर), नागपुर

दीपेश पालित
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (पीएस- टीएस), नोएडा

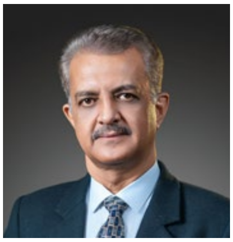

डॉ. निशित बेबीलोनी
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (टीबीएसजी), नई दिल्ली

संजय गुहा
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (पीएमजी/ जीएसजी I), नोएडा

वी के सिंह
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (पीएस-एनआर), नोएडा

रविंदर एच टेकचंदानी
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (एसएसबीजी), नोएडा अतिरिक्त प्रभार- एनबीजी

डॉ. दुर्गेश चंद्र गुप्त
महाप्रबंधक (सीक्यू और बीई), नोएडा

अभिषेक श्रीवास्तव
महाप्रबंधक (एचईआरपी), वाराणसी

स्वपन कुमार भट्टाचार्य
महाप्रबंधक (कोषागार और निधि प्रबंधन), नई दिल्ली

हीरा लाल भरानी
महाप्रबंधक (कॉर्पोरेट एचएसई), नोएडा

संजीव श्रीवास्तव
महाप्रबंधक (कॉर्पोरेट आंतरिक लेखापरीक्षा), नई दिल्ली

डॉ योगेश आर छाबड़ा
कंपनी सचिव

कॉर्पोरेट - संगठनात्मक संरचना

कॉर्पोरेट-संगठनात्मक संरचना (25 जुलाई, 2025 को)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

- **निदेशक इंजीनियरिंग, अनुसंधान एवं विकास**
  - कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास
  - कॉर्पोरेट प्रचालन प्रबंधन
  - • कॉर्पोरेट प्रौद्योगिकी प्रबंधन
    • कोल टू केमिकल्स
  - कैपेक्स
  - • सोर्सिंग, स्ट्रेटजी और नीति
    • एकीकृत खरीद प्रकोष्ठ
  - कॉर्पोरेट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन
  - कॉर्पोरेट गुणवत्ता एवं व्यावसायिक उत्कृष्टता
  - कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन सेल
  - फैब्रिकेशन स्टैंपिंग एवं इंसुलेटर प्लांट, जगदीशपुर
  - कंपोनेंट फैब्रिकेशन प्लांट, रुद्रपुर
- **निदेशक वित्त**
  - रणनीतिक वित्तीय प्रबंधन
  - बजट, लागत निर्धारण और लाभ नियोजन
  - निष्पादन प्रबंधन तथा रिपोर्टिंग
  - कोष और निधि प्रबंधन
  - लेखा परीक्षा, कराधान और अनुपालन
  - प्रबंधन लेखांकन
- **निदेशक मानव संसाधन**
  - कॉर्पोरेट मानव संसाधन, सीएसआर, राजभाषा, सीपीआईओ
  - कॉर्पोरेट लॉ
  - कॉर्पोरेट एचएसई
  - कॉर्पोरेट चिकित्सा सेवाएँ
  - कॉर्पोरेट ज्ञानार्जन एवं विकास
- **मुख्य सतर्कता अधिकारी**
  - सतर्कता
- कॉर्पोरेट रणनीतिक प्रबंधन
- कॉर्पोरेट संचार
- कंपनी सचिव
- **निदेशक पावर**
- **निदेशक इंडस्ट्रियल सिस्टम्स एवं उत्पाद**

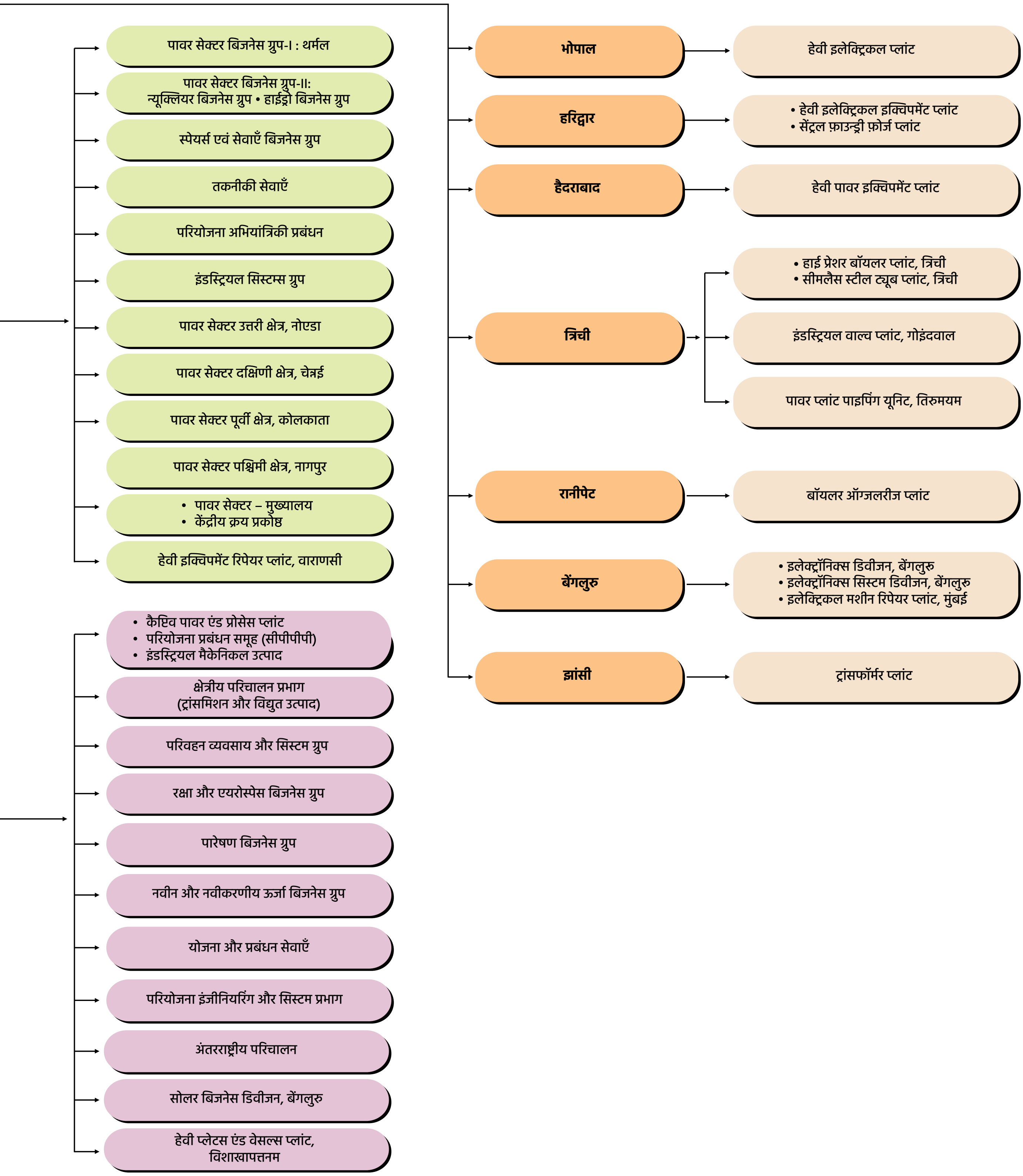

पावर सेक्टर बिजनेस ग्रुप-I : थर्मल
पावर सेक्टर बिजनेस ग्रुप-II: न्यूक्लियर बिजनेस ग्रुप • हाईड्रो बिजनेस ग्रुप
स्पेयर्स एवं सेवाएँ बिजनेस ग्रुप
तकनीकी सेवाएँ
परियोजना अभियांत्रिकी प्रबंधन
इंडस्ट्रियल सिस्टम्स ग्रुप
पावर सेक्टर उत्तरी क्षेत्र, नोएडा
पावर सेक्टर दक्षिणी क्षेत्र, चेन्नई
पावर सेक्टर पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता
पावर सेक्टर पश्चिमी क्षेत्र, नागपुर
• पावर सेक्टर – मुख्यालय
• केंद्रीय क्रय प्रकोष्ठ
हेवी इक्विपमेंट रिपेयर प्लांट, वाराणसी
• कैप्टिव पावर एंड प्रोसेस प्लांट
• परियोजना प्रबंधन समूह (सीपीपीपी)
• इंडस्ट्रियल मैकेनिकल उत्पाद
क्षेत्रीय परिचालन प्रभाग (ट्रांसमिशन और विद्युत उत्पाद)
परिवहन व्यवसाय और सिस्टम ग्रुप
रक्षा और एयरोस्पेस बिजनेस ग्रुप
पारेषण बिजनेस ग्रुप
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा बिजनेस ग्रुप
योजना और प्रबंधन सेवाएँ
परियोजना इंजीनियरिंग और सिस्टम प्रभाग
अंतरराष्ट्रीय परिचालन
सोलर बिजनेस डिवीजन, बेंगलुरु
हेवी प्लेटस एंड वेसल्स प्लांट, विशाखापत्तनम
भोपाल
हेवी इलेक्ट्रिकल प्लांट
हरिद्वार
• हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लांट
• सेंट्रल फ़ाउन्ड्री फ़ोर्ज प्लांट
हैदराबाद
हेवी पावर इक्विपमेंट प्लांट
त्रिची
• हाई प्रेशर बॉयलर प्लांट, त्रिची
• सीमलैस स्टील ट्यूब प्लांट, त्रिची
इंडस्ट्रियल वाल्व प्लांट, गोइंदवाल
पावर प्लांट पाइपिंग यूनिट, तिरुमयम
रानीपेट
बॉयलर ऑग्जलरीज प्लांट
बेंगलुरु
• इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन, बेंगलुरु
• इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिवीजन, बेंगलुरु
• इलेक्ट्रिकल मशीन रिपेयर प्लांट, मुंबई
झांसी
ट्रांसफॉर्मर प्लांट

वर्ष 2024- 25 एक झलक में

(आंकड़े ₹ करोड़ में जब तक अन्यथा इंगित न किया जाए)

राजस्व

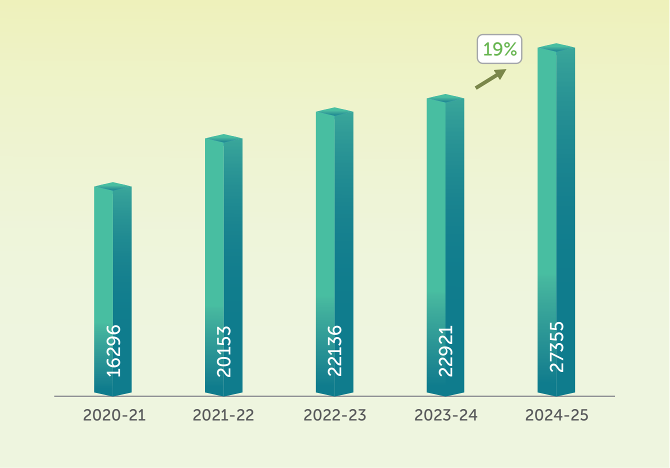

जनशक्ति (संख्या) और राजस्व प्रति कर्मचारी

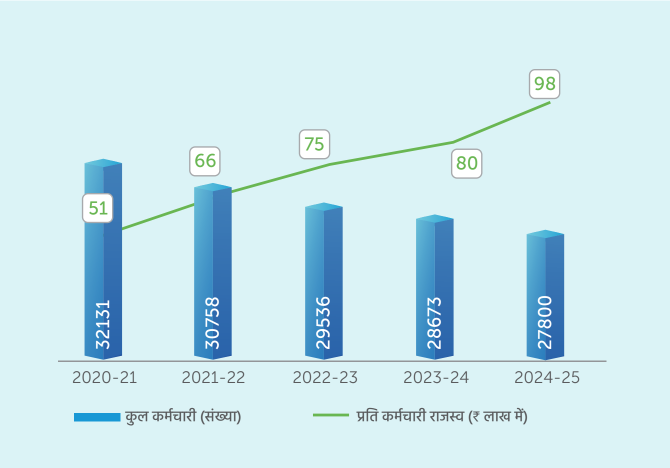

पीबीटी

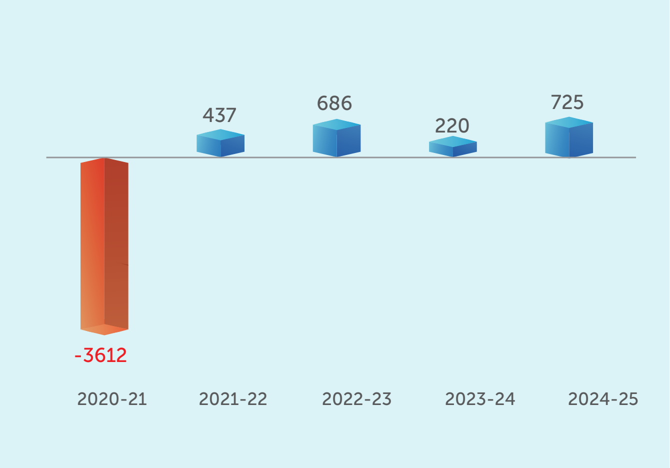

जीटीओ के % के रूप में सामग्री लागत

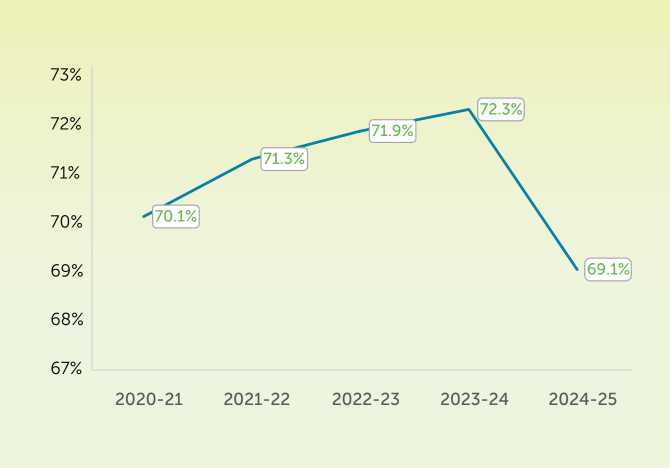

व्यापार प्राप्य

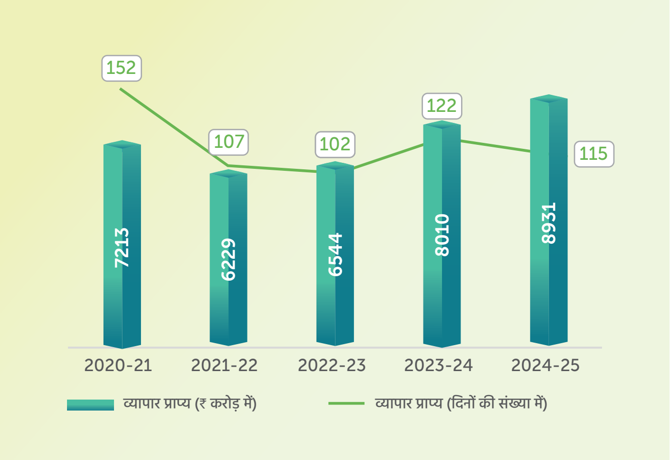

नकदी प्रवाह और शेष

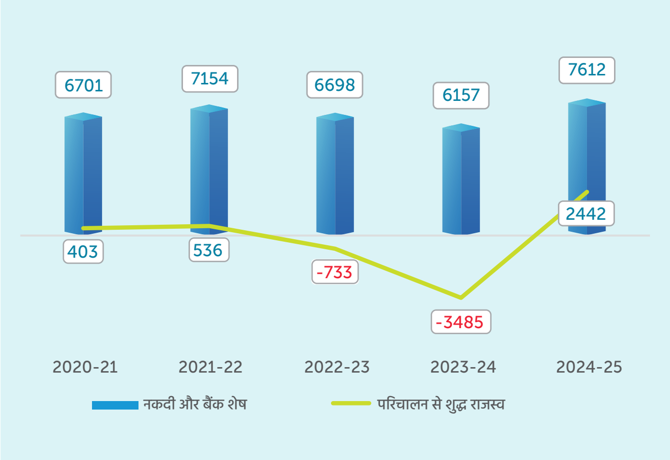

टिप्पणी: राजस्व का अर्थ है 'ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व'

वर्ष एक झलक में

प्रमुख उपलब्धियां

राजस्व
पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 19% की वृद्धि के साथ ₹27,355 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ

निष्पादन
8.1 गीगावाट विद्युत क्षमता जोड़ी/ चालू की/ सिन्क्रॉनाइज की

ऑर्डर- बुकिंग
- एक वर्ष में प्राप्त की गई अब तक की सर्वाधिक ऑर्डर बुकिंग
- अब तक का सर्वोच्च बकाया ऑर्डर बुक

विविध
- आईएनएस नीलगिरि पर प्रथम उन्नत एसआरजीएम की आपूर्ति और कमीशनिंग की गई
- प्रमुख एचवीडीसी ऑर्डर प्राप्त किए

नवाचार
- आय का ~2.4% अनुसंधान एवं विकास पर व्यय
- 500+ पेटेंट और कॉपीराइट दायर

हरित अभियान
हरित कार्यप्रणालियों के लिए दो उत्पादन इकाइयों को सीआईआई से ग्रीनको रेटिंग प्राप्त हुई

टिप्पणी: राजस्व का अर्थ है 'ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व'

बीएचईएल का परिचय
– बीएचईएल के बारे में और बीएचईएल के कार्य

बीएचईएल (भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड) पूंजीगत वस्तु क्षेत्र की एक अग्रणी कंपनी है, जो वर्ष 1964 से मेक इन इंडिया पहल में गौरवपूर्ण योगदान दे रही है। बीएचईएल घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाज़ारों में सेवाएँ प्रदान करती है। बीएचईएल विद्युत और औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य करते हुए विभिन्न प्रकार के उपकरणों, प्रणालियों और सेवाओं की आपूर्ति सहित व्यापक समाधान प्रदान करता है। कंपनी विद्युत संयंत्र उपकरणों की आपूर्ति और संस्थापना करके विद्युत उत्पादन अवसंरचना – थर्मल, जलविद्युत, गैस, परमाणु और सौर पीवी - का समर्थन करती है। बीएचईएल विद्युत पारेषण, रेल परिवहन, रक्षा, एयरोस्पेस, तेल एवं गैस तथा अन्य प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

बीएचईएल की स्थापना 1964 में एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) के रूप में की गई थी। वर्तमान में बीएचईएल में भारत सरकार की 63.17% इक्विटी हिस्सेदारी है। कंपनी विनिर्माण क्षेत्र में काफी मजबूती के साथ काम कर रही है तथा देश भर में इसके 16 संयंत्र हैं, जो घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों के लिए पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करते हैं।

बीएचईएल के पास सुदृढ़ घरेलू उत्पाद विकास अवसंरचना है, जो भविष्य के अनुकूल उत्पाद और प्रौद्योगिकियाँ प्रदान करती है। वैश्विक मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) के साथ रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से इसके विविध उत्पाद पोर्टफोलियो को और मज़बूती मिली है। कंपनी नवाचार तथा अनुसंधान एवं विकास पर विशेष बल देती है। इसके लिए कंपनी अपने राजस्व का लगभग 2.4% निरंतर वार्षिक निवेश करती है।

बीएचईएल में, हमारा दृढ़ विश्वास है कि ग्राहक सेवा, पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक उत्तरदायित्व आंतरिक रूप से परस्पर जुड़े हुए हैं और ये हमारे कॉर्पोरेट लोकाचार का मूल आधार हैं। कंपनी कौशल विकास, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संवर्धन, शिक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित पहलों के माध्यम से समाज का सक्रिय रूप से सहयोग करती है। कंपनी द्वारा अपने कार्यक्षेत्रों में स्थिरता बढ़ाने तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अनेक समर्पित कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

विजन

बेहतर भविष्य के लिए समाधान प्रदान करने वाला एक वैश्विक अभियांत्रिकी उद्यम बनना

मिशन

ऊर्जा, उद्योग और अवसंरचना के क्षेत्र में संधारणीय व्यावसायिक समाधान प्रदान करना

व्यावसायिक क्षेत्र में बीएचईएल की साख

जीवन को ऊर्जा

- भारत और विदेशों में 205+ गीगावाट के विद्युत उत्पादन उपकरण स्थापित
- 6 प्रमुख एचवीडीसी परियोजनाएँ निष्पादित
- लगभग 20 गीगावाट के कैप्टिव पावर प्लांट की कमिशनिंग
- स्थापना के बाद से भारत में 469 कोयला आधारित यूटिलिटी सेट, 23 डीजल सेट, 430 हाइड्रो यूटिलिटी सेट, 105 गैस आधारित यूटिलिटी सेट और 14 परमाणु आधारित यूटिलिटी सेट की आपूर्ति की गई

प्रमुख क्षेत्रों में अद्वितीय योगदान

- 7,95,000+ एमवीए ट्रांसमिशन उपस्करों की आपूर्ति की
- 35,300+ एसी मशीनें आपूर्ति की
- भारतीय रेलवे और उद्योग क्षेत्र को 850+ लोको आपूर्ति की
- 430+ कंप्रेसर और 90 ऑयल ड्रिलिंग रिग आपूर्ति किए
- 15,000+ वेल हेड और क्रिसमस ट्री वाल्व आपूर्ति किए
- भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए 48 सुपर रैपिड गन माउंट आपूर्ति किए

वैश्विक उपस्थिति

- विश्व के 91 देशों में उपस्थिति, वित्त वर्ष 2024-25 में बोत्सवाना और कोस्टा रिका में पहली बार प्रवेश
- भारत के बाहर 13 गीगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता की आपूर्ति की गई
- वित्त वर्ष 2024-25 में, भूटान में 6x170 मेगावाट पुनात्सांगछु-II जलविद्युत परियोजना की 3 इकाइयों को कमिशन किया गया

जनशक्ति का सम्मान

- प्रतिबद्ध जनशक्ति - 27,800 कर्मचारी
- 1,600+ महिला कर्मचारी
- 9,000+ इंजीनियर
- 1973 से सहभागी प्रबंधन संस्कृति

सामाजिक उत्थान

- ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के इंटीग्रिटी पैक्ट पर हस्ताक्षरकर्ता
- विश्व आर्थिक मंच (WEF) की वन ट्रिलियन ट्रीज़ पहल का हिस्सा '1t.org' पर संकल्प लिया गया
- वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बीएचईएल की इकाइयों में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए 85,819 पौधे लगाए गए

नवाचार

- अनुसंधान एवं विकास पर सतत व्यय - वित्त वर्ष 2024-25 के राजस्व का लगभग 2.4%, कुल 5900+ आईपीआर कैपिटल (बौद्धिक संपदा अधिकार पूँजी)
- अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान संगठनों के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास
- 5 अनुसंधान संस्थान; 15 उत्कृष्टता केंद्र
- 11 विनिर्माण इकाइयों और प्रभागों के डीएसआईआर द्वारा मान्यता प्राप्त घरेलू अनुसंधान एवं विकास केंद्र

आखिल भारतीय उपस्थिति

विनिर्माण संयंत्रों/इकाइयों की अवस्थिति

बीएचईएल की विनिर्माण इकाइयां	बैंगलुरु	1. इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन (ईडीएन) 2. इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिवीजन (ईएसडी) 3. सोलर बिजनेस डिवीजन (एसबीडी)
	भोपाल	4. हेवी इलेक्ट्रिकल प्लांट (एचईपी)
	गोइंदवाल	5. इंडस्ट्रियल वाल्व प्लांट (आईवीपी)
	हरिद्वार	6. हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लांट (एचईईपी) 7. सेंट्रल फ़ाउन्ड्री फ़ोर्ज प्लांट (सीएफएफपी)
	हैदराबाद	8. हेवी पावर इक्विपमेंट प्लांट (एचपीईपी)
	जगदीशपुर	9. फैब्रिकेशन स्टैंपिंग & इंसुलेटर प्लांट (एफएसआईपी)
	झांसी	10. ट्रांसफार्मर प्लांट (टीपी)
	रुद्रपुर	11. कंपोनेंट फैब्रिकेशन प्लांट (सीएफपी)
	रानीपेट	12. बॉयलर ऑग्जलरीज प्लांट (बीएपी)
	तिरुचिरापल्ली	13. हाई प्रेशर बॉयलर प्लांट (एचपीबीपी) 14. सीमलेस स्टील ट्यूब प्लांट (एसएसटीपी)
	तिरुमयम	15. पावर प्लांट पाइपिंग यूनिट (पीपीपीयू)
	विशाखापत्तनम	16. हेवी प्लेटस और वेसल्स प्लांट (एचपीवीपी)
बीएचईएल की मरम्मत इकाइयां	मुंबई	1. इलेक्ट्रिकल मशीन रिपेयर प्लांट (ईएमआरपी)
	वाराणसी	2. हेवी इक्विपमेंट रिपेयर प्लांट (एचईआरपी)

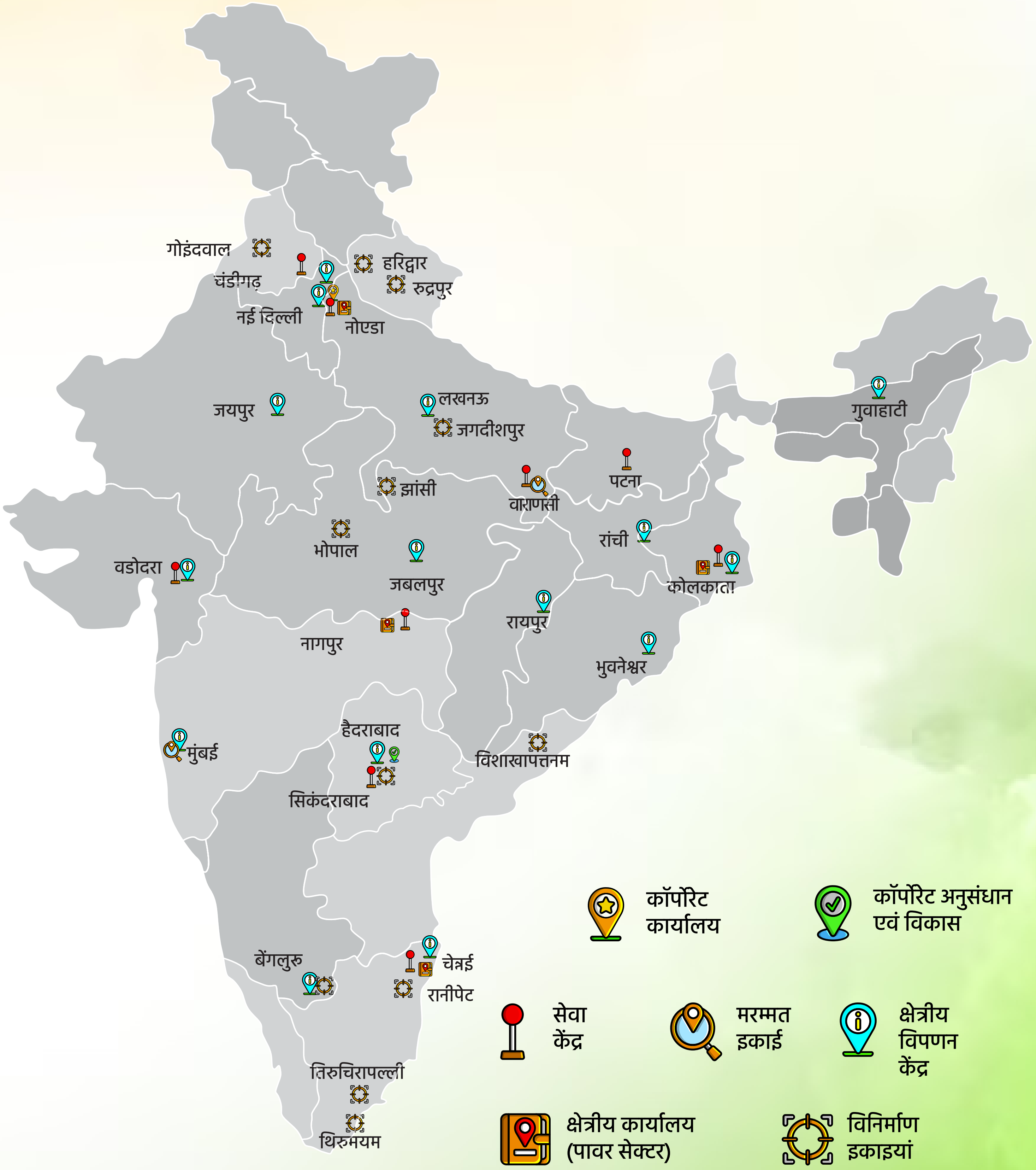

*भारत का मानचित्र सांकेतिक है, यह आवश्यक नहीं है कि यह पैमाने के अनुरूप हो।

उत्कृष्टता का सम्मान

1. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित हिंदी दिवस समारोह में राजभाषा हिंदी के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार 'राजभाषा कीर्ति' के अंतर्गत 'तृतीय' पुरस्कार प्राप्त हुआ।
2. श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता नियंत्रण चक्र सम्मेलन 2024 (ICQCC - 2024) में आठ स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त किए।

3. ईटी गवर्नमेंट पीएसयू लीडरशिप एंड एक्सीलेंस अवार्ड्स 2024 समारोह में प्रेशराइज्ड फ्लुइडाइज्ड बेड गैसीफायर (पीएफबीजी) का उपयोग करके स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी के लिए 'स्वदेशी प्रौद्योगिकी को अपनाने' की श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार तथा बीएचईएल संवाद (बीएचईएल और घरेलू आपूर्तिकर्ताओं के बीच सहयोग को मजबूत करने वाली एक इंटरैक्टिव कार्यशाला पहल) के लिए 'आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में नवाचार' के लिए रजत पुरस्कार प्राप्त किया।

4. ईईपीसी इंडिया क्वालिटी अवार्ड्स 2024; पीएसयू श्रेणी के अंतर्गत व्यावसायिक उत्कृष्टता और कड़े गुणवत्ता मानकों के प्रति समर्पण के लिए स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त किया।

5. रेल विश्लेषण नवाचार एवं उत्कृष्टता शिखर सम्मेलन 2025 में 'रोलिंग स्टॉक विनिर्माण में उत्कृष्टता' श्रेणी में रेल विश्लेषण भारत पुरस्कार (रेल एनलिसिस इंडिया अवॉर्ड) प्राप्त किया।

6. कॉर्पोरेट अभिशासन, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के समावेशन तथा परिचालन निष्पादन उत्कृष्टता श्रेणियों में भारतीय वाणिज्य मंडल (आईसीसी) से सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (पीएसई) के तीन उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त किए।

7. अपनी वार्षिक रिपोर्ट में वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रकटीकरण की तैयारी तथा प्रस्तुतीकरण में गुणवत्ता, पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा के उच्च मानकों के लिए 'वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता' के लिए आईसीएआई पुरस्कार प्राप्त किया।

8. लागत प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित आईसीएमएआई राष्ट्रीय पुरस्कार - 2024 जीता। यह सम्मान कंपनी के रणनीतिक लागत नियंत्रण, परिचालन दक्षता और मज़बूत वित्तीय अनुशासन का प्रमाण है।

9. लगातार दूसरे वर्ष प्रतिष्ठित सीआईआई-एक्ज़िम बैंक अवार्ड फॉर बिज़नेस एक्सीलेंस 2024 जीता।

10. ईटी गवर्नमेंट पीएसयू लीडरशिप एंड एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025 में 'लीडरशिप इन डिजिटल ट्रानफॉर्मेशन' और 'स्वदेशी उत्पादन एवं प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने' की श्रेणियों में प्रतिष्ठित स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त किए।

11. 9वें पीएसयू आईटी फोरम गवर्नेंस नाउ अवार्ड्स में 'सॉफ्टवेयर विकास में उत्कृष्टता' श्रेणी में मान्यता प्राप्त।

12. "माई बीएचईएल ऐप" ने कर्मचारी तक सुविधाओं की पहुँच के लिए पीएसई अवार्ड्स 2024 की 'एंटरप्राइज़ मोबिलिटी' श्रेणी में पुरस्कार जीता।

13. महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की श्रेणी में 'सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान एवं विकास पहल', 'शिक्षण एवं विकास में उत्कृष्टता' तथा 'मानव संसाधन उत्कृष्टता (समग्र)' के लिए तीन गवर्नेंस नाउ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पुरस्कार जीते।'

14. क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 38वें राष्ट्रीय गुणवत्ता अवधारणा सम्मेलन (एनसीक्यूसी)-2024 में बीएचईएल की विभिन्न इकाइयों की 60 गुणवत्ता चक्र टीमों ने पार एक्सीलेंस/ एक्सीलेंस (उत्कृष्टता) पुरस्कार जीते।

15. नीमच आरईजेड टीबीसीबी परियोजना के अंतर्गत तीन क्रिटिकल सबस्टेशनों को अनुबंधित समय से पहले चालू करने की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए सीईओ मीट-2024 में पावरग्रिड द्वारा सम्मानित किया गया।

16. पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स 2024 के तीसरे संस्करण में अपनी उत्कृष्ट "साइबर सुरक्षा और अनुकूलनशीलता" पहल के लिए "साइबर सुरक्षा में उत्कृष्टता" श्रेणी में सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार आईटी प्रगति को आगे बढ़ाने में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा किए गए अनुकरणीय प्रयासों को मान्यता देता है।

13

15

17. श्री राजेश कुमार द्विवेदी, निदेशक (वित्त) एवं प्रमुख वित्त अधिकारी, को भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आईसीएमएआई) द्वारा उनके दूरदर्शी नेतृत्व और मूल्य सृजन, परिचालन उत्कृष्टता और बेहतर व्यावसायिक निष्पादन में परिवर्तनकारी दृष्टिकोण के लिए "प्रमुख वित्त अधिकारी" – आउटस्टैंडिंग परफ़ॉर्मर पुरस्कार 2024" से सम्मानित किया गया।

18. डॉ. जी. राघवेंद्र राव को सार्वजनिक क्षेत्र में इंजीनियरिंग, में उनके असाधारण योगदान के लिए तेलंगाना सरकार और इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) द्वारा 'इंजीनियर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024' से सम्मानित किया गया।

17

18

विश्वास और उत्कृष्टता के प्रमाण
(सम्मानित ग्राहकों से प्रशंसा)

केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा उनकी सहायक कंपनियों से

एनटीपीसी NTPC · दामोदर घाटी निगम DVC · NHPCL · BHAKRA BEAS MANAGEMENT BOARD · नालको NALCO · पावरग्रिड · ओपीएएल OPaL

राज्य विद्युत कंपनियों से

APGENCO · MAHAGENCO · UPRVUNL · TSGENCO · TENUGHAT VIDYUT NIGAM LTD.

निजी क्षेत्रों से

JINDAL · INDORAMA 50 Years · Indorama India Pvt Ltd. · RUNGTA GROUP

अंतरराष्ट्रीय सम्मान

CES

We would like to thank your team at International Operations Division along with qualified team of engineers from BHEL Hyderabad for their unwavering and proactive support during the entire overhauling operations and it was successfully complated.

We also appreciate the continued after sales support of BHEL for efficient and uninterrupted operation of our Power Plant.

Yours faithfully,

Malick Seck

General Director

Compagnie d'Electricité du Sénégal (CES) - Société Anonyme avec Administrateur Directeur Général, au capital de 9.116.000.000 Frs
RCCM: SN-DKR-2022 M 23637 - NINEA : 28402302A3

ONGC Petro additions Limited

CIN: U23209GJ2006PLC060282

Plant site: Plot #Z-1 & Z-83, C/o. Dahej SEZ Ltd., P.O. Dahej, Taluka Vagra, Dist. Bharuch – 392130, Gujarat, India. | Tel.: 02641-666000 | Fax.: 02641-666110

Date: 31-Jan-25

To,
Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL)
GM & Head (CPP, PMG & IPM)

Subject: Appreciation for Successful Execution & Closure of 195MW Captive Power Plant at Dahej Petrochemical Complex

Sir,
On behalf of ONGC Petro Additions Limited (OPaL), we extend our appreciation to Bharat Heavy

---

Rear Admiral Sujit Baxi
रियर एडमिरल सुजीत बख्शी
Addl. Director General Warship Design Bureau
अतिरिक्त महानिदेशक युद्धपोत अभिकल्प ब्यूरो
मोबाइल/Mob – 9711995643, 9052141116
दूरभाष/Tel - 011 28702471
फैक्स/Fax - 011 28702463
Email - mail.wdbdelhi@navy.gov.in

Warship Design Bureau
युद्धपोत अभिकल्प ब्यूरो
Naval Headquarters, MoD
नौसेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय
East Wing, E-117/ईस्ट विंग-117
Nausena Bhawan/नौसेना भवन
Delhi Cantt. / दिल्ली छावनी
New Delhi -10/नई दिल्ली-10

CD/1135/SB

15 Jan 25

Mr KS Murthy,
Chairman and Managing Director (CMD)
M/s Bharat Heavy Electricals Limited,
BHEL House, August Kranti Marg,
Siri Institutional Area,
Siri Fort Institutional Area, Siri Fort,
New Delhi - 110049

Dear Sir,

PROGRESS ON IPMS ISSUES - INS VIKRANT (P-71)

1. At the outset, may I convey my heartiest wishes to you and your entire team A

Rungta Mines Limited

(DHENKANAL STEEL PLANT)

Site Office : Korian By-Pass, Korian, Dist.: Dhenkanal - 759013, ODISHA, INDIA
Works : At - Jharabandha, P.O.- Nimabahali, Via - Meramandali, Dhenkanal - 759 121, ODISHA
Telefax : +91 6762228361, Email : dsp@rungtamines.co.in, Website : www.rungtamines.com

Ref: RML/DSP/2024-25/

Dated: 30.01.2025

On behalf of Rungta Mines Limited, we extend our heartfelt gratitude to the BHEL team for the exemplary dedication and expertise demonstrated in successfully identifying & rectifying the problem, completing the turbine re-assembly, rolling and synchronization in the shortest possible span of 12

निदेशक मंडल रिपोर्ट

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

अनुलग्नक-I 29
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

अनुलग्नक-II 61
कॉर्पोरेट अभिशासन

अनुलग्नक-III 89
सीईओ एवं सीएफओ प्रमाण पत्र

अनुलग्नक-IV 92
संधारणीयता, सीएसआर एवं एचएसई

अनुलग्नक-V 103
व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता रिपोर्ट

अनुलग्नक-VI 148
अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकीय उपलब्धियाँ

अनुलग्नक-VII 151
ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन एवं अनुसंधान एवं विकास,
विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

अनुलग्नक-VIII 152
राजभाषा कार्यान्वयन एवं सतर्कता तंत्र

अनुलग्नक-IX 155
फॉर्म AOC-I एवं AOC-II

अनुलग्नक-X 158
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और सी&एजी की टिप्पणी

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यों,

आपके निदेशक मंडल को आपकी कंपनी के व्यवसाय और परिचालन की 61वीं वार्षिक रिपोर्ट और 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

निष्पादन के मुख्य बिन्दु

(₹ करोड़ में)

विवरण	निम्नलिखित तारीख को समाप्त वर्ष के लिए	
	मार्च 31, 2025	मार्च 31, 2024
प्राप्त ऑर्डर (कर शामिल नहीं)	92,535	77,907
कुल बकाया ऑर्डर (कर शामिल नहीं)	1,96,328	1,31,598
राजस्व	27,355	22,921
EBITDA	1,745	1,201

कंपनी की स्थिति

वर्ष 2024-25 में ऑर्डर प्राप्ति में वृद्धि देखी गई और ऑर्डर बुकिंग 92,535 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुँच गई। कंपनी अपने मुख्य थर्मल पावर व्यवसाय में कई प्रतिष्ठित ऑर्डर प्राप्त करने में सफल रही है और इसके साथ ही ट्रांसमिशन, परिवहन, रक्षा आदि क्षेत्रों में ऑर्डर प्राप्त करके अपनी विविधीकरण पहलों को भी आगे बढ़ा रही है। 31 मार्च, 2025 तक कुल बकाया ऑर्डर ₹1,96,328 करोड़ रुपये (कर को घटाकर) के अपने उच्चतम स्तर पर पहुँच गई है, जो कंपनी के मज़बूत व्यावसायिक दृष्टिकोण को दर्शाता है

प्राप्त ऑर्डर (कर शामिल नहीं)
(₹ करोड़ में)

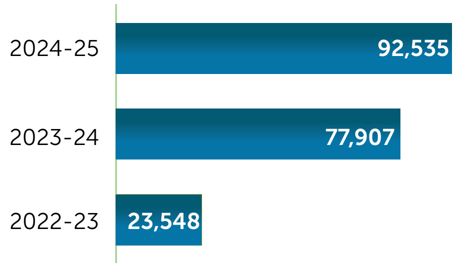

कुल बकाया ऑर्डर (कर शामिल नहीं)
(₹ करोड़ में)

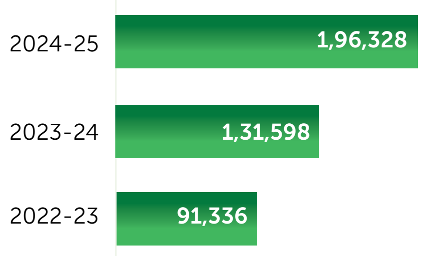

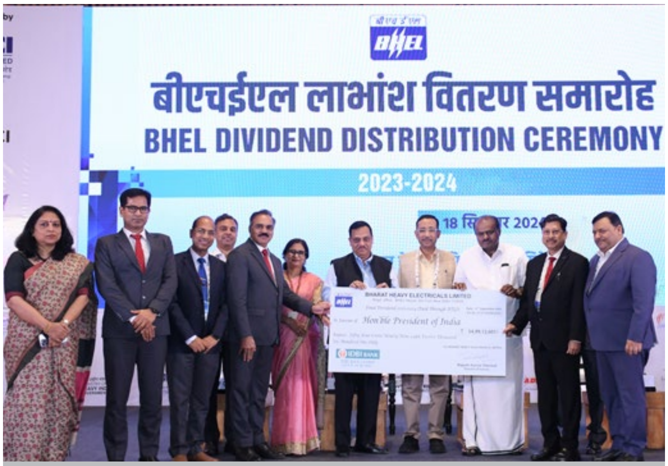

बीएचईएल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को 55 करोड़ रुपये का अंतिम लाभांश दिया

आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरुप, भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड (बीसीजीसीएल), भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) और कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के बीच एक संयुक्त उद्यम, मई 2024 में स्थापित किया गया था। इस संयुक्त उद्यम की योजना बीएचईएल की स्वदेशी रुप से विकसित तकनीक का उपयोग करके भारत का पहला वाणिज्यिक पैमाने का कोयला-से-2000 टीपीडी अमोनियम नाइट्रेट प्लांट स्थापित करने की है। यह प्लांट उच्च-राख वाले कोयले को तकनीकी-ग्रेड अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करने के लिए परिवर्तित करेगा। यह परियोजना न केवल कोयला संसाधनों के घरेलू मूल्यवृद्धि को बढ़ाती है बल्कि आयात पर निर्भरता को भी कम करती है, जिससे तकनीकी नवाचार और आत्मनिर्भरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है।

कंपनी ने मजबूत ऑर्डर बुक द्वारा समर्थित क्षमता उपयोग को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए राजस्व में 19% की मजबूत वृद्धि हासिल की। वित्त वर्ष 2024-25 में ₹27,355 करोड़ के राजस्व के साथ, पिछले वर्ष की तुलना में ~₹4,500 करोड़ की वृद्धि, सामग्री लागत में 3.3% की कमी के साथ, कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में सकल मार्जिन में 38% की उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की, और परिणामस्वरुप ₹1,745 करोड़ के EBITDA (पिछले वर्ष की तुलना में 45% की वृद्धि) के साथ ₹513 करोड़ का कर पश्चात लाभ प्राप्त किया।

बीएचईएल को लागत प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित 'आईसीएमएआई राष्ट्रीय पुरस्कार – 2024' प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार कंपनी के रणनीतिक लागत नियंत्रण, परिचालन दक्षता और मजबूत वित्तीय अनुशासन का प्रमाण है।

बहुआयामी उपायों में केंद्रीकृत क्रय और उप-अनुबंध, डिज़ाइन मानकीकरण और अनुकूलन, विक्रेता आधार में वृद्धि, उन्नत विनिर्माण कार्य आदि के माध्यम से आवश्यकताओं की पूर्ति शामिल है, जिससे लागत में कमी के साथ-साथ क्षमता उपयोग में भी वृद्धि हुई है।

कंपनी ने नकद प्राप्ति को प्राथमिकता दी, जिससे अग्रिमों सहित ग्राहकों से कुल प्राप्ति में 40.5% (~ ₹ 10,500 करोड़) की वृद्धि हुई। परियोजनाओं के त्वरित निष्पादन को सक्षम करने के लिए सामग्री-संबंधी भुगतानों में ₹3,400 करोड़ (पिछले वर्ष की तुलना में ~ 16% की वृद्धि) की उल्लेखनीय वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान उत्पन्न शुद्ध नकद अधिशेष ₹1,977 करोड़ था।

नेट बिलिंग से प्राप्ति में लगभग ₹4,500 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है (पिछले वर्ष की तुलना में 20% की वृद्धि)। इसका कारण समय पर निष्पादन और बेहतर भुगतान शर्तों पर परियोजना केंद्रित होना है। परिणामस्वरूप, व्यापार प्राप्तियों की अवधि वित्त वर्ष 2024-25 में घटकर 115 दिन रह गई, जो पिछले वर्ष 122 दिन थी।

आरक्षित निधि में अंतरण

कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान आरक्षित निधि में किसी भी राशि का अंतरण नहीं किया है।

लाभांश

निदेशक मंडल ने 16 मई, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में, आपके अनुमोदन के अधीन, वित्त वर्ष 2024-25 के लाभ में से प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक ₹0.50 प्रति शेयर ₹2) पर 25% की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जो ₹174.10 करोड़ है।

कंपनी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय निदेशक मंडल (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर") के विनियम 43ए की अपेक्षाओं के अनुसरण में एक लाभांश वितरण नीति है। लाभांश वितरण नीति कंपनी की वेबसाइट https://www.bhel.com/dividend-distribution-policy-bhel-0 पर उपलब्ध है।

जमा

कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के दायरे में आने वाले लोगों से जमा स्वीकार नहीं किया है।

पूंजी एवं वित्त

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने अपने पूंजीगत व्यय और परिचालन निधि आवश्यकताओं को मुख्य रुप से आंतरिक स्रोतों से पूरा किया। हालाँकि, परियोजना निष्पादन में तेजी लाने के लिए मुख्य रुप से सामग्री और उप-अनुबंध व्यय पर बढ़े हुए नकदी निकासी और बीच-बीच में नकदी प्रवाह में विसंगतियों के कारण, कंपनी ने ₹8,795 करोड़ के अल्पकालिक उधार लिए और 31 मार्च, 2025 तक ₹7,612 करोड़ का नकद और बैंक शेष बनाए रखा।

नकदी प्रबंधन को अनुकूलित करने और परिचालन तरलता बनाए रखने के लिए, कंपनी बीच-बीच में उपलब्ध अधिशेष निधियों को सावधि जमाओं में भी रखती है। परिचालन निधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कंपनी द्वारा WCDL, सावधि जमा पर ऋण और सूचीबद्ध वाणिज्यिक पत्रों आदि सहित अल्पकालिक ऋण विकल्पों का उपयोग किया जाता है।

ऋण, गारंटी एवं निवेश

वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के अंतर्गत आने वाले ऋण या अग्रिम से संबंधित कोई लेनदेन नहीं है। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई निवेश है, तो वह कंपनी के लेखापरीक्षित वार्षिक लेख 2024-25 के 'निवेश' पर नोट 5 के अनुसार है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने अपने नव स्थापित संयुक्त उद्यम, भारत कोल गैसीफिकेशन & केमिकल्स लिमिटेड की ओर से, बिना किसी शुल्क/ प्रतिफल के, कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान की है। भारतीय लेखा मानक 109 की आवश्यकताओं के अनुरुप, कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान करने के उचित मूल्य को प्रारंभिक रुप से संयुक्त उद्यम में ₹5.29 करोड़ के अनुमानित निवेश के रुप में मान्यता दी गई है, जिसके अनुरुप वित्तीय देयता की मान्यता भी दी गई है।

साख श्रेणी निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग)

आपकी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग इस प्रकार है:

रेटिंग एजेंसी	रेटिंग की तिथि	दीर्घावधि रेटिंग	आउटलुक	अल्पावधि रेटिंग
CRISIL	27-12-2024	CRISIL AA-	ऋणात्मक	CRISIL A1+
	18-10-2023	CRISIL AA-	ऋणात्मक	CRISIL A1+
INDIA RATINGS	27-06-2024	IND AA-	स्थिर	IND A1+
	28-06-2023	IND AA-	ऋणात्मक	IND A1+
CARE	17-06-2025	CARE AA-	स्थिर	CARE A1+
	18-06-2024	CARE AA-	स्थिर	CARE A1+

वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ

वित्त वर्ष 2024-25 के अंत और इस रिपोर्ट की तिथि के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ नहीं हैं। नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किए गए हैं जो भविष्य में कंपनी की चालू स्थिति और संचालन को प्रभावित करते हों। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं है।

ट्रेडिंग का स्थगन

कंपनी के इक्विटी शेयर एनएसई और बीएसई में सूचीबद्ध हैं। कंपनी के शेयरों को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ट्रेडिंग से स्थगित नहीं किया गया था।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसार, निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है कि:

क) वार्षिक लेखों को तैयार करते समय, लागू लेखांकन मानकों (इंड एएस) का पालन किया गया है, साथ ही महत्वपूर्ण विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं;

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है तथा ऐसे निर्णय लिए हैं और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ का सही और निष्पक्ष जानकारी दी जा सके;

ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा एवं धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है;

घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखों को चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किया है;

ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तंत्र निर्धारित किए हैं और यह सुनिश्चित किया है कि ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं;

च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की हैं और यह सुनिश्चित किया है कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

आपकी कंपनी ने विकास को पुनः प्राप्त करने, मुख्य व्यवसाय को मजबूत करने, निष्पादन में तेजी लाने और गैर-कोयला क्षेत्रों में व्यवसाय को बढ़ाने सहित विविधीकरण की दिशा में ठोस कदम उठाने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा है, जो दीर्घकालिक सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया **निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नक-I** को देखें।

कॉर्पोरेट अभिशासन

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 34 के अनुसार, कॉर्पोरेट अभिशासन (निदेशक मण्डल और समिति की बैठकों के विवरण सहित) पर रिपोर्ट **निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नक-II** में निम्नलिखित के साथ दी गई है,

क) सेबी सूचीयन विनियमों की अनुसूची V के तहत निदेशकों के नॉन – डिसक्वालिफिकेशन का प्रमाण पत्र।

ख) सेबी सूचीयन विनियमों के तहत कॉर्पोरेट अभिशासन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र एवं कॉर्पोरेट अभिशासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देश।

ग) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) के तहत सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट।

स्वतंत्रता घोषणा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) के तहत स्वतंत्रता के मानदंडों से संबंधित घोषणा स्वतंत्र निदेशकों द्वारा निदेशक मंडल को दी गई है। सभी स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 150 के तहत अधिसूचित भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान (IICA) के ऑनलाइन डेटाबेस पर स्वयं को पंजीकृत किया है। निदेशक मंडल की राय में, स्वतंत्र निदेशकों के पास ईमानदारी और आवश्यक विशेषज्ञता और अनुभव है।

अनुपालन

आपकी कंपनी लगातार अपनी प्रणालियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की समीक्षा करती है और उसे मजबूत बनाती है।

- कॉर्पोरेट अभिशासन, अखंडता के उच्चतम मानक को प्राप्त करने के लिए, परिचालन में नैतिक और पारदर्शी कार्यप्रणाली विद्यमान है।
- अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लागू कानूनों / अधिनियमों पर एक त्रैमासिक कानूनी अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा निदेशक मंडल द्वारा की जाती है।
- सूचीबद्ध कंपनी होने के नाते, सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए किसी भी वित्तीय मामले पर सेबी की ओर से कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई।
- कंपनी ने सभी लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन किया है।
- वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए, कंपनी भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस), मार्गदर्शन नोट और आईसीएआई, कंपनी अधिनियम 2013 और अन्य लागू क़ानूनों द्वारा जारी अन्य आधिकारिक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करती है।

आपकी कंपनी द्वारा अपने वित्तीय विवरण में प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण में पारदर्शिता को निरंतर बढ़ाने का सतत प्रयास, अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट अभिशासन के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

राजकोष में योगदान

कंपनी पिछले कई वर्षों से लगातार राजकोष में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है और कर अनुपालन के संबंध में ईमानदारी के उच्च मानकों को बनाए रख रही है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी का राजकोष में योगदान ₹5000 करोड़ (उपयोग किए गए ITC सहित) से अधिक रहा।

लेखा परीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी में निदेशक मण्डल स्तरीय लेखा परीक्षा समिति 31 मार्च, 2025 तक स्थापित है, जो इसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के नियम 18 के अनुसार है, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दी गई है। नियमित अंतराल पर आयोजित बैठकों में सभी मुद्दों पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से विचार-विमर्श किया जाता है। निदेशक मंडल स्तरीय लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों के विचारों और सुझावों को ध्यान में रखा जाता है और कंपनी की प्रक्रियाओं में शामिल किया जाता है। इसके अलावा, ऐसा कोई मामला नहीं है जहाँ निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल स्तरीय लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया हो। 2 नवंबर, 2024 से 28 मार्च, 2025 तक, चूँकि बीएचईएल के निदेशक मंडल में केवल एक स्वतंत्र निदेशक थे, इसलिए सेबी सूचीयन विनियमों के अनुसार लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की संख्या और कोरम से संबंधित अनुपालन को पूरा नहीं किया जा सका। तदनुसार, इस अवधि के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश/समीक्षा/अनुमोदन के लिए प्रस्ताव सीधे निदेशक मंडल को उनकी समीक्षा/अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जा रहे थे।

निदेशकों और शीर्ष प्रबंधकीय कार्मिकों में परिवर्तन का विवरण

नियुक्ति

श्री अशोक असेरी और श्री आशीष चतुर्वेदी को 29 मार्च, 2025 को अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री एस एम रामनाथन को 30 अप्रैल, 2025 से पूर्णकालिक (कार्यात्मक) निदेशक नियुक्त किया गया है और उन्होंने निदेशक (अभियांत्रिकी, अनुसंधान एवं विकास) के रूप में कार्यभार संभाला है।

कंपनी के संगम अनुच्छेद के लागू वैधानिक प्रावधानों और अनुच्छेद 67 (iv) के अनुसार, श्री अशोक असेरी और श्री आशीष चतुर्वेदी और श्री एस एम रामनाथन को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, वे कंपनी की 61वीं वार्षिक आम बैठक तक निदेशक पद पर बने रहेंगे और बैठक में निदेशक के रूप में

नियुक्ति के लिए पात्र हैं।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 और कंपनी के एसोसिएशन के नियमों के अनुच्छेद 67 (i) के अनुसार, निदेशक श्री तजिंदर गुप्ता और सुश्री बानी वर्मा वार्षिक आम बैठक में रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते, वे स्वयं को पुनः नियुक्त करने का प्रस्ताव रखेंगे।

सेवा समापन

डॉ. के. शिवप्रसाद, जिन्हें 9 नवंबर, 2021 को अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, का सेवा कार्यकाल पूरा होने पर 1 नवंबर, 2024 को कंपनी के निदेशक पद समाप्त हो गया।

श्री जय प्रकाश श्रीवास्तव, जिन्हें 12 अगस्त, 2022 को निदेशक (ई, आर & डी) के रूप में नियुक्त किया गया था, का अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31 दिसंबर, 2024 को कंपनी के निदेशक का पद समाप्त हो गया।

निदेशक मंडल, बीएचईएल निदेशक मंडल पर अपने-अपने कार्यकाल के दौरान डॉ. के. शिवप्रसाद और श्री जय प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सेवाओं, सलाह और मार्गदर्शन के लिए उनकी हृदय से सराहना करता है।

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के नियम 36(3) के अनुपालन में, विशिष्ट कार्यक्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता की प्रकृति और उन कंपनियों के नाम जहाँ वे निदेशक पद पर हैं, साथ नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तावित निदेशकों का संक्षिप्त विवरण और निदेशक मंडल की समितियों की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, के सूचना के विस्तृत विवरण/अनुलग्नक में दिया गया है।

सीईओ/सीएफओ प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के नियम 17(8) के अनुसार सीईओ/सीएफओ प्रमाणपत्र **बोर्ड रिपोर्ट के अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) और सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के नियम 34 के अनुसार तैयार समेकित वित्तीय विवरणों का संक्षिप्त विवरण प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण (**अनुलग्नक-I**) के अंतर्गत खंड 1.4.3 में दिया गया है।

संधारणीय विकास

तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक परिदृश्य में, संधारणीयता न केवल एक नैतिक जिम्मेदारी है, बल्कि एक रणनीतिक अनिवार्यता के रूप में उभरी है। बीएचईएल पर्यावरण संरक्षण और संधारणीयता के प्रति प्रतिबद्ध है। पर्यावरण मानकों और पर्यावरण सुधार पहलों के सख्त अनुपालन के माध्यम से, कंपनी का लक्ष्य कार्बन फुटप्रिंट को कम करना और एक हरित भविष्य में योगदान देना है। व्यापक पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) रणनीति के अंतर्गत, **हरित बीएचईएल** (HARIT BHEL) नामक एक प्रमुख पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक नेट ज़ीरो प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ बीएचईएल को एक ग्रीन कंपनी में बदलना और कंपनी को एक मॉडल "ग्रीन पीएसयू" बनाना है।

इनमें से कुछ गतिविधियां जो हमें सतत भविष्य की ओर बढ़ने में मदद करती है, उनका संक्षिप्त विवरण **निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नक-IV, खंड 4.1, 4.2, 4.4, 4.5** में दिया गया है।

स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण (एचएसई)

बीएचईएल स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण (एचएसई) प्रबंधन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के प्रति प्रतिबद्ध है। कंपनी का एचएसई प्रदर्शन इस बात पर आधारित है कि सभी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है और दीर्घकालिक सफलता के लिए एक सुरक्षित, स्वस्थ और पर्यावरणीय उत्तरदायी कार्यस्थल आवश्यक है।

कर्मचारियों, ठेकेदारों और कंपनी के लिए काम करने वाले लोगों का स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता है। कंपनी एक ऐसी कार्यस्थल संस्कृति बनाने का प्रयास कर रही है जहाँ सुरक्षा एक सामूहिक ज़िम्मेदारी हो और इसे दैनिक कार्यों में शामिल किया जाए। इसके अलावा, कंपनी शून्य-दुर्घटना सुरक्षा संस्कृति को बनाए रखना चाहती है, सभी प्रासंगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा कानूनों, विनियमों और उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करती है, सुरक्षा कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी और सुरक्षा मामलों पर खुले संचार को प्रोत्साहित करती है।

अपने परिचालनों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने की ज़िम्मेदारी को स्वीकार करते हुए, कंपनी संधारणीय पद्धतियों के प्रति समर्पित है जिससे उत्सर्जन एवं प्रदूषण कम होता है और संसाधनों का संरक्षण होता है।

विस्तृत विवरण **निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नक IV, खंड 4.3** में दिया गया है।

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट (बीआरएसआर)

सूचीयन विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप, पर्यावरण, सामाजिक और शासन के दृष्टिकोण से कंपनी द्वारा की गई पहलों का वर्णन करने वाली व्यावसायिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट **निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नक-V** में संलग्न है। पांच वैश्विक रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क (जीआरआई, एसडीजी, टीसीएफडी, सीडीपी और एसएएसबी) के साथ ईएसजी प्रकटन और बीआरएसआर मैपिंग को समझने के लिए एक गाइड एनएसई वेबसाइट पर उपलब्ध है।

अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकीय विकास की उपलब्धियाँ

बीएचईएल प्रौद्योगिकीय नवाचार और राष्ट्रीय विकास में निरंतर अग्रणी रहा है। कंपनी का कार्य विभिन्न क्षेत्रों जैसे कोयला से रसायन, उच्च दक्षता वाले ताप विद्युत संयंत्र, रेल परिवहन, ट्रांसमिशन, परमाणु ऊर्जा, रक्षा एवं एयरोस्पेस, डाउनस्ट्रीम तेल एवं गैस, हरित हाइड्रोजन, ई-मोबिलिटी आदि में फैला हुआ है। ये प्रयास भारत सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' और 'विकसित भारत' मिशनों के अनुरुप हैं, जो आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हैं और भारत के शुद्ध-नेट ज़ीरो लक्ष्यों को पाने में सहायक होते हैं।

वर्ष 2024-25 में, बीएचईएल ने अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर लगभग ₹662 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जो राजस्व का लगभग ~2.4% है। इसमें नए उत्पादों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों के विकास के लिए शुरु की गई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर किया गया व्यय, साथ ही उत्पादों और डिज़ाइनों में संशोधन/सुधार के लिए किए गए प्रयास शामिल हैं। बीएचईएल ने वर्ष के दौरान 506 बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) आवेदन किए हैं, जिससे कंपनी की बौद्धिक पूंजी बढ़कर 5,940 से अधिक हो गई है। कंपनी के राजस्व का लगभग 13.5%, जो लगभग ~₹3,700 करोड़ रुपये है, कंपनी के आंतरिक रुप से विकसित उत्पादों, प्रणालियों और सेवाओं से प्राप्त हुआ है। प्रमुख विकासों का विस्तृत विवरण **निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नक-VI** में दिया गया है।

डेटा और साइबर सुरक्षा

आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में, बीएचईएल जैसे अग्रणी इंजीनियरिंग संगठनों के लिए डेटा और साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता देना बेहद ज़रुरी है। कंपनी ने साइबर खतरों से आईटी संपत्तियों और डेटा की सुरक्षा के लिए उन्नत सुरक्षा उपाय क्रियान्वित किए हैं। इन उपायों में डेटा केंद्रों, नेटवर्क, अनुप्रयोगों और अंतिम-उपयोगकर्ता उपकरणों के लिए अत्याधुनिक तकनीकों को शामिल करते हुए एक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली शामिल है। इसके अतिरिक्त, फीडबैक और इनपुट के आधार पर सुरक्षा को लगातार बेहतर बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाए जाते हैं। विस्तृत विवरण निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नक- I, खंड 1.12 में दिया गया है।

अन्य सूचनाएँ

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (एम) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, अनुसंधान एवं विकास और विदेशी मुद्रा आय और व्यय के संबंध में जानकारी **निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नक-VII** में दी गई है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसरण में कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी को निदेशक मंडल रिपोर्ट में निदेशकों के पारिश्रमिक आदि के विवरण का खुलासा करना आवश्यक है। हालांकि, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ङ) के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों का पालन करने से छूट दी गई है। बीएचईएल एक सरकारी कंपनी है और इसलिए ये सूचना निदेशक मंडल रिपोर्ट में शामिल नहीं हैं।

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के साथ पठित सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (फॉर्म एओसी-1) के अनुसार विवरण और कंपनी अधिनियम की धारा 134(3)(एच) के अनुसार फॉर्म एओसी-2 **निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नक-IX** में दिया गया है।

राजभाषा कार्यान्वयन

बीएचईएल भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में राजभाषा के रूप में 'हिंदी' को बढ़ावा देने के प्रति समर्पित है। कंपनी ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया है और विभिन्न विशेष प्रयास किए हैं, विस्तृत विवरण निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नक-VIII में दिया गया है।

सतर्कता तंत्र

बीएचईएल अपने परिचालन में ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए सुशासन, पारदर्शिता, ईमानदारी और नैतिकता के सिद्धांतों को कायम रखता है। कंपनी ने परिचालन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत सतर्कता तंत्र स्थापित किया है। कंपनी अनुचित और अनैतिक पद्धतियों की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करती है और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के नियम 22 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के संदर्भ में, कंपनी ने एक व्हिसल ब्लोअर नीति लागू की है जो शिकायतकर्ता को उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती है।

"निदेशक मंडल लेखा समिति" (बीएलएसी) व्हिसल ब्लोअर/सतर्कता तंत्र के कामकाज की समीक्षा करती है, और सतर्कता कार्य की वार्षिक समीक्षा भी सीएमडी/ निदेशक मंडल द्वारा की जाती है। अधिक विवरण, **निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नक-VIII** में दिए गए हैं।

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता के तहत कार्यवाही

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) के तहत वर्ष के दौरान बीएचईएल के खिलाफ कोई आवेदन नहीं मिला है और 31 मार्च, 2025 तक आईबीसी के तहत बीएचईएल के खिलाफ कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

लेखा परीक्षक

आपकी कंपनी के सांवधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। सांवधिक लेखा परीक्षकों की दो फर्मों को संयुक्त सांवधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और पाँच फर्मों को शाखा लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नियुक्त लेखा परीक्षक फर्मों के नाम वार्षिक रिपोर्ट में अलग से दिए गए हैं।

लेखे पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

कंपनी के वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एकल (स्टैंडअलोन) और समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट निदेशक मंडल रिपोर्ट के **अनुलग्नक-X** में दी गई है। कंपनी के वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कोई अर्हता नहीं है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी पूरक लेखा परीक्षा रिपोर्ट भी **अनुलग्नक-X** का हिस्सा है।

सचिवीय लेखा परीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) के अनुसार, कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित करने और उनकी रिपोर्ट के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स अखिल रोहतगी एंड कंपनी, पूर्णकालिक व्यवसायी कंपनी सचिव नियुक्त किया और उनकी रिपोर्ट कॉर्पोरेट अभिशासन अनुभाग का हिस्सा है।

सचिवीय लेखा परीक्षक ने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में पाया है कि:

(i) समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल की कुल क्षमता के आधे से भी कम थी, जैसा कि सेबी सूचीयन विनियमों के नियम 17(1), कॉर्पोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशा-निर्देशों के पैरा 3.1.4 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के तहत आवश्यक है। इसके अलावा, कंपनी में 13.04.2024 से 31.03.2025 की अवधि के दौरान एक भी स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं थी, जैसा कि सेबी लिस्टिंग विनियमों के नियम 17(1) और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के तहत आवश्यक है; और

(ii) 02.11.2024 से 28.03.2025 की समयावधि के दौरान, लेखा परीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन सेबी सूचीयन विनियमों के क्रमशः नियम 18 (1) और (2) और 19, कॉर्पोरेट अभिशासन डीपीई दिशानिर्देशों के क्रमशः पैरा 4.1.1 और 4.4 और 5.1 और कंपनी अधिनियम, 2013 की क्रमशः धारा 177 (2) और 178 (1) के अनुसार नहीं थी, क्योंकि उक्त अवधि के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में केवल एक स्वतंत्र निदेशक ही शेष थे।

सचिवीय लेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कंपनी द्वारा दिए गए इस स्पष्टीकरण पर भी गौर किया है कि चूंकि बीएचईएल, एक सरकारी कंपनी है, इसलिए इसके सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हैं और इसलिए अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति कंपनी के नियंत्रण से बाहर है। इसके अलावा, कंपनी अपने प्रशासनिक मंत्रालय के

उत्कृष्टता उत्सव और बीएचईएल दिवस के अवसर पर माननीय केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री, साथ में एमएचआई के वरिष्ठ अधिकारीगण और बीएचईएल के कार्यात्मक निदेशकगण

साथ संपर्क में रही है और अपने निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए अनुरोध करती रही है, ताकि सेबी सूचीयन विनियमों, कॉर्पोरेट अभिशासन और कंपनी अधिनियम, 2013 पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित कॉर्पोरेट अभिशासन मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। 29.03.2025 से, बोर्ड में दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की गई और कानूनी प्रावधानों के अनुपालन में लेखा परीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का भी पुनर्गठन किया गया।

प्रबंधन ने स्वतंत्र निदेशक के रिक्त पदों के संबंध में गौर किया तथा बताया कि इन रिक्त पदों को भरने का मामला भारत सरकार के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

लागत लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों और कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 और उसके संशोधनों के अनुसार, निदेशक मंडल ने लेखापरीक्षा समिति की अनुशंसा पर, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आपकी कंपनी के लागत लेखों की लेखा परीक्षा के लिए लागत लेखा परीक्षकों के रूप में लागत लेखाकारों की सात फर्मों की नियुक्ति को मंजूरी दी। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट लागत खातों और अभिलेखों को उचित रूप से बनाए रखा गया है और उनका अनुपालन किया गया है।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नियुक्त लागत लेखा परीक्षकों का विवरण वार्षिक रिपोर्ट में अलग से दिया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट XBRL मोड के तहत दायर की गई है जो कि दाखिल करने की नियत तिथि के भीतर और लागत परीक्षा रिपोर्ट में कोई अर्हता नहीं थी।

प्रशंसा एवं आभार

हम, आपकी कंपनी के निदेशकगण, आपकी कंपनी के परिचालन और रणनीतिक पहलों के विभिन्न क्षेत्रों में भारत सरकार, विशेष रूप से भारी उद्योग मंत्रालय से प्राप्त सहयोग और मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करने के साथ-साथ बहुत सराहना करते हैं।

हम भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, सांवधिक प्राधिकरणों और विभागों के प्रति भी उनके बहुमूल्य समर्थन और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

हम भारत और विदेश में कंपनी के मूल्यवान ग्राहकों, जिन्होंने हम पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है, के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पेशेवर निकायों, सांविधिक लेखा परीक्षकों, शाखा लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों और लागत लेखा परीक्षकों के प्रति उनके रचनात्मक सुझावों और निरंतर सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं।

हम कंपनी के सम्मानित शेयरधारकों द्वारा कंपनी के प्रबंधन में दिए गए समर्थन और उनके विश्वास के लिए हार्दिक सराहना करते हैं और भविष्य में भी इसे जारी रखने की आशा करते हैं।

हम अपने सभी प्रौद्योगिकी सहयोगियों, आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों से प्राप्त निरंतर सहयोग के लिए उन्हें भी धन्यवाद देते हैं। हम वित्तीय संस्थानों, बैंकरों और स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं।

अंत में, आपके निदेशकगण कंपनी की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए दिन-रात काम करने वाले बीएचईएल के सभी कर्मचारियों को उनकी लगन, अनवरत प्रयासों, कड़े परिश्रम और प्रतिबद्धता के लिए उनका सहृदय आभार व्यक्त करते हैं।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

के. सदाशिव मूर्ति

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25 जुलाई 2025

भारत की एचवीडीसी क्रांति को गति - कुशल, विश्वसनीय तथा भविष्य के लिए तैयार

राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) के अनुसार, ट्रांसमिशन सिस्टम की योजना इस प्रकार तैयार की गई है कि यह वर्ष 2031-32 तक 600 गीगावाट से अधिक के स्थापित नवीकरणीय उत्पादन क्षमता को समायोजित कर सके। एचवीडीसी तकनीक इस नवीकरणीय ऊर्जा को शहरी और औद्योगिक केंद्रों तक कुशलतापूर्वक पहुँचाने के लिए उपयुक्त है। एनईपी में एचवीडीसी क्षमता को वर्ष 2022 में लगभग 33 गीगावाट से दोगुना करके वर्ष 2032 तक लगभग 67 गीगावाट करने की परिकल्पना की गई है।

क्षमताएँ

- एचवीडीसी तकनीक में 40 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ, बीएचईएल विद्युत ट्रांसमिशन में उत्पादों और समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।
- कनवर्टर ट्रांसफार्मर, शंट रिएक्टर, स्विचगियर, कैपेसिटर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, इंसुलेटर और थाइरिस्टर वाल्व सहित एचवीडीसी टर्मिनल उपकरणों की इंजीनियरिंग और विनिर्माण की प्रमाणित क्षमताएँ।

उपलब्धियाँ

- पिछले 30 वर्षों से भागीदारों के साथ मिलकर छह ऐतिहासिक एचवीडीसी परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया है, जिनमें वर्ष 1989 में शुरु की गई भारत की पहली एचवीडीसी परियोजना (लोअर सिलेरू-बारसूर) भी शामिल है।
- वित्त वर्ष 2024-25 में, प्रतिष्ठित ±800 केवी, 6000 मेगावाट खावड़ा-नागपुर एलसीसी एचवीडीसी का ऑर्डर प्राप्त किया।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक- I
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

1.1 आर्थिक और व्यावसायिक परिदृश्य

वैश्विक भू-राजनैतिक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय मजबूती दिखाई है और वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 6.5% की मज़बूत वृद्धि दर्ज की है। सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय पर निरंतर ज़ोर दिए जाने और कर कटौती से प्रेरित उपभोक्ता खर्च में वृद्धि से आने वाले वर्षों में भी इस सकारात्मक गति के बने रहने की उम्मीद है। वित्तीय संस्थान और निगम पूंजीगत व्यय को समर्थन देने के लिए एक मज़बूत आधार बनाते हुए अपनी तुलन पत्र (बैलेंस शीट) को मज़बूत बना रहे हैं।

लंबे समय तक विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के बाद, ताप विद्युत क्षेत्र के कारोबारी माहौल में बदलाव आया है। वित्त वर्ष 2022-23 में अत्यधिक माँग और ऊर्जा की कमी के परिदृश्य को देखते हुए, भारत सरकार ने वर्ष 2031-32 तक न्यूनतम 80 गीगावाट की अतिरिक्त कोयला-आधारित क्षमता स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। वर्तमान नीतिगत माहौल के परिणामस्वरुप केंद्र और राज्य विद्युत कम्पनियों तथा प्रमुख निजी विद्युत कम्पनियों, दोनों की ओर से कोयला आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए अत्यधिक निविदाएँ जारी की गई हैं। कोयला आधारित विद्युत परियोजनाओं में अग्रणी कंपनी, बीएचईएल को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 14.6 गीगावाट के ऑर्डर प्राप्त हुए हैं।

भारत द्वारा वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य लक्ष्य और वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के परमाणु ऊर्जा मिशन को देखते हुए जलविद्युत और परमाणु आधारित विद्युत परियोजनाओं में विद्युत यूटिलिटी क्षमता विस्तार योजनाओं के साथ सक्रिय हैं। जल विद्युत व्यवसाय में, कंपनी को पंप मोड ऑपरेशन के लिए पंपयुक्त जल विद्युत संयंत्र की एक इकाई के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (आर & एम) कार्यों के लिए ऑर्डर प्राप्त हुआ है।

उद्योग क्षेत्र में, भारत सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय बढ़ाने और अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में कार्यरत कंपनियों द्वारा क्षमता विस्तार के कारण पर्याप्त व्यावसायिक अवसर उपलब्ध हैं। एक ओर, बाज़ारों में कड़ी प्रतिस्पर्धा और मूल्य निर्धारण का दबाव है, वहीं दूसरी ओर ग्राहक नवीनतम तकनीकों पर आधारित उत्पादों की मांग कर रहे हैं।

ट्रांसमिशन व्यवसाय में नए सिरे से रुचि देखी जा रही है क्योंकि राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) के अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2024-2032 की अवधि के दौरान विद्युत पारेषण क्षमता की मांग लगभग दोगुनी होने की उम्मीद है। स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षमता में तीव्र वृद्धि ने विद्युत ट्रांसमिशन क्षेत्र में महत्वपूर्ण अवसर उत्पन्न किए हैं। बीएचईएल को वर्ष के दौरान खावड़ा-नागपुर एचवीडीसी परियोजना के लिए एक बड़ा ऑर्डर मिला है।

रक्षा व्यवसाय में, भारत सरकार के आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के परिणामस्वरुप बड़े अवसर पैदा हुए हैं, जिनमें तीनों सशस्त्र बलों द्वारा नए रक्षा कार्यक्रम भी शामिल हैं। कंपनी तीन दशकों से भारतीय नौसेना को सुपर रैपिड गन माउंट की आपूर्ति कर रही है, और इस क्षेत्र में आगे के अवसरों का लाभ उठाने के लिए विनिर्माण सुविधाओं को उन्नत किया है। बीएचईएल विश्व की उन चुनिंदा कम्पनियों में से एक है, जो सैन्य विमानों/हेलीकॉप्टरों के लिए कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर और पंप मॉड्यूल डिजाइन और विनिर्माण करने की क्षमता रखती है, तथा वर्तमान में विभिन्न हवाई प्लेटफार्मों के लिए इनका विकास कर रही है।

कोयला गैसीकरण और उन्नत अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल (एयूएससी) कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के क्षेत्र में, बीएचईएल अपनी स्वदेशी तकनीकों के साथ अच्छी स्थिति में है। कोयला गैसीकरण के क्षेत्र में, बीएचईएल ने कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी पहले ही स्थापित कर ली है, जिसके लिए संयुक्त उद्यम कंपनी भारत कोल गैसीफिकेशन एवं केमिकल्स लिमिटेड (बीसीजीसीएल) को सरकारी वित्तीय प्रोत्साहन हेतु आंवटन पत्र प्राप्त हो चुका है। एयूएससी कार्यक्रम पर केंद्रीय बजट 2025-26 की घोषणा के बाद, एयूएससी तकनीक पर आधारित दुनिया का पहला 800 मेगावाट प्रौद्योगिकी प्रदर्शन संयंत्र स्थापित करने के प्रयास चल रहे हैं।

1.2 अवसर एवं चुनौतियाँ

ऊर्जा सुरक्षा पर नए सिरे से ज़ोर देने से कोयला आधारित विद्युत ऊर्जा ऊर्जा नियोजन में फिर से अग्रणी स्थान पर आ गई है। पिछले दो वर्षों में 25 गीगावाट से अधिक ताप विद्युत परियोजनाओं के ऑर्डर इसका प्रमाण हैं। यह गति जारी रहने की उम्मीद है, और कंपनी इस महत्वपूर्ण अवसर का लाभ उठाने के लिए बिजली संयंत्र उपकरण निर्माण और ईपीसी क्रियान्वयन में अपनी विशेषज्ञता और पैमाने का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है।

पारंपरिक (बड़े और छोटे जलविद्युत संयंत्र) और पंप स्टोरेज जनरेटिंग स्टेशन, दोनों की जलविद्युत क्षमता को ग्रिड संतुलन और स्थिरीकरण आवश्यकताओं के लिए विस्तार की आवश्यकता है, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (आरईएस) आधारित विद्युत प्रणालियों की अंतर्निहित परिवर्तनशीलता के कारण आवश्यक है। इसके अलावा, चूँकि भारत के 30% से अधिक जलविद्युत संयंत्र 30 वर्ष से अधिक पुराने हो चुके हैं, इसलिए उनका जीवन विस्तार, प्रदर्शन और दक्षता उन्नयन के लिए नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (आर & एम) की संभावित मांग उभर रही है। कंपनी इन आगामी अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार है।

दुनिया जीवाश्म आधारित ताप विद्युत संयंत्रों और डेटा केंद्रों जैसे कैप्टिव उपयोग के एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में परमाणु ऊर्जा के महत्व को तेज़ी से स्वीकार कर रही है। हाल ही में केंद्रीय बजट में वर्ष 2033 तक 5 स्वदेशी रुप से विकसित लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों के परिचालन और वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता की घोषणाएँ इस क्षेत्र में स्वदेशी विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान कर रही हैं। प्राथमिक और द्वितीयक, दोनों ही क्षेत्रों के लिए अत्यधिक परमाणु ऊर्जा उपकरणों की आपूर्ति हेतु, कंपनी इन उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार है। इसके अलावा, परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम में संशोधन भी प्रस्तावित हैं, जिससे निजी क्षेत्र की भागीदारी और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जिससे परमाणु क्षेत्र में व्यावसायिक संभावनाओं में वृद्धि होगी।

नवीकरणीय ऊर्जा (RE) में तेज़ी से हो रही वृद्धि और इसके परिणामस्वरूप परिवर्तन क्षमता में वृद्धि को देखते हुए, विद्युत ट्रांसमिशन क्षेत्र में महत्वपूर्ण अवसर अपेक्षित हैं। प्रमुख केंद्रीय और निजी दोनों प्रकार की ट्रांसमिशन कंपनियाँ, बड़ी क्षमता वाले सौर पार्कों से दूरस्थ उपभोग केंद्रों तक नवीकरणीय ऊर्जा संचारित करने की माँग बढ़ने के कारण, अधिक से अधिक AIS, GIS और HVDC परियोजनाओं पर काम कर रही हैं। परिणामस्वरूप, कई HVDC परियोजनाएँ पाइपलाइन में हैं, जिनके लिए बीएचईएल पूरी तरह तैयार है।

भारतीय सशस्त्र बलों के लिए उपकरणों का उन्नयन और स्वदेशीकरण जारी रहने की उम्मीद है, जिससे बीएचईएल को तोपों, समुद्री गैस टर्बाइनों और अन्य रक्षा प्रणालियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में अवसर प्राप्त होंगे। कंपनी ने भारतीय नौसेना की सुपर रैपिड गन माउंट्स की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए विनिर्माण सुविधाओं को उन्नत किया है।

भारतीय रेलवे में हो रहे आधुनिकीकरण और बुनियादी ढाँचा उन्नयन उच्च-अश्वशक्ति इंजनों, ट्रेनसेटों, सिग्नलिंग प्रणालियों और अन्य रेल प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण अवसर प्रदान कर रहा है। ये अवसर प्रणोदन प्रणालियों और विद्युत इंजनों में बीएचईएल की क्षमता को और बढ़ा रहे हैं, जिससे रेलवे क्षेत्र में कंपनी की उपस्थिति और अधिक हो सकेगी।

इस्पात, उर्वरक, रिफाइनरियों और सीमेंट सहित प्रमुख उद्योगों में विस्तार और तकनीकी उन्नयन, औद्योगिक उत्पादों के लिए अच्छे अवसर प्रदान करते रहते हैं, जिससे बीएचईएल को विनिर्माण क्षमताओं और तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ उठाने में मदद मिलती है।

कंपनी कच्चे माल, कम्पोनेंट के लिए एक जटिल आपूर्ति श्रृंखला और विशेषज्ञ मानवशक्ति पर निर्भर है। आपूर्ति श्रृंखला में कोई भी व्यवधान, चाहे वह भू-राजनीतिक तनाव, व्यापार बाधाओं या प्राकृतिक आपदाओं के कारण हो, परियोजना निष्पादन में देरी और परिचालन लागत में वृद्धि का कारण बन सकता है।

कंपनी आपूर्ति श्रृंखला संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु आपूर्तिकर्ता पूल का विस्तार करने हेतु विभिन्न घरेलू और वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं से सक्रिय रूप से संपर्क कर रही है। चलनिधि का अंतर्वेशन, कुशल भुगतान प्रणालियाँ स्थापित करना, क्रय और उप-अनुबंध प्रक्रियाओं को एकीकृत करना आदि जैसे विभिन्न तरीकों से विक्रेताओं को सशक्त और सुविधाजनक बनाना, कंपनी के विक्रेता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की अन्य प्रमुख पहल हैं।

1.3 व्यवसायों की रूपरेखा और कार्य-निष्पादन

कंपनी के दो व्यावसायिक क्षेत्र हैं- विद्युत और उद्योग। ये क्षेत्र तीन व्यावसायिक प्रभागों, अर्थात् पावर क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय परिचालन द्वारा क्रियान्वित होते हैं।

पावर क्षेत्र में कोयला और लिग्नाइट, गैस, हाइड्रो और परमाणु ऊर्जा संयंत्र व्यवसाय, स्पेयर एवं सेवा व्यवसाय के लिए उपकरण आपूर्ति और ईपीसी कार्य शामिल हैं, इसके अलावा कोयले से रसायन के नए व्यवसाय भी शामिल हैं।

उद्योग क्षेत्र कई उद्योगों के प्रमुख उपकरण और ईपीसी परिवहन, ट्रांसमिशन, रक्षा एवं एयरोस्पेस, कैप्टिव पावर प्लांट, प्रोसेस उद्योग, नवीकरणीय ऊर्जा, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम तेल एवं गैस, ई-मोबिलिटी और ऊर्जा भंडारण इत्यादि की आपूर्ति के लिए कार्य करता है।

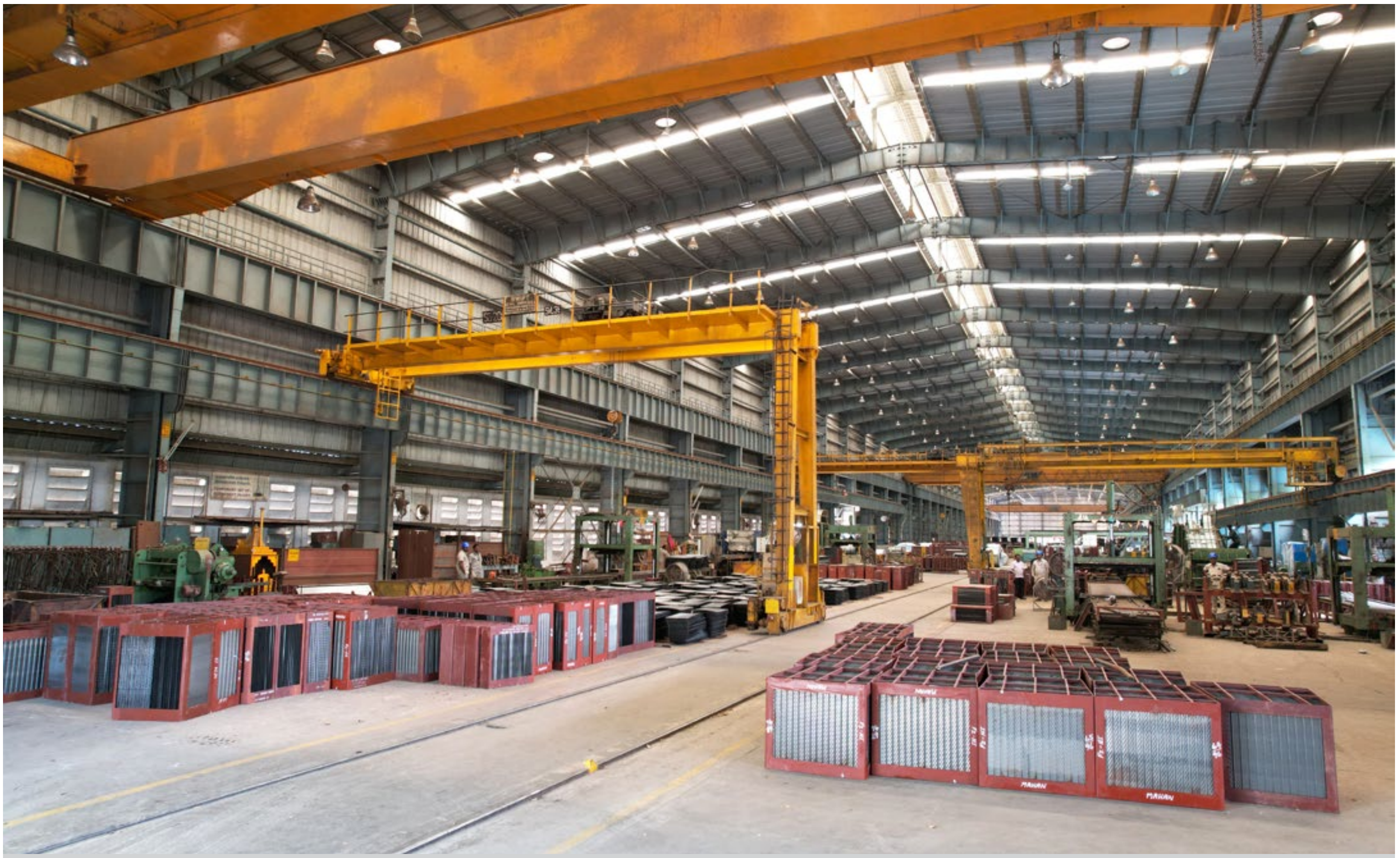

बीएचईएल रानीपेट इकाई की R1 उत्पादन बे, जहां रोल फॉर्मिंग लाइन उत्पादन के माध्यम से एयर-प्रीहीटर एलिमेंट का उत्पादन किया जाता है

व्यवसायिक क्षेत्रों की रुपरेखा एवं कार्य-निष्पादन

पावर सेक्टर

1.3.1 पावर सेक्टर

चूँकि देश की आर्थिक वृद्धि पावर सेक्टर की वृद्धि के साथ दृढ़ता से जुड़ी हुई है, इसलिए आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने के लिए किफायती दरों पर विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण बिजली की उपलब्धता अनिवार्य हो जाती है।

31 मार्च, 2025 तक, भारत में बिजली की संस्थापित क्षमता ~475 गीगावाट है और ~1,829 बिलियन यूनिट (बीयू) का वार्षिक उत्पादन हो रहा है। उल्लेखनीय रूप से, बिजली उत्पादन में साल-दर-साल आधार पर 5% की वृद्धि दर देखी गई है, और निकट भविष्य में यही वृद्धि दर जारी रहने की उम्मीद है।

संस्थापित क्षमता: ~475 गीगावाट

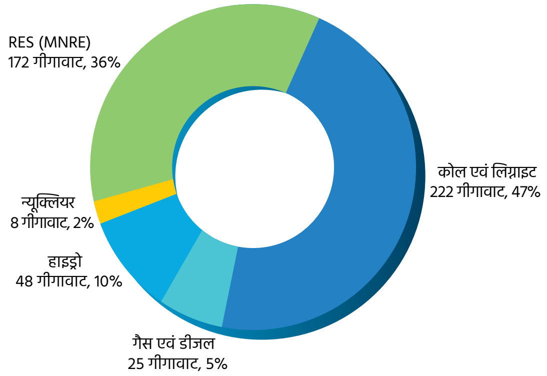

31 मार्च, 2025 की स्थिति

स्रोत: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), विद्युत मंत्रालय

व्यापार परिदृश्य

बिजली की मांग में लगातार वृद्धि जारी है, भारत में वित्त वर्ष 2024-25 में **250 गीगावाट** की सर्वकालिक उच्चतम बिजली मांग दर्ज की गई है। भविष्य को देखते हुए, सरकार का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2029-30 तक देश की वार्षिक मांग **~ 16-18 गीगावाट** बढ़ जाएगी। इसके अनुरुप, सरकार ने देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2032 तक लगभग 80 गीगावाट की थर्मल क्षमता वृद्धि पर अपना ध्यान केंद्रित किया है।

देश की बढ़ती बिजली की मांग को देखते हुए, केंद्र और राज्य सरकारें बिजली की **पर्याप्तता, ग्रिड स्थिरता और दीर्घकालिक विश्वसनीयता** सुनिश्चित करने के लिए नए थर्मल ऑर्डर दे रही हैं। परिणामस्वरुप, वित्त वर्ष 2024-25 में थर्मल पावर परियोजनाओं के लिए सुदृढ़ ऑर्डर दिए गए, और कंपनी को उम्मीद है कि यह गति वित्त वर्ष 2025-26 में भी जारी रहेगी, जिससे थर्मल उपकरणों की सुदृढ़ मांग बनी रहेगी।

बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, अत्यधिक कुशल कोयला आधारित सुपरक्रिटिकल बिजली संयंत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होने की उम्मीद है, खासकर जब तक कि अन्य वैकल्पिक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी विकल्प व्यावसायिक रुप से व्यवहार्य नहीं हो जाते।

नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की परिवर्तनशीलता के कारण, अधिकतम विद्युत मांग के प्रबंधन में जल विद्युत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

परमाणु ऊर्जा देश के समग्र विद्युत मिश्रण का एक अनिवार्य हिस्सा बनेगी क्योंकि इसे विश्व स्तर पर एक स्वच्छ ईंधन प्रौद्योगिकी के रुप में स्वीकार किया जाता है। भारत में लगभग 8 गीगावाट की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता है और इसमें स्थायी रुप से दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने की अपार क्षमता है।

बीएचईएल ने झारखंड में 3x660 मेगावाट के नॉर्थ कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन को सफलतापूर्वक कमीशन किया

एन्नोर एसईजेड 2x660 मेगावाट सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के संचालन की ऑन-साइट समीक्षा के दौरान बीएचईएल के सीएमडी और निदेशक (पावर) अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

प्राप्त ऑर्डर

वित्त वर्ष 2024-25 में, बीएचईएल ने पावर सेक्टर में कुल ₹81,349 करोड़ (करों को छोड़कर) के ऑर्डर प्राप्त किए हैं, इसमें थर्मल पावर खंड में बीएचईएल का अब तक का सर्वाधिक ऑर्डर शामिल है। वित्त वर्ष 2024-25 में एकल थर्मल क्षेत्र में ऑर्डर प्राप्ति 58% की वार्षिक वृद्धि के साथ बढ़कर ₹76,930 करोड़ (करों को छोड़कर) हो गई। यह अभूतपूर्व वृद्धि सार्वजनिक और निजी दोनों कंपनियों से प्राप्त कुल 14,640 मेगावाट के ऑर्डरों के कारण हुई है।

BHEL ने NTPC, GSECL, SCCL, DVC और CSPGCL जैसी प्रमुख कंपनियों से EPC ऑर्डर प्राप्त करके भारतीय थर्मल पावर सेक्टर में अपना बाजार नेतृत्व बनाए रखा है। निजी क्षेत्र की कंपनियों ने भी थर्मल ऑर्डरों में लगभग 25% का योगदान दिया, जिसमें बॉयलर, टर्बाइन और जेनरेटर (बीटीजी) उपकरणों की आपूर्ति के साथ-साथ संबंधित सहायक उपकरणों और स्थापना व कमीशनिंग के पर्यवेक्षण के लिए बीएचईएल को लगभग 8,000 मेगावाट के ऑर्डर दिए गए।

इन ऑर्डरों के साथ, बीएचईएल ने 31 मार्च, 2025 तक देश में 90 सुपरक्रिटिकल स्टीम जेनरेटर (एसजी) और 83 सुपरक्रिटिकल टर्बाइन जेनरेटर (टीजी) के ऑर्डर प्राप्त किए हैं, जिनमें से वित्त वर्ष 2024-25 तक 37 एसजी और 29 टीजी कमीशन हो चुके हैं।

हाइड्रो पावर व्यवसाय में, कंपनी को पंप मोड ऑपरेशन के लिए जीएसईसीएल कडाना पंप हाइड्रो पावर प्लांट (4x60 मेगावाट) की एक इकाई के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (आर & एम) कार्यों का ऑर्डर मिला। इस ऑर्डर के साथ बीएचईएल ने हाइड्रो में 550 से अधिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेटों के पोर्टफोलियो और भारत एवं विदेशों में 35,000 मेगावाट से अधिक की क्षमता के साथ अपना नेतृत्व बनाए रखा है।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2024-25 में स्पेयर, सेवाओं और आर&एम व्यवसाय क्षेत्र में प्राप्त किए गए कुछ महत्वपूर्ण ऑर्डरों में जीएसईसीएल वानाकबोरी (2x210 मेगावाट), जीएसईसीएल उकाई (1x210, 1x200 मेगावाट) के लिए फ्लेक्सिबाइलाइजेशन के साथ बॉयलर मोड़िफिकेशन, एपीपीडीसीएल कृष्णापटनम (800 मेगावाट) का ईएसपी रेट्रोफिट, एपीजेनको विजयवाड़ा (210 मेगावाट) के मौजूदा सी&आई सिस्टम का आर&एम और पीएसपीसीएल रोपड़ (210 मेगावाट) के लिए री-हीटर प्रतिस्थापन शामिल हैं।

बीएचईएल को केरल के अलप्पुझा जिले में 350 मेगावाट के एनटीपीसी कायमकुलम कम्बाइन्ड साइकल पावर प्लांट (सीसीपीपी) में गैस टरबाइन में मेथनॉल फायरिंग करने का पहला ऑर्डर मिला है। यह भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना होगी। यह परियोजना मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है और इसका उद्देश्य देश भर में निष्क्रिय गैस-आधारित विद्युत परिसंपत्तियों को पुनर्जीवित करना है।

परियोजना निष्पादन

वर्ष 1964 में अपनी स्थापना के बाद से, बीएचईएल ने वित्त वर्ष 2024-25 तक भारत में 469 कोयला-आधारित यूटिलिटी सेट, 23 डीजल सेट, 430 हाइड्रो यूटिलिटी सेट, 105 गैस-आधारित यूटिलिटी सेट और 14 परमाणु आधारित यूटिलिटी सेट की आपूर्ति की है। अपने ठोस प्रयासों से, बीएचईएल ने वित्त वर्ष 2024-25 में यूटिलिटी बिजली परियोजनाओं में 3,850 मेगावाट की क्षमता वृद्धि हासिल की, जिसमें 3,150 मेगावाट की तापीय परियोजनाएं और 700 मेगावाट की हाइड्रो पावर परियोजनाएं शामिल हैं। क्षमता वृद्धि के अलावा, यूटिलिटी बिजली परियोजनाओं में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 1,500 मेगावाट का सिंक्रोनाइजेशन और 2,260 मेगावाट में पूर्ण भार हासिल किया गया है। इसके अलावा, भूटान में पुनात्सांगछू-II हाइड्रो पावर परियोजना में तीन इकाइयों के चालू होने से बीएचईएल के पोर्टफोलियो में विदेशी हाइड्रो पावर क्षमता में 510 मेगावाट की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, बीएचईएल लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के लिए बड़े आकार के फ्रांसिस प्रकार के पंप-मोटर सेट की आपूर्ति कर रहा है और वर्तमान में तेलंगाना के कालेश्वरम में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना के लिए पंप-मोटर सेट का विनिर्माण कर रहा है।

जीएमआर वरोरा (300 मेगावाट) और जीएमआर कमलांगा (350 मेगावाट) के लिए गैर-बीएचईएल मशीन (चीन निर्मित) का फ्लेक्सिबाइलाइजेशन अध्ययन किया गया। गैर-बीएचईएल सेट के लिए यह अपनी तरह का पहला अध्ययन था। संभाव्यता अध्ययन रिपोर्टों में बीएचईएल की सिफारिशें ग्राहक के विचाराधीन हैं।

बीएचईएल ने देश की यूटिलिटी स्केल पावर परियोजनाओं की कुल स्थापित थर्मल क्षमता में 54% की अपनी बड़ी हिस्सेदारी बनाए रखी है, और इसके साथ ही वित्त वर्ष

हाइड्रो टर्बाइन और जनरेटर विनिर्माण के पाँच दशक - इंजीनियरिंग उत्कृष्टता की एक विरासत

पंप स्टोरेज सहित हाइड्रो पावर, कम उत्सर्जन और क्विक रैंप-अप क्षमता के साथ नवीकरणीय ऊर्जा का एक भरोसेमंद स्रोत प्रदान करता है, जो इसे ग्रिड में रुक-रुक कर आने वाली सौर और पवन ऊर्जा के संतुलन के लिए आदर्श बनाता है। भारत में 133 गीगावाट से अधिक की बड़ी हाइड्रो पावर और 200+ गीगावाट की पंप स्टोरेज की संभाव्यता है, जबकि वर्तमान में केवल ~43 गीगावाट और ~5 गीगावाट की क्षमता है, जो दीर्घकालिक विकास के पर्याप्त अवसर प्रदान कर रही है।

क्षमताएँ

- भारत के हाइड्रो पावर सेक्टर में अग्रणी, जिसकी विद्युत -यांत्रिक उपकरणों के लिए 2,500 मेगावाट की वार्षिक विनिर्माण क्षमता है।
- भारत में एकमात्र हाइड्रो टर्बाइन निर्माता, जिसके पास एनएबीएल-मान्यता प्राप्त हाइड्रो टर्बाइन मॉडल परीक्षण एवं विकास प्रयोगशाला है।
- लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के लिए पारंपरिक हाइड्रो टर्बाइन और सिंक्रोनस जनरेटर (400 मेगावाट तक), रिवर्सिबल पंप-टर्बाइन और फिकस्ड-स्पीड जनरेटर-मोटर (350 मेगावाट तक) और उच्च क्षमता वाले पंप और मोटर (200 मेगावाट तक) का डिज़ाइन और विनिर्माण।

उपलब्धियाँ

- भारत में स्थापित हाइड्रो पावर के 46% संयंत्रों में इलेक्ट्रो-मैकेनिकल पैकेज के अंतर्गत बीएचईएल द्वारा निर्मित उपकरण जैसे टर्बाइन, जनरेटर आदि लगे हुए हैं।
- वैश्विक बाज़ारों में एक भारतीय ओईएम, दुनिया भर में 550 हाइड्रो पावर उत्पादन सेट स्थापित - कुल 35,000+ मेगावाट।
- भूटान में 89% से अधिक हाइड्रो पावर संयंत्रों में बीएचईएल द्वारा निर्मित टर्बाइन और जनरेटर सेट लगे हुए हैं।
- दिबांग हाइड्रो पावर परियोजना के लिए भारत का सर्वोच्च रेटिंग वाला फ्रांसिस टर्बाइन मॉडल (240 मेगावाट) विकसित किया गया और पोलावरम हाइड्रो पावर परियोजना के लिए सबसे बड़ा कापलान रनर (80 मेगावाट) निर्मित किया गया है।

2024-25 के अंत तक, देश में परमाणु ऊर्जा की स्थापित क्षमता (द्वितीयक पक्ष) का 56% और जल विद्युत स्थापित क्षमता का 46% हिस्सा बीएचईएल के पास होगा। तापीय, परमाणु और जल विद्युत खंड सहित, उपयोगिता स्तर पर, बीएचईएल देश की कुल स्थापित पारंपरिक क्षमता में 53% हिस्सेदारी रखता है।

स्थापित पारंपरिक क्षमता –यूटिलिटी*
3,25,491 मेगावाट (31 मार्च 2025 तक)

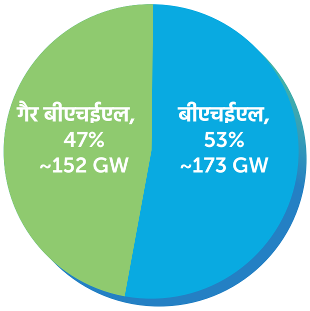

** स्थापना के समय क्षमता के आधार पर जिसमे तापीय, परमाणु और जलविद्युत शामिल हैं तथा सौर, पवन और जैव-ऊर्जा शामिल नहीं है;*

उपकरण का कार्य-निष्पादन

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, कोयला और लिग्नाइट आधारित सेटों से देश के कुल 1,331.86 बीयू बिजली उत्पादन में से 56.44% (751.71 बीयू) का योगदान बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गए सेटों द्वारा किया गया है।

उत्पादन-यूटिलिटी (कोयला और लिग्नाइट)
1,331.86 BUs (वित्त वर्ष 2024-25)

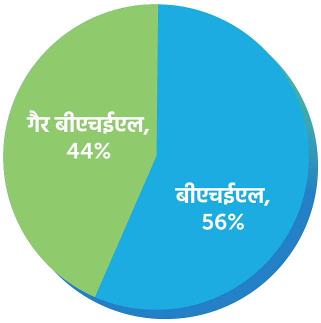

वित्त वर्ष 2024-25 में, बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गए ताप विद्युत संयंत्रों ने 70.2% के औसत प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) के साथ मजबूत परिचालन प्रदर्शन किया, जो अखिल भारतीय ताप विद्युत संयंत्रों के 69.45% पीएलएफ से अधिक था। बीएचईएल ताप विद्युत संयंत्रों की समग्र परिचालन उपलब्धता (ओए) 86.9% रही। कुल 104 ताप विद्युत संयंत्रों ने 80% और उससे अधिक का पीएलएफ दर्ज किया, जिनमें 32 संयंत्र ऐसे थे जिनका पीएलएफ 90% से अधिक था, जबकि 188 संयंत्रों ने 90% और उससे अधिक का ओए हासिल किया। उल्लेखनीय रूप से, बकरेश्वर इकाई-2 (210 MW) ने 100% ओए के साथ 99.3% का पीएलएफ दर्ज किया।

बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गए परमाणु ऊर्जा उपकरणों ने वित्त वर्ष 2024-25 में 82.7% की संपूर्ण परिचालन उपलब्धता (OA) के साथ बेहतरीन प्रदर्शन किया। छह परमाणु सेटों ने 90% और उससे अधिक का OA प्राप्त किया, जबकि पाँच सेटों ने प्लांट लोड फैक्टर (PLF) 90% से अधिक दर्ज किया। कैगा यूनिट-2 ने 607 दिनों तक निर्बाध रूप से संचालन किया।

तापीय और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में लगातार उच्च पीएलएफ, परिचालन उपलब्धता और कम आउटेज दरें, बीएचईएल की इंजीनियरिंग, डिज़ाइन उत्कृष्टता और विनिर्माण गुणवत्ता की मज़बूती की पुष्टि करती हैं। ये उपलब्धियाँ भारत के ऊर्जा बुनियादी ढाँचे को सशक्त बनाने में बीएचईएल की महत्वपूर्ण भूमिका का एक सशक्त प्रमाण हैं।

डिजिटल उत्पाद और समाधान

बीएचईएल 4.0 पहलों के साथ अपने उद्योग को आगे बढ़ा रहा है, जैसे रिमोट मॉनिटरिंग और डायग्नोस्टिक सेवाएँ (RMDS), रिमोट वाइब्रेशन और डायग्नोस्टिक सिस्टम (RVDS) और प्लांट ऑटोमेशन और लाइव मॉनिटरिंग (PALM)। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, बीएचईएल ने बीपीसीएल,मुंबई रिफ़ाइनरी के लिए RMDS का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया। TVNL के लिए RVDS (KAMPAN 1.0) और एनएचपीसी के लिए PALM का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया।

कोयला गैसीकरण व्यवसाय

बीएचईएल और सीआईएल की संयुक्त उद्यम कंपनी, "भारत कोल गैसीकरण और केमिकल्स लिमिटेड" (BCGCL), को मई-2024 में निगमित किया गया। इस संयुक्त उद्यम कंपनी में सीआईएल की 51% और बीएचईएल की 49% हिस्सेदारी है। BCGCL की स्थापना कोयला गैसीकरण व्यवसाय का उपयोग करने के लिए की गई है ताकि बीएचईएल द्वारा विकसित आंतरिक कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके मध्यवर्ती उत्पादों के रूप में सिंथेटिक गैस, अमोनिया और नाइट्रिक एसिड और अंतिम उत्पाद के रूप में अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन किया जा सके।

भविष्य का परिदृश्य

बढ़ती घरेलू खपत और सरकार द्वारा विनिर्माण एवं बुनियादी ढाँचे के विकास पर दिए जा रहे ज़ोर से निकट भविष्य में ऊर्जा की माँग में तेज़ी आने की उम्मीद है। ऊर्जा सुरक्षा और सामर्थ्य पर ज़ोर के साथ, तापीय ऊर्जा आधारित ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि होने की उम्मीद है जो विश्वसनीय बेस-लोड उत्पादन प्रदान करती है। कंपनी ईपीसी क्षमताओं को मज़बूत करके, विक्रेताओं को सुविधा प्रदान करके, ड्राइंग का मानकीकरण करके इस आगामी माँग को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। कंपनी ऐसे उपकरण और समाधान प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है जो पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हैं, जैसे उत्सर्जन नियंत्रण समाधान, एयर-कूल्ड कंडेनसर, जो पानी की खपत को काफ़ी कम करते हैं।

बीएचईएल ने ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक स्पेयर की आपूर्ति और सेवा समझौतों, स्पेयर की शीघ्र आपूर्ति, और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में उतार-चढ़ाव के कारण ग्रिड स्थिरता के मुद्दों से निपटने के लिए बीएचईएल और गैर-बीएचईएल सेटों के लिए लचीले समाधानों की पेशकश के माध्यम से स्पेयर और सेवाओं के व्यवसाय विस्तार के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं।

भारत के लगभग 375 बिलियन टन से ज़्यादा कोयले के भंडार और उच्च राख वाले कोयले के लिए अंतर्राष्ट्रीय तकनीक की कमी को देखते हुए, भारतीय उच्च राख वाले कोयले के गैसीकरण के लिए बीएचईएल द्वारा स्वदेशी तकनीक का विकास, आयात पर देश की निर्भरता कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है और इससे कोयले को रसायनों में बदलने की व्यावसायिक संभावनाओं के द्वार खुलने की उम्मीद

बीएचईएल को केरल के अलप्पुझा जिले में 350 मेगावाट एनटीपीसी कायमकुलम संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र (सीसीपीपी) में गैस टरबाइन में मेथनॉल फायरिंग का पहला ऑर्डर मिला है।

है। गैसीकरण तकनीक "इंटीग्रेटिड गैसीफिकेशन कम्बाइन्ड सायकल" तकनीक के माध्यम से बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसका पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ता है।

आने वाले दशकों में आधार भार की पूर्ति में परमाणु ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका होने की संभावना है। कंपनी परमाणु भाप टर्बाइनों और जनरेटरों के लिए एकमात्र भारतीय आपूर्तिकर्ता के रूप में एक मजबूत स्थिति रखती है, जिससे इसे घरेलू बाजार में एक रणनीतिक लाभ प्राप्त होता है। बीएचईएल देश के त्रि-चरणीय परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है और स्वदेशी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विकास में पाँच दशकों से भागीदार रहा है। कंपनी इस क्षेत्र में अपनी पेशकशों को स्वदेशी बनाने और इसे बढ़ाने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रही है।

बीएचईएल नई जलविद्युत परियोजनाओं के लिए E&M पैकेज के लिए बाजार में अग्रणी है और पुराने हाइड्रो सेटों के R&M में अग्रणी है। आंतरिक हाइड्रो प्रोफाइल विकास के लिए अपनी एनएबीएल मान्यता प्राप्त हाइड्रो लैब के साथ, कंपनी का लक्ष्य बीएचईएल और गैर-बीएचईएल निर्मित उपकरणों दोनों के लिए टर्बाइन प्रोफाइल अपग्रेड समाधान प्रदान करना और हाइड्रो पावर उत्पादकों को उनकी परिसंपत्तियों की विश्वसनीयता, दक्षता और जीवनकाल बढ़ाने में मदद करना है। इसके अलावा, बीएचईएल का लक्ष्य लिफ्ट सिंचाई योजना (LIS) परियोजनाओं में आवश्यक बड़े आकार के पंप-मोटर्स में अपना नेतृत्व बनाए रखना है।

तेलंगाना में 5X800 मेगावाट यदाद्री थर्मल पावर स्टेशन के लिए यूनिट-II की क्षमता वृद्धि की गई

परमाणु ऊर्जा
- भारत के संधारणीय भविष्य को गति प्रदान करते हुए

परमाणु ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए एक स्वच्छ और विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत के रूप में अपनी भूमिका को मज़बूत कर रही है। भारत का लक्ष्य वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट (GW) परमाणु क्षमता और वर्ष 2033 तक 5 स्वदेशी SMR स्थापित करना है। स्वदेशी विनिर्माण और नवाचार को बढ़ावा देने से इस क्षेत्र में विकास को गति मिल रही है।

क्षमताएं

- कंपनी भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तीनों चरणों के साथ जुड़ी रही है तथा पिछले पांच दशकों से भारत के परमाणु क्षेत्र में सेवा दे रही है।
- परमाणु टरबाइन जनरेटर सेटों का एकमात्र घरेलू निर्माता, जो भारत की कुल स्थापित परमाणु क्षमता में 56% का योगदान देता है
- प्राथमिक और द्वितीयक दोनों आइलैंड को कवर करते हुए, विभिन्न रेटिंग (220 मेगावाट, 540 मेगावाट और 700 मेगावाट) के परमाणु संयंत्रों के लिए महत्वपूर्ण उपकरण प्रदान किए।
- वर्तमान में गोरखपुर, हरियाणा अणु विद्युत परियोजना और कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में 6 इकाइयों के लिए टरबाइन आइलेंड पैकेज का EPC आधार पर क्रियान्वयन कर रही है।

उपलब्धियाँ

- 45 परमाणु भाप जनरेटर प्रदान किए - भारत में किसी भी निर्माता द्वारा सबसे अधिक आपूर्ति
- काकरापार और रावतभाटा में PHWR तकनीक पर आधारित भारत की सर्वोच्च रेटिंग वाली 700 मेगावाट की 3 इकाइयों का सफलतापूर्वक कमीशन किया गया - मुख्य आपूर्ति में टरबाइन जनरेटर, परमाणु भाप जनरेटर, रिएक्टर हेडर, PCP मोटर्स, C&I पैकेज और जनरेटर ट्रांसफार्मर शामिल थे।
- एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टरों (AHWR) के लिए सेकेंडरी साइड स्टीम साइकिल विकसित किया गया

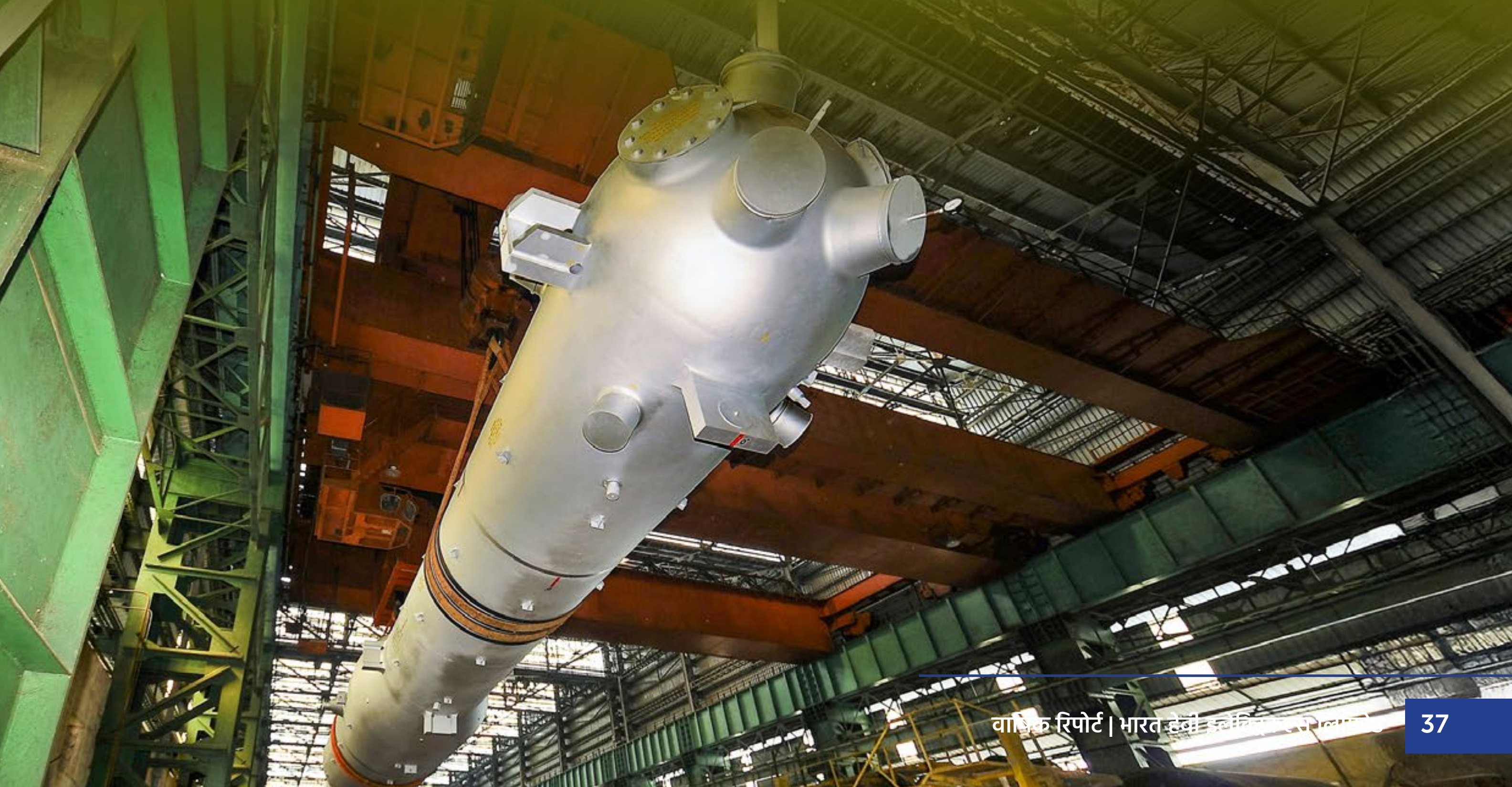

बीएचईएल

निर्मित विद्युत यूटिलिटी संस्थापनाएँ

31.03.2025 तक कमीशनिंग के अनुसार

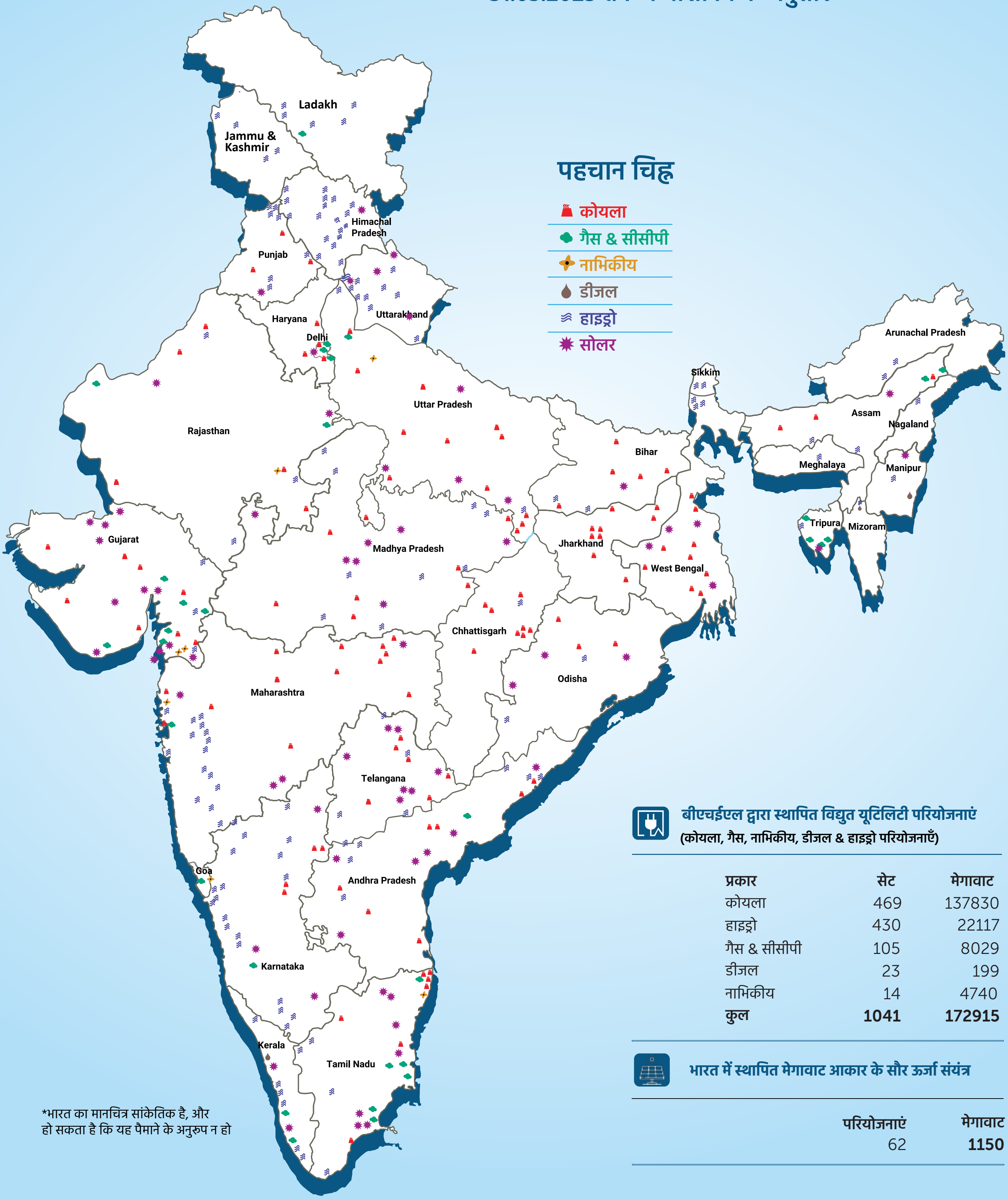

*भारत का मानचित्र सांकेतिक है, और हो सकता है कि यह पैमाने के अनुरूप न हो

बीएचईएल द्वारा स्थापित विद्युत यूटिलिटी परियोजनाएं
(कोयला, गैस, नाभिकीय, डीजल & हाइड्रो परियोजनाएँ)

प्रकार	सेट	मेगावाट
कोयला	469	137830
हाइड्रो	430	22117
गैस & सीसीपी	105	8029
डीजल	23	199
नाभिकीय	14	4740
कुल	**1041**	**172915**

भारत में स्थापित मेगावाट आकार के सौर ऊर्जा संयंत्र

परियोजनाएं	मेगावाट
62	**1150**

व्यावसायिक क्षेत्रों की रूपरेखा एवं कार्य-निष्पादन | उद्योग क्षेत्र

भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अभनपुर-रायपुर-अभनपुर मार्ग के लिए बीएचईएल द्वारा आपूर्ति की गई इलेक्ट्रिक्स से सुसज्जित मेमू रेक का उद्घाटन किया

1.3.2 उद्योग क्षेत्र

बाज़ार-केंद्रित व्यावसायिक समूहों से युक्त उद्योग क्षेत्र, रेल परिवहन, रक्षा एवं एयरोस्पेस, ट्रांसमिशन, तेल एवं गैस, कैप्टिव पावर प्लांट, औद्योगिक उत्पादों और सौर ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी ऊर्जा भंडारण और ई-मोबिलिटी जैसे नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसायों के लिए व्यापक और अनुकूलित समाधान प्रदान करता है। संपूर्ण व्यावसायिक पेशकशें वार्षिक रिपोर्ट के 'उत्पाद प्रोफ़ाइल' अनुभाग में उपलब्ध हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 में, उद्योग क्षेत्र ने विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों से ₹11,001 करोड़ (करों को छोड़कर) के ऑर्डर प्राप्त किए, जिसमें पावर ट्रांसमिशन व्यवसाय में अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर भी शामिल है।

1.3.2.1 परिवहन

भारतीय रेलवे (आईआर) के आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण की यात्रा में बीएचईएल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कंपनी ने "मेड इन इंडिया" प्रणालियों और उपकरणों का निर्माण करके भारतीय रेलवे की रोलिंग स्टॉक आवश्यकताओं को लगातार पूरा किया है, जिससे इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हुई है। कंपनी इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन तकनीक में विश्वस्तरीय समाधान प्रदान करने में अग्रणी रही है, जिससे भारतीय रेलवे को अधिक ऊर्जा-कुशल, विश्वसनीय और पर्यावरण-अनुकूल रेल परिवहन विकल्पों में बदलाव लाने में मदद मिली है। कंपनी, मेसर्स टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड (टीआरएसएल) के साथ मिलकर, वर्तमान में 80 वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण और आपूर्ति के साथ-साथ 35 वर्षों के रखरखाव के प्रतिष्ठित ऑर्डर को क्रियान्वित कर रही है।

भारतीय रेलवे अपने बुनियादी ढाँचे का रुपांतरण और आधुनिकीकरण कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षा मानकों में सुधार, उत्पादकता में वृद्धि और परिचालन दक्षता में वृद्धि करना है। बीएचईएल उन्नत सिग्नलिंग प्रणालियों, ट्रेन नियंत्रण प्रणालियों और रखरखाव समाधानों के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी और समाधानों के विकास की दिशा में सक्रिय रुप से कार्य कर रहा है, जिससे रेलवे नेटवर्क को सर्वोत्तम प्रदर्शन स्तर पर संचालित करने में सक्षम बनाया जा सके।

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

- भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अभनपुर-रायपुर-अभनपुर मार्ग के लिए मेमू रेक का उद्घाटन किया। यह मेमू रेक बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गए विद्युत उपकरणों से सुसज्जित है।
- चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स (सीएलडब्ल्यू) से डब्ल्यूएजी-9 लोकोमोटिव के लिए 6531 केवीए के मुख्य ट्रांसफार्मर के 177 सेटों की आपूर्ति हेतु सबसे बड़ी मात्रा का ऑर्डर प्राप्त हुआ।
- बनारस लोकोमोटिव वर्क्स (बीएलडब्ल्यू), वाराणसी से आईजीबीटी आधारित पूर्ण प्रणोदन प्रणाली के 160 सेटों की आपूर्ति हेतु सबसे बड़ी मात्रा का ऑर्डर प्राप्त हुआ।
- मेसर्स आर्सेलर मित्तल एंड निप्पॉन स्टील (एएमएनएस), हजीरा से डीजल इलेक्ट्रिक शंटिंग लोकोमोटिव सेगमेंट (डीईएसएल) में 700 एचपी डीईएसएल और पुर्जों वाले 9 सेटों की आपूर्ति हेतु अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ।
- भारतीय रेलवे के लिए SIL4 प्रमाणित ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली (जिसे कवच भी कहा जाता है) के विकास हेतु मेसर्स HIMA मिडिल ईस्ट FZE के साथ प्रौद्योगिकी साझेदारी समझौता किया गया। इससे बीएचईएल को भारतीय रेलवे की सिग्नलिंग और सुरक्षा अवसंरचना के आधुनिकीकरण

की योजनाओं से उत्पन्न होने वाले विशाल व्यावसायिक अवसर का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।

- बारासात-हसनाबाद-बारासात मार्ग पर बीएचईएल के इलेक्ट्रिक्स से सुसज्जित प्रथम ईएमयू रेक का यात्री परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हुआ।

भविष्य का परिदृश्य

भारतीय रेलवे की राष्ट्रीय रेल योजना (एनआरपी) के अंतर्गत रेल अवसंरचना को सुदृढ़ करने की योजना है, जिसका उद्देश्य क्षमता में वृद्धि और माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी को बढ़ावा देना है। चालू वित्त वर्ष में, भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण परियोजनाओं के लिए 2.65 लाख करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए हैं, जिसमें क्षमता विस्तार और बेहतर सुरक्षा उपायों पर ज़ोर दिया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा नई पीढ़ी के रोलिंग स्टॉक, जैसे माल ढुलाई के लिए उच्च अश्वशक्ति वाले इलेक्ट्रिक इंजन और यात्री यातायात के लिए अर्ध-उच्च गति वाली "वंदे भारत" ट्रेनें शुरू की गई हैं, और अगले तीन वर्षों में वंदे मेट्रो जैसे नए संस्करण शुरू करने की योजना है।

कंपनी का लक्ष्य भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण उद्देश्यों के अनुरूप, सभी प्रकार के रोलिंग स्टॉक के लिए उन्नत यांत्रिक और विद्युत प्रणालियों के डिज़ाइन और निर्माण हेतु अपनी आंतरिक क्षमताओं को मज़बूत करना है। भारतीय रेलवे द्वारा कवच प्रणाली की अधिक तैनाती का लाभ उठाने के लिए, कंपनी ने आंतरिक उपायों और रणनीतिक साझेदारी, दोनों के माध्यम से इसका विकास किया है।

कंपनी आगामी व्यवसायों, विशेष रूप से उच्च अश्वशक्ति वाले इंजनों, बैटरी/हाइड्रोजन चालित इंजनों, उच्च गति रेल और पुश-पुल इंजनों के लिए ओईएम/सहयोगियों के साथ भी काम कर रही है।

1.3.2.2 पारेषण

भारतीय ऊर्जा परिदृश्य अभूतपूर्व मांग और स्वच्छ एवं अधिक टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों की ओर रुझान के साथ एक व्यापक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। जैसे-जैसे भारत की बिजली क्षमता स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रही है, उससे यह उम्मीद की जा रही है कि राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) के अनुसार, वर्ष 2030 तक विद्युत मिश्रण का 50% हिस्सा बनाने के लिए, देश में नए उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है, जिसमें मौजूदा कॉरिडोर का विस्तार भी शामिल है।

तदनुसार, एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन (एआईएस) और गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन (जीआईएस) परियोजनाओं में भविष्य में भी मजबूत मांग बनी रहेगी। इसके अलावा, दूर-दराज के उत्पादन केंद्रों से बिजली निकासी के लिए कई एचवीडीसी परियोजनाएं योजना और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

बीएचईएल सभी प्रमुख क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है और ट्रांसमिशन यूटिलिटी की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादों और प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। बीएचईएल ईएचवी जीआईएस सबस्टेशन, डिजिटल सबस्टेशन, एचवीडीसी परियोजनाओं, अल्ट्रा एचवीएसी (1200 केवी) आदि जैसे उभरते क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति को और बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है। साथ ही, कंपनी ट्रांसफॉर्मर, रिएक्टर आदि जैसे ट्रांसमिशन उत्पादों की बढ़ती मांग को भी पूरा कर रही है।

बीएचईएल ने ईएचवी और यूएचवी (एसी/डीसी) अनुप्रयोगों के लिए परिवहन उपकरणों की विस्तृत श्रृंखला के लिए अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधाएं स्थापित की हैं, जिनमें कनवर्टर ट्रांसफार्मर, थाइरिस्टर वाल्व, फिल्टर कैपेसिटर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, कम्पोजिट इंसुलेटर, नियंत्रण और सुरक्षा प्रणालियां आदि शामिल हैं।

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

- खावड़ा KAPS-2 (गुजरात) और नागपुर (महाराष्ट्र) के बीच ±800kV, 6,000 मेगावाट HVDC लिंक के लिए पावरग्रिड से ऑर्डर प्राप्त हुआ।
- भादला (राजस्थान) और फतेहपुर (उत्तर प्रदेश) में ±800kV, 6,000 मेगावाट HVDC टर्मिनल स्टेशनों की स्थापना और संबंधित 765/400 kV एसी सबस्टेशनों के लिए राजस्थान पार्ट-I पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड के तहत) से आशय पत्र प्राप्त हुआ।
- पावरग्रिड की निम्नलिखित टीबीसीबी परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से ऑर्डर प्राप्त हुए:
  - 765kV/400kV/220kV मंदसौर नया सबस्टेशन और मध्य प्रदेश राज्य में 765kV इंदौर सबस्टेशन का विस्तार।

तमिलनाडु में बीएचईएल द्वारा निष्पादित 400/110 केवी टेंट्रानस्को थप्पागुंडु एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन।

- o मध्य प्रदेश राज्य में 765kV/400kV/220kV/132kV कुरावर नया सबस्टेशन और मंदसौर, आष्टा और सुजालपुर सबस्टेशनों का विस्तार।
  - o राजस्थान राज्य में 765kV/400kV/220kV बाड़मेर नया सबस्टेशन और सिरोही और फतेहगढ़-III सबस्टेशनों का विस्तार।
- 60+ संख्या में 400kV और 765kV वोल्टेज श्रेणी के ट्रांसफार्मर और रिएक्टरों के लिए ऑर्डर।
- राज्यों की ट्रांसमिशन कंपनियों से 220kV वोल्टेज श्रेणी के 50 ट्रांसफार्मरों के लिए ऑर्डर।

भविष्य का परिदृश्य

आर्थिक विकास, शहरीकरण और बढ़ती खपत के कारण भारत में बिजली की मांग में वृद्धि देखी जा रही है। भारत ने 2032 तक 990 गीगावाट से अधिक की संचयी बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करने की योजना बनाई है। उत्पादन केंद्रों से लोड केंद्रों तक बिजली पहुँचाने और संचारित करने के लिए, सरकार ने वर्ष 2032 तक 12.7 लाख मेगावाट की परिवर्तन क्षमता और 32 गीगावाट की एचवीडीसी प्रणाली जोड़ने की योजना बनाई है, जिसमें उच्च क्षमता वाले एसी ट्रांसमिशन कॉरिडोर और कई उच्च वोल्टेज डीसी (एचवीडीसी) प्रणालियों का निर्माण और विस्तार शामिल होगा।

बीएचईएल की भारत के ट्रांसमिशन क्षेत्र में परियोजनाओं और उत्पाद दोनों क्षेत्रों में क्षमताओं के साथ एक मजबूत उपस्थिति है, और उभरते व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए सही स्थिति में है।

1.3.2.3 रक्षा और एयरोस्पेस

देश के रक्षा बलों को सहयोग प्रदान करने में बीएचईएल का पाँच दशक से भी अधिक का ट्रैक रिकॉर्ड है। बीएचईएल ने विशिष्ट उपकरणों और हथियार प्रणालियों की विस्तृत श्रृंखला का डिज़ाइन और विकास किया है।

कंपनी वर्तमान में भारतीय नौसेना के जहाजों पर अत्याधुनिक उन्नत एसआरजीएम - अग्रिम पंक्ति की हथियार प्रणाली की आपूर्ति कर रही है और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी उत्पादन क्षमता को और अधिक बढ़ा रही है। बीएचईएल ने स्थायी चुंबक मोटर प्रौद्योगिकी में सिद्ध विशेषज्ञता हासिल की है और नौसेना अनुप्रयोगों के लिए विद्युत प्रणोदन प्रणालियों के स्वदेशी डिज़ाइन और इसके विकास के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा, बीएचईएल भारतीय नौसेना को विभिन्न उपकरणों की ओवरहालिंग और उत्पाद जीवन विस्तार सेवाएँ भी प्रदान करता है।

बीएचईएल दुनिया की उन चुनिंदा कंपनियों में से एक है जो सैन्य विमानों/हेलीकॉप्टरों के लिए कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर्स और पंप मॉड्यूल्स का डिज़ाइन और विनिर्माण करने में सक्षम है, और वर्तमान में विभिन्न हवाई प्लेटफार्मों के लिए इन्हें विकसित कर रही है।

बीएचईएल CASDIC, HAL, ADA NAL आदि के साथ मिलकर विविध प्रकार के उपकरण और सेवाएँ विकसित कर रहा है। बीएचईएल का विभिन्न अंतरिक्ष संबंधी आवश्यकताओं के लिए इसरो और इसके विभिन्न केंद्रों के साथ दीर्घकालिक सहयोग है।

बीएचईएल ने आईएनएस नीलगिरि पर पहले उन्नत एसआरजीएम की आपूर्ति और कमीशनिंग की है

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

- अगली पीढ़ी के ऑफशोर पेट्रोल वेसल (एनजीओपीवी) के एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म प्रबंधन प्रणाली (आईपीएमएस) की आपूर्ति और सेवाओं के लिए ऑर्डर।
- रणनीतिक उपकरणों के लिए ऑर्डर।
- एयरोस्पेस अनुप्रयोगों के लिए हीट एक्सचेंजर्स और पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली (ईसीएस) वाटर इंजेक्टरों की आपूर्ति के लिए ऑर्डर।
- इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अनुप्रयोग के लिए कूलिंग प्रणाली के विकास का ऑर्डर।
- आईएनएस नीलगिरि पर प्रथम उन्नत SRGM की आपूर्ति और कमीशनिंग की गई।

भविष्य का परिदृश्य

रक्षा मंत्रालय (MoD) रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और भारत सरकार के 'विकसित भारत @ 2047' के विजन को पूरा करने के लिए घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दे रहा है।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, रक्षा मंत्रालय ने घरेलू स्रोतों से खरीद के लिए ~ ₹1,12,000 करोड़, यानी आधुनिकीकरण बजट का 75%, निर्धारित किया है। आधुनिकीकरण और खरीद पर रक्षा खर्च में वृद्धि से स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा मिल सकता है और घरेलू कंपनियों के लिए अवसर पैदा हो सकते हैं। अपनी डिज़ाइन, इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षमताओं के साथ, बीएचईएल रक्षा व्यवसाय में भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल का समर्थन करने में एक व्यापक भूमिका निभाने के लिए अच्छी स्थिति में है।

1.3.2.4 कैप्टिव पावर और प्रोसेस प्लांट

बीएचईएल चार दशकों से भी अधिक समय से देश में कैप्टिव पावर और प्रोसेस आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा कर रहा है, जिसमें धातु और खनन, प्रोसेस, रिफाइनरी और पेट्रो-रसायन जैसे सभी प्रमुख उद्योग शामिल हैं। आईओसीएल पारादीप रिफाइनरी, ओडिशा में सल्फर रिकवरी यूनिट (एसआरयू)

पैकेज , जो वर्तमान में क्रियान्वयन के अंतिम चरण में है, के साथ कंपनी डाउनस्ट्रीम तेल और गैस क्षेत्र (डीएसओजी) में प्रोसेस ईपीसी समाधानों के लिए अधिक व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार है।

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

- 8 एसटीजी पैकेजों के ऑर्डर प्राप्त हुए।
- हीट रिकवरी स्टीम जेनरेटर (HRSG) के लिए मेसर्स वोग्ट पावर इंटरनेशनल इंक., यूएसए (VPI) के साथ हस्ताक्षरित तकनीकी सहयोग समझौते (TCA) का विस्तार।

भविष्य का परिदृश्य

अनेक उद्योग क्षमता विस्तार के लिए तैयार हैं, जिससे कैप्टिव पावर और प्रोसेस प्लांट्स की मांग बढ़ेगी।

राष्ट्रीय इस्पात नीति (NSP) के अनुरूप, इस्पात उद्योग 2030 तक 300 एमटीपीए की इस्पात उत्पादन क्षमता प्राप्त करने की राह पर है, जो वर्तमान ~179 एमटीपीए क्षमता से काफी अधिक वृद्धि है। सेल, जेएसडब्ल्यू, जेएसएल, एएमएनएस आदि जैसी प्रमुख कंपनियों के इसमें प्रमुख योगदान देने की उम्मीद है।

तेल और गैस क्षेत्र में, लगभग 60 एमटीपीए (2030 तक) की रिफाइनरी विस्तार प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त, घरेलू एल्युमीनियम और जिंक उद्योग भी उल्लेखनीय वृद्धि के लिए तैयार हैं, जिसमें हिंडाल्को, नाल्को, वेदांता और हिंदुस्तान जिंक जैसी प्रमुख कंपनियां अपनी विस्तार योजनाओं की घोषणाएं कर रही हैं।

बीएचईएल अपनी स्थापित विशेषज्ञता और ग्राहकों के साथ निरंतर संबंधों का लाभ उठाते हुए, इस उद्योग में वृद्धि से उत्पन्न होने वाले संभावित व्यवसाय के अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार है।

1.3.2.5 औद्योगिक उत्पाद (तेल एवं गैस तथा विद्युत मशीनों सहित)

बीएचईएल पिछले पाँच दशकों से अधिक समय से अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों ही तेल एवं गैस क्षेत्रों में सेवाएँ प्रदान कर रहा है। कंपनी भारत में अधिकांश रिफाइनरियों और पेट्रो-रसायन संयंत्रों को स्थिर और घूर्णन करने वाले उपकरणों की एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है।

बीएचईएल ने 430 से अधिक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, 90 तेल ड्रिलिंग रिग, 15,000 से अधिक वेलहेड और क्रिसमस ट्री की आपूर्ति की है और इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ किया है।

रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल व्यवसायों के विस्तार को देखते हुए, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, फायर्ड हीटर, वाल्व, उच्च टन भार वाले कॉलम और वेसल्स आदि जैसे औद्योगिक उत्पादों के लिए आने वाले वर्षों में भी अवसर बने रहने की संभावना है।

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

- विदेशी कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच, हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड से प्रोपिलीन रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर का ऑर्डर मिला।
- बदनावर लिफ्ट सिंचाई परियोजना के लिए 40 वर्टिकल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर्स का ऑर्डर मिला।
- वेल हेड्स और क्रिसमस ट्री वाल्व की आपूर्ति के लिए ओएनजीसी के साथ तीन वर्षीय दर अनुबंध (2024-27) पर हस्ताक्षर किए।

बीएचईएल ने HRRL बाड़मेर रिफाइनरी के मुख्य फ्रैक्शनेटर कॉलम (MFC) को सफलतापूर्वक सौंप दिया

- एचआरआरएल बाड़मेर रिफ़ाइनरी के लगभग 750 टन वज़न वाले मुख्य फ्रैक्शनेटर कॉलम (एमएफसी) को सफलतापूर्वक सौंप दिया गया। एमएफसी कॉलम अद्वितीय है, जिसमें एक ही कॉलम में तीन प्रकार की धातुकर्म संरचना है। यह बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किया गया सबसे अधिक टन भार वाला कॉलम है।
- ओएनजीसी उरण के लिए अतिरिक्त लीन गैस कंप्रेसर पैकेज का प्रदर्शन गारंटी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया, जो तेल एवं गैस क्षेत्र में बीएचईएल द्वारा ईपीसी आधार पर पहली कंप्रेसर परियोजना है। इसके साथ ही, बीएचईएल ने तेल एवं गैस क्षेत्र में ईपीसी आधार पर कंप्रेसर की भविष्य की निविदाओं में भाग लेने के लिए पीक्यूआर का अधिग्रहण कर लिया है।
- गेल उसर प्रोपेन डिहाइड्रोजनेशन (पीडीएच) प्रोपाइलीन परियोजना के कंप्रेसर पैकेज के लिए ट्रिपल मॉड्यूल रिडंडेंसी (टीएमआर) गवर्नर का सफलतापूर्वक विकास और आपूर्ति की गई। इस उपलब्धि ने विदेशी निर्मित कम्पोनेंट पर निर्भरता कम कर दी है।
- आईएस/आईईसी मानकों के अनुसार निर्मित 1600 किलोवाट/6.6 केवी/2 पोल फ्लेमप्रूफ मोटर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह विकास **'मेक इन इंडिया'** पहल के अनुरूप है, जिससे बीएचईएल को रिफाइनरियों, पेट्रोकेमिकल और संबंधित उद्योगों में खतरनाक अनुप्रयोगों के लिए 2,000 किलोवाट/6.6 केवी/2पी तक की उच्च रेटिंग वाली ज्वालारोधी मोटरों का निर्माण करने में सक्षम बनाया जा सकेगा।

भविष्य का परिदृश्य

तेल एवं गैस क्षेत्र में, रिफाइनरी विस्तार का कार्य प्रगति पर है। पेट्रोकेमिकल्स का शुद्ध निर्यातक बनने के भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप कई पेट्रोकेमिकल परियोजनाएँ शुरु की गई हैं। आईओसीएल, बीपीसीएल, गेल और नायरा एनर्जी जैसी अग्रणी कंपनियाँ पहले ही इस क्षेत्र में परियोजनाओं की घोषणा कर चुकी हैं। इसके अलावा, विभिन्न उद्योग जगत की कंपनियों ने ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया संयंत्रों में निवेश का प्रस्ताव दिया है, जिससे बाजार की संभावनाएँ बढ़ रही हैं।

बीएचईएल ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे तेल एवं गैस (डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम), इस्पात, उर्वरक, पेट्रोकेमिकल्स और अन्य प्रसंस्करण उद्योगों में उत्पाद और प्रणाली पेशकशों के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, और आने वाले अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार है।

बीएचईएल ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाओं और सहयोग की संभावनाओं की तलाश के लिए ओएनजीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

1.3.2.6 नवीन एवं अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में व्यवसाय

भारत सरकार 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तक पहुँचने की योजना बना रही है। नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने की यह महत्वाकांक्षी योजना सौर ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण बाजार को बढ़ावा दे रही है, साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर, हरित हाइड्रोजन आदि जैसे व्यावसायिक क्षेत्रों को भी बढ़ावा दे रही है, जहाँ बीएचईएल विविधता लाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में मज़बूत बुनियादी ढाँचे के निर्माण को भी गति प्रदान कर रहा है।

बीएचईएल सौर ऊर्जा परियोजनाओं में अपने अनुभव, इंजीनियरिंग और क्रियान्वयन क्षमता का लाभ उठाने के लिए काम कर रहा है। कंपनी ने इस क्षेत्र में व्यवसाय की संभावनाओं के लिए मेसर्स आरईसी पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RECPDCL- REC की एक सहायक कंपनी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत, भारत सरकार भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरुप, बीएचईएल इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण और हरित हाइड्रोजन उत्पादन परियोजनाओं के लिए ईपीसी पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रहा है।

बीएचईएल ने 50 किलोवाट अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर प्रणाली के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) के साथ प्रौद्योगिकी लाइसेंसिंग समझौता किया है और इलेक्ट्रोलाइजर, ईंधन सेल और बायोमास गैसीकरण के क्षेत्र में सहयोग के अवसरों की तलाश कर रहा है। बीएचईएल ने 5 किलोवाट पीईएम ईंधन सेल (पीईएमएफसी) विकसित किया है और स्थिर बिजली बैकअप अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त 25 किलोवाट पीईएमएफसी की क्षमता परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (एनईएमएमपी) के तहत, भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने EV के लिए आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के साथ-साथ मांग सृजन के लिए पीएम ई-ड्राइव योजना (पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट), एसीसी पीएलआई, ऑटो-पीएलआई आदि का शुभारंभ किया, जिससे भारत में EV को तेजी से अपनाया जा सके और इस क्षेत्र में व्यावसायिक अवसर प्रदान किए जा सकें।

बीएचईएल ने 122 किलोवाट EV चार्जर और 60 किलोवाट ईवी चार्जर का सफलतापूर्वक विकास और प्रमाणन प्राप्त किया है। यह पहला स्वदेशी निर्मित 60 किलोवाट ईवी चार्जर बीपीसीएल रिटेल आउटलेट बीकेसी परिसर मुंबई में चालू किया गया है, और भारत में विभिन्न बीपीसीएल रिटेल आउटलेट्स पर EV चार्जर वाणिज्यिक ऑर्डर के तहत आपूर्ति किए गए हैं।

विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा जारी राष्ट्रीय विद्युत योजना-2032 के अनुसार, भारत में स्थापित बीईएसएस क्षमता 2027 तक 8.6 गीगावाट/34 गीगावाट घंटा और 2032 तक 47 गीगावाट/236 गीगावाट घंटा तक पहुँचने की संभावना है। इसके अलावा, सरकार ने स्थापित सौर परियोजना क्षमताओं के 10% के बराबर ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को एक साथ स्थापित करने के संबंध में भी परामर्श जारी किया है। इससे वीजीएफ-लिंक्ड बीईएसएस परियोजनाओं के लिए बढ़े हुए आवंटन के माध्यम से बीईएसएस की माँग में तेजी आने की उम्मीद है।

बीएचईएल एकीकृत समाधान प्रदान करके और सिस्टम इंजीनियरिंग और परियोजना निष्पादन में अपने विशाल अनुभव का लाभ उठाकर BESS की बढ़ती मांग को पूरा करने की योजना बना रहा है।

±800kV, 6000 मेगावाट खावड़ा-नागपुर एलसीसी एचवीडीसी टर्मिनल स्टेशनों की स्थापना के लिए बीएचईएल और पावरग्रिड ने अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए

स्पेयर और सर्विस व्यवसाय - एक विकास इंजन

- वृहत् स्थापित आधार: स्पेयर एवं सेवा व्यवसाय का थर्मल, परमाणु, जलविद्युत और कैप्टिव पावर क्षेत्र में पर्याप्त स्थापित आधार है - जो व्यवसाय को निरंतरता प्रदान करता है।
- मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र: समर्पित स्पेयर्स एवं सर्विसेज बिजनेस ग्रुप (एसएसबीजी) के नेतृत्व में, संपूर्ण भारत में 12 स्थानों पर कार्यालय तथा 9 सेवा केंद्रों और विनिर्माण इकाईयां।
- ग्राहक प्रतिबद्धता को पूरा करना: प्रतिबद्धताओं को पूरा करना और ग्राहकों से सद्भावना अर्जित करना - एसएसबीजी के व्यवसाय में दहाई अंकों की दर से वृद्धि हो रही है ।
- नए सेवा क्षेत्रों में विस्तार: 87% बाजार में हिस्सेदारी (31 में से 27 इकाइयां) के साथ लचीलेपन में अग्रणी, विभिन्न उपयोगिताओं में आरएमडीएस, आरवीडीएस (KAMPAN 1.0) और PALM जैसे डिजिटल समाधान प्रस्तुत किए।

व्यवसाय की प्रोफाइल एवं निष्पादन

अंतरराष्ट्रीय प्रचालन

1.3.3 अंतरराष्ट्रीय प्रचालन

सामान्य रुपरेखा

बीएचईएल चार दशकों से भी अधिक समय से निर्यात व्यवसाय में है और लगातार अपनी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार कर रहा है। हमारा व्यवसाय 91 देशों में फैला है। विदेशों में हमारी स्थापित क्षमता 13 GW से अधिक है और लगभग 3.5 GW क्षमता निर्माणाधीन है।

वर्तमान में, विदेशी बाजारों में निर्माणाधीन प्रमुख परियोजनाओं में भूटान में पुनात्सांगछू-I (6x200 MW) और पुनात्सांगछू-II (6x170 मेगावाट) जल विद्युत परियोजनाएं; नेपाल में अरुण-3 (4x225 MW) जल विद्युत परियोजना और राहुघाट (2x20 MW) जल विद्युत परियोजना; तथा नाइजीरिया में 1.3 MW कडुना सौर मिनी ग्रिड परियोजना, तथा विभिन्न देशों के लिए उत्पादों, पुर्जों और सेवाओं के लिए अनेक ऑर्डर शामिल हैं।

उत्पादों, आफ्टर सेल और सेवाओं के लिए विदेशी व्यापार में कंपनी के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।

वर्ष के दौरान उपलब्धियाँ

- नए देशों में प्रवेश: बोत्स्वाना (90वाँ देश) के ममामाबुला थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए 175 MW के 4 सिंक्रोनस जेनरेटरों की आपूर्ति हेतु डूसन स्कोडा पावर, चेक गणराज्य से प्रतिष्ठित ऑर्डर प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त, कोस्टा रिका (91वाँ देश) के लिए वाल्वों की आपूर्ति हेतु भी ऑर्डर प्राप्त किया।
- रशियन फ़ेडरेशन के लिए जेनरेटर का पहला ऑर्डर: 95 MW जेनरेटर की आपूर्ति और पर्यवेक्षण के लिए ऑर्डर प्राप्त हुआ।
- 3 हाइड्रो सेटों की कमीशनिंग: भूटान में 6x170 MW पुनात्सांगछु-II हाइड्रो परियोजना की 3 इकाइयों को वित्त वर्ष 2024-25 में चालू कर दिया गया है।
- बीएचईएल टीम ने सेनेगल स्थित 125 MW सेंडौ थर्मल पावर प्रोजेक्ट में स्टीम टर्बाइन और बॉयलर वाल्वों के ओवरहालिंग कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण सफलतापूर्वक किया है। सीईएस सेनेगल (ग्राहक) ने निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने में बीएचईएल की तकनीकी विशेषज्ञता और प्रयासों की सराहना की है।

भविष्य का परिप्रेक्ष्य

बीएचईएल में मूल्य सृजन और विविधीकरण के लिए निर्यात एक प्रमुख माध्यम बना हुआ है। कंपनी बाज़ार की ज़रुरतों को पूरा करने के लिए मौजूदा उत्पादों में नवाचार कर रही है और कारोबार बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। आने वाले वर्षों में हाइड्रो क्षेत्र में कुछ प्रमुख अवसरों के अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है और कंपनी ऐसे अवसरों का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

भूटान में 6x170 MW पुनात्सांगछु-II जलविद्युत परियोजना का मशीन हॉल

बीएचईएल की वैश्विक उपस्थिति

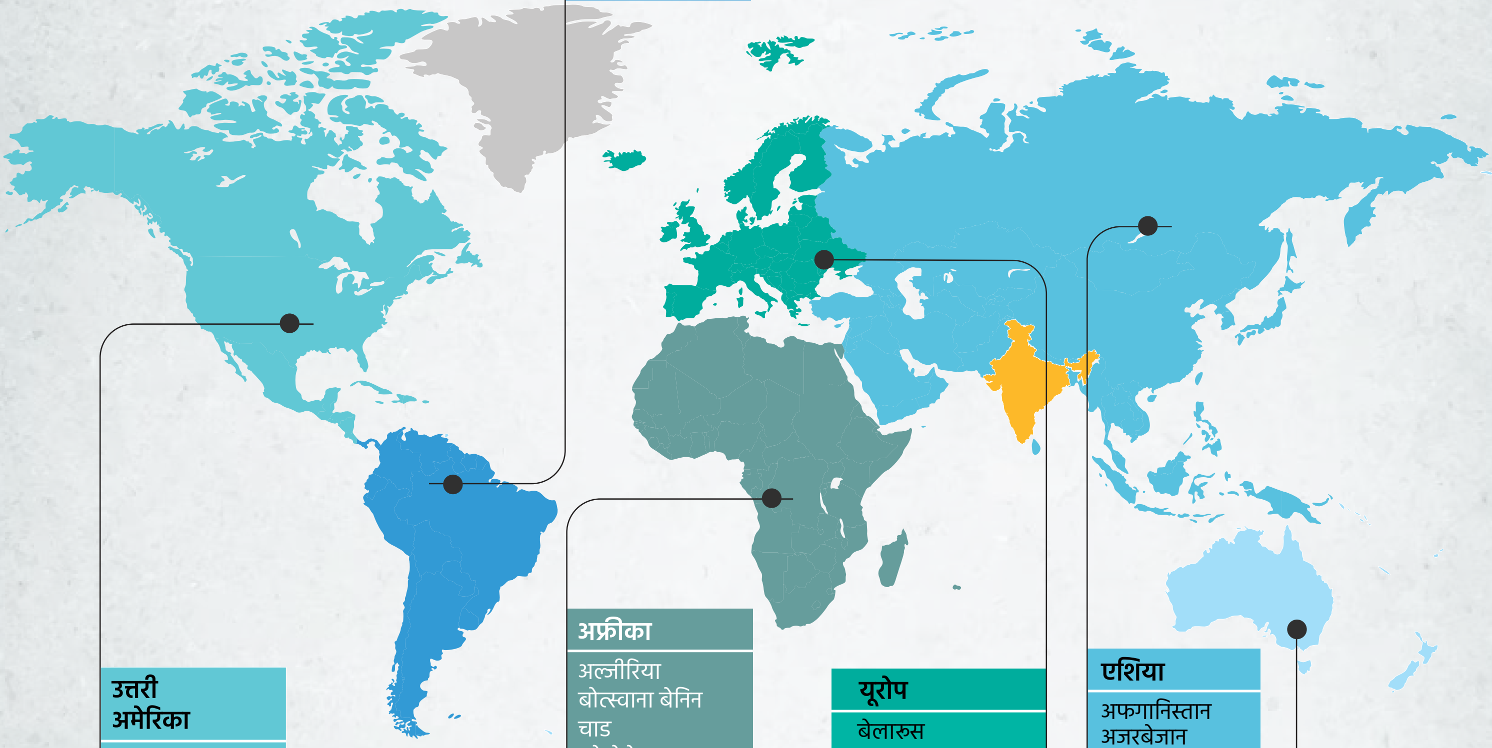

दक्षिण अमेरिका

चिली
सूरीनाम
ट्रिनिदाद एवं टोबेगो

उत्तरी अमेरिका

कनाडा
कोस्टा रिका
मेक्सिको
यूएसए

अफ्रीका

अल्जीरिया
बोत्स्वाना बेनिन
चाड
कोमोरोस
डीआर कांगो
ईजिप्ट
इस्वातिनी
इथोपिया
घाना
केन्या
लीबिया
लाइबेरिया
मालावी
मॉरिसस
मोज़म्बिक
नाइजीरिया
रवांडा
सेनेगल
दक्षिण अफ्रीका
सूडान
तंजानिया
टोगो
उगांडा
ज़ाम्बिया
ज़िम्ब्वाबे

यूरोप

बेलारूस
बेल्जियम
बुल्गारिया
साइप्रस
एस्टोनिया
फिनलेंड
फ्रांस
जॉर्जिया
जर्मनी
ग्रीस
आयरलेंड
इटली
माल्टा
पोलेंड
रोमानिया रूस
स्पैन स्वीडन
स्विट्ज़रलेंड
तुर्की
यूक्रेन
इंगलेंड

एशिया

अफगानिस्तान
अजरबेजान
बांग्लादेश
बहरीन
भूटान
ब्रूनेई
चीन
हांगकांग
इंडोनेशिया
ईरान
ईराक
जापान
जॉर्डन
कजाकिस्तान
कुवैत
लाओस
मलेशिया
म्यामार
नेपाल
ओमान
फिलीपींस
सउदी अरब
सिंगापुर
दक्षिण कोरिया
श्रीलंका
सीरिया
ताइवान
तजाकिस्तान
थाइलेंड
यूएई
वियतनाम
यमन

ओसियानिया

अस्ट्रेलिया
न्यू केलिडोनिया
न्यूज़ीलेंड
समोआ

सभी छह बसे हुए महाद्वीपों के
91 देशों
में उपस्थिति (31 मार्च, 2025 की स्थिति)

1.4 वित्तीय निष्पादन का व्यापक विश्लेषण

1.4.1 बीएचईएल स्टैंडअलोन

A. वित्तीय परिणाम

1. कुल आय

(₹ करोड़)

विवरण	2024-25	2023-24
ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व	27,355	22,921
अन्य परिचालन आय	984	972
अन्य आय	504	588
कुल आय	**28,843**	**24,481**

थर्मल व्यवसाय के पुनरुत्थान, बेहतर परियोजना निष्पादन, व्यावसायिक प्रक्रियाओं के रणनीतिक पुनर्निर्देशन और विक्रेताओं को विस्तारित तरलता सहायता के साथ, कंपनी के संचालन को उल्लेखनीय रूप से मज़बूत किया है। इन पहलों ने पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कुल आय में लगभग 18% की वृद्धि दर्ज की है।

2. व्यय

2.1 सामग्री की खपत, निर्माण और इंजीनियरिंग व्यय

(₹ करोड़)

विवरण	2024-25	2023-24
प्रत्यक्ष सामग्री (उपसंविदा लागत सहित)	19,955	16,894
आय	27,355	22,921
तैयार माल, प्रगति पर कार्य और स्क्रैप की सूची में वृद्धि/(कमी)	1,542	437
कुल राजस्व (उत्पादन का मूल्य)	28,897	23,358
सकल राजस्व के % के रूप में प्रत्यक्ष सामग्री लागत	69.1%	72.3%

कंपनी ने क्रय दक्षताओं को अनुकूलित करने और लागत-बचत पहलों को लागू करने के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं को पुनर्परिभाषित करके प्रत्यक्ष सामग्री लागत में 3.27% की कमी हासिल की है। प्रमुख उपायों में क्रय का थोक और समेकन, उत्पाद विनिर्देशों को सुव्यवस्थित करना, मानकीकरण प्रयास, विक्रेता आधार का विकास और विस्तार तथा इंजीनियरिंग अनुकूलन शामिल हैं। इसके अलावा, आपूर्तिकर्ताओं को समय पर भुगतान जारी करने से सामग्री लागत दक्षता में और वृद्धि होगी।

2.2 कर्मचारी हितलाभ व्यय

(₹ करोड़)

विवरण	2024-25	2023-24
कर्मचारी हितलाभ व्यय	5,923	5,629
कुल कर्मचारी	27,800	28,673
प्रति कर्मचारी राजस्व	0.98	0.80

यद्यपि वर्ष के दौरान समग्र लागत में वृद्धि हुई, लेकिन प्रति कर्मचारी राजस्व में सुधार हुआ, जो बेहतर कार्यबल उत्पादकता और परिचालन दक्षता को दर्शाता है।

2.3 अन्य व्यय

(₹ करोड़)

विवरण	2024-25	2023-24
a) विनिर्माण, प्रशासन, बिक्री और वितरण के अन्य व्यय	1,815	1,534
b) बिजली और ईंधन	491	452
कुल	**2,306**	**1,986**
राजस्व का %	8.4%	8.7%
c) प्रावधान (नेट))	158	(1,037)
d) विनिमय दर में बदलाव	(135)	(105)
कुल	**2,329**	**844**

लागत अनुकूलन, प्रक्रिया दक्षता और बजटीय नियंत्रण ने परिचालन मात्रा/राजस्व में 19% की वृद्धि के बावजूद अन्य व्यय को राजस्व के 8.4% तक कम करने में योगदान दिया।

प्रावधान (निवल) और राइट-ऑफ का विवरण:

(₹ करोड़)

विवरण	2024-25	2023-24
संदिग्ध ऋण (ईसीएल सहित), परिसमाप्त क्षति, ऋण, अग्रिम और जमा और अन्य	(2,796)	1,481
खराब ऋण, एलडी, निवेश और घाटे को बट्टे खाते में डाला गया	3,151	66
संविदात्मक बाध्यताएं	(197)	(2,584)
कुल	**158**	**(1,037)**

कंपनी ने उन सभी अनुबंधों के लिए, जहाँ अनुबंध के अनुसार निष्पादन गारंटी (पीजी) परीक्षण पूर्व-आवश्यक शर्त नहीं है, संविदात्मक दायित्वों के विरुद्ध प्रावधान खाली करने की अपनी प्रथा में बदलाव किया है। तदनुसार, वर्ष 2024-25 के दौरान 118.47 करोड़ रुपये के प्रावधान खाली कर दिए गए हैं।

इसके अलावा, कंपनी ने देनदारों से वसूली बढ़ाने और समय पर निपटान करने पर ज़ोर दिया। कंपनी द्वारा गैर-वसूली योग्य बकाया राशि को बट्टे खाते में डालकर अपने बही-खातों की भी विवेकपूर्ण ढंग से साफ-सुथरा रखा है। रणनीतिक ध्यान ग्राहक निपटान और बेहतर नकद संग्रह के माध्यम से प्रावधान निकासी को बढ़ावा देने पर रहा।

3. वित्तीय लागत

(₹ करोड़)

विवरण	2024-25	2023-24
वाणिज्यिक पत्रों पर छूट और व्यय	5	9
ब्याज व्यय	709	601
प्रावधान को समाप्त करना	34	121
कुल	**748**	**731**

उधार पर उच्च ब्याज दरों और उधार के स्तर में समग्र वृद्धि के कारण वित्त लागत में पिछले वर्ष की तुलना में मामूली वृद्धि हुई है।

4. मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(₹ करोड़)

विवरण	2024-25	2023-24
मूल्यह्रास और परिशोधन	**272**	249

मूल्यह्रास लागत, परिसंपत्ति पूंजीकरण के समय और परिसंपत्ति वर्गों के मिश्रण के आधार पर भिन्न होती है। वर्ष के दौरान, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में मूल्यह्रास व्यय में समग्र वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण उच्च पूंजीकरण था।

5. कर

(₹ करोड़)

विवरण	2024-25	2023-24
वर्तमान कर – चालू वर्ष	8	31
- पिछले वर्षों का	15	(143)
आस्थगित कर - चालू वर्ष	196	59
- पिछले वर्षों का	(7)	13
कुल	**212**	**(40)**

पिछले वर्ष के लिए चालू कर व्यय कम था, जिसका मुख्य कारण पूर्ववर्ती मूल्यांकन वर्षों से संबंधित आयकर रिफंड के समायोजन के कारण कर व्यय का वापस होना था।

6. लाभप्रदता

कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 725 करोड़ रुपये का कर-पूर्व लाभ और 513 करोड़ रुपये का कर-पश्चात लाभ अर्जित किया। वर्ष के दौरान कंपनी का EBITDA 1745 करोड़ रुपये रहा।

7. अन्य व्यापक आय

(₹ करोड़)

विवरण	2024-25	2023-24
परिभाषित कर्मचारी लाभ/(हानि) का पुनः मापन	**(219)**	(110)
घटाकर : उपरोक्त मद से संबंधित आयकर	**(55)**	(28)
कुल	**(164)**	**(82)**

अन्य व्यापक आय परिभाषित लाभ योजनाओं जैसे ग्रेच्युटी, पीएफ, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ आदि पर पुनर्मापन लाभ/(हानि) का प्रतिनिधित्व करती है

B. वित्तीय स्थिति

8. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई), अमूर्त संपत्तियां और पूंजीगत WIP

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
सकल वहन मूल्य	**7,748**	7,236
घटाएँ: संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	**4,801**	4,662
शुद्ध वहन मूल्य (शुद्ध ब्लॉक)	**2,947**	2,574
CWIP और अमूर्त संपत्तियां विकासाधीन	**195**	308
कुल	**3,142**	**2,882**

9. निवेश संपत्ति

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
सकल वहन मूल्य	1.2	-
घटाएँ: संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	0.7	-
शुद्ध वहन मूल्य (शुद्ध ब्लॉक)	0.5	-

वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपनी निवेश संपत्ति पोर्टफोलियो, जिसमें कुछ भूमि और भवन शामिल हैं, पर परिचालन पट्टे पर हस्ताक्षर किए हैं। पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा 31 मार्च, 2025 तक भोपाल और मुंबई स्थित विभिन्न संपत्तियों के लिए निवेश संपत्ति का उचित मूल्य 112 करोड़ रुपये आंका गया है।

10. इक्विटी निवेश

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2025			31 मार्च 2024		
	निवेश	Impairment / FV adj.	शुद्ध	निवेश	Impairment / FV adj.	शुद्ध
संयुक्त उद्यमों में निवेश	722	(50)	**672**	718	(52)	667
अन्य इक्विटी उपकरणों में निवेश	1	(1)	-	1	0	1
कुल	**723**	**(51)**	**672**	**719**	**(51)**	**668**

संयुक्त उद्यमों (जेवी) में निवेश को भारतीय लेखा मानक (Ind AS) के अनुसार, हानि (यदि कोई हो) को ध्यान में रखते हुए लागत पर दर्ज किया गया है। अन्य इक्विटी में निवेश को लाभ-हानि खाते के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज किया गया है और रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य के आधार पर वहन मूल्य में परिवर्तन किए गए हैं। निवेश में 5.29 करोड़ रुपये का डीम्ड निवेश (BCGCL) शामिल है, जो बिना किसी प्रतिफल के दी गई वित्तीय गारंटी के लिए कॉर्पोरेट गारंटी शुल्क के उचित मूल्य को दर्शाता है।

11. व्यापार प्राप्य (शुद्ध)

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च 2025			31 मार्च 2024		
	गैर-वर्तमान	वर्तमान	कुल	गैर-वर्तमान	वर्तमान	कुल
सकल प्राप्य	11,826	7,260	**19,086**	15,284	5,889	21,173
घटाएँ: खराब एवं संदिग्ध ऋणों के लिए छूट	8,779	1,375	**10,155**	12,059	1,104	13,163
व्यापार प्राप्तियां (शुद्ध)	**3,047**	**5,884**	**8,931**	**3,225**	**4,785**	**8,010**

31 मार्च, 2025 तक व्यापार प्राप्य राशि 8,931 करोड़ थी, जबकि 31 मार्च, 2024 तक यह 8,010 करोड़ थी। यह वृद्धि मुख्य रूप से परिचालन के स्तर में वृद्धि के कारण है।

12. नकदी और नकदी समकक्ष तथा बैंक शेष

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
नकद और नकद समकक्ष	**439**	1,835
3 महीने से अधिक परंतु 12 महीने से कम की परिपक्वता अवधि वाली जमा राशि	**6,618**	3,740
मार्जिन मनी के विरुद्ध निर्धारित बैंक बैलेंस और एफडी	**555**	582
कुल	**7,612**	**6,157**

कंपनी द्वारा अपने प्राप्य प्रबंधन के पुनर्गठन के बाद नकदी संग्रह पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के परिणामस्वरूप, ग्राहक अग्रिमों सहित पिछले वर्ष की तुलना में नकदी संग्रह में लगभग 40.5% की वृद्धि हुई। परिचालन तरलता प्रबंधन के लिए अनिरंतर नकदी अधिशेष को अल्पकालिक जमा के रूप में रखा गया था।

13. आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	**4,068**	4,201

वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्तियों में कमी मुख्य रूप से पुराने घाटे के उपयोग के कारण हुई है।

14. अन्य परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च 2025			31 मार्च 2024		
	गैर-वर्तमान	वर्तमान	कुल	गैर-वर्तमान	वर्तमान	कुल
अनुबंध परिसंपत्तियां (शुद्ध)	13,666	15,779	**29,444**	13,296	13,452	**26,748**
प्राप्य इनपुट टैक्स क्रेडिट	-	1,652	**1,652**	-	1,301	**1,301**
दावा वसूली योग्य	695	1,232	**1,927**	570	951	**1,521**
कर अधिकारियों और अन्य के पास जमा	89	481	**569**	105	409	515
अग्रिम और अन्य	193	99	**293**	142	65	**207**
घटाएँ: प्रावधान	**567**	**288**	**855**	**423**	**269**	**692**
कुल	**14,075**	**18,955**	**33,030**	**13,690**	**15,910**	**29,599**

इसका मुख्य घटक अनुबंध परिसंपत्तियों से संबंधित है, जो अनुबंध की शर्तों के अनुसार भुगतान के लिए देय न होने वाले बिल रहित राजस्व को दर्शाता है। अनुबंध परिसंपत्तियों में यह वृद्धि मुख्यत: पिछले वर्ष की तुलना में दोहरे अंकों (19%) की राजस्व वृद्धि के कारण है।

15. इन्वेंटरी

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
कच्चा माल और घटक	4,085	3,069
WIP	5,369	3,918
FG	606	503
स्टोर और स्पेयर पार्ट्स	270	215
अन्य इनवेंट्री	305	298
कुल	**10,635**	**8,003**
घटाएँ: अचल इन्वेंट्री के लिए प्रावधान	766	782
कुल	**9,869**	**7,221**

उच्चतर ऑर्डर अंतर्वाह की भावी उत्पादन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन्वेंटरी को अनुकूलित स्तर पर रखा जाता है।

16. वर्तमान कर परिसंपत्तियां/(देनदारियां) – शुद्ध

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
वर्तमान कर परिसंपत्तियां/(देनदारियां)-प्रावधानों का शुद्ध	**137**	229

यह राशि मुख्य रूप से टीडीएस (कर के लिए प्रावधान का शुद्ध योग) है, जो निकट भविष्य में रिफंड के लिए देय है।

17. शेयर पूँजी

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
अधिकृत शेयर पूंजी	**2,000**	2,000
निर्गत, अभिदत्त और चुकता शेयर पूंजी	**696**	696

चालू वित्त वर्ष के दौरान शेयर पूंजी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। प्रमोटर [भारत सरकार] की शेयरधारिता 63.17% पर अपरिवर्तित बनी हुई है।

18. अन्य इक्विटी

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
अथ शेष	**24,154**	24,116
नीतियों में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण बहाली	**-**	-
जोड़ें: वर्ष के लिए कुल व्यापक आय/(हानि)	**349**	177
घटाएँ: वर्ष के दौरान भुगतान किया गया लाभांश (अंतरिम लाभांश सहित)	**87**	139
अंत शेष	**24,417**	**24,154**

निवल संपत्ति में परिवर्तन वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय और वर्ष के दौरान भुगतान किए गए वित्त वर्ष 2023-24 के लाभांश के कारण हुआ है। वर्ष 2023-24 के लिए 12.5% की दर से लाभांश को 22 अगस्त, 2024 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया गया था और बाद में वर्ष 2024-25 के दौरान भुगतान किया गया।

रिपोर्टिंग तिथि के बाद, वार्षिक आम बैठक में, शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन, निदेशकों द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 25% की दर से अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया गया। लाभांश को देयता के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

19. उधार और पट्टा देयताएं

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2025			31 मार्च, 2024		
	गैर-वर्तमान	वर्तमान	कुल	गैर-वर्तमान	वर्तमान	कुल
उधार	-	8,795	**8,795**	-	8,808	8,808
पट्टा देयताएं	162	57	**220**	23	25	48
कुल	**162**	**8,852**	**9,015**	**23**	**8,833**	**8,856**

बेहतर निधि प्रबंधन के कारण परिचालन स्तर में 19% की वृद्धि के बावजूद कंपनी का उधार स्तर लगभग समान स्तर पर बना रहा।

कंपनी ने अपने उधारों का भुगतान नियत तिथि पर या उससे पहले सुनिश्चित करना जारी रखा है।

20. वित्तीय देनदारियाँ

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2025			31 मार्च, 2024		
	गैर-वर्तमान	वर्तमान	कुल	गैर-वर्तमान	वर्तमान	कुल
व्यापार देयताएं	2,171	9,541	**11,712**	2,293	8,539	10,832
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	423	1,246	**1,669**	408	1,493	1,901
कुल	**2,594**	**10,787**	**13,380**	**2,701**	**10,032**	**12,733**

31 मार्च, 2025 तक व्यापार देयताओं में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से परिचालन के स्तर में वृद्धि के कारण हुई।

21. प्रावधान

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2025			31 मार्च, 2024		
	गैर-वर्तमान	वर्तमान	कुल	गैर-वर्तमान	वर्तमान	कुल
संविदात्मक बाध्यताओं के लिए प्रावधान।	1,349	422	**1,772**	1,373	449	1,822
कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान	1,028	856	**1,884**	904	1,228	2,132
अन्य प्रावधान	206	534	**740**	212	639	851
CSR के लिए प्रावधान	2	3	**5**	-	2	2
कुल	**2,586**	**1,815**	**4,401**	**2,489**	**2,318**	**4,807**

कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान अवकाश, चिकित्सा और ग्रेच्युटी लाभों के बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है। संविदात्मक दायित्वों के प्रावधानों के लिए (क्रम संख्या 2.3 देखें)। तदनुसार, वर्ष 2024-25 के दौरान 118.47 करोड़ रुपये के प्रावधान छोड़ दिए गए हैं। अन्य प्रावधानों में मुख्य रूप से घाटे में चल रहे अनुबंधों के प्रावधान शामिल हैं।

22. अन्य देनदारियाँ

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2025			31 मार्च, 2024		
	गैर-वर्तमान	वर्तमान	कुल	गैर-वर्तमान	वर्तमान	कुल
ग्राहकों से अग्रिम (मूल्यांकन समायोजन सहित)	9,743	5,551	**15,294**	4,063	3,070	7,133
वैधानिक बकाया	-	1,221	**1,221**	-	990	990
सरकारी अनुदान	51	5	**56**	39	4	43
कुल	**9,794**	**6,777**	**16,571**	**4,102**	**4,064**	**8,166**

वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी ने अब तक की सबसे अधिक ऑर्डर बुकिंग की, जिसके परिणामस्वरुप परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान उत्तरोत्तर समायोज्य अग्रिमों में भी वृद्धि हुई। वैधानिक बकाया मुख्य रूप से जीएसटी देयता के कारण है, जिसका भुगतान नियमित रूप से नियत तिथियों पर किया जाता है, जैसा कि "अन्य परिसंपत्तियों" (क्रम संख्या 14 देखें) के अंतर्गत दर्शाया गया है।

C. फंड की स्थिति

23. फंड प्रवाह स्थिति और तरलता

(₹ करोड़)

विवरण	2024-25	2023-24
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले परिचालन से उत्पन्न नकदी	**381**	(490)
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से शुद्ध नकदी प्रवाह / (बहिर्वाह)	**1,729**	(3,445)
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह / (बहिर्वाह)	**2,192**	(3,713)
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह / (बहिर्वाह)	**(2,731)**	1,331
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह / (बहिर्वाह)	**(857)**	2,656

वित्त वर्ष 2024-25 में तरलता की स्थिति में सुधार हुआ, जिसे नई परियोजनाओं से शुरुआती प्रगति और चल रही परियोजनाओं में उल्लेखनीय उपलब्धियों से बल मिला। इन कारकों ने समग्र नकदी प्रवाह पर सकारात्मक प्रभाव डाला।

D. प्रमुख वित्तीय अनुपात

लिस्टिंग विनियमों की आवश्यकता के अनुपालन में, जहां भी आवश्यक हो, स्पष्टीकरण के साथ प्रमुख वित्तीय अनुपात वित्तीय विवरणों के नोट [43] में प्रदान किए गए हैं।

E. खंड निष्पादन

कंपनी के दो परिचालन खंड हैं: विद्युत और उद्योग। दोनों खंडों ने सकारात्मक लाभ के साथ राजस्व में वृद्धि दर्ज की है। खंडों का प्रदर्शन नीचे दिया गया है:

प्रचालन से राजस्व (करोड़ रु.)

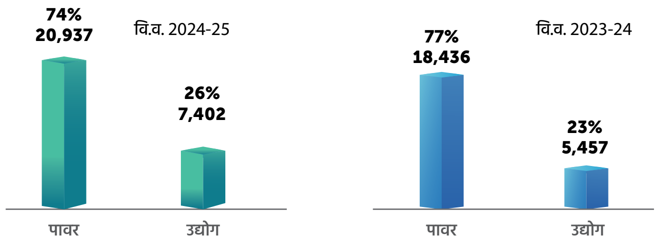

(₹ करोड़)

विवरण	2024-25		2023-24	
	विद्युत	उद्योग	विद्युत	उद्योग
खंड में प्रचालन से राजस्व	20,937	7,402	18,436	5,457
खंड परिणाम	1,216	1,262	1,657	137
खंड नियोजित पूंजी	16,379	2,206	18,891	2,337

1.4.2 संयुक्त उद्यम कंपनियों की वित्तीय समीक्षा

a. बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (BGGTS):

बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (BGGTS), बीएचईएल और जीई, यूएसए की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसका गठन जीई द्वारा डिज़ाइन किए गए गैस टर्बाइनों की मरम्मत और सर्विसिंग के लिए किया गया है। वित्तीय विवरण संक्षेप में इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़)

विवरण	2024-25*	2023-24
बीएचईएल का शेयर (%)	50% से एक शेयर कम	50% से एक शेयर कम
बीएचईएल का इक्विटी में निवेश	2.38	2.38
प्रचालन से राजस्व	1,052.58	1,054.74
कर पश्चात लाभ / (हानि)	118.02	127.95
नेटवर्थ	551.15	508.97

* अनंतिम अलेखापरीक्षित आंकड़ों पर आधारित

वित्त वर्ष 2024-25 में, बीजीजीटीएस ने 4.76 करोड़ की इक्विटी शेयर पूंजी पर 55% का अंतिम लाभांश (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए) और 1050% का अंतरिम लाभांश दिया।

b. एनटीपीसी बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (NBPPL):

एनटीपीसी बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (NBPPL), बीएचईएल और एनटीपीसी लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसे बिजली संयंत्रों के लिए ईपीसी अनुबंधों को निष्पादित करने और बिजली संयंत्र उपकरणों के निर्माण के लिए प्रवर्तित किया गया है। इस संयुक्त उद्यम कंपनी की आंध्र प्रदेश के मन्नावरम में बैलेंस प्लांट (बीओपी) उपकरणों के लिए एक विनिर्माण सुविधा है। संक्षिप्त वित्तीय विवरण नीचे तालिका में दिए गए हैं:

(₹ करोड़)

विवरण	2024-25*	2023-24
बीएचईएल का शेयर (%)	50%	50%
बीएचईएल का इक्विटी में निवेश	50.00	50.00
प्रचालन से राजस्व	3.48	18.19
कर पश्चात लाभ / (हानि)	(17.01)	(0.80)

* अनंतिम अलेखापरीक्षित आंकड़ों पर आधारित

एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में निवेश के मूल्य में हानि के लिए प्रावधान ₹50.00 करोड़ (पिछले वर्ष के समान) की सीमा तक किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में, बीजीजीटीएस ने 550% का अंतिम लाभांश (वित्त वर्ष बी एचईएल निदेशक मंडल ने 28 जनवरी, 2025 को आयोजित अपनी 566वीं बैठक में एनबीपीपीएल को बंद करने के लिए बीएचईएल निदेशक मंडल द्वारा 08 फरवरी, 2018 को आयोजित अपनी 494वीं बैठक में दी गई सैद्धांतिक मंजूरी को रद्द करने की मंजूरी दे दी और एनबीपीपीएल द्वारा 1×800 MW एयूएससी प्रौद्योगिकी आधारित प्रौद्योगिकी प्रदर्शन संयंत्र (TDP) के कार्यान्वयन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी।

c. रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RPCL):

रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरपीसीएल), बीएचईएल और कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसे कर्नाटक में 800 MW क्षमता के सुपरक्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु निर्मित, स्वामित्व और संचालन के आधार पर प्रवर्तित किया गया है। 31 मार्च, 2025 तक इसकी चुकता इक्विटी पूंजी ₹2,999.76 करोड़ थी, जिसमें केपीसीएल का ₹2,335.72 करोड़ और बीएचईएल का ₹664.04 करोड़ योगदान था। कंपनी की वित्तीय स्थिति इस प्रकार है:

(₹ करोड़)

विवरण	2024-25*	2023-24
बीएचईएल का शेयर (%)	22.14%	22.14%
बीएचईएल का इक्विटी में निवेश	664.04	664.04
प्रचालन से राजस्व	4,296.02	3,910.74
कर पश्चात लाभ / (हानि)	(1,486.64)	(1,735.48)

* अनंतिम अलेखापरीक्षित आंकड़ों पर आधारित

यद्यपि कंपनी को वित्त वर्ष 2024-25 में PBT स्तर पर घाटा हुआ, फिर भी कंपनी का EBITDA सकारात्मक रहा। बिजली की मांग में सुधार के साथ, संयंत्र के संचालन में सुधार की उम्मीद है, जिससे कंपनी के मुनाफे में वृद्धि होगी।

d. भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड (BCGCL):

भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड (BCGCL) को 21 मई, 2024 को बीएचईएल और सीआईएल की एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) के रूप में शामिल किया गया था, जिसका उद्देश्य बीएचईएल की "प्रेशराइज्ड फ्लुइडाइज्ड बेड गैसीफिकेशन (PFBG)" तकनीक का उपयोग करके ओडिशा के लखनपुर में 2000 टीपीडी अमोनियम नाइट्रेट परियोजना की स्थापना करके कोयले से रसायन व्यवसाय शुरु करना था। 31 मार्च, 2025 तक चुकता इक्विटी पूंजी 1 लाख थी, जिसमें मेसर्स कोल इंडिया लिमिटेड का ₹0.51 लाख और बीएचईएल का ₹0.49 लाख का योगदान था। निवेश में ₹5.29 करोड़ का अनुमानित निवेश शामिल है, जो बिना किसी प्रतिफल के दी गई वित्तीय गारंटी के लिए कॉर्पोरेट गारंटी शुल्क का उचित मूल्य दर्शाता है। कंपनी की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है:

(₹ करोड़)

विवरण	2024-25*	2023-24
बीएचईएल का शेयर (%)	49%	NA
प्रचालन से राजस्व	Nil	
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	(2.26)	

* लेखापरीक्षित आंकड़ों पर आधारित

कंपनी ने अभी तक अपना कारोबार शुरु नहीं किया है ।

e. पावरप्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्राइवेट लिमिटेड (PPIL):

पावरप्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्राइवेट लिमिटेड (PPIL) बीएचईएल और सीमेंस एजी, जर्मनी की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसे पुराने जीवाश्म ईंधन बिजली संयंत्रों के प्रदर्शन में सुधार के लिए बढ़ावा दिया गया है। चूँकि कंपनी की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवसाय नहीं मिल रहा था, इसलिए प्रवर्तक साझेदारों ने आपसी सहमति से कंपनी को धीरे-धीरे बंद करने पर सहमति व्यक्त की। संयुक्त उद्यम कंपनी के सभी लंबित अनुबंधों को पूरा कर लिया गया और वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान समापन की प्रक्रिया शुरु कर दी गई। मेसर्स पावरप्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्राइवेट लिमिटेड अभी भी परिसमापन के अधीन है। परिसमापन प्रक्रिया के अनुसार, बीएचईएल को वित्त वर्ष 2024-25 में 0.87 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

1.4.3 समेकित वित्तीय विवरण (CFS)

समेकित वित्तीय विवरण Ind AS 110 "समेकित वित्तीय विवरण" और Ind AS 28 "सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश" के अनुसार तैयार किए गए हैं।

वित्तीय विवरणों में, संयुक्त उद्यमों के लिए, भारतीय लेखा मानक के अनुरूप इक्विटी पद्धति अपनाई गई है। मेसर्स पीपीआईएल को सीएफएस के लिए नहीं माना गया क्योंकि यह परिसमापन के अधीन है।

उपर्युक्त Ind AS के अनुरूप वित्तीय निष्पादन के परिणामों का सार निम्नानुसार है:

वित्तीय निष्पादन

(₹ करोड़)

विवरण	वर्ष की अवधि के लिए	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
प्रचालन से राजस्व	28,339	23,893
कर पूर्व लाभ / (हानि)	746	243
कर पश्चात लाभ / (हानि)	534	282
अन्य व्यापक आय/(हानि)	(163)	(83)
कुल व्यापक आय/(हानि)	371	200

संयुक्त उद्यम - बीजीजीटीएस के संबंध में लाभ का हिस्सा वित्त वर्ष 2024-25 में 59.01 करोड़ रुपये था, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में यह 63.98 करोड़ रुपये था। संयुक्त उद्यम कंपनियों (एनबीपीपीएल और आरपीसीएल) को वित्त वर्ष 2024-25 में घाटा हुआ है। न दोनों संयुक्त उद्यमों में निवेश की लागत के बराबर संचित घाटे को वित्त वर्ष 2018-19 के समेकित वित्तीय परिणामों में पहले ही मान्यता दी जा चुकी है। बीसीजीसीएल ने अभी अपना कारोबार शुरु नहीं किया है, इसलिए उसे वित्त वर्ष 2024-25 में घाटा हुआ है।

वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
परिसम्पत्तियाँ		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त संपत्तियां और CWIP (शुद्ध वहन मूल्य) (निवेश संपत्ति सहित)	3,143	2,882
इक्विटी पद्धति का उपयोग करके निवेश का लेखा-जोखा	276	254
गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ	3,763	3,432
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	4,068	4,201
गैर-वर्तमान अन्य परिसंपत्तियाँ	14,075	13,690
वर्तमान परिसंपत्तियाँ	42,760	34,542
कुल	68,083	59,002
इक्विटी और देयता		
इक्विटी शेयर पूंजी	696	696
अन्य इक्विटी	24,026	23,742
गैर मौजूदा देनदारियां	15,135	9,316
वर्तमान देनदारियां	28,226	25,247
कुल	68,083	59,002

संयुक्त उद्यमों - बीजीजीटीएस, एनबीपीपीएल, आरपीसीएल और बीसीजीसीएल के संबंध में पूंजीगत व्यय का हिस्सा वित्त वर्ष 2024-25 में ₹25.83 करोड़ (अनंतिम) था।

1.5 पूँजी निवेश

वर्ष 2024-25 में, कंपनी ने 536 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय किया। इस अवधि के दौरान, मुख्य निवेश रक्षा, परिवहन आदि जैसे प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रों में सुविधाओं को बढ़ाने और कंपनी में आईटी अवसंरचना के उन्नयन पर केंद्रित रहा। बीएचईएल ने सतत विकास, उत्पादकता, ऊर्जा दक्षता में सुधार और बिजली संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए विद्युत उत्पादन, पारेषण, औद्योगिक उपकरण आदि जैसे मुख्य व्यवसाय क्षेत्रों में मौजूदा सुविधाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन को प्राथमिकता देना जारी रखा है।

1.6 आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली

बीएचईएल की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) प्रणाली, इसके कारोबार के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह से प्रलेखित नीतियों और प्रक्रियाओं पर आधारित है, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है।

आईएफसी के कार्यान्वयन और रखरखाव का स्रोत मैनुअल, दिशानिर्देश, शक्तियों का प्रत्यायोजन और आईटी प्रणाली और नियंत्रण हैं, और यह सुपरिभाषित संगठनात्मक संरचना के माध्यम से प्रभावी होता है, जिसमें प्रक्रियाओं के प्रत्येक चरण में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न विभागों में कार्यरत लोग शामिल होते हैं।

बीएचईएल के पास आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग है, जो इसके परिचालन के आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप है, तथा कंपनी के सभी स्थानों पर आंतरिक लेखा परीक्षा गतिविधियों को कवर करने के लिए इसकी इकाइयों/प्रभागों में फैला हुआ है। आंतरिक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट के आधार पर, प्रक्रिया स्वामी प्रभावी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए अपने-अपने क्षेत्र में सुधारात्मक कार्रवाई करते हैं।

लेखापरीक्षा बोर्ड स्तरीय लेखापरीक्षा समिति (BLAC) द्वारा अनुमोदित वार्षिक लेखापरीक्षा योजना के अनुसार की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षा की टिप्पणियों और सिफारिशों को संबंधित इकाइयों/प्रभागों के साथ साझा किया जाता है और बीएलएसी द्वारा महत्वपूर्ण आंतरिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों और सीएजी लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की समीक्षा की जाती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अनुसार, कंपनी के IFC पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, वित्तीय विवरणों के साथ प्रस्तुत की गई है। अपनी रिपोर्ट में, वैधानिक लेखा परीक्षकों ने वित्तीय रिपोर्टिंग की तुलना में कंपनी के IFC की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अपनी अपरिवर्तित राय व्यक्त की है।

1.7 गुणवत्ता केंद्रित

पूरे संगठन में एक सुस्थापित गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (QMS) कार्यरत है। QMS की प्रभावशीलता बढ़ाने और कंपनी के उत्पादों एवं सेवाओं में निरंतर सुधार लाने के लिए कई पहल चल रही हैं।

बीएचईएल की व्यावसायिक उत्कृष्टता यात्रा यूरोपीय फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट (ईएफक्यूएम) 2020 ढांचे के अनुरुप है। इस संबंध में, बीएचईएल में गुणवत्ता प्रणालियों की परिपक्वता का आकलन करने के लिए बीएचईएल गुणवत्ता परिपक्वता मॉडल (बीक्यूएमएम) लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त, गुणवत्ता प्रणालियों और प्रथाओं की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए, एक व्यापक गुणवत्ता स्वास्थ्य सूचकांक (क्यूएचआई) मॉडल लागू किया गया है। इसके अलावा, गुणवत्ता प्रणालियों को डिजिटल किया गया है, जिससे प्रभावी डेटा विश्लेषण और बेहतर ट्रेसेबिलिटी और उत्पाद गुणवत्ता प्राप्त होती है। गुणवत्ता संबंधी सर्वोत्तम प्रथाओं को 'Qonverse' नामक गुणवत्ता संवाद मंच के माध्यम से पूरे संगठन में साझा किया जाता है।

इन केंद्रित प्रयासों से महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए हैं और इन्हें मान्यता भी मिली है। व्यावसायिक उत्कृष्टता (बीई) की यात्रा में, बीएचईएल की एक इकाई को प्रतिष्ठित सीआईआई एक्ज़िम बैंक पुरस्कार 2024, और बीएचईएल की पाँच अन्य इकाइयों को "प्लेटिनम" सम्मान प्राप्त हुआ है। अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियों में, बीएचईएल को पीएसयू श्रेणी में ईईपीसी इंडिया क्वालिटी अवार्ड्स 2024 के चौथे संस्करण में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही, श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता नियंत्रण सर्किल सम्मेलन (आईसीक्यूसी) में बीएचईएल की आठ गुणवत्ता सर्किल टीमों ने स्वर्ण पुरस्कार (उच्चतम श्रेणी) प्राप्त किया। ये सम्मान गुणवत्ता के क्षेत्र में उत्कृष्टता के प्रति कंपनी की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं।

नवंबर 2024 में बीएचईएल में 'गुणवत्ता का मूल आधार, जिम्मेदारी से किया गया हर कार्य' थीम के साथ गुणवत्ता माह मनाया गया।

1.8 मानव संसाधन

1.8.1 ज्ञानार्जन एवं विकास

बीएचईएल अपने समस्त कार्यबल की तकनीकी और व्यवहारिक दक्षताओं में निरंतर सुधार को महत्व देता है। बदलते व्यावसायिक परिवेश के कारण कंपनी को अनलर्निंग और रिलर्निंग की संस्कृति को बढ़ावा देने पर विशेष बल देना पड़ रहा है। इसका उद्देश्य एक चुस्त और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल का निर्माण करना है, जो उभरती व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम हो।

पूरे संगठन में तकनीकी, कार्यात्मक, व्यवहारिक और प्रबंधकीय, तथा सुरक्षा क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ई-लर्निंग पोर्टल को विविध शिक्षण सामग्री से समृद्ध किया गया है, जिससे कर्मचारियों को 140 से अधिक ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल तक पहुँच प्राप्त हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्रति कर्मचारी द्वारा औसतन 4.23 श्रम-दिवस प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।

वित्त वर्ष 2024-25 में, बीएचईएल ने विभिन्न स्थानों पर नए इंजीनियर प्रशिक्षुओं (ईटी) और पर्यवेक्षक प्रशिक्षुओं (एसटी) के लिए संरचित इंडक्शन कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए। इसके अतिरिक्त, कई रणनीतिक शिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए गए, जिनमें वरिष्ठ प्रबंधन के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण, कार्यस्थलों पर व्यवहार आधारित

सुरक्षा, और वंदे भारत परियोजना के लिए PRISM कार्यशाला और पावर सेक्टर के कर्मचारियों के लिए "कार्यकारी उपस्थिति" जैसे विशिष्ट कार्यक्रम शामिल हैं। बीएचईएल लर्निंग वीक का 9वां संस्करण 5-11 सितंबर, 2024 तक "एलाइन-एक्ट-अचीव" विषय के साथ आयोजित किया गया था।

इसके अलावा, बीएचईएल ने अपनी विभिन्न इकाइयों में 1,582 प्रशिक्षुओं को शामिल किया। उनमें से 1,139 ट्रेड (आईटीआई) प्रशिक्षु थे, जबकि शेष 443 स्नातक, डिप्लोमा, व्यावसायिक और गैर-तकनीकी प्रशिक्षु थे। इन प्रशिक्षुओं ने हमारे अत्याधुनिक इंजीनियरिंग सुविधाओं के भीतर महत्वपूर्ण व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किए। इससे उन्हें विनिर्माण क्षेत्र के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त हो सका है जो उनके आने वाले भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

21 मार्च, 2025 को ज्ञानार्जन विषय पर अंतर-संगठन बैठक आयोजित की गई। इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र की कंपनियों के एल एण्ड डी पेशेवर एक साथ आए, अपनी सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा किया और क्षमता-निर्माण पहल में सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की।

1.8.2 निष्पादन एवं वृत्तिक विकास

बीएचईएल ने लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के अधिदेश के अनुरुप उत्तराधिकार एवं नेतृत्व विकास योजना (SLDP) की रुपरेखा को बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया है। यह योजना बीएचईएल के आंतरिक प्रतिभा पूल के विकास पर केंद्रित है। यह एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करता है जो एक सुदृढ़ नेतृत्व संरचना के निर्माण हेतु आंतरिक प्रतिभा की पहचान, पोषण और संवर्धन हेतु चरणों की रुपरेखा प्रस्तुत करता है।

बीएचईएल में कर्मचारी संतुष्टि और सहभागिता सर्वेक्षण

सभी बीएचईएल कर्मचारियों के लिए एक केंद्रीय रुप से संचालित ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से कर्मचारी संतुष्टि और जुड़ाव सर्वेक्षण (ईएसईएस) ऑनलाइन आयोजित किया गया। कर्मचारी जुड़ाव सर्वेक्षण (गूंज-द इको) एक अनुभवी तृतीय-पक्ष एजेंसी द्वारा संचालित किया गया था जिसका उद्देश्य कर्मचारियों की प्रेरणा, प्रतिबद्धता और उनके कार्य एवं संगठन के प्रति जुड़ाव को समझना था। नाम उजागर न करने और गोपनीयता बनाए रखने के लिए डेटा प्रोसेसिंग के दौरान सर्वेक्षण प्रतिभागियों की पहचान गुप्त रखी गई थी।

सर्वेक्षण के माध्यम से विकास के लिए पहचाने गए अवसरों को समुचित जांच के बाद संरचित तरीके से या तो नीतिगत समर्थन के माध्यम से या परिचालन ढांचे में सुधार के माध्यम से संबोधित किया जाएगा ।

कंपनी अधिनियम की धारा 134 (3)(P) के तहत प्रकटीकरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(p) के अनुसार, किसी सूचीबद्ध कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट में बोर्ड, व्यक्तिगत निदेशकों आदि के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन के तरीके को दर्शाने वाला एक विवरण शामिल होगा। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने 5 जून, 2015 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों से सरकारी कंपनियों को छूट की अधिसूचना जारी की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि यदि निदेशकों का मूल्यांकन मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जो कंपनी का प्रशासनिक प्रभारी है और अपनी स्वयं की मूल्यांकन पद्धति के अनुसार ऐसा करता है पर औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन विवरण के संबंध में धारा 134(3)(p) सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होगी । इसके अलावा, उपरोक्त छूटों के अनुरुप, नियुक्ति, प्रदर्शन मूल्यांकन और पारिश्रमिक के संबंध में धारा 178 की उप-धारा (2), (3) और (4) सरकारी कंपनियों के निदेशकों पर लागू नहीं होंगी।

किसी CPSE में, कंपनी और भारत सरकार (GoI) के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU) उन मानदंडों और पहलों का विवरण देता है जिन्हें कंपनी को उस वित्तीय वर्ष के दौरान पूरा करना आवश्यक होता है। इस समझौता ज्ञापन का मूल्यांकन वर्ष के अंत में भारत सरकार द्वारा किया जाता है और निर्दिष्ट मानदंडों पर उसके प्रदर्शन के आधार पर BHEL को एक प्रदर्शन रेटिंग प्रदान की जाती है। इसके अलावा, CMD और कार्यात्मक निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए एक सुनिर्धारित प्रक्रिया है। लोक उद्यम विभाग (DPE) ने कार्यात्मक निदेशकों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए एक प्रारुप तैयार किया है और एक प्रक्रिया निर्धारित की है। नियुक्ति की शर्तों और नियमों के अनुसार कार्यात्मक निदेशकों का कार्यकाल पाँच वर्ष या उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि, जो भी पहले हो, तक होता है।

बोर्ड स्तरीय समितियों के कार्य-विषयों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है। बोर्ड स्तरीय समितियों के कार्यवृत्त बोर्ड के अवलोकनार्थ उसके समक्ष रखे जाते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और उनका कार्यकाल (सामान्यतः तीन वर्ष) भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है। हालाँकि, भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई), बीएचईएल के प्रशासनिक मंत्रालय की दिनांक 28.03.2025 की अधिसूचना के अनुसार, बीएचईएल के बोर्ड में दो नए स्वतंत्र निदेशकों को एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। डीपीई, एमएचआई के माध्यम से, कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों के कार्य-निष्पादन का समय-समय पर मूल्यांकन/आकलन करता रहा है।

1.8.3 औद्योगिक संबंध

"सभी की भागीदारी" कंपनी की औद्योगिक संबंध यात्रा का मार्गदर्शक सिद्धांत है। कार्यबल के प्रत्येक वर्ग के साथ खुले और निरंतर संचार की नीति के माध्यम से इस सिद्धांत को कायम रखा जाता है। विविध कर्मचारी समूहों के साथ सक्रिय रुप से जुड़कर और एक सहभागी संस्कृति को बढ़ावा देकर, कंपनी ने एक सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंध वातावरण विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

वर्ष के दौरान, बीएचईएल की विनिर्माण इकाइयों, प्रभागों और कार्यालयों में सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण औद्योगिक संबंध दर्ज किए गए। कंपनी की नीतियों के विरुद्ध हड़ताल के कारण वर्ष के दौरान एक भी मानव-दिवस का नुकसान नहीं हुआ, जो प्रबंधन और कर्मचारी समूहों द्वारा कंपनी के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संयुक्त रुप से कार्य करने के लिए किए गए ठोस प्रयासों का प्रमाण है।

सहभागी संस्कृति को बढ़ावा देने की बीएचईएल की प्रतिबद्धता के अनुरुप, वर्ष के दौरान शीर्ष स्तरीय द्विपक्षीय मंच, 'बीएचईएल के लिए संयुक्त समिति' की दो बैठकें आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त, सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक विशेष बैठक बुलाई गई, जिसमें इकाइयों की सीमित भागीदारी थी। विनिर्माण इकाइयों में, बीएचईएल में 39 'प्लांट काउंसिल' बैठकें और 620 'शॉप काउंसिल' बैठकें आयोजित की गईं। इन मंचों ने कंपनी के समग्र प्रदर्शन को बढ़ाने की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया - उत्पादकता, गुणवत्ता, सुरक्षा, समय पर वितरण और लागत में कमी के उपायों पर जोर दिया, जिसका उद्देश्य बीएचईएल की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना था। इन सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से, बीएचईएल सतत विकास, बेहतर प्रतिस्पर्धात्मकता और लाभप्रदता की दिशा में काम करना जारी रखे हुए है। जिससे इसके कर्मचारियों सहित हितधारकों को मूल्य प्राप्त हो रहा है।

1.8.4 जनशक्ति

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार बीएचईएल की कुल जनशक्ति 27,800 है, जिसमें 10,375 कार्यपालक, 4,093 पर्यवेक्षक और 13,332 कामगार शामिल हैं।

1.8.5 राष्ट्रपति के निर्देशों की स्थिति

वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान (क) आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षण नीति (ख) कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में कोई राष्ट्रपति निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

1.8.5.1 आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षण नीति पर निर्देश

केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आरक्षण नीति संबंधी राष्ट्रपति के निर्देशों में सीधी भर्ती और विशिष्ट पदों पर पदोन्नति में और विशिष्ट आरक्षित वर्ग, अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजनों (PwD) के उम्मीदवारों के लिए कुछ प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। इसके अलावा, इन निर्देशों में सीधी भर्ती और पदोन्नति में विशिष्ट श्रेणी के कर्मचारियों के लिए कुछ रियायतों और छूटों का भी प्रावधान है। इस विषय पर राष्ट्रपति के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है और सरकार द्वारा निर्धारित पद आधारित रोस्टर प्रणाली के रखरखाव के माध्यम से आरक्षण प्रतिशत सुनिश्चित किया जा रहा है। हालाँकि, इन दिशानिर्देशों का कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है।

इस विषय पर अन्य प्रासंगिक जानकारी नीचे दी गई है:

i. **एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व**

31 दिसंबर, 2024 तक कुल जनशक्ति में एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचारियों का समग्र प्रतिनिधित्व एससी, एसटी और ओबीसी के लिए क्रमशः 20.74%, 7.57% और 38.46% था।

31 दिसंबर, 2024 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व और कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला निर्धारित प्रारूप में वार्षिक विवरण **अनुलग्नक-1ए** में दिया गया है।

ii. **31 दिसंबर, 2024 तक दिव्यांग कर्मचारियों की जनशक्ति**

31 दिसंबर, 2024 तक दिव्यांग कर्मचारियों की कुल संख्या 815 थी। वर्ष 2024 के दौरान, दिव्यांग श्रेणी में 06 कर्मचारियों की भर्ती की गई। 31 दिसंबर, 2024 तक कंपनी में दिव्यांग कर्मचारियों की समूहवार जनशक्ति **अनुलग्नक-1बी** में दी गई है।

1.8.5.2 कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने तथा यौन उत्पीड़न की शिकायतों की रोकथाम और निवारण तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" नामक अधिनियम, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) नियम, 2013" नामक नियमों की अधिसूचना के साथ 9 दिसंबर, 2013 से लागू हो गया है।

अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। अधिनियम के अनुसार, बीएचईएल की सभी इकाइयों में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है और उनके संविधान और संपर्क विवरण इकाई की वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं। अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों, नियोक्ता के कर्तव्यों, शिकायत निवारण तंत्र, दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के लिए कार्रवाई और यौन उत्पीड़न के बारे में विभिन्न भ्रांतियों को उजागर करने वाले पोस्टर सभी इकाइयों में हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किए गए हैं। अधिनियम के तहत कंपनियों को आईसीसी के लिए सालाना अभिविन्यास सत्र या प्रशिक्षण आयोजित करने की आवश्यकता होती है। आईसीसी के पास महिलाओं की शिकायतों के निवारण के लिए ज्ञान और संवेदनशीलता होनी चाहिए। यह न केवल कानूनी रूप से बल्कि कार्यस्थल सुरक्षा के लिए भी अनिवार्य है। अधिनियम के अनुरूप, अखिल बीएचईएल आधार पर आईसीसी सदस्यों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इकाई स्तर पर, यौन उत्पीड़न अधिनियम और लैंगिक संवेदनशीलता पर 46 कार्यशालाएँ/जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

वर्ष 2024-25 के दौरान 5 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 4 का निपटारा कर दिया गया है। 01 अप्रैल, 2025 तक 1 मामला लंबित है।

बीएचईएल रानीपेट में फैन रोटर असेंबली में कार्यरत महिला कामगार

अनुलग्नक – 1A

31 दिसंबर, 2024 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व और कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान की गई नियुक्तियों को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

ग्रुप	अ.जाति/अ. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग का प्रतिनिधित्व (31 दिसंबर, 2024 तक)					कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या											
						सीधी भर्ती द्वारा					पदोन्नति द्वारा*			प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा			
	कर्मचारियों की कुल सं.	EWS	SCs	STs	OBCs	कुल	EWS	SCs	STs	OBCs	कुल	SCs	STs	कुल	SCs	STs	OBCs
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ग्रुप A	11730	21	2169	992	3446	154	15	24	11	40				0	0	0	0
ग्रुप B	2786	0	547	354	695	0	0	0	0	0				0	0	0	0
ग्रुप C	13430	8	3075	773	6599	73	8	9	6	30	---- लागू नहीं ----			0	0	0	0
ग्रुप D (Excl. SW)	61	0	9	3	36	0	0	0	0	0				0	0	0	0
ग्रुप D (SW)	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
कुल	**28019**	**29**	**5812**	**2122**	**10776**	**227**	**23**	**33**	**17**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* बीएचईएल में पदोन्नति द्वारा प्रवेशन स्तर पर कोई नियुक्ति नहीं होती है।

अनुलग्नक – 1B

31 दिसंबर, 2024 तक दिव्यांगजनों के प्रतिनिधित्व और कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान की गई नियुक्तियों को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

ग्रुप	कर्मचारियों की कुल सं.				सीधी भर्ती							पदोन्नति *						
	कर्मचारियों की कुल सं.	VH	HH	OH	आरक्षित रिक्तियों की संख्या			कुल	की गई नियुक्तियों की संख्या			आरक्षित रिक्तियों की संख्या			कुल	की गई नियुक्तियों की संख्या		
					VH	HH	OH		VH	HH	OH	VH	HH	OH		VH	HH	OH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ग्रुप A	11730	3	16	325	0	0	4	4	0	0	4							
ग्रुप B	2786	2	4	79	0	0	0	0	0	0	0							
ग्रुप C	13430	16	26	342	0	0	2	2	0	0	2	--------------लागू नहीं-----------						
ग्रुप D	73	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0							
कुल	**28019**	**22**	**46**	**747**	**0**	**0**	**6**	**6**	**0**	**0**	**6**							

नोट:

(i) VH वीएच का अर्थ है दृष्टिबाधित (अंधेपन या कम दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति)

(ii) HH का अर्थ है श्रवण बाधित (श्रवण बाधित व्यक्ति)

(iii) OH का अर्थ है अस्थि विकलांग (चलन संबंधी विकलांगता या मस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित व्यक्ति)

* बीएचईएल में पदोन्नति द्वारा प्रवेशन स्तर पर कोई नियुक्ति नहीं होती है।

1.9 देश के लिए क्षमता निर्माण

बीएचईएल देश के लिए इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षमता निर्माण में एक प्रमुख योगदानकर्ता है। कंपनी द्वारा पूंजीगत वस्तु योजना चरण II के अंतर्गत भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) के सहयोग से निम्नलिखित पहल की जा रही है:

- कंपनी ने वेल्डिंग तकनीक में कौशल विकास के लिए डब्ल्यूआरआई त्रिची में एक "कॉमन इंजीनियरिंग फैसिलिटी सेंटर (सीईएफसी)" की स्थापना की है, साथ ही बीएचईएल की वाराणसी, रानीपेट, भोपाल, झांसी और हरिद्वार इकाइयों में अपने विस्तार केंद्रों की भी स्थापना की है। 31 मार्च, 2025 तक, इन सुविधाओं ने देश भर में 7,500 से अधिक वेल्डरों को प्रशिक्षित किया है।
- कंपनी ने अपनी हैदराबाद इकाई में पंपों के लिए एक परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की है। यह प्रयोगशाला देश में अपनी तरह की अनूठी प्रयोगशाला होगी और उच्च प्रवाह और उच्च तापमान परीक्षण की अनुमति देगी, जो पहले केवल विदेशों में ही किए जाते थे।
- कंपनी ने हैदराबाद स्थित अपने कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) केंद्र में औद्योगिक प्रक्रियाओं से संबंधित हार्डवेयर इन द लूप (एचआईएल) और सॉफ्टवेयर इन द लूप (एसआईएल) दोनों कार्यात्मकताओं वाली एक परीक्षण सुविधा स्थापित की है। इससे उद्योगों को विभिन्न चरणों में डिज़ाइनों की जाँच करने में मदद मिलेगी और स्टार्ट-अप्स/एमएसएमई/प्रसंस्करण उद्योगों/रक्षा प्रतिष्ठानों को सरकार के मेक इन इंडिया अभियान के अनुरूप नए डिज़ाइन विकसित करने और उनके प्रदर्शन का परीक्षण करने में सहायता मिलेगी।
- कंपनी ने अपनी भोपाल इकाई में एक ही छत के नीचे रासायनिक, विद्युत और यांत्रिक गुणों के परीक्षण हेतु सुविधाओं से युक्त एक अत्याधुनिक एनएबीएल मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशाला विकसित करने के लिए मौजूदा तकनीकी सेवा प्रभाग प्रयोगशाला की परीक्षण सुविधाओं का विस्तार किया है। यह प्रयोगशाला रणनीतिक रूप से मध्य भारत में स्थित है और विशेष रूप से पूंजीगत वस्तु उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करेगी।

1.10 सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुरूप, बीएचईएल पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने की दिशा में काम करता है। कॉर्पोरेट कार्यालय में एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ), एक नोडल अधिकारी और प्रत्येक प्रमुख प्रशासनिक इकाई में 25 अन्य सीपीआईओ काम कर रहे हैं। 25 प्रथम अपीलीय प्राधिकारी भी कंपनी में सीपीआईओ के आदेशों के खिलाफ दायर पहली अपील का निपटारा करने के लिए कार्य करते हैं, जैसा कि अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया है। नागरिकों को अपने आरटीआई आवेदन और पहली अपील ऑनलाइन दाखिल करने में सुविधा प्रदान करने के उपाय के रूप में, बीएचईएल ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन आरटीआई वेब पोर्टल (https://rtionline.gov.in) को अपनाया है। धारा 4(1) (ख) के अंतर्गत प्रकटीकरण बीएचईएल की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने और आरटीआई प्रथम अपील दायर करने की प्रक्रिया दर्शाने वाले कुछ दिशानिर्देश और प्रपत्र बीएचईएल की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और अन्य आंतरिक हितधारकों को प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के माध्यम से अधिनियम के अंतर्गत उनके दायित्वों के प्रति जागरुक किया जाता है। सार्वजनिक उद्यम स्थायी सम्मेलन (स्कोप) द्वारा गठित आरटीआई पर संचालन समिति का सदस्य होने के नाते, बीएचईएल स्कोप द्वारा आयोजित आरटीआई मामलों से संबंधित बैठकों और चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेता है। केंद्रीय सूचना आयोग को तिमाही आरटीआई रिटर्न समय पर प्रस्तुत किए गए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, 550 आवेदन और 95 अपीलें ऑनलाइन प्राप्त हुईं, और 480 आवेदन और 86 अपीलों का निपटारा किया गया।

1.11 जोखिम और चिंताएँ

बीएचईएल के व्यावसायिक परिचालन में वित्तीय, परिचालन, क्षेत्रीय, तकनीकी अप्रचलन, ईएसजी विशिष्ट, साइबर सुरक्षा, उभरती व्यावसायिक गतिशीलता, परियोजना समयसीमा को पूरा करने और प्रतिकूल परिस्थितियों में ऑन-साइट उत्पाद/सेवा सहायता प्रदान करने में चुनौतियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के आंतरिक और बाह्य जोखिम शामिल हैं।

बीएचईएल ने जोखिम के प्रति सचेत तरीके से कारोबार का संचालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के भीतर एक कुशल और प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया की आवश्यकता की पहचान की है।

कंपनी ने एक संरचित और व्यापक उद्यम जोखिम प्रबंधन प्रणाली लागू करने के लिए एक जोखिम प्रबंधन चार्टर और नीति लागू की है। इस चार्टर का उद्देश्य जोखिमों की पहचान, आकलन, प्रतिक्रिया, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए एक सामान्य समझ, भाषा और कार्यप्रणाली स्थापित करना है।

इससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रमुख जोखिमों की सही पहचान की जा रही है, प्रबंधन को समय पर सूचित किया जा रहा है और उनका प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जा रहा है। जोखिम पहचान की प्रक्रिया कंपनी के विकास उद्देश्यों, बाहरी वातावरण, उद्योग रिपोर्टों के साथ-साथ आंतरिक और बाहरी हितधारकों आदि द्वारा सचेत रूप

जोखिम प्रबंधन-संगठनात्मक ढ़ाँचा

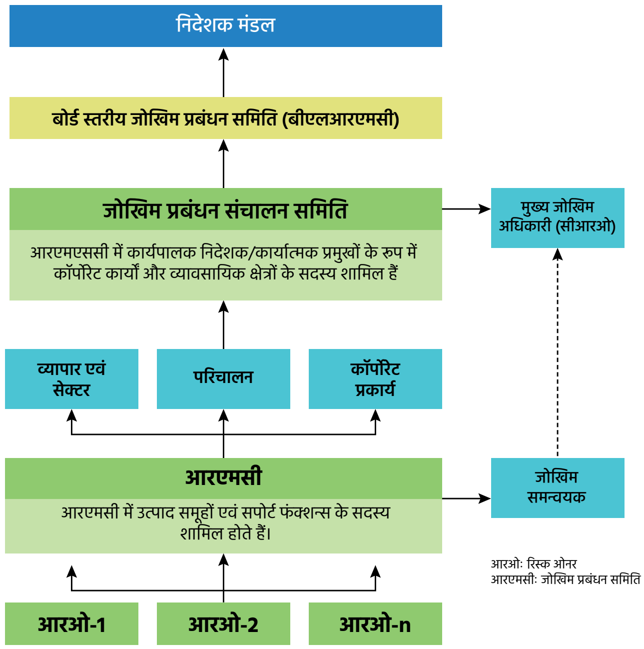

आरओः रिस्क ओनर
आरएमसीः जोखिम प्रबंधन समिति

से निर्देशित होती है।

कंपनी के सामने आने वाले प्रमुख जोखिम इस प्रकार हैं:

1. **डिलीवरी:** परियोजनाओं की देरी से डिलीवरी से एलडी, दंड, ग्राहक असंतोष होता है और कंपनी की छवि प्रभावित होती है।
2. **तरलता जोखिम:** बढ़ते देनदारों के कारण तरलता की उच्च मांग।
3. **सामग्री लागत:** प्रत्यक्ष सामग्री लागत में वृद्धि से लाभप्रदता प्रभावित हो रही है।
4. **साइबर सुरक्षा:** ऑनलाइन डेटा और सूचना सुरक्षा भंग होने से हानि और महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना का विघटन हो सकता है।
5. **प्रौद्योगिकी की उपलब्धता:** वर्तमान/भविष्य की बाजार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकियों की अनुपलब्धता।
6. **ऑर्डर बुकिंग:** ऑर्डर बुकिंग में कमी और गैर-कोयला आधारित व्यवसाय के लिए प्रतिस्पर्धा में वृद्धि।

उपर्युक्त छह चिन्हित प्रमुख जोखिमों के विरुद्ध शमन उपाय लागू हैं।

1.12 डेटा और साइबर सुरक्षा

कंपनी ने बीएचईएल को साइबर खतरों से बचाने और अपनी आईटी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए उन्नत सुरक्षा उपाय लागू किए हैं। अगली पीढ़ी के फायरवॉल, घुसपैठ रोकथाम प्रणाली (आईपीएस), जीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस (जेडटीएनए), नेटवर्क प्राइवेट एक्सेस (एनपीए), सुरक्षित ईमेल गेटवे आदि सहित परिधि सुरक्षा जैसे कुछ उपाय लागू किए गए हैं। महत्वपूर्ण आईटी सेवाओं तक पहुँच अब बहु-कारक प्रमाणीकरण के माध्यम से उपलब्ध है, जिससे नेटवर्क और डेटा सुरक्षा को बढ़ाने में मदद मिली है।

इसके अलावा, एंडपॉइंट डिटेक्शन और रिस्पांस (EDR) क्षमताओं वाला एक केंद्रीकृत एंडपॉइंट सुरक्षा समाधान पूरे संगठन में लागू किया गया है। इस समाधान में एंटी-बॉट, थ्रेट हंटिंग, एंटी-रैंसमवेयर और कंप्लायंस जैसी उन्नत सुविधाएँ शामिल हैं।

बीएचईएल में एक केंद्रीकृत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी) कार्यरत है, जो उपयोगकर्ता और इकाई व्यवहार विश्लेषण (यूईबीए), सुरक्षा ऑर्केस्ट्रेशन स्वचालन और प्रतिक्रिया (एसओएआर), और वेब एप्लिकेशन फ़ायरवॉल (डब्ल्यूएएफ) जैसी उन्नत कार्यक्षमताओं से सुसज्जित है। यह एसओसी चौबीसों घंटे विभिन्न उपकरणों से सुरक्षा लॉग की निगरानी करता है और एनसीआईआईपीसी, सीईआरटी-इन और तृतीय-पक्ष एजेंसियों से प्राप्त खतरे की खुफिया जानकारी के साथ एकीकृत है। एसओसी में एक 24x7 हेल्पडेस्क साइबर सुरक्षा और एंडपॉइंट से संबंधित समस्याओं का तुरंत समाधान करता है।

किसी भी साइबर हमले से तुरंत निपटने और उससे उबरने के लिए एक साइबर संकट प्रबंधन योजना लागू है। संगठन की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए पेशेवर बाहरी एजेंसियों द्वारा सभी इंटरनेट-आधारित एप्लिकेशन, उपकरणों और सर्वरों की गहन सुरक्षा समीक्षा की जाती है। इन समीक्षाओं से प्राप्त सुझावों और टिप्पणियों पर उचित रूप से विचार किया जाता है।

सभी इंटरनेट-आधारित अनुप्रयोगों और उपकरणों का त्रैमासिक प्रवेश परीक्षण CERT-In की एक पैनलबद्ध एजेंसी द्वारा किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पहचानी गई किसी भी कमज़ोरी को तुरंत दूर किया जाए। BHEL, CERT-In, NCIIPC और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है और संगठन की साइबर सुरक्षा स्थिति को बेहतर बनाने के लिए उनसे प्राप्त किसी भी जानकारी पर तुरंत कार्रवाई करता है।

बीएचईएल ने आईएसओ/आईईसी 27001 मानक के अनुसार 2005 से सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) का अपना प्रमाणन बनाए रखा है। वर्तमान में, बीएचईएल आईएसओ/आईईसी 27001 मानक के नवीनतम संस्करण, अर्थात् आईएसओ/आईईसी 27001:2022, में परिवर्तन की प्रक्रिया में है। बीएचईएल उभरते खतरों के अनुरूप अपनी साइबर सुरक्षा स्थिति को बनाए रखने और उन्नत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के

निदेशक मंडल की ओर से

के. सदाशिव मूर्ति

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25 जुलाई, 2025

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक-II कॉर्पोरेट अभिशासन

2.1 कॉर्पोरेट अभिशासन पर हमारी धारणा

बीएचईएल एक सुदृढ़ कॉर्पोरेट अभिशासन ढाँचे के अंतर्गत कार्य करता है, जो अभिशासन की गुणवत्ता, प्रकटीकरण में पारदर्शिता, हितधारकों के मूल्य में निरंतर वृद्धि और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। बीएचईएल कॉर्पोरेट अभिशासन की बुनियादी और नियामक आवश्यकताओं से आगे बढ़ने का प्रयास करता है, और अपने शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं और समग्र समाज का विश्वास निर्माण करने पर निरंतर ध्यान केंद्रित करता है। कंपनी का कॉर्पोरेट अभिशासन ढाँचा पारदर्शिता, प्रकटीकरण, स्वतंत्र निगरानी और सभी के प्रति, विशेष रुप से अल्पसंख्यक शेयरधारकों के प्रति निष्पक्षता की आधारशिला पर आधारित है।

इसके अलावा, कंपनी कॉर्पोरेट अभिशासन प्रक्रियाओं और आचार संहिताओं के अनुपालन में अपना व्यवसाय संचालित करने में विश्वास रखती है, जिससे बीएचईएल शेयरधारकों को दीर्घकालिक लाभ, ग्राहकों को अनुकूल परिणाम, कर्मचारियों को आकर्षक अवसर, आपूर्तिकर्ताओं को कंपनी की प्रगति में भागीदार बनने का अवसर और समाज की समृद्धि प्रदान करने में सक्षम हो पाता है। आचार संहिताएँ बीएचईएल कॉर्पोरेट वेबसाइट (**www.bhel.com**) पर 'निवेशक संबंध' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

बीएचईएल को 'वित्तीय रिपोर्टिंग 2023-24 में उत्कृष्टता' के लिए प्रतिष्ठित आईसीएआई पुरस्कार मिला

2.2 निदेशक मंडल

i. निदेशक मंडल की संरचना और श्रेणी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार, बीएचईएल एक 'सरकारी कंपनी' है क्योंकि कं पनी की कुल चुकता शेयर पूंजी का 63.17% भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्र सरकार के पास है।

बीएचईएल के निदेशक मंडल की संरचना में निदेशकों का समुचित मिश्रण है, जिनका प्रतिनिधित्व सीएमडी सहित कार्यात्मक निदेशकों द्वारा किया जाता है, तथा गैर-कार्यात्मक निदेशकों का प्रतिनिधित्व सरकार के नामित निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों द्वारा किया जाता है, ताकि निदेशक मंडल की स्वतंत्रता को बनाए रखा जा सके तथा प्रबंधन और नियंत्रण के निदेशक मंडल कार्यों को अलग किया जा सके।

31 मार्च, 2025 तक निदेशक मंडल की संरचना इस प्रकार है:

निदेशकों की श्रेणी	बोर्ड संरचना	31 मार्च, 2025 को वास्तविक संख्या
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1	1
पूर्णकालिक कार्यकारी (कार्यात्मक) निदेशक	5	4
भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अं शकालिक सरकारी निदेशक(सरकारी नामित)	2	2
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	8	3
कुल	**16**	**10**

31 मार्च, 2025 तक, बीएचईएल के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों के पाँच पद और पूर्णकालिक कार्यकारी (कार्यात्मक) निदेशक अर्थात् निदेशक (ई, आर एंड डी) के एक पद रिक्त थे। रिक्तियों को भरने का मामला भारत सरकार के पास विचाराधीन/प्रक्रियाधीन है।

ii. 2024-25 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों और पिछली आम बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति

निदेशक का नाम श्री/श्रीमती	बोर्ड बैठकों की संख्या		अंतिम वार्षिक आम बैठक (22.08.2024 को आयोजित)
	आयोजित	उपस्थित	
कार्यात्मक निदेशक			
के. सदाशिव मूर्ति, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक #	10	10	जी हाँ
जय प्रकाश श्रीवास्तव, निदेशक (ई, आर एंड डी) $ (31 दिसंबर 2024 तक)	8	8	जी हाँ
कृष्ण कुमार ठाकुर, निदेशक (मानव संसाधन)	10	10	जी हाँ
तजिंदर गुप्ता, निदेशक (पावर)	10	10	जी हाँ
सुश्री बाणी वर्मा, निदेशक (आईएस एंड पी) @	10	10	जी हाँ
राजेश कुमार द्विवेदी, निदेशक (वित्त) (19 जून, 2024 से प्रभावी)	7	7	जी हाँ

अंशकालिक सरकारी निदेशक – सरकार द्वारा नामित			
सुश्री आरती भटनागर, विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	10	9	हाँ
विजय मित्तल, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय	10	9	हाँ
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक			
डॉ. के. शिवप्रसाद (1 नवंबर 2024 तक)	8	8	हाँ
डॉ. लेखाश्री सामंतसिंघर (12 अप्रैल, 2024 तक)	-	-	*
रमेश पाटल्या मावस्कर	10	10	हाँ
अशोक आसेरी (29 मार्च 2025 से)	-	-	*
आशीष चतुर्वेदी (29 मार्च, 2025 से)	-	-	*

18 अप्रैल, 2024 से 18 जून, 2024 तक निदेशक (वित्त) के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला।
$ 17 अप्रैल, 2024 तक निदेशक (वित्त) के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला।
@ 1 जनवरी, 2025 से निदेशक (ई, आर एंड डी) के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला।
* यह दर्शाता है कि संबंधित व्यक्ति पिछली वार्षिक आम बैठक की तारीख तक बीएचईएल का निदेशक नहीं थे।

क. 31 मार्च, 2025 तक अन्य कंपनियों में निदेशक पद, समिति सदस्यता और समिति अध्यक्ष पद का विवरण#

निदेशक का नाम श्री	अन्य कंपनियों में निदेशक पदों की संख्या	अन्य कंपनियों में समिति सदस्यता और समिति अध्यक्षता की संख्या*
के. सदाशिव मूर्ति, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	2	-शून्य-
कृष्ण कुमार ठाकुर, निदेशक (मानव संसाधन)	-शून्य-	-शून्य-
तजिंदर गुप्ता, निदेशक (पावर)	1	-शून्य-
सुश्री बानी वर्मा, निदेशक(आईएस एंड पी)	-शून्य-	-शून्य-
राजेश कुमार द्विवेदी, निदेशक (वित्त)	2	लेखापरीक्षा समिति: • अध्यक्षता: 1
सुश्री आरती भटनागर, अंशकालिक सरकारी निदेशक	6	लेखापरीक्षा समिति: • सदस्यता: 1 • अध्यक्षता: 3
विजय मित्तल, अंशकालिक सरकारी निदेशक	5	-शून्य-
रमेश पाटल्या मावस्कर, स्वतंत्र निदेशक	-शून्य-	-शून्य-
अशोक आसेरी, स्वतंत्र निदेशक	-शून्य-	-शून्य-
आशीष चतुर्वेदी, स्वतंत्र निदेशक	3	--शून्य-

*केवल लेखा परीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति की अध्यक्षता/सदस्यता पर विचार किया गया है।
#अन्य कंपनियों में निदेशक पद/समिति सदस्यता निदेशक मंडल के संबंधित निदेशकों से प्राप्त नवीनतम सूचना पर आधारित हैं।

कंपनी का कोई भी निदेशक एक ही समय में बीस (20) से अधिक कंपनियों में निदेशक के रूप में पद धारण नहीं करता है। कंपनी का कोई भी निदेशक दस (10) से अधिक समितियों का सदस्य नहीं है या सभी सूचीबद्ध कंपनियों में पाँच (5) से अधिक समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करता है, जिनमें वह एक निदेशक है।

निदेशकों के बीच आपसी संबंधों का प्रकटीकरण: कोई नही

ख. सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशकों का विवरण और निदेशक पद की श्रेणी

31 मार्च, 2025 तक, निम्नलिखित निदेशक अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद पर थे, जो निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	सूचीबद्ध इकाई का नाम	निदेशक श्रेणी
सुश्री आरती भटनागर, अंशकालिक सरकारी निदेशक	1. एचएमटी लिमिटेड 2. एमएमटीसी लिमिटेड 3. स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	सरकार द्वारा नामित निदेशक
विजय मित्तल, अंशकालिक सरकारी निदेशक	1. एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड 2. वीडॉल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पहले टाइड वाटर ऑयल कंपनी इंडिया लिमिटेड)	सरकार द्वारा नामित निदेशक

iii. आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या, तिथियां

निदेशक मंडल की बैठकें आम तौर पर नई दिल्ली में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं और काफी पहले से इनकी तिथि निर्धारित की जाती है। कंपनी सचिव, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के परामर्श से, प्रत्येक निदेशक को प्रत्येक निदेशक मंडल बैठक की लिखित सूचना भेजते हैं।

निदेशक मंडल के सदस्यों के पास कंपनी की सभी जानकारी तक पहुँच होती है और वे किसी भी मामले को एजेंडा में शामिल करने की सिफारिश करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो आमतौर पर अग्रिम रूप से भेज दिया जाता है। वरिष्ठ प्रबंधन को निदेशक मंडल की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है ताकि चर्चा की जा रही मदों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्रदान की जा सके और/या आवश्यकतानुसार निदेशक मंडल को प्रस्तुतीकरण दिया जा सके। तिमाही परिणामों और एजेंडे में शामिल अन्य मदों की समीक्षा करने के लिए निदेशक मंडल तिमाही में कम से कम एक बैठक करते हैं। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की कुल 10 बैठकें हुईं, जिनका विवरण निम्नलिखित है:

(i) 25 अप्रैल, 2024	(ii) 21 मई, 2024	(iii) 19 जून, 2024
(iv) 9 जुलाई, 2024	(v) 19 जुलाई, 2024	(vi) 31 जुलाई, 2024
(vii) 5 सितंबर, 2024	(viii) 28 अक्तूबर, 2024	(ix) 28 जनवरी, 2025
(x) 10 मार्च, 2025		

निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक के तुरंत बाद बैठक के कार्यवृत्त तैयार किए जाते हैं और सभी निदेशकों को उनकी टिप्पणियों, यदि कोई हो, के लिए परिचालित किए जाते हैं और उसके पश्चात अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। उचित कार्रवाई और लागू करने के लिए स्वीकृत कार्यवृत्त संबंधित विभागों/समूहों को परिचालित किया जाता है।

iv. मुख्य कौशल/ विशेषज्ञता/ क्षमता की सूची

बीएचईएल एक सरकारी कंपनी है, इसलिए इसके निदेशक मंडल के सभी निदेशकों अर्थात कार्यकारी निदेशक, सरकारी नामित निदेशक और स्वतंत्र निदेशकों का चयन और नियुक्ति सरकार द्वारा प्रत्येक श्रेणी के निदेशकों के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। बीएचईएल जिस व्यवसाय क्षेत्र में काम करता है, उसके संदर्भ में निदेशक मंडल के प्रभावी ढंग से काम करने के लिए मुख्य कौशल, विशेषज्ञता और योग्यता की आवश्यकताएं इन निदेशकों के चयन की सरकारी प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग हैं। इसलिए, बीएचईएल का निदेशक मंडल स्वयं किसी भी मुख्य कौशल या कार्य के लिए आवश्यक क्षमता को धारण नहीं करता है । साथ ही, निदेशकों की नियुक्ति भी किसी विशेष कौशल/विशेषज्ञता/योग्यता के लिए नहीं की जाती है।

v. निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व

निदेशक मंडल का कार्य कंपनी की रणनीतिक दिशा की निगरानी करना, कॉर्पोरेट प्रदर्शन की समीक्षा और निगरानी करना, नियामक अनुपालन सुनिश्चित करना और हितधारकों के हितों की रक्षा करना है।

vi. स्वतंत्र निदेशक

स्वतंत्र निदेशक, निदेशक मंडल और समिति की बैठकों में विचार-विमर्श में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा कंपनी को इंजीनियरिंग, वित्त, प्रबंधन, कानून, सार्वजनिक नीति आदि के क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता उपलब्ध कराते हैं।

स्वतंत्र निदेशक, निदेशक मंडल द्वारा गठित महत्वपूर्ण समितियों, जैसे- लेखा परीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति और सीएसआर समिति आदि का हिस्सा हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 और सूचीबद्धता विनियमों के अनुरूप, लेखा परीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है और यह उनसे संबंधित परिभाषित कार्यक्षेत्र के अनुसार कार्य करते हैं।

इसके अतिरिक्त, सीपीएसई के लिए गैर-सरकारी निदेशकों की आदर्शभूमिका और उत्तरदायित्वों पर 28 दिसंबर, 2012 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन के अनुरुप निदेशक मंडल ने स्वतंत्र निदेशकों की एक समिति का गठन किया है। उक्त समिति लिस्टिंग विनियमों और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत स्वतंत्र निदेशकों की संहिता की अपेक्षाओं के अनुरुप है ।

स्वतंत्र निदेशकों के परिचय कार्यक्रम का विवरण कंपनी की वेबसाइट **www.bhel.com** पर वेब लिंक https://www.bhel.com/familiarization-programme-directors पर 'निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम' शीर्षक के अं तर्गत उपलब्ध है। निदेशक मंडल की राय में, स्वतंत्र निदेशक सूचीबद्धता विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र होते हैं।'

स्वतंत्र निदेशक डॉ. लेखाश्री सामंतसिंघर ने 12 अप्रैल, 2024 से बीएचईएल के निदेशक मंडल से अपना इस्तीफा दे दिया है क्योंकि वे ओडिशा से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा, उन्होंने यह भी पुष्टि की कि उनके इस्तीफे के लिए उनके द्वारा बताए गए कारणों के अलावा कोई अन्य ठोस कारण नहीं थे।

vii. निदेशक मंडल के समक्ष रखी गई जानकारियाँ

निदेशक मंडल के समक्ष रखे गए एजेंडे में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- वार्षिक परिचालन योजना और बजट एवं उससे संबंधित अद्यतन सूचना।
- पूंजी बजट और उससे संबंधित अद्यतन सूचना।
- महत्वपूर्णपूंजी निवेश प्रस्ताव
- अधिशेष निधियों का अल्पकालिक निवेश
- मूर्त स्वरुप की सामान्य रुप से व्यवसाय से जुड़े निवेशों,सहयोगी कं पनियों एवं परिसंपत्तियों की बिक्री।
- महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं प्रचलनों में परिवर्तन और उसके कारण।
- कंपनी और उसके परिचालन प्रभागों या व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए तिमाही परिणाम।
- मूर्त विदेशी मुद्रा एक्सपोजर का त्रैमासिक विवरण तथा प्रतिकूल विनिमय दर के मुद्दों को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदम।
- विभिन्न कानूनों के अनुपालन पर त्रैमासिक रिपोर्ट।
- मध्यस्थता मामलों और प्रमुख कानूनी विवादों की स्थिति।
- लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल बैठकों के कार्यवृत्त।
- निदेशक स्तर के एक स्तर नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती से संबंधित सूचना।
- निदेशक मंडल के अनुमोदन की आवश्यकता वाले किसी भी संयुक्त उद्यम या अनुसंधान एवं विकास या प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते का विवरण।
- महत्वपूर्ण श्रमिक समस्याएं और उनके प्रस्तावित समाधान।
- मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध से जुड़ी महत्वपूर्ण गतिविधि जैसे वेतन समझौते पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन आदि।
- निदेशक मंडल द्वारा वांछित मामलों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट।
- कोई भी अनुबंध जिसमें निदेशकों को रुचि हो।
- निदेशकों द्वारा अन्य कम्पनियों में उनके द्वारा अधिगृहीत निदेशक पदों और समिति पदों के बार में रुचि का प्रकटीकरण।
- निदेशक मंडल की बैठक आदि पर सूचीकरण विनियमों, डीपीई दिशानिर्देशों और सचिवीय मानक-1 के अंतर्गत सूचना या अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल को प्रस्तुत किए जाने वाले अन्य मामले ।

निदेशक मंडल ने निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुचारु रूप से दक्षतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया है। निदेशक मंडल स्तर की सभी समितियों के कार्यवृत्त निदेशक मंडल की बैठकों में नोट किए जाते हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ऐसा कोई उदाहरण नहीं था जिसमें निदेशक मंडल की किसी भी ऐसी अनुशंसा को स्वीकार न किया गया हो, जो अनिवार्य रूप से आवश्यक हो ।

viii. नए निदेशकों का चयन

बीएचईएल के अंतर्नियमों के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के माध्यम से, बीएचईएल के निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति करते हैं। बीएचईएल के निदेशक मंडल में प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा दो अंशकालिक निदेशकों को नामित किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति बीएचईएल के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-अधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशकों की नियुक्ति भी करते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों का चयन भारी उद्योग विभाग द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग की खोजबीन समिति के परामर्श से किया जाता है, जिसके पास प्रबंधन, वित्त, इंजीनियरिंग, प्रशासन उद्योग आदि के क्षेत्र में विस्तृत अनुभव रखने वाले विद्वान व्यक्तियों के पैनल की सूची होती है।

ix. सदस्यता अवधि और सेवानिवृत्ति नीति

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए, या उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, की जाती है। अंशकालिक सरकारी निदेशक भारत सरकार के विवेक पर बीएचईएल के बोर्ड में बने रहेंगे। अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों का कार्यकाल प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा तय किया जाता है। सामान्यतः, एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाती है, हालाँकि, एमएचआई ने अपनी अधिसूचना दिनांक 28.03.2025 के माध्यम से बीएचईएल के बोर्ड में एक वर्ष की अवधि के लिए दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की है।

x. आचार संहिता

बीएचईएल ने सूचीकरण विनियमों 2005 समझौते के खंड 49 के अनुरूप "निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता" निर्धारित की है। संहिता को समय-समय पर नियामक ढांचे में बदलाव के अनुरूप संशोधित किया जाता है, जिसमें सूचीकरण विनियमों में बदलाव और व्यापार की गतिशीलता में बदलाव तथा संहिता की मजबूती के लिए अन्य प्रासंगिक प्रावधानों को सम्मिलित करना था। वर्तमान संहिता भी संशोधित सूचीकरण विनियमों के अनुपालन में है।

संहिता में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- सामान्य नैति क अनिवार्यताएँ;
- विशिष्ट व्यावसायिक उत्तरदायित्व; और
- निदेशक मंडल सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए विशिष्ट अतिरिक्त प्रावधान।

संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट **www.bhel.com** पर उपलब्ध है।

xi. निदेशक मंडल का प्रशिक्षण घोषणा पत्र / चार्टर

निदेशक मंडल तथा निदेशकों की व्यक्तिगत भूमिका तथा उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के उद्देश्य से, निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल का एक घोषणा पत्र / चार्टर निर्धारित किया है। घोषणा पत्र / चार्टर बीएचईएल कॉर्पोरेट अभिशासन के उद्देश्यों तथा दृष्टिकोण को भी स्पष्ट करता है।

डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरुप, सूचीबद्धता समझौते और निदेशकों को प्रदान करने के उद्देश्य सेः क) अपने वैधानिक कर्तव्यों के सफल निर्वहन के लिए दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि, ख) भविष्य को समझने तथा रणनीतियों को विकसित करने के लिए व्यावसायिक वातावरण की बेहतर समझ तथा ग) निदेशक मंडल के सदस्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण। इस नीति में सामान्य प्रशिक्षण और कंपनी-विशिष्ट क्षेत्रों पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम, दोनों शामिल हैं। निदेशकों के प्रशिक्षण का विवरण अनुलग्नक-V (व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग) में दिया गया है।

xii. व्यवसायी कंपनी सचिव द्वारा प्रमाण पत्र

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 34 (3) और अनुसूची V पैरा C खंड 10(i) के अनुसार, कंपनी को कंपनी सचिव से प्रमाण पत्र प्राप्त है कि कंपनी निदेशक मंडल के किसी भी निदेशक को सेबी / कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या कि सी ऐसे वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी निदेशक के रूप में नियुक्त या निरंतरता रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। इसे संलग्न कि या गया है। (प्रति संलग्न)

xiii. सीईओ / सीएफओ प्रमाणन

सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 17 (8) के संदर्भ में, वित्तीय विवरणों और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर सीईओ और सीएफओ द्वारा जारी अनुपालन प्रमाणपत्र निदेशक मंडल एवं निदेशक मंडलीय लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखा गया था।

2.3 निदेशक मंडल लेखा परीक्षा समिति

i. विचारार्थ विषय

निदेशक मंडल द्वारा निर्दिष्ट निदेशक मंडल स्तरीय लेखा परीक्षा समिति (बीएलएसी) के विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के साथ-साथ सूचीबद्धता विनियमों की आवश्यकताओं के अनुरुप हैं और निम्नानुसार हैं:

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी और इसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है;
2. कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों की अनुशंसाएं;
3. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान का अनुमोदन;
4. अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करना, विशेष रूप से निम्नलिखित के संदर्भ में:

i. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा 3 के खंड (सी) के संदर्भ में निदेशक मंडल की रिपोर्ट में निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले आवश्यक मामले

ii. लेखांकन नीतियों और पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई हो, और उसके कारण

iii. प्रबंधन द्वारा निर्णय के अभ्यास के आधार पर अनुमानों को शामिल करने वाली प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियाँ;

iv. लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;

v. वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीबद्धता और अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन;

vi. किसी भी संबंधित पक्ष द्वारा लेनदेन का प्रकटीकरण;

vii. लेखापरीक्षा मसौदा रिपोर्ट में योग्यताएं;

5.. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले, प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करना;

6. प्रबंधन के साथ, किसी निर्गम (पब्लिक इश्यू, राइट इश्यू, अधिमान्य इश्यू आदि) के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग/अनुप्रयोग का विवरण, प्रस्ताव दस्तावेज/ प्रॉस्पेक्टस/ नोटिस में उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई निधियों का विवरण तथा सार्वजनिक या अधिकार निर्गम की आय के उपयोग की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की समीक्षा करना तथा इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उचित सिफारिशें करना;

7 लेखा परीक्षक की स्वतंत्रता और निष्पादन, तथा लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना;

8 संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेन-देन का अनुमोदन या कोई बाद का संशोधन;

9. अंतर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश की जांच;
10. इस प्रावधान के लागू होने की तिथि से, होल्डिंग कंपनी द्वारा 100 करोड़ रुपए से अधिक या सहायक कंपनी की परिसम्पत्ति का 10% जो भी कम हो, में मौजूदा ऋण / अग्रिम / निवेश सहित मौजूदा ऋणों / अग्रिमों / निवेशों के उपयोग की समीक्षा करना;
11. कंपनी कारोबार या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहां भी आवश्यक हो;
12. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;
13. प्रबंधन के साथ, वैधानिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना;
14. आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना, यदि कोई हो, जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की स्टाफिंग और वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति शामिल है;
15. किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई;
16. ऐसे मामलों में आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना, जहां धोखाधड़ी या अनियमितता या आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की भौतिक प्रकृति की विफलता का संदेह हो और मामले की रिपोर्ट बोर्ड को देना;
17. लेखापरीक्षा शुरु होने से पहले वैधानिक लेखापरीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा की प्रकृति और दायरे के बारे में चर्चा, साथ ही लेखापरीक्षा के बाद की चर्चा ताकि चिंता के किसी भी क्षेत्र का पता लगाया जा सके;
18. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने की स्थिति में) और लेनदारों को भुगतान में बड़े पैमाने पर चूक के कारणों की जांच करना;
19. व्हिसल ब्लोअर/विजिल तंत्र के कामकाज की समीक्षा करना;
20. आंतरिक लेखापरीक्षा/बोर्ड और/या भारत सरकार द्वारा बीएलएसी को भेजे गए लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की समीक्षा करना तथा भेजे गए मुद्दों पर अपने सुझाव/ मार्गदर्शन/टिप्पणियां प्रदान करना;
21. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के बारे में समय-समय पर सांविधिक लेखा परीक्षकों/आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा;
22. सूचीबद्ध इकाई और उसके शेयरधारकों पर विलय, विभाजन, समामेलन आदि से संबंधित योजनाओं के औचित्य, लागत-लाभ और प्रभाव पर विचार करना और टिप्पणी करना;

23. जहां भी आवश्यक हो, उचित मामलों में बाहरी स्रोतों से पेशेवर सलाह लेना;
24. लेखापरीक्षा समिति निम्नलिखित जानकारी की भी समीक्षा करेगी:
i. वित्तीय स्थिति और परिचालन के परिणामों पर प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण;
ii. महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण;
iii. वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन पत्र/आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्र; और
iv. आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट;
25. कंपनी अधिनियम, सेबी विनियमों और अन्य वैधानिक विनियमों के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तों से संबंधित कोई अन्य कार्य करना।

ii. समिति की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम

लेखा परीक्षा समिति की संरचना लिस्टिंग विनियमों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप है। लेखा परीक्षा समिति की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है। समिति के सदस्यों में वाणिज्य, वित्त, प्रशासन और शासन क्षेत्र में अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठित व्यवसायी शामिल हैं।

समिति का अंतिम पुनर्गठन 29 मार्च, 2025 को किया गया था। वर्ष के दौरान समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

निदेशक का नाम श्री / श्रीमती	समिति में पद	बैठकों की सं.	
		उनके कार्यकाल में आयोजित	उपस्थित
डॉ. के. शिवप्रसाद स्वतंत्र निदेशक (1 नवंबर, 2024 तक)	अध्यक्ष	4	4
रमेश पाटल्या मावस्कर, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (2 नवंबर, 2024 से)	-	-
	सदस्य (1 नवंबर, 2024 तक)	4	4
सुश्री आरती भटनागर, विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, अंशकालिक कर्मचारी निदेशक	सदस्य	4	4
डॉ. लेखाश्री सामंतसिंघर (12 अप्रैल, 2024 तक) स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	-	-
अशोक आसेरी, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (29 मार्च, 2025 से)	-	-

निदेशक (वित्त), निदेशक (आईएस एंड पी) और निदेशक (पावर) स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

आंतरिक लेखापरीक्षा प्रमुख और सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिनिधि लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित सदस्य के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। कंपनी के लेखापरीक्षकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करते समय अपनी बात रखने का अधिकार होगा, लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा।

iii. बैठकें और उपस्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की चार बैठकें 21 मई, 2024, 19 जुलाई, 2024, 31 जुलाई, 2024 और 28 अक्टूबर, 2024 को हुईं। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण ऊपर दी गई तालिका में दिया गया है।

2.4 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

i. पारिश्रमिक नीति

बीएचईएल एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति की शर्तों में बीएचईएल के नियमों के अनुसार कुछ भत्तों और लाभों का निर्धारण शामिल है।.

ii. विचारार्थ विषय

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और पूर्ववर्ती लिस्टिंग समझौते (अब लिस्टिंग विनियम) की आवश्यकताओं के अनुरुप, निदेशक मंडल ने 30 मार्च, 2015 से नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन किया। समिति के विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और लिस्टिंग विनियमों की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। निदेशक मंडल ने 5 सितंबर, 2024 को हुई अपनी बैठक में (i) मानव संसाधन समिति के विचारार्थ विषयों को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषयों के साथ विलय करने और (ii) मानव संसाधन समिति को भंग करने को मंजूरी दी। तदनुसार, 5 सितंबर, 2024 से नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संशोधित विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

1. ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक बनने के लिए योग्य हैं और जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है और उनकी नियुक्ति और हटाने के लिए बोर्ड को सिफारिश करना और बोर्ड, इसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन के प्रभावी मूल्यांकन के तरीके को निर्दिष्ट करना, जिसे या तो बोर्ड द्वारा, नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा या किसी स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा किया जाएगा और इसके कार्यान्वयन और अनुपालन की समीक्षा की जाएगी;
2. निदेशक की अर्हता, सकारात्मक विशेषताओं और स्वतंत्रता का निर्धारण करने के लिए मानदंड तैयार करना और निदेशकों, प्रमुख निर्धारण करने के लिए मानदंड तैयार करना और निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति की बोर्ड को सिफारिश करना
3. स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मंडल के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना;
4. निदेशक मंडल विविधता पर नीति तैयार करना
5. निदेशक मंडल को अपनी सहायक कंपनियों और अन्य सरकारी संगठनों के निदेशक मंडल में बीएचईएल अधिकारियों के नामांकन की सिफारिश करना,

जिन्हें भारी उद्योग मंत्रालय को आगे प्रस्तुत करने से पहले बीएचईएल के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

6. विशिष्ट पारिश्रमिक पैकेज, पेंशन अधिकारों सहित पूर्णकालिक निदेशकों के लिए भत्ते और किसी भी मुआवजे के भुगतान पर कंपनी की नीति का निरीक्षण, जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय नहीं किया गया है;
7. पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कुछ विशेष सुविधाओं को मंजूरी देना जो बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। प्रमुख समूहों के अंतर्गत संक्षेपित व्यक्तिगत निदेशकों के पारिश्रमिक पैकेज के तत्वों की समीक्षा करना, जैसे प्रोत्साहन/लाभ, बोनस, स्टॉक विकल्प, पेंशन आदि;
8. भत्ते और हितलाभ तथा अन्य संबंधित मामलों पर नीतियों को अंतिम रूप देना, जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित नहीं हैं, लेकिन बोर्ड की शक्तियों के अंतर्गत हैं;
9. निष्पादन मानदंडों के आधार पर निश्चित घटक और प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहनों का अनुमोदन;
10. गैर-कार्यकारी निदेशकों को भुगतान करने के मानदंडों को अंतिम रूप देना;
11. स्वतंत्र निदेशकों सहित गैर-कार्यकारी निदेशकों को भुगतान/अनुदानित की जाने वाली फीस/मुआवजा/स्टॉक विकल्प, यदि कोई हो, की सिफारिश निदेशक मंडल/शेयरधारकों को करना;
12. वरिष्ठ प्रबंधन को देय समस्त पारिश्रमिक, चाहे किसी भी रूप में हो, बोर्ड को अनुशंसित करना;
13. बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल और अधिकारियों एवं गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों के बीच इसके वितरण के लिए नीति तय करना;
14. कार्यपालकों की पदोन्नति और पुरस्कार/प्रोत्साहन के संबंध में वर्तमान नीतियों की समीक्षा;
15. बीएचईएल को परिवर्तित/उभरते कारोबारी माहौल के लिए तैयार करने हेतु नीतियों में अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के बदलावों का सुझाव देंना;
16. कंपनी अधिनियम, सेबी विनियमों और अन्य वैधानिक विनियमों के तहत निर्धारित एनआरसी के संदर्भ की शर्तों से संबंधित कोई अन्य कार्य करना।

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल और पारिश्रमिक (स्वतंत्र निदेशकों के लिए बैठक शुल्क को छोड़कर) भी भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। तदनुसार, स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशकों का मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने 5 जून, 2015 की अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को धारा 178(2), (3) और (4) के प्रावधानों से छूट दी है, जिसके तहत निदेशकों की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं, स्वतंत्रता और वार्षिक मूल्यांकन के निर्धारण हेतु मानदंड तैयार करना और निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति बनाना आवश्यक है।

iii. समिति की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम

समिति का अंतिम पुनर्गठन 29 मार्च, 2025 को किया गया था। वर्ष के दौरान समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

निदेशक का नाम श्री / श्रीमती	समिति में पद	बैठकों की सं.	
		उनके कार्यकाल में आयोजित	उपस्थित
डॉ. लेखाश्री सामंतसिंघर (12 अप्रैल, 2024 तक)	अध्यक्ष	-	-
रमेश पाटल्या मावस्कर, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (13 अप्रैल, 2024 से)	2	2
विजय मित्तल, सं. निदे., एमएचआई, अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	2	1
डॉ. के. शिवप्रसाद स्वतंत्र निदेशक (1 नवंबर, 2024 तक)	सदस्य	2	2
अशोक आसेरी, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (29 मार्च, 2025 से)	-	-

निदेशक (मानव संसाधन) स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

iv. बैठकें और उपस्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की दो बैठकें 9 जुलाई, 2024 और 29 अक्टूबर, 2024 को हुईं। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण ऊपर दी गई तालिका में दिया गया है।

v. **वर्ष 2024-25 के दौरान कार्यकारी निदेशकों को किए गए भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है**

(₹ में)

क्रम	निदेशक का नाम श्री/श्रीमती	वेतन	हितलाभ	अन्य लाभ	प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन	कुल	सेवा अनुबंध/ नोटिस अवधि विच्छेद शुल्क
1.	के. सदाशिव मूर्ति, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	47,29,169	13,00,574	4,48,086	91,951	65,69,779	----
2.	जय प्रकाश श्रीवास्तव (ई, आर एंड डी) (31दिसंबर, 2024 तक)	65,35,948	9,70,754	4,53,306	1,39,570	80,99,578	----
3.	कृष्ण कुमार ठाकुर, निदेशक (मा.सं)	40,19,295	10,47,577	3,59,232	19,715	54,45,820	रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के अधीन
4.	तजिंदर गुप्ता, निदेशक (पॉवर)	53,97,573	12,49,584	32,400	17,779	66,97,336	रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के अधीन
5.	सुश्री बानी वर्मा, निदेशक (आईएसएंडपी)	56,27,959	13,02,922	32,400	92,974	70,56,255	रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के अधीन
6.	राजेश कुमार द्विवेदी, निदेशक (वित्त) (जून 19, 2024 से प्रभावी)	34,58,593	9,50,766	3,79,616	72,445	48,61,420	रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के अधीन

vi. **वर्ष 2024-25 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को किए गए भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है:**

(₹ में)

स्वतंत्र निदेशक का नाम श्री / सुश्री	साइटिंग फीस		कुल
	बोर्ड बैठक	समिति की बैठक	
डॉ. के. शि वप्रसाद,	2,40,000	2,60,000	5,00,000
डॉ. लेखाश्री सामंतसिंघर	-	-	-
रमेश पटल्या मावस्कर	3,00,000	3,80,000	6,80,000
अशोक असेरी	-	-	-
आशीष चतुर्वेदी	-	-	-

गैर-कार्यकारी (अंशकालिक) निदेशकों के पारिश्रमिक के मानदंड:

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों को प्रत्येक बोर्ड बैठक के लिए ₹30,000/- और बोर्ड स्तरीय समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹20,000/- की दर से बैठक शुल्क मिलेगा। स्वतंत्र निदेशक स्टॉक विकल्प के हकदार नहीं हैं।

इसके अलावा, सरकार द्वारा नामित निदेशकों को बीएचईएल से कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है।

गैर-कार्यकारी (अंशकालिक) निदेशकों का कंपनी के साथ कोई अन्य वित्तीय लेन-देन नहीं था।

vii. **निदेशकों द्वारा धारित इक्विटी शेयर**

31 मार्च 2025 तक किसी भी निदेशक के पास बीएचईएल में कोई इक्विटी शेयर नहीं था।

कंपनी ने वर्ष 2024-25 के दौरान कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है।

2.5 शेयरधारक समितियां

2.5.1 हितधारक संबंध समिति

i. **संदर्भ की शर्तें**

निदेशक मंडल ने 12 मई, 2014 को कंपनी अधिनियम, 2013 और पूर्ववर्ती सूचीबद्धता समझौते (अब सूचीबद्ध विनियम) की आवश्यकताओं के अनुरूप, शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत निवारण समिति को हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) के रूप में पुनर्गठित किया। समिति के कार्यक्षेत्र कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और लिस्टिंग विनियमों की आवश्यकताओं के अनुरुप हैं और निम्नलिखित हैं:

1. कंपनी के सुरक्षा धारकों की शिकायतों का समाधान, जिसमें शेयरों के हस्तांतरण/प्रेषण, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति न होना, घोषित लाभांश की प्राप्ति न होना, नए/डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी करना, आम बैठकें आदि से संबंधित शिकायतें शामिल हैं;
2. शेयरधारकों द्वारा मताधिकार के प्रभावी प्रयोग के लिए उठाए गए उपायों की समीक्षा करना;
3. रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में कंपनी द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के अनुपालन की समीक्षा करना;
4. दावा न किए गए लाभांश की मात्रा को कम करने और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंट / वार्षिक रिपोर्ट / वैधानिक नोटिस की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा करना;
5. शेयरधारकों, डिबेंचर धारकों और अन्य सुरक्षा धारकों के हितों के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना;
6. कंपनी अधिनियम, सेबी विनियमों और अन्य वैधानिक विनियमों के तहत निर्धारित समिति के संदर्भ की शर्तों से संबंधित कोई अन्य कार्य करना।

ii. समिति की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम

समिति का अंतिम पुनर्गठन 29 मार्च, 2025 को किया गया था। वर्ष के दौरान समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

निदेशक का नाम श्री / सुश्री	पद	बैठकों की संख्या	
		उनके कार्यकाल में आयोजित	उपस्थिति
डॉ. के. शिवप्रसाद, स्वतंत्र निदेशक (1 नवंबर,2024 तक)	अध्यक्ष	3	3
रमेश पटल्या मावस्कर, स्वतंत्र निदेशक,	अध्यक्ष (2 नवंबर, 2024 से प्रभावी और 28 मार्च, 2025 तक)	1	1
	सदस्य (1 नवंबर, 2024 तक) (29 मार्च, 2025 से प्रभावी)	3	3
अशोक असेरी, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (29 मार्च, 2025 से प्रभावी)	-	-
निदेशक (मा.सं)	सदस्य (2 नवंबर, 2024 से प्रभावी)	1	1
निदेशक (आई एस एंड पी)	सदस्य	4	4

मुख्य निवेशक संपर्क अधिकारी (सीआईआरओ) स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

कंपनी सचिव सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसार अनुपालन अधिकारी है।

iii. बैठकें और उपस्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की चार बैठकें 21 मई, 2024, 31 जुलाई, 2024, 28 अक्टूबर, 2024 और 27 जनवरी, 2025 को हुईं। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति / का विवरण ऊपर दी गई तालिका में दिया गया है।

iv. शेयरधारकों की शिकायतों का विवरण

मेसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड (आरटीए) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरधारकों से 2 शिकायतें प्राप्त हुई और 31 मार्च, 2025 तक सभी शिकायतों का निवारण कर दिया गया। रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में कोई शिकायत लंबित नहीं थी।.

2.5.2 शेयर अंतरण समिति

निदेशक मंडल द्वारा शेयर अंतरण समिति का गठन 25 मार्च , 1992 को किया गया। बाद में, निदेशक मंडल ने 1 अगस्त, 2014 से समिति के विचारार्थ विषयों को पुनरीक्षित किया। शेयर अंतरण समिति शेयरों के भौतिक अंतरण, उप-विभाजन, समेकन और शेयर प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी किए जाने से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है और अनुमोदन प्रदान करती है। अंतिम बार शेयर अंतरण समिति का पुनर्गठन 2 सितंबर, 2023 को किया गया था, जिसमें निदेशक (ई, आर एंड डी) को अध्यक्ष के रूप में और निदेशक (मा.सं.) और निदेशक (आईएसएंडपी) को सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

2024-25 के दौरान बैठकें

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयर हस्तांतरण समिति की छह बैठकें 31.07.2024, 18.10.2024, 05.11.2024, 08.01.2025, 12.03.2025 और 27.03.2025 को हुईं। शेयर हस्तांतरण समिति की बैठकों के कार्यवृत्त समय-समय पर निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं।

2.6 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए निदेशक मंडल स्तरीय समिति

i. विचारार्थ विषय

सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, निदेशक मंडल ने सीएसआर गतिविधियों की उचित और आवधिक निगरानी के लिए 25 नवंबर, 2010 को सीएसआर के लिए निदेशक मंडल स्तरीय शीर्ष समिति का गठन किया। समिति को वर्तमान में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए निदेशक मंडल स्तरीय समिति के रूप में नामित किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुरुप, समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

1. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति का निर्माण एवं निदेशक मंडल को संस्तुत करना जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों अथवा विषयों से संबंधित गतिविधियों को शामिल किया जाता है
2. खंड (1) में निर्दिष्ट परियोजनाओं, कार्यक्रमों और गतिविधियों पर किए जाने वाले व्यय की राशि की सिफारिश;
3. समय-समय पर कंपनी के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों की निगरानी करना;
4. भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास पर दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

ii. समिति की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम

समिति का अंतिम पुनर्गठन 2 नवंबर, 2024 को किया गया था। वर्ष के दौरान समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

निदेशक का नाम श्री / सुश्री	पद	बैठकों की संख्या	
		उनके कार्यकाल में आयोजित	उनके कार्यकाल में आयोजित
डॉ. के. शिवप्रसाद, स्वतंत्र निदेशक (1 नवंबर, 2024 तक)	अध्यक्ष	2	2
रमेश पटल्या मावस्कर, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (2 नवंबर, 2024 से प्रभावी और 28 मार्च, 2025 तक)	1	1
निदेशक (मा.सं)	सदस्य	3	3
निदेशक (वित्त)#	सदस्य	3	2

#21 मई, 2024 को आयोजित बैठक के दौरान, सीएमडी निदेशक (वित्त) के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे।

कॉर्पोरेट कार्यालय के प्रमुख (सीएसआर) स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

iii. बैठकें और उपस्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की तीन बैठकें 21 मई, 2024, 28 अक्टूबर, 2024 और 10 मार्च, 2025 को हुईं। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण ऊपर दी गई तालिका में दिया गया है।

2.7 मानव संसाधन समिति

i. विचारार्थ विषय

निदेशक मंडल ने 31 मई, 2006 को विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों पर विचार करने के लिए मानव संसाधन समिति का गठन किया :

a. कार्यपालकों की पदोन्नति और पुरस्कार/प्रोत्साहन के संबंध में वर्तमान नीतियों की समीक्षा।

b. बीएचईएल को परिवर्तित/उभरते कारोबारी माहौल के लिए तैयार करने हेतु नीतियों में अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के बदलावों का सुझाव देना।

ii. समिति की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम

समिति का अंतिम पुनर्गठन 13 अप्रैल, 2024 को किया गया था। 5 सितंबर, 2024 को हुई अपनी बैठक में बोर्ड ने निम्नलिखित को मंज़ूरी दी (i) मानव संसाधन समिति के कार्यक्षेत्र को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के कार्यक्षेत्र में विलय करना और (ii) मानव संसाधन समिति को भंग करना। वर्ष के दौरान (इसके विघटन तक) समिति की संरचना में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

निदेशक का नाम श्री / सुश्री	पद	बैठकों की संख्या	
		उनके कार्यकाल में आयोजित	उनके कार्यकाल में आयोजित
डॉ. लेखाश्री सामंतसिंघर, स्वतंत्र निदेशक (12April, 2024 तक)	अध्यक्ष	-	-
रमेश पटल्या मावस्कर, स्वतंत्र निदेशक,	अध्यक्ष (13 अप्रैल, 2024 से प्रभावी)	1	1
	सदस्य (12 अप्रैल, 2024 तक)	-	-
निदेशक (आईएस एंड पी)	सदस्य	1	1
निदेशक (ई, आर एंड डी)	सदस्य	1	1
निदेशक (मा.सं.)	सदस्य	1	1

कॉर्पोरेट कार्यालय के प्रमुख (मानव संसाधन) स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

iii. बैठकें और उपस्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की एक बैठक 4 सितंबर, 2024 को हुई। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण ऊपर दी गई तालिका में दिया गया है।

2.8 स्वतंत्र निदेशकों की समिति

i. विचारार्थ विषय

सीपीएसई के लिए गैर-आधिकारिक निदेशकों की आदर्श भूमिका और जिम्मेदारियों पर डीपीई के 28 दिसंबर, 2012 के कार्यालय ज्ञापन के अनुरूप, बोर्ड ने स्वतंत्र निदेशकों की एक समिति गठित की, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV और लिस्टिंग विनियमों की आवश्यकताओं के अनुरूप भी है।

ii. समिति की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम

वर्ष के दौरान समिति की संरचना में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

निदेशक का नाम श्री / सुश्री	पद	बैठकों की संख्या	
		उनके कार्यकाल में आयोजित	उनके कार्यकाल में आयोजित
डॉ. के. शिवप्रसाद (1 नवंबर 2024 तक)	अध्यक्ष एवं प्रमुख स्वतंत्र निदेशक	1	1
रमेश पटल्या मावस्कर	प्रमुख स्वतंत्र निदेशक (2 नवंबर, 2024 से प्रभावी)	-	-
	सदस्य (1 नवंबर, 2024 तक)	1	1
डॉ.लेखाश्री सामंतसिंघर (12 अप्रैल, 2024 तक)	सदस्य	-	-
अशोक असेरी (29 मार्च 2025 से)	सदस्य	-	-
आशीष चतुर्वेदी (29 मार्च, 2025 से)	सदस्य	-	-

iii. बैठकें और उपस्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की एक बैठक 5 सितंबर, 2024 को हुई। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण ऊपर दी गई तालिका में दिया गया है।

2.9 बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति

i. विचारार्थ विषय

पूर्ववर्ती सूचीबद्धता समझौते (अब सेबी सूचीबद्धता विनियम) के अनुरुप, निदेशक मंडल ने 14 नवंबर, 2014 को निदेशक मंडल स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया। निदेशक मंडल स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति के विचारार्थ विषय सूचीबद्ध विनियमों की आवश्यकताओं के अनुरुप हैं और निम्नानुसार है:

1. व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना जिसमें निम्नलिखित विषय शामिल होंगे (क) विशेष रुप से वित्तीय, परिचालन, क्षेत्रीय, स्थिरता (विशेष रुप से ईएसजी से संबंधित जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिम या समिति द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य जोखिम सहित सूचीबद्ध इकाई द्वारा सामना किए जाने वाले आंतरिक और बाहरी जोखिमों की पहचान के लिए एक प्रारुप, (ख) पहचाने गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं सहित जोखिम न्यूनीकरण के उपाय, (ग) व्यवसाय निरंतरता योजना;
2. कंपनी के व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त कार्य प्रणाली, प्रक्रियाएं और प्रणालियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना;
3. जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और देखरेख करना, जिसमें जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की उपर्युक्तता का मूल्यांकन करना शामिल है;
4. जोखिम प्रबंधन नीति की समय-समय पर समीक्षा करना, कम से कम दो वर्षों में एक बार, जिसमें उद्योग की बदलती गतिशीलता और विकसित जटिलता पर विचार करना शामिल है;
5. निदेशक मंडल को अपनी चर्चाओं, सिफारिशों और की जाने वाली कार्रवाइयों की प्रकृति और विषय-वस्तु के बारे में सूचित रखना;
6. मुख्य जोखिम अधिकारी (यदि कोई हो) की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तें जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होंगी;
7. किसी भी कर्मचारी से जानकारी प्राप्त करना, बाहरी कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करना और प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना;
8. निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित रुपरेखा के अनुसार, अन्य समितियों के साथ अपनी गतिविधियों का समन्वय करना, जहां ऐसी समितियों की गतिविधियों के साथ कोई ओवरलैप हो;
9. कंपनी अधिनियम, सेबी विनियमों और अन्य वैधानिक विनियमों के तहत निर्धारित समिति के संदर्भ की शर्तों से संबंधित कोई अन्य कार्य करना।

ii. समिति की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम

समिति का अंतिम पुनर्गठन 29 मार्च, 2025 को किया गया था। वर्ष के दौरान समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

निदेशक का नाम श्री / सुश्री	पद	बैठकों की संख्या	
		उनके कार्यकाल में आयोजित	उपस्थित
सुश्री आरती भटनागर, एसएस एवं एफए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, अंशकालिक आधिकारिक निदेशक	अध्यक्ष	2	1#
डॉ. के. शिवप्रसाद, स्वतंत्र निदेशक (1 नवंबर 2024 तक)	सदस्य	1	1
डॉ. लेखाश्री सामंतसिंघर, स्वतंत्र निदेशक (12 अप्रैल, 2024 तक)	सदस्य	-	-
रमेश पटल्या मावस्कर, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (2 नवंबर, 2024 से प्रभावी और 28 मार्च, 2025 तक)	1	1#

निदेशक का नाम श्री / सुश्री	पद	बैठकों की संख्या	
		उनके कार्यकाल में आयोजित	उपस्थित
आशीष चतुर्वेदी, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (29 मार्च, 2025 से)	-	-
निदेशक (ई, आर एंड डी) #	सदस्य	2	1
निदेशक (मा.सं.)	सदस्य	2	2
निदेशक (पॉवर)	सदस्य	2	2
निदेशक (आईएस एंड पी) #	सदस्य	2	2
निदेशक (वित्त)	सदस्य	2	2
अध्यक्ष, जोखिम प्रबंधन संचालन समिति	सदस्य	2	2
प्रमुख जोखिम अधिकारी	सदस्य एवं संयोजक	2	2

#27 जनवरी, 2025 को आयोजित बैठक के दौरान, श्री रमेश पटल्या मावस्कर को सुश्री आरती भटनागर के स्थान पर बैठक का अध्यक्ष चुना गया, जिन्हें अवकाश प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त, निदेशक (आईएस एंड पी) निदेशक (ई, आर एंड डी) के पद का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे।)

iii. बैठकें और उपस्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की दो बैठकें 23 जुलाई, 2024 और 27 जनवरी, 2025 को हुईं। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण ऊपर दी गई तालिका में दिया गया है।

2.10 निदेशक मंडल स्तरीय परियोजना समीक्षा समिति

i. विचारार्थ विषय

निदेशक मंडल स्तरीय परियोजना समीक्षा समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

a) समिति 500 करोड़ रुपये और उससे अधिक के संविदा मूल्य वाली सभी परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा करेगी;

b) समिति देनदारों की आवधिक स्थिति की समीक्षा करेगी

ii. समिति की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम

समिति का अंतिम पुनर्गठन 29 मार्च, 2025 को किया गया था। वर्ष के दौरान समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

निदेशक का नाम श्री / सुश्री	पद	बैठकों की संख्या	
		उनके कार्यकाल में आयोजित	उपस्थित
विजय मित्तल, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय, अंशकालिक सरकारी निदेशक	अध्यक्ष	1	1
डॉ. लेखाश्री सामंतसिंघर, स्वतंत्र निदेशक (12 अप्रैल, 2024 तक)	सदस्य	-	-
रमेश पटल्या मावस्कर, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	1	1
आशीष चतुर्वेदी, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (29 मार्च, 2025 से)	-	-
निदेशक (पॉवर)	सदस्य	1	1
निदेशक (आईएस एंड पी) #	सदस्य	1	1

प्रमुख (पीएस-प्रोजेक्ट मैनेजमेंट) और प्रमुख (प्राप्य प्रबंधन) संबंधित कार्यसूची के लिए समिति के संयोजक हैं। निदेशक (वित्त) को समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। व्यवसायिक क्षेत्रों के प्रमुखों को आवश्यकतानुसार आमंत्रित किया जाता है। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

iii. बैठकें और उपस्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की एक बैठक 14 नवंबर, 2024 को हुई। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण ऊपर दी गई तालिका में दिया गया है।

2.11 मध्यस्थता एवं प्रमुख कानूनी विवाद और वैकल्पिक विवाद समाधान समिति

i. विचारार्थ विषय

समिति के विचारार्थ विषय मध्यस्थता मामलों के साथ-साथ प्रमुख कानूनी विवादों की समीक्षा करना, तत्पश्चात बोर्ड को तदनुसार अवगत कराना तथा बीएचईएल समझौता योजना, 2018 के अंतर्गत मसौदा निपटान समझौते को स्वीकार/अस्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करना है।

ii. समिति की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम

समिति का पिछला पुनर्गठन 29 मार्च, 2025 को किया गया था। वर्ष के दौरान समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

निदेशक का नाम श्री / सुश्री	पद	बैठकों की संख्या	
		उनके कार्यकाल में आयोजित	उपस्थित
डॉ. लेखाश्री सामंतसिंघर, स्वतंत्र निदेशक (12 अप्रैल, 2024 तक)	अध्यक्ष	-	-
रमेश पटल्या मावस्कर, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (13 अप्रैल, 2024 से प्रभावी और 28 मार्च, 2025 तक)	4	4
	सदस्य (12 अप्रैल, 2024 तक)	-	-
आशीष चतुर्वेदी, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (29 मार्च, 2025 से प्रभावी)	-	-
विजय मित्तल, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय, अंशकालिक निदेशक	सदस्य	4	3
निदेशक (आईएस एंड पी)	सदस्य	4	3
निदेशक (पॉवर)	सदस्य	4	4
निदेशक (मा.सं)	सदस्य	4	4

प्रमुख-विधि , कॉर्पोरेट कार्यालय समिति के संयोजक हैं और समिति द्वारा समीक्षा के लिए आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करते हैं।

iii. बैठकें और उपस्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की चार बैठकें 21 मई, 2024, 5 सितंबर, 2024, 29 नवंबर, 2024 और 28 जनवरी, 2025 को हुईं। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण ऊपर दी गई तालिका में दिया गया है।.

2.12 वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों का विवरण, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद से उनमें हुए परिवर्तन शामिल हैं

सेबी लिस्टिंग विनियमन, 2015 के विनियमन 16 (1) (डी) के प्रयोजन के लिए 31 मार्च, 2025 तक बीएचईएल में वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक में निम्नलिखित कर्मचारी शामिल हैं:

नाम (श्रीमती/श्री)	नाम (श्रीमती /श्री)
राजेश कोहली	अरुमोय मुखर्जी*
पंकज रस्तोगी	जगत सिंह*
राजेश प्रताप सिंह सिसोदिया	विनोद जैकब सैम*
के भरणीधर राजा	अजय कुमार वर्मा*
चावली वेंकट राव	राकेश कुमार चौखानी
एस प्रभाकर	अरुणा गुलाटी
एस एम रामनाथन	रविंदर एच टेकचंदानी
एम अरुणमौली देवन	राजेश शर्मा
वाई श्रीनिवास राव	यतींद्र मोहन
प्रवीण किशोर	संजीव श्रीवास्तव
संजीव कुमार रॉय	रिज़वान फैजल सिद्दकी
संजय दयाराम गोस्वामी	अभिषेक श्रीवास्तव
जितेंद्र दास	पार्थसारथी दास
आलोक कुमार सिंघल	सुनील दिवाकर
विनय कुमार बस्सी	एन रमेश कुमार
बेतापुडी श्याम बाबू	कुल भूषण अग्रवाल
के अशोक	स्वपन कुमार भट्टाचार्य
संजय गोयल	संदीप कटारिया
राजीव सिंह	राजीव जैन
राकेश सिंह*	वी के सिंह
गुम्मल्ला सुब्रह्मण्यम *	रंजन कुमार
एम श्रीधर*	डॉ. योगेश आर छाबड़ा
सिबाप्रसाद गंगोपाध्याय *	

*6 जनवरी, 2025 को कंपनी के कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया

2.13 कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक जो वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सेवानिवृत्त हुए, निम्नानुसार हैं::

क्रम	नाम (श्रीमती/ श्री)	सेवानिवृत्ति की तिथि
1	अखिल मेहरोत्रा	24 अप्रैल, 2024
2	ईसादोर मरियाप्रोन	24 मई, 2024
3	वी जे राजासुंदर	24 जून, 2024
4	के रविशंकर	24 अगस्त, 2024
5	अनिल जैन	24 सितंबर, 2024
6	एस जितेंदर रेड्डी	24 नवंबर, 2024
7	राहुल बंसल	24 जनवरी, 2025
8	विनय निगम	24 जनवरी, 2025
9	टी एस मुरली	24 फरवरी, 2025
10	नवीन सक्सेना	24 फरवरी, 2025

मामले की समाप्ति

क्रम	नाम (श्रीमती/ श्री)	सेवानिवृत्ति की तिथि
11	राजीव कुमार गुप्ता*	10 अक्तूबर, 2024

*BEML में बोर्ड स्तर का पद संभाला

श्री राजेश कुमार द्विवेदी, निदेशक (वित्त) को 19 जून, 2024 से कंपनी का मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) नियुक्त किया गया है। श्री के. सदाशिव मूर्ति, सीएमडी के स्थान पर नियुक्त होंगे। जिन्हें पहले 25 अप्रैल, 2024 से सीएफओ नियुक्त किया गया था।

2.14 सामान्य बैठकें

i. पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकों का स्थान और समय:

वर्ष	स्थान	दिनांक	समय
वित्तीय वर्ष 2021-22 (58वीं एजीएम)	बैठकें कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गईं।	29 सितंबर, 2022	10.00 a.m.
वित्तीय वर्ष 2022-23 (59वीं एजीएम)		24 अगस्त, 2023	10.00 a.m.
वित्तीय वर्ष 2023-24 (60वीं एजीएम)		22 अगस्त, 2024	10.00 a.m.

ii. पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकों में पारित विशेष प्रस्तावों का विवरण

सेबी सूचीबद्ध विनियम के विनियम 25(2ए) के प्रावधानों के अनुरूप, 29 सितंबर, 2022 को आयोजित 58वीं वार्षिक सामान्य बैठक में डॉ. राज के. अग्रवाल, डॉ. के. शिवप्रसाद और डॉ. लेखाश्री सामंतसिंघर को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने तथा उसके बाद 24 अगस्त, 2023 को आयोजित 59वीं वार्षिक सामान्य बैठक में श्री रमेश पटल्या को कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने के लिए विशेष प्रस्ताव पारित किए गए।

iii. पोस्टल बैलट (डाक मतपत्र)

पिछले वर्ष डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था। वर्तमान में वित्तवर्ष 2025-26 के दौरान डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

2.15 प्रकटीकरण

i. कंपनी के हितों के विरुद्ध होने की संभावना वाले संबद्ध पक्ष के साथ वास्तविक रूप से महत्त्वपूर्ण लेन-देन का प्रकटीकरण

कंपनी ने किसी भी ऐसे प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध पक्ष के साथ लेनदेन (RPT) नहीं किया है जिसका कंपनी के हितों पर बड़े पैमाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। वार्षिक रिपोर्ट में वित्तीय विवरण 2024-25 के नोट्स में संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन का खुलासा किया गया है।

सामग्री सहायक कंपनियों का निर्धारण करने वाली कंपनी की नीति और संबंधित पार्टी लेन-देन से संबंधित नीति इस लिंक पर उपलब्ध है

https://www.bhel.com/sites/default/files/Policy%20on%20RPTs%2C%20Materiality%20of%20RPTs%20and%20Material%20Subsidiaries.pdf

ii. पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित कंपनी पर लगाए गए गैर-अनुपालन, दंड और प्रतिबंध

पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन का कोई मामला सामने नहीं आया और पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में स्टॉक एक्सचेंजों/सेबी या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई दंड/ सख्ती लागू नहीं की गई।.

हालांकि, कंपनी को एनएसई तथा बीएसई से निदेशक मंडल की संरचना में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या निर्धारित न्यूनतम संख्या से कम होने के संबंध में सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 17(1) के प्रावधान का अनुपालन न होने पर जुर्माना लगाने हेतु नोटिस प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, चूंकि बोर्ड में 02.11.2024 से केवल एक स्वतंत्र निदेशक शामिल था, जिसके परिणामस्वरुप सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 18 और 19 के कुछ खंडों की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं हुआ, जो क्रमशः लेखा परीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना से संबंधित थे, स्टॉक एक्सचेंजों ने 31.12.2024 और 31.03.2025 को समाप्त तिमाही के लिए नोटिस भेजा और इन गैर-अनुपालन के लिए जुर्माना भी लगाया। नोटिस के जवाब में, कंपनी ने एक्सचेंजों को स्पष्ट किया कि स्वतंत्र निदेशकों की संख्या में कमी कंपनी की किसी लापरवाही/चूक के कारण नहीं थी, क्योंकि नियुक्ति उसके नियंत्रण में नहीं है। इसके मद्देनजर, कंपनी ने समय-समय पर एक्सचेंजों से उनकी अलग-अलग (कार्वे-आउट) नीतियों के तहत जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया है, और इन प्रस्तुतियों के अनुसरण में दोनों एक्सचेंजों ने सूचित किया है कि 31.12.2021 तक की तिमाहियों के लिए लगाए गए जुर्माने को माफ करने के बीएचईएल के अनुरोध को मंजूरी दे दी गई है।. स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला भारत सरकार के पास प्रक्रियाधीन है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी को एनएसई और बीएसई से भी नोटिस प्राप्त हुए, जिसमें जनवरी, 2021 में कोविड के दौरान वाणिज्यिक पत्र के मोचन दायित्व के बारे में सूचना दाखिल करने में देरी के संबंध में सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 57(1) का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाया गया था। कोविड के असाधारण समय को देखते हुए जुर्माने से छूट की मांग करने वाली कंपनी के अभ्यावेदन के आधार पर, स्टॉक एक्सचेंजों ने लगाया गया जुर्माना माफ कर दिया।

iii. सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों, सूचीबद्ध कंपनियों और स्टॉक एक्सचेंजों के बीच पूर्ववर्ती लिस्टिंग समझौते और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसरण में, व्हिसल ब्लोअर नीति को निदेशक मंडल द्वारा 12 अगस्त, 2014 को आयोजित अपनी 464वीं बैठक में विधिवत अनुमोदित किया गया था। यह नीति मौजूदा सूचीबद्ध विनियमों के अनुरुप भी है। इसके बाद, सभी कर्मचारियों के सूचनार्थ एक परिपत्र जारी किया गया जिसमें व्हिसल ब्लोअर नीति को अधिसूचित किया गया और सक्षम प्राधिकारी और अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति के संपर्क विवरण को सूचित किया गया।

व्यापक प्रचार के लिए व्हिसल ब्लोअर नीति की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट(www.bhel.com) पर भी उपलब्ध है। सक्षम प्राधिकारी और अध्यक्ष लेखापरीक्षा समिति के पते, संपर्क नंबर और ईमेल पते में परिवर्तन समय-समय पर अधिसूचित किए जा रहे हैं।

व्हिसल ब्लोअर के तहत प्राप्त शिकायतों का कंपनी की व्हिसल ब्लोअर नीति के प्रावधानों के अनुसार निवारण किया जा रहा है। सभी कर्मचारियों को शिकायत करने के लिए नीति के तहत प्रदान की गई व्यवस्था तक पहुँच प्राप्त है।

iv. कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं का अनुपालन, अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन और सूचीबद्ध विनियमों की गैर-अनिवार्य कॉर्पोरेट प्रशासन आवश्यकताओं को अपनाना

सीपीएसई और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं), 2015 के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों की सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2025 तक विधिवत अनुपालन किया गया है, सिवाय अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के। सूचीबद्धता विनियमों के अंतर्गत गैर अनिवार्य अपेक्षाओं के संबंध में, बीएचईएल पहले से ही असंशोधित लेखा परीक्षा राय के साथ वित्तीय विवरणों की व्यवस्था में है। बीएचईएल ने शेयरधारकों को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय प्रदर्शन की घोषणा भी भेजी है, जिसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का सारांश भी शामिल है।

लेखा पुस्तकों में ऐसे किसी भी व्यय को डेबिट नहीं किया गया है जो व्यवसाय के उद्देश्य से न हो और ऐसे किसी भी व्यय को लेखा में नहीं रखा गया है जो व्यक्तिगत प्रकृति का हो और निदेशक मंडल एवं शीर्ष प्रबंधन के लिए किया गया हो। अन्य व्यय (प्रशासनिक और अन्य विविध व्ययों सहित) कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में वर्ष 2024-25 के लिए 6.46% हैं।.

v. राष्ट्रपति के निदेश

पिछले तीन वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कोई राष्ट्रपति निर्देश प्राप्त नहीं हुए।

vi. जोखिम प्रबंधन

सेबी विनियमन, 2015 और उसके संशोधनों तथा सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, बीएचईएल के निदेशक मंडल के सदस्यों को जोखिम मूल्यांकन, न्यूनीकरण और शमन के बारे में सूचित करने के लिए प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन और चार्टर नीति स्थापित की है। चार्टर का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य कंपनी भर में एक सुनियोजित और व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली को लागू करना है जो यह सुनिश्चित करता है कि जोखिमों की उचित पहचान की जा चुकी है और इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जारहा है। जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में जोखिम पहचान, जोखिम निर्धारण, जोखिम मूल्यांकन, जोखिम शमन और नियमित समीक्षा और निगरानी शामिल है। विवरण 'जोखिम और मुद्दे' के खंड 1.11 में हैं।

vii. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण की जानकारी बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा है और यह धारा 1.8.5.2 'कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा' के अनुलग्नक-I के रूप में उपलब्ध है।

viii. विनियमन 32(7ए) के तहत निर्दिष्ट अधिमान आबंटन या योग्य संस्थानों की नियुक्ति के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का उपयोग

शून्य

ix. सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षक और नेटवर्क फर्म /नेटवर्क इकाई, जिसका सांविधिक लेखा परीक्षक एक हिस्सा है, में सभी सस्थांओं को समेकित आधार पर भुगतान की गई सेवाओं के लिए कुल शुल्क

सांविधिक लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान किए गए कुल शुल्क का उल्लेख वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया गया है। 31.03.2025 तक कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है। संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवी) के लेखा परीक्षकों को उनके द्वारा अलग से नियुक्ति जाता है और वे वही लेखा परीक्षक नहीं होते जो बीएचईएल के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण कर रहे हों।

x. उन फर्मों/कंपनियों को ऋण और अग्रिम जिनमें निदेशक हितबद्ध हैं

शून्य

xi. सूचीबद्ध इकाई की वास्तविक सहायक कंपनियों और उनके वैधानिक लेखा परीक्षकों का विवरण

लागू नहीं

xii. कॉर्पोरेट अभिशासन पर अनुपालन प्रमाणपत्र

कॉर्पोरेट अभिशासन पर अनुपालन प्रमाण-पत्र संलग्न है।

2.16 संचार माध्यम

सूचीयन विनियमों के अनुसार, कंपनी उन निदेशक मंडल की बैठकों की अग्रिम सूचना स्टॉक एक्सचेंजों को जारी करती है जिनमें अलेखापरीक्षित/लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार किया जाना होता है। इसके अतिरिक्त, उक्त परिणामों को रिकॉर्ड में लिए जाने/अनुमोदित किए जाने के बाद, वैधानिक समय-सीमा के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाता है। ये अनुमोदित वित्तीय परिणाम बोर्ड बैठक के समापन के 48 घंटे के भीतर पूरे भारत में या लगभग पूरे भारत में प्रसारित होने वाले कम से कम एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में और उस क्षेत्र की भाषा में प्रकाशित एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाते हैं, जहां कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है और कंपनी की वेबसाइट **(www.bhel.com)** पर भी अपलोड किए जाते हैं। शेयरधारकों से संबंधित अन्य जानकारी जैसे निदेशक पद में परिवर्तन, अवैतनिक लाभांश का विवरण, वार्षिक रिपोर्ट आदि भी कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है।

प्रमुख ऑर्डरों की प्राप्ति, प्रमुख परियोजनाओं का प्रारंभ, महत्वपूर्ण सहयोग, अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां आदि जैसे महत्वपूर्ण क्रियाकलापों सहित आधिकारिक समाचार विज्ञाप्तियां स्टॉक एक्सचेंजों को भेजी जाती हैं और साथ ही कंपनी की वेबसाइट पर भी पोस्ट की जाती हैं। तिमाही वित्तीय परिणाम घोषणा के बाद विस्तृत परिणाम दस्तावेज और पूरक जानकारी/प्रस्तुतियां स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइटों के साथ-साथ कंपनी की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाती हैं। इसके अलावा, बीएचईएल वर्चुअल बैठकों, सीधी बातचीत और निवेशक सम्मेलनों के माध्यम से निवेशकों से जुड़ता है। कंपनी के बारे में जानकारी, नवीनतम अपडेट और घोषणा बीएचईएल कॉर्पोरेट वेबसाइट **(www.bhel.com)** पर 'निवेशक संबंध' सेक्शन के अंतर्गत देखी जा सकती है।

सेबी लिस्टिंग विनियमन के विनियम 46 के अनुपालन में, कंपनी अपनी वेबसाइट पर सूचना प्रसारित करती है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों की संरचना, आचार संहिता, आरपीटी से निपटने की नीति, निवेशक शिकायतों आदि को सहायता और निपटाने के लिए जिम्मेदार कंपनी के नामित अधिकारियों की संपर्क जानकारी आदि शामिल है। सेबी लिस्टिंग विनियमन की अनुसूची III के भाग ए के पैराग्राफ ए के खंड 5 ए के अनुसार किसी भी समझौते से संबंधित प्रकटीकरण की कोई आवश्यकता नहीं थी।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की "हरित पहल" के अनुसरण में, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक आम बैठक बुलाने की सूचना उन शेयरधारकों को ईमेल के माध्यम से भेजती है, जिन्होंने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों/आरटीए के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत की है और वार्षिक रिपोर्ट की हार्ड कॉपी का विकल्प नहीं चुना है। इस पहल की निरंतर सफलता के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी ईमेल आईडी अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों/आरटीए के साथ पंजीकृत करें।

2.17 सामान्य शेयरधारक सूचना

	एजीएम तिथि	समय	स्थान
i.	19 अगस्त, 2025	10:00 पूर्वा.	कंपनी 19 सितंबर, 2024 के एमसीए परिपत्र और 5 मई, 2020 के एमसीए परिपत्र के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित कर रही है और इस प्रकार वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय माना जाएगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना देखें।
ii.	वित्तीय वर्ष	01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक	
iii.	रिकॉर्ड की तिथि	शुक्रवार, अगस्त 01, 2025	
iv.	लाभांश भुगतान तिथि	17 सितंबर, 2025 को या इससे पूर्व	

वार्षिक रिटर्न https://www.bhel.com/agm-related

v. लाभांश इतिहास:

बीएचईएल द्वारा भुगतान किए गए लाभांश का विवरण (निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि में अंतरण के लिए देय नहीं) निम्नानुसार है

वर्ष	लाभांश दर	लाभांश की कुल राशि (₹ करोड़ में)	वह तिथि जिस दिन लाभांश घोषित किया गया
2017-2018 (अंतिम)	51%	374.48	19.09.2018
2018-2019 (अंतरिम)	40%	278.57	05.02.2019*
2018-2019 (अंतिम)	60%	417.85	19.09.2019
2021-2022 (अंतिम)	20%	139.28	29.09.2022
2022-2023 (अंतिम)	20%	139.28	24.08.2023
2023-2024(अंतिम)	12.5%	87.05	22.08.2024
2024-2025 (अंतिम)	25%	174.10	**

* निदेशक मंडल की बैठक की तिथि जिसमें अंतरिम लाभांश घोषित किया गया।

** निदेशक मंडल ने 16 मई, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतिम लाभांश की सिफारिश की, जो वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

टिप्पणी:

1) वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, कंपनी ने अपने शेयरधारकों को 03.10.2017 को 1:2 के अनुपात में बोनस इक्विटी शेयर आबंटित किए अर्थात प्रत्येक दो पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों के लिए 2 रुपये का एक पूर्ण प्रदत्त नया बोनस इक्विटी शेयर। परिणामस्वरूप, शेयरों की कुल संख्या 244.76 करोड़ से बढ़कर 367.14 करोड़ हो गई।

2) वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी ने 18,93,36,645 पूरी तरह से चुकता इक्विटी शेयरों का बाय बैक किया, जो रिकॉर्ड तिथि (यानी मंगलवार, 6 नवंबर, 2018) के अनुसार कंपनी के शेयरधारकों से कंपनी की कुल जारी और चुकता इक्विटी शेयर पूँजी का 5.16% है । आनुपातिक आधार पर "निविदा प्रस्ताव" प्रक्रिया के माध्यम से 86 रुपए प्रति इक्विटी शेयर की कीमत पर नकद में देय ₹ 1,628.30 करोड़ के कुल प्रति फल के लिए। परिणामस्वरूप, शेयरों की कुल संख्या 367.14 करोड़ से घटकर 348.21 करोड़ हो गई है।

3) यदि किसी शेयरधारक ने पिछले सात वर्षों में से किसी भी वर्ष लाभांश का दावा/प्राप्त नहीं किया है और उसे अभी तक निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरित नहीं किया गया है, तो वह कंपनी की वेबसाइट (www.bhel.com) पर अपलोड की गई प्रक्रिया का पालन करके इस अवैतनिक लाभांश का दावा कर सकता है। वर्ष 2016-17 (अंतिम), 2017-18 (अंतरिम) के लिए दावा न किए गए लाभांश और बोनस शेयरों के निर्गमन से संबंधित आंशिक शेयरों की दावा न की गई बिक्री आय वर्ष 2024-25 के दौरान पहले ही आईईपीएफ को स्थानांतरित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2017-18 (अंतिम) और 2018-19 (अंतरिम) के लिए दावा न किए गए लाभांश क्रमशः 18.10.2025 और 10.03.2026 को आईईपीएफ को स्थानांतरित किए जाने हैं।

4) आईईपीएफ को हस्तांतरित किए गए लाभांश/शेयरों के संबंध में, शेयरधारक आईईपीएफ प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके आईईपीएफ प्राधिकरण से इसका दावा कर सकते हैं। ये नियम आईईपीएफ की वेबसाइट (www.iepf.gov.in) और कंपनी की वेबसाइट (www.bhel.com) पर उपलब्ध हैं।

vi. क) स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्धता और स्टॉक कोड

बीएचईएल के इक्विटी शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं, जिनके लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान किया गया है:

स्टॉक एक्सचेंज का नाम
1. बीएसई लिमिटेड फ़िरोज़ जीजीभोय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 001
2. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाज़ा , प्लॉट नं. सी/1, ब्लॉक - जी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा जारी वाणिज्यिक पत्र भी बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध हैं।

b) डिपॉजिटरी को वार्षिक कस्टोडियन शुल्क का भुगतान

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एनएसडीएल और सीडीएसएल को वार्षिक कस्टोडियन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

vii. इनसाइडर ट्रेडिंग नीति

बीएचईएल अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखने और ऐसी सूचनाओं के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करता है। इस उद्देश्य से और सेबी (अंदरुनी व्यापार निषेध) विनियम, 1992 के अनुरुप, कंपनी ने 26 अगस्त, 2002 को "अंदरुनी व्यापार निवारण हेतु आचार संहिता" अपनाई थी। सेबी (अंदरुनी व्यापार निषेध) विनियम, 2015 और उसके बाद के संशोधनों के अनुरुप, इस संहिता को समय-समय पर संशोधित किया गया है। नामित व्यक्तियों और उनके निकटतम संबंधियों द्वारा व्यापार के विनियमन एवं रिपोर्टिंग तथा निष्पक्ष प्रकटीकरण हेतु नवीनतम संशोधित बीएचईएल आचार संहिता, जो 01.03.2025 से प्रभावी है, के साथ भी इसमें संशोधन किया गया है। इस संहिता का उद्देश्य नामित व्यक्तियों और नामित व्यक्तियों के निकटतम संबंधियों द्वारा व्यापार का विनियमन, निगरानी और रिपोर्टिंग करना है ताकि सेबी (अंदरुनी व्यापार निषेध) विनियम, 2015 का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। यह संहिता अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील सूचना के निष्पक्ष प्रकटीकरण हेतु प्रथाओं और प्रक्रियाओं का भी प्रावधान करती है। इस संहिता के अंतर्गत, कॉर्पोरेट रणनीतिक प्रबंधन विभाग का प्रमुख, कंपनी का मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी होता है

viii. इक्विटी शेयरों के लिए रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए)

कंपनी ने बीएचईएल के इक्विटी शेयरों (भौतिक और डीमैट दोनों ही प्रकार) से संबंधित सभी मामलों को संभालने के लिए मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड को रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (RTA) नियुक्त किया है। कंपनी के इक्विटी शेयरों से संबंधित सभी मामले जैसे कि समेकन, शेयर प्रमाणपत्रों का खो जाना, हस्तांतरण, डीमैटरियलाइजेशन, लाभांश, पते में परिवर्तन आदि और संबंधित पत्राचार और प्रश्नों को निम्नलिखित पते पर संपर्क किया जा सकता है: -

मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड
यूनिट: भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
4ई/2, अलंकित हाउस, झंडेवालान एक्सटेंशन,
नई दिल्ली-110055
टेलीफ़ोन नंबर: 011-42541234
ईमेल: rta@alankit.com
वेबसाइट: www.alankit.com

(B) वाणिज्यिक पत्रों के लिए रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट

मैसर्स KFIN टेक्नोलॉजी लिमिटेड
सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर-बी,
प्लॉट नं.31 और 32, वित्तीय जिला, नानकरामगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली,
हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना - 500 032
टोल फ्री नं.: 1800 309 4001
ई-मेल: einward.ris@kfintech.com वेबसाइट: www.kfintech.com

शेयरधारकों को सेवा प्रदान करने में आरटीए का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है। निवेशकों की सभी शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया गया है।

ix. शेयर अंतरण पद्धति

भौतिक खंड के अंतर्गत सभी शेयर हस्तांतरण गतिविधियाँ जैसे दस्तावेजों की प्राप्ति/प्रेषण और उनका सत्यापन मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ (चौथा संशोधन) विनियम, 2018 के अनुसार, 01.04.2019 से, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण (संचरण या स्थानांतरण के मामले को छोड़कर) के अनुरोधों पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि प्रतिभूतियों को डीमैट रूप में नहीं रखा जाता है। सूचीकरण विनियमों के अनुरुप, शेयर प्रमाणपत्र/पुष्टि पत्र ट्रांसपोजिशन, ट्रांसमिशन, उप-विभाजन और समेकन के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर जारी किए जा रहे हैं।

x. शेयरधारिता का वितरण

a. होल्डिंग के आकार के अनुसार 31 मार्च, 2025 को शेयरों का वितरण

धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का %	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
1 - 500	2026247	93.14	158793098	4.56
501 - 1000	82075	3.77	62871445	1.81
1001 - 2000	39048	1.79	57036843	1.64
2001 - 3000	11696	0.54	29763044	0.85
3001 - 4000	4740	0.22	16851657	0.48
4001 - 5000	3366	0.15	15761014	0.45
5001 - 10000	4923	0.23	35595825	1.02
10001 और अधिक	3440	0.16	3105390429	89.19
कुल	**2175535**	**100.00**	**3482063355**	**100.00**

b. 31 मार्च, 2025 तक शेयरधारिता पैटर्न

वर्ग	2025		2024	
	शेयरधारिता का प्रतिशत (%)	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत (%)	धारित शेयरों की संख्या
प्रोमोटर्स होल्डिंग				
भारतीय प्रोमोटर्स-				
भारत के राष्ट्रपति (POI)	63.17	2199650402	63.17	2199650402
कुल प्रोमोटर होल्डिंग	**63.17**	**2199650402**	**63.17**	**2199650402**
गैर प्रोमोटर होल्डिंग				
बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कम्पनियाँ, योग्य संस्थागत खरीदार, वैकल्पिक निवेश कोष	10.30	358867677	10.26	357584062
विदेशी संस्थागत निवेश (योग्य विदेशी निवेशक सहित)	7.19	250444508	8.75	304940320
म्यूचल फंड और यूटीआई	6.09	211890398	5.75	200053800
अन्य				
व्यक्तिगत, एचयूएफ, कर्मचारी	12.11	421904848	10.70	372317681
कॉर्पोरेट निकाय	0.51	17630063	0.63	21908106
एनआरआई और विदेशी नागरिक / संस्था	0.50	17388097	0.50	17368702
विन्यास (ट्रस्ट)	0.03	1106220	0.03	1077273
समाशोधन सदस्य	0.04	1319860	0.19	6607282
आईईपीएफ	0.02	627318	0.02	554027
निदेशक एवं संबंधी	0	200	0	200
राज्य सरकार	0	1500	0	1500
केन्द्रीय सरकार	0	7235	0	0
सीमित देयता भागीदारी	0.04	1225029	0	0
कुल गैर प्रवर्तक होल्डिंग	**36.83**	**1282412953**	**36.83**	**1282412953**
कुल योग	**100**	**3482063355**	**100**	**3482063355**

c. शेयरधारकों की सूची जिनके पास कंपनी की 1% से अधिक हिस्सेदारी है 31 मार्च, 2025 तक (PAN आधारित)

श्रेणी एवं शेयरधारकों के नाम	31 मार्च, 2025	
	मतदान संख्या	धारित शेयरों की सं.
प्रोमोटर्स		
भारत के राष्ट्रपति	63.17	2199650402
गैर प्रोमोटर्स		
भारतीय जीवन बीमा निगम	6.72	233921477
निप्पोन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लि.	2.47	85945391
एनपीएस ट्रस्ट	1.04	36353246

xi. शेयरों और लिक्विडिटी का विभौतिकीकरण (डीमैटीरियलाइजेशन)

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय निदेशक मंडल (सेबी) के निर्देशों के अनुसार, सभी श्रेणी के निवेशकों द्वारा डीमैट रूप में बीएचईएल शेयरों का व्यापार 5 अप्रैल, 1999 से अनिवार्य कर दिया गया है। बीएचईएल ने अपनी प्रतिभूतियों को डीमैट मोड के तहत स्वीकार करने के लिए देश की दोनों डिपॉजिटरीज अर्थात नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ समझौता किया है। 31 मार्च, 2025 तक, बीएचईएल की कुल इक्विटी शेयर पूंजी का 99.98% (एनएसडीएल: 92.71%, सीडीएसएल: 7.27%) शेयरधारकों द्वारा डीमैट मोड में रखा जा रहा है। शेयरधारकों द्वारा भौतिक रुप में रखे गए शेयर 0.02% हैं। भारत के माननीय राष्ट्रपति (कंपनी के प्रमोटर होने के नाते, कंपनी की चुकता शेयर पूंजी का 63.17% हिस्सा रखते हैं) की शेयरधारिता भी डीमैट रूप में है। कंपनी को आवंटित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन) INE257A01026 है। कंपनी के पास कोई डीमैट सस्पेंस खाता/अदावाकृत सस्पेंस खाता नहीं है।

xii. निदेशक एवं अधिकारी तथा अन्य बीमा पॉलिसियाँ

कंपनी ने निदेशकों एवं अधिकारियों के लिए देयता बीमा लिया है, जिसमें कानूनी देयता (कंपनी के मामलों के प्रबंधन के संबंध में) को कवर किया गया है, ताकि उन्हें दिए गए नुकसान या लागत तथा संबंधित लागतों एवं खर्चों का भुगतान किया जा सके।

इसके अलावा, बीएचईएल ने (क) कंपनी के हितों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए डुप्लिकेट प्रतिभूतियों के जारी करने से संबंधित आवश्यकताओं और (ख) निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, हस्तांतरण और वापसी) नियम, 2016 के नियम 7 के तहत सत्यापन रिपोर्ट के संबंध में दावों से उत्पन्न जोखिम के लिए विशेष आकस्मिक बीमा पॉलिसियां ली हैं।

xiii. बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव

शून्य

xiv. चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त क्रेडिट रेटिंग की सूची निदेशक मंडल की मुख्य रिपोर्ट में प्रकट की गई है।

xv. विदेशी मुद्रा जोखिम या कमोडिटी मूल्य जोखिम और हेजिंग गतिविधियाँ

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान हेजिंग गतिविधियाँ/लेनदेन बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति के अनुरूप हैं।

वर्ष भर सूचीबद्ध इकाई का कमोडिटी और कमोडिटी जोखिमों के प्रति जोखिम:

a) सूचीबद्ध इकाई का कमोडिटीज में कुल निवेश (रुपये में): 4,163 करोड़ (लगभग)

b) सूचीबद्ध इकाई का विभिन्न वस्तुओं के प्रति जोखिम:

वस्तु का नाम	किसी विशेष वस्तु के प्रति निवेश (रुपये में) (₹ करोड़ में लगभग)	विशेष वस्तु के प्रति मात्रा के संदर्भ में जोखिम (मीट्रिक टन में) (लगभग)	कमोडिटी डेरिवेटिव्स के माध्यम से हेज किए गए जोखिम का %				
			घरेलू बाज़ार		अंतराष्ट्रीय बाजार		कुल
			ओटीसी	एक्सचेंज	ओटीसी	एक्सचेंज	
स्टील	3201	461808			-		
ताँबा	787	8443			-		
एल्युमीनियम	148	4954			-		
निकिल	18	120			-		
टिन	8	30			-		

c) स्टील, तांबा, एल्युमीनियम आदि जैसी प्रमुख औद्योगिक वस्तुओं की खरीद, विभिन्न बीएचईएल इकाइयों की आवश्यकताओं को यथासंभव पूरा करके, तथा प्रत्येक तिमाही में कीमतों की जानकारी प्राप्त करके, चिन्हित इकाइयों में से एक द्वारा केन्द्रीय रूप से की जा रही है, ताकि मूल्य लाभ प्राप्त किया जा सके तथा कंपनी को मूल्य में उतार-चढ़ाव से बचाया जा सके। इसके अलावा, उपयुक्त पीवीसी के साथ रुपरेखा समझौतों को समय-समय पर अंतिम रूप दिया जाता है। इसके अलावा, इस्पात से शुरु होकर, प्रमुख वस्तुओं की केंद्रीय खरीद के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय में एक एकीकृत खरीद प्रकोष्ठ (यूपीसी) की स्थापना की गई है, जो वस्तुओं की खरीद लागत को कम करने के सभी पहलुओं पर ध्यान देता है।

xvi. प्लांट अवस्थिति

बीएचईएल की विनिर्माण इकाइयाँ	
बेंगलूरु	1. इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन (ईडीएन)
	2. इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिवीजन (ईएसडी)
	3. सोलर बिजनेस डिवीजन (एसबीडी)
भोपाल	4. हेवी इलेक्ट्रिकल प्लांट (एचईपी)
गोइंदवाल	5. औद्योगिक वाल्व संयत्र (आईवीपी)
हरिद्वार	6. हेवी इलेक्ट्रिलक्स इक्विपमेंट प्लांट(एचईईपी)
	7. सेंट्रल फाउंड्री फोर्ज प्लांट (सीएफएफपी)
हैदराबाद	8. हेवी पॉवर इक्विपमेंट प्लांट (एचपीईपी)
जगदीशपुर	9. फेब्रीकेशन, स्टेंपिंग एंड इंसूलेटर प्लांट (एफएसआईपी)
झांसी	10. ट्रांसफार्मर प्लांट (टीपी)
रुद्रपुर	11. कंपोनेंट फेब्रीकेशन प्लांट (सीएफपी)
रानीपेट	12. बॉयलर ऑक्जलरी प्लांट (बीएपी)
तिरुचिरापल्ली	13. हाई प्रेशर बॉयलर प्लांट (एचपीबीपी)
	14. सीमलेस स्टील ट्यूब प्लांट (एसएसटीपी)
तिरुमयम	15. पॉवर प्लांट पाइपिंग यूनिट (पीपीपीयू)
विशाखापट्टनम	16. हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स प्लांट (एचपीवीपी)
बीएचईएल – मरम्मत इकाइयाँ	
मुंबई	1. इलेक्ट्रिकल मशीन रिपेयर प्लांट (ईएमआरपी)
वाराणसी	2. हेवी इक्विपमेंट रिपेयर प्लांट (एचईआरपी)

xvii. पत्राचार का पता

शेयरधारक कंपनी के शेयरों से संबंधित अपने प्रश्न और कोई अन्य पत्राचार निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं:

मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड

यूनिट: बीएचईएल

4ई/2, अलंकित हाउस झंडेवालान एक्सटेंशन
नई दिल्ली – 110055
फोन: 011-42541234
ईमेल: rta@alankit.com

या

डॉ. योगेश आर छाबड़ा
कंपनी सचिव
फोन: 011-66337474, 011-26001046
ईमेल: shareholderquery@bhel.in
बीएचईएल पंजीकृत कार्यालय:
बीएचईएल हाउस,सीरी फोर्ट, नई दिल्ली – 110 049

नोट: इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को सभी पत्राचार करना चाहिए।

घोषणा: सूचीबध विनियमों के अनुसार, यह घोषित किया जाता है कि सभी निदेशक मंडल सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बीएचईएल की "व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता" के अनुपालन की पुष्टि की है।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
के निदेशक मंडल की ओर से

के. सदाशिव मूर्ति
अध्यक्ष एवं प्रंबध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25 जुलाई 2025

P. P. AGARWAL & CO.
Company Secretaries

Awarded as the
Best Secretarial Audit Report 2021

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

(pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause 10(i) of the
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

To,
The Members of
Bharat Heavy Electricals Limited
BHEL House, Siri Fort, New Delhi-110049

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of **Bharat Heavy Electricals Limited** having CIN: L74899DL1964GOI004281 and having registered office at BHEL House, Siri Fort, New Delhi-110049 (hereinafter referred to as 'the Company'), produced before us by the Company for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para C clause 10(i) of the Securities & Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications {including Directors Identification Number (DIN) status at the portal www.mca.gov.in} as considered necessary and explanations furnished to us by the Company & its Directors/ officers, we hereby certify that none of the Directors on the Board of the Company as stated below for the Financial Year ending on **31st March, 2025** have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the Securities & Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any such other Statutory Authority:

Sr. No.	Name of Director (as per DIN)	DIN	Date of appointment in Company
1.	Koppu Sadashiv Murthy	09184201	01.11.2023
2.	Arti Bhatnagar	10065528	14.02.2023
3.	Vijay Mittal	09548096	25.03.2022
4.	Ramesh Patlya Mawaskar	10194932	08.06.2023
5.	Ashok Kumar Aseri	09405164	29.03.2025
6.	Aashish Chaturvedi	00534621	29.03.2025
7.	Krishna Kumar Thakur	10172666	04.07.2023
8.	Tajinder Gupta	10327530	20.09.2023
9.	Bani Varma	10337787	09.10.2023
10.	Rajesh Kumar Dwivedi	10048893	19.06.2024

Ensuring the eligibility of the appointment/ continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For **P. P. AGARWAL & CO.**
Company Secretaries

PRAMOD PRASAD AGARWAL
Digitally signed by PRAMOD PRASAD AGARWAL
Date: 2025.04.30 10:10:56 +05'30'

Place: New Delhi
Date: 30-04-2025

(Pramod Prasad Agarwal)
Proprietor
C.P. No. 10566, FCS: 4955
Peer Review no.1241/2021
UDIN: F004955G000234833

C-154, LGF, East of Kailash, New Delhi 110065
E-mail: fcs.ppa@gmail.com, Tel: 011-35541587

AKHIL ROHATGI & COMPANY
Company Secretaries
21, Shamnath Marg, Civil Lines, Delhi – 110054
Phone : 9810690633, 8527087435
Email : rohatgi_co_secy@yahoo.co.in
csdelhi84@gmail.com
GST No: 07ABTFA2714K1Z7

CERTIFICATE ON COMPLIANCE OF CONDITIONS OF CORPORATE GOVERNANCE

To,
The Members,
Bharat Heavy Electricals Limited
BHEL House, Siri Fort, New Delhi-110049

We have examined the compliance of conditions of corporate governance by Bharat Heavy Electricals Limited ("BHEL"/ "the Company") having CIN: L74899DL1964GOI004281, for the year ended March 31, 2025, as stipulated in the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (SEBI Listing Regulations) and Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Government of India.

The compliance of conditions of corporate governance is the responsibility of the management of the Company. Our examination has been limited to review of procedures and implementations thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of corporate governance as stipulated in the said Regulations and Guidelines. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Company has complied with all the applicable conditions of corporate governance as stipulated in the SEBI Listing Regulations and DPE Guidelines on Corporate Governance during FY 2024-25 except that:

1) During the period under review, the number of independent directors on the Board were less than half of the total strength of the Board as required under Regulation 17(1) of the SEBI Listing Regulations and Para 3.1.4 of the DPE Guidelines on Corporate Governance. Further, the Company did not have an independent woman director as also required under Regulation 17 (1) during the time period 13.04.2024 to 31.03.2025; and

2) During the time period 02.11.2024 to 28.03.2025, composition of Audit Committee and Nomination & Remuneration Committee were not in accordance with Regulations 18 (1) & (2) and 19 respectively of the SEBI Listing Regulations and Paras 4.1.1 & 4.4 and 5.1 respectively of the DPE Guidelines on Corporate Governance, due to only one independent director on the Board of the Company.

The Company has explained that BHEL, being a Government Company, all the directors are appointed by the President of India, acting through administrative ministry and as such appointment of requisite number of independent directors is beyond the control of the Company. Further, the Company has been in constant communication with its administrative ministry requesting for appointment of independent directors on its Board so as to ensure compliance with corporate governance norms enunciated under the SEBI Listing Regulations and DPE Guidelines on Corporate Governance. With effect from 29.03.2025, two independent directors were appointed on the Board and the Audit

DEEPAK KUMAR Digitally signed by DEEPAK KUMAR Date: 2025.05.29 16:07:51 +05'30'

AKHIL ROHATGI & COMPANY
Company Secretaries
21, Shamnath Marg, Civil Lines, Delhi – 110054
Phone : 9810690633, 8527087435
Email : rohatgi_co_secy@yahoo.co.in
csdelhi84@gmail.com
GST No: 07ABTFA2714K1Z7

Committee and Nomination & Remuneration Committee were also reconstituted in compliance with the requirements of the SEBI Listing Regulations and DPE Guidelines on Corporate Governance.

We further state that such compliance certificate is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Company.

For Akhil Rohatgi & Co.
Company Secretaries

DEEPAK KUMAR Digitally signed by DEEPAK KUMAR Date: 2025.05.29 16:08:05 +05'30'

CS Deepak Kumar
FCS: 10189, COP:11372
ICSI Unique Regn Code No: P1995DE072900
Peer Review No.1152/2021
UDIN No: F010189G000481154

Place: Delhi
Date: 29.05.2025

AKHIL ROHATGI & COMPANY
Company Secretaries
21, Shamnath Marg, Civil Lines, Delhi – 110054
Phone : 9810690633, 8527087435
Email : rohatgi_co_secy@yahoo.co.in
csdelhi84@gmail.com
GST No: 07ABTFA2714K1Z7

Secretarial Audit Report
for the Financial Year ended on 31st March 2025
[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members,
Bharat Heavy Electricals Limited
BHEL House, Siri Fort,
New Delhi-110049

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by Bharat Heavy Electricals Limited (CIN: L74899DL1964GOI004281) (hereinafter called 'BHEL'/ 'the Company'). Secretarial audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/ statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records or registers maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on **31st March 2025,** complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the financial year ended on **31st March 2025** according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 ('the Act') and the rules made thereunder;
(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;
(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
(iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;
(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-

    (a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

DEEPAK KUMAR

Digitally signed by DEEPAK KUMAR
DN: c=IN, o=Personal,
pseudonym=ovS5blba6JNTBWLTamG28VYkLDAVziEq,
2.5.4.20=ff19ef25382771208c3154097cd34466dd4bcadfb238e349929b55d20fe6e014,
postalCode=110062, st=Delhi,
serialNumber=8ef6cc4e1920902a497755cfc7face4a7b63a8278686f87fcb5d66fe8b7b1a9a, cn=DEEPAK KUMAR
Date: 2025.06.11 11:02:54 +05'30'

AKHIL ROHATGI & COMPANY
Company Secretaries
21, Shamnath Marg, Civil Lines, Delhi – 110054
Phone : 9810690633, 8527087435
Email : rohatgi_co_secy@yahoo.co.in
csdelhi84@gmail.com
GST No: 07ABTFA2714K1Z7

(b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
(c) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations');
(d) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018; [Not applicable on the Company during the audit period];
(e) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021; [Not applicable on the Company during the audit period];
(f) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-convertible Securities) Regulations, 2021;
(g) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Shares Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client; [The Company was not engaged in the activities relating to Registrar to an Issue and was also not acting as Share Transfer Agent, Hence the aforesaid Regulations were not applicable to the Company during the audit period];
(h) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021; [Not applicable on the Company during the audit period];
(i) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018; [Not applicable on the Company during the audit period];

(vi) Other labour, environment and specific applicable Acts/ Laws to the Company for which secretarial audit was conducted including as listed below (being verified on the basis of periodic certificate under internal compliance system submitted to the Board of Directors of the Company):
(a) Factories Act, 1948 and other Labour Laws (to the extent as applicable);
(b) Right to Information Act, 2005;
(c) Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013;
(d) Atomic Energy (Radiation Protection) Rules, 2004;
(e) Batteries (Management and Handling) Rules, 2001;
(f) Indian Boilers Act, 1923; and
(g) Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemical Rules, 1989.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:
a. Mandatory Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI); and
b. Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Government of India;

DEEPAK KUMAR
Digitally signed by DEEPAK KUMAR
DN: c=IN, o=Personal, pseudonym=ovS5blba6JNTBWLTamG28VYkLDAVziEq, 2.5.4.20=ff19ef25382771208c3154097cd34466dd4bcadfb238e349929b55d20fe6e014, postalCode=110062, st=Delhi, serialNumber=8ef6cc4e1920902a497755cfc7face4a7b63a8278686f87fcb5d66fe8b7b1a9a, cn=DEEPAK KUMAR
Date: 2025.06.11 11:03:11 +05'30'

AKHIL ROHATGI & COMPANY
Company Secretaries
21, Shamnath Marg, Civil Lines, Delhi – 110054
Phone : 9810690633, 8527087435
Email : rohatgi_co_secy@yahoo.co.in
csdelhi84@gmail.com
GST No: 07ABTFA2714K1Z7

We have not examined the applicable financial laws, like direct and indirect tax laws, since the same have been subject to review by statutory financial audit and other designated professionals.

We report that during the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. as mentioned above except that:

1) During the period under review, the number of independent directors on the Board of the Company was less than half of the total strength of the Board as required under Regulation 17(1) of the SEBI Listing Regulations, Para 3.1.4 of the DPE Guidelines on Corporate Governance and Section 149 (4) of the Companies Act, 2013. Further, the Company did not have an independent woman director during the time period 13.04.2024 to 31.03.2025 as required under Regulation 17 (1) of the SEBI Listing Regulations and Section 149(1) of the Companies Act, 2013; and
2) During the time period from 02.11.2024 to 28.03.2025, composition of the Audit Committee and Nomination & Remuneration Committee were not in accordance with Regulations 18 (1) & (2) and 19 respectively of the SEBI Listing Regulations, Paras 4.1.1 & 4.4 and 5.1 respectively of the DPE Guidelines on Corporate Governance and Sections 177(2) and 178 (1) respectively of the Companies Act, 2013, due to only one independent director remaining on the Board of the Company during the said period.

The Company has explained that BHEL, being a Government Company, all the directors are appointed by the President of India, acting through administrative ministry and as such appointment of requisite number of independent directors is beyond the control of the Company. Further, the Company has been in constant communication with its administrative ministry requesting for appointment of independent directors on its Board so as to ensure compliance with corporate governance norms enunciated under the SEBI Listing Regulations, DPE Guidelines on Corporate Governance and Companies Act, 2013. With effect from 29.03.2025, two independent directors were appointed on the Board and the Audit Committee and Nomination & Remuneration Committee were also reconstituted in compliance with the legal provisions.

We further report that:

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors and Non-Executive Directors. However, as mentioned above, the company did not have requisite number of independent directors on its Board during the period under review. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Generally, adequate notice is given to all directors to schedule the Board & Committee meetings as per the statutory provisions and agenda & detailed notes on agenda were sent atleast seven days in advance, except those which were sent at shorter notice, were taken up after obtaining requisite permission as required under Secretarial Standard-1 of ICSI. Further,

DEEPAK KUMAR

Digitally signed by DEEPAK KUMAR
DN: c=IN, o=Personal, pseudonym=ovS5blba6JNTBWLTamG28VYkLDAVziEq, 2.5.4.20=ff19ef25382771208c3154097cd34466dd4bcadfb238e349929b55d20fe6e014, postalCode=110062, st=Delhi, serialNumber=8ef6cc4e1920902a497755cfc7face4a7b63a8278686f87fcb5d66fe8b7b1a9a, cn=DEEPAK KUMAR

AKHIL ROHATGI & COMPANY
Company Secretaries
21, Shamnath Marg, Civil Lines, Delhi – 110054
Phone : 9810690633, 8527087435
Email : rohatgi_co_secy@yahoo.co.in
csdelhi84@gmail.com
GST No: 07ABTFA2714K1Z7

a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

All decisions made at the Board and Committee meetings were carried out unanimously as recorded in the minutes of the meetings of the Board of Directors or respective Committee of the Board, as the case may be.

There was no prosecution initiated during the year under review against/ on the Company, its Directors and Officers. However, during the year under review, BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited each have issued notices to the Company for non-compliance of Regulation 17 (1) of the SEBI Listing Regulations during FY 2024-25 in respect of non-appointment of requisite numbers of independent directors and non-compliance of Regulations 18 (1) & (2) and 19 of the SEBI Listing Regulations for the period from 02.11.2024 to 28.03.2025 pertaining to constitution of the Audit Committee and Nomination & Remuneration Committee. In response to the notices, the Company has clarified to the Exchanges that the shortfall in independent directors was not due to any negligence/ default of the Company, as the appointment is not within its control. In view thereof, the Company has requested the Exchanges to waive-off the fine under their carve-out policies.

We further report that based on the information received and records maintained, there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with other applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period, no specific events/ actions having a major bearing on the Company's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc. has occurred in the Company.

For Akhil Rohatgi & Co.
Company Secretaries

DEEPAK
KUMAR

Digitally signed by DEEPAK KUMAR
DN: c=IN, o=Personal,
pseudonym=ovS5blba6JNTBWLTamG28VYkLDAVziEq,
2.5.4.20=ff19ef25382771208c3154097cd34466dd4bcadfb238e349929b55d20fe6e014,
postalCode=110062, st=Delhi,
serialNumber=8ef6cc4e1920902a497755cfc7face4a7b63a8278686f87fcb5d66fe8b7b1a9a, cn=DEEPAK KUMAR
Date: 2025.06.11 11:03:34 +05'30'

CS Deepak Kumar
FCS: 10189, COP:11372
Peer Review No. 6826/2025

Place: New Delhi
Date: 11/06/2025

ICSI Unique Firm Regn No: P1995DE072900
UDIN No: F010189G000576997

[Note: This report is to be read with our letter of even date which is annexed as **"Annexure-A"** and forms an integral part of this report].

AKHIL ROHATGI & COMPANY
Company Secretaries
21, Shamnath Marg, Civil Lines, Delhi – 110054
Phone : 9810690633, 8527087435
Email : rohatgi_co_secy@yahoo.co.in
csdelhi84@gmail.com
GST No: 07ABTFA2714K1Z7

To, **Annexure –"A"**

The Members,
Bharat Heavy Electricals Limited
BHEL House, Siri Fort,
New Delhi-110049

Our report of even date is to be read along with this letter as under:

1) Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records, based on our audit.

2) We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices we followed, provide a reasonable basis for our opinion.

3) We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and books of accounts of the Company.

4) Wherever required, we have obtained the management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

5) The compliance of the provisions of corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.

6) The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the company.

For Akhil Rohatgi & Co.
Company Secretaries

DEEPAK KUMAR

Digitally signed by DEEPAK KUMAR
DN: c=IN, o=Personal, pseudonym=ovS5blba6JNTBWLTamG28VYkLDAVziEq, 2.5.4.20=ff19ef25382771208c3154097cd34466dd4bcadfb238e349929b55d20fe6e014, postalCode=110062, st=Delhi, serialNumber=8ef6cc4e1920902a497755cfc7face4a7b63a8278686f87fcb5d66fe8b7b1a9a, cn=DEEPAK KUMAR
Date: 2025.06.11 11:03:45 +05'30'

CS Deepak Kumar
FCS: 10189, COP:11372
Peer Review No. 6826/2025
ICSI Unique Firm Regn No: P1995DE072900
UDIN No: F010189G000576997

Place: New Delhi
Date: 11/06/2025

अनुलग्नक – III: निदेशक मंडल रिपोर्ट:

सीईओ और सीएफओ प्रमाणपत्र

(सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 17(8) के अनुसार)

To,

The Board of Directors
Bharat Heavy Electricals Ltd.,
New Delhi.

(a) We have reviewed Financial Statements and the Cash Flow statement of Bharat Heavy Electricals Ltd for the year ended 31st March, 2025 and that to the best of our knowledge and belief:

   (i) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

   (ii) These statements together present a true and fair view of the Company's affairs and are in compliance with the applicable Ind AS, laws and regulations.

(b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the company during the year 2024-25 which are fraudulent, illegal or violative of the Company's Code of Conduct.

(c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Company pertaining to financial reporting and we have disclosed to the Auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

(d) We have indicated to the Auditors and to the Audit Committee.

   (i) Significant changes, if any, in internal control over financial reporting during the year 2024-25;

   (ii) Significant changes, if any, in the accounting policies during the year 2024-25 and the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

   (iii) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the company's internal control system over financial reporting.

(Rajesh Kumar Dwivedi)
Director (Finance) & CFO

(K. Sadashiv Murthy)
Chairman & Managing Director

Place: New Delhi
Date: 16.05.2025

बहु-विषयक प्रतिभाओं से संपन्न

9000+
तकनीकी स्नातक
शक्ति का सृजन
प्रगति को गति

1300+
प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर
उन्नत तकनीकी

1600+
एमबीए/पीजीडीएम
रणनीतिक व्यवसाय में नेतृत्व

50+
पीएचडी
नवाचार को गति

600+
वित्त पेशेवर
सीए, आईसीडब्ल्यूए, सीएस

- अनुभवी एवं प्रतिभाशाली कार्यबल-**औसत आयु 43 वर्ष** और **औसत अनुभव 17 वर्ष**
- **100+ डॉक्टर** और **30+विधि अधिकारी**

संधारणीयता,
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व तथा स्वास्थ्य,
संरक्षा एवं पर्यावरण

बीएचईएल अपनी हरिद्वार और झांसी इकाईयों में स्थित स्कूलों के संचालन और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान कर रहा है।

बोर्ड रिपोर्ट अनुलग्नक-IV

स्थायित्व, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और एचएसई

4.1 स्थायित्व प्रदर्शन - पर्यावरणीय

वैश्विक व्यावसायिक परिवेश की बदलती गतिशीलता ने स्थायित्व को एक वैकल्पिक पहल की जगह एक रणनीतिक आवश्यकता के रूप में स्थापित कर दिया है। बीएचईएल के लिए, स्थायित्व परिचालन संरचना में गहराई से समाया हुआ है, जो योजना, कार्यान्वयन और निर्णय लेने के हर स्तर को प्रभावित करता है।

बीएचईएल जलवायु उत्तरदायित्व और पर्यावरणीय प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी बना हुआ है और कंपनी के पारिस्थितिक पदचिह्न को कम करने और सकारात्मक सामाजिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए निरंतर वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप कार्य कर रहा है। यह खंड पर्यावरणीय स्थिरता के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के लिए प्रमुख पहलों और उपलब्धियों का सारांश प्रस्तुत करता है।

4.1.1 सामग्री और प्राकृतिक संसाधनों का ज़िम्मेदारी से उपयोग

बीएचईएल अपने संचालन के सभी स्तरों पर संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण को प्राथमिकता देता रहेगा। दक्षता बढ़ती है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 12 (एसडीजी 12) - ज़िम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन के अनुरूप पर्यावरणीय लक्ष्यों को भी बल मिलता है।

कंपनी की विनिर्माण इकाइयाँ अपशिष्ट न्यूनीकरण रणनीतियों को सक्रिय रुप से लागू करती हैं, जिनमें मैटल धातु स्क्रैप को कम करने के लिए उन्नत नेस्टिंग तकनीकें शामिल हैं। धातु के अवशेषों का या तो उत्पादन प्रक्रिया में पुन: उपयोग किया जाता है या जिम्मेदारी से री-साइकल किया जाता है, जिससे यथा संभव अधिकतम सामग्री उपयोग दक्षता सुनिश्चित होती है।

4.1.2 ऊर्जा दक्षता और प्रबंधन

बीएचईएल अपने ग्राहकों को अधिक ऊर्जा कुशल उपकरण और स्वच्छ तकनीकों वाले विद्युत संयंत्र प्रदान कर रहा है और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 7 (एसडीजी 7) - किफायती और स्वच्छ ऊर्जा के अनुरुप ऊर्जा दक्षता और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में योगदान दे रहा है।

ऊर्जा संरक्षण कंपनी के परिचालन सिद्धांतों में अंतर्निहित है। इस दिशा में अपनाए गए उपायों में ऊर्जा-कुशल उपकरणों का प्रतिस्थापन, ऊर्जा रिसावों को रोकना और सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा प्रबंधन प्रणालियों (ISO 50001) को आत्मसात करना शामिल है।

ऊर्जा लेखा परीक्षा की गई और बीएचईएल में ऊर्जा संरक्षण के लिए 50 से अधिक परियोजनाओं की पहचान की गई। ये परियोजनाएँ वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूरी हो गईं, जिससे बिजली की माँग कम होगी। साथ ही, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कैप्टिव सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से उत्पादन बढ़कर

39.48 मिलियन यूनिट हो गया, जो साल-दर-साल लगभग 23% की वृद्धि दर्शाता है। पिछले 8 वर्षों में, बीएचईएल के कैप्टिव सौलर पॉवर प्लांट ने कुल मिलाकर 231.65 मिलियन यूनिट का उत्पादन किया है।

4.1.3 जल प्रबंधन

आपकी कंपनी जल की खपत को कम करने, जहाँ भी संभव हो, रि-साइकल और रियूज़ की प्रथाओं को लागू करने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। जल संरक्षण उपायों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाएँ, भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन हेतु चेकडैम और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 3, 6, 11 और 14 के साथ सहज रूप से संरेखित जैव विविधता संरक्षण पहल शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने नई वर्षा जल संचयन (RWH) प्रणालियाँ बनाने और समय के साथ निष्क्रिय हो चुकी मौजूदा आरडब्ल्यूएच प्रणालियों को पुनर्जीवित करने के अपने प्रयास जारी रखे हैं। वर्षा जल संचयन प्रणालियों और जल निकायों की कुल संख्या 140 से अधिक हो गई है, जिससे भूजल स्तर को रिचार्ज करने और बीएचईएल परिसरों में जैव विविधता को समर्थन देने के लिए वर्षा जल संचयन की मात्रा में वृद्धि हुई है।

बीएचईएल के अपशिष्ट एवं अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना में 21 अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ईटीपी) और 19 सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि कंपनी की 11 इकाइयाँ अपने अपशिष्ट को अपनी सीमा से बाहर नहीं जाने दे रही हैं, जिससे सतत जल उपयोग में मानक स्थापित हो रहे हैं।

4.1.4 जैव विविधता एवं हरित आवरण

उपग्रह-आधारित पारिस्थितिक मूल्यांकन उपकरणों के माध्यम से सत्यापित, बीएचईएल का लगभग 40% भू-भाग वृक्षों, झाड़ियों और झाड़ियों सहित वनस्पतियों से आच्छादित है। बीएचईएल परिसरों में लगभग 30 लाख वृक्ष और झाड़ियाँ हैं, और कुछ परिसरों में मियावाकी वन भी बनाए गए हैं। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जल निकायों की उपस्थिति जैव विविधता को बढ़ावा देने में सहायक है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कुल 85,819 पौधे लगाए गए, जो वर्ष के दौरान 50,000 पौधे लगाने के निर्धारित लक्ष्य से अधिक है। विभिन्न परियोजना स्थलों पर बड़ी संख्या में पौधे भी लगाए गए। बीएचईएल के कई बड़े परिसरों में जल निकाय भी शामिल हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाते हैं और वन्यजीवों को सहारा देते हैं।

बीएचईएल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के ट्रिलियन ट्रीज़ अभियान (https://www.1t.org) में गौरवपूर्वक भाग लिया और वनीकरण को बढ़ावा देते हुए वर्तमान हरित संपत्तियों के संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लिया।

4.1.5 कार्बन फुटप्रिंट में कमी

बीएचईएल ने 2047 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन (स्कोप-1 और स्कोप-2) प्राप्त करने का संकल्प लिया है। कई गतिविधियाँ चल रही हैं जैसे उच्च-उत्सर्जन वाले ईंधनों को स्वच्छ विकल्पों (सीएनजी, आरएलएनजी आदि) से प्रतिस्थापित करना, कैप्टिव उपयोग के लिए ऑन-साइट सौर क्षमता का विस्तार और ग्रीन राउंड द क्लॉक (आरटीसी) बिजली खरीद के माध्यम से हरित बिजली प्राप्त करना।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अपनी कैप्टिव सौलर क्षमता में 7 मेगावाट पीक की वृद्धि की है, जिससे कुल क्षमता लगभग 41.84 मेगावाट पीक हो गई है। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2024-25 में कार्बन उत्सर्जन से बचाव 28,704 मीट्रिक टन तक पहुँच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.8% सुधार है। बीएचईएल परिसर में व्यापक हरित आवरण एक महत्वपूर्ण कार्बन सिंक के रूप में भी कार्य करता है, जिससे नेट ज़ीरो लक्ष्यों में वृद्धि होती है।

4.1.6 अपशिष्ट न्यूनीकरण और चक्रीयता

कंपनी ने 3R (कम करें, रि-साइकल, रियूज़) के सिद्धांतों पर आधारित विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए सुव्यवस्थित प्रणालियाँ बनाई हैं। धातु के स्क्रैप का या तो पुनः उपयोग/पुनर्चक्रण किया जाता है या अधिकृत एजेंसियों को बेचा जाता है और जैव-निम्नीकरणीय कचरे को खाद बनाया जाता है या बायो-गैस में परिवर्तित किया जाता है। खतरनाक और ई-कचरे का निपटान नियामक मानदंडों के अनुसार किया जाता है। वर्ष के दौरान, स्वच्छता पर विशेष अभियान 4.0 के तहत 54.60 करोड़ रुपये मूल्य के स्क्रैप का निपटान किया गया। इसके अलावा, सभी 15 बीएचईएल टाउनशिप अब "एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त" प्रमाणित हैं, जो स्वच्छ आवास स्थलों के प्रति बीएचईएल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

स्वच्छता पखवाड़े के हिस्से के रूप में पीएसएसआर तथा आरओडी, चेन्नई में आयोजित स्वच्छता अभियान

4.2 हरित बीएचईएल - बीएचईएल को एक हरित भविष्य की ओर अग्रसर करना

स्थायित्व और ज़िम्मेदार विकास के प्रति बीएचईएल की प्रतिबद्धता के अनुरूप, कंपनी ने एक व्यापक हरित पहल - हरित बीएचईएल आरम्भ की है, जिसका उद्देश्य बीएचईएल को एक सच्चे पर्यावरण-जागरुक और पर्यावरणीय रूप से ज़िम्मेदार संगठन में बदलना है। यह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम भारत के दीर्घकालिक शुद्ध शून्य लक्ष्य के अनुरूप, वर्ष 2047 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने पर केंद्रित है। हरित बीएचईएल पहल के तीन प्रमुख घटक हैं:

1. **2047 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य:** बीएचईएल अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। 2047 तक स्कोप-1 (प्रत्यक्ष उत्सर्जन) और स्कोप-2 (खरीदी गई ऊर्जा से अप्रत्यक्ष उत्सर्जन) के संदर्भ में नेट

ज़ीरो बनकर। कंपनी पूरे मूल्य श्रृंखला में स्कोप-3 उत्सर्जन को कम करने के लिए ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और भागीदारों के साथ मिलकर काम करने की भी योजना है। यह दीर्घकालिक दृष्टिकोण स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने, कुशल संसाधन उपयोग और कठोर पर्यावरणीय शासन के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। सभी विनिर्माण इकाइयों को उनकी आधार रेखा दी गई है और लक्ष्य के अनुरूप उनके द्वारा रोड मैप तैयार किया गया है। कंपनी की उत्सर्जन तीव्रता 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 के दौरान लगभग 7% कम हो गई है।

2. **विनिर्माण इकाइयों के लिए ग्रीनको प्रमाणन:** अपने संचालन के पर्यावरणीय प्रदर्शन का आकलन करने और उसे बेहतर बनाने के लिए, इससे विनिर्माण इकाइयों को स्वयं को आदर्श हरित विनिर्माण इकाइयों में परिवर्तित करने की दिशा में मदद मिलेगी।

   पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान, सात विनिर्माण इकाइयों का मूल्यांकन किया गया और उन्हें ग्रीनको रेटिंग प्रदान की गई।

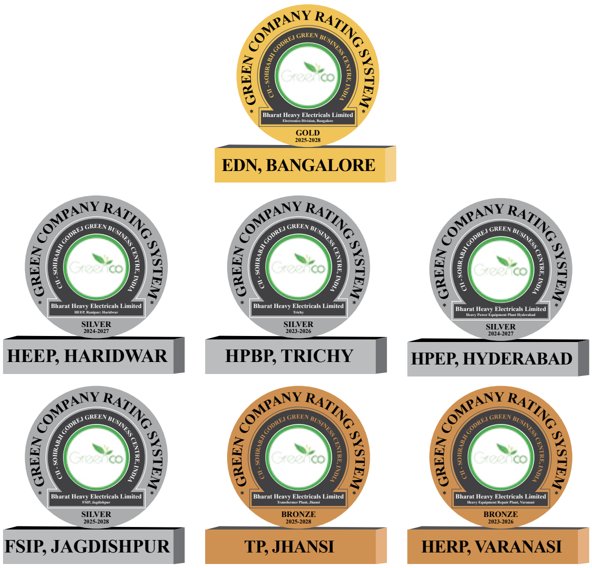

3. **2024-25 में लागू की जाने वाली प्रमुख सततता गतिविधियाँ:**

   बीएचईएल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अपनी सभी विनिर्माण इकाइयों में कई सततता गतिविधियाँ शुरु कीं और इन्हें दीर्घकालिक पहल के रूप में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भी जारी रखा जाएगा। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

   i. विनिर्माण इकाइयों में कैप्टिव उपयोग के लिए सौर पीवी संयंत्र की क्षमता में वृद्धि

   ii. बीएचईएल परिसरों में 50,000 पौधों के लक्ष्य से अधिक 85,819 पौधे रोपना।

आने वाले वर्षों में, हरित बीएचईएल निम्नलिखित माध्यमों से अपने प्रभाव को और बढ़ाएगा:

- निरंतर सौर क्षमता वृद्धि
- शेष विनिर्माण इकाइयों के लिए ग्रीनको प्रमाणन
- जल एवं ऊर्जा लेखा परीक्षा अनुशंसाओं का कार्यान्वयन
- वृक्षारोपण अभियानों और जैव विविधता परियोजनाओं का विस्तार
- बेहतर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियाँ
- योजना से लेकर क्रियान्वयन तक, हर स्तर पर स्थिरता का एकीकरण

4.3 स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई)

बीएचईएल कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने, पर्यावरण की रक्षा करने और लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ है। कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि सुरक्षा पर ज़ोर देने से न केवल लागत कम होती है, बल्कि कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ता है और उसकी प्रतिष्ठा मज़बूत होती है। इन सिद्धांतों के मार्गदर्शन में, बीएचईएल सक्रिय रूप से सुरक्षा और स्थिरता की संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है और "शून्य क्षति" प्राप्त करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की दिशा में प्रयास कर रहा है।

कंपनी के पास एक सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली है जो पिछले दो दशकों में विकसित हुई है। आईएसओ 45001 के अनुरूप सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली ढांचा, सुरक्षा खतरों की पहचान और जोखिम मूल्यांकन तथा शमन उपाय करने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने में मदद करता है। सुधार के अवसरों की पहचान करने और विनिर्माण इकाइयों तथा परियोजना स्थलों के बीच सर्वोत्तम सुरक्षा प्रथाओं को साझा करने के लिए नियमित आंतरिक और बाह्य ऑडिट का उपयोग एक उपकरण के रूप में किया जाता है ताकि पारस्परिक शिक्षा को सक्षम बनाया जा सके। संगठन भर में सुरक्षा प्रदर्शन को बढ़ाने और गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में एक मजबूत सुरक्षा संस्कृति के निर्माण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। विनिर्माण इकाइयों/परियोजना स्थलों के प्रमुखों द्वारा 'सुरक्षा वॉक', दैनिक टूल बॉक्स वार्ता, सुरक्षा प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण, सुरक्षा प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन के लिए डिजिटल पहल और सुरक्षा प्रदर्शन की निगरानी, शीर्ष प्रबंधन द्वारा सुरक्षा समीक्षा, वर्ष के दौरान कुछ प्रमुख जोर वाले क्षेत्र थे।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बीएचईएल ने अपने मानव संसाधनों के स्वास्थ्य और सुरक्षा सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं और पहल की है। इन प्रयासों में आंतरिक रूप से संचालित कार्यक्रम और भारी उद्योग मंत्रालय तथा अन्य सरकारी मंत्रालयों एवं निकायों द्वारा निर्धारित कार्यक्रम, दोनों शामिल थे। प्रमुख पहलों में 'स्वच्छता पखवाड़ा-2024' (16-31 अगस्त), 'स्वच्छता ही सेवा' (15-25 सितंबर) का आयोजन शामिल था। 2 अक्टूबर), और 'स्वच्छता के लिए विशेष अभियान 4.0' (2-31 अक्टूबर, 2024)। इसके अलावा, विभिन्न परियोजना स्थलों पर सुरक्षा ऑडिट आयोजित किए गए, और कंपनी ने राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस से शुरुआत करते हुए 4 से 17 मार्च, 2025 तक बीएचईएल

सुरक्षा पखवाड़ा-2025 मनाया। बीएचईएल ने विश्व पर्यावरण दिवस से शुरु होकर 5 जून से 4 जुलाई 2024 तक पूरे संगठन में पर्यावरण जागरुकता माह-2024 भी मनाया।

सुरक्षा और स्वास्थ्य सुधार की दिशा में प्रयास इकाइयों के साथ-साथ परियोजना स्थलों के आँकड़ों को शामिल करते हुए आवृत्ति गंभीरता सूचकांक (एफएसआई) में कमी के रुप में भी परिलक्षित हो रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में एफएसआई को घटाकर 0.248 कर दिया गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह 0.310 था। ये प्रयास सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की चल रही प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।

4.4 स्थिरता प्रदर्शन – सामाजिक

बीएचईएल ने अपनी सीएसआर पहलों को पूरा करने के लिए सात प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है। इन सात महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बीएचईएल की सीएसआर नीति में विस्तृत किया गया है। इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सभी गतिविधियाँ अनुसूची में उल्लिखित गतिविधियों और क्षेत्रों के अनुरुप हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के VII। सभी सीएसआर आवंटन और व्यय बीएचईएल की सीएसआर नीति के अनुसार हैं, जो बदले में कंपनी अधिनियम, 2013 में सीएसआर से संबंधित मौजूदा प्रावधानों, कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 और सीपीएसई द्वारा सीएसआर व्यय पर समय-समय पर जारी मौजूदा डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुपालन में हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल सीएसआर बजट ₹672 लाख था। इसमें से, वित्तीय वर्ष 2024-25 में सीपीएसई के लिए "स्वास्थ्य और पोषण" के सामान्य विषय के साथ संरेखित सीएसआर परियोजनाओं के लिए ₹435.91 लाख (64.87%) आवंटित किया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में जारी रहेगा या पूरा हो जाएगा।

बीएचईएल में दिसंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया गया।

वर्ष के दौरान किए गए प्रमुख गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:.

शिक्षित भारत

• रामचन्द्रपुरम, हैदराबाद में विशेष देखभाल स्कूल में विशेष बच्चों के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता।

• त्रिची में बौद्धिक रुप से विकलांग बच्चों के लिए एक विशेष देखभाल स्कूल और पुनर्वास केंद्र - अरिवलयम को वित्तीय सहायता।

• हरिद्वार और झाँसी में बीएचईएल विनिर्माण इकाइयों में स्थित स्कूलों को चलाने के लिए सहायता प्रदान करना।

स्वस्थ भारत

• मांड्या इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एमआईएमएस) अस्पताल, मांड्या, कर्नाटक में निर्माण और मरम्मत कार्यों के लिए वित्तीय सहायता।

• आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर विभिन्न आवश्यकताओं के लिए जिला प्रशासन, भीमावरम, पश्चिम गोदावरी, आंध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता।

• महाराष्ट्र के अमरावती जिले के 10 ब्लॉकों के 350 गांवों में स्वस्थ भारत परियोजना के लिए अश्वमेघ ग्रामीण पैनलोट क्षेत्र विकास एवं शैक्षिक संस्थान (एजीवीएसएस) को वित्तीय सहायता।

• कपिलधारा, वाराणसी में एक 5 सीटों वाले सुलभ शौचालय परिसर के निर्माण के लिए सुलभ इंटरनेशनल, लखनऊ को वित्तीय सहायता, और जिला वाराणसी (4 स्थानों पर) और चंदौली (7 स्थानों पर), उत्तर प्रदेश में 11 मौजूदा शौचालय परिसरों के छह महीने के रखरखाव के लिए।

• सीएसआर वार्षिक थीम "स्वास्थ्य और पोषण" पर 30 से अधिक परियोजनाएं।

बीएचईएल भोपाल के कस्तूरबा अस्पताल में नए आईसीयू का उद्घाटन

शारीरिक रूप से गतिशीलता सहायता प्रदान करना विकलांग लोगों, बच्चों/बुजुर्गों/ माताओं और गर्भवती महिलाओं/टीबी रोगियों के लिए जागरूकता शिविरों के साथ-साथ पोषण संबंधी सहायता किट प्रदान करना, चिकित्सा और स्वास्थ्य जागरूकता शिविर, चिकित्सा उपकरण और स्वच्छ पेयजल सुविधाएं और नजदीकी सरकारी अस्पतालों/स्वास्थ्य केंद्रों में शौचालय प्रदान करना, योग कक्षाएं आदि पूरे भारत में बीएचईएल इकाइयों के आसपास शुरु की गई हैं।

4.5 सीएसआर गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा। **(अनुलग्नक-4ए के रूप में संलग्न)**

2. सीएसआर समिति की संरचना

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान उपस्थित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या
1	डॉ. के. शिवप्रसाद	स्वतंत्र निदेशक अध्यक्ष (1 नवंबर, 2024 तक)	2	2
2	रमेश पटल्या मावस्कर	स्वतंत्र निदेशक अध्यक्ष (2 नवंबर, 2024 से प्रभावी)	1	1
3	निदेशक (मानव संसाधन)	सदस्य	3	3
4	निदेशक (वित्त)	सदस्य	3	2

प्रमुख (सीएसआर), कॉर्पोरेट कार्यालय स्थायी आमंत्रित सदस्य है। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

3. वेब-लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का कंपनी की वेबसाइट पर खुलासा किया गया है।

   वेब-लिंक : --- https://www.bhel.com/csr

4. यदि लागू हो तो नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन के वेब-लिंक के साथ कार्यकारी सारांश प्रदान करें।

   ₹1.00 करोड़ से अधिक मूल्य की निम्नलिखित पूर्ण सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन बाहरी एजेंसी से करवाया गया था। परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

परियोजना	कार्यान्वयन एजेंसी	प्रभाव मूल्यांकन करने वाली संस्था
पेयजल सुविधा सहित सामुदायिक बायो-डाइजेस्टर शौचालय क्लस्टर के 25 सेटों की स्थापना।	फिक्की	आईआईटी रुड़की
विकास कार्य हेतु व्यावसायिक सहायता (प्रदान) नोएडा" को वित्तीय सहायता परियोजना के लिए: कंधमाल (ओडिशा) के कृषि समुदायों को उनके आर्थिक परिवर्तन के लिए प्रेरित करना।	"विकास कार्य हेतु व्यावसायिक सहायता (प्रदान),	क्रूक्स मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
राजकीय पॉलिटेक्निक में बालक एवं बालिका छात्रावास भवनों का निर्माण।	जिला पंचायत राज अभियंता, पीआईयू, निजामाबाद	क्रूक्स मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
हिमाचल प्रदेश के टांडा स्थित डॉ. आरपीजीएमसी, कांगड़ा में सराय भवन (100 लोगों के लिए) के निर्माण में वित्तीय सहायता।	डॉ. आरपीजीएमसी, कांगड़ा	क्रूक्स मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट का कार्यकारी सारांश अनुलग्नक-4बी1, 4बी2, 4बी3 और 4बी4 के रूप में संलग्न है। विस्तृत प्रभाव आकलन रिपोर्ट वेब लिंक ---- https://www.bhel.com/csr पर उपलब्ध है

5. (ए) धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ।
   ₹1336.23 करोड़

   (बी) धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत।

   ₹16.72 करोड़

   (सी) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष।

   शून्य

   (डी) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो। **शून्य**

(ई) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(बी) + (सी) - (डी)] ₹16.72 करोड़

6. (ए) सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (चालू परियोजनाएं एवं इसके अतिरिक्त अन्य, दोनों प्रकार की योजनाएं)।

₹191.66 लाख

(बी) प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई राशि।

₹9.61 लाख

(सी) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो।

₹0.59 लाख

(डी) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि [(ए) + (बी) + (सी)]*

₹201.86 लाख

(ई) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए कुल खर्च की गई राशि (₹ लाख में)	अव्ययित राशि (प्रति में)				
	कुल राशि अव्ययित सीएसआर खाते में धारा 135 की धारा (6) के अनुसार स्थानांतरित की गई		धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी भी निधि में हस्तांतरित राशि		
	राशि (₹ लाख में)	स्थानांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
201.86	470.14	30.04.2025	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(च) सेट ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो:

क्र.सं.	विवरण	राशि (₹ लाख में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	**672**
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि*	201.86
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii) – (i)]	लागू नहीं
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	लागू नहीं
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन हेतु उपलब्ध राशि [(iii) – (iv)]	लागू नहीं

7. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

1	2	3	4	5	6		7	8
क्र. सं.	पिछला वित्तीय वर्ष	धारा 135 की उपधारा (6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित राशि (₹ लाख में)	शेष राशि अव्ययित राशि सीएसआर खाता धारा 135 की उपधारा (6) के अंतर्गत (₹ लाख में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹लाख में)	धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट A निधि में हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो		शेष राशि जो अगले वित्तीय वर्षों में खर्च की जानी जाएगी (₹ लाख में)	कमी, यदि कोई हो
					राशि (₹ लाख में)	स्थानांतरण की तिथि		
1	2021-22	शून्य	2126.95	911.08	शून्य	-	1215.87	शून्य
2	2022-23	शून्य	1215.87	600.50	शून्य	-	615.37	शून्य
3	2023-24	शून्य	615.37	401.36	215.31*	29.04.2024	शून्य	शून्य

*वित्तीय वर्ष 2020-21 की अव्ययित सीएसआर राशि, जो D2,126.95 लाख थी, कंपनी (सीएसआर नीति) संशोधन नियम, 2021 के अनुसार 30.04.2021 को एक अलग बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई। इसमें से D911.08 लाख, D600.50 लाख और D401.36 लाख क्रमशः वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में खर्च किए गए। D215.31 लाख की अव्ययित राशि 29.04.2024 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में स्थानांतरित कर दी गई। इस राशि में सृजित देयता में से D1.30 लाख की अव्ययित राशि भी शामिल थी।

8. क्या कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से कोई पूंजीगत संपत्ति बनाई गई है या अर्जित की गई है? वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि: **नहीं**

यदि हाँ, तो बनाई गई/अर्जित पूंजीगत संपत्तियों की संख्या दर्ज करें: **लागू नहीं**

वित्त वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से बनाई गई या अर्जित की गई ऐसी संपत्ति (संपत्तियों) से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें: **लागू नहीं**

क्र. सं.	संपत्ति और परिसंपत्तियों का संक्षिप्त विवरण [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित]	संपत्ति या परिसंपत्ति का पिन कोड	निर्माण की तारीख	सीएसआर की खर्च की राशि	पंजीकृत स्वामी की संस्था/प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
-	-	-	-	-	-	-	-

9. यदि कंपनी धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएँ। - लागू नहीं

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सीएसआर बजट 6.72 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सीएसआर बजट की पूरी राशि अर्थात 6.72 करोड़ रुपये विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं के लिए आवंटित किए गए थे। कुल आवंटित सीएसआर बजट में से, 201.86 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं और शेष 470.14 लाख रुपये 30.04.2025 को अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित कर दिए गए हैं।

10. हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुरुप है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अध्यक्ष
(सीएसआर समिति)

नई दिल्ली
दिनांक: 25 जुलाई, 2025

अनुलग्नक - 4ए (सीएसआर गतिविधियों के लिए धारा 4.5 वार्षिक रिपोर्ट का भाग)

बीएचईएल कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति रुपरेखा

सीएसआर विज़न:

बेहतर कल की दिशा में काम करने वाला एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक बनना।

सीएसआर मिशन:

पहचाने गए सीएसआर जोर क्षेत्रों और कंपनी अधिनियम, 2013 में सूचीबद्ध अन्य क्षेत्रों में कंपनी की जिम्मेदारी का ईमानदारी से और प्रभावी ढंग से निर्वहन करना।

नीति के उद्देश्य:

- सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों को परिभाषित करने के लिए जिन्हें बीएचईएल शुरु करने की योजना बना रहा है और जो कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 और प्रचलित डीपीई दिशानिर्देशों के दायरे में आते हैं।
- ऐसी सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों के निष्पादन के तौर-तरीके।
- ऐसी सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों की निगरानी प्रक्रिया।
- बीएचईएल में सीएसआर प्रथाओं के बारे में हितधारकों को जागरुक करना।
- व्यवसाय के संचालन और सीएसआर एजेंडे के अनुसरण में सतत विकास के बड़े उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए काम करना।

नीति की मुख्य विशेषताएं:

- इसमें कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 और सीएसआर और स्थिरता पर डीपीई दिशानिर्देशों में बताई गई आवश्यकताओं को शामिल किया गया है;
- यह सीएसआर गतिविधियों के लिए प्रमुख क्षेत्रों को परिभाषित करता है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में उल्लिखित गतिविधियों पर आधारित हैं।
- यह निर्दिष्ट करता है कि तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान औसत शुद्ध लाभ का 2% सीएसआर गतिविधियों के लिए आवंटित किया जाएगा।
- कंपनी सीएसआर गतिविधियों के लिए निर्धारित राशि का कम से कम 75% खर्च करने के लिए स्थानीय क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी।
- एक परियोजना जिसका कुल मूल्य रुपये के बराबर या उससे अधिक है। 1 करोड़ की लागत को मेगा प्रोजेक्ट कहा जाएगा और ऐसी परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य रुप से किसी बाहरी एजेंसी के माध्यम से कराया जाएगा।
- किसी भी आपदा/आपदा के लिए राहत गतिविधियों को शुरू करने के लिए आपातकालीन निधि के रूप में वार्षिक सीएसआर बजट का 5% आरक्षित करने का प्रावधान है।
- यह निर्धारित करता है कि वर्ष के लिए कुल सीएसआर व्यय का 5% प्रशासनिक ओवरहेड्स सहित क्षमता निर्माण के लिए आरक्षित रखा जाएगा।
- यह बीएचईएल में सीएसआर के लिए संगठनात्मक संरचना के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

सीएसआर नीति का वेब-लिंक:

बीएचईएल सीएसआर नीति सीएसआर अनुभाग के तहत www.bhel.com पर होस्ट की गई है और इसे लिंक के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है https://www.bhel.com/csr

अनुलग्नक - 4बी1 (सीएसआर गतिविधियों वार्षिक रिपोर्ट धारा 4.5 का भाग)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की
सतत ऊर्जा केन्द्र
रुड़की - 247667, उत्तराखण्ड, भारत
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY ROORKEE
Center for Sustainable Energy
ROORKEE-247 667, (UTTARAKHAND), INDIA
Tele : 01332-285344 , 285248 (HOD)
e-mail : head@cfse.iitr.ac.in

Executive Summary

The study aims at conducting the assessment of impact of CSR initiatives of BHEL for installation of 25 sets of community Bio-digester Toilets clusters along with drinking water facility along the bank of River Ganga (Haridwar & Rishikesh region). These bio-toilets convert the foul-smelling human waste into odourless gas and water that can be released at no risk to the ecosystem into the sewage system. Another benefit is that the methane produced is combustible and can, therefore, be used for various household chores such as cooking, heating water, etc. The impact assessment study is based on five functions in every project which are Relevance, Efficiency, Effectiveness and Uniqueness, Impact and Sustainability. The main objectives of the impact assessment study are as follows:

- Whether the Bio-digester toilet has been installed and working as per the requirement.
- Quality of the bio-digester and sanitation.
- Social impact on livelihood.

It measures the performance of BHEL, Haridwar in each of the above mentioned functions through a survey conducted in the target sites. The comprehensive results represent that projects are satisfactory on these measures and work done by BHEL, Haridwar are highly laudable and found to be in accordance with the requirement of project. The CSR initiative of BHEL, Haridwar towards healthcare of the travelers which lack community health centre is a paradigm move and needs to be appreciated as it focused on improving the quality of health of the visitors and daily passengers. The beneficiaries were satisfied with the services being provided to them. The holistic approach represented by BHEL, Haridwar in funding Biodigester toilets is remarkable.

05.05.2025

Prof. Soumitra Satapathi
Head
Center for Sustainable Energy
Indian Institute of Technology Roorkee
Roorkee-247 667, Uttarakhand, INDIA

अनुलग्नक - 4बी2 (सीएसआर गतिविधियों वार्षिक रिपोर्ट धारा 4.5 का भाग)

EXECUTIVE SUMMARY REPORT BY CRUX MANAGEMENT SERVICES P LTD

This report prepared by Crux Management Services P ltd evaluates the progress and impact MARKET (Motivating AgRarianCommunities for Kandhamal)." for the welfare of Tribal community in Odisha.

Overall REESI Assessment

Project Details -Thematic Areas, SDH alignment And Impact assessment on REESI model										
PROJECT DETAILS					Parameters - (Rated on High , Medium Low)					
Projec	Thematic area as per	Location	Thrust areas	SDG alignment	Relevance	Efficiency	Effectivenes	Uniqueness	Impact	sustai
MARKET (Motivating AgRarianCommunities for Kandhamal)." for the welfare of Tribal community in Odisha	Inclusive India	Kandhamal	Inclusive India	SDG 1: No Poverty, SDG 5: Gender Equality, SDG 8: Decent Work and Economic Growth	High	Mdm	Mdm	Mdm	High	Mdm

Important Recommendations:

1. Strengthen Sustainability of Project Interventions:

- **Irrigation Infrastructure Maintenance**: Establish community-led irrigation committees and train local farmers in maintaining irrigation systems.
- **Farmer Organization Capacity Building**: Develop a curriculum for training PG leaders in financial management, organizational development, and leadership skills to ensure sustainability.

2. Improve Monitoring and Evaluation (M&E): Granular Monitoring System: Introduce an M&E framework that tracks gender, socio-economic status, and agricultural performance .

3. BHEL Employees' Participation in the CSR Process.

As the employee participation is very low, it is recommended that the same is addressed. By engaging in CSR, employees align with BHEL's core values of integrity, excellence, and commitment. This strengthens employee loyalty and helps amplify the company's values both inside and outside the organization. The participation of BHEL employees in CSR is crucial for the success of the company's social initiatives.

Crux Management Services Pvt. Ltd. HYDERABAD

अनुलग्नक - 4बी3 (सीएसआर गतिविधियों वार्षिक रिपोर्ट धारा 4.5 का भाग)

EXECUTIVE SUMMARY REPORT BY CRUX MANAGEMENT SERVICES P LTD

Impact Assessment Study Report CSR Projects of BHEL- PSSR,Chennai For Hostel Construction

Project Scope: Building Construction: Development of Boys & Girls Hostel with a capacity of accommodating 100-154 students each.

Impact assessment on REESI model

Project Details -Thematic Areas, SDH alignment And Impact assessment on REESI model										
PROJECT DETAILS					REESI Parameters - (Rated on High , Medium ,Low)					
Project	Thematic area as per CSR policy	Location	Thrust areas	SDG alignment	Relevance	Efficiency	Effectiveness	Uniqueness	Impact	sustainability
Construction of Boys & Girls Hostel	Educated India	Govt Polytechnic, District Nizamabad, Telangana	Educated India	SDG 4, SDG5,SDG 10	H	H	H	H	H	M

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

BHEL in future can adopt the following in its CSR programme planning

BHEL's hostel initiative at Nizamabad has significantly benefited students, particularly those from rural, low-income backgrounds, by providing affordable and safe accommodation. However, improvements in areas like facility maintenance, food quality, and communication can enhance its impact.

Recommendations:

- Construction and Structural Integrity: Conduct a post-construction quality audit to assess plumbing, electrical systems, and ventilation to ensure long-term durability.
- Cleanliness and Maintenance: Implement daily cleaning schedules, encourage student-led cleanliness initiatives, and establish regular maintenance feedback loops.
- Long-Term Sustainability: Develop a sustainability plan, including regular maintenance budgets and potential partnerships for financial support.

Crux Management Services P ltd

Crux Management Services Pvt. Ltd. HYDERABAD

अनुलग्नक - 4बी4 (सीएसआर गतिविधियों वार्षिक रिपोर्ट धारा 4.5 का भाग)

Executive Summary of Project

This report prepared by Crux Management Services P ltd presents the **Impact Assessment** of the Corporate Social Responsibility (CSR) project titled **"Construction of Sarai with 54-Bed Facility at Dr. Rajendra Prasad Medical College and Hospital, District Kangra, Himachal Pradesh."**.

Project Overview

Dr. Rajendra Prasad Government Medical College and Hospital (RPGMC), being one of the most prominent tertiary healthcare institutions in Himachal Pradesh, witnesses a high footfall of patients from across the state. Many of these patients and their caregivers are compelled to seek temporary shelter during prolonged medical treatment, often under challenging conditions. To address this critical need, a **Sarai (rest house)** with **54 beds** was constructed under a CSR initiative.

Impact Highlights

- **Direct Beneficiaries**: Over **6,000 individuals per year** have benefited from the facility since its inception.
- **Financial Relief**: Beneficiaries reported an average saving of **₹500–₹1,000 per day**, which would otherwise be spent on rented accommodation.
- **Accessibility and Convenience**: The Sarai's **strategic location within the hospital campus** ensures easy and immediate access to medical services, reducing treatment delays.

Evaluation on the REESI Parameter

Sl.No	Name of the Project	Parameters				
		Relevance	Efficiency	Effectiveness	Uniqueness	Impact& sustainability
1	CONSTRUCTION OF SARAI WITH 54-BED FACILITY AT DISTRICT KANGRA, HIMACHAL PRADESH"	High	High	Medium	High	Medium

Challenges Noted

- Periodic maintenance and facility management requires a **dedicated operations team**.
- Currently, the booking system is manual; a **digital management system** is recommended.
- Demand for beds is not as per capacity available, Publicity is required to increase the occupancy.

Recommendations

- Implement a **real-time occupancy monitoring and booking system**.
- Collaborate with hospital administration for **regular maintenance and feedback collection**.
- Explore the possibility of **scaling the model** to other medical colleges and district hospitals across the state.

Crux Management Services Pvt. Ltd.

बोर्ड रिपोर्ट का अनुबंध-V
व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट
खंड ए: सामान्य प्रकटीकरण

I. सूचीबद्ध इकाई का विवरण

1.	**सूचीबद्ध इकाई की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)**	L74899DL1964GOI004281
2.	**सूचीबद्ध इकाई का नाम**	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
3.	**संस्थापन की तारीख**	13 नवंबर 1964
4.	**पंजीकृत कार्यालय पता**	बीएचईएल हाउस, सिरी फोर्ट, नई दिल्ली - 110049
5.	**कॉर्पोरेट पता**	बीएचईएल हाउस, सिरी फोर्ट, नई दिल्ली - 110049
6.	**ई-मेल**	sharefolderquery@bhel.in
7.	**टेलीफ़ोन**	011-66337598
8.	**वेबसाइट**	www.bhel.com
9.	**वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है**	वित्तीय वर्ष 2024-25
10.	**स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध हैं**	बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)
11.	**प्रदत्त पूंजी**	₹ 696.41 करोड़
12.	**उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है**	**संदीप सिंह बरैठ (डीजीएम-कॉर्पोरेट रणनीतिक प्रबंधन),** ईमेल: s.baraith@bhel.in, फ़ोन: 011-66337554
13.	**रिपोर्टिंग सीमा-क्या इस रिपोर्ट के तहत खुलासे स्टैंडअलोन आधार पर किए गए हैं (यानी केवल इकाई के लिए) या समेकित आधार पर (यानी इकाई और सभी संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का एक भाग हैं, एक साथ लिया गया है)**	स्टैंडएलोन आधार
14.	**क्या कंपनी ने बीआरएसआर कोर का मूल्यांकन या आश्वासन दिया है**	हाँ, प्रमाणपत्र संलग्न है
15.	**मूल्यांकन या आश्वासन प्रदाता का नाम**	ब्यूरो वेरिटास (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
16.	**प्राप्त मूल्यांकन या आश्वासन का प्रकार**	उचित आश्वासन

II. उत्पाद/सेवाएँ

17. व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (कारोबार का 90% भाग):

क्र.सं.	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण	इकाई के टर्नओवर का %
1	पावर क्षेत्र	पावर क्षेत्र में कोयले से लेकर रसायन तक के नए व्यवसाय के अतिरिक्त, कोयला और लिग्नाइट, गैस, हाइड्रो और परमाणु ऊर्जा संयंत्र व्यवसायों और स्पेयर और सेवा व्यवसाय के लिए उपकरण आपूर्ति तथा ईपीसी **कार्य शामिल हैं।**	74%
2	उद्योग क्षेत्र	उद्योग क्षेत्र परिवहन, ट्रांसमिशन, रक्षा और एयरोस्पेस, कैप्टिव पावर प्लांट, प्रक्रिया उद्योग, नवीकरणीय, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम तेल और गैस, ई-मोबिलिटी और ऊर्जा भंडारण सहित कई उद्योगों के लिए प्रमुख उपकरणों की आपूर्ति और ईपीसी कार्य।	26%

18. इकाई द्वारा विक्रय किए गए उत्पाद/सेवाएं (इकाई के टर्नओवर का 90% भाग):

क्र. सं.	उत्पाद/ सेवाएं	एनआईसी कोड	कुल योगदान कारोबार का %
1.	पावर प्लांट्स का विनिर्माण और रखरखाव	42201	22%
2.	सेंट्रल हीटिंग बॉयलरों के अतिरिक्त स्टीम या अन्य वाष्प उत्पन्न करने वाले बॉयलरों और हॉट वाटर बॉयलरों का निर्माण	25131	29%
3.	विमान, वाहन और साइकिल इंजन के अतिरिक्त इंजन और टर्बाइन का विनिर्माण	28110	18%
4.	विद्युत वितरण और नियंत्रण उपकरणों का निर्माण (1000 वोल्ट से अधिक वोल्टेज के लिए विद्युत सर्किट (जैसे स्विच, फ़्यूज़, वोल्टेज लिमिटर, सर्ज सप्रेसर, जंक्शन बॉक्स आदि) को स्विच करने या संरक्षित करने के लिए विद्युत उपकरण; 1000 वोल्ट से अधिक वोल्टेज के लिए समान उपकरण (रिले, सॉकेट आदि सहित); बोर्ड, पैनल, कंसोल, कैबिनेट और अन्य आधार जो विद्युत नियंत्रण या पावर कैपेसिटर सहित विद्युत वितरण के लिए उपर्युक्त दो या इससे अधिक उपकरणों से सुसज्जित हों।)	27104	8%
5.	इलेक्ट्रिक पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, आर्क-वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, फ्लोरोसेंट बैलस्ट, ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रेब्यूशन वोल्टेज रेगुलेटर का निर्माण	27102	8%
6.	विद्युत मोटरों का निर्माण (इंटर्नल कम्बशचन इंजन स्टार्टिंग मोटरों को छोड़कर)	27103	3%
7.	पॉवर, दूरसंचार और ट्रांसमिशन लाइनों का विनिर्माण/इरेक्शन एवं रखरखाव	42202	3%

एनआईसी कोड सूची लिंक: **https://www.ncs.gov.in/Documents/NIC_Sector.pdf**

III. प्रचालन

19. उन स्थानों की संख्या जहां इकाई के संयंत्र और/या संचालन/कार्यालय स्थित हैं:

लोकेशन	प्लांटो की संख्या	कार्यालयों की सं.	कुल
राष्ट्रीय	16	30	46
अंतरराष्ट्रीय	0	1	1

कंपनी की 16 विनिर्माण इकाइयाँ (या संयंत्र), 2 रिपेयर प्लांट्स, 4 क्षेत्रीय कार्यालय, 9 सेवा केंद्र और 15 क्षेत्रीय विपणन केंद्र हैं। संयंत्रों के नाम और उनके स्थानों के लिए, 'अखिल भारतीय उपस्थिति' देखें।

20. इकाई द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले बाज़ार:

क. स्थानों की संख्या

लोकेशन	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	28 (राज्य), 8 (केंद्र शासित प्रदेश)
अंतरराष्ट्रीय (देशों की संख्या)	91

ख. इकाई के कुल कारोबार में निर्यात का योगदान प्रतिशत के रूप में कितना है?

निर्यात कुल कारोबार का लगभग 1.7% है।

ग. ग्राहकों के प्रकारों पर एक संक्षिप्त विवरण

बीएचईएल के ग्राहकों में सरकार, सरकारी मंत्रालय, सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाएँ, अर्ध-सरकारी एजेंसियाँ, सीपीएसई, राज्य सार्वजनिक उपक्रम, राज्य विद्युत बोर्ड, स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (आईपीपी) और निजी कंपनियाँ शामिल हैं।

IV. कर्मचारी

'कर्मचारी', 'श्रमिक', 'स्थायी कर्मचारी', 'स्थायी कर्मचारी', 'स्थायी कर्मचारी के अलावा अन्य कर्मचारी' और 'स्थायी कर्मचारी के अलावा अन्य कर्मचारी' की परिभाषा "व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग प्रारूप हेतु मार्गदर्शन नोट" के अनुरूप है। परिभाषा की व्याख्या के अनुसार, 'कर्मचारी' में नीचे दिए गए डेटा बिंदुओं में 'स्थायी' और 'स्थायी कर्मचारी के अलावा अन्य' श्रेणी के 'कर्मचारी' भी शामिल हैं।

21. वित्तीय वर्ष के अंत तक विवरण:

क. कर्मचारी और श्रमिक (दिव्यांगों सहित):

क्र. सं.	विवरण	कुल (A)	पुरुष		महिला	
			सं. (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)
			कर्मचारी			
1.	स्थायी (डी)	27800	26183	94.18%	1617	5.82%
2.	स्थायी कर्मचारियों के अतिरिक्त (ई)*	20422	18758	91.85%	1664	8.15%
3.	**कुल कर्मचारी (डी+ई)**	48222	44941	93.20%	3281	6.80%
			श्रमिक			
4.	स्थायी (एफ)	13332	12999	97.50%	333	2.50%
5.	स्थायी कर्मचारियों के अतिरिक्त (जी)*	20327	18664	91.82%	1663	8.18%
6.	**कुल कर्मचारी (एफ+जी)**	33659	31663	94.07%	1996	5.93%

ख. दिव्यांग कर्मचारी और श्रमिक:

क्र. सं.	विवरण	कुल (ए)	पुरुष		महिला	
			सं. (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)
			दिव्यांग कर्मचारी/ श्रमिक			
1.	स्थायी (डी)	811	789	97.29%	22	2.71%
2.	स्थायी कर्मचारियों के अतिरिक्त (ई)*	75	58	77.33%	17	22.67%
3.	**कुल कर्मचारी (डी+ई)**	886	847	95.60%	39	4.40%
			दिव्यांग कर्मचारी/ श्रमिक			
4.	स्थायी (एफ)	358	355	99.16%	3	0.84%
5.	स्थायी कर्मचारियों के अतिरिक्त (जी)*	75	58	77.33%	17	22.67%
6.	**कुल कर्मचारी (एफ+जी)**	433	413	95.38%	20	4.62%

* बीएचईएल अपनी विभिन्न इकाइयों/प्रभागों/विभागों/स्थलों पर संगठनात्मक आवश्यकताओं के अनुसार ठेकेदारों को कार्य/कार्य ठेके प्रदान करता है। ठेकेदारों के पास कार्यरत कर्मचारियों की संख्या समय-समय पर बदलती रहती है।

22. महिलाओं की भागीदारी/समावेश/प्रतिनिधित्व (31 मार्च, 2025 तक की स्थिति)

	कुल (ए)	महिलाओं की संख्या एवं प्रतिशत	
		संख्या (बी)	% (बी/ए)
निदेशक मंडल	10	2	20%
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)*	1	0	0%

* बीएचईएल में, केएमपी में निदेशक मंडल और कंपनी सचिव शामिल हैं; उपरोक्त तालिका में पंक्ति संख्या 2 के अनुसार, केवल कंपनी सचिव पर विचार किया जाता है।

23. स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए टर्नओवर दर

वर्ष के लिए टर्नओवर दर को 'वर्ष में संस्था का रोजगार छोड़ने वाले व्यक्तियों की संख्या*100/श्रेणी में कार्यरत व्यक्तियों की औसत संख्या' के रूप में परिभाषित किया गया है।

	वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2022-23		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कार्यपालक/ पर्यवेक्षक	3.60%	4.76%	3.67%	3.34%	4.59%	3.42%	4.01%	4.97%	4.15%
स्थायी कामगार	2.73%	3.30%	2.75%	2.55%	4.43%	2.60%	3.21%	7.66%	3.41%

V. होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियाँ (संयुक्त उद्यमों सहित)

24. (क) होल्डिंग/सहायक/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के नाम

क्र. सं.	होल्डिंग/सहायक/सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों का नाम (ए)	क्या यह होल्डिंग/सहायक/ सहयोगी/ संयुक्त उद्यम है	सूचीबद्ध इकाई द्वारा धारित शेयरों का %	क्या स्तंभ 'क' में दर्शाई गई इकाई सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक जिम्मेदारी पहल में भाग लेती है? (हाँ/नहीं)
1.	बीएचईएल-जीई गैस टरबाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	49.99%	नहीं
2.	एनटीपीसी बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	50.00%	नहीं
3.	रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	22.14%	नहीं
4.	भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	49.00%	नहीं

VI. सीएसआर विवरण

25. सीएसआर विवरण

(i) क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है: (हाँ/नहीं)

हाँ, बीएचईएल के लिए सीएसआर लागू है।

(ii) कारोबार: 27,355 करोड़ रुपये

(iii) निवल संपत्ति: 25,113 करोड़ रुपये

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

26. जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अंतर्गत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें/व्यथाएं:

हितधारक समूह जिनसे शिकायत प्राप्त हुई	शिकायत निवारण तंत्र स्थापित (हाँ/नहीं) (यदि हाँ, तो शिकायत निवारण नीति हेतु वेब-लिंक प्रदान करें)	वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2023-24		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों का समाधान	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों का समाधान	टिप्पणी
समुदाय	हाँ https://pgportal.gov.in/	193	4	-	186	1	-
निवेशक (शेयरधारकों के अतिरिक्त)	नहीं	0	0	-	0	0	-
शेयरधारक	हाँ सम्पर्क विवरण www.bhel.com पर दिया गया है।	2	0	-	8	0	-

कर्मचारी और कामगार	हाँ (आंतरिक प्रणाली)	85	49	-	74	35	-
ग्राहक*	हाँ (आंतरिक प्रणाली)	358	42	-	330	74	-
भागीदारों की मूल्य श्रंखला	हाँ https://suvidha.bhel.in/	55	10	-	61	11	-

* एकल प्रणाली के अंतर्गत ग्राहक शिकायतों का समेकन कार्यान्वियनाधीन है।

बोर्ड की रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन, शेयरधारक समिति के अनुलग्रक-II देखें।

बोर्ड की रिपोर्ट, सतर्कता तंत्र के अनुलग्रक-VIII देखें।

27. इकाई के महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण मुद्दों का अवलोकन

क्र. सं.	सामग्री समस्या की पहचान	इंगित करें कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम की स्थिति में, अनुकूलन या शमन हेतु दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ इंगित करें)
1.	ऊर्जा प्रबंधन और कार्बन पदचिह्न	अवसर	ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता, कार्बन उत्सर्जन में कमी, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग, मौजूदा हरित क्षेत्र को बनाए रखने और नए पौधे लगाने का अवसर। जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु कंपनी को 'हरित कंपनी' में बदलने का अवसर। अनुभाग C: सिद्धांत 6 देखें।	--	सकारात्मक निहितार्थ
2.	जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन	अवसर	3R (रिड्यूस, रिसाइकल, रियूज) के सिद्धांत के आधार पर परिचालन के दौरान उत्पन्न पानी और अन्य अपशिष्ट सहित विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के कुशल उपयोग का अवसर, जिससे पर्यावरण पर प्रभाव कम हो।	--	सकारात्मक निहितार्थ
3.	कुशल जनशक्ति	जोखिम	नए उत्पादों/व्यवसायों के लिए आवश्यक नए कौशल और दक्षताओं की कमी विविध क्षेत्रों में राजस्व के लिए जोखिम पैदा करती है। थर्मल उपकरण विनिर्माण के वर्तमान मुख्य व्यवसाय में कुशल जनशक्ति की कमी भविष्य में जोखिम पैदा कर सकती है।	कार्यबल का पुनः कौशलीकरण, प्रवेश स्तर पर नई भर्तियाँ और आवश्यक कौशल समूहों की पार्श्विक नियुक्ति। खंड C: सिद्धांत 3 देखें।	नकारात्मक निहितार्थ

27. इकाई के महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण मुद्दों का अवलोकन (क्रमशः)

क्र. सं.	सामग्री समस्या की पहचान	इंगित करें कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम की स्थिति में, अनुकूलन या शमन हेतु दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ इंगित करें)
4.	स्वास्थ्य एवं संरक्षा	जोखिम	सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन हमारे व्यवसाय का एक अभिन्न अंग है। कार्यस्थलों, परियोजना स्थलों, दुकानों पर विद्यमान खतरे और जोखिम कर्मचारियों, श्रमिकों और अन्य हितधारकों को हानि पहुँचा सकते हैं जिससे परिचालन में बाधा आने की संभावना है।	कर्मचारियों और श्रमिकों को नियमित रुप से स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई) से संबंधित प्रशिक्षण अनिवार्य रुप से प्राप्त करना चाहिए। श्रमिकों के प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण, स्वास्थ्य जाँच और फिटनेस परीक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नियमित सुरक्षा निरीक्षण और नियमित अंतराल पर आंतरिक और बाह्य सुरक्षा ऑडिट करने के लिए प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ मौजूद हैं। लेखा परीक्षकों (आंतरिक और बाह्य दोनों) द्वारा दी गई सभी टिप्पणियों के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। देखें खंड ग: सिद्धांत 3	नकारात्मक निहितार्थ
5.	मानवाधिकार और श्रम स्थितियां	जोखिम	मानवाधिकार मुद्दों की पहचान और प्रबंधन तथा संचालन एवं आपूर्ति श्रृंखलाओं में श्रम मानकों को बनाए रखने का उत्तरदायित्व। मानवाधिकार और श्रम मानकों से संबंधित विनियमों का अनुपालन न करने से दुष्परिणाम और क्षति संभावित है।	बीएचईएल की नीतियाँ मानवाधिकारों, भारतीय संविधान और लागू कानूनों के सिद्धांतों के अनुरुप हैं। कंपनी ने कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। बीएचईएल, लागू श्रम कानून के सभी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। अनुभाग सी: सिद्धांत 3 और 5 देखें।	नकारात्मक निहितार्थ
6.	कर्मचारी, विविधता और समावेशन	अवसर	• कर्मचारी एंगेजमेंट उत्पादकता में वृद्धि करता है और लाभांश पर प्रभाव डालता है। • विविधता/समान अवसर नागरिक समाज के उत्थान में सहायक होते हैं। कंपनी एक समान अवसर प्रदान करने वाली नियोक्ता है और भारत सरकार की नीतियों द्वारा निर्देशित भर्ती और रोजगार संबंधों में लिंग, नस्ल, जाति, धर्म, भाषा क्षेत्र आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करती है, जिससे विविध संस्कृति और प्रतिभा का विकास होता है।	--	सकारात्मक निहितार्थ

क्र. सं.	सामग्री समस्या की पहचान	इंगित करें कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम की स्थिति में, अनुकूलन या शमन हेतु दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ इंगित करें)
7.	सामाजिक जुड़ाव एवं प्रभाव	अवसर	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समाज के कमजोर और हाशिए पर खड़े लोगों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कंपनी की ब्रांड धारणा, ग्राहकों, कर्मचारियों और निवेशकों के लिए आकर्षण और समग्र व्यावसायिक सफलता में भी सुधार करता है।	--	सकारात्मक निहितार्थ
8.	डाटा एवं साइबर सुरक्षा	जोखिम	साइबर खतरे से उत्पन्न जोखिम परिचालन समय की हानि और महत्वपूर्ण डेटा हानि (संगठन और ग्राहक) के कारण राजस्व की हानि का कारण है, जिससे व्यवसाय प्रभावित होता है।	कंपनी ने साइबर सुरक्षा को सबसे बड़े जोखिमों में से एक माना है। तदनुसार, जोखिम को कम करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं, जैसे कि कंपनी ISO/IEC 27001 प्रमाणित है और उसने पूरे संगठन में सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ISMS) लागू की है; एंडपॉइंट सुरक्षा, नेक्स्ट-जेन साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र (साइबर SOC), सुरक्षा ऑर्केस्ट्रेशन ऑटोमेशन एंड रिस्पांस (SOAR) और वेब एप्लिकेशन फायरवॉल (WAF) के लिए केंद्रीकृत समाधान का कार्यान्वयन। वास्तविक समय में कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए बाहरी स्रोतों से प्राप्त खतरे की खुफिया जानकारी को सुरक्षा सूचना और घटना प्रबंधन (SIEM) के साथ एकीकृत किया गया है। बोर्ड की रिपोर्ट के खंड 1.12 में अन्य विवरण शामिल किए गए हैं।	नकारात्मक निहितार्थ
9.	उत्पाद सुरक्षा	जोखिम	उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षित कार्यप्रणाली में कमी से कंपनी की छवि, देयता दावों पर प्रभाव पड़ता है और लागत (पुनर्निर्माण लागत) आदि में वृद्धि होती है।	विनिर्माण संयंत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करते हुए उच्च गुणवत्ता और विश्वसनीय उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला तैयार करते हैं। बीएचईएल के प्रत्येक उत्पाद के लिए उत्पाद नियमावली उपलब्ध है, जिसमें अनिवार्य वैधानिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त ग्राहकों के साथ अनुबंध की शर्तों और आवश्यकताओं के अनुसार विस्तृत उत्पाद लेबल/नाम पट्टिका/परीक्षण प्रमाणपत्र अंकित होते हैं। ग्राहकों को अनुबंध की शर्तों के अनुसार उत्पादों के संचालन का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।	नकारात्मक निहितार्थ

क्र. सं.	सामग्री समस्या की पहचान	इंगित करें कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम की स्थिति में, अनुकूलन या शमन हेतु दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ इंगित करें)
10.	कॉर्पोरेट प्रशासन और व्यावसायिक नैतिकता	जोखिम	मूल्य/नैतिक व्यवहार उन तरीकों से कार्य करना है जो कंपनी के नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति दृष्टिकोण के अनुरुप हों। इनका पालन न करने से प्रतिष्ठा को खतरा हो सकता है और व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।	बीएचईएल अपने व्यवसाय का संचालन कॉर्पोरेट प्रशासन प्रक्रियाओं और आचार संहिता एवं नैतिकता के अनुपालन में करने में विश्वास रखता है। बीएचईएल के कोड/प्रक्रियाएँ लागू हैं, जैसे कि व्हिसल-ब्लोअर नीति, धोखाधड़ी निवारण नीति, सीडीए नियम आदि। सिद्धांत 1 देखें।	नकारात्मक निहितार्थ
11.	जलवायु परिवर्तन	जोखिम	ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन करने वाले पूंजीगत वस्तुओं की मांग में कमी। मांग में यह कमी देश/वैश्विक स्तर पर नीतिगत बदलावों का प्रत्यक्ष परिणाम है।	नई प्रौद्योगिकियों को अपनाना तथा कम उत्सर्जन वाले उत्पादों के साथ उत्पाद पोर्टफोलियो में विविधता लाना।	नकारात्मक निहितार्थ
12.	संधारणीय उत्पाद और सेवाएँ	अवसर	हमारे ग्राहकों द्वारा ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यों के कारण परमाणु, रक्षा, परिवहन, कोयला से लेकर रसायन आदि क्षेत्रों में नए व्यावसायिक अवसर।	--	सकारात्मक निहितार्थ
13.	सामग्री का स्रोत	जोखिम	भू-राजनीतिक अनिश्चितताएँ, अन्य क्षेत्रों से समान सामग्री की बढ़ती माँग आपूर्ति जोखिम और सामग्री की कीमतों में अस्थिरता का कारण बनती है, जिससे उत्पाद वितरण में देरी के साथ-साथ उत्पाद मूल्य निर्धारण में चुनौती भी हो सकती है।	'मेक इन इंडिया'/वस्तुओं के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना आदि।	नकारात्मक निहितार्थ
14.	उपयोगी चरण में ईंधन अर्थव्यवस्था और उत्सर्जन (उत्पाद का परिचालन जीवन)	अवसर	बेहतर ईंधन अर्थव्यवस्था के लिए ग्राहकों की प्राथमिकताएँ, विनियमन और उत्सर्जन प्रतिबंध के साथ मिलकर, उद्योग में ऊर्जा-कुशल और कम उत्सर्जन वाले उत्पादों की मांग बढ़ा रही हैं।	--	सकारात्मक निहितार्थ

खंड ख: प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण :

इस खंड का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने के लिए स्थापित संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना है।

प्रकटीकरण प्रश्न	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएं									
1. क. क्या आपकी संस्था की नीति/नीतियाँ एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मुख्य तत्वों को कवर करती हैं। (हाँ/नहीं/लागू नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं@	हां	हां
ख. क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हाँ/नहीं/ लागू नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं@	हां	हां
ग. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो*	i, ii, iii, iv	-	v	vi	-	v	-	vi	-
2. क्या संस्था ने नीति को प्रक्रियाओं में परिवर्तित किया है? (हाँ/ नहीं/लागू नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
3. क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों तक विस्तारित हैं? (हां/नहीं/लागू नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
4. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणपत्र/मानक (जैसे फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट अलायंस, ट्रस्टी) मानकों का नाम, जैसे SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) जिन्हें आपकी संस्था द्वारा अपनाया गया है और प्रत्येक सिद्धांत के लिए मैप किया गया है।*	e, f, g	a, b, c	b, c, e, f	f,	e, f, h,	b, d	f, g	f, h	a
5. निर्धारित समय-सीमा के साथ इकाई द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, लक्ष्य और कार्य, यदि कोई हो।	लागू नहीं	50% ऑर्डर बुक गैर जीवाश्म क्षेत्र से	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	• 50,000 पौधे रोपना • दो विनिर्माण इकाइयों का ग्रीनको रेटिंग मूल्यांकन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6. विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, कार्यों और लक्ष्यों के प्रति इकाई का प्रदर्शन, तथा यदि वे पूरे नहीं होते हैं तो कारण भी।	लागू नहीं	11.6% वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	• 85,819 पौधे रोपे गए • दो विनिर्माण इकाइयों का ग्रीनको रेटिंग के लिए मूल्यांकन किया गया। एफएसआईपी को सिल्वर रेटिंग और ईडीएन बेंगलुरु को गोल्ड रेटिंग मिली।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

अभिशासन, नेतृत्व और निगरानी
7. व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए उत्तरदायी निदेशक का वक्तव्य, जिसमें ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है (सूचीबद्ध इकाई को इस प्रकटीकरण के स्थान के संबंध में लचीलापन है)
जलवायु परिवर्तन और जलवायु कार्रवाई की अनिवार्यता का मुद्दा व्यावसायिक रणनीतियों और नीतियों को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक बन गया है। बीएचईएल हमेशा से ही पर्यावरण के प्रति जागरूक संगठन रहा है और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए पहले से ही कई उत्पाद और समाधान प्रस्तुत कर रहा है और कई संबंधित उभरती प्रौद्योगिकियों पर आगे भी काम कर रहा है। कंपनी एक सुव्यवस्थित पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से अपने स्वयं के परिचालनों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। हरित बीएचईएल को एक हरित कंपनी बनाने की एक परिवर्तनकारी पहल है, जिसका लक्ष्य 2047 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है। हरित बीएचईएल पहल के अंतर्गत हरित ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना, जल अपव्यय को कम करना, जल तटस्थता प्राप्त करने के लिए वर्षा जल संचयन को बढ़ाना और उत्तरदायी अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को अपनाना प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं। इसमें ईएसजी सिद्धांतों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना भी शामिल है, जिससे कंपनी को पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

<table>
<tr><td>8. व्यवसाय उत्तरदायित्व नीति(यों) के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण।</td><td rowspan="2">नामः कृष्ण कुमार ठाकुर
पद नामः निदेशक (मा.सं)
DIN: 10172666
दूरभाषः 011- 26001003
Email id: dhr@bhel.in</td></tr>
<tr><td>9. क्या संस्था के पास संधारणीयता संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार बोर्ड की एक निर्दिष्ट समिति /निदेशक है? (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।</td></tr>
</table>

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण:

समीक्षा का विषय	बताएं कि क्या निदेशक/बोर्ड की समिति/किसी अन्य समिति द्वारा समीक्षा की गई थी									आवृत्ति (वार्षिक/ अर्धवार्षिक/ त्रैमासिक/ कोई अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)								
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
उपरोक्त नीतियों के अनुसार निष्पादन और अनुवर्ती कार्रवाई	जहाँ भी लागू हो, बीआरएसआर की धारा सी में समीक्षा और आवृत्ति प्रदान की गई है।																	
उपरोक्त नीतियों के अनुसार निष्पादन और अनुवर्ती कार्रवाई हेतु अन्य समिति का विवरण	जहाँ भी लागू हो, बीआरएसआर की धारा सी में समीक्षा और आवृत्ति प्रदान की गई है।																	
सिद्धांतों से संबंधित वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन, और किसी भी गैर-अनुपालन का सुधार	जहाँ भी लागू हो, बीआरएसआर की धारा सी में वैधानिक आवश्यकता के अनुपालन की समीक्षा और आवृत्ति प्रदान की गई है।																	
सिद्धांतों से संबंधित वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन और सुधार हेतु अन्य समिति का विवरण	जहाँ भी लागू हो, बीआरएसआर की धारा सी में वैधानिक आवश्यकता के अनुपालन की समीक्षा और आवृत्ति प्रदान की गई है।																	

11. क्या संस्था ने अपनी नीतियों के क्रियान्वयन का किसी बाहरी एजेंसी से स्वतंत्र मूल्यांकन करवाया है? (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो एजेंसी का नाम बताएँ।	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P6	P7	P8
	संगठन की नीतियां और प्रक्रियाएं आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, आईएसओ 45001, आईएसओ 27001, सीएजी, संसदीय समितियों, प्रशासनिक मंत्रालय आदि द्वारा ऑडिट/ समीक्षा के अधीन हैं।								

* क. आईएसओ 9001; ख. आईएसओ 14001; ग. आईएसओ 45001; घ. आईएसओ 50001; ङ. मानवाधिकार, श्रम, पर्यावरण और भ्रष्टाचार विरोधी यूएनजीसी के दस सिद्धांत; च. डीपीई दिशानिर्देश; छ. सेबी एलओडीआर आवश्यकता; ज. कंपनी अधिनियम 2013;

#

i. https://www.bhel.com/code-business-conduct-ethics-board-members-senior-management-personnel

ii. https://www.bhel.com/code-conduct-prevention-insider-trading

iii. https://www.bhel.com/bhel-fraud-prevention-policy-0

iv. https://www.bhel.com/whistle-blower-policy

v. https://www.bhel.com/sites/default/files/HSEPOLICY.pdf

vi. https://www.bhel.com/sites/default/files/BHEL_CSR_Policy_2022.pdf

नोट:

बीएचईएल ने इन सिद्धांतों के आधार पर कार्यप्रणाली और प्रक्रियाएँ स्थापित की हैं, लेकिन इनमें से किसी के संबंध में कोई औपचारिक नीति दस्तावेज़ नहीं है।

12. यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर "नहीं" है, अर्थात सभी सिद्धांत किसी पॉलिसी के अंतर्गत नहीं हैं, तो कारण बताएँ:

प्रश्न	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
इकाई इन सिद्धांतों को अपने व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानती (हाँ/नहीं)	No	No	No	No	No	No	No	No	No
इकाई अभी उस स्थिति में नहीं है जहाँ वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियाँ बनाने और उन्हें लागू करने की स्थिति में हो (हाँ/नहीं)	No	No	No	No	No	No	Yes	No	No
इकाई के पास इस कार्य के लिए वित्तीय या/और मानव एवं तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हाँ/नहीं)	No	No	No	No	No	No	No	No	No
इसे अगले वित्तीय वर्ष में पूरा करने की योजना है (हाँ/नहीं)	No	No	No	No	No	No	No	No	No
कोई अन्य कारण (कृपया स्पष्ट करें) *	No	No	No	No	No	No	No	No	No

*नीति पक्षपोषण से संबंधित सिद्धांत 7 के संबंध में, हालांकि कंपनी के पास कोई नीति नहीं है, लेकिन वह 'जिम्मेदार तरीके से नीति पक्षपोषण' पर आधारित स्थापित प्रथाओं का पालन करती है।

खंड ग: सिद्धांतानुसार प्रदर्शन प्रकटीकरण

सिद्धांत 1: आचारनीति, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व

आवश्यक संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरुकता कार्यक्रमों द्वारा कवरेज का प्रतिशत:

बीएचईएल अपने कर्मचारियों और निदेशकों के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यकताओं के आधार पर तैयार किए जाते हैं और इनमें कई विषय शामिल होते हैं (जो किसी न किसी रुप में नौ सिद्धांतों को शामिल करते हैं)।

भाग	आयोजित प्रशिक्षण और जागरुकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उनका प्रभाव	जागरुकता कार्यक्रमों द्वारा कवर किए गए संबंधित वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत
निदेशक मंडल*	8	विनिर्माण क्षमताओं, व्यावसायिक आचरण और सूचीबद्धता विनियमों से परिचित कराना	80.00%
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक कर्मचारी	5	सेबी सूचीबद्धता विनियमों, सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग विनियमों, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष, विकसित भारत, एसएमई, पीओएसएच और नए श्रम संहिताओं में संशोधन	100.00%
निदेशक मंडल और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	1651	नौ सिद्धांतों के अनुरुप तकनीकी, कार्यात्मक, सुरक्षा, प्रबंधकीय और व्यवहार संबंधी विषय	60.10%
कर्मचारी @	625		44.70%

* बीएचईएल केएमपी में निदेशक मंडल और कंपनी सचिव शामिल हैं; पंक्ति संख्या 2 के संदर्भ में, केवल कंपनी सचिव पर ही विचार किया जाता है। # इसमें बीएचईएल के स्थायी कर्मचारी और श्रमिक शामिल हैं।
@ इसमें बीएचईएल के स्थायी श्रमिक शामिल हैं

2. वित्तीय वर्ष में नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं के साथ कार्यवाही (इकाई द्वारा या निदेशकों/केएमपी द्वारा) में भुगतान किए गए जुर्माने/दंड/दंड/पुरस्कार/शमन शुल्क/निपटान राशि का विवरण, निम्नलिखित प्रारुप में (नोट: इकाई सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण दायित्व) विनियम, 2015 के विनियम 30 में निर्दिष्ट और इकाई की वेबसाइट पर बताए अनुसार भौतिकता के आधार पर प्रकटीकरण करेगी):

मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं का नाम	राशि (₹ में)	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या कोई अपील की गई है? (हाँ/नहीं)
जुर्माना/दंड	शून्य	शून्य	0	शून्य	शून्य
निपटान	शून्य	शून्य	0	शून्य	शून्य
कंपाउंडिंग शुल्क	शून्य	शून्य	0	शून्य	शून्य

गैर-मौद्रिक				
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या कोई अपील की गई है? (हाँ/नहीं)
कारावास	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सज़ा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

3. उपरोक्त प्रश्न 2 में बताए गए मामलों में, उन मामलों में की गई अपील/संशोधन का विवरण जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई के लिए अपील की गई है

मामले का विवरण	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं का नाम
लागू नहीं	लागू नहीं

4. क्या संस्था के पास भ्रष्टाचार-विरोधी या रिश्वतखोरी-विरोधी नीति है? यदि हाँ, तो संक्षेप में विवरण दें और यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

हाँ, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की समस्या से निपटने के लिए बीएचईएल के पास व्हिसल ब्लोअर नीति और धोखाधड़ी निवारण नीति लागू है। अपने कर्मचारियों (स्थायी आदेशों द्वारा शासित नियमों को छोड़कर) के बीच आचरण के उच्च मानदंड स्थापित करने के बीएचईएल के निरंतर प्रयास के तहत, बीएचईएल 'आचरण, अनुशासन और अपील नियम-1975' लागू है। **https://bhel.com/sites/default/files/CDA%20Rules_0.pdf**

कंपनी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) लेखापरीक्षा के अधीन है।

https://www.bhel.com/bhel-fraud-prevention-policy-0
https://www.bhel.com/whistle-blower-policy

बीएचईएल की प्रत्येक विनिर्माण इकाई और पॉवर सेक्टर्स में बीएचईएल का सतर्कता अधिकारी नियुक्त है जो मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO), केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रबंधन के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है।

बीएचईएल के विभिन्न क्षेत्रों में एक सतर्कता तंत्र है, जिसका नेतृत्व एक सतर्कता कार्यकारी करता है जो मुख्य सतर्कता अधिकारी को रिपोर्ट करता है। विक्रेताओं और ग्राहकों के साथ व्यावसायिक लेन-देन के क्षेत्र में, बीएचईएल ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि दोनों पक्षों को नैतिक आचरण के लिए बाध्य करके खरीद और अनुबंध को और अधिक पारदर्शी बनाया जा सके। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अनुमोदन से, बीएचईएल में सत्यनिष्ठा संधि के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए तीन (03) स्वतंत्र बाह्य निरीक्षकों (आईईएम) का एक पैनल नियुक्त किया गया है। आईईएम का विवरण नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है।

https://www.bhel.com/iems-under-integrity-pact-1

5. निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या जिनके विरुद्ध रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के आरोप में किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई:

	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
निदेशक	0	0
केएमपी	0	0
कर्मचारी	0	1
श्रमिक	0	0

6. हितों के टकराव से संबंधित शिकायतों का विवरण:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2024-25		वित्तीय वर्ष 2023-24	
	संख्या	टिप्पणी	संख्या	टिप्पणी
निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	0	--	0	--
केएमपी (निदेशकों के अलावा) के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	0	--	0	--

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं द्वारा जुर्माने/दंड/की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें-

बोर्ड की रिपोर्ट, सतर्कता तंत्र के अनुलग्नक-VIII का संदर्भ लें।

8. देय खातों के दिनों की संख्या (देय खाते * 365) / प्राप्त वस्तुओं/सेवाओं की लागत) निम्नलिखित प्रारूप में:

	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24*
देय खाते x 365 दिन	₹4,27,47,74,15,00,000	₹3,95,37,31,10,00,000
खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की लागत	₹ 2,13,15,00,00,000	₹ 1,72,55,00,00,000
देय खातों के दिनों की संख्या	201	229

* नोट: वित्त वर्ष 2023-24 के आंकड़ों को वित्त वर्ष 2024-25 के वर्गीकरण के अनुरुप पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है

9. **व्यवसाय का खुलापन: व्यापारिक घरानों, डीलरों और संबंधित पक्षों के साथ खरीद और बिक्री की एकाग्रता का विवरण, साथ ही संबंधित पक्षों के साथ ऋण और अग्रिम और निवेश का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:**

पैरामीटर	मेट्रिक्स	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
खरीदारी का संकेन्द्रण*	क. i) व्यापारिक घरानों से खरीदारी (₹)	0	0
	ii) कुल खरीदारी (₹)	1,47,16,00,00,000	97,00,00,00,000
	iii) व्यापारिक घरानों से खरीदारी कुल खरीदारी के % के रूप में	0%	0%
	ख. उन व्यापारिक घरानों की संख्या जहाँ खरीदारी की गई	0	0
	ग. i) शीर्ष 10 व्यापारिक घरानों से खरीदारी (₹)	0	0
	ii) व्यापारिक घरानों से कुल खरीदारी (₹)	0	0
	iii) शीर्ष 10 व्यापारिक घरानों से खरीदारी व्यापारिक घरानों से कुल खरीदारी के % के रूप में (₹)	0%	0%
बिक्री का संकेन्द्रण	क. i) डीलर/वितरक को बिक्री (₹)	0	0
	ii) कुल बिक्री (₹)	2,73,55,17,00,000	2,29,20,52,00,000
	iii) डीलर/वितरक को बिक्री, कुल बिक्री के % के रूप में	0%	0%
	ख. उन डीलरों/वितरक की संख्या जिन्हें बिक्री की जाती है	0	0
	ग. i) शीर्ष 10 डीलरों/वितरक को बिक्री (₹)	0	0
	ii) डीलर/वितरक को कुल बिक्री (₹)	0	0
	iii) शीर्ष 10 डीलरों/वितरक को बिक्री, डीलर/वितरक को कुल बिक्री के % के रूप में	0%	0%
आरपीटी का हिस्सा	क. i) खरीद (संबंधित पक्षों के साथ खरीद) (₹)	1,49,00,000	1,25,00,000
	ii) कुल खरीद (₹)	2,13,15,00,00,000	1,72,55,00,00,000
	iii) संबंधित पक्षों के साथ खरीद, कुल खरीद के % के रूप में	0.01%	0.01%
	ख. i) बिक्री (संबंधित पक्षों को बिक्री) (₹)	3,29,89,00,000	3,15,83,00,000
	ii) कुल बिक्री (₹)	2,73,55,17,00,000	2,29,20,52,00,000
	iii) संबंधित पक्षों को बिक्री, कुल बिक्री के % के रूप में	1.21%	1.38%
	ग. i) संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण और अग्रिम (₹)	16,00,000	0
	ii) कुल ऋण और अग्रिम (₹)	31,90,00,00,000	25,08,00,00,000
	iii) संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण और अग्रिम, कुल ऋण और अग्रिम के % के रूप में	0.01%	0%
	घ. i) संबंधित पक्षों में निवेश (₹)	5,29,49,000	0
	ii) कुल निवेश (₹)	5,29,49,000	0
	iii) संबंधित पक्षों में निवेश, कुल निवेश के % के रूप में	100%	0%

*नोट: 'खरीद का संकेन्द्रण' के अंतर्गत कुल खरीद केवल वस्तुओं एवं सेवाओं से संबंधित है (कार्यों को छोड़कर)

नेतृत्व संकेतक

1. **वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रम:**

आयोजित जागरुकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत	जागरुकता कार्यक्रमों के अंतर्गत कवर किए गए मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार)
49	1. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति पर जागरुकता - एमएसई के लिए आदेश (एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी) 2. ऑनलाइन आपूर्तिकर्ता पंजीकरण पोर्टल 3. गवर्नमेंट-ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) 4. बीएचईएल अनुबंध की सामान्य शर्तें 5. स्थानीय स्रोतों की पहचान करने और आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहन देने के लिए घरेलू उद्योग के साथ बीएचईएल संवाद	20%

2. क्या संस्था के पास बोर्ड के सदस्यों से संबंधित हितों के टकराव से बचने/प्रबंधित करने के लिए प्रक्रियाएं मौजूद हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो उसका विवरण प्रदान करें।

कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में विस्तृत प्रावधान हैं जिनके अनुसार बोर्ड के निदेशकों को किसी भी कंपनी(यों)/निगम निकायों/फर्मों/व्यक्तियों के अन्य संघ में अपनी चिंता या रुचि (अपनी शेयरधारिता सहित) का समय-समय पर और साथ ही, जब भी पहले से किए गए खुलासे में कोई बदलाव हो, खुलासा करना आवश्यक है। इस संबंध में, निदेशक मंडल को एक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करते हैं जिसमें कहा जाता है कि उनकी चिंता/हित के कारण कंपनी के व्यवसाय के संबंध में उनका कोई हितों का टकराव नहीं है और जब भी ऐसा कोई टकराव/हित उत्पन्न होता है, तो वे तुरंत मंडल को इसकी सूचना देंगे।

इसके अलावा, कंपनी के बोर्ड ने सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए एक 'व्यावसायिक आचरण एवं आचार संहिता' को मंजूरी दी है। इस संहिता में (i) सामान्य नैतिक अनिवार्यताएँ (ii) विशिष्ट व्यावसायिक ज़िम्मेदारियाँ, और साथ ही (iii) बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए विशिष्ट अतिरिक्त प्रावधान शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, बोर्ड और व्यक्तिगत निदेशकों की भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और बोर्ड को अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, बोर्ड ने निदेशक मंडल का एक चार्टर निर्धारित किया है।

बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव से बचने/प्रबंधित करने के लिए मौजूद इन प्रक्रियाओं के अतिरिक्त, बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों को कुछ अतिरिक्त प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है, जैसे अपनी स्वतंत्रता की घोषणा प्रस्तुत करना (अर्थात वे स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं और उन्हें किसी भी ऐसी परिस्थिति या स्थिति की जानकारी नहीं है, जो मौजूद हो या उचित रूप से अनुमानित हो, जो उनके कर्तव्यों के निर्वहन की क्षमता को क्षीण या प्रभावित कर सकती हो)। उद्देश्यपूर्ण स्वतंत्र निर्णय के साथ और बिना किसी बाहरी प्रभाव के कर्तव्यों का पालन करना) और कंपनी अधिनियम की अनुसूची IV का अनुपालन करना, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) व्यावसायिक आचरण के दिशानिर्देश (ii) भूमिका और कार्य और (iii) स्वतंत्र निदेशकों के लिए कर्तव्य शामिल हैं।

सिद्धांत 2: उत्पाद जीवनचक्र स्थिरता आवश्यक संकेतक

आवश्यक संकेतक

1. क्रमशः इकाई द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास व्यय और पूंजीगत व्यय निवेश में उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को बेहतर बनाने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत।

	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24	विवरण
आर एण्ड डी	1.59%	2.09%	पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए 10 से अधिक विभिन्न प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में विकास परियोजनाएं शुरु की गईं।
कैपेक्स	4.89%	5.57%	बीएचईएल त्रिची में पुनर्गैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) अवसंरचना की स्थापना, बीएचईएल सीएफएफपी हरिद्वार में 30 टी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ), बीएचईएल झांसी में 10 एमटीपीएच गैस फायर्ड बॉयलर आदि की स्थापना के लिए प्रमुख पूंजीगत व्यय।

बोर्ड की रिपोर्ट का अनुलग्रक-VI और अनुलग्रक-VII देखें

2. क. क्या संस्था के पास संधारणीय सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएँ मौजूद हैं? (हाँ/नहीं)

क. यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत इनपुट संधारणीय रूप से प्राप्त किए गए?

हाँ, बीएचईएल ने व्यवसाय सुधार और स्थायी व्यावसायिक अभ्यास के रूप में ई-प्रोक्योरमेंट/जेम को लागू किया है। साथ ही, आपूर्तिकर्ता पंजीकरण केवल ऑनलाइन मोड में किया जाता है। बीएचईएल अपने कई मूल्य श्रृंखला भागीदारों से विभिन्न इनपुट सामग्री और घटक प्राप्त करता है, जो प्रमाणित हैं और आईएसओ 14001, आईएसओ 45001, आईएसओ 9001 आदि मानकों के अनुरूप हैं।

हमारे 100% इनपुट संधारणीय रूप से प्राप्त किए जाते हैं।

3. अपने उत्पादों को उनके जीवनकाल के अंत में पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान हेतु सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें, (क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (ख) ई-कचरा (ग) खतरनाक कचरा और (घ) अन्य कचरा।

बीएचईएल उत्पाद पूंजीगत वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं जहाँ अधिकांश मामलों में उत्पाद का जीवनकाल 25 वर्ष से अधिक होता है। ग्राहक को बेचे गए ये सामान अनुबंध की शर्तों के अनुसार उनकी संपत्ति बन जाते हैं और वित्तीय पुस्तकों में मूल्यह्रास प्रकृति के साथ ग्राहक की परिसंपत्ति का हिस्सा बन जाते हैं। बाजार की आवश्यकता नवीनीकरण या आर एंड एम की प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादों या प्रणालियों के जीवनकाल को बढ़ाने की है। पूंजीगत वस्तुओं के वांछित जीवनकाल की समाप्ति के बाद, वे पुनः उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं और इसलिए पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादों के मालिक द्वारा उन्हें कबाड़ के रूप में निपटाया जाता है।

4. क्या विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) इकाई की गतिविधियों पर लागू है (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो क्या अपशिष्ट संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों का विवरण दें।

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) बीएचईएल की गतिविधियों पर लागू नहीं है।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या कंपनी ने अपने किसी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य / आकलन (एलसीए) किया है? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।

नहीं, कंपनी ने उत्पादों के लिए जीवन चक्र आकलन नहीं किया है।

2. यदि आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएँ और/या जोखिम उत्पन्न होते हैं, जैसा कि जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (एलसीए) में या किसी अन्य माध्यम से पहचाना गया है, तो उन्हें कम करने के लिए की गई कार्रवाई के साथ-साथ उनका संक्षेप में वर्णन करें।

लागू नहीं

3. उत्पादन (विनिर्माण उद्योग के लिए) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में प्रयुक्त कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) में पुनर्नवीनीकृत या पुनःप्रयुक्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत।

कंपनी की विनिर्माण प्रक्रियाओं में धातु स्क्रैप उत्पन्न होता है; हालाँकि, अपशिष्ट उत्पादन को कम करने के लिए इंजीनियरिंग उपाय किए जाते हैं। विनिर्माण स्क्रैप की एक बड़ी मात्रा बाद में कंपनी के भीतर पुनर्चक्रण के माध्यम से पुनः उपयोग की जाती है। उदाहरण के लिए, हरिद्वार स्थित सेंट्रल फाउंड्री फोर्ज प्लांट (सीएफएफपी) में स्टील कास्टिंग के निर्माण के लिए स्टील स्क्रैप का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार, फाउंड्री प्लांट से प्राप्त प्रयुक्त रेत को पुनः प्राप्त किया जाता है और नए साँचे बनाने में पुनः उपयोग किया जाता है। पुनः प्रयोज्य सामग्री का उपयोग निर्मित वस्तुओं की पैकेजिंग में भी किया जाता है।

हालाँकि, उपयोग में आने वाली ऐसी पुनर्चक्रित/पुनः उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का वित्तीय मूल्य फिलहाल अलग से दर्ज नहीं किया जा रहा है।

4. उत्पादों की जीवन अवधि समाप्त होने पर पुनः प्राप्त उत्पादों और पैकेजिंग की मात्रा (मीट्रिक टन में) निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और सुरक्षित निपटान की जाती है:

बीएचईएल का व्यवसाय बी2बी प्रकृति का है और हमारे द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले उत्पाद/प्रणालियाँ दीर्घ जीवन चक्र (25 वर्ष और उससे अधिक) वाली पूंजीगत वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं। आपूर्ति के लिए सभी संबंधित पैकेजिंग सामग्री देश-विदेश में फैले हमारे ग्राहकों की संपत्ति बन जाती है। पूंजीगत वस्तुओं का वांछित जीवन काल समाप्त होने के बाद, वे पुनः उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं और इसलिए पूंजीगत वस्तुओं के स्वामी द्वारा उन्हें कबाड़ के रूप में सुरक्षित रूप से निपटाया जाता है।

5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)।

जैसा कि बिंदु 4 (पिछले बिंदु) में बताया गया है।

सिद्धांत 3: कर्मचारियों का कल्याण

आवश्यक संकेतक

1. **क. कर्मचारियों के कल्याण हेतु उपायों का विवरण:**

श्रेणी	इसके अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत										
	कुल (A)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (B)	% (B / A)	संख्या (C)	% (C / A)	संख्या (D)	% (D / A)	संख्या (E)	% (E / A)	संख्या (F)	% (F / A)
स्थायी कर्मचारी*											
पुरुष	26183	26183	100%	26183	100%	0	0%	26183	100%	0	0%
महिला	1617	1617	100%	1617	100%	1617	100%	0	0%	1617	100%
अन्य	0	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--
कुल	27800	27800	100%	27800	100%	1617	5.82%	26183	94.18%	1617	5.82%
स्थायी कर्मचारियों के अलावा											
पुरुष	18758	18758	100%	18758	100%	0	0	0	0%	0	0%
महिला	1664	1664	100%	1664	100%	1664	100%	0	0%	269	16.17%
अन्य	0	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--
कुल	20422	20422	100%	20422	100%	1664	8.15%	0	0%	269	1.32%

ख. श्रमिकों के कल्याण हेतु उपायों का विवरण:

श्रेणी	इसके अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत										
	कुल (A)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		दैनिक देखभाल सुविधाएं	
		संख्या (B)	% (B / A)	संख्या (C)	% (C / A)	संख्या (D)	% (D / A)	संख्या (E)	% (E / A)	संख्या (F)	% (F / A)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	12999	12999	100%	12999	100%	0	0%	12999	100%	0	0%
महिला	333	333	100%	333	100%	333	100%	0	0%	333	100%
अन्य	0	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--
कुल	13332	13332	100%	13332	100%	333	2.50%	12999	97.50%	333	2.50%
स्थायी कर्मचारियों के अलावा											
पुरुष	18664	18664	100%	18664	100%	0	0%	0	0%	0	0%
महिला	1663	1663	100%	1663	100%	1663	100%	0	0%	268	16.12%
अन्य	0	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--
कुल	20327	20327	100%	20327	100%	1663	8.18%	0	0%	268	1.32%

नोट: *बीएचईएल अपने कर्मचारियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है। यह सुविधा सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर कर्मचारियों/जीवनसाथी को भी प्रदान की जाती है। बीएचईएल के विनिर्माण संयंत्रों सहित कई परिसरों में डे केयर सुविधाएँ भी प्रदान की जाती हैं।

@ 'स्थायी कर्मचारियों के अलावा' के मामले में, कार्य अनुबंध में बीमा अंतर्निहित है।

ग. कर्मचारियों और श्रमिकों (स्थायी और स्थायी के अलावा अन्य सहित) के कल्याण के उपायों पर निम्नलिखित प्रारूप में व्यय:

	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023- 24
i) कल्याणकारी उपायों पर होने वाली लागत (कल्याणकारी उपायों का अर्थ है कर्मचारियों और श्रमिकों का कल्याण (पुरुष, महिला, स्थायी और स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों के अलावा अन्य सहित))	₹1,76,75,00,000	₹1,69,41,00,000
ii) कंपनी का कुल राजस्व	₹2,88,42,87,00,000	₹2,44,80,70,00,000
iii) कंपनी के कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में कल्याणकारी उपायों पर व्यय	0.61%	0.69%

2. चालू वित्तीय वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण।

लाभ	वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2023- 24		
	कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों* की संख्या	कुल श्रमिकों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या	कटौती की गई और प्राधिकरण के पास जमा कर दी गई (हां/नहीं/नहीं)	कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों* की संख्या	कुल श्रमिकों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या	कटौती की गई और प्राधिकरण के पास जमा कर दी गई (हां/नहीं/नहीं)
पीएफ	100%	100%	हां	100%	100%	हां
ग्रेच्युटी	100%	100%	हां	100%	100%	हां
ईएसआई @	-	-	-	-	-	-
अन्य (बीएचईएल पेंशन योजना)	100%	100%	लागू नहीं	100%	100%	लागू नहीं
अन्य (बीएचईएल चिकित्सा सुविधा)	100%	100%	लागू नहीं	100%	100%	लागू नहीं

* इसमें केवल स्थायी कर्मचारी (स्थायी श्रमिकों सहित) शामिल हैं। स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य सभी के लिए, सभी वैधानिक आवश्यकताएँ उनके संबंधित ठेकेदारों द्वारा पूरी की जाती हैं।

इसमें केवल स्थायी कर्मचारी शामिल हैं। स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य सभी के लिए, सभी वैधानिक आवश्यकताएँ उनके संबंधित ठेकेदारों द्वारा पूरी की जाती हैं।

@ ईएसआई लागू नहीं है। बीएचईएल का कोई भी स्थायी कर्मचारी ईएसआई अधिनियम के पात्रता मानदंडों के अंतर्गत नहीं आता है।

3 . कार्यस्थलों की सुगम्यता

क्या संस्था के परिसर/कार्यालय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार दिव्यांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या संस्था द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाए जा रहे हैं?

हाँ, बीएचईएल के परिसर और कार्यालय दिव्यांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ हैं। संरचनात्मक संशोधन और अन्य परिवर्तन (नीतियों आदि में) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार किए गए हैं।

4. क्या संस्था के पास दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि हाँ, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

हाँ, कंपनी भारत सरकार के निर्देशानुसार, समाज के सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, दिव्यांगजनों और महिलाओं के प्रतिनिधित्व हेतु भर्ती और पदोन्नति में सकारात्मक कार्रवाई करती है। कंपनी एक समान अवसर प्रदान करने वाली नियोक्ता है और भर्ती एवं रोजगार संबंधों में लिंग, नस्ल, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, दिव्यांगता आदि के

आधार पर भेदभाव नहीं करती है।

किसी कर्मचारी को समय से पहले चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त किए जाने की स्थिति में, "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" के प्रावधानों को ध्यान में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, दिव्यांगजनों (PwD) के स्थानांतरण के लिए सरकारी दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता हेतु स्थानांतरण और कार्य-चक्र नीति को अनिवार्य बनाया गया है।

5. मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश लेने वाले स्थायी कर्मचारियों एवं श्रमिकों की काम पर वापसी और प्रतिधारण दर।

	स्थायी कर्मचारी		स्थायी श्रमिक	
लिंग	**कार्य पर वापसी दर**	**प्रतिधारण दर**	**कार्य पर वापसी दर**	**प्रतिधारण दर**
पुरुष	100%	100%	100%	100%
महिला	100%	100%	100%	100%
अन्य	--	--	--	--
कुल	100%	100%	100%	100%

6. क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और श्रमिकों की शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है ? यदि हाँ, तो तंत्र का संक्षिप्त विवरण दें।

	हां/नहीं (यदि हां, तो संक्षेप में तंत्र का विवरण दें)
स्थायी कर्मचारी	हां
स्थायी कर्मचारियों के अलावा	हां
स्थायी कर्मचारी	हां
स्थायी कर्मचारियों के अलावा	हां

दो योजनाओं के माध्यम से एक सुव्यवस्थित शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है – एक श्रमिकों के लिए और दूसरा स्टाफ व अधिकारियों के लिए। इस योजना के प्रयोजनार्थ शिकायत का अर्थ है कंपनी की नीतियों/नियमों या प्रबंधन निर्णयों के कार्यान्वयन से उत्पन्न व्यक्तिगत कर्मचारी की शिकायत। इन दोनों योजनाओं में त्रि-स्तरीय समाधान का प्रावधान है। प्रत्येक चरण में शिकायत के समाधान के लिए निर्धारित समय-सीमा निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए शिकायत निवारण योजना के मामले में, इस योजना के अंतर्गत एक अपीलीय तंत्र भी प्रदान किया गया है और यदि कोई कर्मचारी शिकायत के समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो वह अपील कर सकता है। 'स्थायी कर्मचारियों/श्रमिकों के अलावा' के लिए, शिकायतों का निपटारा केस-टू-केस आधार पर या ठेकेदारों के माध्यम से, जैसा भी मामला हो, किया जाता है।

7. सूचीबद्ध इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त संघ(संघों) या यूनियनों में कर्मचारियों और श्रमिकों की सदस्यता:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2023- 24		
	संबंधित श्रेणी (A) में कुल कर्मचारी / श्रमिक	संबंधित श्रेणी के कर्मचारियों / श्रमिकों की संख्या, जो संघ(संघों) या यूनियन (B) का हिस्सा हैं	% (B / A)	संबंधित श्रेणी (C) में कुल कर्मचारी / श्रमिक	संबंधित श्रेणी के कर्मचारियों / श्रमिकों की संख्या, जो संघ(संघों) या यूनियन (D) का हिस्सा हैं	% (D / C)
कुल स्थायी कर्मचारी	27800	27800	100.00%	28673	28673	100.00%
- पुरुष	26183	26183	100.00%	26996	26996	100.00%
- महिला	1617	1617	100.00%	1677	1677	100.00%
- अन्य	0	0	--	0	0	--
कुल स्थायी श्रमिक	13332	13332	100.00%	14207	14207	100.00%
- पुरुष	12999	12999	100.00%	13846	13846	100.00%
- महिला	333	333	100.00%	361	361	100.00%
- अन्य	0	0	--	0	0	--

बीएचईएल के 29 सहभागी ट्रेड यूनियन हैं, जिनका प्रतिनिधित्व शीर्ष स्तरीय द्विपक्षीय निकाय, अर्थात् श्रमिकों और कंपनी के हितों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए संयुक्त समिति, सहभागी प्रबंधन के सिद्धांत पर आधारित है।

कर्मचारियों की तीनों श्रेणियों, अर्थात् कार्यकारी, पर्यवेक्षक और श्रमिकों का प्रतिनिधित्व उनके संबंधित संघों/ट्रेड यूनियनों द्वारा किया जाता है। हालाँकि, कार्यकारी/पर्यवेक्षक संघों और श्रमिक यूनियनों की सटीक सदस्यता का पता लगाने के लिए कोई चेक-ऑफ सुविधा नहीं होने के कारण, कोई निश्चित संख्या उपलब्ध नहीं है।

8. क. कर्मचारियों और श्रमिकों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024-25					वित्तीय वर्ष 2023- 24				
	कुल (A)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर		कुल (D)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		No. (B)	% (B/A)	No. (C)	% (C/A)		No. (E)	% (E/D)	No. (F)	% (F / D)
कर्मचारी										
पुरुष	26183	3845	14.69%	12794	48.86%	26996	3733	13.83%	11466	42.47%
महिला	1617	394	24.37%	1071	66.23%	1677	405	24.15%	1118	66.67%
अन्य	0	0	--	0	--	0	0	--	0	--
कुल	**27800**	**4239**	**15.25%**	**13865**	**49.87%**	**28673**	**4138**	**14.43%**	**12584**	**43.89%**
श्रमिक										
पुरुष	12999	1614	12.42%	4072	31.33%	13846	1289	9.31%	3842	27.75%
महिला	333	104	31.23%	152	45.65%	361	96	26.59%	181	50.14%
अन्य	0	0	--	0	--	0	0	--	0	--
कुल	**13332**	**1718**	**12.89%**	**4224**	**31.68%**	**14207**	**1385**	**9.75%**	**4023**	**28.32%**

नोट: यहां लिए गए कर्मचारी और श्रमिक स्थायी हैं

9. क. कर्मचारियों और श्रमिकों के प्रदर्शन और कैरियर विकास समीक्षा का विवरण:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2023- 24		
	कुल (A)	संख्या (B)	% (B / A)	कुल (C)	संख्या (D)	% (D / C)
कर्मचारी						
पुरुष	26183	26055	99.51%	26996	26996	100%
महिला	1617	1575	97.40%	1677	1677	100%
अन्य	0	0	--	0	0	--
कुल	**27800**	**27630**	**99.39%**	**28673**	**28673**	**100%**
श्रमिक						
पुरुष	12999	12811	98.55%	13846	13846	100%
महिला	333	304	91.29%	361	361	100%
अन्य	0	0	--	0	0	--
कुल	**13332**	**13115**	**98.37%**	**14207**	**14207**	**100%**

नोट: ये आँकड़े स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों से संबंधित हैं

10. स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

i. क्या संस्था द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली क्रियान्वित की गई है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो ऐसी प्रणाली के अंतर्गत क्या-क्या शामिल है?

हाँ, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (OHSMS) पूरे संगठन में लागू की गई है। यह प्रणाली सभी विनिर्माण इकाइयों, पावर सेकतर क्षेत्रों और प्रभागों पर लागू है, जिसमें BHEL के साथ और उसके लिए काम करने वाले सभी कर्मचारी शामिल हैं।

ii. कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने तथा संस्था द्वारा नियमित एवं गैर-नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं?

कंपनी के पास कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने और नियमित व गैर-नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए मज़बूत प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं। उनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है:

HIRA (खतरा पहचान और जोखिम आकलन) - HIRA को सभी कार्यस्थलों पर एक मानक प्रक्रिया के रूप में लागू किया जाता है। इसमें सभी कर्मचारियों की भागीदारी के साथ प्रत्येक विभाग स्तर पर व्यापक तरीके से प्रत्येक प्रक्रिया या गतिविधि के लिए खतरों और उससे जुड़े जोखिम की पहचान की पूरी प्रक्रिया शामिल है। बनाए गए HIRA की समय-समय पर अद्यतन के लिए समीक्षा की जाती है और प्रक्रियाओं में किसी भी बदलाव की पहचान होने पर तुरंत संशोधित किया जाता है।

JSA (नौकरी सुरक्षा विश्लेषण) - यह आवश्यक है कि रखरखाव कार्यों और दुर्घटना की संभावना वाले अन्य दोहराव वाले कार्यों का खतरों के लिए विश्लेषण किया जाए और पर्याप्त सुरक्षा उपाय निर्धारित किए जाएं। यह कार्य/प्रक्रिया की योजना बनाने के चरण में किया जाता है। कार्यस्थल पर JSA आयोजित करने के लिए प्रक्रियाएँ स्थापित की जा रही हैं। नौकरी सुरक्षा विश्लेषण के दौरान, दुर्घटनाओं की आवृत्ति, संभावित चोटों की गंभीरता और किसी भी नए कार्य जिसमें दुर्घटना का जोखिम अनिश्चित हो, के आधार पर नौकरी का चयन किया जाता है। इसके बाद, कार्य को क्रमिक चरणों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक चरण में खतरों की पहचान की जाती है, और इन खतरों को दूर करने तथा संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रणनीतियाँ विकसित की जाती हैं।

विधि विवरण - यह किसी विशिष्ट कार्य या परियोजना को पूरा करने के सुरक्षित तरीके की रुपरेखा प्रस्तुत करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आवश्यक सावधानियों या नियंत्रण उपायों के बारे में संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाए। एक विधि विवरण इस बात का प्रमाण प्रदान करता है कि महत्वपूर्ण स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिमों की पहचान की गई है और सुरक्षा प्रणालियाँ मौजूद हैं।

iii. क्या आपके पास श्रमिकों के लिए कार्य-संबंधी खतरों की रिपोर्ट करने तथा स्वयं को ऐसे जोखिमों से दूर रखने की प्रक्रिया है? (हाँ/नहीं)

हाँ, कर्मचारियों को कार्य-संबंधी खतरों की रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रियाओं और कार्य-प्रणालियों से लैस किया गया है। कार्यस्थल पर समय-समय पर आयोजित संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से, श्रमिकों को असुरक्षित कार्यों और स्थितियों को पहचानने के लिए शिक्षित किया जाता है।

वे अपने कार्यस्थल पर उपलब्ध ऑफ़लाइन या ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से इन खतरों की रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सिस्टम के भीतर रिपोर्ट किए गए मामलों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने और कम करने के लिए स्थापित प्रक्रियाएँ मौजूद हैं।

परियोजना स्थलों पर कार्य-संबंधी खतरों/असुरक्षित कार्यों/असुरक्षित स्थितियों के पंजीकरण के लिए ऐप आधारित प्रणाली 'एचएसई ऑब्जर्वर' लागू की गई है। उपयोगकर्ता एप्लिकेशन के माध्यम से एचएसई उल्लंघनों/समस्याओं, घटनाओं/निकट चूकों और अच्छी प्रथाओं को प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई भी कर्मचारी ऐप के माध्यम से एचएसई समस्या दर्ज कर सकता है और सुरक्षा अधिकारियों की भूमिका समस्याओं की रिपोर्ट करना और उन्हें उजागर करना है। साथ ही, गंभीर समस्याओं के लिए, काम रोककर रिपोर्टिंग और समाधान करना होगा। सुरक्षा टीम से अपेक्षा की जाती है कि वह सुरक्षा समीक्षाओं में समस्या को उजागर करे और समापन के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करे।

iv. क्या संस्था के कर्मचारियों/श्रमिकों को गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच प्राप्त है? (हाँ/नहीं)

हाँ, कर्मचारियों और श्रमिकों को कंपनी द्वारा संचालित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के साथ-साथ बाह्य स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के माध्यम से प्रदान की जाने वाली गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच प्राप्त है, जिनका भुगतान कंपनी की नीति के अनुसार उचित रुप से किया जाता है। बीएचईएल ने दूरस्थ कार्यस्थलों पर भी उपयुक्त चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की है।

11. सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में:

सुरक्षा घटना/संख्या	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
दुर्घटनाओं की आवृत्ति दर (LTIFR) जिनके कारण समय नष्ट होता है (प्रति दस लाख श्रम घंटों पर)	कर्मचारी	0	0
	श्रमिक	0.427	0.444
कार्य-संबंधी कुल रिकॉर्ड योग्य चोटें	कर्मचारी	0	0
	श्रमिक	43	43

मृतकों की संख्या	कर्मचारी	0	0
	श्रमिक	0	2
कार्य-संबंधी गंभीर चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर)	कर्मचारी	0	0
	श्रमिक	43	41

नोट: सुरक्षा आंकड़ों के उद्देश्य से बीएचईएल इकाइयों के अंदर काम करने वाले सभी लोगों को श्रमिक शब्द में शामिल किया गया है।

12. सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए संस्था द्वारा उठाए गए उपायों का वर्णन करें।

बीएचईएल का मानना है कि कर्मचारी और अन्य साझेदार संस्थाओं से जुड़े लोग महत्वपूर्ण हितधारक हैं और इसलिए उनका स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण व्यावसायिक सफलता के लिए सर्वोपरि है। कंपनी अपने कर्मचारियों को "शून्य क्षति" पहुँचाने के लिए निरंतर प्रणालियों, नीतियों और प्रक्रियाओं में सुधार करती है। इसके अतिरिक्त, बीएचईएल कार्यस्थल पर सुरक्षा और कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए सुरक्षा-केंद्रित संस्कृति को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है।

बीएचईएल में, संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सुरक्षा समीक्षाओं, वर्क-टू-परमिट प्रणाली, एचआईआरए और जेएसए, मेगा टूल बॉक्स टॉक, आंतरिक और बाह्य ऑडिट आदि के माध्यम से सभी स्तरों पर कार्यबल में सुरक्षा मूल्यों को विकसित करने के लिए विशेष पहल की जा रही है। एचएसई अभियानों, जैसे बीएचईएल सुरक्षा पखवाड़ा-2025 (4 मार्च - 17 मार्च, 2025), बीएचईएल पर्यावरण जागरूकता माह-2024 (5 जून - 4 जुलाई, 2024), स्वच्छता पखवाड़ा-2024 (16 अगस्त - 31 अगस्त, 2024), विशेष अभियान 4.0 (2 अक्टूबर - 31 अक्टूबर, 2024) की मदद से जागरूकता और संवेदनशीलता में भारी वृद्धि हुई है। नई और अभिनव गतिविधियों और परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, उपरोक्त प्रचार अभियानों के दौरान कई अंतर-इकाई प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं।

कंपनी द्वारा किए गए प्रयास बीएचईएल के लिए और उसके साथ काम करने वाले मानव संसाधन के लिए सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने की दिशा में इरादे को स्पष्ट करते हैं।

13. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित मुद्दों पर की गई शिकायतों की संख्या:

लाभ	वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2023-24		
	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणी
कार्य परिस्थितियाँ	0	0	-	0	0	-
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	0	0	-	0	0	-

सुरक्षा से संबंधित असुरक्षित स्थितियों के पंजीकरण हेतु बीएचईएल के संबंधित परिसरों में प्रणालियाँ स्थापित हैं। संबंधित विभागों द्वारा इनका त्वरित समाधान किया जाता है और यह एक सतत प्रक्रिया है।

14. वर्ष के लिए मूल्यांकन:

निम्नलिखित का मूल्यांकन:	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का प्रतिशत जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों या तृतीय पक्षों द्वारा)
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नीतियां	100%
कार्य करने की परिस्थितियाँ	100%

15. सुरक्षा संबंधी (यदि कोई हो) तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा और कार्य स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं के समाधान के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

बीएचईएल ने नियमित अंतराल पर आंतरिक और बाह्य दोनों ही स्तरों पर नियमित सुरक्षा निरीक्षण करने के लिए प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ स्थापित की हैं। लेखा परीक्षकों द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी, चाहे वह आंतरिक हो या बाह्य, का सुधारात्मक कार्रवाई के माध्यम से तत्परतापूर्वक समाधान किया जाता है। इसके अलावा, सभी सुरक्षा-संबंधी घटनाओं के लिए मूल कारण विश्लेषण (आरसीए) किया जाता है और उचित सुधारात्मक उपाय तुरंत लागू किए जाते हैं। बीएचईएल में यह एक सतत प्रक्रिया/गतिविधि है।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या संस्था (क) कर्मचारियों (हाँ/ना) (ख) श्रमिकों (हाँ/ना) की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई प्रतिपूरक पैकेज प्रदान करती है?

हाँ, बीएचईएल मृत्यु की स्थिति में कर्मचारियों और श्रमिकों दोनों को जीवन बीमा या प्रतिपूरक पैकेज प्रदान करता है।

2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा वैधानिक बकाया राशि काट ली गई है और जमा कर दी गई है, इकाई द्वारा किए गए उपायों को बताएं।

बीएचईएल के मूल्य श्रृंखला भागीदार पीएफ अधिनियम और ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, जिसके कारण उन्हें वैधानिक बकाया राशि जमा करने की ज़िम्मेदारी होती है। बीएचईएल और सेवा प्रदाता के बीच सेवा अनुबंध में पीएफ, ईएसआई आदि जैसे आवश्यक वैधानिक भुगतान के लिए 'भुगतान शर्तों' का प्रावधान होता है।

3. ऐसे कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या बताएं, जिन्होंने कार्य से संबंधित गंभीर चोट/बीमारी/मृत्यु (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में बताया गया है) का सामना किया है, जिनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है।

शून्य। वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान उच्च परिणाम वाली कार्य संबंधी चोट/अस्वस्थता/मृत्यु से प्रभावित कर्मचारियों और श्रमिकों के संबंध में कोई पात्र मामले नहीं हैं।

श्रेणी	प्रभावित कर्मचारियों/श्रमिकों की कुल संख्या		उन कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या जिन्हें पुनर्वासित किया गया है और उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है	
	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
कर्मचारी	2023-24	0	0	0
श्रमिक	43	43	0	0

नोट: सुरक्षा सांख्यिकी/डेटा के उद्देश्य से बीएचईएल इकाइयों के अंदर काम करने वाले सभी लोगों को श्रमिक शब्द में शामिल किया गया है।.

4. क्या संस्था निरंतर रोजगार की सुविधा और सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप कैरियर समाप्ति के प्रबंधन के लिए संक्रमण सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है? (हाँ/नहीं)

हां, बीएचईएल निरंतर रोजगार की सुविधा और सेवानिवृत्ति या समाप्ति के परिणामस्वरूप कैरियर समाप्ति के प्रबंधन के लिए संक्रमण सहायता प्रदान करता है।

5. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:

बीएचईएल के सभी मूल्य श्रृंखला भागीदार प्रासंगिक श्रम कानूनों और अधिनियमों के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए, केंद्रीय और राज्य श्रम विभाग, मूल्य श्रृंखला भागीदारों के परिसरों में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं और कार्य स्थितियों से संबंधित आवधिक निरीक्षण करते हैं। पहचानी गई किसी भी कमी को भागीदारों द्वारा उपयुक्ततापूर्वक दूर किया जाता है।

निम्नलिखित का आकलन	मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका मूल्यांकन किया गया
स्वास्थ्य और सुरक्षा पद्धतियाँ	100%
कार्य परिस्थितियाँ	100%

6. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और कार्य स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए किए गए या चल रहे किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

बिंदु 5 (पिछला बिंदु) देखें ।

सिद्धांत 4: हितधारक सहभागिता

आवश्यक संकेतक

1. इकाई के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

हितधारक वे व्यक्ति या समूह हैं जो वर्तमान में या भविष्य में बीएचईएल की गतिविधियों से संबंधित, रुचि रखते हैं या प्रभावित होंगे। बीएचईएल, एक सूचीबद्ध कंपनी होने के नाते, कंपनी के शेयरधारकों को प्रमुख हितधारकों में से एक के रूप में पहचाना गया है। इसके अलावा, आपूर्तिकर्ता या मूल्य श्रृंखला भागीदार खरीद के संबंध में हितधारक हैं और उनकी पहचान पंजीकरण प्रक्रिया और खुली निविदाओं में पूर्व-योग्यता आवश्यकताओं के माध्यम से की जाती है। साथ ही, ग्राहकों और कर्मचारियों को भी महत्वपूर्ण हितधारकों के रूप में पहचाना जाता है। हमारी इकाइयों में और उसके आसपास के समुदाय, जो बीएचईएल के संचालन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं, उन्हें भी हितधारक माना जाता है।

1. **अपनी इकाई के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले हितधारक समूहों की सूची बनाएं और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ सहभागिता की आवृत्ति बताएं।**

हितधारक समूह	क्या कमजोर और हाशिए पर पड़े समूह के रूप में पहचाना गया है (हाँ/नहीं)	संचार के माध्यम (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पर्चे, विज्ञापन, सामुदायिक, बैठकें, सूचना पट्ट, वेबसाइट), अन्य	सहभागिता की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/ त्रैमासिक/अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें	सहभागिता का उद्देश्य और दायरा, जिसमें सहभागिता के दौरान उठाए गए प्रमुख विषय और मामले शामिल हैं
शेयरधारक	नहीं	ईमेल, समाचार पत्र विज्ञापन, स्टॉक एक्सचेंजों और बीएचईएल वेबसाइट पर उपलब्ध प्रकटीकरण	त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक आधार पर व्यावसायिक बैठकें की जाती है और जब भी कोई कार्यक्रम होता है	कंपनी को प्रभावित करने वाली सभी भौतिक घटनाएँ और साथ ही सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण
आपूर्तिकर्ता	नहीं	ईमेल, विज्ञापन, विक्रेता बैठकें, वेबसाइट आदि।	आवश्यकता आधारित	आपूर्तिकर्ताओं को निम्नलिखित के बारे में जागरुक करना: • सार्वजनिक खरीद नीति (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) • आयात प्रतिस्थापन • GEM पोर्टल पर जारी निविदाओं में भागीदारी • बीएचईएल के शिकायत निवारण पोर्टल, सुविधा पर शिकायत दर्ज करना और उन पर नज़र रखना • बीएचईएल के गुणवत्ता उद्देश्य
कर्मचारी	नहीं	ईमेल, मासिक समाचार पत्र, सूचना पट्ट, इंट्रानेट वेबसाइट, कार्यशाला, कार्यशाला परिषद, संयंत्र परिषद और संयुक्त परिषद बैठकें, गूंज-कर्मचारी संतुष्टि सर्वेक्षण।	नियमित	कर्मचारियों के साथ नेतृत्व का जुड़ाव, उन्हें प्रेरित करना और संगठन के भीतर सामुदायिक भावना को बढ़ावा देना। कर्मचारी संगठन के विभिन्न पहलुओं, जैसे नीति, प्रक्रिया, नवाचार, संरचना, वित्तीय प्रबंधन, सुरक्षा आदि पर अपने सुझावों के साथ परिवर्तन चैंपियन के रूप में योगदान करते हैं। कर्मचारी सहभागिता सर्वेक्षण द्वारा समय-समय पर सहभागिता लीवरों की समीक्षा की जाती है।
ग्राहक	नहीं	ईमेल, विज्ञापन, टेलीफोनकॉल, बैठकें, वेबसाइट आदि।	नियमित	ग्राहकों की आवश्यकताओं, उनकी आवश्यकताओं, शिकायतों के समाधान, व्यावसायिक पूछताछ आदि का आकलन।
समुदाय	नहीं	स्थानीय गैर सरकारी संस्थानों के साथ बैठकें।	केस-टू-केस आधार पर	उनकी समस्याओं और कमजोरियों का आकलन करना, जो उन्हें बेहतर जीवन स्तर प्राप्त करने में बाधा डालती हैं।

नेतृत्व संकेतक

1. आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर हितधारकों और बोर्ड के बीच परामर्श के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करें या यदि परामर्श प्रत्यायोजित (डेलीगेट) किया जाता है, तो ऐसे परामर्शों से प्राप्त फीडबैक बोर्ड को कैसे प्रदान किया जाता है।

बीएचईएल के शेयरधारकों के लिए निदेशक मंडल तक पहुँच का सबसे महत्वपूर्ण मंच कंपनी की वार्षिक आम बैठक है। इन बैठकों के दौरान, शेयरधारक कंपनी के प्रदर्शन, रणनीतियों और दृष्टिकोण से संबंधित विभिन्न प्रश्न उठाते हैं, अपनी शिकायतें साझा करते हैं और साथ ही कंपनी के प्रदर्शन में सुधार के संबंध में बहुमूल्य प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं, न केवल व्यावसायिक दृष्टिकोण से, बल्कि महत्वपूर्ण आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों/क्षेत्रों पर भी। इसके अलावा, शेयरधारकों को निदेशकों की नियुक्ति, लाभांश भुगतान, संबंधित पक्ष लेनदेन, लेखा परीक्षक शुल्क आदि जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर मतदान करने का अवसर मिलता है, जिससे बोर्ड स्तर पर पारदर्शिता और अच्छी कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं को सुनिश्चित किया जाता है। बीएचईएल मूल्य श्रृंखला भागीदारों की स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ताओं (आईईएम) तक पहुँच होती है, जिन्हें परामर्श के लिए सीवीसी द्वारा नामित किया जाता है। वे विक्रेता बैठकों आदि के दौरान कंपनी के सतर्कता कार्य से संबंधित अपनी समस्याओं को भी साझा कर सकते हैं। बीएचईएल के शीर्ष प्रबंधन के साथ बातचीत के लिए व्यावसायिक सहयोगियों की बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिनमें प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर विचार किया जाता है। इसके अलावा, बोर्ड को उन मुद्दों के बारे में जानकारी दी जाती है जिन पर उनका ध्यान देने की आवश्यकता है।

2. क्या पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन में हितधारकों से परामर्श का उपयोग किया जाता है (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो उन उदाहरणों का विवरण प्रदान करें कि इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त सुझावों को संस्था की नीतियों और गतिविधियों में कैसे शामिल किया गया।

हाँ। हितधारकों ने बीएचईएल के विभिन्न पर्यावरणीय और सामाजिक प्रयासों को अपना समर्थन प्रदान किया है, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत स्वदेशीकरण, बीएचईएल के कारखानों और परियोजना स्थलों में सौर ऊर्जा और जल संचयन क्षमता का उपयोग, महिला कर्मचारियों का सशक्तिकरण आदि। सामाजिक और पर्यावरणीय विषयों का समर्थन करने वाले कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं जो हितधारकों के साथ बातचीत के दौरान प्राप्त फीडबैक पर आधारित हैं।:

1. एमएसई को लाभ जैसे ईएमडी की माफी, खरीद वरीयता, पीक्यूआर में छूट, आदि।

2. कोयला से लेकर रसायन आदि जैसे नए व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रवेश।

3. कमजोर/हाशिए पर पड़े हितधारक समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए तथा उनके साथ जुड़ाव के लिए गई कार्रवाई के उदाहरणों का विवरण प्रदान करें।

समुदाय के वंचित वर्गों के लिए, बीएचईएल सीएसआर परियोजनाएं चलाता है और स्थानीय गैर सरकारी संगठनों द्वारा किए गए आधारभूत सर्वेक्षणों के आधार पर धन आवंटित करता है। ये एनजीओ सर्वेक्षण के दौरान समुदायों के साथ सीधे जुड़ते हैं ताकि उनकी जरूरतों और चुनौतियों को समझा जा सके।

कमजोर और हाशिए पर पड़े हितधारकों के साथ जुड़ाव के हिस्से के रूप में, बीएचईएल ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यमों सहित 49 आपूर्तिकर्ता बैठकें आयोजित की हैं।

सिद्धांत 5: मानवाधिकार

आवश्यक संकेतक

1. कर्मचारी और श्रमिक जिन्हें निम्नलिखित प्रारूप में संस्था के मानवाधिकार मुद्दों और नीतियों पर प्रशिक्षण दिया गया है:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2023-24		
	कुल (ए)	कवर किए गए कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या (बी)	% (बी / ए)	कुल (सी)	कवर किए गए कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या (डी)	% (डी / सी)
कर्मचारी						
स्थायी	27800	5445	19.59%	28673	5187	18.09%
स्थायी के अतिरिक्त	20422	1321	6.47%	17361	570	3.28%
कुल कर्मचारी	48222	6766	14.03%	46034	5757	12.51%
श्रमिक						
स्थायी	13332	2243	16.82%	14207	2036	14.33%
स्थायी के अतिरिक्त	20327	1321	6.50%	17244	570	3.31%
कुल कर्मचारी	33659	3564	10.59%	31451	2606	8.29%

नोट: नीतियों के संदर्भ में यहां केवल मानव संसाधन नीति से संबंधित प्रशिक्षणों पर ही विचार किया जाता है

2. कर्मचारियों और श्रमिकों को दिए जाने वाले न्यूनतम वेतन का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में:

श्रेणी कुल (ए)	वित्तीय वर्ष 2024-25					वित्तीय वर्ष 2023-24				
	कुल	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम मजदूरी से अधिक		कुल	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम मजदूरी से अधिक	
	क्र. (ए)	क्र. (बी)	% (बी/ए)	क्र. (सी)	% (सी / ए)	क्र. (डी)	क्र. (ई)	% (ई / डी)	क्र. (एफ)	% (एफ / डी)
कर्मचारी										
स्थायी	27800	0	0%	27800	100%	28673	0	0%	28673	100%
पुरुष	26183	0	0%	26183	100%	26996	0	0%	26996	100%
महिला	1617	0	0%	1617	100%	1677	0	0%	1677	100%
अन्य	0	0	--	0	--	0	0	--	0	--
स्थायी के अतिरिक्त	20422	8752	42.86%	11670	57.14%	17361	7477	43.07%	9884	56.93%
पुरुष	18758	8101	43.19%	10657	56.81%	15764	6862	43.53%	8902	56.47%
महिला	1664	651	39.12%	1013	60.88%	1597	615	38.51%	982	61.49%
अन्य	0	0	--	0	--	0	0	--	0	--
श्रमिक										
स्थायी	13332	0	0%	13332	100%	14207	0	0%	14207	100%
पुरुष	12999	0	0%	12999	100%	13846	0	0%	13846	100%
महिला	333	0	0%	333	100%	361	0	0%	361	100%
अन्य	0	0	--	0	--	0	0	--	0	--
स्थायी के अतिरिक्त	20327	8752	43.06%	11575	56.94%	17244	7477	43.36%	9767	56.64%
पुरुष	18664	8101	43.40%	10563	56.60%	15648	6862	43.85%	8786	56.15%
महिला	1663	651	39.15%	1012	60.85%	1596	615	38.53%	981	61.47%
अन्य	0	0	--	0	--	0	0	--	0	--

3. पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण

a. औसत पारिश्रमिक/मजदूरी

बीएचईएल कर्मचारी और श्रमिकों का वेतन/मजदूरी ढांचा डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाता है.

	पुरुष		महिला	
	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी	Number	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी
निदेशक मंडल (बीओडी)*^	4	₹66,97,336	1	₹70,56,255
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक^ (निदेशक मंडल के अलावा)	1	₹52,44,691	0	0
निदेशक मंडल और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी ^	26178	₹16,67,839	1616	₹24,37,754
श्रमिक^	12999	₹14,04,503	333	₹14,05,918

* स्वतंत्र निदेशकों और अंशकालिक आधिकारिक निदेशकों पर विचार नहीं किया जाता है।

वित्त वर्ष 2024-25 में स्वतंत्र निदेशकों को दी जाने वाली कुल बैठक फीस ₹ 11,80,000 थी. वित्त वर्ष 2024-25 में स्वतंत्र निदेशकों को दी जाने वाली औसत बैठक फीस ₹ 5,90,000 थी।

b. निम्नलिखित प्रारुप में, संस्था द्वारा महिलाओं को दी गई कुल मजदूरी के प्रतिशत के रूप में सकल मजदूरी

विवरण	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
महिलाओं को दी गई सकल मजदूरी ^ (₹)	₹4,08,48,17,799	₹3,96,46,00,000
कुल मजदूरी ^ (₹)	₹57,77,59,26,057	₹56,40,17,00,000
कुल मजदूरी के % के रूप में महिलाओं को दी गई सकल मजदूरी ^	7.07%	7.03%

नोट: यहां विचारित कर्मचारी बीएचईएल के स्थायी कर्मचारी हैं।

^ वास्तविक भुगतान के आधार पर गणना में पीपी/एसआई/पीआरपी को ध्यान में रखा गया है। अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के लिए 16% की दर से भत्ते और कर्मचारियों के लिए 31% की दर से भत्ते माने गए हैं। ये आँकड़े 31 मार्च, 2025 तक कार्यरत कर्मचारियों से संबंधित हैं।

4. क्या आपके पास कोई केंद्र बिंदु (व्यक्ति/समिति) है जो व्यवसाय द्वारा उत्पन्न या उसमें योगदान किए गए मानवाधिकार प्रभावों या मुद्दों का समाधान करने के लिए जिम्मेदार है? (हाँ/नहीं)

हाँ। मानवाधिकार मुद्दों के समाधान के लिए प्रत्येक बीएचईएल परिसर में शिकायत निवारण अधिकारी मौजूद हैं।

5. मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक तंत्र का वर्णन करें

मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायत निवारण के लिए एक औपचारिक और सुव्यवस्थित तंत्र मौजूद है। इस तंत्र में त्रि-स्तरीय समाधान का प्रावधान है। पहला चरण नियंत्रण अधिकारी के साथ, दूसरा चरण विभागाध्यक्ष के साथ और तीसरा चरण शिकायत निवारण समिति के साथ।

6. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित मुद्दों पर की गई शिकायतों की संख्या

	वित्तीय वर्ष 2024-25		वित्तीय वर्ष 2023-24	
	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में समाधान लंबित	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में समाधान लंबित
यौन उत्पीड़न	5	1	3	1
कार्यस्थल पर भेदभाव	0	0	0	0
बाल मजदूरी	0	0	0	0
बंधुआ मज़दूरी/अनैच्छिक मजदूरी	0	0	0	0
मजदूरी	0	0	0	0
अन्य मानवाधिकार संबंधी मुद्दे	0	0	0	0

7. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रारूप में दर्ज की गई शिकायतें:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
i) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण), अधिनियम, 2013 (पीओएसएच) के अंतर्गत दर्ज की गई कुल शिकायतें	5	3
ii) महिला कर्मचारी/श्रमिक	1617	1677
iii) पीओएसएच पर महिला कर्मचारियों/श्रमिकों के प्रतिशत के रूप में शिकायतें	0.31%	0.18%
iv) पीओएसएच पर शिकायतों को बरकरार रखा गया	3	2

8. **भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता को होने वाले प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र**

एक निवारक कदम के रूप में, शिकायतकर्ता की पहचान केवल आंतरिक शिकायत समिति को ही बताई जाती है और उसे सुरक्षित रखा जाता है. जाँच (शिकायतकर्ता और प्रतिवादी) की सभी बैठकें कभी भी आमने-सामने नहीं होती हैं।

9. **क्या मानवाधिकार आवश्यकताएं आपके व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हां/नहीं)**

हाँ, मानवाधिकार आवश्यकताएँ व्यावसायिक समझौते या अनुबंध का एक हिस्सा होती हैं. बीएचईएल और सेवा प्रदाता के बीच सेवा अनुबंधों में एक खंड शामिल होता है, जो बाल मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी आदि जैसी मानवाधिकार आवश्यकताओं को पूरा करता है।

10. **वर्ष के लिए मूल्यांकन:**

सभी बीएचईएल परिसरों का समय-समय पर केंद्रीय और राज्य श्रम विभागों, पीएफ और ईएसआई विभागों और अन्य सरकारी संस्थानों या विभागों द्वारा प्रासंगिक कानून/अधिनियम/संविधि के अनुपालन और कमियों की पहचान के लिए निरीक्षण किया जाता है।

निम्नलिखित के संबंध में मूल्यांकन	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों या तृतीय पक्षों द्वारा)
बाल मजदूरी	100%
बंधुआ मज़दूरी/अनैच्छिक मजदूरी	100%
यौन उत्पीड़न	100%
कार्यस्थल पर भेदभाव	100%
मजदूरी	100%

11. **उपरोक्त प्रश्न 10 में दिए गए आकलनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें.**

कोई महत्वपूर्ण जोखिम/चिंता की पहचान नहीं की गई

नेतृत्व संकेतक

1. **मानवाधिकार शिकायतों के समाधान के परिणामस्वरूप संशोधित/प्रवर्तित की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण**

मानवाधिकारों का संरक्षण कंपनी की मूल्य प्रणाली का केंद्र है, और यह निष्पक्ष और नैतिक व्यापार और रोजगार प्रथाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए मानवाधिकारों का समर्थन, संरक्षण और संवर्धन करने का प्रयास करती है। कंपनी जाति, रंग, धर्म, लिंग, दिव्यांगजन आदि से परे सभी के लिए एक सुरक्षित समावेशी वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी की नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रथाओं में यह सुनिश्चित किया गया है।

2. **किसी भी मानवाधिकार संबंधी उचित परिश्रम के दायरे और कवरेज का विवरण**

सभी वैधानिक कानूनों/नियामक आवश्यकताओं और उनके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निवारक/वैधानिक लेखा परीक्षा के दौरान संयंत्रों और कार्यालयों का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है। कंपनी अपने कर्मचारियों और प्रशिक्षुओं के लिए इस विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम/संवेदीकरण सत्र भी आयोजित करती है।

3. **क्या संस्था का परिसर/कार्यालय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ है?**

हाँ। सिद्धांत 3, आवश्यक संकेतक, बिंदु 3 देखें।

4. **मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:**

बीएचईएल के मूल्य श्रृंखला भागीदारों का मूल्यांकन मानव अधिकार मानदंडों के आधार पर किया जाता है क्योंकि वे श्रम संबंधी कानूनों/अधिनियमों/संविधि के अंतर्गत आते हैं और इनका मूल्यांकन या निरीक्षण संबंधित सरकारी विभाग/संस्था द्वारा किया जाता है।

निम्नलिखित के संबंध में मूल्यांकन	मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका मूल्यांकन किया गया
यौन उत्पीड़न	100%
कार्यस्थल पर भेदभाव	100%
बाल मजदूरी	100%
बंधुआ मज़दूरी/अनैच्छिक मजदूरी	100%
मजदूरी	100%

5. **उपरोक्त प्रश्न 4 में दिए गए आकलनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें ।**

लागू नहीं

सिद्धांत 6: पर्यावरण

आवश्यक संकेतक

1. कुल ऊर्जा खपत (जूल या इसके गुणकों में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण, निम्नलिखित प्रारुप में:

वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
परिचालन से राजस्व (₹)	2,83,39,48,00,000	2,38,92,78,00,000
पैरामीटर		
नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली खपत (ए) (गीगा जूल में)	142139.08	115816.32
कुल बिजली खपत (बी) (गीगा जूल में)	0.00	0.00
अन्य स्रोतों से ऊर्जा की खपत (सी) (गीगा जूल में)	0.00	0.00
नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा (ए+बी+सी) (गीगा जूल में)	**142139.08**	**115816.32**
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली खपत (डी) (गीगा जूल में)	798375.20	712922.75
कुल ईंधन खपत (ई) (गीगा जूल में)	1679014.11	1642736.83
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा खपत (एफ) (गीगा जूल में)	0.00	0.00
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा (डी+ई+एफ) (गीगा जूल में)	**2477389.31**	**2355659.58**
कुल ऊर्जा खपत (ए+बी+सी+डी+ई+एफ)	**2619528.39**	**2471475.90**
प्रति रुपया कारोबार पर ऊर्जा तीव्रता (प्रति रुपया कारोबार किलो जूल में) (कुल ऊर्जा खपत/ परिचालन से राजस्व)	9.24	10.34
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित कारोबार के प्रति रुपये पर ऊर्जा तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित कारोबार के प्रति किलो जूल डॉलर में) (पीपीपी के लिए समायोजित कुल ऊर्जा खपत/संचालन से राजस्व)	211	237
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में ऊर्जा तीव्रता	-	-
ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है	-	-

नोट ए: वित्त वर्ष 2023-24 के आंकड़ों को टाउनशिप की एक विनिर्माण इकाई के लिए बिजली खपत के आंकड़ों को छोड़कर पुनः प्रस्तुत किया गया है, जो पहले रिपोर्ट किए गए आंकड़ों में शामिल था। ऐसा वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के साथ एकरुपता बनाए रखने के लिए किया गया है।

नोट: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

हां, बीआरएसआर कोर के लिए ब्यूरो वेरिटास (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आश्वासन दिया गया है, जैसा कि बीआरएसआर रिपोर्ट के अंत में स्वतंत्र आश्वासन वक्तव्य में दिया गया है।

मुद्रा रुपांतरण की पीपीपी दर ओईसीडी वेबसाइट से ली गई है।

2. क्या संस्था के पास भारत सरकार के निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के अंतर्गत निर्दिष्ट उपभोक्ता (डीसी) के रुप में चिन्हित कोई स्थल/सुविधाएँ हैं? (हाँ/ना) यदि हाँ, तो बताएँ कि क्या पीएटी योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, तो क्या कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई है, यदि कोई हो, तो बताएँ।

बीएचईएल की किसी भी सुविधा को निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ता (डीसी) के रुप में नहीं पहचाना गया है।

बोर्ड की रिपोर्ट, अनुलग्नक-VII तथा 7.1 ऊर्जा संरक्षण देखें।

3. जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरणों का विवरण निम्नवत प्रारूप में प्रदान करें:

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	0.00	0.00
(ii) भूजल	3292052.00	3589762.00
(iii) अन्य पक्षीय जल	5960580.00	6173909.00
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल	0.00	0.00
(v) अन्य	0.00	0.00
निकासी जल की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)	**9252632.00**	**9763671.00**
जल उपभोग की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	**9252632.00**	**9763671.00**
प्रति रुपये कारोबार पर जल प्रबलता (कुल जल उपभोग/ परिचालन से राजस्व - प्रति लीटर)	0.0326493	0.0408645
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपये कारोबार पर जल प्रबलता (कुल जल उपभोग/ पीपीपी के लिए समायोजित परिचालन से राजस्व) - पीपीपी के लिए समायोजित टर्नओवर का प्रति डॉलर लीटर	0.747	0.935
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में जल प्रबलता	-	-
जल प्रबलता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है	-	-

टिप्पणी ए: वित्त वर्ष 2023-24 के आंकड़ों को टाउनशिप की एक विनिर्माण इकाई के जल उपभोग के आंकड़ों को छोड़कर पुनः प्रस्तुत किया गया है, जो पहले रिपोर्ट किए गए आंकड़ों में शामिल था. ऐसा वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के साथ एकरूपता बनाए रखने के लिए किया गया है।

टिप्पणी: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/ आकलन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

हां, बीआरएसआर कोर के लिए ब्यूरो वेरिटास (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आश्वासन दिया गया है, जैसा कि बीआरएसआर रिपोर्ट के अंत में स्वतंत्र आश्वासन वक्तव्य में दिया गया है।

मुद्रा रूपांतरण की पीपीपी दर OECD वेबसाइट से ली गई है।

4. जल प्रवाह से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
लक्ष्य और शोधन के स्तर के अनुरूप जल प्रवाह (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल तक	0.00	0.00
शोधन रहित	0.00	0.00
शोधन सहित - कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें	0.00	0.00
(ii) भूजल के लिए	0.00	0.00
शोधन रहित	0.00	0.00
शोधन सहित - कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें	0.00	0.00
(iii) समुद्री जल तक	0.00	0.00
शोधन रहित	0.00	0.00
शोधन सहित - कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें	0.00	0.00
(iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया	0.00	0.00
शोधन रहित	0.00	0.00
शोधन सहित - कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें	0.00	0.00
(iv) अन्य	194969.00	142621.00
शोधन रहित	0.00	0.00
शोधन सहित - कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें	**194969.00**	**142621.00**
कुल जल प्रवाह (किलोलीटर में)	**194969.00**	**142621.00**

बीएचईएल इकाइयों में कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), अपशिष्ट उपचार प्लांट (ईटीपी) और ऑक्सीकरण तालाब स्थापित हैं जो उत्पन्न होने वाले सीवेज/ व्यावसायिक अपशिष्ट को वांछित स्तर का उपचार प्रदान करते हैं। अधिकांश स्थानों पर, इसका परिसर के अंदर ही पुन: उपयोग किया जाता है और इसे बाहर नहीं छोड़ा जाता।

टिप्पणी : बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/ आकलन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं?

हां, बीआरएसआर कोर के लिए ब्यूरो वेरिटास (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आश्वासन दिया गया है, जैसा कि बीआरएसआर रिपोर्ट के अंत में स्वतंत्र आश्वासन वक्तव्य में दिया गया है।

मुद्रा रूपांतरण की पीपीपी दर OECD वेबसाइट से ली गई है।

5. क्या संस्था ने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज हेतु कोई तंत्र लागू किया है? यदि हाँ, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।

कंपनी की स्थिरता पहल के हिस्से के रूप में, इसकी 11 विनिर्माण इकाइयों ने जीरो

लिक्विड डिस्चार्ज की स्थिति हासिल की है, यानी वे अपने परिसर के बाहर कोई अपशिष्ट नहीं छोड़ते हैं।

6. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में संस्था द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रदान करें:

पैरामीटर	इकाई	2024-25	2023-24
एनओएक्स	टन	230.69	153.42
एसओएक्स	टन	357.93	301.00
कणिकीय पदार्थ (पीएम)	टन	314.38	355.59
स्थायी कार्बनिक प्रदूषक (पीओसी)	टन	0.00	0.00
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी)	टन	230.07	172.96
खतरनाक वायु प्रदूषक (एचएपी)	टन	3.65	7.35
अन्य – कार्बन मोनोऑक्साइड	टन	48.76	18.53

टिप्पणी ए: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, एक विनिर्माण इकाई को शामिल करने के कारण डेटा को पुनः प्रस्तुत किया गया है, जिसकी पहले रिपोर्ट नहीं की गई थी..

टिप्पणी : बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

7. हां, बीआरएसआर कोर के लिए ब्यूरो वेरिटास (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आश्वासन दिया गया है, जैसा कि बीआरएसआर रिपोर्ट के अंत में स्वतंत्र आश्वासन वक्तव्य में दिया गया है:

पैरामीटर	इकाई	2024-25	2023-24
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (GHG का CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 में विभाजन, यदि उपलब्ध हो)	tCO_2e	135975.14	127879.24
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (GHG into CO_2, CH_4, N_2O, HFCs, PFCs, SF_6, NF_3, if available)	tCO_2e	161227.44	141792.33
प्रति रुपये कारोबार पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन (कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन / परिचालन से राजस्व)	प्रति दिन हासिल कारोबार पर उत्सर्जित CO2 का ग्राम	1.05	1.13
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया कारोबार पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन	पीपीपी के अनुसार समायोजित प्रति डॉलर टर्नओवर पर उत्सर्जित CO2 ग्राम	23.99	25.82
भौतिक आउटपुट के संदर्भ में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता		-	-
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है		-	-

टिप्पणी ए: वित्त वर्ष 2023-24 के आंकड़ों को निम्नलिखित कारणों से पुनः प्रस्तुत किया गया है:

- CO2 का क्षणिक उत्सर्जन, जिस पर पहले विचार नहीं किया गया था, अब शामिल कर लिया गया है।
- एक विनिर्माण इकाई ने टाउनशिप में बिजली की खपत को कुल बिजली खपत में शामिल कर लिया था और अब इसमें सुधार कर लिया गया है।

टिप्पणी : बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

हां, बीआरएसआर कोर के लिए ब्यूरो वेरिटास (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आश्वासन दिया गया है, जैसा कि बीआरएसआर रिपोर्ट के अंत में स्वतंत्र आश्वासन वक्तव्य में दिया गया है।

मुद्रा रुपांतरण की पीपीपी दर ओएसीडी वेबसाइट से ली गई है।

8. क्या संस्था के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।

हाँ। बीएचईएल ने रूफटॉप सौर सहित लगभग 41.8 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं, जिससे संगठन को अपने जीएचजी उत्सर्जन को कम करने में मदद मिली है।

2024-25 के दौरान हमारे परिसर के अंदर हमारे सौर पोर्टफोलियो में 7 MWP की वृद्धि के कारण, वित्त वर्ष 2024-25 में हमारी कार्बन उत्सर्जन रोकथाम 28,704 मीट्रिक टन तक पहुंच गई।

ऊर्जा संरक्षण/दक्षता से संबंधित परियोजनाएं हमारी इकाइयों में नियमित रूप से शामिल हैं, जो हमें ऊर्जा की मांग के प्रबंधन में मदद करती हैं और परिणामस्वरूप संबंधित कार्बन उत्सर्जन को कम करती हैं, जो अन्यथा बढ़े हुए स्तर पर होता।

बोर्ड की रिपोर्ट, 4.1.2 ऊर्जा दक्षता और प्रबंधन के अनुलग्रक-IV का संदर्भ लें।

बोर्ड की रिपोर्ट, 4.1.5 कार्बन फुटप्रिंट में कमी का अनुलग्रक-IV देखें।

बोर्ड की रिपोर्ट, 7.1 ऊर्जा संरक्षण का अनुलग्रक-VII देखें।

9. निम्नलिखित प्रारूप में इकाई द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण प्रदान करें:

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक अपशिष्ट (ए)*	107.68	91.29
ई-कचरा (बी)	117.78	36.36
जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (सी)	11.68	16.34
निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट (डी)	267.00	157.20
बैटरी अपशिष्ट (ई)	70.75	77.59
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (एफ)	0.00	0.00
अन्य जोखिमी अपशिष्ट। यदि कोई हो, तो कृपया बताएँ। (जी)	1133.21	1187.71
अन्य गैर-जोखिमी अपशिष्ट (एच)। **यदि कोई हो, तो कृपया बताएँ।** (संरचना के अनुसार, अर्थात् क्षेत्र से संबंधित सामग्रियों के अनुसार)	**54588.30**	**51011.95**
कुल (ए+बी+सी+डी+ई+एफ+जी+एच)	**56296.40**	**52578.44**
प्रति रुपया कारोबार में अपशिष्ट प्रबलता (कुल उत्पन्न अपशिष्ट / परिचालन से राजस्व) - प्रति ग्राम ₹	0.20	0.22
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित कारोबार के प्रति रुपये पर अपशिष्ट प्रबलता (कुल उत्पन्न अपशिष्ट / पीपीपी के लिए समायोजित परिचालन से राजस्व) - पीपीपी में प्रति डॉलर ग्राम	4.55	5.04
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में अपशिष्ट प्रबलता	-	-
अपशिष्ट प्रबलता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है	-	-
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) पुनर्नवीनीकरण	391.13	311.98
(ii) पुन: उपयोग किए	455.49	465.83
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0.00	0.00
कुल	846.62	777.81
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) भस्मीकरण	2.94	10.72
(ii) लैंडफिलिंग	178.20	157.26
(iii) अन्य निपटान कार्य	42740.70	38773.65
कुल	42921.84	38941.63

* वर्ष के दौरान अधिकृत एजेंसी को निपटाए गए प्लास्टिक कचरे की मात्रा।

उपरोक्त तालिका में, 'अन्य निपटान कार्यों' में ई-नीलामी/अन्य माध्यमों से स्क्रैप की बिक्री, पुनर्चक्रण/पुनः उपयोग/पुनर्प्राप्ति हेतु बाहरी एजेंसियों को बेचना शामिल है। पर्याप्त मात्रा में स्क्रैप जमा हो जाने के बाद, उसे अंतिम निपटान के लिए एजेंसी को बेच दिया जाता है।

बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्रक-IV का संदर्भ लें, 4.1.1 सामग्री और प्राकृतिक संसाधन उपभोग का जिम्मेदार उपयोग।

बोर्ड की रिपोर्ट, 4.1.3 जल प्रबंधन के अनुलग्रक-IV का संदर्भ लें।

बोर्ड की रिपोर्ट, 4.1.6 अपशिष्ट न्यूनीकरण और परिपत्रता का अनुलग्रक-IV देखें।

टिप्पणी : बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/ मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

हां, बीआरएसआर कोर के लिए ब्यूरो वेरिटास (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आश्वासन दिया गया है, जैसा कि बीआरएसआर रिपोर्ट के अंत में स्वतंत्र आश्वासन वक्तव्य में दिया गया है।

10. अपने प्रतिष्ठानों में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और विषैले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे अपशिष्टों के प्रबंधन हेतु अपनाई गई पद्धतियों का वर्णन करें।

हमारी अपशिष्ट न्यूनीकरण प्रक्रिया में, हम नेस्टिंग योजना के माध्यम से धातु की चादरों की कुशल कटाई को प्राथमिकता देते हैं। उत्पन्न स्क्रैप का उपयोग या तो स्थानीय ढलाई कारखानों में ढलाई/फोर्जिंग के लिए किया जाता है या सीएफएफपी हरिद्वार जैसे अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं को भट्टियों में पिघलाने के लिए भेजा जाता है ताकि कच्चे माल की खपत कम हो सके।

बीएचईएल में, पुनर्विक्रय मूल्य वाले ठोस कचरे को एकत्रित किया जाता है, छाँटा जाता है और अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं को बेचा जाता है, जबकि गैर-पुनर्विक्रय योग्य कबाड़ का उपयोग निचले इलाकों को भरने के लिए किया जाता है। खतरनाक कचरे और ई-कचरे का निपटान नियमों के अनुसार किया जाता है और जाँच के लिए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा जाता है। खतरनाक कचरे को या तो अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं को भेजा जाता है या संबंधित राज्य के नियमों के अनुसार उचित निपटान के लिए उपचार भंडारण और निपटान सुविधा (टीएसडीएफ) को भेजा जाता है।

बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक-IV का संदर्भ लें, 4.1.1 सामग्री और प्राकृतिक संसाधन उपभोग का जिम्मेदार उपयोग।

बोर्ड की रिपोर्ट, 4.1.3 जल प्रबंधन के अनुलग्नक-IV का संदर्भ लें।

बोर्ड की रिपोर्ट, 4.1.6 अपशिष्ट न्यूनीकरण और परिपत्रता का अनुलग्नक-IV देखें।

11. यदि संस्था का परिचालन/कार्यालय पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमंडल रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में/उसके आसपास है, जहां पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी की आवश्यकता है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें।

लागू नहीं

12. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण:

लागू नहीं

13. क्या संस्था भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है; जैसे जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके अंतर्गत आने वाले नियम (हाँ/ना)। यदि नहीं, तो निम्नलिखित प्रारूप में ऐसे सभी गैर-अनुपालनों का विवरण प्रदान करें:

हां, बीएचईएल भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है

नेतृत्व संकेतक

1. जल संकट वाले क्षेत्रों में जल निकासी, खपत और निर्वहन (किलोलीटर में) :

जल संकट वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा/संयंत्र के लिए, निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

i क्षेत्र का नाम : कुछ नहीं

ii प्रचालन की प्रकृति : कुछ नहीं

iii जल निकासी, उपभोग और निर्वहन- लागू नहीं

हां, मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन ब्यूरो वेरिटास (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है।

2. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में कुल स्कोप 3 उत्सर्जन और उसकी प्रबलता का विवरण प्रदान करें:

पैरामीटर	इकाई	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन **(यदि उपलब्ध हो तो ग्रीनहाउस गैसों का CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 में विभाजन)**	tCO_2e	-	-
प्रति रुपये के कारोबार पर कुल स्कोप 3 उत्सर्जन		-	-
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है		-	-

नीचे कुछ ऐसे तरीके बताए गए हैं जिनसे बीएचईएल अपने स्कोप-3 उत्सर्जन को कम करने की कोशिश कर रहा है। हालाँकि, फिलहाल इसकी मात्रा निर्धारित नहीं की गई है।

i कई ऊर्जा गहन इकाइयों में, हमने एलपीजी से आरएलएनजी पर स्विच कर लिया है, जिसकी आपूर्ति पाइपलाइन के माध्यम से की जा रही है और इस प्रकार सड़क मार्ग से ईंधन के परिवहन से जुड़े स्कोप-3 उत्सर्जन से उस सीमा तक बचा जा रहा है।

ii कर्मचारियों को ऊर्जा बचाने और स्कोप-3 उत्सर्जन से बचने के लिए कार पूल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

3. उपरोक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में बताए गए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर इकाई के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का विवरण प्रदान करें, साथ ही रोकथाम और उपचारात्मक गतिविधियों का भी विवरण दें।

लागू नहीं

4. यदि इकाई ने संसाधन दक्षता में सुधार करने या उत्सर्जन/उत्सर्जित अपशिष्ट/अपशिष्ट के कारण होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए कोई विशिष्ट पहल की है या नवीन प्रौद्योगिकी या समाधान का उपयोग किया है,

क्र.	पहल की गई	पहल का विवरण (यदि कोई हो तो वेब-लिंक सारांश सहित उपलब्ध कराया जाए)	पहल का परिणाम
1.	परिसर के बाहर शून्य अपशिष्ट निर्वहन	जल प्रदूषण को रोकने और स्थायी अपशिष्ट जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए, कंपनी ने 21 अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र (ईटीपी) और 19 सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) स्थापित किए हैं। इन संयंत्रों द्वारा शोधित अपशिष्ट जल का हमारे परिसर में औद्योगिक प्रक्रियाओं, शौचालय फ्लशिंग और बागवानी जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए पुन: उपयोग किया जाता है। परिणामस्वरुप, इन पहलों के कारण 11 इकाइयों ने अपनी सीमाओं के बाहर जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्राप्त किया है.	परिसर के बाहर अपशिष्ट का निर्वहन न करने के कारण, हमने भूमि और जल प्रदूषण से बचाव किया है.
2.	एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त टाउनशिप	बीएचईएल टाउनशिप को तृतीय पक्ष ऑडिट के माध्यम से एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त घोषित किया गया है.	बीएचईएल टाउनशिप को सतत आवास के रूप में विकसित किया गया है और नागरिकों ने एकल उपयोग प्लास्टिक से बचने की आदत विकसित की है, जिसके परिणामस्वरुप प्लास्टिक कचरे के कारण होने वाले भूमि और जल प्रदूषण से बचा जा सका है
3.	ऊर्जा कुशल विद्युत उपकरणों की स्थापना	की स्थापना i. पुराने 5-स्टार, फिक्श्ड स्पीड, 1.5 टीआर, विंडो एसी के स्थान पर 491 नए 5-स्टार, 1.5 टीआर, इन्वर्टर विंडो एसी ii. पुराने 3-स्टार, 2 TR, केवल कूलिंग वाले इन्वर्टर स्प्लिट एसी आदि के स्थान पर 61 नए 3-स्टार, 2 TR, हॉट एंड कोल्ड, इन्वर्टर स्प्लिट एसी.	इसके परिणामस्वरुप प्रतिवर्ष 5,27,269 यूनिट विद्युत ऊर्जा की बचत होगी
4.	पुनःतापन भट्ठियों में पुनर्योजी बर्नर का उन्नयन	12 मीटर (एचएफएस) और 9 मीटर पुनर्योजी बर्नर आधारित दहन प्रणाली से पारंपरिक से पुनर्योजी बर्नर आधारित दहन प्रणाली में उन्नयन	इसके परिणामस्वरुप सीएफएफपी हरिद्वार में प्रतिवर्ष 11,71,726 एससीएम आरएलएनजी ईंधन के उपयोग से बचा जा सकेगा
5.	भट्ठियों का संरचनात्मक पुनरुद्धार	एलएफ-01, एलएफ-02 और 6 मीटर भट्ठियों के बेहतर इन्सुलेशन और बेहतर डैम्पर संचालन के साथ संरचनात्मक पुनरुद्धार	इसके परिणामस्वरुप सीएफएफपी इकाई में प्रतिवर्ष 90,000 एससीएम आरएलएनजी ईंधन के उपयोग से बचा जा सकेगा
6.	पुनःतापन भट्ठियों में पुनर्योजी बर्नर का उन्नयन	12 मीटर (एचएफएस) और 9 मीटर पुनर्योजी बर्नर आधारित दहन प्रणाली से पारंपरिक से पुनर्योजी बर्नर आधारित दहन प्रणाली में उन्नयन	इसके परिणामस्वरुप सीएफएफपी हरिद्वार में प्रतिवर्ष 11,71,726 एससीएम आरएलएनजी ईंधन के उपयोग से बचा जा सकेगा
7.	भट्ठियों का संरचनात्मक पुनरुद्धार	एलएफ-01, एलएफ-02 और 6 मीटर भट्ठियों के बेहतर इन्सुलेशन और बेहतर डैम्पर संचालन के साथ संरचनात्मक पुनरुद्धार	इसके परिणामस्वरुप सीएफएफपी इकाई में प्रतिवर्ष 90,000 एससीएम आरएलएनजी ईंधन के उपयोग से बचा जा सकेगा

क्र.	पहल की गई	पहल का विवरण (यदि कोई हो तो वेब-लिंक सारांश सहित उपलब्ध कराया जाए)	पहल का परिणाम
8.	इनहाउस सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना	बीएचईएल में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापित क्षमता लगभग 41.84 मेगावाट तक पहुंच गई है, जो आंतरिक खपत के लिए हरित ऊर्जा का उत्पादन कर रही है.	इसके परिणामस्वरूप पिछले 8 वर्षों में 231.65 मिलियन यूनिट हरित बिजली का उत्पादन हुआ है और पारंपरिक बिजली की समान मात्रा की बचत हुई है और परिणामस्वरूप कार्बन फुटप्रिंट में कमी आई है

अधिक जानकारी के लिए:

बोर्ड की रिपोर्ट, सतत प्रदर्शन - पर्यावरण के लिए अनुलग्नक - IV देखें। बोर्ड की रिपोर्ट, ऊर्जा संरक्षण के लिए अनुलग्नक - VII देखें

5. क्या संस्था के पास व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? विवरण/वेब लिंक दें

हाँ, बीएचईएल के पास व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी इसी पर अमल किया गया। व्यवसाय निरंतरता योजना और/या आपदा प्रबंधन योजना इंटरनेट पर प्रकाशित नहीं की गई थी

6. इकाई की मूल्य श्रृंखला से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का खुलासा करें। इस संबंध में इकाई द्वारा क्या शमन या अनुकूलन उपाय किए गए हैं?

कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नज़र नहीं आया

7. मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका पर्यावरणीय प्रभावों के लिए मूल्यांकन किया गया था

पर्यावरण संबंधी कानूनों/अधिनियमों/संविधि के अंतर्गत आने के कारण, 100% मूल्य श्रृंखला भागीदारों का पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किया गया और संबंधित सरकारी विभागों/संस्थाओं द्वारा इनका मूल्यांकन या निरीक्षण किया जाता है। मूल्य श्रृंखला भागीदारों के साथ बीएचईएल के अनुबंध दस्तावेज़ में पर्यावरण के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का उल्लेख है, और बीएचईएल इस संबंध में उनसे वचनबद्धता लेता है

8. कितने ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न या प्राप्त किए गए हैं:

a. सूचीबद्ध इकाई द्वारा

शून्य

b. शीर्ष दस (क्रमशः खरीद और बिक्री के मूल्य के संदर्भ में) मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा

शून्य

सिद्धांत 7: नीति पक्ष-समर्थक आवश्यक

संकेतक

1. a. व्यापार एवं उद्योग मंडलों/संघों से संबद्धता की संख्या।

दस (10) संबद्धताएँ।

b. शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग चैंबरों/एसोसिएशनों की सूची बनाएं (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) जिनकी संस्था सदस्य/संबद्ध है।

क्र.	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों का नाम	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों (राज्य/राष्ट्रीय) की पहुंच)
1	सिग्रे इंडिया	अंतरराष्ट्रीय
2	भारतीय विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता संघ (आईईईएमए)	राष्ट्रीय
3	भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई	राष्ट्रीय
4	भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की)	राष्ट्रीय
5	सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन (स्कोप)	राष्ट्रीय
6	भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी)	राष्ट्रीय
7	परियोजना भारतीय निर्यात संवर्धन परिषद (पीईपीसी)	राष्ट्रीय
8	पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री	राष्ट्रीय
9	केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड (सीबीआईपी)	राष्ट्रीय
10	निर्माण उद्योग विकास परिषद	राष्ट्रीय

2. नियामक प्राधिकारियों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर, संस्था द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें.

बीएचईएल द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण का कोई मामला सामने नहीं आया है।

नेतृत्व संकेतक

1. संस्था द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति पदों का विवरण।

क्र. सं.	सार्वजनिक नीति का समर्थन	इस तरह के समर्थन के लिए अपनाई गई विधि	क्या जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है? (हाँ/नहीं	बोर्ड द्वारा समीक्षा की आवृत्ति (वार्षिक/ अर्धवार्षिक/ त्रैमासिक/अन्य -	वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो
1.	भेल संवाद 4.0 - नवाचार और सहयोग के माध्यम से आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए भेल के सफल भागीदारों के साथ संवाद	एमएचआई के मार्गदर्शन में बीएचईएल ने 25.11.2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया	हाँ	--	--
2.	विभिन्न प्रदर्शनियों और ELECRAMA (IEEMA द्वारा आयोजित), GRIDCON (पावर ग्रिड द्वारा आयोजित), अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार में भागीदारी	बीएचईएल ने प्रत्येक कार्यक्रम की थीम पर अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया	हाँ	--	--

क्र. सं.	सार्वजनिक नीति का समर्थन	इस तरह के समर्थन के लिए अपनाई गई विधि	क्या जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है? (हाँ/नहीं	बोर्ड द्वारा समीक्षा की आवृत्ति (वार्षिक/ अर्धवार्षिक/ त्रैमासिक/अन्य -	वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो
3.	पूंजीगत वस्तु क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम परिषद आदि को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों/ इनपुट में भागीदारी	औद्योगिक निकायों (सीआईआई, फिक्की), सरकारी मंत्रालयों जैसे एमएचआई, एमओपी आदि के साथ बातचीत के माध्यम से।	नहीं	--	--
4.	पूंजीगत वस्तु नीति में संशोधन हेतु गठित उप-समूहों की विभिन्न बैठकों में भागीदारी	औद्योगिक निकायों (सीआईआई, फिक्की) और उनके संबंधित सलाहकारों के साथ बातचीत के माध्यम से	नहीं	--	--
5.	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सहयोग को सुगम बनाना	एफटीए आदि के लिए उद्योग निकायों/सरकारी एजेंसियों को इनपुट प्रदान करना	नहीं	--	--
6.	सीमा शुल्क, निर्यात संवर्धन और निर्यात प्रोत्साहन जैसे मामलों पर इनपुट	बजट 2024-25 के लिए बजट-पूर्व ज्ञापन	नहीं	--	--

सिद्धांत 8: समावेशी विकास आवश्यक

संकेतक

1. **चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण।**

   लागू नहीं

2. **निम्नलिखित प्रारूप में उन परियोजनाओं की जानकारी प्रदान करें जिनके लिए आपकी संस्था द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) का कार्य किया जा रहा है:**

   लागू नहीं

3. **समुदाय की शिकायतों को प्राप्त करने और उनके निवारण के तंत्र का वर्णन करें।**

   समुदाय अपनी शिकायतें केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस)/लोक शिकायत पोर्टल के माध्यम से दर्ज कराता है, जिन्हें बाद में बीएचईएल में लोक शिकायत अधिकारी को सौंप दिया जाता है।

4. **आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के अनुसार कुल इनपुट में इनपुट:**

	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
एमएसएमई/लघु उत्पादकों से सीधे प्राप्त	39.7%	32.18%
जिले के भीतर और पड़ोसी जिलों से सीधे प्राप्त	14%	12%

5. **छोटे शहरों में रोजगार सृजन - निम्नलिखित स्थानों में नियोजित व्यक्तियों (स्थायी या गैर-स्थायी/अनुबंध आधार पर नियोजित कर्मचारियों या श्रमिकों सहित) को भुगतान की गई मजदूरी का खुलासा कुल मजदूरी लागत के प्रतिशत के रूप में करें***

स्थान	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
ग्रामीण		
i) नियोजित व्यक्तियों (स्थायी या अस्थायी/अनुबंध आधार पर नियोजित कर्मचारियों या श्रमिकों सहित) को भुगतान किए गए वेतन का खुलासा करें)	₹3,88,11,79,474.48	₹3,29,77,73,379.00
ii) कुल मजदूरी लागत	₹57,77,59,26,056.80	₹56,40,17,00,000.00
iii) % ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन	6.72%	5.85%
अर्ध शहरी		
i) नियोजित व्यक्तियों (स्थायी या अस्थायी/अनुबंध आधार पर नियोजित कर्मचारियों या श्रमिकों सहित) को भुगतान किए गए वेतन का खुलासा करें)	₹14,30,62,56,604.75	₹13,71,33,13,292.00
ii) कुल मजदूरी लागत	₹57,77,59,26,056.80	₹56,40,17,00,000.00
iii) % अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन	24.76%	24.31%
शहरी		
i) नियोजित व्यक्तियों (स्थायी या अस्थायी/अनुबंध आधार पर नियोजित कर्मचारियों या श्रमिकों सहित) को भुगतान किए गए वेतन का खुलासा करें)	₹14,91,64,76,621.57	₹14,10,24,94,878.00
ii) कुल मजदूरी लागत	₹57,77,59,26,056.80	₹56,40,17,00,000.00
iii) % शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन	25.82%	25.00%
महानगर		
i) नियोजित व्यक्तियों (स्थायी या अस्थायी/अनुबंध आधार पर नियोजित कर्मचारियों या श्रमिकों सहित) को भुगतान किए गए वेतन का खुलासा करें)	₹24,67,20,13,355.99	₹24,43,50,39,231.00
ii) कुल मजदूरी लागत	₹57,77,59,26,056.80	₹56,40,17,00,000.00
iii) % महानगर क्षेत्रों में रोजगार सृजन	42.70%	43.32%

टिप्पणी : यहां जिन कर्मचारियों पर विचार किया गया है वे स्थायी हैं

* वास्तविक भुगतान के आधार पर गणना में पीपी/एसआई/पीआरपी को ध्यान में रखा गया है। अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के लिए 16% की दर से भत्ते और कर्मचारियों के लिए 31% की दर से भत्ते पर विचार किया गया है।

नेतृत्व संकेतक

1. सामाजिक प्रभाव आकलन में पहचाने गए किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाई का विवरण प्रदान करें (संदर्भ: उपरोक्त आवश्यक संकेतकों का प्रश्न 1):

लागू नहीं

2. सरकारी निकायों द्वारा चिन्हित महत्वकांक्षी जिलों में आपकी संस्था द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं पर निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान नामित महत्वकांक्षी जिलों में सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की जाने वाली राशि है:-

क्र.	राज्य	महत्वकांक्षी जिला	खर्च की गई राशि (₹ लाख में)
1	उत्तराखंड	हरिद्वार	106.18

3. (ए) क्या आपके पास कोई अधिमान्य खरीद नीति है जिसके तहत आप हाशिए पर स्थित/कमजोर समूहों के आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं? (हां/नहीं/लागू नहीं)।

हां

(बी) आप किन हाशिए पर स्थित/कमजोर समूहों से सामग्री खरीदते हैं?

कंपनी सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को सहयोग प्रदान करती रही है। एमएसई आमतौर पर कार्यबल के कमज़ोर वर्गों, जैसे महिलाओं, युवाओं और गरीब परिवारों के लोगों, के एक बड़े हिस्से को रोज़गार प्रदान करते हैं। बीएचईएल इकाइयों द्वारा नियमित रूप से विक्रेता सम्मेलन और आपूर्तिकर्ता विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, विशेष रूप से एमएसई (स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं सहित) और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए, जो आवश्यकताओं की पहचान और पारस्परिक लाभ के लिए कार्य योजना तैयार करने हेतु एक मंच के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा, एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति (एमएसई के लिए आदेश (एमएसएमई मंत्रालय-भारत सरकार द्वारा जारी) में निर्दिष्ट प्राथमिकताएँ दी जाती हैं.

सभी एमएसएमई/एमएसई विक्रेताओं को समर्थन देने के लिए, बीएचईएल ने सभी ऑपरेटिंग ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) पोर्टल्स (एमओएमएसएमई की दिनांक 07.11.2024 की अधिसूचना के अनुसार अनिवार्य) पर खुद को शामिल कर लिया है। टीआरईडीएस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो एमएसएमई को अपने व्यापार प्राप्तियों को भुनाकर कार्यशील पूंजी तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा, बढ़ी हुई दृश्यता के लिए, जीईएम ने जीईएम के साथ बीएचईएल के उद्यम संसाधन नियोजन (ईआरपी) को एकीकृत करने का प्रावधान किया है और बीएचईएल के लिए भी यही लागू है। कंपनी ने एमएसई विक्रेताओं को सीधे या टीआरईडीएस के माध्यम से निर्धारित समयसीमा (एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 द्वारा अनिवार्य) के भीतर 100% समय पर भुगतान भी किया।

(सी) यह कुल खरीद (मूल्य के अनुसार) का कितना प्रतिशत है?

वित्त वर्ष 2024-25 में, बीएचईएल ने अपनी कुल वस्तुओं और सेवाओं का 39.67% एमएसई से, 0.13% एससी/एसटी के स्वामित्व वाले एमएसई से और 1.55% महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीदा। कंपनी ने सभी एमएसई को समय पर भुगतान भी सुनिश्चित किया।

4. पारंपरिक ज्ञान के आधार पर आपकी संस्था के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा अर्जित बौद्धिक संपदा से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण (चालू वित्तीय वर्ष में):

कंपनी पारंपरिक ज्ञान पर आधारित बौद्धिक संपदा का स्वामित्व या अधिग्रहण नहीं करती है। कंपनी के उत्पाद और संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार वैज्ञानिक प्रमाणों से प्राप्त ज्ञान पर आधारित हैं।

बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट, अनुसंधान एवं विकास तथा तकनीकी उपलब्धियों की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक-VI देखें।

5. बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में किसी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण, जहां पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पारंपरिक ज्ञान के उपयोग के संबंध में कोई बौद्धिक संपदा विवाद नहीं होगा।

6. सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण:

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना (वित्त वर्ष 2024-25)	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और सीमांत समूहों का %
1	नोएडा, उत्तर प्रदेश में मोतियाबिंद अंधेपन से पीड़ित ग्रामीण गरीब/वंचित लोगों की आंखों की रोशनी बहाल करने के लिए वित्तीय सहायता	60	100%
2	ओडिशा के तालचेर के बन्टोल ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांवों में एनीमिया की जांच के लिए चिकित्सा शिविर के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता	282	100%
3	हैदराबाद के मियापुर में बच्चों में पोषण की कमी को दूर करने के लिए पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय सहायता	150	100%

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना (वित्त वर्ष 2024-25)	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और सीमांत समूहों का %
4	पिकेट, सिकंदराबाद, हैदराबाद में बच्चों में पोषण की कमी को दूर करने के लिए पोषण आहार उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय सहायता।	65	100%
5	हैदराबाद के कुकटपल्ली में आवश्यक दवाओं की आपूर्ति के भंडारण को बढ़ाने के उद्देश्य से रेफ्रिजरेटर के प्रावधान के माध्यम से कैंसर रोगियों को उपशामक देखभाल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई।	35	100%
6	ग्राम सरवौन, बबीना, झांसी में स्वास्थ्य जागरुकता एवं चिकित्सा शिविर के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता।	300	100%
7	हरिद्वार और झांसी में बीएचईएल विनिर्माण इकाइयों में स्थित स्कूलों के संचालन के लिए सहायता।	920	100%

सीएसआर पर अधिक जानकारी के लिए, अनुलग्नक-IV, संसटेबिलिटि परफामेंस- सोसल देखें

सिद्धांत 9: ग्राहक मूल्य

आवश्यक संकेतक

1. **उपभोक्ता शिकायतों और प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने और उनका जवाब देने के लिए मौजूद तंत्रों का वर्णन करें।** ग्राहक मूल्य बीएचईएल की संस्कृति का प्रमुख हिस्सा है और यह हमारे विज़न, मिशन और मूल्यों के विवरण में परिलक्षित होता है। कंपनी उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से ग्राहकों के लिए मूल्य सृजन पर निरंतर ध्यान केंद्रित करती है।

   ग्राहकों की शिकायतें विभिन्न स्रोतो जैसे पत्र, ईमेल, फ़ोन कॉल और बैठकों के माध्यम से प्राप्त होती हैं। शिकायतों को तत्काल समाधान के लिए संबंधित एजेंसियों को भेजा जाता है और साथ ही, ऐसी शिकायतों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए मूल कारण विश्लेषण (आरसीए) भी किया जाता है।

   शिकायतों के अलावा, ग्राहक बैठकों, आमने-सामने बातचीत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और प्रशंसा पत्रों के माध्यम से ग्राहक प्रतिक्रिया ली जाती है।

2. **सभी उत्पादों/सेवाओं के टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/सेवाओं का टर्नओवर, जिसमें "उत्पाद से संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक पैरामीटर", "सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग" और "रीसाइक्लिंग और/या सुरक्षित निपटान" के बारे में जानकारी होती है।**

   बीएचईएल के उत्पाद पूंजीगत वस्तुएँ हैं और इसलिए इनका परिचालन काल 25 वर्ष है। ये उत्पाद/प्रणालियाँ ग्राहकों को सुरक्षा, पर्यावरण-अनुकूल संचालन आदि से संबंधित मैनुअल के साथ उपलब्ध कराई जाती हैं। बीएचईएल द्वारा ग्राहक कर्मियों के प्रशिक्षण में भी इन्हीं पहलुओं को शामिल किया जाता है।

3. **निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:**

	वित्तीय 2024-25			वित्तीय 2023-24		
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत तक लंबित समाधान	टिप्पणी	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत तक लंबित समाधान	टिप्पणी
डाटा प्राइवेसी	0	0	-	0	0	-
विज्ञापन देना	0	0	-	0	0	-
साइबर सुरक्षा	0	0	-	0	0	-
आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी	लागू नहीं					
प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएँ	0	0	-	0	0	-
अनुचित व्यापार प्रथाएँ	0	0	-	0	0	-
अन्य	358	42	-	330	74	-

4. सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद वापस मंगाए जाने के मामलों का विवरण:

5. क्या संस्था के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई ढांचा/नीति है? (हां/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

हाँ, बीएचईएल के पास एक स्थापित और स्वीकृत साइबर सुरक्षा नीति है, जो संगठन की आंतरिक नीति है। इसके अलावा, बीएचईएल बी2बी व्यवसाय में है और व्यक्तिगत ग्राहकों के साथ लेन-देन नहीं करता है। इसलिए, किसी भी व्यक्तिगत ग्राहक का डेटा संग्रहीत नहीं किया जाता है।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट में 'डेटा और साइबर सुरक्षा' का संदर्भ लें।

6. विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी से संबंधित मुद्दों पर की गई किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें; ग्राहकों की साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता; उत्पाद वापसी की घटनाओं की पुनरावृत्ति; उत्पादों / सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकरणों द्वारा की गई कार्रवाई / जुर्माना।

लागू नहीं। ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाया गया है

7. डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

a. डेटा उल्लंघनों की घटनाओं की संख्या 0

b. ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत

शून्य (0%)

c. डेटा उल्लंघनों का प्रभाव, यदि कोई हो लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. चैनल/प्लेटफॉर्म जहां इकाई के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें)।

बीएचईएल के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी www.bhel.com से प्राप्त की जा सकती है।

2. उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम।

अनुबंध संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार, ग्राहकों को उत्पादों या प्रणालियों पर संचालन नियमावली और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बीएचईएल द्वारा आपूर्ति की गई मशीनों के सुरक्षित संचालन एवं रखरखाव के लिए, ग्राहकों को मामले-दर-मामला आधार पर तकनीकी सलाह भी जारी की जाती है।

3. आवश्यक सेवाओं में व्यवधान/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए तंत्र मौजूद हैं।

बीएचईएल अपने ग्राहकों के साथ नियमित संपर्क में रहता है और किसी भी व्यवधान की सूचना ईमेल, पत्र और अनुबंध/क्रय आदेश में सहमत अन्य संचार माध्यमों से दी जाती है। इसके अलावा, ग्राहकों के साथ सक्रिय बातचीत और ग्राहक प्रतिक्रिया, ग्राहक परिसर में परिचालन में व्यवधान को रोकने में मदद करती है। ग्राहकों को उनकी मशीनों के बारे में, जिनकी ओवरहालिंग या अनिवार्य निरीक्षण होना है, पत्रों या अन्य डिजिटल माध्यमों से समय-समय पर सूचना दी जाती है।

4. क्या संस्था स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य जानकारी के अलावा उत्पाद पर उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करती है? (हाँ/नहीं/लागू नहीं) यदि हाँ, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें। क्या आपकी संस्था ने संस्था के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं, संस्था के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या समग्र रूप से संस्था से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? (हाँ/नहीं)

हाँ, बीएचईएल द्वारा भेजे गए उत्पादों पर सभी आवश्यक एवं मानक जानकारी प्रदर्शित की जाती है।

हाँ, बीएचईएल प्रमुख उत्पादों/सेवाओं के लिए ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण आयोजित करता है। हालाँकि, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

के निदेशक मंडल की ओर से

के. सदाशिव मूर्ति
अध्यक्ष एवं प्रमुख निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25 जूलाई, 2025

Independent Assurance Statement

To

Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL).

BHEL House, Siri Fort, New Delhi-110049 (India)

Introduction and Objective of Work

BUREAU VERITAS has been engaged by Bharat Heavy Electricals Limited (hereinafter abbreviated as "BHEL") to conduct an independent assurance of the Business Responsibility and Sustainability Report Core (hereinafter abbreviated as "BRSR Core"), consisting of the Key Performance Indicators (KPIs) under Environment, Social and Governance (ESG) attributes, which are mentioned in Annexure I, as prescribed under the Securities and Exchange Board of India (SEBI) Circular dated 12th July, 2023 & SEBI/HO/CFD/CFD-PoD- 1/P/CIR/2024/177 dated December 20, 2024.

Intended User

The assurance statement is made solely for "BHEL and its stakeholders" as per the governing contractual terms and conditions of the assurance engagement contract between "BHEL" and "Bureau Veritas". To the extent that the law permits, we owe no responsibility and do not accept any liability to any party other than "BHEL" for the work we have performed for this assurance report, or our conclusions stated in the paragraph below.

Reporting Criteria

Reporting Framework based on BRSR Core, Business Responsibility and Sustainability Report as per Annexure 1 of the SEBI circular SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122 dated July 12, 2023 & SEBI/HO/CFD/CFD-PoD- 1/P/CIR/2024/177 dated December 20, 2024, BRSR Core KPIs.

The reported information of BRSR core based on following nine ESG attributes:

1. Green-house gas (GHG) footprint
2. Water footprint
3. Energy footprint
4. Embracing circularity - details related to waste management by the entity
5. Enhancing Employee Wellbeing and Safety
6. Enabling Gender Diversity in Business
7. Enabling Inclusive Development
8. Fairness in Engaging with Customers and Suppliers
9. Open-ness of business

Assurance Standards Used

Bureau Veritas conducted reasonable assurance of BRSR Core in accordance with the requirements of the International Federation of Accountants (IFAC) International Standard on Assurance Engagement (ISAE) 3000 (Revised) Reasonable Assurance & GHG as per ISAE 3410. Under this standard, Bureau Veritas has reviewed the information presented in the report against the characteristics of relevance, completeness, materiality, reliability, neutrality, and understandability.

Scope and Boundary of Assurance

- Checking that the data and information included in the BRSR Core (sub-set of BRSR), consisting of a set of Key Performance Indicators (KPIs) / metrics under 9 ESG attributes for the reporting period from 01.04.2024 to 31.03.2025 was fairly presented without material misrepresentation.
- Appropriateness and robustness of underlying reporting systems and processes, used to collect, analyse, and review the information reported.

Reporting Boundary: Only the standalone operations of BHEL.

Independent Assurance Statement

The Methodology Adopted for Assurance

Bureau Veritas conducted a sustainability assurance process for BHEL's BRSR core disclosures for April 1, 2024, to March 31, 2025, following SEBI's BRSR guidelines. Our procedures, tailored to the provided data and associated risks, included:

- Assessing report preparation against BRSR Core parameters.
- Evaluating assumptions, data estimation, and systems for accuracy and adherence to materiality, inclusivity, and responsiveness principles.
- Verifying quantification and analysis processes through site visits and discussions with corporate and operational personnel.
- Reviewing stakeholder engagement, materiality assessments, and data compilation processes at corporate and plant levels.
- Auditing claims and data streams for accuracy in collection, transcription, and aggregation.
- Evaluating ESG policies, practices, and GHG emissions calculations for reliability and fairness.
- Ensuring no misrepresentation of disclosures through review of evidence and backup data.

Limitations and Exclusions

The assurance is limited to the above-mentioned scope of work and excludes the information relating to:

- Data related to the Company's financial performance disclosures.
- Activities and practices followed outside the defined assurance period stated herein above.
- Positional statements, expressions of opinion, belief, aim, or future intention by "BHEL" and statements of future commitment.
- The assurance does not extend to the activities and operations of "BHEL" outside of the scope and geographical boundaries mentioned in the report as well as the operations undertaken by any other entity that may be associated with or have a business relationship with "BHEL".
- Compliance with any Environmental, Social, and legal issues related to the regulatory authority.
- Any of the statements related to company aspects or reputation.

Conclusion

Bureau Veritas conducted a comprehensive review of BHEL's BRSR core disclosures for the period April 1, 2024, to March 31, 2025, as presented in its Report. Based on the procedures performed, evidence obtained, and information and explanations provided by management, and subject to the inherent limitations outlined in the Report, in our opinion, BHEL's BRSR core disclosures are, in all material respects, prepared in accordance with the Securities and Exchange Board of India's (SEBI) BRSR guidelines.

As part of our independent reasonable assurance engagement, we rigorously evaluated the robustness and appropriateness of the underlying reporting systems and processes used to collect, analyse, and validate the reported information. Our assessment confirms that these systems are effectively designed and implemented to ensure alignment with SEBI's BRSR framework, supporting the accuracy, reliability, and completeness of the disclosures.

Responsibilities

BHEL is completely responsible for the report contents, identification of material topics, and data reporting structure. The selection of reporting criteria, reporting period, reporting boundary, monitoring, and measurement of data, preparation, and presentation of information for the report are the sole responsibility of the management of "BHEL". Bureau Veritas (BV) was not involved in the drafting or preparation of the report and any other backup data for the reporting period. The

responsibility of BV was to provide reasonable independent assurance for the sustainability of non-financial disclosures as described in the scope of assurance.

The said assessment is properly based on the assumption that the data and information provided in the report are proper and without any discrepancy. Bureau Veritas shall not be held liable or responsible for any type of decision a person or entity would make based on this assurance statement. While reading the assurance statement, stakeholders shall recognize and accept the limitations and scope as mentioned above.

Uncertainty

The reliability of assurance is subject to uncertainty(ies) that is inherent in the assurance process. Uncertainties stem from limitations in quantification models used, assumptions, or data conversion factors used or may be present in the estimation of data used to arrive at results. Our conclusions with respect to this assurance are naturally subject to any inherent uncertainty(ies) involved in the assurance process.

Statement of Independence, Impartiality, and Competence

Bureau Veritas is an independent professional services company that specializes in Quality, Health, Safety, Social, and Environmental Management with almost 196 years of history in providing independent assurance services. Bureau Veritas has implemented a Code of Ethics across the business to maintain high ethical standards among staff in their day-to-day business activities. We are particularly vigilant in the prevention of conflicts of interest.

No member of the assurance team has a business relationship with “BHEL”, its Directors, Managers, or officials beyond that required of this assignment. We have conducted this verification independently and there has been no conflict of interest.

The assurance team has extensive experience in conducting assurance over environmental, social, ethical, and health & safety information, systems, and processes and an excellent understanding of Bureau Veritas standard methodology for the assurance BRSR.

Competence

The assurance team has extensive experience in conducting assurance for environmental, social, ethical, and health & safety information, systems, and processes, along with an excellent understanding of Bureau Veritas' standard methodology for the assurance of sustainability reports.

Restriction on use of Our Report

Our Reasonable assurance report has been prepared and addressed to the Board of Directors of the Company at the request of the company solely to assist the company in reporting on the Company’s Sustainability performance and activities. Accordingly, we accept no liability to anyone other than the Company. Our deliverables should not be used for any other purpose or by any person other than the addresses of our deliverables. The Firm neither accepts nor assumes any duty of care or liability for any other purpose or to any other party to whom our deliverables are shown or in whose hands it may come without our prior consent in writing.

Amit Kumar
Lead Assurer
Bureau Veritas (India) Private Limited
Noida, India
Dt: June 19, 2025

Munji Rama Mohan Rao
Technical Reviewer
Bureau Veritas (India) Private Limited
Hyderabad, India
Dt: June 19, 2025

अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी उपलब्धियाँ

बोर्ड की रिपोर्ट - अनुलग्नक-VI

अनुसंधान एवं विकास तथा तकनीकी उपलब्धियाँ

6.1 अनुसंधान एवं विकास रणनीति

कंपनी की उत्पाद श्रृंखला और समाधान तकनीकी रूप से गहन हैं, जिन्हें निरंतर उन्नत बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, औद्योगिक ग्राहक समकालीन तकनीकी आधारित समाधानों के प्रति उत्सुक हैं। बीएचईएल नवीन तकनीकों और समाधानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, और उत्पाद विकास एवं अनुसंधान एवं विकास पर पर्याप्त निवेश कर रहा है।

वित्त वर्ष 2024-25 में अनुसंधान एवं विकास में लगभग 662 करोड़ रुपये का निवेश किया गया, जो राजस्व का 2.4% है, जिसके परिणामस्वरुप 506 पेटेंट और कॉपीराइट दायर किए गए, जिससे 31 मार्च, 2025 तक कुल आईपीआर पूंजी 5,900 (संख्या) से अधिक हो गई। इसके अलावा, वर्ष में, कंपनी के राजस्व का लगभग 13.5% इन-हाउस विकसित उत्पादों, प्रणालियों और सेवाओं से उत्पन्न हुआ।

महत्वपूर्ण पहल और उपलब्धियाँ

बीएचईएल ने अनुसंधान एवं विकास तथा उत्पाद विकास के लिए निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है:

- **स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियाँ -** स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियाँ- बीएचईएल ने कोयले को मेथनॉल में परिवर्तित करने की तकनीक का प्रदर्शन किया है। बीएचईएल, कोयला गैसीकरण से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड से डाइ-मिथाइल ईथर (डीएमई) बनाने की तकनीक विकसित करने के लिए सीएसआईआर-आईआईसीटी के साथ भी सहयोग कर रहा है।

- **उच्च दक्षता वाले ताप विद्युत संयंत्र -** ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता को संतुलित करने तथा स्वच्छ और अधिक कुशल विद्युत उत्पादन समाधानों को बढ़ावा देने के लिए बीएचईएल का ध्यान कोयला गैसीकरण और एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) प्रौद्योगिकी पर है।

- **रेल परिवहन-** भारत के रेल परिवहन की बेहतर कनेक्टिविटी, सुरक्षा और स्थिरता के लिए राष्ट्र के लक्ष्यों का समर्थन करते हुए नवाचार और उत्कृष्टता के प्रति बीएचईएल की निरंतर प्रतिबद्धता। बीएचईएल ने भारतीय रेलवे के लिए एसआईएल4 प्रमाणित टीसीएएस (जिसे कवच के नाम से भी जाना जाता है) के विकास हेतु ओईएम के साथ एक प्रौद्योगिकी साझेदारी समझौता किया है।

- **रक्षा एवं एयरोस्पेस-** बीएचईएल भारत की रक्षा तैयारियों, तकनीकी उन्नति और रणनीतिक स्वायत्तता के समर्थन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए विभिन्न रक्षा प्रतिष्ठानों के साथ सहयोग करता है।

- **प्रौद्योगिकी सहयोग-** बीएचईएल उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिए रणनीतिक रूप से खुद को तैयार कर रहा है और स्थापित वैश्विक कंपनियों के साथ सहयोग के माध्यम से विकास को गति दे रहा है। 31 मार्च, 2025 तक, बीएचईएल के पास 16 सक्रिय प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते (टीसीए) हैं।

कंपनी अपने संगठन के भीतर एक सुदृढ़ बौद्धिक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने और इंजीनियरिंग कर्मचारियों को निरंतर कौशल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बीएचईएल का विशिष्ट फोकस इंजीनियरिंग अनुकूलन पर है, जिसे डिज़ाइन अनुकूलन और उत्पाद चक्र समय को सुव्यवस्थित करके प्राप्त किया जाता है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य बीएचईएल उत्पादों में लागत में कमी लाना और समग्र दक्षता में सुधार करना है।

1.2 उच्च राख वाले कोयले से 0.25 टीपीडी मेथनॉल उत्पादन के लिए बीएचईएल द्वारा हैदराबाद में टीपीडी कोयला गैसीकरण पायलट संयंत्र स्थापित किया गया

बीएचईएल ने कोयला गैसीकरण से प्राप्त CO2 से डाइ-मिथाइल ईथर (डीएमई) के उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए सीएसआईआर-आईआईसीटी के साथ सहयोग किया है।

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

नए/उन्नत उत्पादों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों के विकास की दिशा में बीएचईएल के अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के परिणामस्वरूप निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए हैं:

- दिबांग, एचईपी के लिए 222.5 मीटर रेटेड हेड और 214.3 रेटेड आरपीएम के लिए उपयुक्त 240 मेगावाट का उच्चतम रेटिंग वाला फ्रांसिस टर्बाइन मॉडल विकसित किया गया है। मॉडल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है और विनिर्माण अनुमोदन प्राप्त हो गया है।

- पोलावरम जल विद्युत परियोजना के लिए सबसे बड़े आकार और सबसे बड़ी रेटिंग वाले कापलान रनर का सफलतापूर्वक डिज़ाइन, निर्माण और आपूर्ति की गई। विकसित टर्बाइन का रनर व्यास 6.85 मीटर, रेटेड गति 100 आरपीएम, रेटेड नेट हेड 27 मीटर और 80 मेगावाट पावर रेटिंग है। इस विकास के साथ, बीएचईएल ने कापलान टर्बाइन के लिए 60 बार से 100 बार तेल दाब प्रणाली को उन्नत किया है, जिसके परिणामस्वरूप सर्वोमोटर के आकार और उसके घटकों के भार में कमी आई है।

- हाइड्रो टर्बाइन के जल मार्ग घटकों के लिए उच्च वेग ऑक्सीजन ईंधन (HVOF) कोटिंग प्रक्रिया हेतु एक सुविधा स्थापित की गई है। यह कोटिंग उन घटकों की सेवा जीवन को बढ़ाती है जो पानी में गाद की संक्षारक प्रकृति के अधीन होते हैं। 5 μm (माइक्रोन) से 30 μm कण आकार के टंगस्टन कार्बाइड सिरेमिक महीन पाउडर का उपयोग करके संकीर्ण अंतराल वाली जटिल सतहों पर कोटिंग के लिए एक नई कोणीय गन स्थापित की गई है।

- (132 मेगावाट) गैस टर्बाइन के लिए कंप्रेसर रोटर का सफलतापूर्वक निर्माण किया गया। इससे पहले, ब्लेडिंग सहित पूरा रोटर मेसर्स GE से आयात किया जाता था। स्वदेशीकरण पहल के तहत, कंप्रेसर व्हील, ब्लेड, असेंबली और बैलेंसिंग के निर्माण हेतु टूलिंग सहित पूरे रोटर का निर्माण भी स्वदेश में ही स्थापित किया गया है।

- आईओसीएल पानीपत के लिए बीसीएल800 श्रृंखला हेतु रोटर, डायाफ्राम और बेयरिंग सील सहित कंप्रेसर के आंतरिक भागों सहित संपूर्ण कंप्रेसर विकसित किया गया। पहले, कंप्रेसर के आंतरिक भाग आयात किए जाते थे, जबकि बीएचईएल केसिंग, एंड कवर आदि जैसे स्थिर घटकों का निर्माण करता था।

- कंप्रेसर पैकेज और स्टीम टर्बाइन इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर कंट्रोलर के लिए संपूर्ण एंटी-सर्ज कंट्रोलर विकसित किया गया है। पेटेंट प्राप्त एंटी-सर्ज एल्गोरिदम को वालमेटडीएनए और मैक्सडीएनए नियंत्रण प्रणाली हार्डवेयर प्लेटफ़ॉर्म में लागू किया गया है। ट्रिपल मॉड्यूलर रिडंडेंसी (टीएमआर) इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर, स्टीम टर्बाइनों के लिए बीएचईएल के मानक इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक टर्बाइन कंट्रोल (ईएचटीसी) का एक अत्यधिक अनुकूलित संस्करण है, जो विश्वसनीयता और सुरक्षा को बढ़ाता है।

- IS/IEC 60079-0:2017 और IS/IEC 60079-1:2014 के अनुसार 800 मिमी केंद्र ऊँचाई में उच्चतम रेटेड 1600 kW, 6.6 kV, 2-पोल फ्लेम प्रूफ मोटर का सफलतापूर्वक विकास किया गया। इस विकास से पहले, बीएचईएल 1300 kW तक की फ्लेम प्रूफ मोटर उपलब्ध कराता था और इससे अधिक रेटिंग की आवश्यकताएँ केवल आयातित मोटरों से ही पूरी होती थीं। इस मोटर का केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान (सीआईएमएफआर), धनबाद में

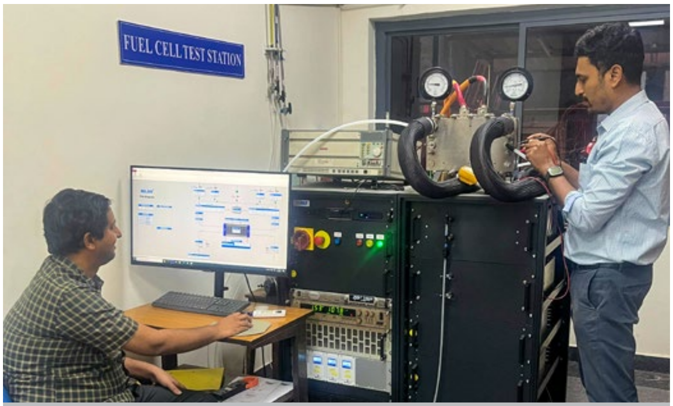

कॉर्पोरेशन अनुसंधान एवं विकास, हैदराबाद में ईंधन सेल घटक परीक्षण स्टेशन

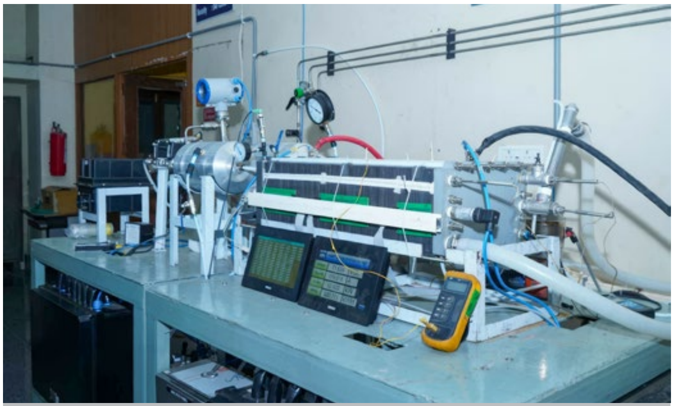

कॉर्पोरेशन अनुसंधान एवं विकास, हैदराबाद में विविध परीक्षण स्थितियों के अंतर्गत ईंधन सेल स्टैक प्रदर्शन मूल्यांकन

ज़ोन-1 और 2, गैस समूह IIB (वायु में 8% एथिलीन), खतरनाक क्षेत्र अनुप्रयोग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है।

वायुजनित अनुप्रयोगों के लिए द्रव शीतलन प्रणाली (एलसीएस) हेतु पंप मॉड्यूल का सफलतापूर्वक डिज़ाइन, विकास और परीक्षण किया गया। एलसीएस का उपयोग विमानों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (जैसे रडार) द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को शीतलक के संचलन द्वारा निकालने के लिए किया जाता है। एलसीएस में, पंप मॉड्यूल का उपयोग शीतलक के संचलन के लिए किया जाता है।

- विंग्ड रिजर्व प्रोपल्शन सिस्टम (डब्ल्यूआरपीएस) के लिए इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक सिस्टम (ईएचएस) के प्रोपेलर और मोटर के रिग-इन और रिग-आउट सिस्टम के वास्तविक लोड स्थितियों, स्थान आवश्यकताओं, कार्यात्मक आवश्यकता और परिमित तत्व विश्लेषण के सिमुलेशन के लिए परीक्षण रिग का डिजाइन पूरा हो गया ।
- दोनों सिरों पर केबिन (डुअल केबिन डिज़ाइन) के साथ 700 एचपी सिंगल पावर पैक (एसपीपी) डीजल इलेक्ट्रिक लोको का डिज़ाइन, निर्माण और आपूर्ति की गई। यह डिज़ाइन लोको पायलट के लिए बेहतर दृश्यता और संचालन में आसानी प्रदान करता है।
- आईआईटी-मद्रास के सहयोग से, बीएचईएल ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे को संसाधित करने और उससे टिन, सीसा और तांबा जैसी मूल्यवान धातुओं को निकालने के लिए, हरित हाइड्रोमेटेलर्जी पद्धति से 100 किलोग्राम/बैच क्षमता वाला एक प्रायोगिक प्रदर्शन संयंत्र विकसित और स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त, एकत्रित अंतिम धुलाई जल को कैल्शियम नाइट्रेट घोल बनाने के लिए उदासीन किया जाता है, जिसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जा सकता है। इस प्रकार, यह पूरी प्रक्रिया पर्यावरण के लिए शून्य उत्सर्जन वाली है।

6.2 अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी विकास के लिए दृष्टिकोण

भविष्य के लिए बीएचईएल के अनुसंधान एवं विकास फोकस क्षेत्रों में शामिल हैं:

- उच्च राख वाले कोयले के लिए उपयुक्त कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी के सफल विकास और प्रदर्शन के बाद, कंपनी सिन-गैस से अमोनियम नाइट्रेट, मेथनॉल, हाइड्रोजन आदि जैसे रसायन और ईंधन उत्पन्न करने के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी में सुधार करने के लिए काम कर रही है।
- इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स (ईएमयू), उच्च शक्ति वाले लोकोमोटिव और हाई स्पीड ट्रेनसेट के लिए तीन-चरण एसी ड्राइव सिस्टम के क्षेत्रों में रेल परिवहन के लिए एंड-टू-एंड समाधान का विकास।
- हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला के लिए उत्पादों और प्रणालियों का विकास।
- ली-आयन बैटरी सिस्टम, हीट एक्सचेंजर्स आदि के लिए उत्पादों और प्रणालियों का विकास।
- डाउनस्ट्रीम तेल और गैस क्षेत्र के लिए उत्पादों का विकास।
- परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए उत्पादों और प्रणालियों का विकास।
- ई-मोबिलिटी पारिस्थितिकी तंत्र (पावर ट्रेन, चार्जिंग स्टेशन आदि सहित) और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए समाधानों का विकास।
- डिजिटल सबस्टेशन और उन्नत विद्युत संचरण के लिए उत्पादों और प्रणालियों का विकास।

बीएचईएल अपनी अनुसंधान एवं विकास प्रक्रियाओं के गतिशील समन्वय के माध्यम से नवाचार और प्रौद्योगिकी नेतृत्व के माध्यम से सतत विकास प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। बाजार की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहकर, अनुसंधान एवं विकास प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके और निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देकर, बीएचईएल तेजी से विकसित हो रहे व्यावसायिक परिवेश में फलने-फूलने का प्रयास कर रहा है।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

के निदेशक मंडल की ओर से

के. सदाशिव मूर्ति
अध्यक्ष एवं प्रमुख निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25 जूलाई 2025

बोर्ड की रिपोर्ट- अनुलग्नक-VII

7.1 ऊर्जा संरक्षण

आपकी कंपनी अपने संचालन के अभिन्न अंग के रूप में ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के प्रति निरंतर समर्पित है। बीएचईएल की ऊर्जा-प्रधान इकाइयों को आईएसओ 50001 प्रमाणन प्राप्त है, जो कठोर ऊर्जा प्रबंधन मानकों के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसकी इकाइयों में व्यवस्थित ऊर्जा लेखापरीक्षा के माध्यम से, विभिन्न संरक्षण परियोजनाओं को क्रियान्वित किया गया है, जिसके परिणामस्वरुप ऊर्जा की मांग में उल्लेखनीय कमी आई है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, बीएचईएल के स्थापित कैप्टिव सौर संयंत्रों ने सामूहिक रुप से लगभग 39.48 मिलियन यूनिट हरित ऊर्जा उत्पन्न की, जिससे पिछले आठ वर्षों में लगभग 231.65 मिलियन यूनिट का संचयी उत्पादन प्राप्त हुआ। 31 मार्च, 2025 तक, बीएचईएल के कुल स्थापित सौर संयंत्रों की क्षमता 41.84 मेगावाट है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एक उल्लेखनीय पहल में बीएचईएल हरिद्वार में बूम (बिल्ड-ओन-ऑपरेट-मेंटेन) मॉडल के तहत 5 मेगावाट पीक ग्रिड-कनेक्टेड ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी सिस्टम की स्थापना शामिल है। बीएचईएल के किसी पूंजी निवेश के बिना क्रियान्वित यह परियोजना 25 वर्षों तक प्रति किलोवाट घंटा एक निश्चित टैरिफ पर संचालित होगी और इससे सालाना लगभग ~9.0 मिलियन बिजली उत्पादन की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, हैदराबाद में RESCO मॉडल के तहत 2 MWp का एक ग्राउंड-माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है और इससे सालाना लगभग ~3.6 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन की उम्मीद है।

दस विनिर्माण इकाइयाँ (एचईईपी और सीएफएफपी हरिद्वार, एचपीबीपी और एसएसटीपी त्रिची, थिरुमायम, रानीपेट, भोपाल, हैदराबाद, वाराणसी और गोइंदवाल) आईएसओ 50001:2018 प्रमाणित हैं, और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बीएचईएल में 50 से अधिक ऊर्जा संरक्षण (ईएनसीओएन) परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं।

7.2 प्रौद्योगिकी समावेश और अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान एवं विकास

1.	विशिष्ट क्षेत्र जिनमें कंपनी द्वारा अनुसंधान एवं विकास किया गया	}	अनुलग्नक-VI के अंतर्गत बोर्ड की रिपोर्ट में दिया गया "अनुसंधान एवं विकास तथा तकनीकी उपलब्धियाँ"
2.	उपरोक्त अनुसंधान एवं विकास के परिणामस्वरुप प्राप्त लाभ	}	अनुलग्नक-VI के अंतर्गत बोर्ड की रिपोर्ट में दिया गया "अनुसंधान एवं विकास तथा तकनीकी उपलब्धियाँ"
3.	भविष्य के फोकस क्षेत्र		अनुलग्नक-VI के अंतर्गत बोर्ड की रिपोर्ट में दिया गया "अनुसंधान एवं विकास तथा तकनीकी उपलब्धियाँ"
4.	अनुसंधान एवं विकास पर व्यय		
कुल		--	₹662 Crores
a)	पुनरावर्ती	--	₹657.2 Crores
b)	पूंजी	--	₹4.8 Crores
राजस्व के प्रतिशत के रूप में व्यय		--	2.4%

प्रौद्योगिकी समावेश

पिछले 5 वर्षों के दौरान आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण:

तकनीकी	आयात का वर्ष	समावेश स्थिति
नई पीढ़ी का सीएंडआई स्वचालन	2020	प्रौद्योगिकी समावेश प्रगति पर है।
उन्नत सुपर रैपिड गन माउंट (एसआरजीएम)	2021	
सर्कुलेटिंग फ्लुड़ाइज्ड बेड कंबुस्चन (सीएफबीसी) बॉयलर	2022	
गैस टर्बाइनों के उन्नत और नए मॉडल	2023	
कवच (सिग्नलिंग सिस्टम)	2024	
हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर (एचआरएसजी)	2025	

7.3 विदेशी मुद्रा आय और व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
प्रयुक्त विदेशी मुद्रा	1,967	1,564
अर्जित विदेशी मुद्रा	557	1,062

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

के निदेशक मंडल की ओर से

के. सदाशिव मूर्ति
अध्यक्ष एवं प्रमुख निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25 जूलाई 2025

बोर्ड की रिपोर्ट - अनुलग्नक-VIII

8.1 राजभाषा कार्यान्वयन

बीएचईएल राजभाषा 'हिंदी' के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। विगत वर्षों में, बीएचईएल में हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु अनेक गतिविधियाँ संचालित की गई हैं और इन प्रयासों को 'राजभाषा कीर्ति' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय राजभाषा पुरस्कार है।

वर्ष 2024-25 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा के लिए नियमित बैठकें आयोजित की गईं और माननीय संसदीय राजभाषा समिति ने कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास, हैदराबाद का निरीक्षण किया तथा राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान राजभाषा 'हिंदी' के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की जाने वाली प्रमुख गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

- गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित हिंदी दिवस, 2024 और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में बीएचईएल के 40 अधिकारियों ने भाग लिया।
- हिंदी दिवस - 2024 के अवसर पर, बीएचईएल ने कंपनी भर में विभिन्न प्रतियोगिताओं, संगोष्ठियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और कवि सम्मेलनों का आयोजन किया।
- दिल्ली-एनसीआर कार्यालयों में आयोजित 'राजभाषा उल्लास पर्व' के दौरान नौ प्रतियोगिताओं में 500 से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया।
- 10 जनवरी, 2025 को विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर कंपनी की सभी इकाइयों/प्रभागों/कार्यालयों में विभिन्न प्रतियोगिताएं/कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- 'अंतर-इकाई राजभाषा शील्ड' योजना के अंतर्गत कंपनी की 07 इकाइयों/प्रभागों को उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए प्रमाण पत्र एवं राजभाषा शील्ड प्रदान की गई।
- बीएचईएल विभिन्न शहरों में स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों) में सक्रिय भूमिका निभा रहा है, जिसमें संबंधित शहरों के इकाई/प्रभाग प्रमुखों की सदस्यता शामिल है। बीएचईएल, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की प्रतियोगिताओं और अन्य गतिविधियों के आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। दिल्ली-एनसीआर स्थित कार्यालयों के 6 कर्मचारियों ने अक्टूबर-दिसंबर 2024 के दौरान नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (पीएसयू-1) दिल्ली द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीते।
- वर्ष के दौरान बीएचईएल की इकाइयों को अपने-अपने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, विशेष रूप से कॉर्पोरेट कार्यालय को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दिल्ली से वर्ष 2023-24 के लिए 'उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन' श्रेणी में 'तृतीय' पुरस्कार प्रदान किया गया।
- बीएचईएल में 17 हिंदी पत्रिकाएँ प्रकाशित हुईं और इन पत्रिकाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट लेखों के लिए 30 कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। हिंदी पत्रिका 'अरुणिमा' को जनवरी-दिसंबर 2024 की अवधि के लिए नाराकास, दिल्ली (उपक्रम-1) से 'सर्वश्रेष्ठ हिंदी पत्रिका' श्रेणी में 'चतुर्थ' पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- कंपनी भर में 4,500 से अधिक प्रतिभागियों के साथ नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। दिल्ली-एनसीआर स्थित कार्यालयों में 8 हिंदी कार्यशालाएँ आयोजित की गईं जिनमें 331 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

अप्रैल 2024 में बीएचईएल सदन, नोएडा में राजभाषा प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई

2024 में एचपीईपी, हैदराबाद में सतर्कता प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई

- बोर्ड परीक्षाओं में हिंदी विषय में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को भी पुरस्कृत किया गया।.
- कंपनी की विभिन्न इकाइयों में तिमाही आधार पर पुरस्कार सहित हिंदी ई-मेल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही थी।
- भारत सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत 'ग' क्षेत्र के गैर-हिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रशिक्षण।
- राजभाषा के प्रयोग में प्रगति की निगरानी और समीक्षा हेतु 14 इकाइयों/प्रभागों का निरीक्षण।

8.2 सतर्कता तंत्र

कंपनी में सुशासन, पारदर्शिता, ईमानदारी और नैतिकता के सिद्धांतों पर आधारित एक पूर्ण सतर्कता तंत्र मौजूद है। बीएचईएल के सतर्कता कार्यों का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) करते हैं, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रबंधन के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। बीएचईएल की प्रत्येक विनिर्माण इकाई और विद्युत क्षेत्र में एक सतर्कता व्यवस्था है, जिसका नेतृत्व एक सतर्कता कार्यकारी करता है जो सीवीओ को रिपोर्ट करता है।

निवारक सतर्कता हमेशा से ही बीएचईएल की सतर्कता टीम का केंद्रबिंदु रही है। निवारक सतर्कता के दृष्टिकोण में प्रणालियों, नियमों और नीतियों की समीक्षा, विशेष रूप से खरीद और भर्ती से संबंधित, जागरूकता बढ़ाने के उपाय, हितधारकों को शामिल करके विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों/मुद्दों को लक्षित करना, ताकि भ्रष्टाचार की गुंजाइश को धीरे-धीरे समाप्त किया जा सके, का संयोजन शामिल है।

वर्ष के दौरान, कॉर्पोरेट सतर्कता दल द्वारा विभिन्न विनिर्माण इकाइयों/विद्युत क्षेत्र क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त, इकाई सतर्कता व्यवस्थाओं द्वारा इकाई स्तर पर नियमित निरीक्षण, औचक निरीक्षण, प्रणाली अध्ययन, सीटीई प्रकार के निरीक्षण आदि भी किए गए। इन निरीक्षणों और अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर, आवश्यक सुधारात्मक और दंडात्मक कार्रवाई की गई और प्रबंधन को प्रणाली में सुधार के सुझाव दिए गए। सीवीसी के अधिदेश के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्टों (आंतरिक, वैधानिक और सीएजी रिपोर्ट) की भी जाँच की जाती है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि ऐसी रिपोर्टों में सामने आई अनियमितताओं के संबंध में कोई सतर्कता पहलू शामिल है या नहीं। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 2907 कर्मचारियों (सीडीए नियमों के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का लगभग 20%) के वार्षिक संपत्ति रिटर्न की जाँच की गई।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, 23 मामलों की जाँच की गई। 15 मामलों में 111 कर्मचारियों के विरुद्ध मानदंडों और प्रक्रियाओं से विचलन और अन्य कदाचार के लिए कार्रवाई की सिफारिश की गई। इन कदाचारों में आम तौर पर जानबूझकर की गई चूक, जानकारी छिपाना, जालसाजी, धोखा देने के इरादे से पद का दुरुपयोग, अनुचित लाभ प्राप्त करना, या गलत तरीके से लाभ या हानि पहुँचाना शामिल था, जिससे कंपनी के हितों को नुकसान पहुँचा।

ऐसी कार्रवाइयों के शीघ्र निपटान पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। परिणामस्वरूप, 21 कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी की गई और जुर्माना लगाया गया तथा 43 चेतावनी/परामर्श पत्र भी जारी किए गए। इसके अलावा, 254 शिकायतों (वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त 236) में से 228 का परीक्षण के बाद निपटारा कर दिया गया, और शेष निपटान के विभिन्न चरणों में हैं। सतर्कता विभाग की सलाह पर, विभिन्न एजेंसियों, कर्मचारियों, विक्रेताओं और ठेकेदारों से लगभग 141.03 लाख रुपये की वसूली की गई है।

जागरूकता बढ़ाने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक ज्ञान-साझाकरण है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान केस स्टडीज़ का एक संग्रह 'विश्लेषण 2024' के रूप में प्रकाशित किया गया था, जो चुनौतीपूर्ण निर्णय लेने के क्षणों में एक मूल्यवान संदर्भ के रूप में कार्य करता है और इस प्रकार एक महत्वपूर्ण निवारक सतर्कता उपकरण

है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान ई-न्यूज़लेटर 'दिशा' के चार अंक प्रकाशित किए गए, जिनमें खरीद नीतियों, सीवीसी/भारत सरकार के दिशानिर्देश, सर्वोत्तम पद्धति और केस स्टडीज़ शामिल थे।

सीवीसी परिपत्र संख्या 08/08/2024 दिनांक 01 अगस्त, 2024 के अनुसार, 28 अक्टूबर, 2024 से 03 नवंबर, 2024 तक "सत्यनिष्ठा की संस्कृति, राष्ट्र की समृद्धि" (Culture of Integrity for Nation's Prosperity).विषय पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह (VAW) मनाया गया। सप्ताह की शुरुआत कर्मचारियों द्वारा सत्यनिष्ठा शपथ के साथ हुई। 'सत्यनिष्ठा शपथ' (https://pledge.cvc.nic.in) का लिंक बीएचईएल इंटरनेट होमपेज और विभिन्न विनिर्माण इकाइयों/क्षेत्रों/कार्यालयों की सभी इंट्रानेट वेबसाइटों पर उपलब्ध कराया गया था और सभी हितधारकों को सत्यनिष्ठा शपथ लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। 27,900 कर्मचारियों, 214 विक्रेताओं, 38,927 स्कूली छात्रों, 4,078 कॉलेज छात्रों और 772 नागरिकों सहित 71,891 व्यक्तियों को सामूहिक शपथ दिलाई गई।

इस थीम के अनुरूप जागरूकता पैदा करने के लिए, बीएचईएल में कर्मचारियों और उनके बच्चों के लिए कुल 125 जागरूकता कार्यक्रम और 99 प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। बेंगलुरु में 6 विक्रेता सम्मेलन और 3 नुक्कड़ नाटक इस थीम पर प्रमुख प्रचार प्रयासों का प्रतीक थे। बीएचईएल की अन्य गतिविधियों में 10 वॉकथॉन, 2 साइकिल रैलियाँ, 6 मानव श्रृंखलाएँ और 8 गाँवों की ग्राम सभाओं में जागरूकता कार्यक्रम शामिल थे।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
के निदेशक मंडल की ओर से

के. सदाशिव मूर्ति
अध्यक्ष एवं प्रमुख निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25 जूलाई, 2025

बोर्ड की रिपोर्ट- अनुलग्नक – I

फार्म एओसी - I

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उपधारा (3) के प्रथम परंतुक के अनुसरण में)

सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण

भाग "ए": सहायक

(प्रत्येक सहायक कंपनी के संबंध में जानकारी ₹ करोड़ में राशि के साथ प्रस्तुत की जानी है)

1	क्रम सं.	लागू नहीं
2	सहायक कंपनी का नाम	
3	वह तिथि जब से सहायक कंपनी का अधिग्रहण किया गया	
4	संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न हो	
5	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को मुद्रा और विनिमय दर की रिपोर्टिंग	
6	शेयर पूंजी	
7	भंडार और अधिशेष	
8	कुल संपत्ति	
9	कुल देनदारियों	
10	निवेश	
11	कारोबार	
12	कर पूर्व लाभ	
13	कर के लिए प्रावधान	
14	कर-पश्चात लाभ	
15	प्रस्तावित लाभांश	
16	शेयरधारिता का %	

1	उन सहायक कंपनियों के नाम जिनका परिचालन अभी शुरू होना बाकी है	शून्य
2	वर्ष के दौरान परिसमाप्त या बेची गई सहायक कंपनियों के नाम	शून्य

भाग "बी": सहयोगी और संयुक्त उद्यम

सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसार विवरण

(₹ करोड़ में)

	संयुक्त उद्यम का नाम	बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	एनटीपीसी बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड
1	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र तिथि	31.03.2024	31.03.2024	31.03.2024	31.03.2025
2	वह तिथि जब सहयोगी या संयुक्त उद्यम संबद्ध हुआ या अधिग्रहित हुआ	5 मई, 1997	28 अप्रैल, 2008	15 अप्रैल, 2009	21 मई, 2024
3	वर्ष के अंत में बीएचईएल द्वारा धारित संयुक्त उद्यमों के शेयर				
	संख्या	2379999	50000000	664040000	4900
	निवेश की राशि	2.38	50.00	664.04	0.0049
	होल्डिंग की सीमा %	50% घटा एक शेयर	50%	22.14%	49%
4	इसका वर्णन कि किस प्रकार महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है	संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएँ			
5	एसोसिएट/जेवी को समेकित न किए जाने का कारण	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
6	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार शेयरधारिता के कारण निवल मूल्य	275.57	शून्य	शून्य	शून्य
7	वर्ष के लिए लाभ/हानि	इक्विटी पद्धति के अनुसार			
	i) समेकन में विचार किया गया	59.01	शून्य	शून्य	शून्य
	ii) समेकन में विचार नहीं किया गया	-	(8.51)	(329.14)	(1.11)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े नकारात्मक हैं। आरपीसीएल में, बीएचईएल के पास अपने नामिती के नाम पर 300 शेयर हैं।

मैसर्स पावरप्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्राइवेट लिमिटेड अभी भी परिसमापन के अधीन है और इसलिए इसे समेकन में शामिल नहीं किया गया है। परिसमापन प्रक्रिया के अनुसार, बीएचईएल को पीपीआईएल में अपने 12 करोड़ के इक्विटी निवेश के बदले वित्त वर्ष 2024-25 में 10.87 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है।

निदेशक मंडल की ओर से

(योगेश आर छाबड़ा)
कंपनी सचिव
M. No. F 7463

(राजेश कुमार द्विवेदी)
निदेशक वित्त एवं सीएफओ
DIN: 10048893

(के. सदाशिव मूर्ति)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN: 09184201

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 16 मई, 2025

फॉर्म संख्या एओसी - II

(अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण हेतु प्रपत्र, जिसमें तीसरे प्रावधान के अंतर्गत कुछ निश्चित लेन-देन भी शामिल हैं।

1. अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देनों का विवरण आर्म्स लेंथ बैसिस (निष्पक्ष दूरी) पर नहीं हैं:

1	संबंधित पक्ष का नाम और रिश्ते की प्रकृति	: शून्य
2	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेन की प्रकृति	: शून्य
3	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेन की अवधि	: शून्य
4	अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, जिसमें मूल्य भी शामिल है, यदि कोई हो	: शून्य
5	ऐसे अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन में प्रवेश करने का औचित्य	: शून्य
6	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि(याँ)	: शून्य
7	अग्रिम के रुप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	: शून्य
8	वह तिथि जिस दिन धारा 188 के प्रावधान के तहत अपेक्षित सामान्य बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित किया गया था	: शून्य

2. सामग्री अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देन का ब्यौरा हाथ की लंबाई के आधार पर:

(a)	संबंधित पक्ष का नाम और रिश्ते की प्रकृति	: शून्य
(b)	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेन की प्रकृति	: शून्य
(c)	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेन की अवधि	: शून्य
(d)	अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, जिसमें मूल्य भी शामिल है, यदि कोई हो	: शून्य
(e)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि(तारीखें), यदि कोई हो	: शून्य
(f)	अग्रिम के रुप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो:	: शून्य

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
के निदेशक मंडल की ओर से

के. सदाशिव मूर्ति
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN: 09184201

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25 जूलाई, 2025

बोर्ड की रिपोर्ट का अनुलग्नक – X

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
के सदस्यों के लिए

स्टैंडअलोन (एकल) वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक की बैलेंस शीट, लाभ और हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन विवरण और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण, और एकल वित्तीय विवरणों के नोट्स शामिल हैं, जिनमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश (जिसे आगे "एकल वित्तीय विवरण" कहा जाएगा) शामिल है, जिसमें उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए हमारे द्वारा ऑडिट की गई 11 शाखाओं और कंपनी के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट की गई 14 शाखाओं के रिटर्न शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015, यथासंशोधित, ("इंड एएस") और भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप, 31 मार्च, 2025 तक कंपनी की स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित उसका लाभ, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उसकी इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं।

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपने एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की। उन मानकों के अंतर्गत हमारी ज़िम्मेदारियों का विवरण हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियाँ" अनुभाग में दिया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता और कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियाँ पूरी की हैं। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त ऑडिट साक्ष्य स्टैंडअलोन (एकल) वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामले पर ज़ोर

हम ध्यान आकर्षित करते हैं

1. वित्तीय विवरण के नोट संख्या 06 के अनुसार, कंपनी ने ग्राहक एसटीपीजी (पूर्व में एनईसी सूडान) से बकाया राशि के लिए प्रावधान नहीं किया है, जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित अंतर्विग्रह के कारण अटकी हुई थी।
2. वित्तीय विवरण के नोट संख्या 09, आरवीयूएनएल/सूरतगढ़ 7 और 8 परियोजना (2*660 मेगावाट) के देनदारों के शेष के संबंध में।
3. वित्तीय विवरण के नोट संख्या 38, जहाँ भी अनुबंध के अनुसार निष्पादन गारंटी (पीजी) परीक्षण एक पूर्व-अपेक्षित शर्त नहीं है, वहाँ संविदात्मक दायित्व के विरुद्ध प्रावधान को रद्द करने के संबंध में।

उपरोक्त अनुच्छेदों में उल्लिखित मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय के अनुसार, वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों पर समग्र रुप से एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में विचार किया गया था, और हम इन मामलों पर कोई अलग राय नहीं देते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया
भारतीय लेखा मानक 115 के अंतर्गत "ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व" के संबंध में राजस्व और अन्य संबंधित शेषों की पहचान, मापन, प्रस्तुति और प्रकटीकरण की सटीकता इस राजस्व लेखांकन मानक के अनुप्रयोग में विशिष्ट निष्पादन दायित्वों की पहचान, पहचाने गए निष्पादन दायित्वों के लेनदेन मूल्य का निर्धारण, किसी अवधि में मान्यता प्राप्त राजस्व को मापने के लिए प्रयुक्त आधार की उपयुक्तता, और वित्तीय विवरणों में शेषों की प्रस्तुति सहित प्रकटीकरण से संबंधित कुछ प्रमुख निर्णय शामिल हैं। अनुमानित प्रयास, राजस्व निर्धारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण अनुमान है, क्योंकि इसमें अनुबंध की प्रगति, अब तक किए गए प्रयासों, और शेष निष्पादन दायित्व को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रयासों पर विचार करना आवश्यक है। एकल वित्तीय विवरणों के लिए **नोट 39** देखें।	**<u>प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ</u>** हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों और प्रक्रियाओं के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण निम्नानुसार किया गया: • पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई जानकारी की तैयारी पर नियंत्रणों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया। • मौजूदा चालू अनुबंधों और नए अनुबंधों का एक नमूना चुना गया, और विशिष्ट निष्पादन दायित्वों की पहचान और लेनदेन मूल्य के निर्धारण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया गया। • भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार राजस्व के अभिलेखन और प्रकटीकरण में प्रयुक्त प्रासंगिक जानकारी, लेखा प्रणालियों और अनुबंधों से संबंधित परिवर्तनों और संबंधित सूचनाओं का परीक्षण किया गया। • लक्ष्यों को प्राप्त करने में संभावित देरी की पहचान करने के लिए अनुबंधों के एक नमूने की समीक्षा की गई, जिसके लिए शेष निष्पादन दायित्वों को पूरा करने हेतु अनुमानित प्रयासों में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। • विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएँ की गईं और तर्कसंगतता तथा अन्य संबंधित महत्वपूर्ण मदों के लिए विवरणों का परीक्षण किया गया।
व्यापारिक प्राप्य और अनुबंध परिसंपत्तियों का आकलन और वसूली 31 मार्च, 2025 के अंत तक कंपनी के पास **₹8930.93** करोड़ की बकाया व्यापारिक प्राप्य (शुद्ध) और **₹29444.13** करोड़ की अनुबंध परिसंपत्तियाँ (शुद्ध) हैं। ये शेष राशियाँ चालू अनुबंधों और पूर्ण हो चुके अनुबंधों के लिए भारतीय लेखा मानक 115 "ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व" के अनुरुप मान्यता प्राप्त राजस्व से संबंधित हैं। इसके आकार, भेजे गए पत्रों की लंबित शेष राशि की पुष्टि और प्रबंधन के उच्च स्तर के निर्णय के कारण, इसकी वसूली का आकलन लेखापरीक्षा में एक प्रमुख लेखापरीक्षा विषय है। एकल वित्तीय विवरणों के लिए **नोट 6, 9, 39** देखें।	**<u>प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ</u>** हमने राजस्व की पहचान करने और व्यापारिक प्राप्तियों एवं अनुबंध परिसंपत्तियों की समीक्षा प्रणाली के लिए कंपनी की आंतरिक प्रक्रिया का मूल्यांकन किया है। हमारी लेखापरीक्षा पद्धति में आंतरिक नियंत्रणों एवं प्रक्रियाओं की डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण निम्नानुसार किया गया: • ग्राहकों के साथ चालान प्रक्रिया का मूल्यांकन किया गया। • परियोजनावार बकाया विवरणों की सूची और प्रबंधन द्वारा उसकी समीक्षा प्रणाली प्राप्त की गई। • व्यापारिक प्राप्तियों एवं अनुबंध परिसंपत्तियों की हानि पर कंपनी के दिशानिर्देशों और नीतियों की समीक्षा की गई। • नमूना आधार पर वर्ष के अंत में व्यापारिक प्राप्तियों एवं अनुबंध परिसंपत्तियों की आयु निर्धारण की सटीकता का परीक्षण किया गया। • तर्कसंगतता, वसूली योग्यता और अन्य संबंधित भौतिक मदों के लिए विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएँ और विवरणों का परीक्षण किया गया।

आकस्मिक देयता का आकलन	प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ
कंपनी के विरुद्ध विभिन्न मंचों में कई मुकदमे लंबित हैं और आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट की जाने वाली राशि का अनुमान लगाने के लिए प्रबंधन के निर्णय की आवश्यकता है। हमने इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को देखते हुए उपरोक्त क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा विषय के रूप में निर्धारित किया है, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय के अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा विचाराधीन विषय-वस्तु के तथ्यों और संबंधित निर्णयों/कानून की व्याख्या के विश्लेषण पर केंद्रित थी। (स्टैंडअलोन (एकल) वित्तीय विवरणों के लिए **नोट 32** देखें)।	लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं: • दावों या विवादों के संबंध में प्रबंधन की प्रक्रियाओं और नियंत्रणों की विस्तृत समझ प्राप्त करना • चयनित नमूनों पर निम्नलिखित प्रक्रियाएँ निष्पादित करना: • पत्राचार, संचार, प्रबंधन बैठक के कार्यवृत्त को पढ़कर मामलों को समझना • स्थिति अद्यतन, आधार के साथ परिणामों की अपेक्षा, और कंपनी द्वारा प्रस्तावित भविष्य की कार्रवाई सहित प्रबंधन के उपयुक्त स्तर के कर्मियों से पुष्टि संबंधी पूछताछ करना, और प्रबंधन द्वारा प्राप्त कानूनी राय, यदि कोई हो, का अवलोकन करना। • कंपनी के कानूनी वकीलों से प्रत्यक्ष पुष्टि प्राप्त करना और परिणामों के बारे में उनकी राय/संभाव्यता आकलन पर विचार करना। • संभावित परिणामों और अनुमानों की तर्कसंगतता के बारे में प्रबंधन के निर्णय का समर्थन करने वाले साक्ष्य का मूल्यांकन करना। • लागू लेखांकन मानकों के अनुसार पर्याप्त प्रकटीकरण की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।

अन्य मामले

हमने कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल 14 (चौदह) शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का ऑडिट नहीं किया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं में 31 मार्च, 2025 तक ₹46,711 करोड़ की कुल संपत्ति और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹20,696 करोड़ का कुल राजस्व दर्शाया गया है, जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में माना गया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का ऑडिट उन शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और जहाँ तक इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों का संबंध है, हमारी राय पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

एकल वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए ज़िम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट (बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित), व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारकों की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें एकल वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। ये रिपोर्टें हमें इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के बाद उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना और ऐसा करते समय, यह विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों से भौतिक रूप से असंगत है या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हमें उपलब्ध कराई गई ऐसी अन्य जानकारी हम पढ़ते हैं और यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें इस मामले की सूचना शासन के प्रभारी अधिकारियों को देनी होगी।

प्रबंधन और एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रशासन के प्रभारी व्यक्तियों की जिम्मेदारियां

कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए ज़िम्मेदार है, जो इन एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में हैं, जो भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं। इस ज़िम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना भी शामिल है; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों

का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयानी से मुक्त हैं।

एकल वित्तीय विवरण तैयार करते समय, कंपनी का प्रबंधन कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहाँ लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए ज़िम्मेदार होता है, जब तक कि कंपनी का प्रबंधन कंपनी का परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखे, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए ज़िम्मेदार है।

एकल वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र वित्तीय विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त हैं, और एक लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा हमेशा किसी महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा, जब वह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, उनसे इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार ऑडिट के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संशय बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं::

- एकल वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित करते हैं, और ऐसे ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न भौतिक गलत विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाले गलत विवरण की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों के अनुरूप ऑडिट प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के लिए ऑडिट से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करें। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी ज़िम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार के प्रबंधन द्वारा उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर गंभीर संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।
- प्रकटीकरणों सहित, एकल वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें, और यह भी कि क्या एकल वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण के तरीके से प्रस्तुत करते हैं।

भौतिकता, एकल वित्तीय विवरणों में गलतबयानों की वह मात्रा है जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभावना उत्पन्न करती है कि वित्तीय विवरणों के किसी यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलतबयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम शासन के प्रभारी व्यक्तियों के साथ, अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें हमारे लेखापरीक्षा के दौरान चिह्नित की गई आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियाँ शामिल हैं।

हम शासन के प्रभारी व्यक्तियों को यह वचन भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है, और उन्हें उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में सूचित करते हैं जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले माने जा सकते हैं, और जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी।

शासन के प्रभारी व्यक्तियों के साथ संवाद किए गए मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को नहीं रोकता है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद है।

अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

(1) अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार, भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के अनुसार, हम **"अनुलग्नक A"** में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर, जहाँ तक लागू हो, एक विवरण देते हैं।

(2) अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क. हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

ख. हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा-बहियाँ रखी गई हैं, जहाँ तक उन लेखा-बहियों की हमारी जाँच से प्रतीत होता है और हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त उचित विवरणियाँ उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं जहाँ हमने दौरा नहीं किया है;

ग. कंपनी के शाखा कार्यालयों के खातों पर शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत लेखापरीक्षित रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमने उनका उचित ढंग से निपटारा किया है;

घ. इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट, लाभ-हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन विवरण और नकदी प्रवाह विवरण, लेखा पुस्तकों के अनुरुप हैं;

ङ. हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों, संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 के साथ पठित, का अनुपालन करते हैं;

च. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के प्रावधान, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

छ. कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया **"अनुलग्नक बी"** में हमारी अलग रिपोर्ट देखें;

ज. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, निदेशक के पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नहीं होती है, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है; और

झ. कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

i) कंपनी ने अपने एकल वित्तीय विवरणों में लंबित मुकदमों के अपने वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का खुलासा किया है। वित्तीय विवरणों के लिए **नोट 32** देखें;

ii) कंपनी ने, लागू कानून या लेखा मानकों के अंतर्गत अपेक्षित, व्युत्पन्न अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर, यदि कोई हो, तो संभावित भौतिक हानियों के लिए प्रावधान किया है। वित्तीय विवरणों के लिए **नोट 38** देखें;

iii) कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में हस्तांतरित की जाने वाली राशि को हस्तांतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है।

iv) (क) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("मध्यस्थ") शामिल हैं, कोई धनराशि अग्रिम या ऋण या निवेश (चाहे उधार ली गई धनराशि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की धनराशि से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से कंपनी ("अंतिम लाभार्थियों") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।

ख) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, जैसा कि बताया गया है, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("वित्तपोषण पक्ष") शामिल हैं, कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रुप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से, वित्त पोषण पक्ष ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई वस्तु प्रदान करेगी।

ग) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि नियम 11 (ई) के उप-खंड (i) और (ii) के अंतर्गत प्रस्तुत अभ्यावेदन, जैसा कि (क) और (ख) में प्रावधान किया गया है, में कोई भी महत्वपूर्ण गलत कथन है।

v) जैसा कि वित्तीय विवरणों के **नोट 31** में कहा गया है,,

(क) कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव रखा है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है, जहाँ तक यह लाभांश की घोषणा पर लागू होता है।

(ख) वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई अंतरिम लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है।

(ग) पिछले वर्ष के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश, जिसे कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान घोषित और भुगतान किया गया है, अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है, जैसा भी लागू हो।

vi) भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 (संशोधित 2024 संस्करण) के नियम 11(जी) के अंतर्गत ऑडिट ट्रेल पर रिपोर्टिंग पर कार्यान्वयन मार्गदर्शन के अनुसार किए गए हमारे परीक्षण, जिसमें नमूना जाँचें शामिल थीं, और शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपने लेखा-बही के रखरखाव के लिए कई लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित रहा है।

इसके अलावा, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें लेखापरीक्षा ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला और कंपनी द्वारा अभिलेख प्रतिधारण हेतु वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षा सत्यापन को संरक्षित किया गया है, सिवाय एक शाखा के मामले के जहाँ 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए डीबेस लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया था, जिसमें लेखापरीक्षा सत्यापन (लॉग संपादित करें) रिकॉर्ड करने की सुविधा नहीं थी और 06-01-2024 से 15-01-2024 की अवधि के लिए मैलवेयर हमले के कारण बीएचईएल में कोई लेनदेन दर्ज नहीं किया गया था।

(3) कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर, जैसा कि हमने उचित समझा और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों पर **"अनुलग्नक सी"** में अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं।

पी एस एम जी एण्ड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN – 008567C

(प्रबुद्ध गुप्ता)
भागीदार
M. No. 400189
UDIN:25400189BMMKQM7162

ए बी पी एण्ड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN – 315104E

(प्रभात कुमार पंडा)
भागीदार
M. No. 057140
UDIN:25057140BMKTQO6756

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 16.05.2025

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक "अ"

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के सदस्यों को दी गई हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अंतर्गत पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

i) **कंपनी की संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त संपत्तियों के संबंध में:**

(a) क. कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित संपूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित अभिलेख बनाए रखे हैं।

ख. कंपनी ने अमूर्त संपत्तियों का संपूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित अभिलेख बनाए रखे हैं।

(b) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की सभी मदों को तीन वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से शामिल करने के लिए सत्यापन कार्यक्रम बनाया है, जो, हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए उचित है। कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा कुछ संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया गया। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस सत्यापन में कोई भी भौतिक विसंगति नहीं पाई गई।

(c) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे द्वारा जाँचे गए अभिलेखों के अनुसार, अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं, सिवाय उनके जिनका उल्लेख नीचे दी गई तालिका में किया गया है।

बीएचईएल के नाम पर न रखी गई अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख (31/03/2025 तक)

संपत्ति की वस्तु का विवरण (बी/एस की लाइन मद के अंतर्गत)	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	के नाम पर पट्टा/ स्वामित्व विलेख	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/ निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारण की गई है	कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण
पीपीई:-					
भूमि- फ्रीहोल्ड	0.08	बच्चा लाल सुपुत्र स्वर्गीय राम किशोर	नहीं	08-06-1983	एचईआरपी वाराणसी के नाम पर दाखिल खारिज के लिए मामला विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी वाराणसी के पास लंबित है।
भूमि- फ्रीहोल्ड	0.52	तेलंगाना राज्य सरकार	नहीं	1974 से आगे	स्वामित्व विलेख का हस्तांतरण प्रगति पर है, मामला टीएसआईआईसी के माध्यम से राज्य सरकार के समक्ष उठाया गया है।
भूमि- फ्रीहोल्ड	0.11	तेलंगाना राज्य सरकार	नहीं	30-01-1961	हेवी इलेक्ट्रिकल प्लांट की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु राजपत्र अधिसूचना जारी की गई (संदर्भ संख्या: 171, 192, 92-ए, 61, 202 वर्ष 1961 और 63 में)
भूमि- फ्रीहोल्ड	0.18	मध्य प्रदेश राज्य सरकार	नहीं	1957 से	भूमि भारत सरकार के राजपत्र के माध्यम से प्रदान की गई, बीएचईएल के नाम पर स्वामित्व विलेख उपलब्ध नहीं है।
भूमि- फ्रीहोल्ड	1.24	तमिलनाडु राज्य सरकार	नहीं	13.01.1981 से 17.02.1986 के बीच की विभिन्न तिथियाँ	भूमि हस्तांतरण दस्तावेज़ (राज्य सरकार द्वारा हस्तान्तरित और बीएचईएल द्वारा अधिग्रहित) उपलब्ध हैं जिनमें क्षेत्रफल और सर्वेक्षण संख्याएँ दर्शाई गई हैं। राज्य सरकार द्वारा बीएचईएल के पक्ष में असाइनमेंट डीड अभी जारी किया जाना बाकी है।

संपत्ति की वस्तु का विवरण (बी/एस की लाइन मद के अंतर्गत)	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	के नाम पर पट्टा/ स्वामित्व विलेख	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/ निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारण की गई है	कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण
भूमि- फ्रीहोल्ड	0.0022	बी. सरोजा देवी	नहीं	01-04-1965	श्रीमती बी. सरोजा देवी और मैसर्स बी.एच.ई.एल. के बीच सर्वोच्च न्यायालय में एक विवाद चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को निपटाने के लिए वापस उच्च न्यायालय को भेज दिया है और यह मामला अभी लंबित है।
भूमि- फ्रीहोल्ड	1.64	तमिलनाडु राज्य सरकार	नहीं	24-11-2010	पट्टा (स्वामित्व विलेख) अभी प्राप्त होना बाकी है
भूमि-फ्रीहोल्ड (संपत्तियों के उपयोग का अधिकार)	68.38	महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के नाम पर 464.8287 एकड़, महाराष्ट्र राज्य सरकार के नाम पर 9.0688 एकड़, भूमि के निजी मालिकों के नाम पर 2.7676 एकड़	नहीं	20-03-2013	प्रस्तावित भूमि का पूर्ण अधिग्रहण अभी तक पूरा नहीं हुआ है।
भवन - फ्रीहोल्ड	0.11	जेबी कंस्ट्रक्शन (बिल्डर)	नहीं	35 YEARS	बिल्डर और भूमि मालिक के बीच 4 फ्लैटों के स्वामित्व को लेकर विवाद चल रहा है
भवन - फ्रीहोल्ड	0.05	महाराष्ट्र सहकारी समिति	नहीं	35 YEARS	सहकारी समिति के नाम पर 6 फ्लैट हैं।
भूमि-फ्रीहोल्ड	0.0002	नामांतरण BHEL के नाम पर हुआ है। हालाँकि, खतौनी में बी.एच.ई.एल झाँसी नहीं दर्शाया गया है। इसे दोहरी रेलवे भूमि के रुप में दर्शाया गया है।	नहीं	1974-75	ऐसा राज्य राजस्व विभाग की ओर से की गई गलती के कारण हुआ है कि उन्होंने खतौनी में प्रविष्टि करते समय मुद्रण संबंधी त्रुटि की है। संपदा विभाग, टीपी झांसी द्वारा जिला राजस्व प्राधिकरण के समक्ष मामला उठाया गया है जिसका नाम बदलकर भेल के नाम पर करने का अनुरोध किया गया है।
भवन - पट्टा- अधिकार (परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार))	1.2777	महाराष्ट्र राज्य सरकार	No	01-02-1991	महाराष्ट्र सरकार ने एमवीआईआरडीसी के साथ भूमि का पट्टा निष्पादित नहीं किया है, इसलिए एमवीआईआरडीसी, बीएचईएल के साथ 1 मंजिल के लिए पट्टा विलेख निष्पादित नहीं कर सकता है।

संपत्ति की वस्तु का विवरण (बी/एस की लाइन मद के अंतर्गत)	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	के नाम पर पट्टा/ स्वामित्व विलेख	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/ निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारण की गई है	कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण
निवेश संपत्ति:-					
भवन - फ्रीहोल्ड	1.2777	महाराष्ट्र राज्य सरकार	नहीं	01-02-1991	महाराष्ट्र सरकार ने एमवीआईआरडीसी के साथ भूमि का पट्टा निष्पादित नहीं किया है, इसलिए एमवीआईआरडीसी बीएचईएल के साथ 1 मंजिल के लिए पट्टा विलेख निष्पादित नहीं कर सकता है।

(d) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (उपयोग के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(i)(d) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(e) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा प्रस्तुत प्रासंगिक अभिलेखों के अनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कंपनी के विरुद्ध कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरु नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

ii) (a) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर इन्वेंट्री (तृतीय पक्षों के पास पड़े स्टॉक को छोड़कर) का भौतिक सत्यापन किया गया है। तृतीय पक्षों के पास पड़ी इन्वेंट्री के संबंध में, उनकी ओर से इसकी पर्याप्त पुष्टि की गई है। स्टोर और स्पेयर्स की इन्वेंट्री के संबंध में, प्रबंधन के पास तीन वर्षों की अवधि में इन वस्तुओं को कवर करने के लिए उपयुक्त प्रक्रियाओं सहित एक सत्यापन कार्यक्रम है, जो हमारी राय में, उचित है।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भौतिक सत्यापन में भौतिक इन्वेंट्री और पुस्तक रिकॉर्ड के बीच इन्वेंट्री के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक की कोई भौतिक विसंगति नहीं देखी गई।

(b) हमारी राय में, और हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरणों, तथा प्रस्तुत प्रासंगिक अभिलेखों के अनुसार, कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति पर बैंकों/वित्तीय संस्थानों से कंसोर्टियम वित्त पोषण के अंतर्गत ₹ 80,000 करोड़ रुपये (निधि आधारित सीमा ₹ 9,500 करोड़ रुपये, गैर-निधि आधारित सीमा साख पत्र (एलसी) ₹ 3,500 करोड़ रुपये और बैंक गारंटी (बीजी) ₹ 67,000 करोड़ रुपये) की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है। हमारे द्वारा सत्यापित अभिलेखों के अनुसार, हमारी राय में, कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों/वित्तीय संस्थानों को प्रस्तुत मासिक/तिमाही रिटर्न या विवरण कंपनी की लेखा पुस्तकों के अनुरुप हैं

Iiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने संयुक्त उद्यम की ओर से ₹ 661.50 करोड़ (अर्थात ₹ 1350 करोड़ का 49%) की बैंक गारंटी प्रदान की है। हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रदान की गई ऐसी गारंटी की शर्तें और नियम, प्रथम दृष्टया, कंपनी के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं।

iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार, निदेशकों को ऋण देने संबंधी अधिनियम की धारा 185 कंपनी पर लागू नहीं होती है। हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी ने ऋणों और किए गए निवेश के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

v) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जमा राशि या जमा मानी जाने वाली राशि स्वीकार नहीं की है। अतः, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देश, धारा 73 से 76 के प्रावधान या अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधान और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम कंपनी पर लागू नहीं होते।

vi) हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कंपनी (लागत अभिलेख एवं लेखापरीक्षा) नियम 2014 के अनुसार कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखा-बही और अभिलेखों की व्यापक समीक्षा की है और हमारा मानना है कि प्रथम दृष्टया निर्धारित लेखा और अभिलेख बनाए और अनुरक्षित किए गए हैं। हालाँकि, हमने यह निर्धारित करने के लिए अभिलेखों की विस्तृत जाँच नहीं की है कि वे सटीक और पूर्ण हैं या नहीं।

vii) (a) में दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में, कंपनी आम तौर पर उचित प्राधिकारियों के पास निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि जमा करने में नियमित है, जिसमें माल और सेवा कर, भविष्य

निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और उस पर लागू कोई अन्य वैधानिक बकाया शामिल है। 31 मार्च, 2025 तक, माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और किसी भी अन्य वैधानिक बकाया राशि के संबंध में देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई निर्विवाद राशि देय नहीं थी।

(b) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, माल एवं सेवा कर, भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर के विवरण, जो विवाद के कारण जमा नहीं किए गए हैं, निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	संविधि का नाम	वह मंच जहाँ विवाद लंबित है	बकाया राशि की प्रकृति	शामिल राशि	विरोध के तहत भुगतान की गई राशि	जमा नहीं की गई राशि	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है
1	**केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, मूल्य वर्धित कर और विभिन्न राज्यों के बिक्री कर अधिनियम**	मूल्यांकन अधिकारी	बिक्री कर	73.56	40.48	33.09	1991-92 to 2014-15
		उप आयुक्त / संयुक्त आयुक्त / आयुक्त (अपील)		261.81	19.63	242.18	1992-93 to 2016-17
		अपीलीय न्यायाधिकरण		263.07	124.75	138.32	1984-85 to 2015-16
		उच्च न्यायालय		5.94	1.66	4.28	1985-86, 1994-95, 2009-11
2	**केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944**	मूल्यांकन अधिकारी	उत्पाद शुल्क	9.58	-	9.58	2011-12 to 2017-18
		उप आयुक्त / संयुक्त आयुक्त / आयुक्त (अपील)		3.81	0.06	3.75	2015-17, 2022-23
		अपीलीय न्यायाधिकरण		47.21	4.39	42.82	1980-2008, 2014-15, 2016-17
		सर्वोच्च न्यायालय		27.49	-	27.49	2008-10
3	**वित्त अधिनियम, 1994 के तहत सेवा कर**	मूल्यांकन अधिकारी	सेवा कर	1.56	-	1.56	2017-18
		उप आयुक्त / संयुक्त आयुक्त / आयुक्त (अपील)		1.31	0.44	0.87	2017-18
		अपीलीय न्यायाधिकरण		440.62	9.65	430.97	2005-06 to 2017-18

क्रम सं.	संविधि का नाम	वह मंच जहाँ विवाद लंबित है	बकाया राशि की प्रकृति	शामिल राशि	विरोध के तहत भुगतान की गई राशि	जमा नहीं की गई राशि	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है
4	**सीमा शुल्क अधिनियम, 1962**	मूल्यांकन अधिकारी	सीमा शुल्क	9.88	5.88	3.99	2015-16, 2017-18, 2023-24
		उप आयुक्त / संयुक्त आयुक्त / आयुक्त (अपील)		9.39	0.20	9.20	2013-15, 2021-25
		अपीलीय न्यायाधिकरण		21.40	0.43	20.96	2007-08, 2012-14, 2020-22, 2023-24
5	**जीएसटी अधिनियम 2017**	मूल्यांकन अधिकारी	जीएसटी	8.87	0.29	8.58	2018-21, 2024-25
		उप आयुक्त / संयुक्त आयुक्त / आयुक्त (अपील)		27.13	0.44	26.69	2017-21, 2024-25
		अपीलीय न्यायाधिकरण		0.96	0.18	0.78	2017-18
6	**आयकर अधिनियम 1961**	उप आयुक्त / संयुक्त आयुक्त / आयुक्त (अपील)	आयकर	0.41	0.41	-	2016-18
7	**आयकर (विदेशी)**	रावनदन न्यायालय में अपील दायर की जाएगी	आयकर	19.46	6.19	13.27	2013-15
		बांग्लादेश कर अपीलीय प्राधिकरण		20.78	-	20.78	2021-22
8	**कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952**	आरपीएफसी कानपुर	भविष्य निधि	1.24	0.62	0.62	2002-03
Total				**1,255.47**	**215.68**	**1,039.78**	

viii) हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के अभिलेखों और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा पुस्तकों में कोई भी ऐसा लेन-देन दर्ज नहीं किया गया है जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।

ix) हमारे द्वारा जाँचे गए कंपनी के अभिलेखों और हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरणों के अनुसार:

क) कंपनी ने किसी भी ऋणदाता को ऋण या अन्य उधारी चुकाने या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

ख) हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरणों तथा हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी को किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

ग) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष के आरंभ में कोई बकाया सावधि ऋण नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3(ix) (ग) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण, और हमारे द्वारा की गई प्रक्रियाओं, और कंपनी के वित्तीय विवरण की समग्र जांच के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई किसी भी धनराशि का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।

ङ.) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, तथा कंपनी के वित्तीय विवरण की समग्र जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपने संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए या उनके लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।

च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने संयुक्त उद्यमों में रखी गई प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं लिया है।

x) क) कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई है, इसलिए आदेश के खंड 3(x) (a) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ख) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या डिबेंचर (पूरी तरह से या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3(x) (b) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xi) क) कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जाँच के दौरान, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा पद्धतियों के अनुसार की गई थी, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी के साथ कोई धोखाधड़ी की सूचना नहीं मिली है या रिपोर्ट नहीं की गई है, न ही प्रबंधन द्वारा हमें ऐसे मामले की जानकारी दी गई है।

ख) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के अंतर्गत कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र ADT-4 में केंद्र सरकार के समक्ष कोई रिपोर्ट दायर नहीं की गई है।

ग) हमने लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और विस्तार का निर्धारण करते समय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा प्राप्त व्हिसल ब्लोअर शिकायतों को ध्यान में रखा है।

xii) चूँकि कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3(xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

xiii) सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन-देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188, जहाँ भी लागू हो, के अनुपालन में हैं और लागू लेखा मानक के अनुसार, वित्तीय विवरण में विवरण का खुलासा किया गया है।

xiv) (क) हमारी राय में और जाँच के आधार पर, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

(ख) हमने लेखापरीक्षा अवधि के लिए आज तक जारी कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया है।

xv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ अधिनियम की धारा 192 के अंतर्गत आने वाला कोई भी गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xv) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

xvi) क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड (xvi) (a) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियाँ संचालित नहीं की हैं, इसलिए कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(ख) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(ग) कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi) (ग) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(घ) समूह का हिस्सा बनने वाली संस्थाओं के प्रबंधन द्वारा साझा की गई लेखापरीक्षा रिपोर्टों और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी राय में, समूह के भीतर कोई कोर निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनियां (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 में परिभाषित किया गया है)। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(घ) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

xvii) कंपनी के बही-खातों और अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी को चालू वित्त वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है और न ही ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि हुई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvii) के प्रावधान लागू नहीं होते।

xviii) वर्ष के दौरान किसी भी सांविधिक लेखा परीक्षक ने इस्तीफा नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xviii) के प्रावधान लागू नहीं होते।

xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की आयु और अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी जाँच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि ऑडिट रिपोर्ट की तिथि तक कोई भी

भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने पर बैलेंस शीट की तिथि पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के संबंध में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा देय होने पर चुका दिया जाएगा।

xx) कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, जिनकी हमने जाँच की और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार:

(क) चालू परियोजनाओं के अलावा, कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुपालन में, कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरण की आवश्यकता वाली अन्य परियोजनाओं पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कोई अप्रयुक्त राशि नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx) (क) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

(ख) चालू परियोजनाओं के संबंध में, कंपनी ने अधिनियम की धारा 135(6) के प्रावधानों के अनुपालन में, पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक अप्रयुक्त कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि को उक्त वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिनों की अवधि के भीतर एक विशेष खाते में स्थानांतरित कर दिया है।

पी एस एम जी एण्ड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN – 008567C

(प्रबुद्ध गुप्ता)
भागीदार
M. No. 400189
UDIN:25400189BMMKQM7162

ए बी पी एण्ड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN – 315104E

(प्रभात कुमार पंडा)
भागीदार
M. No. 057140
UDIN:25057140BMKTQO6756

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 16.05.2025

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का "अनुलग्नक बी"

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट)

हमने 31 मार्च, 2025 तक भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-परीक्षण किया है, साथ ही उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों का भी लेखा-परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार है। इन ज़िम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे थे, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी का समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखा परीक्षकों की ज़िम्मेदारी

हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने लेखा-परीक्षण के आधार पर एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय व्यक्त करें। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षण संबंधी मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माने जाने वाले लेखा-परीक्षण मानकों के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षण पर लागू सीमा तक, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षण पर लागू, दोनों ही भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं, अपना लेखा-परीक्षण किया। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के अनुसार, हमें नैतिक आवश्यकताओं का पालन करना होगा और लेखा-परीक्षण की योजना बनानी होगी और उसे निष्पादित करना होगा ताकि इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि क्या वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखे गए थे, और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित हुए थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में एकल वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी गंभीर कमी के जोखिम का आकलन करना, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य एकल वित्तीय विवरण के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो उचित विवरण के साथ, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रुप से दर्शाते हैं; (2) यह उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेन-देन सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक रुप से दर्ज किए जाते हैं, और कंपनी की प्राप्तियाँ और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की

परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ

एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिनमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन अधिरोहण की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं चल पाता। साथ ही, भविष्य की अवधियों के लिए एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री कम हो सकती है।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास, सभी भौतिक मामलों में, एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर, 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी रुप से संचालित हो रहे थे, जो कि भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए किया गया था।

पी एस एम जी एण्ड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN – 008567C

(प्रबुद्ध गुप्ता)
भागीदार
M. No. 400189
UDIN:25400189BMMKQM7162

ए बी पी एण्ड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN – 315104E

(प्रभात कुमार पंडा)
भागीदार
M. No. 057140
UDIN:25057140BMKTQO6756

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 16.05.2025

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का "अनुलग्नक ग"

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश, जिसमें वर्ष 2024-25 के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (एकल) के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जाँचे जाने वाले क्षेत्रों का संकेत दिया गया है:

क्र. सं.	जांचे गए क्षेत्र	उत्तर
1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन संसाधित करने की प्रणाली मौजूद है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन संसाधित करने से खातों की सत्यनिष्ठा पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ-साथ वित्तीय प्रभावों (यदि कोई हों) का भी उल्लेख किया जाए।	हाँ, कंपनी के पास प्रत्येक शाखा में आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन संसाधित करने की प्रणाली मौजूद है। हालाँकि, प्रत्येक शाखा अलग-अलग लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही है। हमारे लेखापरीक्षा और शाखा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर, जहाँ भी लेखांकन लेनदेन आईटी प्रणाली के बाहर के कामकाज पर आधारित हैं, वहाँ खातों की सत्यनिष्ठा की कमी और वित्तीय प्रभावों का कोई मामला सामने नहीं आया है/ रिपोर्ट नहीं किया गया है।
2	क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन किया गया है या ऋणदाता द्वारा ऋण/ऋण/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने के मामले सामने आए हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जाए। क्या ऐसे मामलों का उचित लेखा-जोखा रखा जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक पर भी लागू होता है)।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा ऋण/ ऋण ब्याज आदि का कोई पुनर्गठन/माफी/बट्टे खाते में डालने जैसा कोई कार्य नहीं किया गया है।
3	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्ति योग्य धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) का नियम व शर्तों के अनुसार उचित लेखा-जोखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएँ।	केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्ति योग्य धनराशि का नियम व शर्तों के अनुसार उचित लेखा-जोखा/उपयोग किया गया था।

पी एस एम जी एण्ड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN – 008567C

(प्रबुद्ध गुप्ता)
भागीदार
M. No. 400189
UDIN:25400189BMMKQM7162

ए बी पी एण्ड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN – 315104E

(प्रभात कुमार पंडा)
भागीदार
M. No. 057140
UDIN:25057140BMKTQO6756

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 16.05.2025

अनुपालन प्रमाणपत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/उप-निर्देशों के अनुसार 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए बीएचईएल, एकल और समेकित खातों का लेखा-परीक्षण किया है और प्रमाणित करते हैं कि हमने हमें जारी किए गए सभी निर्देशों/उप-निर्देशों का अनुपालन किया है।

पी एस एम जी एण्ड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN – 008567C

(प्रबुद्ध गुप्ता)
भागीदार
M. No. 400189
UDIN:25400189BMMKQM7162

ए बी पी एण्ड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN – 315104E

(प्रभात कुमार पंडा)
भागीदार
M. No. 057140
UDIN:25057140BMKTQO6756

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 16.05.2025

गोपनीय

No.DGA(E)/Rep/01-59/A/cs-BHEL-CFS/2025-26/218

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
कार्यालय महा निदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)
नई दिल्ली

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Director General of Audit (Energy)
New Delhi

Dated: 23/07/2025

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड,
नई दिल्ली

विषय:- 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रही हूँ।

कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

भवदीया,

संलग्नक:- यथोपरि।

तनुजा मित्तल

(तनुजा मित्तल)
महानिदेशक (ऊर्जा)

पाँचवा, छठा, सातवाँ एवं दसवाँ तल, सी.ए.जी बिल्डिंग, एनैक्सी, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002
5th, 6th, 7th & 10th Floor, C.A.G. Building Annexe, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002
Tel.: 011-23239213, 23239211, Email : pdaenergydl@cag.gov.in

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2025

The preparation of financial statements of Bharat Heavy Electricals Limited for the year ended 31 March 2025 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 16 May 2025.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Bharat Heavy Electricals Limited for the year ended 31 March 2025 under Section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Tanuja Mittal

Place: New Delhi
Date: 23/07/2025

(Tanuja Mittal)
Director General of Audit (Energy)

वित्तीय विवरण

एकल वित्तीय विवरण 178

स्टैंड अलोन तुलन पत्र (बैलेंस शीट) 31 मार्च, 2025 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोट	पृ. सं	31 मार्च 2025 की स्थिति		31 मार्च, 2024 तक	
क. परिसंपत्तियांयाँ						
1. गैर चालू परिसंपत्तियाँ						
(क) सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण	3क	192		2862.46		2510.69
(ख) पूंजीगत चालू कार्य	3ख	192		161.70		282.32
(ग) निवेश संपत्ति	3ग	193		0.45		-
(घ) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	4क	200		84.27		63.35
(ङ) विकासशील अमूर्त परिसंपत्तियाँ	4ख	201		33.73		26.04
(च) वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
(i) निवेश	5	202	671.71		667.60	
(ii) व्यापार प्राप्य	6	203	3046.58		3224.69	
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	7	205	715.95	4434.24	206.10	4098.39
(छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (देनदारियों को छोड़कर)	8	206		4067.72		4201.26
(ज) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ	9	207		14074.98		13689.69
कुल गैर चालू परिसंपत्तियाँ				**25719.55**		**24871.74**
2. चालू परिसंपत्तियाँ						
(क) इन्वेन्ट्री	10	208		9869.49		7220.57
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
(i) व्यापार प्राप्य	6	203	5884.35		4785.38	
(ii) नकद एवं नकद समकक्ष	11	209	439.21		1835.04	
(iii) नकद एवं नकद समकक्ष के अतिरिक्त अन्य बैंक बैलेंस	12	209	7173.20		4322.43	
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	7	205	300.76	13797.52	239.82	11182.67
(ग) चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	13	209		137.37		229.07
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	9	207		18955.39		15909.80
कुल चालू परिसंपत्तियाँ				**42759.77**		**34542.11**
कुल परिसंपत्तियाँ				**68479.32**		**59413.85**
ख. इक्विटी एवं देयता						
3. इक्विटी						
(ए) इक्विटी शेयर पूंजी	14	210		696.41		696.41
(बी) अन्य इक्विटी	15	210		24416.60		24154.18
कुल इक्विटी				**25113.01**		**24850.59**
4. देयताएं						
4.1 गैर चालू देयताएं						
(क) वित्तीय देयताएं						
(i) पट्टा देयताएं	16	211	162.39		23.55	
(ii) व्यापार देय	17	211				
(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि			-		-	
(ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि			2170.79		2292.76	
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	18	213	422.79	2755.97	407.87	2724.18
(ख) प्रावधान	19	213		2585.56		2489.08
(ग) अन्य गैर- चालू देयताएं	20	213		9793.90		4102.77
कुल गैर वर्तमान देनदारियों				**15135.43**		**9316.03**

स्टैंड अलोन तुलन पत्र (बैलेंस शीट) 31 मार्च, 2025 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोट	पृ. सं	31 मार्च 2025 की स्थिति		31 मार्च, 2024 तक	
4.2. चालू देयताएं						
(क) वित्तीय देयताएं						
(i) ऋण	21	214	8795.00		8808.00	
(ia) पट्टा देयताएं	16	211	57.21		24.91	
(ii) व्यापार देय	17	211				
(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि			1430.24		1000.59	
(ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि			8110.68		7538.79	
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	18	213	1245.81	19638.94	1493.32	18865.61
(ख) प्रावधानों	19	213		1815.31		2318.27
(ग) अन्य चालू देयताएं	20	213		6776.63		4063.36
कुल चालू देयताएं				**28230.88**		**25247.24**
कुल देयताएं				**43366.31**		**34563.27**
कुल इक्विटी एवं देयताएं				**68479.32**		**59413.85**

माप और सामग्री के आधार पर तैयार किया लेखांकन नीतियां	2	**186**

साथ में दिए गए नोट्स [1-55] तक इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग है

निदेशक मंडल की ओर से

(योगेश आर छाबड़ा)
कंपनी सचिव
एम. संख्या F 7463

(राजेश कुमार द्विवेदी)
निदेशक वित्त एवं सीएफओ
डीआईएन: 10048893

(के. सदाशिव मूर्ति)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09184201

समान तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

एबीपी और एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 315104E

(प्रभात कुमार पांडा)
भागीदार
M No. 057140

पीएसएमजी एवं एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 008567C

(प्रबुद्ध गुप्ता)
भागीदार
M. No. 400189

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : मई 16, 2025

लाभ और हानि का स्टैंड अलोन विवरण

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी	पृष्ठ		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
आय						
परिचालनों से राजस्व	22	215		28339.48		23892.78
अन्य आय	23	215		503.39		587.92
कुल आय				**28842.87**		**24480.70**
व्यय						
खपत किए गए कच्चे माल की लागत				8207.65		6116.27
बॉट आउट वस्तुओं की खरीद				6757.99		5868.46
सिविल, इरेक्शन एवं इंजीनियरिंग व्यय				4989.22		4908.84
स्टोर एवं स्पेयर की खपत				432.61		350.28
तैयार माल, प्रगतिशील कार्य एवं स्क्रेप की माल सूची में परिवर्तन	24	216		(1542.32)		(436.74)
कर्मचारी लाभ व्यय	25	216		5923.42		5628.84
अन्य व्यय	26	217		2329.34		844.23
वित्त लागत	27	220		748.33		731.29
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	3.1 3.2 4.1	194 199 200		271.96		248.90
कुल व्यय				**28118.20**		**24260.37**
कर पूर्व लाभ				**724.67**		**220.33**
कर व्यय	28	220				
क) वर्तमान कर			23.16		(112.56)	
ख) अस्थगित कर			188.54	211.70	73.00	(39.56)

लाभ और हानि का स्टैंड अलोन विवरण

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी	पृष्ठ	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष का लाभ (क)			**512.97**	**259.89**
अन्य व्यापक आय	**29**	**220**		
वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (शुद्ध कर)				
-निर्धारित कर्मचारी लाभों का पुनर्मापन			(163.50)	(82.41)
अन्य व्यापक आय वर्ष के लिए वर्ष (ख)			**(163.50)**	**(82.41)**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (क+ख)			**349.47**	**177.48**
प्रति इक्विटी शेयर आय	**30**	**221**		
(1) मूल [प्रत्येक का अंकित मूल्य 2 रुपये]			1.47	0.75
(2) मिश्रित [प्रत्येक का अंकित मूल्य 2 रुपये]			1.47	0.75

माप और सामग्री के आधार पर तैयार किया	**2**	**186**

साथ में दिए गए नोट्स [1-55] तक इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा है

निदेशक मंडल की ओर से

(योगेश आर छाबड़ा)
कंपनी सचिव
एम. संख्या F 7463

(राजेश कुमार द्विवेदी)
निदेशक वित्त एवं सीएफओ
डीआईएन: 10048893

(के. सदाशिव मूर्ति)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09184201

समान तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

एबीपी और एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 315104E

(प्रभात कुमार पांडा)
भागीदार
M No. 057140

पीएसएमजी एवं एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 008567C

(प्रबुद्ध गुप्ता)
भागीदार
M. No. 400189

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : मई 16, 2025

इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंड अलोन विवरण

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

₹2 के प्रत्येक इक्विटी शेयर जारी, अभिदान और पूर्ण भुगतान	शेयरों की संख्या		राशि	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
वर्ष की शुरुआत में शेष	**3482063355**	3482063355	**696.41**	696.41
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	**-**	-	**-**	-
वर्ष के अंत में शेष	**3482063355**	**3482063355**	**696.41**	**696.41**

ख. अन्य इक्विटी

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	आरक्षित एवं अधेशेष				अन्य व्यापक आय की अन्य मदें	कुल अन्य इक्विटी
	आरक्षित पूंजी	पूंजी मोचन कोष	सामान्य कोष	प्रतिधारित आय		
01 अप्रैल 2024 को शेष राशि	**35.18**	**37.87**	**30476.66**	**(5977.59)**	**(417.94)**	**24154.18**
लेखांकन नीतियों में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-
01 अप्रैल 2024 तक प्रतिधारित शेष राशि	**35.18**	**37.87**	**30476.66**	**(5977.59)**	**(417.94)**	**24154.18**
जोड़ें: वर्ष की कुल व्यापक आय	-	-	-	512.97	(163.50)	349.47
घटाएँ : अंतिम लाभांश	-	-	-	(87.05)	-	(87.05)
31 मार्च 2025 को शेष	**35.18**	**37.87**	**30476.66**	**(5551.67)**	**(581.44)**	**24416.60**

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	आरक्षित एवं अधेशेष				अन्य व्यापक आय की अन्य मदें	कुल अन्य इक्विटी
	आरक्षित पूंजी	पूंजी मोचन कोष	सामान्य कोष	प्रतिधारित आय		
01 अप्रैल 2023 को शेष राशि	**35.18**	**37.87**	**30476.66**	**(6098.20)**	**(335.53)**	**24115.98**
लेखांकन नीतियों में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियां	-	-	-	-	-	-
01 अप्रैल 2023 तक प्रतिधारित शेष राशि	**35.18**	**37.87**	**30476.66**	**(6098.20)**	**(335.53)**	**24115.98**
जोड़ें : वर्ष की कुल व्यापक आय	-	-	-	259.89	(82.41)	177.48
घटाएँ : अंतिम लाभांश	-	-	-	(139.28)	-	(139.28)
31 मार्च 2024 तक शेष	**35.18**	**37.87**	**30476.66**	**(5977.59)**	**(417.94)**	**24154.18**

निदेशक मंडल की ओर से

(योगेश आर छाबड़ा)
कंपनी सचिव
एम. संख्या F 7463

(राजेश कुमार द्विवेदी)
निदेशक वित्त एवं सीएफओ
डीआईएन: 10048893

(के. सदाशिव मूर्ति)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09184201

समान तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

एबीपी और एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 315104E

(प्रभात कुमार पांडा)
भागीदार
M No. 057140

पीएसएमजी एवं एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 008567C

(प्रबुद्ध गुप्ता)
भागीदार
M. No. 400189

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : मई 16, 2025

नकदी प्रवाह का स्टैंड अलोन विवरण

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
क. परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कर पूर्व लाभ/(हानि)	**724.67**	**220.33**
समायोजन के लिए :		
प्रावधान और राइट ऑफ	(879.13)	(1188.18)
मूल्य ह्रास एवं परिशोधन	271.96	248.90
वित्तीय लागत (ब्याज की छूट सहित)	748.33	731.29
ब्याज एवं लाभांश आय	(440.71)	(535.43)
अवास्तविक विदेश मुद्रा हानि/(लाभ)	(16.97)	56.03
सरकारी अनुदान का परिशोधन	(8.99)	(15.62)
अन्य में निवेश और पीपीई की बिक्री पर लाभ एवं निवेश की हानि शामिल है	(18.03)	(7.78)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालनों से प्राप्त / नकदी	**381.13**	**(490.46)**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के लिए समायोजन:		
व्यापारिक प्राप्तियों	(1002.80)	(2469.24)
अनुबंध परिसंपत्तियाँयां	(1960.76)	(13.70)
इन्वेन्ट्री	(2632.53)	(503.04)
ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियाँ	(1448.62)	(737.22)
उप योग	**(7044.71)**	**(3723.20)**
व्यापार देयताएं	846.94	(1119.43)
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम, जमा, एवं अन्य प्रावधान	7927.25	1398.02
उप योग	**8774.19**	**278.59**
शुद्ध नकदी (उपयोग की गई) / कार्यशील पूंजी से	**1729.48**	**(3444.61)**
परिचालन में उत्पन्न/(प्रयुक्त) नकदी	**2110.60**	**(3935.07)**
आय कर भुगतान	(154.41)	(158.48)
आयकर वापसी	235.70	380.65
कुल नगदी प्रवाह (प्रयुक्त)/परिचालन गतिविधियों से	**2191.89**	**(3712.90)**
ख. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
बैंक का जमा का गोयन/ परिपक्वता (मूल परिपक्वता अवधि 3 माह से अधिक होनें पर)	(2878.41)	1112.69
प्राप्त ब्याज	371.74	399.30
निवेश से बिक्री आय	5.76	0.80
संयुक्त उपक्रमों से प्राप्त लाभांश	38.08	41.65
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियों एवं निवेश संपत्ति की बिक्री	13.46	8.92
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियों एवं निवेश संपत्ति की खरीद (कुल)	(281.54)	(232.50)
निवेश गतिविधियाँ से प्राप्त / (उपयोग की गई) कुल नकदी	**(2730.91)**	**1330.86**

नकदी प्रवाह का स्टैंड अलोन विवरण

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अल्पावधि उधार से आय	(13.00)	3423.00
पट्टा दायित्व की आय/(पुनर्भुगतान) (मूलधन)	(62.60)	(34.32)
पट्टा दायित्व की आय/(पुनर्भुगतान) (ब्याज)	7.24	(4.73)
लाभांश का भुगतान	(87.44)	(139.45)
ब्याज का भुगतान	(701.01)	(588.76)
कुल नगदी (प्रयुक्त) / वित्त पोषण गतिविधियों से (देखें बिंदु 4)	**(856.81)**	**2655.74**
घ. नकदी व नकदी समकक्षों में कुल वृद्धि/(ह्रास)।	**(1395.83)**	**273.70**
नकदी व नकदी समकक्षों का प्रारंभिक शेष	**1835.04**	**1561.34**
नकदी और नकदी समकक्षों का समापन शेष [नोट 11 देखें]	**439.21**	**1835.04**

(1) Ind AS 7 - नकदी प्रवाह में वर्णित अप्रत्यक्ष विधि के तहत नकदी प्रवाह का विवरण तैयार किया गया है ।
(2) पिछले वर्ष के आंकड़ें जहाँ भी लागू किए गए हैं उन्हें फिर से एकत्र / पुनर्गठित किया गया है ।
(3) नकद और नकद समकक्षों में ₹ शून्य करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) की विनिमय भिन्नता हानि शामिल है।
(4) वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों में परिवर्तन नोट [21 (vi)] और नोट [35](ख) पर उपलब्ध हैं।
(5) वर्ष के दौरान कंपनी को ₹235.70 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड मिला है, जिसमें ₹12.69 करोड़ की ब्याज आय भी शामिल है।

निदेशक मंडल की ओर से

(योगेश आर छाबड़ा)
कंपनी सचिव
एम. संख्या F 7463

(राजेश कुमार द्विवेदी)
निदेशक वित्त एवं सीएफओ
डीआईएन: 10048893

(के. सदाशिव मूर्ति)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09184201

समान तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

एबीपी और एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 315104E

(प्रभात कुमार पांडा)
भागीदार
M No. 057140

पीएसएमजी एवं एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 008567C

(प्रबुद्ध गुप्ता)
भागीदार
M. No. 400189

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : मई 16, 2025

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट (1) – कंपनी के बारे में सूचना

भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (बीएचईएल या कंपनी) भारत में स्थित एक सार्वजनिक क्षेत्र की लिमिटेड कंपनी है और इसका पंजीकृत कार्यालय बीएचईएल हाउस सीरी फोर्ट नई दिल्ली – 110049 में है।

विद्युत संयंत्र उपकरणों की एकीकृत विनिर्माता कंपनी है और अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों, जैसे विद्युत, ट्रांसमीशन, उद्योग, परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, जल, तेल एवं गैस और रक्षा एवं एयरोस्पेस के लिए उत्पादों और सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला के डिजाइन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण, इरेक्शन, परीक्षण, कमीशनिंग और सर्विसिंग का कार्य करती है।

नोट (2) – सामग्री लेखांकन नीतियां

1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

क) अनुपालन का विवरण:

वित्तीय विवरण कंपनी (इंड एएस) नियम, 2015 और उसके बाद के संशोधन तथा कंपनी अधिनियम,2013 में और उसके संशोधनों के अनुसार वित्तीय विवरण के लिए लागू अतिरिक्त अपेक्षाओं के अधीन कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड-एएस) के अनुसार तैयार किए गए है।

ख) माप का आधार

वित्तीय विवरण क्रियाशील इकाई–प्रतिष्ठान (Going concern) आधार पर और संग्रहण (accrual) लेखांकन प्रणाली के आधार पर तैयार किया गया है। जब तक पॉलिसी में अन्यथा उल्लेखित न हो वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए ऐतिहासिक लागत का उपयोग किया जाता है।

ग) कार्यात्मक और प्रस्तुत मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपयों में तैयार किए जाते हैं, जो कंपनी की फंकशनल करेंसी (कार्यकारी मुद्रा) है।

घ) अनुमान और निर्धारण का उपयोग

इंड एएस के अनुरुप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को मूल्यांकन करने और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों और परिसंपत्तियों, देनदारियों आय और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। वास्तवित परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। अनुमानों की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। तदनुसार लेखांकन अनुमानों में पूर्व प्रभाव से पुनरीक्षण किया जाता है।

लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण अनुमान और मूल्यांकन

वित्तीय विवरणों में उल्लिखित राशियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली लेखांकन नीतियों को लागू करने में किए गए अनुमान और मूल्यांकन इस प्रकार है:

i) राजस्व

कंपनी निर्माण ठेकों /अनुबंधों के लिए राजस्व लेखांकन में अपनाए गए लागत दृष्टिकोण के आधार पर इनपुट पद्धति का उपयोग करती है। इनपुट पद्धति के उपयोग के लिए कंपनी को अपने निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के लिए कुल अपेक्षित लागत का अनुमान लगाना अपेक्षित होता है। अनुबंध की अवधि के दौरान अनुमानों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है और कंपनी निर्धारित समयांतराल में प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपने प्रदर्शन दायित्वों की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति का पुनः आकलन करती है।

कंपनी रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौजूद परिस्थितियों और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान परिस्थितियों में बदलाव का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में अपने अनुमानित लेनदेन मूल्य को अपडेट करती है।

ii) संपत्ति, प्लांट और उपकरण

आवधिक मूल्यह्रास के संबंध मे प्रभार का आकलन संपत्ति की अपेक्षित उपयोगी अवधि एव इसकी समाप्ति के बाद अपेक्षित अवशिष्ट मूल्य का अनुमान करने के बाद किया जाता है । कंपनी की परिसंपत्तियों को मूल्यह्रास विधि, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों का अनुमान प्रबंधन द्वारा परिसंपत्ति के अधिग्रहण के समय लगाया जाता है एवं इसकी समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान की जाती है।

iii) कर्मचारी लाभ योजनाएं

कर्मचारी परिभाषित लाभ योजनाएं और दीर्घकालिक लाभ योजनाएं बीमांकिक मान्यताओं के आधार पर मापी जाती है । हालाँकि, इन मान्यताओं में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का प्रभाव बताए गए दायित्वों और व्यय पर पड़ सकता है।

iv) प्रवधान और आकस्मिकताएँ

प्रावधानों और आकस्मिकताओं की पहचान हेतु सम्पन्न आकलन वर्तमान उपलब्ध सूचना के आधार पर प्रबंधन के सर्वोत्तम निर्धारण के अनुसार किए गए है।

2. संपत्ति प्लांट और उपकरण (पीपीई)

संपत्ति, प्लांट और उपकरण का लेखांकन लागत में संचित मूल्यह्रास और संचित इंपेयरमेंट हानि, यदि कोई हो, को घटाकर किया जाता है। ऐसी लागत में प्लांट और उपकरण के भाग को बदलने की लागत और पात्र परिसंपत्तियों पर उधार लेने की लागत शामिल है, यदि मान्यता मानदंड पूरे होते हैं।

जब प्लांट और उपकरण के महत्वपूर्ण भागों को अंतराल पर बदलने की आवश्यकता होती है, तो कंपनी उनके विशिष्ट उपयोगी जीवन के आधार पर उन्हें अलग से मूल्यह्रास करती है। इसी तरह, जब एक बड़ा निरीक्षण किया जाता है, तो मान्यता मानदंड पूर्ण होने पर इसकी लागत को प्रतिस्थापन के रुप में संयंत्र और उपकरण की वहन राशि में पहचाना जाता है। अन्य सभी मरम्मत एवं रखरखाव लागतों को लाभ या हानि के रुप में मान्यता दी जाती है।

. विभिन्न उपयोगी जीवन-काल वाले महत्वपूर्ण उपकरणों की अलग से गणना की जाती है और उनका मूल्यह्रास किया जाता है।

संपत्ति प्लांट और उपकरण (विदेश में संविदा के तहत उपयोग किए गए के अलावा) पर मूल्यह्रास की गणना कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्धारित उपयोग लाभप्रदता काल-खंड के अनुसार स्ट्रेट लाइन विधि द्वारा की जाती है, इसमें से तकनीकी रूप से अनुमानित उपयोगी काल-खंड के आकलन के आधार पर उपयोगी काल –खंड वाली निम्नलिखित मदों छोडकर यह गणना की जाती है:

संपत्ति श्रेणी	वर्ष
प्लाट वं उपकरण	15-30
बिल्डिंग	5-60
इलेक्ट्रीकल इंस्टालेशन एवं उपकरण	10-30
इरेकशन उपकरण, पूंजीगत टूल्स एवं औजार	5
जल निकासी, सीवरेज और जल आपूर्ति	30
सर्वर और नेटवर्क	5
सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र	25

मूल्यह्रास विधियां, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में की जाती है और परिवर्तन यदि कोई हो, को संभावित रूप से हिसाब में लिया जाता है।

प्रॉपर्टी प्लांट और उपकरण जिनकी लागत ₹10,000/- या उससे कम है और जिनका वर्ष की शुरुआत में लिखित मूल्य ₹10,000/- रुपये या उसे कम है, का पूरी तरह से मूल्यह्रास होता है।

इरेक्शन / परियोजना स्थलों पर सडकों, पुलों और पुलियों की लागत अनुबध के कार्यकाल पर पूरी तरह से परिशोधित होती है, जबकि शेड, रेलवे साइडिंग, इलेक्ट्रीकल इंस्टालेशन और अन्य समान सक्षम कार्यों (अस्थायी संरचनाओं के अलावा) के कार्यकाल में मूल्यह्रास किया जाता है। अवशिष्ट मूल्य यदि कोई हो तो को बरकरार रखने के बाद मूल्यह्रास जाता है।

भारत के बाहर लंबी अवधि के अनुबंधों, के लिए उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास अनुबंध की प्रारंभिक अवधि में होता है।

अस्थाई स्ट्रक्चर्स का निर्माण वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रास कर दिया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की कोई वस्तु और कोई भी महत्वपूर्ण भाग जिसे शुरु में मान्यता दी गई थी, उसे निपटान के समय या जब उसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, तब मान्यता रद्द कर दी जाती है। परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने पर होने वाला कोई भी लाभ या हानि (जिसकी गणना कुल निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में की जाती है) को परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने पर लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

3. पट्टे

व्यवस्था के आरंभ में ही कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि उक्त व्यवस्था एक पट्टा है या इसमें पट्टा शामिल है।

क. संपत्ति के उपयोग का अधिकार

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का परिशोधन पट्टे की छोटी अवधि और उनके उपयोगी जीवन पर किया जाता है, जब तक कि यह यथोचित रुप से निश्चित न हो कि कंपनी पट्टे की अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त कर लेगी।

ख. पट्टा देयताएं

प्रारंभिक मान्यता के बाद लीज/पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों को लागत पर परिसंपत्ति के राइट-ऑफ-यूज के तहत पूंजीकृत किया जाता है, जिसमें वर्तमान मूल्य पर लीज देयता का प्रारंभिक निर्धारण, प्रोत्साहन के बिना प्रारंभिक पट्टा भुगतान, निहित परिसंपत्ति को नष्ट किए जाने और हटाने की प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत शामिल है।

पट्टो के तहत किए गए पट्टा भुगतान वित्तीय व्यय और बकाया लीज देयता में की गई कमी के मध्य विभागत किया जाता है। लीज अवधि के दौरान प्रत्येक अवधि के लिए वित्त व्यय आवंटित किया जाता है ताकि दायित्व/देयता के अधिशेष पर लगातार आवधिक दर का उत्पादन किया जा सके। वित्त पट्टे पर दी गई संपत्ति के लिए कंपनी प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके पट्टा अवधि में वित्तीय आय को मान्यता देती है।

ग. अल्पावधि पट्टे और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे

कंपनी अपने अल्पकालिक पट्टों (यानी, वे पट्टे जिनकी पट्टा अवधि आरंभ तिथि से 12 महीने या उससे कम है और जिनमें खरीद विकल्प शामिल नहीं है) पर अल्पकालिक पट्टा मान्यता छूट लागू करती है। यह कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टे मान्यता छूट को भी लागू करती है जिन्हें कम मूल्य माना जाता है। अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टों पर पट्टा भुगतान को पट्टा अवधि के दौरान स्ट्रेट लाइनविधि के आधार पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।.

घ. वित्तीय पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के लिए, कंपनी प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके पट्टा अवधि के दौरान वित्तीय आय की मान्यता देती है। आरंभिक प्रत्यक्ष लागतें वित्त पट्टा प्राप्य के प्रारंभिक निर्धारण में शामिल है और पट्टे की अवधि में मान्य आय को कम करती है।

पट्टा परिचालन से होने वाली आय को स्ट्रेट लाइन पद्धति के आधार पर पट्टे की अवधि में आय रुप में जाना जाता है जहां पट्टे के किराये में आवधिक वृद्धि अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरुप है।

4. अमूर्त परिसंपत्तियां

₹10000/- से अधिक की कीमत वाली अमूर्त वस्तुओं का कम संचित परिशोधन और संचित हानि, यदि की हो, पर पूँजीकरण के लिए मूल्यांकन किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियां जो उपयोग के लिए उपलब्ध हैं, को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में स्ट्रेट लाइन पद्धति में अनुमानित तारीख से उपयोगी लाभप्रदता काल हेतु संशोधित किया जाता है अमूर्त संपत्ति के लिए अनुमानित उपयोगी जीवन निम्नानुसार है:

सॉफ्टवेयर	3 वर्ष
अन्य	10 वर्ष

वर्ष की शुरुआत में 10000/- या उससे कम डब्ल्यूडीवी की अमूर्त संपत्ति का पूरी तरह से परिशोधन किया जाता है।

परिशोधन अवधि और परिशोधन के तरीकों की प्रत्येक वित्तीय वर्ष में समीक्षा की जाती है और परिवर्तन यदि कोई हो, का लेखा-जोखा संभावित रुप से किया जाता है।

अनुसंधान एवं विकास व्यय

अनुसंधान गतिविधियों पर व्यय लाभ और हानि के रूप में मान्यता प्राप्त है। विकास गतिविधियों पर व्यय तभी पूंजीकृत होता है जब व्यय को विश्वसनीयता से मापा जा सकता है, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और व्यावसायिक रुप से संभव है, भविष्य के आर्थिक लाभ संभावित है और कंपनी के पास विकास कार्य कराने एवं संपत्ति के उपयोग अथवा विक्रय के पर्याप्त संसाधन है। व्यय की गई पूंजी में सामग्री की लागत, प्रत्यक्ष श्रम, ओवरहेड लागत शामिल है जो कि स्थिति के अनुसार इसके इच्छित उपयोग एवं उधार लेने की लागत के लिए संपत्ति तैयार करने के लिए सीधे जिम्मेदार है।

अनुसंधान और विकास हेतु अधिग्रहीत संपत्ति को पूंजीकृत किया जाता है।

5. उधार लागत

अर्हक संपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से संबंधित प्रत्यक्ष उधार लागत को ऐसीपरिसंपत्तियों की लागत में जोड़ा गया है।

जिस परिसंपत्ति में उपयोग या बिक्री हेतु तैयार होने में आवश्यक रूप से अधिक समय लगता है, जैसे कि बारह महीने से ज्यादा उसे इस प्रयोजन के लिए अर्हक परिसंपत्ति माना जाता है।

अन्य सभी उधार लागतों को उस अवधि के लाभ-हानि के स्टेटमेंट में दर्शाया गया हैं, जिसमें वे व्यय हुए हैं।

6. संयुक्त उद्यमों में निवेश

संयुक्त उद्यमों में निवेश की गणना क्षति हानि (यदि कोई हो) को घटाकर लागत पर की जाती है।

यदि प्रबंधन का इरादा निकट भवष्य में निवेश का निपटान करना है तो इसे बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इसकी धारित राशि और बिक्री के लिए उचित मूल्य कम लागत पर मापा जाता है।

7. इन्वेंट्री

मालसूची (इन्वेंटरी) की कीमत लागत अथवा कुल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर निकाली जाती है। तैयार माल और कार्य प्रगति के मूल्यांकन के संदर्भ में, लागत का मतलब कारखाना लागत है। कच्चे माल, कम्पोनेंट, ढीले उपकरणों, भण्डार और स्पेयर कीमत के संदर्भ में लागत का अर्थ भारित औसत लागत है।

8. ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व की पहचान तब की जाती है जब ग्राहक को वादा किए गए सामान या सेवाओं के हस्तांतरण द्वारा निष्पादन दायित्व की पूर्ति की जाती है।

समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व के लिए, राजस्व मान्यता प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में प्रगति को मापकर की जाती है। प्रगति को प्रदर्शन दायित्व के कारण कुल अनुमानित लागत में आज तक किए गए वास्तविक लागत के अनुपात के रूप में मापा जाता है। यानी इनपुट विधि।

कंपनी समय के साथ किसी वस्तु या सेवा का नियंत्रण हस्तांतरित करती है और इस प्रकार एक निष्पादन दायित्व को पूरा करती है तथा एक समयावधि में राजस्व को मान्यता देती है, यदि निम्नलिखित मानदंडों में से एक को पूरा किया जाता है:

(क) ग्राहक एक साथ कंपनी के प्रदर्शन का लाभ उठाता है या

(ख) ग्राहक परिसंपत्ति को नियंत्रित करता है क्योंकि यह कंपनी के प्रदर्शन द्वारा बनाई/बढ़ाई जा रही है या

(ग) परिसंपत्ति का कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं है और कंपनी के पास कानूनी उदाहरणों पर विचार करते हुए भुगतान का स्पष्ट या निहित अधिकार है,

अन्य सभी मामलों में, निष्पादन दायित्व को एक समय बिंदु पर पूरा हुआ माना जाता है।

राजस्व को निष्पादन दायित्व की पूर्ति के लिए आवंटित लेनदेन मूल्य की सीमा तक मान्यता दी जाती है। लेनदेन मूल्य वह प्रतिफल राशि है जिसके लिए कंपनी को किसी ग्राहक को माल या सेवाएँ हस्तांतरित करने के बदले में हकदार होने की उम्मीद है, जिसमें किसी तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि शामिल नहीं है।

अन्य आय

लाभ और हानि विवरण /स्टेटमेंट में कंपनी को भुगतान प्राप्ति हेतु निर्धारित तिथि को लाभांश से प्राप्त आय मान्य है।

ब्याज आय, प्रभावी ब्याज दर पद्धति के उपयोग द्वारा मान्य है।

निर्यात प्रोत्साहन/शुल्क वापसी और बीमा के लिए दावों का लेखा-जोखा प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।

9. विदेशी मुद्रा अंतरण/ लेनदन (विनिमय)

विदेशी मुद्रा में लेन-देन को लेन-देन को प्रारंभ में उस तिथि को लागू विनिमय दर पर दर्ज किया गया है।

विदेशी मुद्रा वाली वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लागू विनिमय दरों पर कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। निपटान और अंतरण से होने वाले विदेशी मुद्रा लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

ऐतिहासिक लागत पर मापी गई एवं विदेशी मुद्रा में दर्शायी गई गैर –मौद्रिक देनदारियों और गैर-मौद्रिक परिसंपत्तियों को लेनदेन की तिथि को लागू विनिमय दर पर (अदल-बदल) किया जाता है।

10. कर्मचारी हितलाभ

निर्धारित अंशदान योजनाएं

कंपनी द्वारा कर्मचारयों हेतु पेंशन एवं फेमिली पेंशन फंड में किया गया योगदान अंशदायी योजना के अंतर्गत आता है तथा कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा-काल हेतु लाभ एवं हानि विवरणिका में इसे कर्मचारी लाभ व्यय के नाम से जाना जाता है।

निर्धारित लाभ योजनाएं

कंपनी की ग्रेच्युटी योजना भविष्य निधि योजना, सेवानिवृत्ति पर यात्रा का दावा और सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा सुविधा योजना परिभाषित लाभ योजनाओं के अंतर्गत आती है।

इस परिभाषित लाभ योजना के संबंध में बैलेंस शीट में दर्शाई गई देयता रिपोर्टिंग अवधि के अंत में योजित संपत्तियों के उचित मूल्य के साथ वर्तमान लाभ देयता है। परिभाषित लाभ दायित्व प्रतिवर्ष अनुमानित क्रेडिट यूनिट का उपयोग करके स्वतंत्र एक्ट्यूरीज द्वारा गणना की जाती है। परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य एक उपर्युक्त सरकारी बॉन्ड दर का उपयोग करके अनुमानित भविष्य के नकदी बहिर्वाह को छूट देकर निर्धारित किया जाता है, जिसमें संबंधित दायित्व की शर्तों के लिए परिपक्वता की शर्तें होती हैं।

एक्चुअरी लाभ और हानि के साथ-साथ योजना परिसंपत्तियों पर वापसी और कुल परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर कुल ब्याज में शामिल राशियों के बीच अंतर को अन्य व्यापक आय (आयकर के कुल) के रूप में दर्शाया गया है।

परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित अन्य खर्चों को लाभ और हानि विवरण में दर्शाया गया है।

दीर्घकालिक अवकाश देयता

कंपनी संचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति की अनुमानित लागत का परिकलन रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संचित अप्रयुक्त हकदारी के परिणामस्वरूप प्रदान की जाने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त राशि के रूप में करती है। गैर –संचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति पर व्यय को उस अवधि में दर्शाया गया है जिसमें अनुपस्थिति होती है। कंपनी अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर संचित शेष राशि के लिए एक देयता दर्ज करती है। दीर्घकालिक लाभ योजनाओं से संबंधित पुनर्मापन एवं अन्य व्यय को लाभ एवं हानि संबंधी विवरणिका में दर्शाया गया है।

11. प्रावधान और आकस्मिक देयताएं

प्रावधान

(i) कंपनी के विरुद्ध परिसमाप्त क्षति के दावों को, समान लेन-देन के अनुभव से उपलब्ध जानकारी के संदर्भ में प्रबंधन द्वारा संभावित परिणाम के आकलन के आधार पर वित्तीय विवरणों में दर्शाया जाता है।

(ii) जब कंपनी संबंधित उत्पादों या अनुबंधों पर राजस्व का निर्धारण करती है और वारंटी अवधि के दौरान इसे बनाए रखती है तो कंपनी वारंटी के लिए अनुमानित लागत प्रदान करती है। प्रावधान पिछले अनुभव/ तकनीकी मूल्यांकन पर आधारित है।

(iii) जब यह सभावित हो कि कुल अनुबंध लागत कुल अनुबंद राजस्व से अधिक हो जाएगी तो अनुमानित नुकासान का तुरंत पता लगाया जाता है।

(iv) यदि किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप अन्य प्रावधानों को मान्यता दी जाती है तो कंपनी पर वर्तमान कानूनी या निर्माण संबंधी देयता होती है जिसका अनुमान विश्वसनीय रुप से लगाया जा सकता है और यह संभव है कि देयता के निपटान के लिए आर्थिक लाभ को व्यय करने की जरुरत पडे।

तथापि जहा धन के कालिक मूल्य का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में हो, वहां जहां भी लागू हो, प्रावधानों को भविष्य के अनुमानित नकदी प्रवाह को छोड़कर निर्धारित किया जाता है।

आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देयताएँ संभावित दायित्व हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होते हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। जहाँ पिछली घटना से उत्पन्न होने वाला वर्तमान दायित्व है, लेकिन यह संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, या राशि का विश्वसनीय रुप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, दायित्व को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभावना दूर न हो (जहाँ कोई प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है)। आकस्मिक देयताओं का खुलासा प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर किया जाता है। इनकी समीक्षा प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

12. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को तभी मान्यता दी जाती है जब इस बात का उचित आश्वासन हो कि उनसे जुड़ी शर्तों का अनुपालन किया जाएगा और अनुदान प्राप्त किया जाएगा।

मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों के मामले में, परिसंपत्तियों की लागत सकल मूल्य पर दिखाई जाती है और उस पर अनुदान को आस्थगित आय माना जाता है जिसे परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर लाभ और हानि के विवरण में आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

जहां कंपनी को गैर-मौद्रिक अनुदान प्राप्त होता है, वहां परिसंपत्ति और अनुदान का लेखा परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर किया जाता है और उन्हें आस्थगित आय के रूप में माना जाता है। आस्थगित आय को परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

राजस्व से संबंधित सरकारी अनुदानों को लाभ और हानि के विवरण में व्यवस्थित आधार पर आवश्यक अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है ताकि उनका मिलान उन संबंधित लागतों से किया जा सके जिनकी क्षतिपूर्ति के लिए उन्हें रखा गया है।

13. आय-कर

आयकर व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर शामिल है।

वर्तमान आयकर

आयकर व्यय को लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है, किंतु अन्य व्यापक आय या प्रत्यक्ष इक्विटी मदों से संबंधित आयकर को छोड़कर ।

वर्तमान कर वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय कर है, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लागू कर दरों (कर कानूनों) का उपयोग करते हुए निर्धारित किया गया है और इसमें पिछले वर्षों के कर को भी समायोजित किया गया है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर बैंलेंस शीट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित किया गया है जो बैलेंस –शीट में परिसंपत्ति या देयता की राशि और उसके कर आधार के बीच के अस्थायी अंतर के लिए प्रावधान किया गया है।

आस्थगित कर का परिकलन उन कर दरों पर किया जाता है, जिनका अस्थायी अंतर को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक लागू विधियों के आधार पर प्राप्त किए

जाने अथवा निपटाए जाने पर लागू होना अपेक्षित है।

आस्थागित कर परिसंपत्ति उतनी दर्शाई जाती है, जिससे कि भविष्य में इतना कर योग्य लाभ उपलब्ध हो कि उसके साथ अस्थायी अंतर को समायोजित किया जा सके।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में समीक्षा की जाती है तथा उसे इस सीमा तक कम कर दिया जाता है कि यह सम्भावना नहीं रह जाती कि आस्थगित कर परिसंपत्ति के सम्पूर्ण या आंशिक भाग का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

14. परिसंपत्तियों की हानि

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

व्यापार, अनुबंध और पट्टा की प्राप्त राशियों के संबंध में हानि भत्ते का परिकलन आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर मापा जाता है।

अन्य उन सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में, जिन्हें इम्पेयर किया जाना आवश्यक है यदि उस वित्तीय लिखत पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता के बाद से काफी बढ़ गया है, तो हानि भत्ते का परिकलन आजीवन अपेक्षित क्रेडिट लॉस के बराबर राशि के रूप में किया जाता है। तथापि, यदि रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय उपकरण पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता के बाद से बहुत अधिक नहीं बढ़ा है, तो हानि भत्ते को 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर मापा जाता है।

गैर- वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है, जहां किसी भी तरह की हानि का संकेत होता है। लाभ और हानि का आकलन हुए नुकसान के आधार पर किया जाता है, जहां कैरींग राशि नकदी पैदा करने वाली इकाइयों की वसूली योग्य राशि से अधिक होती है ।

यदि संकेतों से पता चलता है कि हानि में कमी आई है अथवा अब हानि नहीं हो रही है, तो पूर्व कालावधि में नुकसान से हुई हानि का आकलन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किया जाता है। यदि वसूली राशि को इंगित करते हुए लागत में परिवर्तन हो तो, इम्पेयरमेंट लॉस को बदला जा सकता है।

यदि कोई इम्पेयरमेंट लॉस होना नहीं पाया गया है तथा संपत्ति की वहन राशि निर्धारित राशि से अधिक नहीं है, जो मूल्यह्रास या परिशोधन का कुल है तो इम्पेयरमेंट लॉस को बदला जा सकता है।

15. सेगमेंट रिपोर्टिंग

खंडों के राजस्व और व्यय का निर्धारिण खंड विशेष परिचालन गतिविधियों के साथ उनके संबंध के आधार पर किया जाता है। जो राजस्व व्यय, परिसंपत्तियों और देयताएं उचित आधार पर खंडों के लिए आवंटित नहीं की जा सकती है उन्हें अनावंटित राजस्व/व्यय/सम्पंत्ति/ देनदारियों के तहत शामिल किया गया है।

16. गैर-व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण

गैर-व्युत्पन्न वित्तीय उपकरणों को निम्नलिखित रुप में वर्गीकृत किया गया है :-

– (क) परिशोधित लागत और (ख) लाभ एवं हानि ("एफवीटीपीएल") के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्धारित वित्तीय परिसंपत्तियां ।

– परिशोधन लागत पर निर्धारित वित्तीय देनदारियाँ।

प्रारंभ में सभी वित्तीय लिखतों को उनके उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है। यदि वित्तीय लिखतों को एफवीटीपीएल के माध्यम से निर्धारित नही किया जाता है तो कैरींग राशि का निर्धारम करने में लेनदेन की लागत शामिल होती है जब वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के पर्याप्त जोखिम और प्रतिफल न तो अंतरित किए जाते है और न ही रोककर रखे जाते हैं तब वित्तीय परिसंपत्तियों को उसी स्थिति में डि-रेकोग्राइज किया जाता है, जब कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्तियों पर नियंत्रण नहीं रखा हो। जब संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन या रद्द होने या समाप्त होने की स्थिति में वित्तीय देनदारियों को डि – रेकोग्राइज किया जाता है।

बाद में नॉन डेरिवेटिव वित्तीय संपत्तियों का निर्धारण निम्न रूप में किया जाता है:

क. परिशोधित लागत–

परिशोधित लागत पर वित्तीय विलेख का निर्धारण बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति से किया जाता है। परिशोधित लागत का परिकलन उस छूट या अधिग्रहण पर प्रीलियर और शुल्क या लागत को ध्यान में रखकर किया जाता है, जो ईआईआर का अभिन्न अंग है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि में दर्शाया जाता है। इम्पेयरमेन्ट से होने वाले नुकसान को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

ख. एफवीटीपीएल श्रेणी–

इस श्रेणी में वर्गीकृत वित्तीय विलेख बाद में लाभ-हानि विवरण में दर्ज परिवर्तनों सहित उचित मूल्य पर तैयार किए जाते हैं। प्रत्यक्ष लेनदेन लागत को लाभ – हानि विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों को बाद में निम्न रुप में दर्शाया जाता है।

प्रारंभिक निर्धारण के बाद, नॉन – डेरिवेटिव वित्तीय देनदारियों को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर निर्धारित किया जाता है।

17. नकद एवं नकद समतुल्य

नकद और नकद समतुल्य में बैंक में शेष, और अपने पास उपलब्ध नकदी शामिल होती है। इसमें तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ सावधि जमा और अन्य अल्पकालिक मुद्रा बाजार जमा शामिल है जो आसानी से ज्ञात राशि में नकदी रुप में परिवर्तनीय है और मूल्य परिवर्तन के कम जोखिम के अधीन हैं।

18. लाभांश

वितरण अधिकृत होने पर कंपनी इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करने के दायित्व को मान्यता देती है, और वितरण अब कंपनी के विवेक पर नहीं है। भारत में कॉर्पोरेट कानूनों के अनुसार, वितरण तब अधिकृत होता है जब इसे शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। राशि को सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

19. प्रति शेयर आय

प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को देय कुल लाभ को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर आय की गणना कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को देय कुल लाभ को प्रति इक्विटी शेयर मूल आय निकालने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है, तथा साथ ही उन इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भी विभाजित किया जाता है, जो सभी संभावित इक्विटी शेयरों के रुपांतरण पर जारी किए जा सकते थे।

20. निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियाँ वे संपत्तियाँ (भूमि या भवन या भवन का कोई भाग या दोनों) हैं जो किराये की आय अर्जित करने और/या पूँजी वृद्धि के लिए रखी जाती हैं। इसमें वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति में उपयोग के लिए या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए रखी गई संपत्ति शामिल नहीं है, न ही इसमें सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों में बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति शामिल है।

इन्हें प्रारंभ में लागत पर मापा जाता है, जिसमें संबंधित लेनदेन लागत और, जहाँ लागू हो, लेखांकन मानकों के अनुसार उधार लागत शामिल होती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, निवेश संपत्तियों को लागत में से संचित मूल्यह्रास और संचित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर मूल्यांकित किया जाता है। यद्यपि लागत पर मापा जाता है, निवेश संपत्तियों का उचित मूल्य वित्तीय विवरणों के नोट्स में एक स्वतंत्र योग्य मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर प्रकट किया जाता है। यदि भविष्य में कंपनी को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना हो और व्यय की लागत को विश्वसनीय रुप से मापा जा सके, तो बाद के व्यय को पूंजीकृत किया जाता है। दैनिक मरम्मत और रखरखाव को व्यय होने पर व्यय में शामिल कर लिया जाता है।

निवेश संपत्तियों का मूल्यह्रास उस परिसंपत्ति की श्रेणी के अनुसार किया जाएगा जिससे वह संबंधित है तथा परिसंपत्ति का जीवन पीपीई पर नीति के अनुरुप निर्धारित किया जाएगा।

निवेश संपत्ति में या उससे संपत्तियों का हस्तांतरण केवल तभी किया जाता है जब उपयोग में स्पष्ट परिवर्तन हो, और साक्ष्य द्वारा समर्थित हो। निवेश संपत्ति और स्वामी-अधिभोगित संपत्ति के बीच हस्तांतरण से हस्तांतरित संपत्ति की अग्रणीत राशि में कोई परिवर्तन नहीं होता है और न ही मापन या प्रकटीकरण उद्देश्यों के लिए उस संपत्ति की लागत में कोई परिवर्तन होता है। किसी निवेश संपत्ति की मान्यता तब रद्द कर दी जाती है जब उसका निपटान हो जाता है या उसे स्थायी रुप से उपयोग से हटा लिया जाता है और उसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं होता है। मान्यता रद्द करने से होने वाले किसी भी लाभ या हानि (शुद्ध निपटान आय और अग्रणीत राशि के बीच का अंतर) को लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है।

नोट[3क] - गैर वर्तमान परिसंपत्तियाँ
सम्पत्ति, प्लांट एवं उपकरण

संपत्ति, प्लांट और उपकरण (पीपीई) पर सामग्री लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 2 को देखें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
सकाल खंड	7404.47	6897.00
घटाएँ: संचित मूल्यह्रास	4542.01	4386.31
निवल ब्लॉक (विवरण के लिए नोट 3.1 देखें)	**2862.46**	**2510.69**

आरओयू परिसंपत्तियों के संबंध में निवल ब्लॉक में ₹304.56 करोड़ (पिछले वर्ष ₹142.17 करोड़) शामिल हैं।

कंपनी ने इंड एएस 101 के तहत छूट का विकल्प चुना है, और तदनुसार इंड एएस ट्राजिशन की दिनांक 31.03.2015 को प्राप्त मूल्य को निर्णीत कीमत माना गया है।

नोट [3ख] - गैर वर्तमान परिसंपत्तियाँ प्रगतिशील पर पूंजीगत कार्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	
प्लांट एवं मशीनरी और अन्य उपकरण :				
चालू इरेक्शन/ फेब्रिकेशन/प्रतीक्षारत इरेक्शन	87.16		81.86	
मार्गस्थ	24.59	111.75	48.86	130.72
चल रहा निर्माण कार्य – सिविल		45.37		151.16
निर्माण भंडार – (मार्गस्थ सहित)		4.58		0.44
कुल		**161.70**		**282.32**

(₹ करोड़ में)

सीडबल्यूआईपी कालप्रभावन सूची – 31मार्च 2024	अवधि के लिए सीडबल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
चालू परियोजनाएं	145.83	0.98	1.30	1.30	149.42
अस्थायी रुप से स्थगित परियोजनाएं				12.28	12.28

(₹ करोड़ में)

सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता अनुसूची (सीडब्ल्यूआईपी जो अतिदेय है या अपनी मूल योजना की तुलना में अपनी लागत से अधिक हो गई है) - 31मार्च 2025 को	वर्ष में पुरा किया जाना है				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
चालू परियोजनाएं					
नई बिल्डिंग – नोएडा	0.91				0.91
इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन	1.47				1.47
10 करोड़ रुपए से कम की अन्य परियोजनाएं (कुल संख्या- 12)	1.10			0.37	1.47
अस्थायी रुप से स्थगित परियोजनाएं					
उपकरण फेब्रिकेशन संयंत्र – भंडारा				7.74	7.74
सक्षम कार्य- उप्पुर				2.94	2.94
1 करोड़ रुपये से कम की अन्य परियोजनाएं (कुल संख्या - 5)				1.60	1.60

(₹ करोड़ में)

सीडबल्यूआईपी कालप्रभावन सूची – 31 मार्च 2024	अवधि के लिए सीडबल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
चालू परियोजनाएं	152.55	43.02	14.91	59.28	269.76
अस्थायी रुप से स्थगित परियोजनाएं			0.59	11.97	12.56

(₹ करोड़ में)

सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता अनुसूची (सीडब्ल्यूआईपी जो अतिदेय है या अपनी मूल योजना की तुलना में अपनी लागत से अधिक हो गई है) - 31मार्च 2025 को	वर्ष में पुरा किया जाना है				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
चालू परियोजनाएं					
नई बिल्डिंग – नोएडा	106.62				106.62
10 करोड़ रुपए से कम की अन्य परियोजनाएं (कुल संख्या- 14)	2.58	0.09	0.48		3.15
अस्थायी रुप से स्थगित परियोजनाएं					
उपकरण फेब्रिकेशन संयंत्र – भंडारा				7.74	7.74
सक्षम कार्य- उप्पुर			0.59	2.35	2.94
1 करोड़ रुपये से कम की अन्य परियोजनाएं (कुल संख्या - 4)	0.28			1.60	1.88

नोट [3ग] - गैर वर्तमान परिसंपत्तियाँ

निवेश संपत्ति

निवेश संपत्ति पर सामग्री लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 20 को देखें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
सकल ब्लॉक	1.17	-
घटाएं: संचित परिशोधन	0.72	-
निवल ब्लॉक (विवरण के लिए नोट 3.2 देखें)	**0.45**	**-**
निवेश संपत्ति का उचित मूल्य	111.58	N.A.

नोट 3.1 - संपत्ति, प्लांट व उपकरण का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	01.04.2024 को प्रारम्भिक शेष	परिवर्धन/ समायोजन	कटौती/ समायोजन	31.03.2025 को अंतिम शेष	01.04.2024 को संचित मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन	मूल्यह्रास समायोजन	31.03.2025 तक संचित मूल्यह्रास	31.03.2025 को निवल ब्लॉक	31.03.2024 को निवल ब्लॉक
भूमि – फ्री होल्ड भूमि (विकास व्यय सहित)*	27.73	0.00	0.00	**27.73**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**27.73**	27.73
भवन – फ्री होल्ड भवन*	1978.91	157.73	(6.38)	**2130.26**	763.87	41.61	(5.86)	**799.62**	**1330.64**	1215.04
सड़कें, पुल और पुलियां	16.29	1.72	0.00	**18.01**	15.05	0.19	0.00	**15.24**	**2.77**	1.24
ड्रेनेज, सीवेज एवं जल-आपूर्ति	39.28	5.48	(0.00)	**44.76**	10.77	1.47	(0.00)	**12.24**	**32.52**	28.51
प्लांट व मशीनरी	3425.75	154.34	(11.84)	**3568.25**	2623.14	115.79	(11.57)	**2727.36**	**840.89**	802.61
रेलवे साइडिंग	8.85	0.00	0.00	**8.85**	6.17	0.41	0.00	**6.58**	**2.27**	2.68
लोकोमोटिव और वेगन	28.33	0.00	0.00	**28.33**	20.79	1.26	0.00	**22.05**	**6.28**	7.54
फ़र्नीचर व फिक्स्चर	82.00	6.37	(0.78)	**87.59**	52.17	6.07	(0.63)	**57.61**	**29.98**	29.83
वाहन	16.60	1.43	(0.05)	**17.98**	12.37	1.03	(0.06)	**13.34**	**4.64**	4.24
कार्यालय एवं अन्य उपकरण	156.14	12.50	(1.37)	**167.27**	135.16	7.81	(1.26)	**141.71**	**25.56**	20.97
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	174.99	9.43	11.10	**195.52**	168.02	3.24	11.12	**182.38**	**13.14**	6.97
इलेक्ट्रॉनिक इंस्टालेशन	311.12	36.35	(0.27)	**347.20**	197.20	10.51	(0.10)	**207.61**	**139.58**	113.91
निर्माण उपकरण निर्माण	70.97	0.53	(4.65)	**66.85**	69.53	0.49	(4.66)	**65.36**	**1.49**	1.44
10,000/- तक की लागत वाली अचल संपत्तियां	24.36	3.90	(0.80)	**27.46**	24.36	3.90	(0.80)	**27.46**	**-**	-
सोलर पावर जेनरेशन	143.74	0.07	0.00	**143.81**	37.93	5.48	0.00	**43.41**	**100.40**	105.81
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियां*	391.97	215.22	(82.60)	**524.59**	249.80	51.89	(81.65)	**220.04**	**304.56**	142.17
कुल	**6897.02**	**605.08**	**(97.66)**	**7404.47**	**4386.33**	**251.13**	**(95.47)**	**4542.01**	**2862.46**	**2510.69**
पिछला वर्ष	6620.97	336.53	(60.51)	**6897.02**	4212.23	233.66	(59.53)	**4386.33**	**2510.69**	**2408.74**

नोट:

सकल ब्लॉक (पूर्ववर्ती आईजीएएपी के अनुसार) 31.03.2025 को ₹14411.16 करोड़ और 31.03.2024 को ₹13965.56 करोड़ था।

31.03.2025 को सकल ब्लॉक में ₹7.24 करोड़ (पिछले वर्ष ₹5.04 करोड़) की अनुपयोगी व सक्रिय उपयोग मे न आ रही संपत्तियाँ भी शामिल हैं।

31.03.2025 तक निवल ब्लॉक में ₹0.12 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.12 करोड़) अनुपयोगी और सक्रिय उपयोग मे न आ रही संपत्तियाँ भी शामिल हैं।

सकल ब्लॉक में भारत सरकार से अनुसंधान के लिए प्राप्त अनुदान से खरीदी गई संपत्ति की लागत शामिल नहीं है, क्योंकि यह संपत्ति ₹243.50 करोड़ (पिछले वर्ष ₹242.91 करोड़) कंपनी की नहीं है।

* भूमि सकल ब्लॉक से निवेश संपत्ति में स्थानांतरण ₹ शून्य, भवन फ्रीहोल्ड सकल ब्लॉक ₹0.53 करोड़ और संचित मूल्यह्रास ₹0.51 करोड़ और भवन आरओयू सकल ब्लॉक ₹0.64 करोड़ और संचित मूल्यह्रास ₹0.19 करोड़

वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों में कोई ह्रास नहीं हुआ है।

टेबल 3.1(क): उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियाँ निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	01.04.2024 को प्रारम्भिक शेष	परिवर्धन/ समायोजन	कटौती/ समायोजन	31.03.2025 को अंतिम शेष	01.04.2024 को संचित मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन	मूल्यह्रास समायोजन	31.03.2025 तक संचित मूल्यह्रास	31.03.2025 को निवल ब्लॉक	31.03.2024 को निवल ब्लॉक
भूमि (विकास व्यय सहित)	123.69	0.64	(0.00)	**124.33**	20.86	3.96	0.00	**24.82**	**99.51**	102.83
भवन*	2.66	0.00	(0.64)	**2.02**	0.50	0.24	(0.19)	**0.55**	**1.47**	2.16
प्लांट व मशीनरी	20.91	0.00	(4.61)	**16.30**	10.34	5.47	(4.61)	**11.20**	**5.10**	10.57
कार्यालय व अन्य उपकरण	16.42	1.25	(9.80)	**7.87**	15.43	0.46	(9.80)	**6.09**	**1.78**	0.99
ईडीपी उपकरण	203.02	204.66	(66.00)	**341.68**	187.89	35.99	(66.16)	**157.72**	**183.96**	15.13
वाहन	7.25	0.95	(1.55)	**6.65**	2.78	1.60	(0.90)	**3.48**	**3.17**	4.47
अन्य	18.02	7.72	0.00	**25.74**	12.00	4.17	0.00	**16.17**	**9.57**	6.02
कुल	**391.97**	**215.22**	**(82.60)**	**524.59**	**249.80**	**51.89**	**(81.65)**	**220.03**	**304.56**	**142.17**
पिछला वर्ष	431.97	14.62	(54.63)	**391.97**	276.71	27.51	(54.43)	**249.80**	**142.17**	**155.26**

*बिल्डिंग आरओयू सकल ब्लॉक से निवेश संपत्ति में स्थानांतरण ₹0.64 करोड़ और संचित मूल्यह्रास ₹0.19 करोड़

नोट [3.1] – परिसंपत्ति, प्लांट व उपकरण के विषय में अतिरिक्त जानकारी

1. (क) अचल संपत्ति जिनका स्वामित्व विलेख बीएचईएल के नाम पर नहीं है (31.03.2025 तक)

संपत्ति की वस्तु का विवरण (बी/एस से संबंधित मद के तहत)	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	नाम पर धारित लीज/स्वामित्व विलेख	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारण की गई है	कंपनी के नाम पर नहीं होने का कारण
पीपीई:-					
भूमि- फ्रीहोल्ड	0.08	बच्चा लाल पुत्र स्वर्गीय राम किशोर	नहीं	08-06-1983	एचईआरपी वाराणसी के नाम पर दाखिल खारिज हेतु मामला विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी वाराणसी के पास लंबित है।
भूमि- फ्रीहोल्ड	0.52	तेलंगाना राज्य सरकार	नहीं	1974 से	टाइटल डीड के स्थानांतरण का कार्य चल रहा है, मामला टीएसआईआईसी के माध्यम से राज्य सरकार के समक्ष उठाया गया है।
भूमि- फ्रीहोल्ड	0.11	तेलंगाना राज्य सरकार	नहीं	30-01-1961	वर्ष 1961 और 63 में हैवी इलेक्ट्रीकल प्लांट की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु राजपत्र अधिसूचना जारी की गई। (संदर्भ संख्या:171,192,92-ए,61,202)
भूमि- फ्रीहोल्ड	0.18	मध्य प्रदेश राज्य सरकार	नहीं	1957 से	भारत सरकार के राजपत्र के माध्यम से प्रदान की गई भूमि, बीएचईएल के नाम पर टाइटल डीड उपलब्ध नहीं है।
भूमि- फ्रीहोल्ड	1.24	तमिलनाडु राज्य सरकार	नहीं	13.01.1981 से 17.02.1986 के बीच विभिन्न तिथियां	उपलब्ध हैं, जिनमें क्षेत्र और सर्वेक्षण संख्या दर्शाने वाले भूमि हस्तांतरण दस्तावेज (राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए और बीएचईएल द्वारा अधिग्रहित) उपलब्ध हैं। राज्य सरकार द्वारा बीएचईएल के पक्ष में असाइनमेंट डीड अभी तक जारी नहीं किया गया है।
भूमि- फ्रीहोल्ड	0.0022	बी सरोजा देवी	नहीं	01-04-1965	श्रीमती बी सरोजा देवी और मेसर्स बीएचईएल के बीच उच्चतम न्यायालय में विवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को निपटाने के लिए वापस उच्च न्यायालय भेज दिया है और यह लंबित है।
भूमि- होल्ड	1.64	तमिलनाडु राज्य सरकार	नहीं	24-11-2010	पट्टा (टाइटल डीड) जारी किया जाना बाकी है
भूमि - लीजहोल्ड (राइट ऑफ यूज असेट्स)	68.38	464.8287 एकड़ भूमि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के नाम पर, 9.0688 एकड़ भूमि महाराष्ट्र राज्य सरकार के नाम पर, 2.7676 एकड़ भूमि निजी मालिकों के नाम पर	नहीं	20-03-2013	प्रस्तावित भूमि का पूर्ण अधिग्रहण अभी तक पूरा नहीं हुआ है।
बिल्डिंग - फ्रीहोल्ड	0.11	जेबी कंस्ट्रक्शन (बिल्डर)	नहीं	35 YEARS	4 फ्लैटों के मालिकाना हक पर बिल्डर और जमीन के मालिक के बीच विवाद चल रहा है
बिल्डिंग - फ्रीहोल्ड	0.05	महाराष्ट्र कोपरेटिव सोसाइटी	नहीं	35 YEARS	सहकारी समिति के नाम पर 6 फ्लैट हैं। कोई विवाद नहीं है।
भूमि- फ्रीहोल्ड	0.0002	म्यूटेशन बीएचईएल के नाम पर हो गया है। हालाँकि, खतौनी में बीएचईएल झाँसी नहीं दिखाया गया है। इसे दोहरी रेलवे भूमि के रूप में दिखाया गया है।	नहीं	1974-75	ऐसा राज्य राजस्व विभाग की गलती के कारण हुआ है कि उन्होंने खतौनी प्रविष्टि करते समय टाइपोग्राफिकल त्रुटि की है। संपदा विभाग, टीपी झांसी द्वारा जिला राजस्व प्राधिकरण के समक्ष नाम परिवर्तन के लिए बीएचईएल के नाम पर मामला उठाया गया था।
बिल्डिंग-फ्रीहोल्ड (राइट ऑफ यूज असेट्स)	1.2777	महाराष्ट्र राज्य सरकार	नहीं	01-02-1991	महाराष्ट्र सरकार ने एमवीआईआरडीसी के साथ भूमि का पट्टा निष्पादित नहीं किया है, इसलिए एमवीआईआरडीसी बीएचईएल के साथ 2 मंजिलों के लिए लीज डीड निष्पादित नहीं कर सकता है।
निवेश संपत्ति:-					
बिल्डिंग - लीजहोल्ड	1.2777	महाराष्ट्र राज्य सरकार	नहीं	01-02-1991	महाराष्ट्र सरकार ने एमवीआईआरडीसी के साथ भूमि का पट्टा निष्पादित नहीं किया है, इसलिए एमवीआईआरडीसी बीएचईएल के साथ 1 मंजिलों के लिए लीज डीड निष्पादित नहीं कर सकता है।

नोट [3.1] – संपत्ति, प्लांट व उपकरण के विषय में अतिरिक्त जानकारी

1. (क) अचल संपत्ति जिनका स्वामित्व विलेख बीएचईएल के नाम पर नहीं है (31.03.2024 तक)

संपत्ति की वस्तु का विवरण (बी/एस से संबंधित मद के तहत)	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	नाम पर धारित लीज/स्वामित्व विलेख	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारण की गई है	कंपनी के नाम पर नहीं होने का कारण
पीपीई:-					
भूमि- फ्रीहोल्ड	1.64	तमिलनाडु राज्य सरकार	नहीं	24-11-2010	पट्टा (टाइटल डीड) जारी किया जाना बाकी है
भूमि- फ्रीहोल्ड	1.24	तमिलनाडु राज्य सरकार	नहीं	13.01.1981 से 17.02.1986 के बीच विभिन्न तिथियां	उपलब्ध हैं, जिनमें क्षेत्र और सर्वेक्षण संख्या दर्शाने वाले भूमि हस्तांतरण दस्तावेज (राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए और बीएचईएल द्वारा अधिग्रहित) उपलब्ध हैं। राज्य सरकार द्वारा बीएचईएल के पक्ष में असाइनमेंट डीड अभी तक जारी नहीं किया गया है।
भूमि- फ्रीहोल्ड	0.52	तेलंगाना राज्य सरकार	नहीं	1974 से	टाइटल डीड के स्थानांतरण का कार्य चल रहा है, मामला टीएसआईआईसी के माध्यम से राज्य सरकार के समक्ष उठाया गया है।
भूमि- फ्रीहोल्ड	0.18	मध्य प्रदेश राज्य सरकार	नहीं	1957 से	भारत सरकार के राजपत्र के माध्यम से प्रदान की गई भूमि, बीएचईएल के नाम पर टाइटल डीड उपलब्ध नहीं है।
भूमि- फ्रीहोल्ड	0.11	तेलंगाना राज्य सरकार	नहीं	30-01-1961	वर्ष 1961 और 63 में भारी विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु राजपत्र अधिसूचना जारी की गई। (संदर्भ संख्या:171,192,92-ए,61,202)
भूमि- फ्रीहोल्ड	0.08	बच्चा लाल पुत्र स्वर्गीय राम किशोर	नहीं	08-06-1983	बढ़े हुए मुआवजे में विवाद के कारण मामला माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन है। अपील संख्या 659- 1995
भूमि- फ्रीहोल्ड	0.0022	बी सरोजा देवी	नहीं	01-04-1965	श्रीमती बी सरोजा देवी और मेसर्स बीएचईएल के बीच उच्चतम न्यायालय में विवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को निपटाने के लिए वापस उच्च न्यायालय भेज दिया है और यह लंबित है।
भूमि- फ्रीहोल्ड	0.0002	म्यूटेशन बीएचईएल के नाम पर हो गया है। हालाँकि, खतौनी में बीएचईएल झाँसी नहीं दिखाया गया है। इसे दोहरी रेलवे भूमि के रुप में दिखाया गया है।	नहीं	1974-75	ऐसा राज्य राजस्व विभाग की गलती के कारण हुआ है कि उन्होंने खतौनी प्रविष्टि करते समय टाइपोग्राफिकल त्रुटि की है। संपदा विभाग, टीपी झांसी द्वारा जिला राजस्व प्राधिकरण के समक्ष नाम परिवर्तन के लिए बीएचईएल के नाम पर मामला उठाया गया था।
भूमि- फ्रीहोल्ड (राइट ऑफ यूज़ असेट्स)	68.38	464.8287 एकड़ भूमि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के नाम पर, 9.0688 एकड़ भूमि महाराष्ट्र राज्य सरकार के नाम पर, 2.7676 एकड़ भूमि निजी मालिकों के नाम पर	नहीं	20-03-2013	प्रस्तावित भूमि का पूर्ण अधिग्रहण अभी तक पूरा नहीं हुआ है।
बिल्डिंग - फ्रीहोल्ड	0.11	जेबी कंस्ट्रक्शन (बिल्डर)	नहीं	35 वर्ष	4 फ्लैटों के मालिकाना हक पर बिल्डर और जमीन के मालिक के बीच विवाद चल रहा है
बिल्डिंग - फ्रीहोल्ड	0.05	महाराष्ट्र कॉपरेटिव सोसाइटी	नहीं	35 वर्ष	सहकारी समिति के नाम पर 6 फ्लैट हैं। कोई विवाद नहीं है।
बिल्डिंग - लीज़होल्ड (राइट ऑफ यूज़ असेट्स)	2.56	महाराष्ट्र राज्य सरकार	नहीं	01-02-1991	महाराष्ट्र सरकार ने एमवीआईआरडीसी के साथ भूमि का पट्टा निष्पादित नहीं किया है, इसलिए एमवीआईआरडीसी बीएचईएल के साथ 2 मंजिलों के लिए लीज डीड निष्पादित नहीं कर सकता है।

नोट [3.1] – संपत्ति, प्लांट व उपकरण के विषय में अतिरिक्त जानकारी

विवरण					31 मार्च 2025 की स्थिति	31 मार्च 2024 की स्थिति
2.	भूमि एवं भवन जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं					
क.	i)	एकड भूमि, जिसके लिए औपचारिक हस्तांतरण पट्टा विलेख नहीं किया गया है		(एकड़ में)	8441.47	8441.47
		निवल ब्लॉक		(₹ करोड़ में)	63.52	64.24
	ii)	फ्लैटों की संख्या जिनके लिए औपचारिक पट्टा विलेख नहीं किया गया है		(एकड़ में)	12	12
		निवल ब्लॉक		(₹ करोड़ में)	0.92	0.97
	iii)	एकड भूमि जिसके लिए प्रदत लागत अनंतिम है; [पंजीकरण प्रभार एवं स्टांप शुल्क, (प्रावधान को छोड़कर), जिसकी गणना भुगतान पर की जाएगी।		(एकड़ में)	480.04	480.04
		निवल ब्लॉक		(₹ करोड़ में)	59.82	60.54
ख.	रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के विभागों और अन्य को पट्टे पर दी गई एकड भूमि			(एकड़ में)	20.47	20.47
ग.	जमीन, जो प्रतिकूल कब्जे/अनधिकृत कब्जे में है			(एकड़ में)	886.99	947.40

घ. हरिद्वार प्लांट में 1300.32653 एकड़ (PY 1297.85903 एकड़) भूमि का म्यूटेशन लंबित है, जिसके लिए कानूनी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसमें 934 एकड़ (PY 934 एकड़) भूमि शामिल है जो बीएचईएल के कब्जे में है, लेकिन वर्ष 2004 और 2007 में उत्तराखंड सरकार के सिडकुल के नाम पर गलत तरीके से म्यूटेशन की गई है। इसके अलावा, 2.4675 एकड़ (PY शून्य) भूमि भी शामिल है जो बीएचईएल बनाम नकली राम मामले से संबंधित है और अदालत में लंबित है।

ङ. इसके अलावा, उत्तराखंड सरकार के दिनांक 01.12.2003 के कार्यालय ज्ञापन के तहत हरिद्वार प्लांट में 8 एकड़ भूमि का आईओसीएल/राज्य सरकार को हस्तांतरण हेतु लंबित है।

च. (उपर्युक्त (ख से ड) की भूमि की लागत प्रत्यक्ष नहीं है)

विवरण		31 मार्च 2025 की स्थिति	31 मार्च 2024 की स्थिति
3.	i) भूमि का कुल क्षेत्रफल एकड़ में	16690.71	16690.71
	ii) 3(i) में से फ्री होल्ड भूमि (सेल डीड) / कब्ज़ा / लाइसेंस अधिकार (एकड़ में)	15987.38	15987.38
	iii) 3(i) में से लीजहोल्ड भूमि (एकड़ में)	703.33	703.33

4. कंपनी ₹10000/- तक की लागत/ओपनिंग नेट ब्लॉक वाले किसी PPE मद पर 100% मूल्यह्रास प्रदान करती है। पिछले वर्षों के प्रभाव पर विचार किए बिना, लाभ पर पीपीई की एक वस्तु पर 100% मूल्यह्रास प्रदान करने का प्रभाव निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति	31 मार्च 2024 की स्थिति
₹10,000/- तक की पीपीई पर 100% मूल्यह्रास चार्ज ऑफ	6.18	4.48
घटाएँ: उपरोक्त पर सामान्य मूल्य ह्रास	(1.38)	(1.37)
वर्ष के लिए मूल्यह्रास के रूप में प्रभारित अतिरिक्त राशि	4.79	3.11

5. परिसंपत्ति मुद्रीकरण अभियान के तहत आवश्यक अनुमोदन के अधीन इन संपत्तियों (i) चटर्जी इंटरनेशनल सेंटर, कोलकाता में दूसरी मंजिल का कार्यालय (ii) इंदौरा आवासीय फ्लैट, नागपुर - भूमि और भवन और (iii) वडोदरा टाउनशिप - भूमि और भवन, जिन सबका निवल ब्लॉक मूल्य ₹1.42 करोड़ है, की पहचाना बिक्री के लिए की गई है।

6. पूंजीगत व्यय की स्थिति का सारांश:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति	31 मार्च 2024 की स्थिति
पीपीई और अमूर्त संपत्तियों में वृद्धि	646.82	347.89
सीडब्ल्यूआईपी में वृद्धि/(कमी)	(120.62)	(62.27)
विकासाधीन अमूर्त संपत्तियों में वृद्धि/(कमी)	7.66	16.78
पूंजी अग्रिम में वृद्धि/(कमी)	1.78	(14.99)
कुल	**535.64**	**287.41**

नोट 3.2 - निवेश संपत्ति का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	01.04.2024 को प्रारम्भिक शेष	परिवर्धन/ समायोजन	कटौती/ समायोजन	31.03.2025 को अंतिम शेष	01.04.2024 को संचित मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन	मूल्यह्रास समायोजन	31.03.2025 तक संचित मूल्यह्रास	31.03.2025 को निवल ब्लॉक	31.03.2024 को निवल ब्लॉक
भूमि - फ्रीहोल्ड भूमि (विकास व्यय सहित)	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00
बिल्डिंग	0.00	0.00	1.17	**1.17**	0.00	0.02	0.70	**0.72**	**0.45**	0.00
कुल	**0.00**	**(0.00)**	**1.17**	**1.17**	**0.00**	**0.02**	**0.70**	**0.72**	**0.45**	**0.00**
पिछले वर्ष	लागू नहीं									

उपरोक्त निवेश संपति का उचित मूल्य ₹111.58 करोड़

सकल ब्लॉक (पूर्ववर्ती IGAAP के अनुसार) 31.03.2025 को ₹3.72 करोड़ और 31.03.2024 को ₹शून्य

नोट[4क] - गैर वर्तमान परिसंपत्तियाँ
अमूर्त परिसंपत्तियाँ

अमूर्त परिसंपत्तियों पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 4 का संदर्भ लें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति	31 मार्च 2024 की स्थिति
सकल ब्लॉक	343.70	339.23
घटाएँ: संचित परिशोधन	259.43	275.88
निवल ब्लॉक (विवरण के लिए नोट 4.1 देखें)	**84.27**	**63.35**

कंपनी ने इंड एएस 101 के तहत छूट का विकल्प चुना है, और तदनुसार इंड एएस ट्रांजिशन की दिनांक 31.03.2015 को प्राप्त मूल्य को निर्णीत कीमत माना गया है।

नोट 4.1 - अमूर्त परिसंपत्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	01.04.2024 को प्रारम्भिक शेष	परिवर्धन/ समायोजन	कटौती/ समायोजन	31.03.2025 को अंतिम शेष	01.04.2024 को संचित मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन	मूल्यह्रास समायोजन	31.03.2025 तक संचित मूल्यह्रास	31.03.2025 को निवल ब्लॉक	31.03.2024 को निवल ब्लॉक
आंतरिक स्रोतों से विकास										
-अन्य	75.90	0.00	(37.27)	**38.63**	71.03	2.11	(37.27)	**35.87**	**2.77**	4.87
आंतरिक स्रोतों से विकसित के अलावा अन्य										
- सॉफ़्टवेयर	61.10	12.56	0.00	**73.66**	55.00	5.43	(0.00)	**60.43**	**13.23**	6.10
- तकनीकी ज्ञान	202.23	29.18	0.00	**231.41**	149.85	13.29	0.00	**163.13**	**68.28**	52.38
कुल	**339.23**	**41.74**	**(37.27)**	**343.70**	**275.87**	**20.83**	**(37.27)**	**259.43**	**84.27**	**63.35**
पिछले वर्ष	327.88	11.35	0.00	**339.23**	260.64	15.24	0.00	**275.87**	**63.35**	**67.24**

सकल ब्लॉक (पिछले आईजीएएपी के अनुसार) 31.03.2025 को ₹594.27 करोड़ एवं 31.03.2024 को ₹606.94 करोड़ था। परिसंपत्तियों में कोई ह्रास हानि नहीं हुई।

नोट [4बी] - गैर वर्तमान परिसंपत्तियां
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	जैसा पर मार्च 31, 2025	जैसा पर मार्च 31, 2024
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	33.73	26.04
कुल	33.73	26.04

(₹ करोड़ में)

विकासाधीन अमूर्त संपत्तियों की आयु निर्धारण अनुसूची - 31 मार्च 2025	निम्नलिखित अवधि के लिए विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति की राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
चल रही परियोजनाएं	7.69	20.04	3.46	2.54	33.73
अस्थायी रुप से स्थगित परियोजनाएं	-	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ (जो अतिदेय हैं या जिनकी लागत मूल योजना की तुलना में अधिक हो गई है)- 31 मार्च, 2025 को	निम्नलिखित अवधि में पुरा किया जाना है				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
चल रही परियोजनाएं	-	-	-	-	-
अस्थायी रुप से स्थगित परियोजनाएं	-	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

विकासाधीन अमूर्त संपत्तियों की आयु निर्धारण अनुसूची - 31 मार्च, 2024 को	निम्नलिखित अवधि के लिए विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति की राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
चल रही परियोजनाएं	20.03	3.47	-	2.54	26.04
अस्थायी रुप से स्थगित परियोजनाएं	-	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

विकासाधीन अमूर्त संपत्तियों (जो अतिदेय हैं या जिनकी लागत मूल योजना की तुलना में अधिक हो गई है) - 31 मार्च, 2024 को	निम्नलिखित अवधि में पुरा किया जाना है				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
चल रही परियोजनाएं	-	-	-	-	-
अस्थायी रुप से स्थगित परियोजनाएं	-	-	-	-	-

नोट [5] - गैर वर्तमान परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियां - निवेश

संयुक्त उपक्रमों में निवेश पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 6 देखें एवं गैर-व्युत्पन्न वित्तीय विलेखों के लिए नोट [2] का बिंदु 16 देखें।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति			31 मार्च, 2024 की स्थिति		
	शेयरों की संख्या (फ़ेस वैल्यू ₹ में)	राशि		शेयरों की संख्या (फ़ेस वैल्यू ₹ में)	राशि	
I कोटेड इक्विटी उपकरण			-			-
II अनकोटेड इक्विटी उपकरण (पूरी तरह से भुगतान किए गए शेयर)						
(क) संयुक्त उद्यमों में निवेश (लागत पर)						
(i) रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लि.	664040000 (10)		664.04	664040000 (10)		664.04
(ii) बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्रा. लि.	2379999 (10)		2.38	2379999 (10)		2.38
(iii) एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	50000000 (10)	50.00		50000000 (10)	50.00	
घटाएँ: मूल्यह्रास हेतु प्रावधान		50.00	-		50.00	-
(iv) पावरप्लांट परफॉरमेंस इम्प्रूवमेंट लि.	1999999 (10)			1999999 (10)	2.00	
घटाएँ: मूल्यह्रास हेतु प्रावधान					2.00	-
(v) भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड	4900 (10)		5.29			-
(इसमें 5.29 करोड़ रुपये का अनुमानित निवेश शामिल है (पिछले वर्ष: शून्य) यह बिना किसी प्रतिफल के दी गई वित्तीय गारंटी के लिए गारंटी शुल्क के उचित मूल्य को दर्शाता है)						
			671.71			**666.42**
(ख) पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी उपकरणों में निवेश (एफपीटीपीएल पर)						
(i) एपी गैस पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	728960 (10)	0.91		728960 (10)	0.91	
जोड़ें / (घटाएँ) : मूल्यह्रास हेतु प्रावधान		0.91	0.00		0.28	1.19
(ii) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.	1892 (10)	*		1892 (10)	*	
सहकारी समितियों में हिस्सेदारी #			#			#
कुल			**671.71**			**667.60**
* ₹1 लाख से कम मूल्य						
अनकोटेड निवेश की कुल राशि			722.62			719.33
निवेश के मूल्य में कुल हानि की सकल राशि			50.91			51.73

विभिन्न कर्मचारी सहकारी समितियों में धारित इक्विटी शेयर, जिनका मूल्य ₹1 लाख से कम हो।

संयुक्त उद्यमों एवं सहायक कंपनियों के बारे में जानकारी

विवरण	देश जहां निगमन हुआ	31 मार्च 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति (पुन:घोषित)*
संयुक्त उद्यम का नाम (जेवीसी)		स्वामित्व का अनुपात (%)	
बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्रा. लि. (बीजीजीटीएस)	भारत	एक शेयर 50% से कम	एक शेयर 50% से कम
एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. (एनबीपीपीएल)		50%	50%
रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लि. (आरपीसीएल)		22.14%	22.14%
पावरप्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट लिमिटेड (पीपीआईएल)		एक शेयर 50% से कम	एक शेयर 50% से कम
भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लि. (बीसीजीसीएल)		49%	-

(i) एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. में निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान कुल वित्तीय स्थिति के आधार पर ₹50.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹50.00 करोड़ तक) की सीमा तक किया गया है। 28 जनवरी 2025 को आयोजित अपनी 566वीं बैठक में बीएचईएल निदेशक मंडल ने एनबीपीपीएल के विलोपन की बीएचईएल निदेशक मंडल द्वारा 08.02.2018 को आयोजित अपनी 494वीं बैठक में दी गई सैद्धांतिक मंजूरी को रद्द करने की मंजूरी दी और एनबीपीपीएल द्वारा 1×800 मेगावाट एयूएससी प्रौद्योगिकी आधारित प्रौद्योगिकी प्रदर्शन संयंत्र (टीडीपी) के कार्यान्वयन को शुरु करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी।

(ii) मैसर्स पावर प्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट लिमिटेड अभी भी परिसमापन प्रक्रिया में है। परिसमापन प्रक्रिया के अनुसार, बीएचईएल को पीपीआईएल में अपने ₹2 करोड़ के इक्विटी निवेश के बदले वित्त वर्ष 2024-25 में ₹0.87 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है।

(iii) नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) में निवेश का निपटान वित्त वर्ष 2022-23 में किया गया है और वित्त वर्ष 2023-24 तक 26.22 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है, 5.76 करोड़ रुपये के बिक्री प्रतिफल की शेष राशि, जो आकस्मिक देयता के लिए रखी गई है, को चालू वित्त वर्ष में निवेश की बिक्री पर लाभ के रूप में दर्ज किया गया है, जिसमें 0.64 करोड़ रुपये का ब्याज और 0.28 करोड़ रुपये का अर्जित ब्याज शामिल है, जैसा कि टाटा स्टील लिमिटेड (एनआईएनएल के खरीदार) से प्राप्त सूचना के अनुसार है कि होल्ड बैक राशि को 3 एफडीआर के तहत रखा गया है, जिस पर ब्याज भी अर्जित हो रहा है और अर्जित ब्याज पर टीडीएस वित्त वर्ष 2024-25 के लिए होल्ड राशि में बीएचईएल शेयर के अनुपात में बीएचईएल को आवंटित किया गया है।

(iv) बीएचईएल ने ₹662 करोड़ की कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान की है, जो भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड (बीसीजीसीएल) द्वारा प्राधिकरण को देय दायित्वों के निर्वहन के लिए भारत के राष्ट्रपति को ₹1350 करोड़ के वित्तीय प्रोत्साहन के 49% तक देनदारियों को सीमित करती है। यह कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) द्वारा 12.03.2025 को हुए कोल गैसीफिकेशन प्लांट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट के तहत गठित एक संयुक्त उद्यम कंपनी है।

नोट [6] - वित्तीय परिसंपत्तियाँ - व्यापार प्राप्य

वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास की सामग्री लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 14 को देखें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति		31 मार्च, 2024 की स्थिति	
	गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
असुरक्षित, शोध्य	3351.23	6566.49	3601.58	5344.68
ऋणक्षति (बी एंड डी ऋणों के लिए भत्तों में शामिल)	8474.83	693.22	11682.32	544.70
	11826.06	**7259.71**	**15283.90**	**5889.38**
घटाएंः अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते	8779.48	1375.36	12059.21	1104.00
कुल व्यापार प्राप्य	**3046.58**	**5884.35**	**3224.69**	**4785.38**
व्यापार प्राप्य के मूल्यह्रासहेतु सरलीकृत दृष्टिकोण का पालन किया जाता है, वर्गीकरण भारतीय लेखा मानक 109 के अनुरुप किया जाता है। व्यापार प्राप्य में शामिल हैं:				
(क) निदेशकों से प्राप्य	-	-	-	-
(ख) अधिकारियों से प्राप्य	-	-	-	-

नोट (i) : व्यापार प्राप्य में ग्राहक एसटीपीजी (पूर्व में एनईसी सूडान) से 211 करोड़ रुपये (25.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की अतिदेय राशि शामिल है, जो गृहयुद्ध के कारण अटकी हुई थी, लेकिन इसे शोध्य माना गया और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया (बोर्ड द्वारा अनुमोदित)। यदि राशि का प्रावधान किया गया होता तो 'कर-पूर्व लाभ' पर प्रभाव ₹211 करोड़ होता।

गैर-वर्तमान व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची - 31 मार्च 2025 तक

(₹ करोड़ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					बिल नहीं किया गया	भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं है	कुल
	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
I) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - शोध्य	67.22	22.35	272.28	233.90	756.66	-	-	1352.41
II) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडीट इंपेयर्ड	-	-	-	-	-	-	-	-
III) विवादित व्यापार प्राप्य - शोध्य	6.89	16.56	81.34	8.93	1885.10	-	-	1998.82
IV) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडीट इंपेयर्ड	121.06	120.92	159.70	147.46	7925.69	-	-	8474.83

वर्तमान व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची - 31 मार्च 2025 तक

(₹ करोड़ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					बिल नहीं किया गया	भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं है	कुल
	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
I) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - शोध्य	4827.68	577.21	753.85	225.97	181.78	-	-	6566.49
II) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडीट इंपेयर्ड	-	-	-	-	-	-	-	-
III) विवादित व्यापार प्राप्य - शोध्य	-	-	-	-	-	-	-	-
IV) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडीट इंपेयर्ड	5.60	1.11	4.25	1.96	680.30	-	-	693.22

गैर-वर्तमान व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची - 31 मार्च 2024 तक

(₹ करोड़ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					बिल नहीं किया गया	भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं है	कुल
	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
I) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - शोध्य	80.11	202.23	251.34	154.46	1173.65	-	-	1861.79
II) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडीट इंपेयर्ड	-	-	-	-	-	-	-	-
III) विवादित व्यापार प्राप्य - शोध्य	65.26	37.02	10.28	5.34	1621.89	-	-	1739.79
IV) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडीट इंपेयर्ड	173.55	83.73	281.82	305.34	10837.88	-	-	11682.32

वर्तमान व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची - 31 मार्च 2024 तक

(₹ करोड़ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					बिल नहीं किया गया	भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं है	कुल
	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
I) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - शोध्य	4009.53	638.13	387.24	142.68	167.10	-	-	5344.68
II) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडीट इंपेयर्ड	-	-	-	-	-	-	-	-
III) विवादित व्यापार प्राप्य - शोध्य	-	-	-	-	-	-	-	-
IV) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडीट इंपेयर्ड	2.72	1.42	9.65	19.58	511.33	-	-	544.70

नोट[7] - वित्तीय परिसंपत्तियाँ अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास की सामग्री लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 14 को देखें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति		31 मार्च, 2024 की स्थिति	
	गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
सुरक्षा जमा				
एसईबी, पोर्ट ट्रस्ट और अन्य के पास जमा				
असुरक्षित, शोध्य	101.45	91.91	100.83	58.27
क्रेडिट इंपेयर्ड	8.02	12.80	3.40	12.93
	109.47	**104.71**	**104.23**	**71.20**
घटाएँ: खराब एवं संदिग्ध जमा के लिए भत्ते	8.02	12.80	3.40	12.93
	101.45	**91.91**	**100.83**	**58.27**
जारी किए गए बीजी हेतु मार्जिन मनी के लिए सावधि जमा	**614.50**	**-**	105.27	-
बैंक जमा पर अर्जित ब्याज	-	**141.00**	-	**122.86**
कर्मचारियों को अग्रिम	-	68.29	-	59.00
घटाएँ: खराब एवं संदिग्ध अग्रिम के लिए भत्ते	-	0.44	-	0.31
	-	**67.85**	**-**	**58.69**
कुल	**715.95**	**300.76**	**206.10**	**239.82**
शामिल:				
देय निदेशकों से	-	-	-	-
अधिकारियों से	-	0.01	-	0.01

नोट[8] - गैर वर्तमान परिसंपत्तियां
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (देनदारियों को छोड़कर)

आयकर पर सामाग्री लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 13 को देखें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति	31 मार्च, 2024 की स्थिति
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
प्रावधान	2439.70	2614.51
भुगतान के आधार पर देय राशि की अनुमति	451.21	520.72
कर योग्य हानि पर	1187.80	1012.04
अन्य	62.43	78.85
उप योग	**4141.14**	**4226.12**
घटाएँ: आस्थगित कर देयताएं		
मूल्यह्रास (पीपी एंड ई एवं अमूर्त परिसंपत्ति)	73.42	**24.86**
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (देनदारियों को छोड़कर)	**4067.72**	**4201.26**

आस्थगित कर शेषों में संचालन

(₹ करोड़ में)

विवरण	01 अप्रैल 2024 तक शेष राशि*	प्रतिधारित आय में स्वीकृत	लाभ और हानि खाते का विवरण	ओसीआई से स्वीकृत	31 मार्च 2025 को शेष राशि
आस्थगित कर परिसंपत्तियां					
प्रावधान	2614.51	-	(174.81)	-	**2439.70**
भुगतान के आधार पर देय राशि की अनुमति	520.72	-	(124.50)	54.99	**451.21**
कर योग्य हानि पर	1012.04	-	175.76	-	**1187.80**
अन्य	78.85	-	(16.42)	-	**62.43**
उप योग	**4226.12**	**-**	**(139.97)**	**54.99**	**4141.14**
घटाएँ: आस्थगित कर देयताएं					
मूल्यह्रास (पीपी एंड ई एवं अमूर्त परिसंपत्ति)	24.86	-	48.56	-	73.42
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (देनदारियों को छोड़कर)	**4201.26**	**-**	**(188.53)**	**54.99**	**4067.72**

नोट[9] - अन्य परिसंपत्तियां

परिसंपत्तियों की हानि पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 14 का संदर्भ लें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति		31 मार्च, 2024 की स्थिति	
	गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
संविदा परिसंपत्तियाँ (बिना बिल वाले राजस्व सहित)				
आरक्षित, शोध्य	14483.07	16759.98	14585.00	14342.73
क्रेडिट का इंपेयर्ड (बी एंड डी ऋणों हेतु भत्ते में शामिल)	3633.32	127.58	3635.34	441.72
	18116.39	**16887.56**	**18220.34**	**14784.45**
घटाएँ : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते	4450.81	1109.01	4924.61	1,332.64
उप योग (क)	13665.58	15778.55	13295.73	13451.81
सुरक्षा जमा				
कर प्राधिकारणों एवं अन्य के पास जमा				
आरक्षित, शोध्य	53.48	410.71	65.54	337.13
आरक्षित, संदिग्ध	35.20	69.89	39.88	72.04
	88.68	480.60	105.42	409.17
घटाएँ: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	35.20	69.89	39.88	72.04
उप योग (ख)	**53.48**	**410.71**	**65.54**	**337.13**
ऋण एवं अग्रिम				
आरक्षित, शोध्य				
क्रय के लिए अग्रिम (विक्रेता एवं सब कोंट्रैक्टर	172.56	92.90	128.33	37.55
इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य	-	1645.96	-	1293.31
वसूली योग्य दावे एवं अन्य	179.28	1027.27	197.79	790.00
पूंजी अग्रिम	4.08	-	2.30	-
असुरक्षित, अशोध्य				
क्रय के लिए अग्रिम (विक्रेता एवं सब कोंट्रैक्टर)	16.23	6.34	11.10	27.92
इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य	-	6.40	-	7.66
वसूली योग्य दावे एवं अन्य	515.36	205.20	372.60	161.00
पूंजी अग्रिम	0.58	-	-	-
	888.09	**2984.07**	**712.12**	**2317.44**
घटाएँ: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों व अग्रीमों के लिए प्रावधान	532.17	217.94	383.70	196.58
उप कुल (ग)	**355.92**	**2766.13**	**328.42**	**2120.86**
कुल (क+ख+ग)	**14074.98**	**18955.39**	**13689.69**	**15909.80**

नोट (i): रिपोर्टिंग तिथि तक देनदारों में आरवीयूएनएल/सूरतगढ़ 7 एवं 8 परियोजना (2*660 मेगावाट) (परीक्षण संचालन से 3 वर्ष से अधिक) के प्रति ₹208 करोड़ का शुद्ध बकाया शामिल है। वसूली के आधार पर प्रावधान का सृजन विवेकपूर्ण नहीं है, क्योंकि ग्राहक ने डिलीवरी विस्तार के लिए संशोधन जारी किया है तथा पुष्टि की है कि भुगतान प्रक्रियाधीन है तथा शीघ्र ही राशि भेज दी जाएगी। इसके अलावा, ग्राहक ने 08.05.2025 को ₹40 करोड़ की राशि का भुगतान भी किया है। यदि राशि का प्रावधान किया गया होता, तो 'कर-पूर्व लाभ' पर शुद्ध प्रभाव ₹168 करोड़ होता।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति		31 मार्च, 2024 की स्थिति	
	गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
I) निर्विवाद संविदा परिसंपत्तियां – शोध्य	11423.52	16759.98	11592.50	14342.73
II) निर्विवाद संविदा परिसंपत्तियां – क्रेडिट इम्पेयर्ड	-	-	-	-
III) विवादित संविदा परिसंपत्तियां – शोध्य	3059.55	-	2992.50	-
IV) विवादित संविदा परिसंपत्तियां – क्रेडिट इम्पेयर्ड	3633.32	127.58	3635.34	441.72
कुल	**18116.39**	**16887.56**	**18220.34**	**14784.45**
ऋण एवं अग्रिम में शामिल हैं:				
(क) निदेशकों से प्राप्य	**-**	**-**	-	-
(ख) अधिकारियों से प्राप्य	**-**	**-**	-	-

नोट [10] – चालू परिसंपत्तियाँ
माल सूची

माल सूची के मूल्यांकन पर सामग्री लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 7 को देखें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति		31 मार्च, 2024 की स्थिति	
कच्चा माल एवं उपकरण	3726.37		2866.04	
मार्गस्थ में सामग्री	358.87	4085.24	203.29	3069.33
चल रहा कार्य		5369.49		3917.74
(उप-ठेकेदारों वाली मदों सहित)				
तैयार माल	485.92		414.31	
इंटर- डिविसन ट्रांसफर इन ट्रांसिट	119.98	605.90	89.18	503.49
स्टोर एवं स्पेयर पार्टस्				
उत्पादन	204.17		150.51	
ईंधन स्टोर	8.26		5.49	
विविध	57.22	269.65	58.64	214.64
अन्य माल सूची				
फैब्रिकेटर्स/ठेकेदारों के पास सामग्री	121.65		105.00	
टूल्स एवं औजार	23.88		19.20	
स्क्रैप (अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर)	159.45	304.98	173.33	297.53
		10635.26		**8002.73**
घटाएँ : अचल माल सूची के लिए प्रावधान		765.77		782.16
कुल		**9869.49**		**7220.57**
नोट:				
माल सूची का बट्टाकरण		48.77		105.78
घटाएँ: इसके उलट		65.41		67.41
शुद्ध		(16.64)		38.37

नोट [11] – चालू परिसंपत्तियाँ
वित्तीय परिसंपत्तियाँ - नकद और नकद समकक्ष

नकदी और नकदी समकक्ष पर सामग्री लेखा नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 17 देखें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति		31 मार्च, 2024 की स्थिति	
बैंकों में शेष				
ईईएफ़सी खाता	112.92		284.68	
3 माह या कम समय में परिपक्व होने वाली सावधि जमा	199.00		-	
चालू/ नगद क्रेडिट खाता *	121.79	433.71	1547.21	1831.89
चेक, डिमांड ड्राफ्ट ऑन हैंड		3.55		3.08
नकदी एवं स्टाम्प ऑन हैंड		0.07		0.07
मार्गस्थ रेमिटेंसेज		1.88		-
कुल		**439.21**		**1835.04**

* विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए एस्क्रो (एस्करो) खाते में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹48 करोड़ और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ₹116.18 करोड़ शामिल हैं।

नोट [12] - चालू परिसंपत्तियाँ
वित्तीय परिसंपत्तियाँ - बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति		31 मार्च, 2024 की स्थिति	
3 महीने से अधिक परंतु 12 महीने से अधिक कम की परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा		6618.06		3739.65
जारी बीजी के लिए मार्जिन मनी के नामे सावधि जमा		431.45		462.06
बैंक में बकाया राशि (निर्धारित):				
सीजी II सीईएफ़सी खाता एवं अन्य	5.76		9.70	
दावा न किया गया लाभांश खाता	1.35		1.74	
अप्रत्यावर्तनीय खाता	0.66		0.65	
बोनस अंक पर आंशिक शेयरों की बिक्री से आय	-		0.03	
संरचना खाता	0.14		0.14	
बीएचईएल खाते में न्यायालय के पास सावधि जमा	111.08		106.07	
सीएसआर	4.70	123.69	2.39	120.72
उप कुल		**7173.20**		**4322.43**
कुल नकदी और बैंक में जमा राशि [11 + 12]		**7612.41**		**6157.47**

नोट [13] - चालू परिसंपत्तियाँ
चालू कर परिसंपत्तियाँ / (देयताएँ) (शुद्ध)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति	31 मार्च, 2024 की स्थिति
अग्रिम कर एवं टीडीएस	149.57	254.20
घटाएँ: कराधान के प्रावधान	12.20	25.13
कुल	**137.37**	**229.07**

नोट[14] - इक्विटी
इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति		31 मार्च, 2024 की स्थिति	
	शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य ₹ में)	राशि	शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य ₹ में)	राशि
इक्विटी शेयर पूंजी				
प्राधिकृत	10000000000 (2)	2000.00	10000000000 (2)	2000.00
जारी, सब्सक्राइब्ड और पूर्णतः प्रदत्त	3482063355 (2)	696.41	3482063355 (2)	696.41
क) बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या का पुनर्मिलान				
वर्ष की शुरुआत में शेष	3482063355	696.41	3482063355	696.41
जोड़ें/(घटाएँ): वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष	3482063355	696.41	3482063355	696.41
ख) शेयरधारकों द्वारा वर्ष के अंत में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरों का विवरण				
भारत के राष्ट्रपति (प्रमोटर)	2199650402	63.17%	2199650402	63.17%
वर्ष के दौरान प्रमोटर होल्डिंग में प्रतिशत परिवर्तन		Nil		Nil
भारतीय जीवन बीमा निगम	233921477	6.72%	284736920	8.18%
प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)		2.00		2.00

ग) इक्विटी शेयरों से जुड़े नियम /अधिकार

कंपनी के पास केवल ₹2 प्रति शेयर (पिछले वर्ष ₹2 प्रति शेयर) के बराबर मूल्य वाली श्रेणी के इक्विटी शेयरों है । प्रत्येक इक्विटी शेयरों धारक को प्रति शेयर एक वोट का पात्र है।

नोट [15] - अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति	31 मार्च, 2024 की स्थिति
पूंजीगत कोष	35.18	35.18
पूंजी मोचन कोष	37.87	37.87
सामान्य कोष	30476.66	30476.66
प्रतिधारित आय	(5551.67)	(5977.59)
ओसीआई (परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मापन)	(581.44)	(417.94)
कुल	**24416.60**	**24154.18**

उपरोक्त प्रत्येक विशिष्ट शीर्ष के तहत जोड़े और कटौती के लिए, SOCIE (इक्विटी में परिवर्तन का विवरण) देखा जा सकता है।

कोष का स्वरूप एवं उद्देश्य:

(क) पूंजी कोष: यह मुख्य रुप से बीएचईएल के साथ तत्कालीन सहायक कंपनी (एचपीवीपी) के समामेलन के दौरान भुगतान की गई मुआवजे की लागत से अधिक निवल संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है।

(ख) पूंजी मोचन आरक्षित निधि: कंपनी ने अपने सामान्य रिज़र्व से इक्विटी शेयरों की पुनर्खरीद पर पूंजी मोचन रिज़र्व को मान्यता दी है। पूंजी मोचन रिज़र्व में राशि, पुनर्खरीद किए गए इक्विटी शेयरों की नाममात्र राशि के बराबर होती है।

(ग) सामान्य आरक्षित निधि: यह भविष्य के (ज्ञात/अज्ञात) दायित्वों को पूरा करने के लिए कंपनी द्वारा रखे गए लाभ के संचय को प्रतिनिधित्व करता है।

(घ) **प्रतिधारित आय:** प्रतिधारित आय वह लाभ है जो कंपनी ने आज तक अर्जित किया है, जिसमें से सामान्य रिज़र्व में स्थानांतरण, लाभांश या शेयरधारकों को अन्य वितरण को घटाया जाता है।

(ङ) **शुद्ध परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मापन:** योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय और वास्तव में प्राप्त प्रतिफल के बीच अंतर, तथा योजनाओं के भीतर बीमांकिक धारणा या अनुभव समायोजन में परिवर्तन के कारण वर्ष के दौरान देयताओं में हुए किसी भी परिवर्तन को 'अन्य व्यापक आय' में मान्यता दी जाती है और इन्हें बाद में लाभ और हानि विवरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

नोट [16] – वित्तीय देयताएँ – पट्टा देयताएँ

पट्टे पर लेखा नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 3 को देखें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति		31 मार्च, 2024 की स्थिति	
	गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
पट्टा देयताएं	162.39	57.21	23.55	24.91
कुल	**162.39**	**57.21**	**23.55**	**24.91**

पट्टे के संबंध में / और अधिक विवरण नोट [35] में दिया गया है ।

नोट [17] - वित्तीय देयताएँ -व्यापार देय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति		31 मार्च, 2024 की स्थिति	
	गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
व्यापार देयताएं				
(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया राशि	-	1430.24	-	1000.59
(ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया राशि	2170.79	8075.21	2292.76	7502.15
(iii) स्वीकृत	-	35.47	-	36.64
कुल	**2170.79**	**9540.92**	**2292.76**	**8539.38**

(₹ करोड़ में)

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति	31 मार्च, 2024 की स्थिति
(i) लेखांकन वर्ष के अंत में बकाया के रूप में आपूर्तिकर्ता का मूलधन *	1466.85	1013.82
(ii) लेखा वर्ष के अंत तक आपूर्तिकर्ता को बकाया, देय ब्याज	-	-
(iii) वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान के साथ, धारा 16 के संदर्भ में दिए गए ब्याज की राशि	-	-
(iv) भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय एवं dene योग्य ब्याज की राशि (जो वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद भुगतान किया गया है) लेकिन इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज जोड़े बिना।	-	-
(v) वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज की राशि एवं वर्ष के अंत में आदत्त शेष।	-	-
(vi) कटौती योग्य व्यय के रुप में अस्वीकृति के उद्देश्य के लिए बाद के वर्षों में भी बकाया एवं देय ब्याज की राशि जब तक कि, उपरोक्त ब्याज देय राशि वास्तव में लघु उद्यमों को भुगतान नहीं की जाती।	-	-

* यहां बकाया के रूप में दिखाई गई राशि में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को नोट 17 और 18 में दर्शाई गई राशि शामिल है। यहाँ दिखाई गई राशि 31 मार्च, 2025 को अनुबंधित भुगतान के लिए देय नहीं है।

गैर-वर्तमान व्यापार देय आयु निर्धारण अनुसूची - 31 मार्च, 2025 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				बिल नहीं हुआ बकाया	जो भुगतान के लिए अभी तक देय नही $	कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
I) एमएसएमई के अलावा	-	-	-	-	8.32	1829.59	1837.91
II) विवादित बकाया - एमएसएमई के अलावा*	-	-	-	14.73	0.09	318.06	332.88

वर्तमान व्यापार देय आयु निर्धारण अनुसूची - 31 मार्च, 2025 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				जिनका बिल नहीं हुआ बकाया	जो भुगतान के लिए अभी तक देय नही $	कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
I) एमएसएमई	0.06	-	-	-	136.37	1289.82	1426.25
II) अन्य	166.63	8.65	2.73	3.21	1763.13	6154.34	8098.69
III) विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-	3.99	3.99
IV) विवादित बकाया - एमएसएमई के अलावा*	-	-	-	-	7.18	4.81	11.99

गैर-वर्तमान व्यापार देय आयु निर्धारण अनुसूची - 31 मार्च, 2024 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				जिनका बिल नहीं हुआ बकाया	जो भुगतान के लिए अभी तक देय नही $	कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
I) एमएसएमई के अलावा	0.01	0.04	0.14	-	7.81	1863.77	1,871.77
II) ववािदत बकाया - एमएसएमई के अलावा*	9.24	0.30	0.58	231.73	0.09	179.05	420.99

वर्तमान व्यापार देय आयु निर्धारण अनुसूची - 31 मार्च, 2024 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				जिनका बिल नहीं हुआ बकाया	जो भुगतान के लिए अभी तक देय नही $	कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
I) एमएसएमई	4.01	-	-	-	122.36	873.07	999.44
II) अन्य	495.55	18.32	15.13	19.48	1781.67	5198.29	7528.44
III) विवादित बकाया - एमएसएमई*	-	-	-	-	-	1.15	1.15
IV) विवादित बकाया - अन्य*	-	-	-	7.00	-	3.35	10.35

$ भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं, वह राशि है जो अनुबंध के आधार पर रोक कर रखी गई है और जिसका भुगतान लक्ष्यों की प्राप्ति पर किया जाएगा।
* बकाया का विवरण अनुबंध में नियत देय तिथि के आधार पर दिया गया है, लेकिन इनका भुगतान तभी किया जाएगा जब विवाद का समाधान उनके पक्ष में होगा।

नोट [18] - वित्तीय देयताएं - अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक		31 मार्च 2024 तक	
	गैर -वर्तमान	वर्तमान	गैर-वर्तमान	वर्तमान
ठेकेदारों तथा अन्य से जमा राशि	413.11	716.19	397.01	623.50
देयताएं:				
- कर्मचारियों का बकाया	-	152.41	-	353.32
- पूंजीगत व्यय~	9.68	131.02	10.86	114.90
- अन्य	-	212.24	-	374.89
भुगतान नहीं किया गया लाभांश*	-	1.35	-	1.74
उधार पर अर्जित ब्याज	-	27.31	-	24.97
वित्तीय गारंटी दायित्व	-	5.29	-	-
कुल	**422.79**	**1245.81**	**407.87**	**1493.32**

~इसमें एमएसएमई के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान रु. 36.61 करोड़ और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रु. 13.23 करोड़ शामिल हैं।

*वर्ष के अंत में निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरित करने के लिए कोई राशि देय और बकाया नहीं है।

नोट [19] – प्रावधान

कर्मचारी लाभ और प्रावधानों पर सामग्री लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 10 और 11 का संदर्भ लें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक		31 मार्च 2024 तक	
	गैर -वर्तमान	वर्तमान	गैर-वर्तमान	वर्तमान
संविदागत दायित्व	1349.46	422.32	1373.26	448.91
कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान *	1028.48	855.64	903.47	1228.15
अन्य प्रावधान	206.09	534.18	212.35	639.07
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व **	1.53	3.17	-	2.14
कुल	**2585.56**	**1815.31**	**2489.08**	**2318.27**

*कर्मचारी लाभों पर अधिक स्पष्टीकरण नोट [25] में उपलब्ध है।

**सीएसआर व्यय पर स्पष्टीकरण नोट [26] के बिन्दु (vii)] के अनुसार है।

नोट [20] - अन्य देयताएं

सरकारी अनुदानों पर सामग्री लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 12 का संदर्भ लें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक		31 मार्च 2024 तक	
	गैर -वर्तमान	वर्तमान	गैर-वर्तमान	वर्तमान
संविदागत देयताएं (ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि, जिसमें राजस्व से अधिक बिलिंग भी शामिल है)	9742.94	5550.73	4063.35	3070.10
वैधानिक बकाया के लिए देयताएं	-	1220.75	-	989.83
आस्थगित आय – सरकारी अनुदान#	50.96	5.15	39.42	3.43
कुल	9793.90	6776.63	4102.77	4063.36

संयंत्र की स्थापना, मॉड्यूल के विनिर्माण एवं कॉमन इंजीनियरिंग फेसिलिटी सेंटर योजना, न्युक्लियर पंप टेस्ट फेसिलिटी के लिए सरकारी अनुदान प्राप्त हुआ है।

नोट [21] – चालू देयताएं
वित्तीय देयताएं - उधार

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
प्रतिभूति सुरक्षित		
बैंकों से ऋण	8795.00	8808.00
(कच्चे माल, घटकों के दृष्टिबंधक द्वारा प्रतिभूति, प्रगतिशील कार्य, तैयार माल और भंडार)		
उप-कुल (क)	**8795.00**	**8808.00**
असुरक्षित प्रतिभूति (ख)	-	-
कुल उधार (क+ख)	**8795.00**	**8808.00**

(i) मंजूर ऋण-सीमाओं का विवरण

विवरण	मंजूर ऋण-सीमाएं (रु./ करोड़)	अल्पप्रयोग 31 मार्च 2025 तक		मंजूर ऋण-सीमाएं (रु./ करोड़)	अल्पप्रयोग 31 मार्च 2024 तक	
		मूल्य (रु./ करोड़)	अल्पप्रयोग %		मूल्य (रु./ करोड़)	अल्पप्रयोग %
गैर फंड आधारित सीमाएं	**70500**	**52371.47**	**74.29%**	**51000**	**35096**	**68.82%**
बैंक गारंटी #	67000	49122.10	73.32%	48000	32828	68.39%
क्रेडिट पत्र (क्रेता क्रेडिट सहित)	3500	3262.00	93.20%	3000	2268	75.60%
फंड आधारित सीमाएँ	**9500**	**8795.00**	**92.58%**	**9000**	**8808**	**97.87%**
डब्ल्यूसीडीएल		8795.00			8808	
पीसीएफसी		NIL			NIL	
वाणिज्य पत्र	**5000**	**NIL**		**5000**	**NIL**	

उपरोक्त में से, ₹19.84 करोड़ की बैंक गारंटी बीसीजीसीएल की ओर से जारी की गई, जो कोल इंडिया लिमिटेड और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है।

दिनांक 26.03.2025 से कुल सहायता संघ सीमा (फंड आधारित + नॉन फंड आधारित) ₹60,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹80,000 करोड़ कर दी गई है तथा यह कच्चे माल, कम्पोनेंटस, प्रगतिशील कार्य, तैयार माल, भंडार, व्यापार, प्राप्य राशि एवं अन्य वर्तमान और भविष्य दोनों संपत्ति के दृष्टिबंधक के माध्यम से प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत है।

वाणिज्यिक पत्र अप्रतिभूत अल्पावधि उधार की प्रकृति के होते हैं।

(ii) बैंकों से ₹8795 करोड़ का ऋण WSDL (कार्यशील पूंजी माँग ऋण) को दर्शाता है । (पिछले वर्ष ₹8808 करोड़)

(iii) कंपनी को किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(iv) कंपनी द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थानों को दाखिल तिमाही रिटर्न या चालू परिसंपत्तियों का विवरण लेखा बहियों के अनुरुप है ।

(v) दिनांक 31.03.2025 तक बकाया स्वयं के दायित्वों के लिए दी गई कॉर्पोरेट गारंटी ₹315 करोड़ (पिछले वर्ष ₹328 करोड़) है ।

(vi) वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न ऋण में परिवर्तन।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
प्रारंभिक शेष (नकद ऋण को छोड़कर)	8808.00	5385.00
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	(13.00)	3423.00
अंतिम शेष (नकद ऋण को छोड़कर)	**8795.00**	**8808.00**

वित्तपोषण गतिविधियों के कारण पट्टा देयता में परिवर्तन के लिए, नोट संख्या [35 (बी)] देखें।

नोट [22]
परिचालनों से राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व पर सामग्री लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 8 का संदर्भ लें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व		
निर्माण और परियोजना संबंधी गतिविधि से राजस्व	18478.11	15888.42
उत्पाद एवं अन्य सेवाओं की बिक्री	8877.06	7032.10
कुल (क)	**27355.17**	**22920.52**
अन्य परिचालन आय		
भाडा व बीमा	158.18	163.78
स्क्रैप बिक्री	270.51	249.20
आपूर्तिकर्ताओं से वसूली	228.55	220.12
रिटन बैंक देयताएं	182.94	161.16
बीमा दावे	34.67	28.83
निर्यात प्रोत्साहन	4.07	10.20
अन्य	105.39	138.97
कुल (ख)	**984.31**	**972.26**
परिचालन से राजस्व (क + ख)	**28339.48**	**23892.78**
परिचालन से प्राप्त राजस्व में माल एवं सेवा कर शामिल नहीं है::	4551.81	3786.00

नोट [23]
अन्य आय

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व पर सामग्री लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 8 का संदर्भ लें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय		
बैंकों से	374.63	345.35
अन्य	28.00	148.43
उप-कुल (क)	**402.63**	**493.78**
लाभांश आय		
संयुक्त उद्यमों में निवेश पर लाभांश (दीर्घकालिक व्यापार)	38.08	41.65
उप-कुल (ख)	**38.08**	**41.65**
अन्य आय		
निवेश की बिक्री पर लाभ	5.76	0.80
कैप्टिव उपयोग के लिए सोलर पीवी प्लांट पर सरकारी अनुदान/ सीईएफसी	8.99	15.62
पीपीई और पूंजी भंडार की बिक्री से लाभ (शुद्ध)	13.46	8.92
अन्य	34.47	27.15
उप-कुल (ग)	**62.68**	**52.49**
कुल अन्य आय (क + ख + ग)	**503.39**	**587.92**

नोट [24]
तैयार माल, कार्य प्रगति पर एवं स्क्रैप की मालसूची में परिवर्तन [(वृद्धि) / कमी]

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	
काम प्रगति पर				
अंतिम शेष	5371.51		3917.74	
प्रारंभिक शेष	3917.74	**(1453.77)**	3482.75	**(434.99)**
तैयार माल				
अंतिम शेष	485.94		414.31	
प्रारंभिक शेष	414.31	**(71.63)**	422.57	**8.26**
स्क्रैप				
अंतिम शेष	159.45		173.33	
प्रारंभिक शेष	173.33	**13.88**	163.30	**(10.03)**
मार्गस्थ में अंतर-प्रभागीय अंतरण		**(30.80)**		**0.02**
(वृद्धि) / कमी		**(1542.32)**		**(436.74)**

टिप्पणी [25]
कर्मचारी लाभ व्यय

कर्मचारी लाभ पर पर सामग्री लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 10 का संदर्भ लें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी, बोनस, भत्ते एवं अन्य लाभ	5029.68	4802.44
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	493.10	451.80
कर्मचारी कल्याण व्यय	292.27	248.10
ग्रेच्युटी फंड में अंशदान	103.49	120.52
समूह बीमा	4.88	5.98
कुल	**5923.42**	**5628.84**

नोट [26]
अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	
विद्युत व ईंधन		490.64		452.20
अन्य उप- अनुबंधों पर व्यय		288.10		262.63
कैरिज आउटवर्ड		244.24		199.95
सुरक्षा एजेंसियों को भुगतान		165.57		155.22
मरम्मत एवं रखरखाव:				
भवन	52.70		43.15	
प्लांट व मशीनरी	39.86		34.26	
अन्य	124.79	217.35	95.51	172.92
बीमा		225.69		139.72
यात्रा व परिवहन		106.96		105.22
बैंक प्रभार		157.75		96.35
अनुसंधान एवं विकास संबंधी व्यय		11.65		9.95
भाड़ा व्यय		59.70		55.01
कोलाबोरेशन एवं रॉयल्टी पर व्यय		58.35		60.41
दर एवं कर		42.37		25.21
कार्यालय व्यय		30.88		29.83
कौशल विकास पर व्यय		15.67		13.49
विधि, लेखापरीक्षा एवं प्रमाणन व्यय		41.48		55.15
ईडीपी, सॉफ़्टवेयर व लीज लाइन व्यय		25.94		16.64
जल प्रभार		20.44		23.39
गैर आवासीय किराया		3.04		2.59
निर्यात से संबंधित व्यय		1.60		14.12
मनोरंजन एवं शिष्टाचार पर व्यय		3.24		3.54
पर्यावरण संरक्षण		6.08		5.53
सेमिनार, विकास और प्रशिक्षण व्यय		4.77		4.47
इक्विटी शेयर के निवेश में अप्राप्त हानि		-		1.94
प्रचार एवं जनसंपर्क संबंधी व्यय		2.29		3.08
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व		6.72		-
विविध खर्च		76.16		78.01
मुद्रा विनिमय से परिवर्तन [शुद्ध (लाभ) / हानि]		(135.38)		(105.20)
प्रावधान एवं बट्टे खाते (विवरण, नीचे बिंदु संख्या vi पर)		158.04		(1037.14)
कुल		**2329.34**		**844.23**

नोट [26]
अन्य व्यय (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
आगे की जानकारी:		
(i) कानूनी, लेखा परीक्षा और प्रमाणन व्यय में शामिल:		
सांविधिक लेखा परीक्षकों का भुगतान :		
लेखा परीक्षा शुल्क	1.07	1.07
कर लेखा परीक्षा	0.24	0.24
तिमाही सीमित समीक्षा एवं अन्य	0.70	0.65
लेखापरीक्षा व्यय	0.16	0.16
लागत लेखा परीक्षकों को शुल्क का भुगतान	0.16	0.16
(ii) निदेशकों का शुल्क	0.12	0.20
(iii) विभागीय मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय:		
प्लांट एवं मशीनरी	195.91	175.27
भवन	26.91	28.01
अन्य	31.33	28.60
(iv) अनुसंधान एवं विकास पर व्यय	132.98	126.08
(v) विदेश यात्राओं पर व्यय		
दौरों की संख्या	193.00	220
व्यय	6.81	5.10

(vi) प्रावधान एवं बट्टे खाते:

(परिसंपत्तियों के ह्रास और प्रावधान पर सामग्री लेखांकन नीति के लिए नोट[2] के बिंद 11 एवं 14 का संदर्भ लें।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	
संदिग्ध ऋण, निर्णित हर्जाना और ऋण, अग्रिम और जमा				
वर्ष के दौरान सृजित	1880.92		3271.76	
घटाएं: वर्ष के दौरान निकासी	4564.01	(2683.09)	1819.13	1452.63
संविदात्मक दायित्व				
वर्ष के दौरान सृजित	410.04		109.43	
घटाएं: वर्ष के दौरान निकासी	607.49	(197.45)	2693.53	(2584.10)
अन्य प्रावधान				
वर्ष के दौरान सृजित	197.81		320.56	
घटाएं: वर्ष के दौरान निकासी	310.59	(112.78)	292.40	28.16
बट्टे खाते में डाला गया निवेश		1.15		-
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण		552.39		19.94
निर्णित हर्जाने और वसूला गया संविदात्मक प्रभार		2573.11		29.59
बट्टे खाते में डाली गई हानि		24.71		16.64
प्रावधान और बट्टे खाते में डाले गए कुल		**158.04**		**(1037.14)**

(vii) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा डीपीई से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, अपनी सीएसआर नीति में कंपनी को प्रत्येक वित्त वर्ष में अपने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित शुद्ध लाभ के औसत का कम से कम 02% व्यय करना आवश्यक है। वर्ष के दौरान किए गए सीएसआर व्यय का विवरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
क. वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि	6.72	-
ख. पिछले वर्ष से उपलब्ध राशि	-	6.15
ग. कुल (क+ख)	**6.72**	**6.15**
घ. वर्ष के दौरान निम्न पर व्यय राशि- -		
(i) किसी भी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	2.02	4.01
कुल	**2.02**	**4.01**
अग्रेनीत राशि:	4.70	2.14
वर्तमान	3.17	2.14
गैर- वर्तमान	1.53	-

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सीएसआर की रु. 2.14 करोड़ की अव्ययित राशि दिनांक 29.04.2024 को प्रधानमंत्री राहत कोष में स्थानांतरित कर दी गई।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	
	नकद में	नकद भुगतान किया जाना है	नकद में	नकद भुगतान किया जाना है
(i) किसी भी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-	-
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	1.21	0.81	3.97	0.04
कुल	**1.21**	**0.81**	**3.97**	**0.04**
सीएसआर गतिविधियों का प्रकार	स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, उत्तरदायित्व और समावेशिता, आपदा राहत, जल, जैव विविधता, कार्बन और अपशिष्ट प्रबंधन			

वित्त वर्ष 2024-25 में चल रही परियोजनाओं पर अव्ययित राशि रु. 4.70 करोड़ को कंपनी (सीएसआर नीति) संशोधन नियम, 2021 के अनुसार, दिनांक 30.04.2025 को एक अलग बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है और इस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा रहा है।

नोट [27]
वित्त लागत

उधार लेने की लागत और प्रावधानों पर सामग्री लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 5 और 11 देखें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	
वाणिज्यिक पत्र पर छूट		5.31		8.77
प्रावधानों की समाप्ति		33.70		121.38
ब्याज लागत				
बैंक / वित्तीय संस्थान	667.46		595.05	
पट्टा दायित्व पर	11.28		4.38	
अन्य	30.51	709.25	1.67	601.10
वाणिज्यिक पत्र जारी करने पर अन्य व्यय		0.07		0.04
उप-कुल		**748.33**		**731.29**
घटाएँ : पूंजीगत उधार लागत		-		-
कुल		**748.33**		**731.29**

नोट [28]
कर व्यय

आयकर पर सामग्री लेखांकन नीति के नोट [2] के बिंदु 13 का संदर्भ लें।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	
वर्तमान कर				
वर्तमान वर्ष के लिए	7.69		30.72	
पहले के वर्षों के लिए	15.47	23.16	(143.28)	(112.56)
आस्थगित कर				
वर्तमान वर्ष के लिए	195.69		59.69	
पहले के वर्षों के लिए	(7.15)	188.54	13.31	73.00
कुल		**211.70**		**(39.56)**

नोट [29]
अन्य व्यापक आय / (व्यय)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
आय/(व्यय)		
परिभाषित कर्मचारी लाभों का पुनःपरिकलन	(218.49)	(110.13)
घटाएं : उपरोक्त मदों से संबंधित आयकर*	(54.99)	(27.72)
कुल	**(163.50)**	**(82.41)**
* सम्मिलित है :		
वर्तमान कर	-	-
आस्थगित कर	(54.99)	(27.72)

आयकर व्यय और लेखांकन लाभ (टीसीआई) का आयकर दर से गुणा करने के बाद समायोजन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
कर पूर्व कुल व्यापक आय / (हानि) (टीसीआई) (क)	506.18	110.20
सांविधिक आयकर की दर (ख)	25.168%	25.168%
कर व्यय [ग = (कxख)]	127.40	27.74
के कारण अंतर: (घ)		
व्यय पर कर प्रभाव कर उद्देश्यों के लिए कटौती योग्य नहीं है	21.11	34.95
विशेष दर पर कर योग्य आय के कारण कर में अंतर	(0.12)	-
कर व्यय में परिवर्तन - पिछले वर्षों में	8.32	(129.97)
उप-कुल (घ)	**29.31**	**(95.02)**
शुद्ध कर व्यय [ङ = (ग+घ)]	**156.71**	**(67.28)**

नोट [30]
प्रति शेयर आय

प्रति शेयर आय परसामग्री लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 19 का संदर्भ लें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
इक्विटी शेयरधारकों को होने वाला लाभ/(हानि)	512.97	259.89
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	348.21	348.21
मूल और मिश्रित आय ₹2 प्रति शेयर	**1.47**	**0.75**

नोट [31]
प्रति शेयर लाभांश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश जिसे देयता के रूप में नहीं माना गया है		
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश ₹0.50 प्रति शेयर (वित्त वर्ष 2023- 24 ₹0.25 प्रति शेयर)।	174.10	87.05

इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम बैठक में कंपनी के शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है और बैलेंस शीट की तारीख में देयता के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

नोट [32]
आकस्मिक देनदारियां और प्रतिबद्धताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
क. आकस्मिक देनदारियां		
कंपनी के विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया:		
(क) बिक्री कर के मामले	894.45	1243.96
(ख) सेवा कर के मामले	431.21	700.83
(ग) न्यायालय एवं मध्यस्थता के मामले	825.36	883.87
(घ) उत्पाद शुल्क के मामले	84.53	174.03
(ङ) सीमा शुल्क एवं अन्य मामले	942.71	897.19
(च) माल & सेवा कर	37.47	13.63
(छ) अन्य मामले (विवादित स्टाफ मामलों सहित)	149.99	105.40
(ज) निर्णित हर्ज़ानि (एलडी) के अंतर्गत दावे	2942.39	3926.30
कुल	**6308.11**	**7945.21**

(i) कंपनी द्वारा विभिन्न न्यायालयों में विवादित मामलों, मुकदमों और दावों को देखते हुए, संसाधनों के बहिर्वाह का इस स्तर पर पता लगाना संभव नहीं है। आम तौर पर, न्यायालय और मध्यस्थता मामलों की आकस्मिक देयताएं अवार्ड/न्यायालय के निर्णय पर निर्भर होता है और आकस्मिक देयता के मामले दर मामले के आधार पर समीक्षा भी की जाती है।

(ii) संबंधित कार्यवाहियों में समाधान के लंबित होने के मद (क) से (छ), यदि कोई हो, के संबंध में वास्तविक नकदी बहिर्वाह के समय का अनुमान लगाना कंपनी के लिए व्यावहारिक नहीं है। हालांकि, नकदी के बहिर्वाह की संभावना आकस्मिक है।

(iii) निर्णीत हर्ज़ाना, परियोजनाओं के निष्पादन में देरी के कारण ग्राहक द्वारा रोके गए संभावित दावों या राशि को दर्शाता है, जिसका निपटान देरी विश्लेषण के आधार पर परियोजना के चालू होने और परीक्षण संचालन के बाद किया जाता है और इसका प्रकटीकरण भारतीय लेखा मानक-37 के अनुरुप किया जा रहा है।

(iv) **आकस्मिक देनदारियों में परिवर्तन:**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
वर्ष के प्रारंभ में शेष	7945.21	7306.80
घटाएं : प्रारंभिक शेष से कटौती	2040.18	1308.15
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन (शुद्ध)	403.08	1946.55
वर्ष के अंत में शेष	**6308.11**	**7945.21**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
ख. प्रतिबद्धताएं		
(क) अनुबंधों की अनुमानित राशि, अग्रिमों को घटाकर, शेष पूंजी खाते में निष्पादित की जानी है और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।	542.33	298.77
(उपरोक्त में अमूर्त परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित मामले भी सम्मिलित हैं)	112.77	59.43
(ख) संयुक्त उद्यम इकाई (एनबीपीपीएल) में निवेश जिसके लिए कंपनी के पास निगमन / परियोजना के वाणिज्यिक संचालन / परियोजना की पहली इकाई / पहले ईपीसी अनुबंध के पूरा होने की तिथि से पांच वर्षों तक उनके निपटान पर प्रतिबंध है, जैसा भी मामला हो। इस निवेश के लिए पूरी तरह से प्रावधान किया गया है।	50.00	50.00
(ग) बीएचईएल ने संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) के गठन के लिए 28 फरवरी 2024 को मेसर्स कोल इंडिया लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जेवीए के अनुसार, बीएचईएल का 4 वर्षों की अवधि (एक वर्ष की पूर्व-निर्माण अवधि के बाद) में जेवीसी में 1732 करोड़ रुपये का इक्विटी योगदान देगा।	1732.00	1,732.00

(घ) व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए, चूंकि यह दीर्घकालिक निर्माण अनुबंध है, इसलिए सामग्री की खरीद आदि के लिए अन्य प्रतिबद्धताएं भी होंगी, जिन्हें सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया माना गया है

नोट [33]

कंपनी ने 1 अप्रैल, 1999 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) से 30 वर्ष की अवधि पर एमोर्फस सिलिकॉन सोलर सेल प्लांट (एएसएससीपी), गुड़गांव को पट्टे पर लिया था। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के साथ औपचारिक पट्टा समझौते को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

नोट [34]

व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, ठेकेदारों के अग्रिम, जमा और स्टॉक/सामग्री, उप-ठेकेदारों/ /फैब्रिकेटरों के पास दर्शाई गई शेष राशि की पुष्टि, सुलह और अनुवर्ती समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं। कंपनी दीर्घकालिक निर्माण अनुबंधों के व्यवसाय में है, ग्राहक द्वारा अनुमोदित बिलिंग शेड्यूल के अनुरूप अनुबंध के अनुसार ग्राहकों को बिल जारी किए जाते हैं और समाधान निरंतर आधार पर किया जाता है और जहाँ भी आवश्यक समझा जाता है, प्रावधान किए जाते हैं। ग्राहक के साथ अंतिम समाधान परियोजना के पूरा होने पर किया जाता है (परीक्षण संचालन और पीजी परीक्षण पूरा होने पर)। पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं की व्यापार प्राप्य राशि रु. 6051 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 7906 करोड़) है। पूर्ण हो चुके अनुबंधों में से, ग्राहकों के साथ समाधान की गई परियोजनाओं में रु. 4278 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 4943 करोड़) का बकाया व्यापार प्राप्य है।

नोट [35]
पट्टों पर प्रकटीकरण – इंड एएस 116

पट्टों पर प्रतिबद्धताएं - पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी के महत्वपूर्ण पट्टे समझौते भूमि, भवन और ईडीपी उपकरणों के संबंध में हैं। कंपनी ने कंप्यूटर आइटम, प्रिंटर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण और पेरिफे रल्स पट्टा व्यवस्था के लिए दर अनुबंध किया है। पट्टे पर ली गई संपत्तियों को पूंजीकृत किया जाता है तथा संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के उपयोग के अधिकार का संपत्ति के रूप में अलग से प्रकटीकरण किया जाता है। पट्टा रेंटल को ब्याज, रखरखाव और मूलधन मूल्य के बीच आवंटित किया जाता है। ब्याज और रखरखाव शुल्क लाभ - हानि के विवरण पर लगाए जाते हैं और मूल राशि को पट्टा देयताओं के साथ समायोजित किया जाता है।

कंपनी ने निम्नलिखित उपलब्ध व्यावहारिक उपाय लागू किए हैं :

(i) ऐसे पट्टे, जिनकी पट्टा अवधि 12 माह से कम है, के लिए अल्पकालिक पट्टा छूट।

(ii) अल्पमूल्य (50,000 से कम मूल्य की परिसंपत्तियां) के परिसंपत्तियों के पट्टों के लिए अल्पमूल्य पट्टा छूट

क) पट्टा देयताओं का आयु-वार विश्लेषण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य में न्यूनतम पट्टा भुगतान		ब्याज		न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य [पीवी]	
	31 मार्च 2025 की स्थिति	31 मार्च 2024 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति	31 मार्च 2024 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति	31 मार्च 2024 की स्थिति
अधिकतम 1 वर्ष तक#	66.81	26.33	14.95	2.72	51.86	23.61
1 वर्ष के बाद एवं 5 वर्ष के भीतर	187.08	23.04	24.86	0.99	162.22	22.05
5 वर्ष से अधिक	3.03	4.46	2.85	2.96	0.18	1.50

उन पट्टों के संबंध में, जहां दिनांक 31 मार्च 2025 के अंत तक शेष पट्टा अवधि 12 महीने से कम है, भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान की राशि 8.03 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 9.18 करोड़ रुपये) है।

ख) वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पट्टा देनदारियों में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	निम्नलिखित तिथि तक	
	31 मार्च , 2025	31 मार्च , 2024
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार पट्टा देयताएं *	48.45	68.50
जोड़े: परिवर्धन	215.22	14.62
जोड़े: ब्याज की वृद्धि	11.28	4.38
घटाएं: भुगतान/समायोजन	55.35	39.05
पट्टा 31 मार्च की स्थिति के अनुसार पट्टा देयताएं *	219.60	48.45

*31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 तक क्रमशः ₹5.34 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1.29 करोड) और ₹1.29 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1.66 करोड़) का अर्जित ब्याज शामिल है ।

ग) लाभ एवं हानि विवरण में मान्य राशियाँ :

(₹ करोड़ में)

विवरण	निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय	0.63	2.10
कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे से संबंधित व्यय	0.92	1.11
उपयोग की गई परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास प्रभार	51.89	27.51
ब्याज व्यय (वित्त लागत में शामिल)	11.28	4.38

घ) कंपनी के पास विभिन्न पट्टा अनुबंध हैं जो अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। इन गैर-रद्द करने योग्य पट्टा अनुबंधों के लिए भविष्य के पट्टा भुगतान इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
अधिकतम 1 वर्ष तक	2.25	1.20
1 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष के भीतर	12.03	4.81
5 वर्ष से अधिक	0.75	-

नोट [36]

'कर्मचारी लाभ' पर प्रकटीकरण - इंड एएस 19

क. कंपनी के पास परिभाषित लाभ योजनाओं के रूप में निम्न योजनाएं हैं :

i) वित्त पोषित (ग्रेच्युटी) योजना

ii) सेवानिवृत्ति के उपरांत स्वास्थ्य योजना

iii) भविष्य निधि योजना

iv) सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ते का दावा

(i) ग्रेच्युटी (वित्त पोषित योजना)

कंपनी के पास एक परिभाषित लाभ (ग्रेच्युटी) योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने निरंतर पाँच वर्ष या उससे अधिक सेवा की है, वह सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन (15/26 x अंतिम आहरित मूल वेतन और महंगाई भत्ता) पर ग्रेच्युटी का हकदार है, अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये है। उपदान (ग्रेच्युटी) देयताएं भविष्य के भुगतानों के लिए होती है, जो सेवानिवृत्ति, सेवा के दौरान मृत्यु या त्यागपत्र की स्थिति में देने की आवश्यकता होती है। देयता का आकलन इकाई क्रेडिट बीमांकिक (यूनिट क्रेडिट एक्चुरियल) विधि का उपयोग करके किया गया है।

ग्रेच्युटी योजना पर शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित लाभ देयताएं		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता	
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
प्रारंभिक शेष	**1921.07**	**1850.22**	**1534.45**	**1453.48**	**386.62**	**396.74**
वर्ष के लाभ में सम्मिलित :						
वर्तमान सेवा लागत	95.16	91.16	-	-	95.16	91.16
विगत सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
ब्याज लागत /(आय)	139.28	136.92	(130.95)	(107.56)	8.33	29.36
वर्ष के लिए लाभ में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**234.44**	**228.08**	**(130.95)**	**(107.56)**	**103.49**	**120.52**
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में सम्मिलित :						
पुनर्मापन हानि / (लाभ):						
निम्नलिखित से उत्पन्न बीमांकिक हानि / (लाभ):						
जनसांख्यिकीय अनुमान में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
वित्तीय अनुमान में परिवर्तन	95.31	29.74	-	-	95.31	29.74
अनुभव समायोजन	(62.11)	(25.66)	11.70	(9.72)	(50.41)	(35.38)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**33.20**	**4.08**	**11.70**	**(9.72)**	**44.90**	**(5.64)**
अन्य						
नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया अंशदान	-	-	**402.63**	**125.00**	**(402.63)**	**(125.00)**
लाभ का भुगतान	**163.35**	**161.31**	**163.35**	**161.31**	-	-
अंतिम शेष	**2025.35**	**1921.07**	**1892.98**	**1534.45**	**132.38**	**386.62**

नियोजित परिसंपत्तियों का विवरण

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधि *	82.44%	81.69%
उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बांड (उद्धृत	1.93%	15.38%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां (उद्धृत)	2.30%	2.84%
बैंक शेष	13.33%	0.09%
कुल	**100.00%**	**100.00%**

*भारतीय जीवन बीमा निगम बीमाकर्ता है।

बीमांकिक अनुमान

रिपोर्टिंग तिथि पर प्रमुख बीमांकिक अनुमान निम्नलिखित थे:

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
आर्थिक अनुमान :		
छूट की दर	6.79%	7.25%
वेतन वृद्धि दर	पहले 4 वर्षों के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रति वर्ष	पहले 4 वर्षों के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रति वर्ष
जनसांख्यिकीय अनुमान:		
सेवानिवृत्ति आयु	60	60
मृत्युदर तालिका %	आईएएलएम का 100% (2012-14)	आईएएलएम का 100% (2012-14)
निकासी दर % (सभी आयु वर्ग)		
30 वर्ष तक	3%	3%
31 से 44 वर्ष तक	1%	1%
44 वर्ष से अधिक	1%	1%

संवेदनशीलता विश्लेषण

महत्वपूर्ण मूल अनुमानों में परिवर्तन के कारण परिभाषित लाभ देयताओं की परिवर्तनशीलता इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान (ग्रेच्युटी)			
	31 मार्च 2025 तक		31 मार्च 2024 तक	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर में परिवर्तन (0.50% संचलन)	(103.29)	112.09	(96.30)	104.67
वेतन वृद्धि दर में परिवर्तन (0.50% संचलन)	32.42	(39.42)	31.29	(37.52)

मृत्यु दर और निकासी कोई परिणाम परिवर्तक घटक नहीं हैं और इसलिए इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जाती है।

भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति से पूर्व पेंशन की वृद्धि दर और जीवन प्रत्याशा के रुप में संवेदनशीलताएं लागू नहीं होती हैं।

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण एक ऐसी प्रणाली के आधार पर निर्धारित किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मूल अनुमानों में होने वाले पर्याप्त परिवर्तनों के परिणामस्वरुप निर्धारित लाभ देयता पर प्रभाव को बढ़ाती है। यह विश्लेषण निर्धारित लाभ देयताओं में वास्तविक परिवर्तन का उदाहरण नहीं हो सकता है क्योंकि कुछ अनुमानों में अलग-अलग परिवर्तन हो सकता है और कुछ अनुमान एक दूसरे से सम्बद्ध हो सकते हैं ।

आगामी वर्षों में उपदान योजना की अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान(ग्रेच्युटी)	
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
1 वर्ष के भीतर	150.30	158.20
1-2 वर्ष के बीच में	124.94	125.81
2-3 वर्ष के बीच में	109.47	111.49
3-4 वर्ष के बीच में	100.29	98.46
4-5 वर्ष के बीच में	88.88	89.43
5-6 वर्ष के बीच में	69.68	78.90
6 वर्ष से अधिक	1381.79	1258.78
कुल	**2025.35**	**1921.07**

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए ग्रेच्युटी योजनाओं में अपेक्षित योगदान ₹125.54 करोड़ है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ग्रेच्युटी परिभाषित लाभ योजना देयताओं की भारित औसत अवधि 14.39 वर्ष (31 मार्च 2024: 14.83 वर्ष) है।

जोखिम विवरण

मूल्यांकन कुछ गतिशील प्रकृति के अनुमानों पर आधारित हैं, और समय के साथ बदलते रहते हैं। इस प्रकार, कंपनी को वेतन में वृद्धि, निवेश जोखिम, छूट दर, मृत्यु दर, विकलांगता और निकासी जैसे विभिन्न जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

(ii) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (वित्त पोषित योजना)

कंपनी में सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) की सुविधा है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी को कंपनी के अस्पतालों/सूचीबद्ध अस्पतालों में कंपनी के चिकित्सा नियमों के अधीन चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा में बाह्य-रोगी के रुप में भी उपचार प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए देयताओं का अनुमान वार्षिक रुप से वास्तविक (एक्युरियल) मूल्यांकन आधार पर किया जाता हैं।

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना पर शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयताओं में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित लाभ देयताएं		नियोजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता	
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
प्रारंभिक शेष	**2376.14**	**2249.60**	**1903.77**	**1831.92**	**472.37**	**417.68**
वर्ष के लाभ में सम्मिलित :						
वर्तमान सेवा लागत	45.84	44.73	-	-	45.84	44.73
विगत सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
ब्याज लागत /(आय)	172.27	166.47	(159.24)	(135.56)	13.03	30.91
वर्ष के लाभ में स्वीकृत कुल राशि	**218.11**	**211.20**	**(159.24)**	**(135.56)**	**58.87**	**75.64**
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में सम्मिलित:						
पुनर्मापन हानि / (लाभ):						
बीमांकिक हानि / (लाभ से उत्पन्न):						
जनसांख्यिकीय अनुमान	-	-	-	-	-	-
वित्तीय अनुमान	106.52	34.69	-	-	106.52	34.69
अनुभव समायोजन	38.24	81.94	10.86	(12.58)	49.10	69.36
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**144.76**	**116.63**	**10.86**	**(12.58)**	**155.62**	**104.05**
अन्य						
नियोक्ता द्वारा किया गया अंशदान	**-**	**-**	**250.00**	**125.00**	**(250.00)**	**(125.00)**
भुगतान किए गए लाभ	**241.34**	**201.29**	**241.34**	**201.29**	**-**	**-**
अंतिम शेष	**2497.67**	**2376.14**	**2060.81**	**1903.77**	**436.86**	**472.37**

कंपनी की नियोजित परिसंपत्तियों का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा एक ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है, जिसका प्रबंधन कंपनी द्वारा कंपनी के दायित्वों को वित्तपोषित करने के लिए ली गई बीमा पॉलिसी के रूप में किया जाता है।

बीमांकिक अनुमान

रिपोर्टिंग तिथि पर प्रमुख बीमांकिक अनुमान निम्नलिखित थे:

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
आर्थिक अनुमान :		
छूट की दर	6.79%	7.25%
वेतन वृद्धि दर	पहले 4 वर्षों के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रति वर्ष	पहले 4 वर्षों के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रति वर्ष
जनसांख्यिकीय अनुमान:		
सेवानिवृत्ति की आयु	60	60
मृत्यु दर तालिका %	100% आईएएलएम (2012-14)	100% आईएएलएम (2012-14)
निकासी दरें % (सभी आयु वर्ग)		
30 वर्ष तक	3%	3%
31 से 44 वर्ष तक	1%	1%
44 वर्ष से अधिक	1%	1%

संवेदनशीलता का विश्लेषण

महत्वपूर्ण प्रमुख अनुमानों में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ देयताओं की संवेदनशीलता निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ			
	31 मार्च 2025 तक		31 मार्च 2024 तक	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर में परिवर्तन (0.50% संचलन)	(148.04)	150.42	(124.67)	129.20
लागत में परिवर्तन (0.50% संचलन)	156.28	(146.42)	131.61	(125.77)

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलता भौतिक नहीं है, इसलिए परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जा सकती है।

उपर्युक्त संवेदनशीलता का विश्लेषण एक ऐसी विधि के आधार पर किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मूल अनुमानों में होने वाले उचित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप निर्धारित लाभ देयता पर प्रभाव को बढ़ाती है। यह विश्लेषण निर्धारित लाभ देयताओं में वास्तविक परिवर्तन का उदाहरण नहीं हो सकता है क्योंकि कुछ अनुमानों में अलग-अलग परिवर्तन हो सकता है और कुछ अनुमान एक दसूरे से संबद्ध हो सकते हैं।

भविष्य के वर्षों में सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना की अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

Particulars	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
1 वर्ष के भीतर	263.08	201.18
1-2 वर्ष के बीच में	286.01	218.72
2-3 वर्ष के बीच में	293.75	224.64
3-4 वर्ष के बीच में	304.64	232.96
4-5 वर्ष के बीच में	318.98	243.93
5-6 वर्ष के बीच में	330.81	252.98
6 वर्ष से अधिक	700.40	1001.73
कुल	**2497.67**	**2376.14**

31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना में अपेक्षित योगदान ₹64.59 करोड़ हैं।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना दायित्व की भारित औसत अवधि 12.67 वर्ष (31 मार्च 2024: 12.53 वर्ष) है।

जोखिम विवरण (एक्सपोजर)

मूल्यांकन कुछ अनुमानों पर आधारित हैं, जो प्रकृति में परिवर्तनशील हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं। इस प्रकार कंपनी को विभिन्न जोखिमों का सामना करना पड़ता है जैसे चिकित्सा लागत में वृद्धि, निवेश जोखिम, छूटदर, मृत्युदर, विकलांगता और निकासी।

(iii) भविष्य निधि

कंपनी एक अलग ट्रस्ट को पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि में निश्चित अंशदान देती है, जो इस राशि को अनुमत प्रतिभूतियों में निवेश करता है। कंपनी का दायित्व है कि वह सदस्यों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिफल दर सुनिश्चित करे। तदनुसार, कंपनी ने एक्चुअरी की रिपोर्ट प्राप्त की है। एक्चुअरी मूल्यांकन प्रमाणपत्र देयताओं के अनुसार जहां भी संभावित ब्याज की कमी उत्पन्न हो, उसके लिए, लेखाओं में इसका प्रावधान किया गया है।

पीएफ ट्रस्ट में ब्याज की कमी का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के अंत तक	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
वर्ष के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पीएफ ब्याज देयताओं में अधिकता/(कमी)	(25.88)	9.97
एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर पीएफ ब्याज देयताओं में कमी के लिए संचित प्रावधान	44.01	18.13
पुन: परिकलन लाभ/(हानि) अन्य व्यापक आय विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त	(16.97)	(9.17)
ब्याज की कमी / (अधिशेष) लाभ और हानि विवरण के माध्यम से हिसाब	8.91	(19.14)

कंपनी के पास विभिन्न स्थानों पर पीएफ ट्रस्ट हैं जो कंपनी के कर्मचारियों को सेवा प्रदान करते हैं और अलग से प्रबंधित होते हैं, नियोजित परिसंपत्तियों और देयताओं का विवरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

जगह	निर्धारित लाभ देयताएं		नियोजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		अधिशेष / (कमी)	
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
बीएचईएल ईपीएफ ट्रस्ट, रानीपुर , हरिद्वार	1986.34	1824.36	2000.26	1841.54	13.92	17.18
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि - तिरुची	1084.17	988.93	1075.96	986.19	(8.21)	(2.74)
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि - भोपाल	1719.01	1629.83	1705.24	1625.11	(13.77)	(4.72)
बीएचईएल नई दिल्ली कर्मचारी भविष्य निधि न्यास	1520.79	1493.90	1514.16	1491.75	(6.63)	(2.15)
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि - हैदराबाद	887.48	901.38	918.33	917.02	30.85	15.64
बीएचईएल पीपीडी ईपीएफ ट्रस्ट, चेन्नई	1021.78	955.03	1006.38	946.51	(15.40)	(8.52)
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि - बेंगलुरु	679.89	637.68	694.38	653.29	14.49	15.61
बीएचईएल (बीएपी यूनिट) ईपीएफ ट्रस्ट, रानीपेट	321.18	322.00	329.80	323.44	8.62	1.44
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट, झांसी	512.75	494.82	526.07	508.78	13.32	13.96
भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसेल्स लिमिटेड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि – विशाखापत्तनम	160.10	152.27	201.56	192.31	41.46	40.04
कुल	**9893.49**	**9400.20**	**9972.14**	**9485.94**	**78.65**	**85.74**

भविष्य निधि पर शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट (समेकित)			
	निर्धारित लाभ दायित्व		नियोजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
प्रारंभिक शेष	**9400.20**	**8933.68**	**9485.94**	**9009.99**
वर्ष के लिए लाभ में सम्मिलित:				
वर्तमान सेवा लागत	389.44	369.63	-	-
ब्याज लागत / (आय)	765.59	724.70	(784.63)	(760.00)
वर्ष के लिए लाभ में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**1,155.03**	**1,094.33**	**(784.63)**	**(760.00)**
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में सम्मिलित:				
पुनर्मापन हानि / (लाभ):				
निम्लिखित से से उत्पन्न बीमांकिक हानि / (लाभ):				
जनसांख्यिकीय अनुमान	-	-	-	-
वित्तीय अनुमान	1.96	0.86	-	0.28
अनुभव समायोजन	(4.75)	29.61	28.91	(4.88)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(2.79)**	**30.47**	**28.91**	**(4.60)**
अन्य				
नियोक्ता द्वारा किया गया अंशदान	**-**	**-**	**389.44**	**369.63**
कर्मचारी अंशदान	**680.29**	**710.44**	**680.29**	**710.44**
भुगतान किया गया हितलाभ	**1,719.39**	**1658.60**	**1,719.39**	**1658.60**
निपटारा/ स्थानांतरण	**380.15**	**289.88**	**380.15**	**289.88**
अंतिम शेष	**9893.49**	**9400.20**	**9972.15**	**9485.94**

टिप्पणी: वर्ष के दौरान घाटे वाले पीएफ ट्रस्टों के संबंध में ब्याज की कमी केवल लाभ-हानि विवरण और अन्य व्यापक आय विवरण के माध्यम से लेखांकित की गई है।
उपरोक्त के अलावा, पुनर्प्राप्ति के सर्वोत्तम संभव मूल्यांकन के आधार पर पीएफ ट्रस्ट निवेश में कमी से संचयी रूप से ₹53.11 करोड़ की कुल वृद्धि भी हुई है।

नियोजित परिसंपत्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ [उद्धृत]	879.15	796.78
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ [उद्धृत]	4983.06	4678.27
कॉर्पोरेट बांड [उद्धृत]	3224.07	3259.15
विशेष जमा [अउद्धृत]	299.98	344.65
लिक्विड फंड [उद्धृत]	6.65	3.76
अल्पावधि जमा [उद्धरण रहित]	111.82	85.76
म्यूचुअल फंड और इक्विटी शेयर [उद्धृत]	467.42	317.58
कुल	**9972.14**	**9485.94**

बीमांकिक अनुमान

रिपोर्टिंग तिथि पर प्रमुख बीमांकिक अनुमान निम्नलिखित थीं:

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
आर्थिक अनुमान:		
छूट दर	6.79%	7.25%
खाता बही पर अपेक्षित वैधानिक ब्याज दर	8.25%	8.25%
निधि पर ब्याज आय में अपेक्षित कमी	0.05%	0.05%
जनसांख्यिकीय अनुमान:		
मृत्यु दर तालिका	100% आईएएलएम (2012-14)	100% आईएएलएम (2012-14)
निकासी दर % (सभी आयु वर्ग)		
30 वर्ष तक	3.00%	3.00%
31 से 44 वर्ष तक	1.00%	1.00%
44 वर्ष से अधिक	1.00%	1.00%

संवेदनशीलता का विश्लेषण

महत्वपूर्ण प्रमुख अनुमानों में परिवर्तन के प्रति परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट			
	31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर में परिवर्तन (0.50% उतार/चढ़ाव)	(2.14)	2.25	(1.80)	1.89

मृत्यु दर और निकासी कोई परिणाम परिवर्तक घटक नहीं हैं, इसलिए इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जाती है।

आगामी वर्षों में अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
अगले 12 महीनों के भीतर	705.69	787.86
2-5 वर्ष के बीच	1796.95	1755.71
5-10 वर्ष के बीच	1547.56	1554.56
10 वर्षों से अधिक	5843.29	5302.07
कुल	**9893.49**	**9400.20**

जोखिम की संभावना

मूल्यांकन कुछ मान्यताओं पर आधारित होते हैं, जो गतिशील प्रकृति के होते हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं। इस प्रकार, कंपनी को निवेश जोखिम में वृद्धि, छूट दर, मृत्यु दर, विकलांगता और निकासी जैसे विभिन्न जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

(iv) सेवानिवृत्ति पर यात्रा दावा - (निपटान भत्ता – गैर वित्त पोषित योजना)

निपटान भत्ता (सेटलमेंट अलाउंस) वह व्यय है जो कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर स्वयं व अपने परिजनों के साथ अथवा सेवा के दौरान मृत्यु होने पर परिजनों को अपने गृह नगर या भारत में किसी भी स्थान पर पुनर्वास करने हेतु यात्रा और सामान के स्थानांतरण पर व्यय के लिए प्रतिपूर्ति किया जाता है।

निपटान भत्ता देनदारी में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	निपटान भत्ता देयता	
	मार्च 31, 2025 तक	मार्च 31, 2024 तक
प्रारंभिक शेष	**15.06**	**13.43**
वर्तमान सेवा लागत	1.08	0.89
ब्याज लागत / (आय)	1.09	0.99
वर्ष के लाभ में सम्मिलित	**2.17**	**1.88**
बीमांकिक हानि / (लाभ)	0.99	2.55
वर्ष के लिए टीसीआई में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**3.16**	**4.43**
अन्य		
नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया अंशदान	-	-
लाभ का भुगतान	**1.23**	**2.80**
अंतिम शेष	**16.99**	**15.06**

बीमांकिक अनुमान

रिपोर्टिंग तिथि पर प्रमुख बीमांकिक अनुमान निम्नलिखित थे

विवरण	निपटान भत्ता	
	मार्च 31, 2025 तक	मार्च 31, 2024 तक
आर्थिक अनुमान :		
छूट की दर	6.79%	7.25%
वेतन वृद्धि दर	पहले 4 वर्षों के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रति वर्ष	पहले 4 वर्षों के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रति वर्ष
जनसांख्यिकीय अनुमान :		
सेवानिवृत्ति की आयु	60	60
मृत्यु दर तालिका	100% of IALM (2012-14)	100% of IALM (2012-14)
निकासी दरें % (सभी आयु वर्ग)		
30 वर्ष तक	3%	3%
31 से 44 वर्ष	1%	1%
44 वर्ष से अधिक	1%	1%

ख. दीर्घावधि अवकाश देयताएं (अर्जित अवकाश –ईएल / अर्धवैतनिक अवकाश-एचपीएल) - (गैर वित्त पोषित योजना)

कंपनी अपने कर्मचारियों को प्रति छमाही में 15 दिन (अधिकतम) अर्जित अवकाश और 10 दिन का अर्धवैतनिक अवकाश प्रदान करती है। सेवा के दौरान अर्जित अवकाश का नकदीकरण कुछ शर्तों के अधीन होता है। कंपनी नीतियों व अवकाश नकदीकरण नियमों के अधीन, सेवानिवृत्ति / अधिवर्षिता आयु पर अर्जित अवकाश और अर्धवैतनिक अवकाश को मिलाकर अधिकतम 300 दिनों तक के अवकाश का नकदीकरण किया जा सकता है। अवकाश देयताओं को अन्य दीर्घकालिक लाभों के रूप में माना गया है और इसका मूल्यांकन परिकल्पित इकाई क्रेडिट बीमांकिक (एक्चुरियल) विधि का उपयोग करके निर्धारित किया गया है।

दीर्घकालिक अवकाश देयता में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	दीर्घकालिक अवकाश देयता	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
प्रारंभिक शेष	**1065.02**	**1037.18**
वर्ष के लिए लाभ में सम्मिलित :		
वर्तमान सेवा लागत	162.56	138.96
ब्याज लागत / (आय)	77.21	76.75
बीमांकिक हानि / (लाभ)	(33.01)	(23.73)
वर्ष के लाभ के रूप में मान्य कुल राशि	**206.76**	**191.98**
लाभ का भुगतान	130.62	164.14
अंतिम शेष	**1141.16**	**1065.02**

बीमांकिक अनुमान

रिपोर्टिंग तिथि पर प्रमुख बीमांकिक अनुमान निम्नलिखित थे।

विवरण	लंबा अवधि छुट्टी देयता	
	जैसा 31 मार्च, 2025 तक	जैसा 31 मार्च, 2024 तक
आर्थिक अनुमान :		
दर की छूट	6.79%	7.25%
वेतन वृद्धि दर	पहले 4 वर्षों के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रति वर्ष	पहले 4 वर्षों के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रति वर्ष
जनसांख्यिकीय अनुमान :		
सेवानिवृत्ति की आयु	60	60
मृत्यु दर तालिका	100% आईएएलएम (2012-14)	100% आईएएलएम (2012-14)
निकासी दरें % (सभी आयु वर्ग)		
30 वर्ष तक	3%	3%
31 से 44 वर्ष	1%	1%
44 वर्ष से अधिक	1%	1%

ग. पेंशन निधि

कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 में पेंशन योजना [परिभाषित अंशदान योजना] के लिए ₹266 करोड़ [पिछले वित्त वर्ष में ₹278 करोड़] का योगदान किया।

नोट [37]
इंड एएस-24 के अनुसार प्रकटीकरण - संबंधित पार्टी

क) संबंधित पार्टियों की सूची

i)	**संयुक्त उद्यम कंपनियां**	बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (बीजीजीटीएस) एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एनबीपीपीएल) रायचुर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरपीसीएल) भारत कोल गैसिफिकशन एवं केमिकल लिमिटेड (बीसीजीसीएल) पावरप्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट लिमिटेड (पीपीआईएल)
	रोजगारोत्तर लाभ योजनाए	भविष्य निधि ट्रस्ट ग्रेच्युटी ट्रस्ट पीआरएमबी ट्रस्ट पेंशन ट्रस्ट
	अन्य	केंद्र सरकार नियंत्रित संस्थाए

कंपनी भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और इसकी अधिकांश हिस्सेदारी भारत सरकार के पास है। महत्वपूर्ण लेन-देन अन्य सार्वजनिक उपक्रमों, सरकारी प्रतिष्ठानों, रेलवे आदि के साथ है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से भारत सरकार द्वारा नियंत्रित हैं । ऐसी संस्थाओं के साथ लेन-देन सामान्य होते हैं, जो बाज़ार संचालित दरों पर आधारित होते हैं।

ii) अन्य संबंधित पार्टी :

क. मुख्य प्रबंधन कार्मिक [केएमपी]

विवरण	पद का नाम	धारित पद [से प्रभावी / तक]
कार्यात्मक निदेशक		
श्री के सदाशिव मूर्ति	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	(01.11.2023 से)
श्री जय प्रकाश श्रीवास्तव	निदेशक (ई, आर एण्ड डी)	(31.12.2024 तक)
श्री कृष्ण कुमार ठाकुर	निदेशक (मा.सं.)	(04.07.2023 से)
श्री तजिंदर गुप्ता	निदेशक (पावर)	(20.09.2023 से)
सुश्री बानी वर्मा	निदेशक (आईएस एण्ड पी)	(09.10.2023 से)
श्री राजेश कुमार द्विवेदी	निदेशक (वित्त)	(19.06.2024 से)
कंपनी सचिव		
श्री राजीव कालरा	कंपनी सचिव	(10.07.2024 तक)
डॉ. योगेश आर छाबड़ा	कंपनी सचिव	(11.07.2024 से)

(₹ करोड़ में)

विवरण	निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को भुगतान		
- अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	3.64	4.31
- सेवोपरांत लाभ	0.78	0.64
- अन्य दीर्घकालिक लाभ	-	-
- सेवामुक्ति के समय लाभ	-	-
- शेयर आधारित भुगतान	-	-
कुल	**4.42**	**4.95**

ख. सरकारी निदेशक/स्वतंत्र प्रभार निदेशक

नाम		धारित पद [से प्रभावी / तक]
श्री विजय मित्तल	सरकारी निदेशक	(25.03.2022 से)
श्रीमती आरती भटनागर	सरकारी निदेशक	(14.02.2023 से)
डॉ. के. शिवप्रसाद	स्वतंत्र प्रभार निदेशक	(01.11.2024 तक)
डॉ. लेखाश्री सामंतसिंघर	स्वतंत्र प्रभार निदेशक	(12.04.2024 तक)
श्री रमेश पटल्या मावस्कर	स्वतंत्र प्रभार निदेशक	(08.06.2023 से)
श्री अशोक आसेरी	स्वतंत्र प्रभार निदेशक	(29.03.2025 से)
श्री आशीष चतुर्वेदी	स्वतंत्र प्रभार निदेशक	(29.03.2025 से

(₹ करोड़ में)

विवरण	निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
बैठक शुल्क -- स्वतंत्र निदेशक	0.12	0.20

ख) सेवोपरांत लाभ योजनाएं जिनका प्रबंधन अलग ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है के साथ लेन-देन

(₹ करोड़ में)

ट्रस्ट का नाम	सेवोपरांत लाभ योजना	नियोक्ता द्वारा अंशदान निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष के लिए	
		31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
पीआरएमबी ट्रस्ट	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना	250.00	125.00
ग्रेच्युटी ट्रस्ट	ग्रेच्युटी	402.63	125.00
कर्मचारी सेवानिवृत्ति निधि	पेंशन निधि	327.59	457.47
बीएचईएल ईपीएफ ट्रस्ट, रानीपुर , हरिद्वार	भविष्य निधि	70.22	60.18
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि - त्रिची	भविष्य निधि	63.50	59.60
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि भोपाल	भविष्य निधि	62.65	59.71
बीएचईएल नई दिल्ली कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	भविष्य निधि	46.51	45.64
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि - हैदराबाद	भविष्य निधि	43.73	44.24
बीएचईएल पीपीडी ईपीएफ ट्रस्ट, चेन्नई	भविष्य निधि	33.55	32.24
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि - बेंगलुरु	भविष्य निधि	29.80	29.47
बीएचईएल (बीएपी यूनिट) ईपीएफ ट्रस्ट, रानीपेट	भविष्य निधि	17.51	17.68
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट, झांसी	भविष्य निधि	14.44	14.14
भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसेल्स लिमिटेड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि – विशाखापत्तनम	भविष्य निधि	7.53	6.73

ग) संयुक्त उद्यमों के साथ लेन-देन का विवरण और शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
उत्पाद एवं सेवाओं की बिक्री		
बीजीजीटीएस	324.31	305.92
आरपीसीएल	5.47	9.30
एनबीपीपीएल	0.11	0.61
लाभांश आय		
बीजीजीटीएस	38.08	41.65
रॉयल्टी आय		
बीजीजीटीएस	1.90	2.03
उत्पाद एवं सेवाओं का क्रय		
बीजीजीटीएस	1.49	1.18
आरपीसीएल	-	0.07
इक्विटी शेयरों का अंशदान		
बीसीजीसीएल (4900 इक्विटी शेयर, रु. 10 प्रति शेयर)	0.00	-
गैर-नकद लेन-देन का मानद निवेश		
बीसीजीसीएल	5.29	-
वर्ष के अंत में बीएचईएल को देय राशि		
बीजीजीटीएस	195.29	138.05
आरपीसीएल	632.82	643.84
एनबीपीपीएल	276.29	277.02
बीसीजीसीएल	0.16	-
वर्ष के अंत में बीएचईएल (अग्रिम सहित) से देय राशि		
बीजीजीटीएस	0.21	0.38
आरपीसीएल	8.17	8.55
एनबीपीपीएल	38.40	41.69
संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान		
बीजीजीटीएस	10.71	10.52
आरपीसीएल	20.73	20.73
एनबीपीपीएल	239.35	222.12

टिप्पणी: निवेश के मूल्य में कमी के प्रावधान के लिए नोट [5] देखें

नोट [38]
प्रकटीकरण [प्रावधानों में संचलन] – इंड एएस 37

(₹ करोड़ में)

क.	परिनिर्धारित हर्जाना	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
	प्रारंभिक शेष	**9166.53**	**8234.67**
	जोड़ें: परिवर्धन	836.65	1165.80
	घटाएँ: उपयोग/ राइट ऑफ/भुगतान	2499.68	21.72
	घटाएँ: निकासी/समायोजन	433.97	212.21
	अंतिम शेष	**7069.53**	**9166.53**

कंपनी के लेखांकन नीति के अनुरुप निर्णित हर्जाने का प्रावधान किया गया है और इसे निपटान या अन्य खातों में उपयुक्त तरीके से समाहित किया जाता है। निर्णित हर्जाने से संबंधित आकस्मिक देयताओं को नोट 32 के पैरा क (ज) में दिखाया गया है।

(₹ करोड़ में)

ख.	संविदात्मक दायित्व	31 मार्च, 2025 को		31 मार्च, 2024 को	
	प्रारंभिक शेष				
	नोट [19] के अनुसार	**1822.17**		**3774.42**	
	नोट [6] के अनुसार	**105.45**		**552.05**	
	नोट [9] के अनुसार	**397.29**	**2324.91**	**462.40**	**4788.87**
	जोड़ें: ऋण लागत		33.70		121.38
	जोड़ें: परिवर्धन		447.70		118.15
	घटाएँ: पीवी समायोजन		36.33		3.81
	घटाएँ: उपयोग/ राइट ऑफ/भुगतान		79.87		106.97
	घटाएँ: निकासी/समायोजन		523.60		2587.80
	जोड़ें/(घटाएँ): अनुमान और दरों में परिवर्तन		(1.33)		(4.91)
	अंतिम शेष				
	नोट [19] के अनुसार	**1771.78**		**1822.17**	
	नोट [6] के अनुसार	**223.85**		**105.45**	
	नोट [9] के अनुसार	**169.54**	**2165.17**	**397.29**	**2324.91**

अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार वारंटी दायित्वों को पूरा करने के लिए, सामग्री लेखा नीति संख्या 11 के अनुरुप मुद्रा के समय मूल्य के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए संविदात्मक दायित्व का प्रावधान किया गया है । संविदा के वारंटी दायित्वों के पूरा होने तक इसे बरकरार रखा जाता है । वारंटी दायित्व पर वास्तविक व्यय अनुबंध दर अनुबंध एवं संबंधित अनुबंध के नियमों और शर्तों के आधार पर वर्ष दर वर्ष भिन्न हो सकते हैं । पूरी तरह से प्रदान की गई परियोजनाओं से बकाया राशि से संबंधित संविदात्मक दायित्व नोट [6] और [9] में बी एंड डी ऋणों के लिए गैर चालू भत्ते में दर्शाया गया है ।

कंपनी ने संविदात्मक दायित्वों के विरुद्ध प्रावधान को हटाने के लिए अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव किया है, जहाँ भी प्रदर्शन गारंटी (पीजी) परीक्षण अनुबंध के अनुसार पूर्व-आवश्यक शर्त नहीं है। तदनुसार, वर्ष के दौरान रु. 118.47 करोड़ के प्रावधान की निकासी की गई, जिसके परिणामस्वरुप लाभ में वृद्धि हुई।

नोट [39]
प्रकटीकरण - ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व - इंड एएस- 115

क. क्षति प्रावधानों में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25		2023-24	
	व्यापार प्राप्य	अनुबंध परिसंपत्तियां	व्यापार प्राप्य	अनुबंध परिसंपत्तियां
प्रारंभिक शेष	**5192.66**	**3979.22**	**4322.46**	**4652.34**
जोड़ें: परिवर्धन	650.00	224.88	1519.23	254.95
घटाएं : बट्टा	484.18	92.50	26.55	1.26
घटाएं : लौटाया /समायोजन किया गया	559.92	509.60	622.48	926.80
अंतिम शेष	**4798.55**	**3602.00**	**5192.66**	**3979.22**

ख. ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व का विभाजन

(₹ करोड़ में)

विवरण	पॉवर		उद्योग		कुल
	भारत के अंदर	भारत के बाहर	भारत के अंदर	भारत के बाहर	
2024-25					
ग्राहकों से राजस्व					
राजस्व प्राप्ति का समय					
(क) एक समय पर (उत्पाद/सेवाएं)	3782.90	64.31	4895.91	133.94	8877.06
(ख) ओवर टाइम (परियोजनाएं)	16138.30	266.87	2068.00	4.94	18478.11
2023-24					
ग्राहकों से राजस्व					
राजस्व प्राप्ति का समय					
(क) एक समय पर (उत्पाद/सेवाएं	3324.43	61.58	3603.94	42.14	7032.10
(ख) ओवर टाइम (परियोजनाएं)	13737.26	586.36	1562.54	2.25	15888.42

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25		2023-24	
	पॉवर	उद्योग	पॉवर	उद्योग
ग्राहकों से राजस्व				
सीपीएसयू	9227.07	2776.16	6888.04	2096.72
अडानी समूह	2553.12	-	103.78	-
टेनजेडको	1587.36	-	1631.90	-
टीएसजेनको	1578.55	-	2834.77	-

ग. अनुबंध शेष (प्रावधानों को छोड़कर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
व्यापार प्राप्य	8930.93	8010.07
अनुबंध परिसंपत्तियाँ (बिना बिल किए हुए राजस्व सहित)	29444.13	26747.54
अनुबंध देयताएं	15293.67	7133.45

घ. स्वीकृत अनुबंध राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
अनुबंध देनदारियों के स्वीकृत राजस्व (वर्ष के दौरान ग्राहकों से प्राप्त अग्रिमों का समायोजन एवं मूल्यांकन समायोजन)	2842.80	3011.15
पिछले वर्ष पूर्णकिए गए निष्पादन दायित्व के लिए स्वीकृत राजस्व (अनुबंध राजस्व में परिवर्तन के कारण प्रभाव)	594.72	163.16

विद्युत परियोजनाओं की स्थापना एक दीर्घ-चक्रीय व्यवसाय है, जहाँ कंपनी द्वारा प्राप्त अनुबंध या तो ईपीसी अनुबंध (अभियांत्रिकी, खरीद और कमीशनिंग) या बीटीजी पैकेज (अर्थात बॉयलर, टर्बाइन और जेनरेटर पैकेज) होते हैं। विद्युत परियोजनाएँ लंबी अवधि की परियोजनाएँ होती हैं, जिनमें अनुबंध की सामान्य निष्पादन अवधि 3 से 5 वर्ष के बीच होती है। बीएचईएल की सेवाओं के दायरे में उपकरणों की आपूर्ति, इरेक्शन, कमीशनिंग, प्लांट को ग्रिड से सिंक्रोनाइज़ करना, ट्रायल ऑपरेशन पूरा करना और गारंटीकृत पैरामीटर प्रदान करना सम्मिलित है।

यद्यपि समग्र कार्यक्षेत्र में कई उपकरण हैं, लेकिन ऐसी परियोजनाओं को आम तौर पर एक निष्पादन दायित्व माना जाता है। नियंत्रण निष्पादन अवधि के बाद एक साथ स्थानांतरित होता है क्योंकि परियोजना जब पूरी तरह तैयार हो जाती है तभी वह निष्पादन कर सकती है और इसलिए प्रगति की माप (इनपुट लागत विधि) के आधार पर समय-समय पर राजस्व प्राप्त होता है।

नोट [40]
इंड एएस107- के अनुपालन में प्रकटीकरण [वित्तीय उपकरण - लेखा वर्गीकरण और उचित मूल्य माप]

क. नकदी एवं नकद समकक्षों, बैंक शेष, ऋण, व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, प्रतिभूति जमा और अन्य का उचित मूल्य उनके युक्तिसंगत धारित मूल्य को दर्शाता है। व्यापार प्राप्यों का मूल्यांकन अपेक्षित ऋण हानियों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। कंपनी मूल्यांकन तकनीक द्वारा वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का निर्धारण और प्रकटीकरण करने के लिए निम्नलिखित पदानुक्रम का उपयोग करती है।

उचित कीमत पदानुक्रम

मूल्यांकन तकनीक में प्रयुक्त इनपुट के आधार पर वित्तीय विलेखों के उचित मूल्य को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

स्तर 1: समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2: स्तर 1 में सम्मिलित किए गए उद्धृत मूल्यों के अतिरिक्त अन्य इनपुट जो परिसंपत्ति या देयताओं के लिए प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात, कीमतों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात, कीमतों से प्राप्त) अवलोकनीय हैं।

स्तर 3: परिसंपत्ति या देयताएं के लिए इनपुट जो अवलोकनीय बाजार डेटा (अदृश्य इनपुट) पर आधारित नहीं है।

(₹ करोड़ में)

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां - आवर्ती उचित मूल्य माप	स्तर 3 पदानुक्रम	
	31 मार्च , 2025 तक	31 मार्च , 2024 तक
वित्तीय परिसंपत्तियां:		
गैर-उद्धृत इक्विटी उपकरणों में निवेश	0.00	1.19
वित्तीय देयताएं:		
वित्तीय गारंटी	5.29	-

ख. उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीक

गैर-व्युत्पन्न (अनकोटेड) इक्विटी उपकरणों के उचित मूल्य स्तर 3 इनपुट का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जिसमें प्रति शेयर शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य के आधार पर निवेशित कंपनी के वित्तीय विवरणों से इनपुट शामिल होते हैं।

एफवीटीपीएल परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत अनकोटेड इक्विटी शेयरों के उचित मूल्य माप का समाधान

(₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2024 तक	**1.19**
उचित मूल्य / हानि में परिवर्तन	(1.19)
31 मार्च, 2025 तक	**0.00**

वित्तीय जोखिम प्रबंधन

उद्देश्य और नीतियां

कंपनी की गतिविधियों के समक्ष कई जोखिम हैं जो इस क्षेत्र में व्यवसाय करने वाली किसी भी कंपनी के समक्ष स्वाभाविक रूप से आती है। वित्तीय जोखिम का प्रबंधन हमेशा से कंपनी की व्यावसायिक रणनीतियों और नीतियों का एक अभिन्न अंग रहा है । कंपनी अपने विभिन्न हितधारकों की ज़रुरतों और अपेक्षाओं के अनुरुप वित्तीय जोखिमों को दूर करने के लिए समय-समय पर अपनी नीतियों और दिशानिर्देशों की समीक्षा करती है और उन्हें संरेखित करती है। वित्तीय साधनों के उपयोग से जोखिम को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

क. क्रेडिट जोखिम

ख. लिक्विडिटी जोखिम

ग. बाजार ज़ोखिम

यह नोट उपरोक्त जोखिमों में से प्रत्येक के लिए कंपनी के जोखिम के बारे में, जोखिम को मापने और प्रबंधित करने के लिए कंपनी के उद्देश्य, नीतियां और प्रक्रियाएं और कंपनी की पूंजी के प्रबंधन के विषय में जानकारी प्रस्तुत करता है। इसके अलावा, इन वित्तीय विवरणों में मात्रात्मक प्रकटीकरण सम्मिलित हैं।

जोखिम प्रबंधन संरचना

बीएचईएल में बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन चार्टर एवं नीति लागू है जो कंपनी में जोखिम प्रबंधन के लिए समग्र रूपरेखा प्रदान करती है । चार्टर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जोखिमों की उचित पहचान, आकलन और उपयुक्त जोखिम न्यूनीकरण उपायों को अपनाकर प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जाए। कंपनी के पास 3-स्तरीय जोखिम प्रबंधन संरचना है । पहले स्तर पर, कंपनी के बोर्डस्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति (बीएलआरएमसी) को कंपनी के जोखिम शासन संरचना, जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन संरचना, दिशानिर्देश, नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। दूसरे स्तर पर जोखिम प्रबंधन संचालन समिति (आरएमएससी) जोखिम प्रबंधन संरचना को अपनाने और लागू करने तथा कंपनी में जोखिम प्रबंधन पहल का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार है। मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) बीएलआरएमसी और आरएमएससी का संयोजक होने के नाते बोर्ड/बीएलआरएमसी को जोखिम प्रबंधन पर आवधिक रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार है । कंपनी के सामने आने वाले प्रमुख जोखिमों का विश्लेषण इकाई स्तर से शुरु करके उनके संबंधित क्षेत्रों में किया जाता है, ताकि जोखिम न्यूनीकरण योजनाएं तैयार की जा सकें तथा उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके ।

क. क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम को व्यापार करने के जोखिम संतुलन का एक अभिन्न अंग माना जाता है । बीएचईएल भारत और विदेशों में सरकारी क्षेत्रों (राज्य उपयोगिताएँ, सार्वजनिक उपक्रमों, रेलवे और अन्य सरकारी विभागों आदि) तथा निजी क्षेत्रों से संबंधित विद्युत परियोजनाओं की स्थापना में शामिल है। परियोजनाओं को आम तौर पर वित्तीय संस्थानों/बैंकों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है या भुगतान लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) द्वारा कवर किए जाते हैं। परियोजना की अवधि 3 से 5 साल तक होती है और भुगतान आमतौर पर अग्रिम, प्रगति भुगतान, माइलस्टोन भुगतान (इंटर्मीडियट सहित) भुगतान और इस प्रकार की परियोजनाओं के पूरा होने पर जारी किए जाने वाले रिटेंशन सहित अनुबंध की शर्तों के अनुसार चरणों में प्राप्त किया जाता है । अधिकांश ग्राहकों की प्रोफ़ाइल सरकारी क्षेत्र से संबंधित है और कुल व्यापार प्राप्य का 80% इनसे ही आता है और यह देखते हुए कि कंपनी स्वयं एक सीपीएसई है, क्रेडिट जोखिम अपेक्षाकृत कम है। निजी क्षेत्रों के ग्राहकों के संबंध में, भुगतान की शर्तें मुख्य रूप से एलसी के माध्यम से है। कंपनी ने संगठन के भीतर विभिन्न स्तरों पर प्राप्यों के लिए अच्छी तरह से समीक्षा तंत्र स्थापित किया है ताकि कंपनी की नीतियों, प्रक्रियाओं और दिशा- निर्देशों के अनुरूप प्राप्य राशि को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। कंपनी हानि या लाभ का आकलन करने के लिए अपेक्षित क्रेडिट लॉस मॉडल का उपयोग करती है और उसी का खुलासा अन्यत्र किया जाता है । इसके अतिरिक्त, किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं।

(i) क्रेडिट जोखिम की संभावना

वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि अधिकतम क्रेडिट जोखिम को दर्शाती है । रिपोर्टिंग तिथि पर क्रेडिट जोखिम की अधिकतम संभावना निम्नानुसार थी:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च , 2025 तक	31 मार्च, 2024तक
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
नकद और नकद समकक्ष	439.21	1835.04
अन्य बैंक शेष	7173.20	4322.43
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	1016.71	445.92
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को क्षति हानि सहित आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
व्यापार प्राप्य	8930.93	8010.07

क्रेडिट जोखिम का घनत्व - भौगोलिक	कुल प्राप्य का प्रतिशत	
	31 मार्च , 2025 तक	31 मार्च , 2024 तक
भारत के भीतर	97%	95%
भारत के बाहर	3%	5%
कुल	**100%**	**100%**

व्यापार प्राप्य, अनुबंध परिसंपत्तियों और प्रतिपक्ष के प्रकार द्वारा अन्य प्राप्य के लिए कंपनी का क्रेडिट जोखिम निम्नानुसार है -

टिप्पणी	कुल व्यापार प्राप्य का प्रतिशत	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
रेलवे और सरकारी विभाग सहित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	46%	43%
राज्य विद्युत बोर्ड	35%	40%
निजी ग्राहक और अन्य	16%	13%
निर्यात	3%	5%
कुल	**100%**	**100%**

(ii) इंपेयरमेंट हानि

1. वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिनके लिए हानि भत्ते को 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि का उपयोग करके मापा जाता है

कंपनी के पास ऐसी परिसंपत्तियां हैं जहां प्रतिपक्षों के पास दायित्वों को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है और जहां डिफ़ॉल्ट का जोखिम बहुत कम है।

वर्ष के दौरान ऋणों के संबंध में हानि भत्ते में संचलन इस प्रकार था:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च , 2025 तक	31 मार्च , 2024 तक
1 अप्रैल को शेष राशि	**16.32**	**14.91**
मान्य क्षति ह्रास / बट्टे खाते में डाली गई / निकासी	4.50	1.41
31 मार्च को शेष	**20.82**	**16.32**

2. मूल्यह्रास प्रावधानों का पुनर्मिलान

वर्ष के दौरान व्यापार प्राप्य और अनुबंध परिसंपत्तियों के संबंध में हानि के भत्तों में संचलन निम्नानुसार रहा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च , 2025 तक	31 मार्च , 2024 तक
1 अप्रैल को शेष राशि	**9171.88**	**8974.80**
मान्य क्षति ह्रास	874.88	1774.18
बट्टाकृत / आहरित राशि	(1646.20)	(1577.09)
31 मार्च को शेष	**8400.55**	**9171.88**

कंपनी बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित कंपनी की नीति के अनुसार और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप अधिशेष निधियों में से निवेश करती है। नकदी और नकदी समकक्षों और सावधि जमा पर क्रेडिट जोखिम बहुत सीमित है क्योंकि कंपनी आमतौर पर वित्तीय रुप से मजबूत बैंकों और वित्तीय संस्थानों में जमा राशि में निवेश करती है।

ख. लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन

कंपनी सावधि जमा सहित पर्याप्त नकदी और नकदी समतुल्य बनाए रखकर और जब भी देय हो, दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऋण सुविधाओं की पर्याप्त राशि के माध्यम से धन की उपलब्धता के माध्यम से लिक्विडिटी जोखिम का प्रबंधन करती है। मजबूत नकदी प्रबंधन प्रणाली और नकदी प्रवाह की नियमित निगरानी प्रबंधन को पूरे वर्ष अपनी निधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्रोतों की योजना बनाने और बनाए रखने में सक्षम बनाती है। पर्याप्त नकदी और बैंक शेष के अलावा, कंपनी को ऋण सुविधाएं भी प्राप्त हैं। कंपनी अपनी सभी फंड संबंधी आवश्यकताओं को आंतरिक संसाधनों अर्थात परिचालन से उत्पन्न पूंजी और बेहतर ट्रेजरी प्रबंधन परिचालन के लिए अल्पकालिक उधार के माध्यम से अपनी सभी निधि आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है ।

संविदात्मक नकदी प्रवाह के आधार पर गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वताएं निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

वित्तीय देयताएं गैर-यौगिक वित्तीय देयताएं	31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
	1 वर्ष के अंदर	1 वर्ष से अधिक	1 वर्ष के अंदर	1 वर्ष से अधिक
व्यापार देयताएं	9540.92	2170.79	8539.38	2292.76
ठेकेदारों और अन्य से जमा राशि	716.19	413.11	623.50	397.01
पट्टा देयताएं	57.21	162.39	24.91	23.55
अन्य देय/ देयताएं				
कर्मचारी बकाया	152.41	-	353.32	-
अन्य बकाया	240.90	-	401.60	-
पूंजीगत व्यय बकाया	131.02	9.68	114.90	10.86
वित्तीय गारंटी बकाया	5.29	-	-	-
अल्पावधि उधार	8795.00	-	8808.00	-
कुल	**19638.94**	**2755.97**	**18865.61**	**2724.18**

ग. बाजार ज़ोखिम प्रबंधन

कंपनी को अपने परिचालनों से उत्पन्न होने वाले कुछ मुद्रा, कमोडिटी, ब्याज दर जोखिमों का सामना करना पड़ता है । कंपनी के पास विदेशी मुद्रा जोखिमों को कवर करने के लिए विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति है । कंपनी को प्रमुख कमोडिटी मूल्य उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों सहित आपूर्ति श्रृंखला के दावों सहित फ्रेमवर्क समझोते नियमित रुप से दर्ज किए जा रहे हैं। परिचालन से उत्पन्न अधिशेष निधियों को केवल पीएसयू बैंकों या बड़े आकार के निजी बैंकों के साथ अल्पकालिक जमा और सार्वजनिक क्षेत्र के म्यूचुअल फंडों की ऋण आधारित योजनाओं में निवेश किया जाता है, जिससे जोखिम की संभावनाएं कम हो जाती है।

विदेश मुद्रा जोखिम एक्सपोजर:- रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी का विदेशी मुद्रा जोखिम एक्सपोजर निम्नानुसार हैं:

(i) दिनांक 31.03.2025 को रुके हुए और बकाया व्युत्पन्न विलेख शून्य (पिछले वर्ष भी शून्य) है।

(ii) विदेश मुद्रा एक्सपोजर जो एक व्युत्पन्न उपकरण द्वारा या अन्यथा रुके हुए नहीं हैं, वे निम्नानुसार हैं:

विदेशी मुद्रा - दस लाख
(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक		31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
	यूरो	समतुल्य भारतीय रुपया	यूरो	समतुल्य भारतीय रुपया	यूरो	समतुल्य भारतीय रुपया
परिसंपत्तियां						
व्यापार प्राप्य	59.23	543.50	53.64	484.16	41.12	1.86
अनुबंध परिसंपत्तियाँ	221.26	2026.77	235.03	2112.15	263.20	39.52
अन्य परिसंपत्तियां	11.74	108.16	0.61	5.50	93.77	154.98
उप-कुल (क)	**292.23**	**2678.42**	**289.29**	**2601.82**	**398.09**	**196.36**
देयताएं						
ग्राहक से अग्रिम	28.22	190.35	35.46	238.77	1.29	22.65
व्यापार देय और अन्य	27.69	256.30	29.79	272.79	343.61	308.96
उप-कुल (ख)	**55.91**	**446.65**	**65.25**	**511.56**	**344.89**	**331.61**
परिसंपत्तियां (देयताओं को छोड़कर) [(क)- (ख)]	**236.32**	**2231.77**	**224.04**	**2,090.26**	**53.19**	**(135.25)**

विवरण	अमेरिकी डॉलर	समतुल्य भारतीय रुपया	अमेरिकी डॉलर	समतुल्य भारतीय रुपया
संपत्ति				
व्यापार प्राप्य	79.27	669.84	77.52	644.22
अनुबंध परिसंपत्तियाँ	187.27	1597.17	234.62	1948.28
अन्य परिसंपत्तियां	0.87	6.74	0.36	2.41
उप-योग (क)	**267.41**	**2273.76**	**312.50**	**2594.91**
देयताएं				
ग्राहक से अग्रिम	35.69	226.53	50.09	253.59
व्यापार देय और अन्य	76.85	655.22	132.79	1114.42
उप-कुल (ख)	**112.55**	**881.75**	**182.88**	**1368.01**
परिसंपत्तियां (देयताओं को छोड़कर) [(क)- (ख)]	**154.87**	**1392.01**	**129.62**	**1226.90**

उपरोक्त आंकड़े प्रावधानों, यदि कोई हो, को छोड़कर हैं

संवेदनशीलता विश्लेषण

भारतीय रुपए के अमरीकी डॉलर, यूरो और अन्य मुद्राओं की तुलना में मजबूत/कमजोर होने के प्रभाव को वर्ष के अंत में लाभ या हानि के रुप में नीचे दिखाया गया है। यह विश्लेषण विदेशी मुद्रा विनिमय दर में बदलाव पर आधारित है, जिसे कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के अंत में यथोचित रुप से संभव माना है। यह विश्लेषण पिछले वर्ष के समान आधार पर किया गया है, यद्यपि विदेशी मुद्रा विनिमय दर में बदलाव भिन्न था, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
1% के संचलन पर लाभ/(हानि) का प्रभाव	कमजोर/उतार	चढ़ाव / मजबूती	कमजोर/उतार	चढ़ाव / मजबूती
यूरो	22.32	(22.32)	20.90	(20.90)
यूएसडी	13.92	(13.92)	12.27	(12.27)
अन्य	0.53	(0.53)	(1.35)	1.35

पूंजी प्रबंधन

क्रियाशील इकाई के रूप में पूंजी प्रबंधन करते समय कंपनी का उद्देश्य अपनी पूंजी को सुरक्षित, संरक्षित रखना और इसमें वृद्धि करना है ताकि शेयरधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके, अन्य हितधारकों को लाभ प्रदान किया जा सके, और पूंजी लागत को कम करने के लिए एक इष्टतम पूंजी संरचना बनाई रखी जा सके। निदेशक मंडल इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश के स्तर की भी निगरानी करते हैं। कंपनी समान्यतः उद्योग द्वारा और रेटिंग एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई वित्तीय अनुपातों के आधार पर मध्यम कालिक दृष्टिकोण व दीर्घकालीन दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए पूंजी को मॉनिटर करती है। कंपनी बाह्य पूंजी आवश्यकताओं के अधीन नहीं है । कंपनी की पूंजी संरचना को विभिन्न वित्तीय अनुपातों के अनुसार प्रबंधित किया जाता है जैसा कि उच्चतम क्रेडिट रेटिंग बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

नोट [41]
परिचालन खंड

संबंधित व्यावसायिक क्षेत्रों द्वारा बुक किए गए ऑर्डर के आधार पर खंडों की पहचान 'पावर' और 'उद्योग' के रूप में की गई है। इन खंडों के कार्यों को तीन व्यावसायिक क्षेत्रों अर्थात पावर सेक्टर, उद्योग क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय परिचालन द्वारा निष्पादित किया जाता है।

पावर सेक्टर में मुख्य रूप से थर्मल, गैस हाइड्रो और परमाणु ऊर्जा संयंत्र व्यवसाय, संबंधित स्पेयर और सेवा व्यवसाय के अतिरिक्त कोल टू केमिकल, उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण और गैर-बीएचईएल सेट के लिए स्पेयर के नए व्यवसाय सम्मिलित हैं।

उद्योग क्षेत्र प्रमुख उपकरणों की आपूर्ति करता है और ईपीसी परिवहन, ट्रांसमिशन, रक्षा और एयरोस्पेस, कैप्टिव पावर, नवीकरणीय ऊर्जा, डाउनस्ट्रीम तेल और गैस, ऊर्जा भंडारण और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में ईपीसी आधार पर काम करता है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन समूह द्वारा बुक किया गया ऑर्डर, ऑर्डर के प्रकार के हिसाब से, पावर या उद्योग क्षेत्र को सौंप दिये जाते है।

कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों की समिति को मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता (सीओडीएम) के रूप में चिन्हित किया गया है।

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2025 को समाप्त वर्ष के लिए			2024 को समाप्त वर्ष के लिए		
		पावर	उद्योग	कुल	पावर	उद्योग	कुल
I.	**परिचालन खंड से राजस्व**						
	परिचालन राजस्व - बाह्य	20937.25	7402.23	28339.48	18435.79	5456.99	23892.78
II.	**खंड परिणाम**						
क.	खंड परिणाम	1216.02	1262.45	2478.47	1657.03	137.08	1794.11
ख.	गैर-आवंटित व्यय (आय को छोड़कर)			1005.47			842.49
ग.	वित्त लागत एवं आयकर से पूर्व लाभ (क) - (ख)			1473.00			951.62
घ.	वित्त लागत (ब्याज छूट सहित)			748.33			731.29
ड़.	आयकर से पूर्व शुद्ध लाभ (ग) - (घ)			724.67			220.33
च.	आयकर			211.70			(39.56)
छ.	आयकर के पश्चात शुद्ध लाभ /हानि (ड.)- (च)			512.97			259.89
III	**परिसंपत्तियाँ और देयताएं**						
क.	खंड परिसंपत्तियाँ	45455.29	9240.71	54696.00	39561.83	8418.14	47979.97
ख.	सामान्य संपत्तियां			13783.32			11433.88
ग.	कुल संपत्ति			68479.32			59413.85
ड़.	खंड देयताएं	29075.97	7034.26	36110.23	20670.89	6081.21	26752.10
च.	सामान्य देयताएं			7256.08			7811.16
छ.	कुल देयताएं			43366.31			34563.27
IV	**अन्य सूचनाएं**						
क.	पूंजीगत व्यय	335.93	146.46		158.93	91.86	
ख.	मूल्यह्रास और परिशोधन	158.06	69.18		138.73	76.90	
ग.	गैर नकद व्यय (मूल्यह्रास और परिशोधन के अतिरिक्त)	(73.14)	214.64		(815.40)	147.31	

भौगोलिक खंड

(₹ करोड़ में)

विवरण		2025 को समाप्त वर्ष के लिए			2024 को समाप्त वर्ष के लिए		
		भारत के अंदर	भारत के बाहर	कुल	भारत के अंदर	भारत के बाहर	कुल
1	परिचालन से राजस्व	27863.22	476.26	28339.48	23156.49	736.29	23892.78
2	गैर- वर्तमान परिसंपत्तियाँ (पीपीई और अमूर्त परिसंपत्तियाँ)	3141.70	0.46	3142.16	2880.44	1.96	2882.40
3	पूंजीगत व्यय	535.30	0.34	535.64	286.57	0.85	287.41

प्रमुख ग्राहक- बीएचईएल के कुल राजस्व का 10% से अधिक एकल ग्राहक से प्राप्ति का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2025 को समाप्त वर्ष के लिए			2024 को समाप्त वर्ष के लिए		
	पावर	उद्योग	कुल	पावर	उद्योग	कुल
सीपीएसयू	9227.07	2776.16	12003.23	6888.04	2096.72	8984.76
अडानी समूह	2553.12	-	2553.12	103.78	-	103.78

नोट [42]
अतिरिक्त प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क)	आयात की श्रेणी	निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष के लिए	
		31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
	सीआईएफ आधार पर आयात		
	रॉ-मेटेरियल	1091.75	568.77
	कम्पोनेंटस एवं स्पेयर पार्ट्स	771.38	833.42
	पूंजीगत माल	13.09	42.18
	कुल आयात	**1876.22**	**1444.38**

(₹ करोड़ में)

ख)	व्यय के प्रकार (विदेशी मुद्रा में व्यय)	निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष के लिए	
		31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
	i) रॉयल्टी	53.81	58.00
	ii) तकनीकी जानकारी	5.74	21.55
	iii) प्रोफेशनल परामर्श शुल्क	6.89	15.70
	iv) ब्याज एवं अन्य व्यय (विदेशी साइटों सहित)	24.06	24.49

(₹ करोड़ में)

ग)	खपत का वर्गीकरण [रॉ-मेटेरियल, कंपोनेन्ट, भंडार & अतिरिक्त पुर्जे]	निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष के लिए	
		31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
	i) आयातित (सीमा शुल्क सहित)	1931.03	1522.25
	ii) स्वदेशी	13467.22	10812.76
	iii) कुल खपत का प्रतिशत		
	आयातित	12.54	12.34
	स्वदेशी	87.46	87.66

(₹ करोड़ में)

घ)	विदेशी मुद्रा में कमाई	निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष के लिए	
		31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
	भौतिक माल का निर्यात (एफओबी आधार पर)	201.79	351.19
	इरेक्शन एवं अन्य सेवाएं	136.35	268.71
	मानित निर्यात पर विदेशी मुद्रा विनिमय (घरेलू संविदाओं और एसईज़ेड सहित)	218.85	442.14
	कुल	**556.99**	**1062.04**

(₹ करोड़ में)

ङ)	रॉ-मेटेरियल एवं खपत किए गए कंपोनेन्ट का विवरण	निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष के लिए	
		31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
	कच्चा माल		
	i) लौह सामग्री	3527.85	2211.26
	ii) अलौह सामग्री	679.37	466.12
	iii) इन्सुलेटिंग सामग्री	116.50	108.30
	iv) इंसुलेटेड केबल और चुंबकीय वायर	14.96	8.98
	v) अन्य कंपोनेन्ट	3198.26	2973.24
	(vi) अन्य	670.71	348.37
	कुल	**8207.65**	**6116.27**
	खरीदी गई सामग्री		
	i) लौह सामग्री	102.99	52.62
	ii) अलौह सामग्री	110.17	42.61
	iii) इन्सुलेटिंग सामग्री	143.57	109.14
	iv) इंसुलेटेड केबल और चुंबकीय वायर	45.24	50.43
	v) अन्य कंपोनेन्ट	4431.91	3715.71
	(vi) अन्य	1924.11	1897.95
	कुल	**6757.99**	**5868.46**

नोट [43]
अनुपात

विवरण	न्यूमरेटर	डेनोमिनेटर	2024-25	2023-24	% अंतर	अंतर का कारण
(क) वर्तमान अनुपात	कुल मौजूदा संपत्ति	कुल मौजूदा देयताएं	1.51	1.37	-10.71	
(ख) डेबिट-इक्विटी अनुपात	कंपनी पर कोई दीर्घकालिक ऋण नहीं है, इसलिए ये अनुपात लागू नहीं होते हैं।					
(ग) डेबिट सर्विस कवरेज अनुपात						
(घ) कार्यशील पूंजी के लिए दीर्घकालिक डेबिट						
(ङ) ब्याज सेवा कवरेज अनुपात						
(च) कुल डेबिट और कुल संपत्ति अनुपात	कुल उधारी	कुल परिसंपत्ति	0.13	0.15	11.69	
(छ) इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व	औसत भंडार (शुद्ध)	3.20	3.28	-2.40	
(ज) व्यापार प्राप्तियों और टर्नओवर का अनुपात	ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व	औसत व्यापार प्राप्य (शुद्ध)	3.23	3.15	2.53	
(झ) अशोध्य डेबिट और प्राप्य खाता अनुपात	अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डाला गया	कुल व्यापार प्राप्तियां	0.03	0.00	2394.24	अशोध्य ऋणों में परिवर्तन के कारण बट्टे खाते में डाले गए
(ञ) वर्तमान देयता अनुपात	मौजूदा देयताएं	कुल देयताएं	0.65	0.73	-10.88	
(ट) व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	खरीदारी और उप-ठेका	औसत व्यापार देय	1.89	1.51	24.90	
(ठ) शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात	ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व	कुल मौजूदा संपत्तियां - कुल मौजूदा देयताएं	1.88	2.47	-23.65	उच्च कार्यशील पूंजी तीव्रता
(ड) इक्विटी अनुपात पर रिटर्न	वर्ष के दौरान लाभ (कर पश्चात लाभ)	औसत कुल हिस्सेदारी - ओसीआई	2.01%	2.03%	-0.84	
(ढ़) ऑपरेटिंग लाभ अनुपात	कर, ब्याज और मूल्यह्रास से पहले लाभ - अन्य कमाई	परिचालन से राजस्व	4.38%	2.56%	70.87	परिचालन की अधिक मात्रा और ईआरवी लाभ के कारण
(ण) शुद्ध लाभ अनुपात	वर्ष के दौरान लाभ (कर पश्चात लाभ)	परिचालन से राजस्व	1.81%	1.09%	66.41	परिचालन की अधिक मात्रा और ईआरवी लाभ के कारण
(त) नियोजित पूंजी पर रिटर्न	कर और ब्याज को छोड़कर आय	नियोजित पूंजी = कुल इक्विटी - सीडब्ल्यूआईपी - विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां -आस्थगित कर परिसंपत्तियां	7.06%	4.68%	51.01	परिचालन की अधिक मात्रा और ईआरवी लाभ के कारण
(थ) निवेश पर रिटर्न	लागू नही					
(द) नेट वर्थ (रु./ करोड़)	शेयर पूंजी + रिजर्व और अधिशेष		25113.01	24850.59	1.06	
(ध) कर पश्चात लाभ (रु. / करोड़)	कर पश्चात लाभ		512.97	259.89	97.38	परिचालन की अधिक मात्रा और ईआरवी लाभ के कारण
(न) प्रति शेयर आय (रु.)	वर्ष के दौरान लाभ (कर पश्चात लाभ))	भारित औसत शेयरों की संख्या	1.47	0.75	97.38	
(प) पूंजी रिडेंपशन रिजर्व (रु. / करोड़)			37.87	37.87	0.00	

नोट [44]
प्रकटीकरण - निवेश संपत्ति - इंड एएस 40

सामग्री लेखांकन नीति नोट [2] के बिंदु 20 पर दर्शायी गई है।

वर्ष के दौरान कंपनी ने भौतिक लेखांकन नीति अपनाई है और निवेश संपत्ति के लेखांकन के लिए भी इसे लागू किया है। संबंधित विवरण निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024- 25	2023- 24
(ii) आय और व्यय का विवरण :		
किराये से आय	1.82	-
प्रत्यक्ष परिचालन व्यय (मरम्मत और रखरखाव सहित)	0.39	-

(ii) निवेश संपत्ति का उचित मूल्य

कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम 2017 के नियम 2 के तहत परिभाषित पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा 31.03.2025 तक भोपाल और मुंबई स्थित विभिन्न संपत्तियों का बाजार मूल्य ₹111.58 करोड़ आंका गया है।

(iii) कंपनी ने अपने निवेश संपत्ति पोर्टफोलियो पर परिचालन पट्टे पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें कुछ भूमि और भवन शामिल हैं। 31.03.2025 तक परिचालन पट्टे के अंतर्गत प्राप्त होने वाले भविष्य के बिना छूट वाले पट्टा भुगतान निम्नानुसार हैं:

विवरण	2024-25	2023-24
1 वर्ष से कम	7.11	-
1 से 2 वर्ष के बीच	7.13	-
2 से 3 वर्ष के बीच	7.25	-
3 से 4 वर्ष के बीच	7.56	-
4 से 5 वर्ष के बीच	5.14	-
5 वर्ष से अधिक	1.85	-
कुल	36.04	-

नोट [45]

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसार, कंपनी द्वारा दिए गए ऋण और ऋण की प्रकृति में अग्रिमों का अपेक्षित विवरण नीचे दिया गया है:

i) कोई भी ऋण (कर्मचारियों को दिए गए ऋण के अलावा) नहीं दिया गया है, जिसमें कोई पुनर्भुगतान अनुसूची नहीं है या पुनर्भुगतान सात वर्षों से अधिक है; तथा

ii) ऐसी फर्मों/कंपनियों को ऋण या ऋण की प्रकृति में अग्रिम राशि नहीं दी गई है, जिनमें निदेशकों की रुचि / हिस्सेदारी हो।

नोट [46]

12 महीने की अवधि को परिचालन चक्र मानते हुए परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू और गैर-चालू के बीच वर्गीकृत किया जाता है।

नोट [47]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत बंद की गई कंपनियों के साथ कंपनी का कोई लेन-देन नहीं है ।

नोट [48]

वैधानिक अवधि के बाद कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत होने के लिए अभी तक कोई शुल्क या सैटिस्फैक्शन नहीं था।

नोट [49]

कंपनी, कंपनी नियम, 2017 (स्तरों की संख्या पर निर्बंधन) के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित स्तरों की संख्या का अनुपालन कर रही है।

नोट [50]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई भी योजना / व्यवस्था अनुमोदित नहीं की गई है।

नोट [51]

कंपनी का ऐसा कोई भी लेन-देन नहीं है जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रुप में सरेंडर या प्रकट किया गया हो, जो लेखा पुस्तकों में दर्ज न किया गया हो।

नोट [52]

कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

नोट [53]

आंकड़ों को दो दशमलव के साथ ₹ करोड़ के निकटतम पूर्णांकित किया गया है।

नोट [54]

जहां भी आवश्यक समझा गया, पिछले वर्ष के आकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

नोट [55]

निदेशक मंडल ने 16 मई, 2025 को आयोजित बैठक में वित्तीय विवरण 2024-25 जारी करने के लिए अधिकृत किया है।

निदेशक मंडल की ओर से

(योगेश आर छाबड़ा)
कंपनी सचिव
एम. संख्या F 7463

(राजेश कुमार द्विवेदी)
निदेशक वित्त एवं सीएफओ
डीआईएन: 10048893

(के. सदाशिव मूर्ति)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09184201

समान तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

एबीपी एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन – 315104E

(प्रभात कुमार पांडा)
भागीदार
एम. संख्या 057140

पीएसएमजी एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन – 008567C

(प्रबुद्ध गुप्ता)
भागीदार
एम. संख्या 400189

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : मई 16, 2025

वित्तीय विवरण

समेकित वित्तीय विवरण 252

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

राय

हमने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (इसके बाद यहाँ इसे “कंपनी” के रूप में लिखा जाएगा) एवं इसके संयुक्त उद्यमों में लाभ के हिस्से सहित संलग्न समेकित वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष की समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ-हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), समेकित इक्विटी परिवर्तनों का विवरण, समेकित नकदी प्रवाह विवरण, और उस वर्ष के लिए लागू लेखा नीतियाँ और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएँ शामिल हैं, (इसके पश्चात इसे “समेकित वित्तीय विवरण” लिखा जाएगा)

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुरूप तथा नीचे “अन्य विषय” अनुभाग में उल्लिखित संयुक्त उपक्रमों की पृथक वित विवरण और अन्य वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करते हुए, पूर्वोक्त वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) में अपेक्षित तरीके के अनुसार सूचना प्रदान करते हैं और यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015, के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों, (इंड एएस- भा.ले.मा.) एवं भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुपालन में 31 मार्च 2025 को कंपनी और उसके संयुक्त उपक्रमों की वित्तीय स्थिति, उनका समेकित शुद्ध लाभ (अन्य समग्र आय सहित), समेकित इक्विटी में परिवर्तन तथा वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण की स्थिति को यथार्थ व उचित रूप से प्रस्तुत करते हैं।

राय का आधार

हमने समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों (SAs) के अनुसार की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का विवरण इस रिपोर्ट के ‘समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियाँ’ खंड में दिया गया है। हम कंपनी और इसके संयुक्त उपक्रमों से स्वतंत्र हैं, जैसा कि भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लागू नैतिक आवश्यकताओं में निर्धारित है। हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का भी पालन किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा नीचे ‘अन्य विषय’ अनुभाग में उल्लिखित उनकी रिपोर्टों के संदर्भ में प्राप्त साक्ष्य, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

विषयों पर जोर

हम आपका ध्यान निम्नलिखित बिंदुओं की ओर आकर्षित करते हैं:

1. वित्तीय विवरण के नोट संख्या 06 के अनुसार, कंपनी ने ग्राहक एसटीपीजी (पूर्व में एनईसी सूडान) से से प्राप्त होने वाली बकाया राशि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है, जो सूडान में गृहयुद्ध के कारण अटकी हुई है एवं जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।
2. वित्तीय विवरण के नोट संख्या 09 के अनुसार, आरवीयूएनएल/सूरतगढ़ 7 एवं 8 परियोजना (2*660 मेगावाट) के देनदारों की शेष राशि के संबंध में।
3. वित्तीय विवरण के नोट संख्या 40 के अनुसार, उन मामलों में जहाँ अनुबंध में निष्पादन गारंटी (पीजी) परीक्षण पूर्व-आवश्यक शर्त नहीं है, संविदात्मक दायित्व के लिए किया गया प्रावधान रद्द कर दिया गया है।

   इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

उपरोक्त पैराग्राफों में उल्लिखित विषयों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

मुख्य लेखा परीक्षा विषय

मुख्य लेखा परीक्षा के विषय वे हैं जो कि हमारे व्यावसायिक मतानुसार वर्तमान कालखंड के समेकित वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के दौरान सबसे महत्वपूर्ण थे। अपनी राय बनाते हुए और समेकित वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के परिप्रेक्ष्य में इन विषयों का समग्र रूप से समाधान किया गया और हमें इन विषयों पर और कोई राय नहीं देनी है। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखा परीक्षा विषयों के नीचे वर्णित मामलों का उल्लेख किया है।

मुख्य लेखा परीक्षा विषय	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया
इंड एएस 115 के अंतर्गत 'ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व के सम्बंध में राजस्व एवं अन्य शेषों की मान्यता, मापन, प्रस्तुति की सटीकता। इन राजस्व लेखा मानकों के अनुप्रयोग में विशिष्ट निष्पादन दायित्वों को चिन्हित करना, चिन्हित विशिष्ट निष्पादन दायित्वों के लेन-देन मूल्य का निर्धारण, एक अवधि में मान्य राजस्व के मापन के आधार की उपयुक्तता, वित्तीय विवरणों में शेष के प्रस्तुतिकरण सहित प्रकटीकरण से संबंधित कतिपय मुख्य निर्णय शामिल हैं। आकलित प्रयास राजस्व निर्धारण करने का एक महत्त्वपूर्ण आकलन है क्योंकि इसके लिए अनुबंध की प्रगति, आज तक किए गए प्रयासों, शेष निष्पादन दायित्व को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रयासों पर विचार करना आवश्यक है। समेकित वित्तीय विवरण के **नोट 41** को देखें।	**<u>प्रधान लेखा परीक्षा की प्रक्रियाएं</u>** आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता के परीक्षण से निहित हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल हैः: • पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई जानकारी रचना प्रक्रिया पर नियंत्रण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया। • मौजूदा जारी अनुबंधों और नए अनुबंधों में से एक सेंपल चुनकर विशिष्ट निष्पादन दायित्व और लेन-देन मूल्य का निर्धारण से संबधित आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। • इंड एएस 115 के अनुरुप राजस्व के अभिलेखन एवं प्रकटीकरण में अनुप्रयुक्त लेखांकन प्रणालियों और अनुबंधों एवं इससे संबंद्ध सूचनाओं में परिवर्तन के संगत सूचनाओं का परीक्षण किया, जिनका नए राजस्व लेखा मानकों के अनुसार खुलासा करने और अभिलेखबद्ध करने में प्रयोग किया गया। • महत्वपूर्ण उपलब्धियां (माइलस्टोन) प्राप्त करने में संभावित देरी की पहचान के लिए अनुबंधों में से एक सेंपल चुनकर समीक्षा की गई, जिसमें कि शेष निष्पादन दायित्व को पूर्ण करने में आकलित प्रयासों को बदलने की आवश्यकता है। • तर्कसंगतता और अन्य संबंधित प्रत्यक्ष मदों के ब्योरों पर विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं और परीक्षणों को किया।
व्यापार प्राप्य एवं अनुबंध संपत्तियों का मूल्यांकन एवं वसूली की संभावना 31 मार्च, 2025 के अंत में कंपनी के पास ₹29,444.13 करोड़ (निवल) की अनुबंध संपत्तियां तथा ₹8,930.93 करोड़ के व्यापार प्राप्य बकाया है। यह शेष इंड एएस 115 "ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व" के अनुसार पूर्ण हुए अनुबंधों और चालू अनुबंधों के लिए मान्य राजस्व से संबंधित है। इसके आकार और प्रबंधकीय निर्णय के उच्च स्तरीय होने कारण इसकी वसूली की संभावना का आकलन एक मुख्य लेखा विषय है। समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 6, 9, 41 को देखें।	**<u>प्रधान लेखा परीक्षा की प्रक्रियाएं</u>** अनुबंध संपत्तियों एवं व्यापार प्राप्य के राजस्व मान्यता और समीक्षा तंत्र के लिए हमने कंपनी की आंतरिक प्रक्रिया का आकलन किया है। आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता के परीक्षण से निहित हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल हैः • ग्राहकों के साथ चालान प्रक्रिया का मूल्यांकन किया। • परियोजनावार बकाया विवरणा और प्रबंधन द्वारा इसके समीक्षा तंत्र की सूची को प्राप्त किया। • अनुबंध संपत्तियों एवं व्यापार प्राप्य की क्षति पर कंपनी के दिशा-निर्देशों और नीतियों की समीक्षा की। • सैंपल आधार पर वर्ष के अंत में अनुबंध संपत्तियों एवं व्यापार प्राप्य की एजिंग की सटीकता की जांच की। • तर्कसंगतता, वसूली की संभावना और अन्य संबंधित सामग्री मदों के विवरणों पर विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं और परीक्षणों को किया।
आकस्मिक देयता का आकलन कंपनी के खिलाफ विभिन्न मंचों के समक्ष कई मुकदमे लंबित हैं और आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट की जाने वाली राशि का अनुमान लगाने के लिए प्रबंधन के निर्णय की आवश्यकता है। हमने इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को देखते हुए उपरोक्त क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय के आवेदन की आवश्यकता है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा विचाराधीन विषय वस्तु के तथ्यों के विश्लेषण और शामिल कानून के निर्णय / व्याख्या पर केंद्रित थी। (समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट 33 देखें)	**<u>प्रधान लेखा परीक्षा की प्रक्रियाएं</u>** लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल हैं लेकिन इन तक सीमित नहीं थेः • दावों या विवादों के संबंध में प्रबंधन की विस्तृता को समझना प्रक्रियाओं और नियंत्रणों को प्राप्त करना। • चयनित नमूनों पर निम्नलिखित प्रक्रियाओं द्वारा जांच करना। • प्रबंधन बैठक के पत्राचार, संप्रेषण के कार्यवृत्त को पढ़कर मामलों को समझना। • स्थिति अद्यतन, आधार के साथ परिणामों की अपेक्षा और कंपनी द्वारा अपेक्षित कार्रवाई के भविष्य के पाठ्यक्रम सहित प्रबंधन कर्मियों के उचित स्तर के साथ पुष्ट पूछताछ करना और प्रबंधन द्वारा प्राप्त कानूनी राय, यदि कोई हो का अवलोकन करना। • कंपनी के कानूनी वकीलों से सीधे पुष्टि प्राप्त करना और उनकी राय को ध्यान में रखते हुए परिणामों की संभाव्यता मूल्यांकन पर विचार करना। • संभावित परिणामों और अनुमानों की तर्कसंगतता के बारे में प्रबंधन के निर्णय का समर्थन करने वाले साक्ष्य का मूल्यांकन करना। • लागू लेखा मानकों के अनुसार पर्याप्त प्रकटीकरण की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।

समेकित वित्तीय विवरण के अतिरिक्त अन्य जानकारी और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाएं बनाने के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी प्रबंधकीय परिचर्चा व विश्लेषण में सम्मिलित की गई जानकारी, निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित बोर्ड रिपोर्ट, व्यावसायिक उत्तरदायित्त्व रिपोर्ट, कॉर्पोरेट अभिशासन तथा शेयरधारकों की सूचना आती है परंतु समेकित वित्तीय विवरण एवं एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण और इस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट इसमें सम्मिलित नहीं होती है। ये रिपोर्ट हमें इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध करायी जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम इस पर कोई आश्वासन या निष्कर्ष नहीं देते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण के संबंध में, हमारी उत्तरदायित्व अन्य सूचनाओं को पढ़ना और ऐसा करते हुए ध्यान रखना कि वित्तीय विवरणों के साथ अन्य सूचनाएं कहीं सारतः असंगत तो नहीं हैं अथवा लेखा परीक्षा में प्राप्त जानकारी अन्यथा भौतिक रुप से अनुचित प्रतीत तो नहीं हो रही है।

जब हमें ऐसी अन्य जानकारी उपलब्ध कराई जाती है तो हम उसे पढ़ते हैं और यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी है, तो हमें शासकीय प्रभारी व्यक्तियों को इस मामले के बारे में सूचित करना आवश्यक है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन एवं शासन से संबद्ध व्यक्तियों की जिम्मेदारियाँ

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में वर्णित विषयों के संदर्भ में इन वित्तीय विवरणों को इस प्रकार तैयार किए जाने हेतु उत्तरदायी है, जो भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों और इंड एएस के अनुरूप कंपनी के समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय प्रदर्शन, समेकित कुल व्यापक आय, समेकित इक्विटी में परिवर्तनों तथा समेकित नकदी प्रवाह का एक वास्तविक और सही विवरण प्रदान करते हों। कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों के संबंधित निदेशक मंडल कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयानी से मुक्त हैं,

जिनका उपयोग कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के उद्देश्य के लिए किया गया है, जैसा कि पूर्वोक्त है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, कंपनी को एक क्रियाशील इकाई के रुप में बनाए रखाने के लिए कंपनी की योग्यता का आकलन करने, क्रियाशील इकाई से संबन्धित जानकारियां यथा आवश्यक प्रकटीकरण करने और जब तक प्रबंधन कंपनी और उसके संयुक्त उद्यमों के परिसमापन या परिचालन रोकने की मंशा न रखती हो अथवा इसके अतिरिक्त कोई यथार्थ कारण न हो, तब तक समूह को लेखांकन का आधार बनाने के लिए कंपनियों के निदेशक मण्डल सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं।

कंपनी और उसके संयुक्त उद्यमों के निदेशक मंडल संबंधित कंपनी और उसके संयुक्त उद्यमों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए उत्तरदायी हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले सारतः त्रुटिपूर्ण कथन से समग्र रूप से मुक्त हैं और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना, जिसमें हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्ववासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किया गया लेखा परीक्षण सदैव किसी सारतः त्रुटिपूर्ण कथन का पता लगा ही लेगा, यदि कोई हो तो। त्रुटिपूर्ण कथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और इन्हें संदेहास्पद माना जाता है, यदि एकल रूप में या कुल मिलाकर, वे इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को यथोचित रूप में प्रभावित करना प्रत्याशित है।

लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षण के भाग के रूप में पूरे लेखा परीक्षण के दौरान हम व्यावसायिक रूप से निर्णय लेते हैं और व्यावसायिक संशयात्मकता को बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के सारतः मिथ्या कथन, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या त्रुटि के कारण, की पहचान करना और इसके जोखिमों को आंकना और इन जोखिमों के अनुक्रियाशील लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं को डिजाइन करना एवं निष्पादित करना, और लेखा परीक्षण साक्ष्यों को प्राप्त करना जो कि हमारी राय का आधार बनाने लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरुप सारतः मिथ्या कथन को न पहचानने का जोखिम, गलती से किए गए सारतः मिथ्या कथन से कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जाल-साजी, जानबूझकर की गई चूकें, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रणों को अधिभावी (override) किया जाता है।
- परिस्थितियों के अनुसार समुचित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षण के संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी एवं भारत में स्थापित उसके संयुक्त उपक्रमों के पास समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों के परिचालन में प्रभावशीलता है।
- अनुप्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन आकलनों और संबंधित प्रकटन की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- • कंपनी के प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए चालू व्यवसाय के आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना, तथा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह मूल्यांकन करना कि क्या ऐसे कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितताएँ विद्यमान हैं जो कंपनी और इसके संयुक्त उपक्रमों की सतत संचालन क्षमता पर गंभीर संदेह उत्पन्न कर सकती यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक होता है; और यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हों, तो अपनी राय में संशोधन करना पड़ता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियां कंपनी और उसके संयुक्त उपक्रमों को क्रियाशील इकाई के रूप में न बने रहने का कारण बन सकती है।

- प्रकटन सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुतिकरण, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, और क्या समेकित वित्तीय विवरण वास्तविक लेनदेनों और घटनाओं का इस प्रकार वर्णन करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण के उद्देश्य को प्राप्त करता हो।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने के लिए कंपनी और उसके संयुक्त उद्यमों के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनका लेखापरीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी बने रहेंगे। हम अपनी लेखा परीक्षा राय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। इस संबंध में हमारी जिम्मेदारियों को इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट में अन्य मामले शीर्षक वाले खंड के पैरा 1 से पैरा 4 में आगे वर्णित किया गया है।

प्रत्यक्षता (Materiality) समेकित वित्तीय विवरणों में मिथ्या कथनी की मात्रा है जो. व्यक्तिगत या समग्र रुप से, वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय को प्रभावित कर सकता है। हम (i) अपने लेखा परीक्षा कार्य क्षेत्र की योजना बनाने और परिणामों का मूल्यांकन करने में और (ii) वित्तीय वितरणों में पाई गई किसी मिथ्या कथनी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक भौतिकता (Materiality) और गुणात्मक कारकों (Qualitative factors) पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ ही लेखा परीक्षा के योजनाबद्ध कार्य क्षेत्र एवं समय सीमा के निर्धारण और हमारी लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमी सहित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के बारे में अभिशासन प्रभारियों से संवाद करते हैं।

हमने अभिशासन के प्रभारियों को स्वतंत्रता की प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुपालन संबंधी एक विवरण प्रदान किया है और हमारी स्वतंत्रता के साथ, और जहां लागू हो संगत सुरक्षा से तर्कसंगत रुप से लगाने वाले उन सभी रिश्तों एवं अन्य विषयों के बारे में उन्हें बता दिया है।

अभिशासन के प्रभारियों को वर्णित विषयों में से, हमने उन विषयों का निर्धारण किया है जो समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के सबसे महत्वपूर्ण/ उल्लेखनीय है और इसलिए के प्रधान लेखा परीक्षा विषय हैं। हम अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इन विषयों का वर्णन करते हैं जब तक कि विधि या विनियमन इन विषयों के प्रकटीकरण को निषेध ना करता हो, और अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में जब हमें यह प्रतीत हो की इस विषय के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करना चाहिए है क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणाम इस सूचना के जनहित लाभों पर हावी होने की यथोचित संभावना है।

अन्य विषय

1. हमने कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों में सम्मिलित 14 (चौदह) शाखाओं के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं का लेखा-परीक्षण नहीं किया है, जिनके वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं में 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार ₹46,711 करोड़ की कुल परिसंपत्तियाँ तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹20,696 करोड़ की कुल आय दर्शाती है, जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में माना गया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं का लेखा-परीक्षण संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और इन शाखाओं से संबंधित राशियों तथा प्रकटीकरणों के संबंध में हमारी राय पूर्णतः उन शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।
2. हमने संयुक्त उपक्रम बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड ('बीजीजीटीएस') के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं का लेखा-परीक्षण नहीं किया है। समेकित वित्तीय परिणामों में, उपरोक्त संयुक्त उपक्रम बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड ('बीजीजीटीएस') के संबंध में, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के कर पश्चात शुद्ध लाभ ₹59.01 करोड़ एवं कुल समग्र आय ₹59.17 करोड़ का हिस्सा भी शामिल है, जैसा कि समेकित लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों में दर्शाया गया है। ये लेखा-अपरीक्षित वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई है, और उपरोक्त संयुक्त उपक्रम से संबंधित राशियों और प्रकटीकरणों के संदर्भ में हमारी राय का आधार केवल इन्हीं लेखा-अपरीक्षित वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं पर आधारित है।
3. हमने दो संयुक्त नियंत्रण वाली संस्थाओं अर्थात् रायचूर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण नहीं किया है। समेकित वित्तीय विवरणों में इन संयुक्त नियंत्रण वाली संस्थाओं का शुद्ध हानि एवं अन्य समग्र हानि का हिस्सा शामिल नहीं है, क्योंकि कंपनी ने पहले ही इन संयुक्त उपक्रमों में अपने निवेश लागत के बराबर संचित हानियों को अपनी वित्तीय विवरणियों में मान्यता दे दी है। रायचूर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. के ये वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं तथा इनकी वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना हमें कंपनी के प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई है, और उक्त संयुक्त उपक्रमों से संबंधित राशियों एवं प्रकटीकरणों के संदर्भ में इस विवरण पर हमारी राय पूरी तरह इन्हीं अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों/ वित्तीय सूचनाओं पर आधारित है।
4. हमने संयुक्त नियंत्रण वाली इकाई भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड (बीसीजीसीएल) के वित्तीय विवरणों का ऑडिट नहीं किया है। समेकित वित्तीय विवरणों में इस संयुक्त नियंत्रण वाली इकाई के शुद्ध हानि और अन्य समग्र हानि में हिस्से को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि कंपनी ने अपनी वित्तीय विवरणों में इस इकाई के संबंध में निवेश लागत के बराबर संचित हानियों को पहले ही मान्यता दी हुई है। भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड (बीसीजीसीएल) के वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचनाओं का लेखा परीक्षा किसी अन्य लेखा परीक्षक द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्टें कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई हैं।
5. बीएचईएल के एक संयुक्त उद्यम पावरप्लांट परफॉरमेंस इम्प्रूवमेंट्स लिमिटेड के खातों को समेकित नहीं किया गया है क्योंकि उक्त कंपनी परिसमापन के अधीन है और इक्विटी निवेश की पूरी राशि प्रदान कर दी गई है।

प्रबंधन द्वारा प्रमाणित लेखा परीक्षा पूर्व वित्तीय विवरणों और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर निर्भरता के संबंध में समेकित वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय, और नीचे दी गई अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट उपरोक्त विषयों के सापेक्ष संशोधित नहीं की गई है।

अन्य विधि एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट-

1. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के प्रबंधन द्वारा प्रमाणित आलेख परीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार के आधार पर जैसाकि "अन्य मामले" पैराग्राफ में संदर्भित हैं, हम, लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि :

(क) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर हमने उक्त कथित समेकित वित्तीय विवरणों कि लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक जानकारियां एवं स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त कर लिए हैं;

(ख) हमारे विचार से, कंपनी ने उक्त कथित समेकित वित्तीय विवरण बनाने के संबंध में विधि के अनुसार लेखा बहियाँ बनाई है, जहां तक हमारे द्वारा इन बहियों की जांच से और अन्य प्रबंधन प्रमाणित वित्तीय रिपोर्टों से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट के साथ व्यवहृत समेकित बैलेंस शीट, लाभ और हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय/हानि सहित), इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण, समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से बनाई गई संगत लेखा पुस्तिकाओं के अनुबंध में है;

(घ) हमारी राय में, पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 सहपठित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित, के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं,

(ङ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं.: जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 05-06-2015 कंपनी पर लागू नहीं है;

(च) कंपनी और भारत में गठित उसके संयुक्त उद्यमों के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की संचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया हमारे पृथक रिपोर्ट "अनुलग्रक -क" का अवलोकन करें । हमारी यह रिपोर्ट कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और संचालन की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करती है।

(छ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05 जून 2015 के अनुसार, अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों की आवश्यकता के अनुसार रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है;

(ज) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में, लेखा परीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य विषयों को हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें प्रदत्त स्पष्टीकरण के अनुरुप और संयुक्त रुप से नियंत्रित इकाइयों की अन्य वित्तीय जानकारी के रूप में पृथक वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन प्रमाणित वित्तीय विवरणों पर विचार सहित "अन्य विषय" पैराग्राफ में उल्लेखित किया गया है

i. समेकित वित्तीय विवरण कंपनी और संयुक्त उद्यमों की समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटीकरण करते हैं - समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी 33 देखें;

ii. दीर्घकालिक अनुबंधों में मूर्त निकटवर्ती हानि, यदि हो तो, के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में प्रावधान किया गया है जैसा कि लागू कानून या भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत आवश्यक है, ऐसे मदों के संदर्भ में समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 40 देखें क्योंकि इनका संबंध कंपनी तथा संयुक्त उद्यम इकाइयों से है;

iii. कंपनी और भारत में निगमित संयुक्त उद्यमों द्वारा द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (इंवेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड) में स्थानांतरित की जाने वाली राशि को स्थानांतरित करने में कोई विलंब नहीं किया गया है।

iv. (क) कंपनी और उसके संयुक्त उद्यमों के संबंधित प्रबंधन जिनके वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं, ने हमें बताया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी या ऐसी किसी संयुक्त उद्यम द्वारा किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(ओं) में, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("मध्यस्थ") शामिल हैं, कोई भी धनराशि अग्रिम, ऋण या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में हो या नहीं, कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या निवेश करेगा ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा। मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या निवेश करेगा ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।

(ख) कंपनी और उसके संयुक्त उद्यमों के संबंधित प्रबंधन जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, जिनके वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं, ने हमें बताया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी या ऐसे किसी भी संयुक्त उद्यम द्वारा किसी भी व्यक्ति(यों) या संस्था(ओं) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("वित्तपोषण पक्ष") सहित, कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या नहीं, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषण पक्ष ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।

(ग) परिस्थितियों के अनुरूप उचित और युक्तिसंगत माने गए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं आई है जिससे यह विश्वास हो कि नियम (ए) और (बी) में प्रदान किए गए नियम 11(ई) के उप-खंड (i) के अंतर्गत दिए गए विवरण में कोई भौतिक त्रुटि है।

v. जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 31 में वर्णित है

(क) पिछले वर्ष के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश, जिसे कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान घोषित और भुगतान किया गया है, अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है, जैसा लागू हो।.

(ख) वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई अंतरिम लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है।

(ग) कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव रखा है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है, जहाँ तक यह लाभांश की घोषणा पर लागू होती है।

vi. हमने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (संशोधित 2024 संस्करण) के नियम 11(ग)) के अंतर्गत लेखा परीक्षा अनुक्रम पर रिपोर्टिंग हेतु कार्यान्वयन मार्गदर्शन के अनुसार की गई परीक्षा, जिसमें परीक्षण के आधार पर जाँच और उन संयुक्त उद्यमों के संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए लेखा परीक्षा शामिल है जिनके वित्तीय विवरण अधिनियम के अंतर्गत लेखा परीक्षा किए गए हैं, जिसके आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी तथा उपरोक्त उल्लिखित संयुक्त उद्यमों ने अपनी लेखा पुस्तकों के संधारण हेतु जिस लेखांकन सॉफ़्टवेयर का उपयोग किया, उसमें लेखा परीक्षा अनुक्रम (एडिट लॉग) की सुविधा उपलब्ध थी और यह सुविधा वर्ष भर सभी संबंधित लेन-देन के लिए सॉफ़्टवेयर में संचालित रही।

इसके अतिरिक्त, हमारे लेखा परीक्षण के दौरान हमें लेखा-परीक्षण अनुक्रम से छेड़छाड़ का कोई भी मामला सामने नहीं आया, और कंपनी द्वारा रिकॉर्ड संरक्षण हेतु वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार लेखा-परीक्षण अनुक्रम को सुरक्षित रखा गया है। हालांकि, एक शाखा के मामले में अपवाद पाया गया, जहाँ 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए डीबेस एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया था, जिसमें लेखा परीक्षा अनुक्रम (एडिट लॉग) दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा, 06-01-2024 से 15-01-2024 की अवधि के दौरान बीएचईएल में मालवेयर हमले के कारण कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया।

2. कंपनियों (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 की अनुच्छेद 3 (xxi) एवं 4 से संबंधित विषय में, यह उल्लेख किया गया है कि "अन्य विषय" शीर्षक अनुभाग में वर्णित चार संयुक्त उद्यमों के लेखा परीक्षण नहीं हुए हैं, और एक लेखापरीक्षित संयुक्त उद्यम के मामले में, उस इकाई के लेखापरीक्षकों द्वारा सीएआरओ लागू नहीं होता है तथा उनकी ओर से कोई रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। कंपनी के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए तैयार की गई एकल वित्तीय विवरण पर हमारे द्वारा जारी सीएआरओ रिपोर्ट के आधार पर, हम यह सूचित करते हैं कि सीएआरओ रिपोर्ट में कोई आपत्तिकर टिप्पणी या प्रतिकूल अनुशंसा नहीं की गई है।

पीएसएमजी एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकांउटेंट
एफआरएन-008567सी

(प्रबुद्ध गुप्ता)
भागीदार
M. No. 400189
UDIN:25400189BMMKQN5182

एबीपी एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकांउटेंट
एफआरएन-315104ई

(प्रभात कुमार पांडा)
भागीदार
M. No. 057140
UDIN:25057140BMKTQP7059

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16.05.2025

अनुलग्नक “क” भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की इंड एएस के अनुरूप समेकित वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की समान तिथि की रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (1) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (जिसे आगे “कंपनी” कहा गया है) तथा भारत में स्थापित संयुक्त उपक्रमों के 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के साथ-साथ, हमने उस तिथि के अनुसार कंपनी और उसके संयुक्त उपक्रमों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का भी लेखा परीक्षा किया है। हमने पांच संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा नहीं किया है, जिनमें से चार संयुक्त उपक्रमों के वित्तीय विवरण अप्राप्त हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी और संयुक्त उद्यम जो भारत में निगमित की गई कंपनियां हैं के संगत निदेशक मण्डल, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण दिशा निर्देश नोट में कथित आंतरिक नियंत्रण के वांछित घटकों पर विचार करते हुये कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और इसे बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी का समयबद्ध बनाया जाना, लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता और संपूर्णता, त्रुटियों व धोखाधड़ी का पता लगाना और रोकथाम, कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, संबंधित कंपनी की नीतियों का दृढ़ता से पालन सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रुप से क्रियाशील पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव इन जिम्मेदारियों में सम्मिलित है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण मार्गदर्शन नोट (“दिशानिर्देश नोट”) एवं आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षण के लिए लागू, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षण की सीमा लागू करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित समझी गई हों, के अनुरूप हम अपना लेखा परीक्षण करते हैं। उन मानकों और दिशानिर्देश नोट की अपेक्षा है कि हम नैतिक अपेक्षाओं की पूर्ति करें और इस तथ्य पर यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित था और यह नियंत्रण सभी मूर्त पहलुओं पर प्रभावी रूप से संचालित था, लेखा परीक्षा योजना बनाएं तथा लेखापरीक्षा करें।

हमारी लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और इसकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों कि समझ प्राप्त करना, किसी मूर्त निर्बलता के होने का संकट का आकलन और आकलित संकट के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता एवं डिजाइन का मूल्यांकन व परीक्षण करना शामिल है। वित्तीय विवरणों की मूर्त मिथ्या कथन, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, का संकट के आकलन सहित लेखा परीक्षकों के निर्णय पर प्रक्रियाएं चयनित की जाती है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, तथा भारत में निगमित शाखाओं और संयुक्त उद्यमों के अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा ‘अन्य विषय’ अनुच्छेद में उल्लिखित उनकी रिपोर्टों के अनुसार प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी एवं भारत में निगमित इसकी संयुक्त उद्यम कंपनियों के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

किसी कंपनी की समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरुप बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी करने हेतु डिजाइन की जाती है। कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं. जो (1) ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, जिसमें कंपनी की सम्पत्तियों के लेनदेनों और निपटान का यथार्थ और उचित रुप में युक्तियुक्त विवरण दर्शाया गया है। (2) उचित आश्वासन देते हैं कि लेनदेन सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए दर्ज हो रहे हैं और कंपनी कि प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी प्रबंधन और कंपनी के निदेशक प्राधिकरण के अनुसरण में हो रही है और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान जो वित्तीय विवरणों पर मूर्त प्रभाव डाल सकते हैं, का समय पर पता लगाने या रोकथाम के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करें।

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं जिनमें मिलीभगत की संभावना, नियंत्रण अधिभाव का अनुचित प्रबंधन शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका

पता नहीं चल पाता। इसके अतिरिक्त, भविष्य की अवधि के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन है कि स्थितियों में परिवर्तन के कारण अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर में कमी के कारण समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है।

अन्य विषय

अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी उपरोक्त रिपोर्ट, जहां तक पांच संयुक्त रुप से नियंत्रित इकाइयों, जो कि भारत में निगमित कंपनियाँ है, से संबंधित है, भारत में निगमित इन पांच संयुक्त रुप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंधित प्रबंधन प्रमाणपत्र पर आधारित है।

अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी उपरोक्त रिपोर्ट, जहाँ तक भारत में निगमित पाँच संयुक्त उद्यमों से संबंधित है, जिनमें से चार संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी का लेखा परीक्षा नहीं किया गया है, इस पर आधारित है। तथापि, इन संयुक्त उद्यमों में कंपनी की शुद्ध लाभ/हानि (अन्य समग्र आय सहित) की हिस्सेदारी और इन समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल उनके संबंध में किए गए प्रकटीकरण कंपनी के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं, अतः समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी राय प्रभावित नहीं होती है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी रिपोर्ट में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

राय

हमारी राय में, और हमारी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी तथा इसके संयुक्त उद्यम, जो कि भारत में निगमित संस्थाएं हैं ने समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित की है और यह प्रणाली 31 मार्च 2025 को समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में प्रभावी रूप से संचालित हो रही थी। यह मूल्यांकन कंपनी तथा इसके भारत में निगमित संयुक्त उद्यम द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रण मानदंडों और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शिका में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

पीएसएमजी एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकांउटेंट
एफआरएन-008567सी

(प्रबुद्ध गुप्ता)
भागीदार
M. No. 400189
UDIN:25400189BMMKQN5182

एबीपी एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकांउटेंट
एफआरएन-315104ई

(प्रभात कुमार पांडा)
भागीदार
M. No. 057140
UDIN:25057140BMKTQP7059

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16.05.2025

No. DGA(E)/Rep/01-55/A/cs-BHEL-CFS/2025-26/216
+ गोपनीय

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
कार्यालय महा निदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)
नई दिल्ली

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Director General of Audit (Energy)
New Delhi

Dated: 23/07/2025

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड,
नई दिल्ली

विषय:- 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के समेकित वित्तीय विवरण (Consolidated Financial Statement) पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) एवं धारा 129(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरण (Consolidated Financial Statement) पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) एवं धारा 129(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रही हूँ। कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

भवदीया,

संलग्नक:- यथोपरि।

तनुजा मित्तल
(तनुजा मित्तल)
महानिदेशक (ऊर्जा)

पाँचवा, छठा, सातवाँ एवं दसवाँ तल, सी.ए.जी बिल्डिंग, एनैक्सी, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002
5th, 6th, 7th & 10th Floor, C.A.G. Building Annexe, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002
Tel.: 011-23239213, 23239211, Email : pdaenergydl@cag.gov.in

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) READ WITH SECTION 129(4) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2025

The preparation of consolidated financial statements of Bharat Heavy Electricals Limited for the year ended 31 March 2025 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) read with section 129 (4) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 read with section 129 (4) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 16 May 2025.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the consolidated financial statements of Bharat Heavy Electricals Limited for the year ended 31 March 2025 under Section 143(6)(a) read with section 129(4) of the Act. We conducted a supplementary audit of the financial statements of Bharat Heavy Electricals Limited and Bharat Coal Gasification and Chemicals Limited but did not conduct supplementary audit of the financial statements of NTPC-BHEL Power Projects Private Limited and Raichur Power Corporation Limited for the year ended on that date. Further, Section 139(5) and 143(6)(a) of the Act are not applicable to BHEL-GE Gas Turbine Services Private Limited, being private entity, for appointment of their Statutory Auditor(s) and for conduct of supplementary audit. Accordingly, Comptroller & Auditor General of India has neither appointed the Statutory Auditor(s) nor conducted the supplementary audit of this company. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Tanuja Mittal

(Tanuja Mittal)
Director General of Audit (Energy)

Place: New Delhi
Date: 23/07/2025

समेकित बैलेंस शीट

31, मार्च 2025 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोट	पेज	31 मार्च 2025 की स्थिति		31 मार्च 2024 की स्थिति	
अ. परिसंपत्तियां						
1. गैर चालू परिसंपत्तियाँ						
(क) संपत्ति, प्लांट एवं उपकरण	3a	277		2862.46		2510.69
(ख) पूंजीगत चालू कार्य	3b	277		161.70		282.32
(ग) निवेश संपत्ति	3c	278		0.45		
(घ) अमूर्त परिसंपत्तियां	4a	281		84.27		63.35
(ङ) विकासशील अमूर्त परिसंपत्तियां	4b	282		33.73		26.04
(च) इक्विटी पध्दति का उपयोग करने के लिए निवेश की गणना	5	283		275.57		254.48
(छ) वित्तीय परिसंपत्तियां				275.57		
(i) निवेश	5a	284	0.00		1.19	
(ii) व्यापार प्राप्य	6	285	3046.58		3224.69	
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	7	287	715.95	3762.53	206.10	3431.98
(ज) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध देनदारियाँ)	8	287		4067.72		4201.26
(i) अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां	9	288		14074.98		13689.69
कुल गैर वर्तमान परिसंपत्तियां				**25323.41**		**24459.81**
2. चालू परिसंपत्तियां						
(क) माल सूची	10	289		9869.49		7220.57
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां						
(i) व्यापार प्राप्य	6	285	5884.35		4785.38	
(ii) नगद एवं नगद समकक्ष	11	290	439.21		1835.04	
(iii) नगद एवं नगद समकक्ष के अतिरिक्त अन्य बैंक बैलेंस	12	290	7173.20		4322.43	
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	7	287	300.76	13797.52	239.82	11182.67
(ग) चालू कर परिसंपत्तियां (शुध्द)	13	290		137.37		229.07
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	9	288		18955.39		15909.80
कुल चालू परिसंपत्तियां				**42759.77**		**34542.11**
कुल परिसंपत्तियां				**68083.18**		**59001.92**
आ. इक्विटी एवं देयताएं						
3. इक्विटी						
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	14	291		696.41		696.41
(ख) अन्य इक्विटी	15	291		24025.75		23742.24
कुल इक्विटी				**24722.16**		**24438.65**
4. देयताएं						
4.1 गैर चालू देयताएं						
(क) वित्तीय देयताएं						
(i) पट्टा देयताएं	16	292	162.39		23.55	
(ii) व्यापार देय	17	292				
(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया राशि			-		-	
(ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य का कुल बकाया राशि			2170.79		2292.76	
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	18	294	422.79	2755.97	407.87	2724.18

समेकित बैलेंस शीट

31, मार्च 2025 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोट	पेज	31 मार्च 2025 की स्थिति		31 मार्च 2024 की स्थिति	
(ख) प्रावधान	19	294		2585.56		2489.08
(ग) अन्य गैर चालू देयताएं	20	294		9793.90		4102.77
कुल गैर चालू देयताएं				**15135.43**		**9316.03**
4.2. चालू देयताएं						
(क) वित्तीय देयताएं						
(i) उधार	21	295	8795.00		8808.00	
(ia) पट्टा देयताएं	16	292	57.21		24.91	
(ii) व्यापार देय	17	292				
(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया राशि			1430.24		1000.59	
(ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य का कुल बकाया राशि			8110.68		7538.79	
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	18	294	1240.52	19633.65	1493.32	18865.61
(ख) प्रावधान	19	294		1815.31		2318.27
(ग) अन्य चालू देयताएं	20	294		6776.63		4063.36
कुल चालू देयताएं				**28225.59**		**25247.24**
कुल देयताएं				**43361.02**		**34563.27**
कुल इक्विटी एवं देयताएं				**68083.18**		**59001.92**

तैयारी का आधार, मापन एवं सामग्री लेखांकन नीतियां	2	270

साथ में दिए गए नोट (1-55) इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न हिस्सा है

निदेशक मण्डल की ओर से एवं उनके लिए

(योगेश आर. छाबड़ा)
कंपनी सचिव
M. No. F 7463

(राजेश कुमार द्विवेदी)
निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
DIN: 10048893

(के. सदाशिव मूर्ति)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN: 09184201

समान तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

एबीपी एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN – 315104E

(प्रभात कुमार पांडा)
भागीदार
M No. 057140

पीएसएमजी एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN – 008567C

(प्रबुद्ध गुप्ता)
भागीदार
M. No. 400189

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : मई 16, 2025

लाभ हानि का समेकित विवरण

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोट	पेज	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	
आय						
परिचालनों से राजस्व	**22**	**296**		28339.48		23892.78
अन्य आय	**23**	**296**		465.31		546.27
कुल आय				**28804.79**		**24439.05**
व्यय						
खपत किए गए कच्चे माल की लागत				8207.65		6116.27
खरीदी गई वस्तुओं की खरीद				6757.99		5868.46
सिविल, इरेक्शन और इंजीनियरिंग खर्च				4989.22		4908.84
स्टोर और स्पेयर की खपत				432.61		350.28
तैयार माल, प्रगतिशील कार्य एवं स्क्रेप की माल सूची में परिवर्तन	**24**	**297**		(1542.32)		(436.74)
कर्मचारी लाभ व्यय	**25**	**297**		5923.42		5628.84
अन्य व्यय	**26**	**298**		2329.34		844.23
वित्तीय लागत	**27**	**299**		748.33		731.29
मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च	**3.1** **3.2** **4.1**	**279** **281** **282**		271.96		248.90
कुल व्यय				**28118.20**		**24260.37**
इक्विटी प्रणाली का उपयोग कर निवेश का लाभ (हानि) पूर्व शेयर का शुध्द लाभ/ (पूर्व) तथा कर				**686.59**		**178.68**
इक्विटी प्रणाली का उपयोग कर संयुक्त उद्यम का शुध्द लाभ / (हानि)				59.01		63.98
कर पूर्व लाभ				**745.60**		242.66
कर व्यय	**28**	**299**				
क) वर्तमान कर			23.16		(112.56)	
ख) आस्थगित कर			188.54	211.70	73.00	(39.56)
वर्ष के लिए लाभ (क)				**533.90**		**282.22**
अन्य व्यापक आय	**29**	**300**				
वे आइटम जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (शुद्ध कर)						
- निर्धारित कर्मचारी लाभों का पुनर्मापन				(163.50)		(82.41)
- इक्विटी प्रणाली का उपयोग कर संयुक्त उद्यम में ओसीआई का शेयर				0.16		(0.14)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (ख)				**(163.34)**		**(82.55)**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (क+ख)				**370.56**		**199.67**
स्रोतजन्य परः						
मूल इकाई के इक्विटी धारक				370.56		199.67
गैर नियंत्रित ब्याज						
कुल				**370.56**		**199.67**
वर्ष की कुल अन्य व्यापक आय						
स्रोतजन्य परः						
मूल इकाई के इक्विटी धारक				(163.34)		(82.55)
गैर नियंत्रित ब्याज						
कुल				**(163.34)**		**(82.55)**

लाभ हानि का समेकित विवरण

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोट	पेज	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष का कुल लाभ				
स्रोतजन्य परः				
मूल इकाई के इक्विटी धारक			533.90	282.22
नियंत्रित ब्याज				
कुल			**533.90**	**282.22**
प्रति इक्विटी शेयर आय	**30**	**300**		
(1) मूल (प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 2)			1.53	0.81
(2) मिश्रित (प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 2)			1.53	0.81

तैयारी का आधार, मापन एवं सामग्री लेखांकन नीतियां	2	270

साथ में दिए गए नोट (1-55) इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न हिस्सा है

निदेशक मण्डल की ओर से एवं उनके लिए

(योगेश आर. छाबड़ा)
कंपनी सचिव
M. No. F 7463

(राजेश कुमार द्विवेदी)
निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
DIN: 10048893

(के. सदाशिव मूर्ति)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN: 09184201

समान तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

एबीपी एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN – 315104E

(प्रभात कुमार पांडा)
भागीदार
M No. 057140

पीएसएमजी एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN – 008567C

(प्रबुद्ध गुप्ता)
भागीदार
M. No. 400189

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : मई 16, 2025

इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

अ. इक्विटी शेयर पूँजी

(₹ करोड़ में)

₹ 2 प्रत्येक के इक्विटी शेयर जारी, अभिदान और पूर्ण भुगतान	शेयरों की संख्या		राशि	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
वर्ष की शुरुआत में शेष	**3482063355**	3482063355	**696.41**	696.41
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	**-**	-	**-**	-
वर्ष के अंत में शेष	**3482063355**	**3482063355**	**696.41**	**696.41**

ब. अन्य इक्विटी

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	आरक्षित एवं अधिशेष				अन्य व्यापक आय की अन्य मदें	कुल अन्य इक्विटी*	अनियंत्रित ब्याज
	आरक्षित पूँजी	पूंजी मोचन कोष	सामान्य कोष	प्रतिधारित आय			
01 अप्रैल 2024 को शेष राशि	**35.18**	**37.87**	**30476.66**	**(6390.15)**	**(417.32)**	**23742.24**	**-**
पूर्व अवधि की त्रुटियों के लिए लेखांकन में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-
1 अप्रैल 2024 की स्थिति के अनुसार प्रतिधारित शेष राशि	**35.18**	**37.87**	**30476.66**	**(6390.15)**	**(417.32)**	**23742.24**	**-**
जोड़ें: वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	533.90	(163.34)	370.56	-
घटाएँ: अंतिम लाभांश	-	-	-	(87.05)	-	(87.05)	-
31 मार्च 2025 को शेष राशि	**35.18**	**37.87**	**30476.66**	**(5943.29)**	**(580.65)**	**24025.75**	**-**

* कुल अन्य इक्विटी मूल कंपनी के मालिकों का प्रतिनिधित्व करती है

इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ करोड़ में)

विवरण	आरक्षित एवं अधिशेष				अन्य व्यापक आय की अन्य मदें	कुल अन्य इक्विटी*	अनियंत्रित ब्याज
	आरक्षित पूँजी	पूंजी मोचन कोष	सामान्य कोष	प्रतिधारित आय			
01 अप्रैल 2023 को शेष राशि	**35.18**	**37.87**	**30476.66**	**(6533.10)**	**(334.76)**	**23681.85**	**-**
पूर्व अवधि की त्रुटियों के लिए लेखांकन में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-
1 अप्रैल 2023 की स्थिति के अनुसार प्रतिधारित शेष राशि	**35.18**	**37.87**	**30476.66**	**(6533.10)**	**(334.76)**	**23681.85**	**-**
जोड़ें: वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	282	(82.55)	199.67	-
घटाएँ: अंतिम लाभांश	-	-	-	(139.28)	-	(139.28)	-
31 मार्च 2024 को शेष राशि	**35.18**	**37.87**	**30476.66**	**(6390.15)**	**(417.32)**	**23742.24**	**-**

* कुल अन्य इक्विटी मूल कंपनी के मालिकों का प्रतिनिधित्व करती है

निदेशक मण्डल की ओर से एवं उनके लिए

(योगेश आर. छाबड़ा)
कंपनी सचिव
M. No. F 7463

(राजेश कुमार द्विवेदी)
निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
DIN: 10048893

(के. सदाशिव मूर्ति)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN: 09184201

समान तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

एबीपी एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN – 315104E

(प्रभात कुमार पांडा)
भागीदार
M No. 057140

पीएसएमजी एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN – 008567C

(प्रबुद्ध गुप्ता)
भागीदार
M. No. 400189

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : मई 16, 2025

नकदी प्रवाह का समेकित विवरण

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
अ. परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कर पूर्व लाभ/ (हानि)	**745.60**	**242.66**
समायोजन के लिए:		
प्रावधान एवं राइट ऑफ	(879.13)	(1188.18)
मूल्य ह्रास एवं परिशोधन	271.96	248.90
वित्तीय लागत (ब्याज की छूट सहित)	748.33	731.29
ब्याज एवं लाभांश आय	(402.63)	(493.78)
संयुक्त उद्यमों में हानि/ (लाभ) का हिस्सा	(59.01)	(63.98)
अप्राप्त विदेशी मुद्रा हानि/ (लाभ)	(16.97)	56.03
सरकारी अनुदान का परिशोधन	(8.99)	(15.62)
अन्य में निवेश और पीपीई की बिक्री पर लाभ और निवेश की हानि सहित	(18.03)	(7.78)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व परिचालनों से प्राप्त नकद	**381.13**	**(490.46)**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के लिए समायोजनः		
व्यापारिक प्राप्तियां	(1002.80)	(2469.24)
अनुबंध संपत्तियां	(1960.76)	(13.70)
मालसूची	(2632.53)	(503.04)
ऋण अग्रिम एवं अन्य संपत्तियां	(1448.62)	(737.22)
उप कुल	**(7044.71)**	**(3723.20)**
व्यापारिक देयताएं	846.94	(1119.43)
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम, जमा एवं अन्य	7927.25	1398.02
उप कुल	**8774.19**	**278.59**
शुद्ध नकदी (उपयोग की गई)/ कार्यशील पूंजी से	**1729.48**	**(3444.61)**
परिचालन से उत्पन्न/ (उपयोग की गई) नकदी	**2110.60**	**(3935.07)**
आय कर भुगतान	(154.41)	(158.48)
आयकर वापसी	235.70	380.65
परिचालन गतिविधियों से प्राप्त शुद्ध नकदी / (उपयोग की गई)	**2191.89**	**(3712.90)**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
बैंक जमा का प्रतिदान/परिपक्वता (मूल परिपक्वता 3 माह से अधिक की होने पर)	(2878.41)	1112.69
प्राप्त ब्याज	371.74	399.30
निवेश से बिक्री आय	5.76	0.80
संयुक्त उद्धमों से प्राप्त लाभांश	38.08	41.65
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति की बिक्री	13.46	8.92
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति की खरीद	(281.54)	(232.50)
शुद्ध नकदी (उपयोग की गई) निवेश गतिविधियों से	**(2730.91)**	**1330.86**

नकदी प्रवाह का समेकित विवरण

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
ग. वित्त पोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अल्पावधि ऋण से आय	(13.00)	3423.00
पट्टे की बाध्यता (मूलधन) की कार्यवाही/ (चुकौती)	(62.60)	(34.32)
लीज दायित्व (ब्याज) की कार्यवाही/ (चुकौती)	7.24	(4.73)
लाभांश भुगतान	(87.44)	(139.45)
ब्याज भुगतान	(701.01)	(588.76)
निवल नकद (प्रयुक्त) / वित्तपोषण गतिविधियों से (देखें बिंदु 4)	**(856.81)**	**2655.74**
घ. नकदी व नकदी समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/ (ह्रास)	**(1395.83)**	**273.70**
नकदी व नकदी समकक्ष का प्रारंभिक शेष (अतिरिक्त नकद ऋण को छोड़कर)	**1835.04**	**1561.34**
नकदी व नकदी समकक्षों का जमा शेष (नोट 11 देखे)	**439.21**	**1835.04**

(1) इंड एएस-7 नकदी प्रवाह विवरण में वर्णित अप्रत्यक्ष विधि के तहत नकदी प्रवाह का विवरण तैयार किया गया है।

(2) पिछले वर्ष के आंकड़े जहां कहीं भी लागू किए गए हैं, उन्हें फिर से एकत्र/पुनर्गठित किया गया है।

(3) नकद और नकद समकक्षों के अंतिम शेष में 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार शून्य करोड़ (पिछले वर्ष ₹ शून्य करोड़) की विनिमय भिन्नता हानि शामिल है।

(4) वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों में परिवर्तन नोट [21 (vi)] एवं नोट [37 बी] पर उपलब्ध है।

(5) वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹12.69 करोड़ रुपये की ब्याज सहित, ₹ 235.70 करोड़ रुपये की आयकर रिफंड राशि प्राप्त किया है।

निदेशक मण्डल की ओर से एवं उनके लिए

(योगेश आर. छाबड़ा)
कंपनी सचिव
M. No. F 7463

(राजेश कुमार द्विवेदी)
निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
DIN: 10048893

(के. सदाशिव मूर्ति)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN: 09184201

समान तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

एबीपी एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN – 315104E

(प्रभात कुमार पांडा)
भागीदार
M No. 057140

पीएसएमजी एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN – 008567C

(प्रबुद्ध गुप्ता)
भागीदार
M. No. 400189

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : मई 16, 2025

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट [1] कंपनी के बारे में सूचना

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ("बीएचईएल या कंपनी") भारत में स्थित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है और इसका पंजीकृत कार्यालय बीएचईएल हाउस, सीरी फोर्ट, नई दिल्ली-110049 में है।

यह निगमित विद्युत संयंत्र उपकरण निर्माता कंपनी है जो अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों जैसे विद्युत, पारेषण, उद्योग, परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, जल, तेल एवं गैस और रक्षा एवं एयरोस्पेस हेतु व्यापक श्रेणी के उत्पादों एवं सेवाओं के डिजाइन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण, परीक्षण, कमीशनिंग एवं सर्विसिंग का कार्य कर रही है।

नोट [2] - सामग्री लेखांकन नीतिया (समेकित वित्तीय विवरण)

1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधारः

क) अनुपालन का विवरण:

वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और उसके बाद के संशोधनों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 में और उसके संशोधनों के अनुसार वित्तीय विवरण के लिए लागू अतिरिक्त अपेक्षाओं के अधीन कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड-एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं।

ख) माप का आधार

वित्तीय विवरण क्रियाशील इकाई प्रतिष्ठान (going concern) आधार पर और संग्रहण (accrual) लेखांकन प्रणाली के आधार पर तैयार किया गया है। जब तक पॉलिसी में अन्यथा उल्लेखित न हो वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए ऐतिहासिक लागत का उपयोग किया जाता है।

ग) कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपयों में तैयार किए जाते हैं, जो कंपनी की फंक्शनल करेंसी (कार्यकारी मुद्रा) है।

घ) लागत अनुमान और निर्धारण का उपयोग

इंड एएस के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को मूल्यांकन करने और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों और परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। अनुमानों की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। तदनुसार, लेखांकन अनुमानों में पूर्व प्रभाव से पुनरीक्षण किया जाता है।

लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण अनुमान और मूल्यांकन

वित्तीय विवरणों में उल्लिखित राशियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली लेखांकन नीतियों को लागू करने में किए गए अनुमान और मूल्यांकन इस प्रकार हैं:

i) राजस्व

कंपनी निर्माण ठेको/अनुबंधों के लिए राजस्व लेखांकन में अपनाए गए लागत दृष्टिकोण के आधार पर इनपुट पद्धति का उपयोग करती है। इनपुट पद्धति के उपयोग के लिए कंपनी को अपने निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के लिए कुल अपेक्षित लागत के सापेक्ष लागत का अनुमान लगाना अपेक्षित होता है। अनुबंध की अवधि के दौरान अनुमानों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है और कंपनी निर्धारित समयांतराल में प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपने प्रदर्शन दायित्वों की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति का पुनः आकलन करती है।

ताकि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौजूद परिस्थितियों और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान परिस्थितियों में हुए परिवर्तनों का ईमानदारी से प्रतिनिधित्व किया जा सके।

ii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

आवधिक मूल्यह्रास के संबंध में प्रभार का आकलन संपत्ति की अपेक्षित उपयोगी अवधि एवं इसकी समाप्ति के बाद अपेक्षित अवशिष्ट मूल्य का अनुमान करने के बाद किया जाता है। कंपनी की परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास विधि, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों का अनुमान प्रबंधन द्वारा परिसंपत्ति के अधिग्रहण के समय लगाया जाता है एवं इसकी समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान की जाती है।

iii) कर्मचारी लाभ योजनाएं

कर्मचारी परिभाषित लाभ योजनाएं और दीर्घकालिक लाभ योजनाएं बीमांकिक मान्यताओं के आधार पर मापी जाती हैं। हालाँकि, इन मान्यताओं में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का प्रभाव बताए गए दायित्वों और व्यय पर पड़ सकता है।

iv) प्रावधान और आकस्मिकताएँ

प्रावधानों और आकस्मिकताओं की पहचान हेतु सम्पन्न आकलन वर्तमान उपलब्ध सूचना के आधार पर प्रबंधन के सर्वोत्तम निर्धारण के अनुसार किए गए हैं।

2. संपत्ति संयंत्र और उपकरण (PPE)

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का अनुमान संचित मूल्यह्रास और संचित इम्पेयरमेंट हानि के नुकसान, यदि कोई हो तो, पर किया जाता है। ऐसी लागत में संयंत्र और उपकरण के हिस्से को बदलने की लागत और पात्र परिसंपत्तियों पर उधार लेने की लागत शामिल है, यदि मान्यता मानदंड पूरे होते हैं।

जब संयंत्र और उपकरण के महत्वपूर्ण हिस्सों को अंतराल पर बदलने की आवश्यकता होती है, तो कंपनी उनके विशिष्ट उपयोगी जीवन के आधार पर उन्हें अलग से मूल्यह्रास करती है। इसी प्रकार, जब कोई प्रमुख निरीक्षण किया जाता है, तो उसकी लागत को संयंत्र और उपकरण की वहन राशि में प्रतिस्थापन

के रुप में मान्यता दी जाती है, यदि मान्यता मानदंड संतुष्ट हैं। अन्य सभी मरम्मत एवं अनुरक्षण लागतों को लाभ या हानि में शामिल किया जाता है।

विभिन्न उपयोगी जीवन वाले महत्वपूर्ण घटकों का अलग से हिसाब लगाया जाता है और उनका मूल्यह्रास किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अनुबंध के तहत विदेश में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को छोड़कर) पर मूल्यह्रास कं पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी जीवन के अनुसार सीधी रेखा पद्धति पर लगाया जाता है, सिवाय निम्नलिखित मदों के जहां अनुमानित उपयोगी जीवन तकनीकी रुप से मूल्यांकित अनुमानित उपयोगी जीवन पर आधारित है: -

संपत्ति श्रेणी	अनुमानित उपयोगी जीवन (वर्षों में)
प्लांट एवं उपकरण	15-30
भवन	5-60
बिजली अधिष्ठापन एवं उपकरण	10-30
इरेकशन उपकरण, कैपिटल टूल्स एवं टैकल	5
जल निकासी, सीवरेज और जल आपूर्ति	30
सर्वर और नेटवर्क	5
सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र	25

मूल्यह्रास विधियां, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में की जाती है और परिवर्तन, यदि कोई हो, को संभावित रुप से गणना में लिया जाता है।

प्रॉपर्टी प्लांट और उपकरण जिनकी लागत ₹10,000 /- या उससे कम है और जिनका वर्ष की शुरुआत में लिखित मूल्य ₹10,000 /- रुपए या उससे कम है, का पूरी तरह से मूल्यह्रास होता है।

निर्माण/परियोजना स्थलों पर: सड़कों, पुलों और पुलियों की लागत अनुबंध की अवधि के दौरान पूरी तरह से परिशोधित कर दी जाती है, जबकि शेड, रेलवे साइडिंग, विद्युत संस्थापन और अन्य समान सक्षम कार्यों (अस्थायी संरचनाओं के अलावा) का अवशिष्ट मूल्य, यदि कोई हो, को बरकरार रखने के बाद अनुबंध की अवधि के दौरान मूल्यह्रास किया जाता है।

भारत के बाहर लंबी अवधि के अनुबंधों के लिए उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास अनुबंध की प्रारंभिक अवधि में होता है।

निर्माण के वर्ष में अस्थायी संरचनाएं पूरी तरह से ह्रासमान हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की कोई वस्तु और कोई भी महत्वपूर्ण भाग जिसे शुरु में मान्यता दी गई थी, उसे निपटान के समय या जब उसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, तब उसकी मान्यता रद्द कर दी जाती है। परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने पर होने वाला कोई भी लाभ या हानि (जिसकी गणना शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रुप में की जाती है) को परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने पर लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में

परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत निर्धारित दरों के बराबर/कम है। परिसंपत्तियों के वास्तविक उपयोग को प्रतिबिंबित करने के लिए, परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन तकनीकी

संपत्ति श्रेणी	अनुमानित उपयोगी जीवन (वर्षों में)
प्लांट एवं मशीनरी	2-25
बिजली अधिष्ठापन	2-10
फर्नीचर एवं फिक्सर	3-10
कम्प्यूटर्स	2-5
कार्यालय उपकरण	2-10

मूल्यांकन पर आधारित है।

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति का मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करते हुए प्रारंभ तिथि से लेकर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन की समाप्ति या पट्टे की अवधि की समाप्ति तक किया जाता है।

रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मामले में

मूल्यह्रास सीईआरसी/केईआरसी विनियम 2009 में निर्दिष्ट दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया जाता है।

परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास लागत के 90% की सीमा तक किया जाता है और 10% अवशिष्ट मूल्य के रुप में रखा जाता है।

परिसंपत्तियों में वृद्धि पर मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है, अर्थात उस तिथि से/तक, जब परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग (निपटान) के लिए उपलब्ध होती है। ₹5000 तक की लागत वाली व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का उस वर्ष पूर्ण मूल्यह्रास किया जाता है, जिसमें उनका उपयोग किया जाता है।

एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्धारित उपयोगी जीवन के अनुसार सीधी रेखा पद्धति पर लगाया जाता है।

3. पट्टे

व्यवस्था के आरंभ में ही कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि उक्त व्यवस्था पट्टा है अथवा इसमें पट्टा शामिल है।

क. उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियाँ

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का परिशोधन पट्टे की अवधि और उनके उपयोगी जीवन में से जो भी कम हो, उस पर किया जाता है, जब तक कि यह यथोचित रुप से निश्चित न हो कि कंपनी पट्टे की अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त कर लेगी।

ख. पट्टा देयताएँ

प्रारंभिक मान्यता पर, पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों को लागत पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के अंतर्गत पूंजीकृत किया जाता है, जिसमें वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता की प्रारंभिक गणना, प्रारंभिक पट्टा भुगतान में से प्रोत्साहन, प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और अंतर्निहित परिसंपत्तियों को नष्ट करने और हटाने की अनुमानित लागत, यदि कोई हो, शामिल होती है।

पट्टों के अंतर्गत किए गए पट्टा भुगतान को वित्त व्यय और बकाया पट्टा देयता में अंतर के बीच विभाजित किया जाता है। पट्टे की अवधि के दौरान प्रत्येक अवधि के लिए वित्त व्यय आवंटित किया जाता है ताकि देयता के शेष पर ब्याज की एक स्थिर आवधिक दर उत्पन्न हो सके।

ग. अल्पावधि पट्टे और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे

कंपनी अपने अल्पावधि पट्टों (यानी, वे पट्टे जिनकी पट्टा अवधि आरंभ तिथि से 12 महीने या उससे कम है और जिनमें खरीद विकल्प शामिल नहीं है) पर अल्पावधि पट्टा मान्यता छूट लागू करती है। यह कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे मान्यता छूट को भी लागू करती है जिन्हें कम मूल्य माना जाता है। अल्पावधि पट्टों और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टों पर पट्टा भुगतान को पट्टा अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

घ. वित्तीय पट्टे पर दी गई संपत्तियों के लिए, कंपनी प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके पट्टे की अवधि में वित्तीय आय को मान्यता देती है। आरंभिक प्रत्यक्ष लागतों को वित्तीय पट्टे की प्राप्य राशि के प्रारंभिक माप में शामिल किया जाता है और पट्टे की अवधि में मान्यता प्राप्त आय की राशि को कम किया जाता है।

ऑपरेटिंग लीज़ से उत्पन्न होने वाली लीज़ आय को सीधी रेखा के आधार पर लीज़ अवधि में आय के रूप में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि लीज़ किराए में आवधिक वृद्धि अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप हो।

4. अमूर्त परिसंपत्ति

₹ 10000 से अधिक की कीमत वाली अमूर्त वस्तुओं का कम संचित परिशोधन और संचित हानि, यदि कोई हो, पर पूँजीकरण के लिए मूल्यांकन किया जाता है।

अमूर्त संपत्ति को जो उपयोग के लिए उपलब्ध हैं, को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में स्ट्रेट लाइन पद्धति में अनुमानित तारीख से उपयोगी लाभप्रदता काल हेतु संशोधित किया जाता है अमूर्त संपत्ति के लिए अनुमानित उपयोगी जीवन निम्नानुसार हैं:

सॉफ्टवेयर	3 साल
अन्य	10 साल

वर्ष की शुरुआत में ₹ 10000 या उससे कम डब्ल्यूडीवी की अमूर्त संपत्ति का पूरी तरह से परिशोधन किया जाता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में परिशोधन अवधि और परिशोधन विधियों की समीक्षा की जाती है तथा यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसका लेखा-जोखा भविष्य में किया जाता है।

अनुसंधान एवं विकास व्यय

अनुसंधान गतिविधियों पर हुए व्यय को, लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है। विकास गतिविधियों पर व्यय तभी पूंजीकृत होता है जब व्यय की गणना विश्वसनीयता से की जाती है, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और व्यावसायिक रूप से संभव है, भविष्य के आर्थिक लाभ संभावित हैं और कंपनी के पास विकास कार्य कराने एवं संपत्ति के उपयोग अथवा विक्रय के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं।

खर्च की गई पूंजी में सामग्री लागत, प्रत्यक्ष श्रम, ओवरहेड लागत शामिल हैं जो कि स्थिति के अनुसार इसके इच्छित उपयोग एवं उधार लेने की लागत के लिए संपत्ति तैयार करने के लिए सीधे जिम्मेदार हैं।

अनुसंधान और विकास हेतु अधिग्रहीत संपत्ति को पूंजीकृत किया जाता है।

5. उधार लागत

अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से सीधे संबंधित उधार लेने की लागत को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ा जाता है।

ऐसी परिसंपत्ति जिसे अपने इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में बारह महीने से अधिक समय लगता है, वह उस उद्देश्य के लिए अर्हक परिसंपत्ति है।

अन्य सभी उधार लेने की लागतों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च की गई हैं।

6. माल-सूची

इन्वेंटरी की कीमत लागत अथवा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर निकाली जाती है। तैयार माल और कार्य प्रगति के मूल्यांकन के संदर्भ में, लागत का मतलब कारखाना लागत है। कच्चे माल, घटकों, खुले उपकरणों, दुकानों और पुर्जों की लागत के संदर्भ में लागत का अर्थ भारित औसत लागत है।

7. ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व की पहचान तब होती है जब वादा की गई सामग्री या सेवाओं के हस्तांतरण द्वारा निष्पादन दायित्व को पूरा किया जाता है।

समय के साथ निष्पादन दायित्व को पूरा करने के लिए, राजस्व मान्यता निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में प्रगति को मापकर की जाती है। प्रगति को निष्पादन दायित्व के कारण कुल अनुमानित लागत में आज तक की वास्तविक लागत के अनुपात के रूप में मापा जाता है, यानी इनपुट विधि।

कंपनी समय के साथ किसी वस्तु या सेवा का नियंत्रण स्थानांतरित करती है और इसलिए निष्पादन दायित्व को पूरा करती है और समय अवधि में राजस्व को मान्यता देती है यदि निम्नलिखित मानदंडों में से एक को पूरा किया जाता है:

(क) ग्राहक एक साथ कंपनी के निष्पादन का लाभ उठाता है या

(ख) ग्राहक परिसंपत्ति को नियंत्रित करता है क्योंकि यह कंपनी के निष्पादन द्वारा बनाई/बढ़ाई जा रही है या

(ग) परिसंपत्ति का कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं है और कंपनी के पास कानूनी मिसालों पर विचार करते हुए भुगतान का स्पष्ट या निहित अधिकार है

अन्य सभी मामलों में, निष्पादन दायित्व को किसी समय पर संतुष्ट माना जाता है।

राजस्व को संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित लेनदेन मूल्य की सीमा तक मान्यता दी जाती है। लेनदेन मूल्य वह राशि है जिसके लिए कंपनी को किसी ग्राहक को माल या सेवाओं को हस्तांतरित करने के बदले में हकदार होने की उम्मीद है, जिसमें किसी तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि शामिल नहीं है।

अन्य आय

लाभांश आय को लाभ और हानि के विवरण में उस तिथि को मान्यता दी जाती है जिस दिन कंपनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है।

ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके मान्यता दी जाती है।

निर्यात प्रोत्साहन/शुल्क वापसी, शुल्क वापसी और बीमा के दावों का लेखा-जोखा प्रोद्भव आधार पर किया जाता है।

बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में

कल-पुर्जों की बिक्री

सामान्य गतिविधियों के दौरान गैस टर्बाइन पार्ट्स की बिक्री से प्राप्त राजस्व को बिक्री कर और बिक्री रिटर्न के शुद्ध मूल्य पर प्राप्त या प्राप्त होने वाले विचार के उचित मूल्य पर मापा जाता है। वादा किए गए उत्पादों या सेवाओं के नियंत्रण को ग्राहकों को हस्तांतरित करने पर राजस्व की पहचान उस राशि में की जाती है जो उन उत्पादों या सेवाओं के बदले में हमें मिलने वाली उम्मीद को दर्शाती है।

इंजीनियरिंग सेवाएँ

निश्चित-मूल्य, निश्चित-समय-सीमा इंजीनियरिंग और आपूर्ति अनुबंधों से प्राप्त राजस्व, जहाँ निष्पादन दायित्व समय के साथ संतुष्ट हो जाते हैं और जहाँ विचार के मापन या संग्रहणीयता के बारे में कोई अनिश्चितता नहीं होती है, उसे प्रतिशत-पूर्णता पद्धति के अनुसार मान्यता दी जाती है।

मरम्मत सेवाएँ

मरम्मत सेवाओं के मामले में, राजस्व को ग्राहक के साथ अनुबंध की शर्तों के अनुसार पहचान किया जाता है। मरम्मत सेवा अनुबंध के तहत आपूर्ति किए गए प्रतिस्थापन भागों की बिक्री को ग्राहक को स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कारों के हस्तांतरण पर मान्यता दी जाती है और यह बिक्री कर और बिक्री रिटर्न से शुद्ध है।

रायचूर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरपीसीएल) के मामले में

ठेकेदारों को दिए गए कार्य अग्रिम पर ब्याज से उत्पन्न होने वाली आय को प्राप्ति/स्वीकृति के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

सीईआरसी/केईआरसी दिशानिर्देशों के अनुसार, अधूरी ऊर्जा की बिक्री और अन्य विविध प्राप्तियों से प्राप्त राजस्व को पूंजी लागत में से घटाकर हिसाब में लिया जाता है।

ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व को सीईआरसी/केईआरसी (उत्पादन शुल्क निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम 2014 में दिशानिर्देशों के अनुसार मान्यता दी जाती है।

8. विदेशी मुद्रा अंतरण/ लेनदेन

विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को प्रारंभ में उस तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है, जिस दिन लेनदेन पहली बार मान्यता के लिए योग्य होता है।

विदेशी मुद्रा वाली वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लागू विनिमय दरों पर कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। निपटान और अंतरण से होने वाले विदेशी मुद्रा लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

ऐतिहासिक लागत पर मापी गई एवं विदेशी मुद्रा में दर्शायी गई गैर- मौद्रिक देनदारियों और गैर-मौद्रिक परिसंपत्तियों को लेनदेन की तारीख को लागू विनिमय दर पर परिवर्तित (अदल-बदल) किया जाता है।

9. कर्मचारी लाभ

निर्धारित योगदान योजना

कंपनी द्वारा कर्मचारियों हेतु पेंशन एवं फेमिली पेंशन फंड में किया गया योगदान अंशदायी योजना के अंतर्गत आता है तथा कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा-काल हेतु लाभ एवं हानि विवरणिका में इसे कर्मचारी लाभ व्यय के नाम से जाना जाता है।

निर्धारित लाभ योजनाएं

कंपनी की ग्रेच्युटी योजना, भविष्य निधि योजना, सेवानिवृत्ति पर यात्रा का दावा और सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा सुविधा योजना परिभाषित लाभ योजनाओं के अंतर्गत आती हैं।

इस परिभाषित लाभ योजना के संबंध में बैलेंस शीट में दर्शाई गई देयता रिपोर्टिंग अवधि के अंत में योजित संपत्तियों के उचित मूल्य के साथ वर्तमान लाभ देयता है। परिभाषित लाभ दायित्व प्रतिवर्ष अनुमानित क्रेडिट यूनिट का उपयोग करके स्वतंत्र एक्चुअरीज द्वारा गणना की जाती है। परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य एक उपयुक्त सरकारी बॉन्ड दर का उपयोग करके अनुमानित भविष्य के नकदी बहिर्वाह को छूट देकर निर्धारित किया जाता है, जिसमें संबंधित दायित्व की शर्तों के लिए परिपक्वता की शर्तें होती हैं।

एक्चुअरी लाभ और हानि के साथ-साथ योजना परिसंपत्तियों पर वापसी और शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशियों के बीच अंतर को अन्य व्यापक आय (आयकर के शुद्ध) के रूप में दर्शाया गया है।

परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित अन्य खर्चों को लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया गया है।

दीर्घकालिक अवकाश देयता

कंपनी संचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति की अनुमानित लागत का परिकलन रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संचित अप्रयुक्त हकदारी के परिणामस्वरुप प्रदान की जाने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त राशि के रूप में करती है। गैर-संचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति पर व्यय को उस अवधि में दर्शाया गया है जिसमें अनुपस्थिति होती है। कंपनी अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर संचित शेष राशि के लिए एक देयता दर्ज करती है। दीर्घकालिक लाभ योजनाओं से संबंधित पुनर्मापन एवं अन्य व्यय को लाभ एवं हानि सबंधी विरणिका में दर्शाया गया है।

पुनर्मापन में एक्चुरियल लाभ और हानि के साथ-साथ योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न और शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशियों के बीच का अंतर अन्य व्यापक आय (आयकर के बाद शुद्ध) में मान्यता प्राप्त है।

परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित अन्य व्यय लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त हैं।

10. प्रावधान एवं आकस्मिक देयताएं

प्रावधान

(i) कंपनी के विरुद्ध निर्णीत हरजाने के दावों को, समान लेन-देन के अनुभव से उपलब्ध जानकारी के संदर्भ में प्रबंधन द्वारा संभावित परिणाम के आकलन के आधार पर वित्तीय विवरणों में दर्शाया जाता है।

(ii) जब कंपनी संबंधित उत्पादों या अनुबंधों पर राजस्व का निर्धारण करती है और वारंटी अवधि के दौरान इसे बनाए रखती है तो कंपनी वारंटी के लिए अनुमानित लागत प्रदान करती है। प्रावधान पिछले अनुभव/ तकनीकी मूल्यांकन पर आधारित है।

(iii) जब यह संभावित हो कि कुल अनुबंध लागत कुल अनुबंध राजस्व से अधिक हो जाएगी, तो अनुमानित नुकसान का तुरंत पता लगाया जाता है।

(iv) यदि किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप अन्य प्रावधानों को मान्यता दी जाती है, तो कंपनी पर वर्तमान कानूनी या निर्माण संबंधी देयता होती है जिसका अनुमान विश्वसनीय रूप से लगाया जा सकता है, और यह संभव है कि देयता के निपटान के लिए आर्थिक लाभ को खर्च करने की जरुरत पड़े।

तथापि, जहां धन के कालिक मूल्य का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में हो, वहां जहां भी लागू हो, प्रावधानों को भविष्य के अनुमानित नकदी प्रवाह को छोड़कर निर्धारित किया जाता है।

आकस्मिक देयताएँ

आकस्मिक देयताएँ संभावित दायित्व हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होते हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। जहाँ पिछली घटना से उत्पन्न होने वाला वर्तमान दायित्व है, लेकिन यह संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, या राशि का विश्वसनीय रुप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, दायित्व को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभावना दूर न हो (जहाँ कोई प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है)। आकस्मिक देयताएँ प्रबंधन/ स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट की जाती हैं। इनकी प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

11. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को तभी मान्यता दी जाती है जब आश्वासन मिलता है कि उनसे जुड़ी शर्तों का अनुपालन किया जाएगा, और अनुदान प्राप्त किया जाएगा। मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों के मामले में, परिसंपत्तियों की लागत सकल मूल्य पर दिखाई जाती है और उस पर अनुदान को आस्थगित आय माना जाता है जिसे परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर लाभ और हानि के विवरण में आय के रुप में मान्यता दी जाती है।

जहां कंपनी को गैर-मौद्रिक अनुदान प्राप्त होता है, वहां परिसंपत्ति और अनुदान का लेखा परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर किया जाता है और उन्हें आस्थगित आय के रूप में माना जाता है। आस्थगित आय को परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

राजस्व से संबंधित सरकारी अनुदानों को संबंधित लागतों के साथ मिलान करने के लिए आवश्यक अवधियों पर लाभ और हानि के विवरण में व्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसकी भरपाई करने का इरादा है।

12. आय कर

आयकर व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर शामिल हैं।

वर्तमान आय कर

आयकर व्यय को लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है, किंतु अन्य व्यापक आय या प्रत्यक्ष इक्विटी मदों से संबंधित आयकर को छोड़कर।

वर्तमान कर वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय कर है, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लागू कर दरों (कर कानूनों का उपयोग करते हुए निर्धारित किया गया है और इसमें पिछले वर्षों के कर को भी समायोजित किया गया है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर बैलेंस शीट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित किया गया है, जो बैलेंस शीट में परिसंपत्ति या देयता की राशि और उसके कर आधार के बीच के अस्थायी अंतर के लिए प्रावधान किया गया है।

आस्थगित कर का परिकलन उन कर दरों पर किया जाता है, जिनका अस्थायी अंतर को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक लागू विधियों के आधार पर प्राप्त किए जाने अथवा निपटाए जाने पर लागू होना अपेक्षित है।

आस्थगित कर परिसंपत्ति उतनी दर्शाई जाती है, जिससे कि भविष्य में इतना कर योग्य लाभ उपलब्ध हो कि उसके साथ अस्थायी अंतर को समायोजित किया जा सके।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की दर्शाई गई राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में की जाती है और इस सीमा तक कम कर दी जाती है कि अब यह सम्भावना नहीं रह जाती है कि संबंधित कर लाभ की प्राप्ति हो पाएगी।

लाभांश के वितरण से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त आयकर को उसी समय

मान्यता दी जाती है जब संबंधित लाभांश का भुगतान करने की देयता को मान्यता दी जाती है।

13. परिसंपत्तियों की हानि

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

व्यापार और पट्टे की प्राप्य राशियों के संबंध में हानि भत्ते का परिकलन आजीवन अपेक्षित क्रेडिट लॉस के बराबर राशि के रूप में किया जाता है।

अन्य उन सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में, जिन्हें इम्पेयर किया जाना आवश्यक है,यदि उस वित्तीय लिखत पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता के बाद से काफी बढ़ गया है, तो हानि भत्ते का परिकलन आजीवन अपेक्षित क्रेडिट लॉस के बराबर राशि के रुप में किया जाता है। तथापि, यदि रिपोर्टिंग तिथि पर,वित्तीय उपकरण पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता के बाद से बहुत अधिक नहीं बढ़ा है, तो हानि भत्ते को 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर मापा जाता है।

गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

नकदी उत्पादक इकाइयों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है, जहाँ हानि का कोई संकेत मिलता है। हानि हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, जहाँ वहन राशि नकदी उत्पादक इकाइयों की वसूली योग्य राशि से अधिक होती है।

पूर्ववर्ती अवधियों में मान्यता प्राप्त हानि का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किया जाता है, ताकि यह पता चल सके कि हानि कम हुई है या अब मौजूद नहीं है।

यदि वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग किए गए अनुमानों में कोई परिवर्तन हुआ है, तो हानि हानि को उलट दिया जाता है। हानि हानि को केवल उस सीमा तक उलट दिया जाता है, जब परिसंपत्ति की वहन राशि उस वहन राशि से अधिक न हो, जो मूल्यह्रास या परिशोधन के बाद निर्धारित की जाती, यदि कोई हानि हानि नहीं पहचानी गई होती।

14. सेगमेंट रिपोर्टिंग

खंडों के राजस्व और व्यय का निर्धारण खंड विशेष की परिचालन गतिविधियों के साथ उनके संबंध के आधार किया जाता है। जो राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियां और देयताएं उचित आधार पर खंडों के लिए आवंटित नहीं की जा सकती हैं, उन्हें "अनावंटित राजस्व/ व्यय/ सम्पत्ति/ देनदारियों के तहत शामिल किया गया है।

15. गैर-व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण

गैर-व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों को निम्नलिखित रुप में वर्गीकृत किया गया है: -

– (ए) परिशोधित लागत और (बी) लाभ एवं हानि ("FVTPL") के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्धारित वित्तीय परिसंपत्तियां।

– परिशोधित लागत पर निर्धारित वित्तीय देनदारियां

प्रारंभ में, सभी वित्तीय लिखतों को उनके उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है। यदि वित्तीय लिखतों को एफवीटीपीएल के माध्यम से निर्धारित नहीं किया जाता है, तो कैरींग राशि का निर्धारण करने में लेनदेन की लागत शामिल होती है, जब वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के पर्याप्त जोखिम और प्रतिफल न तो हस्तांतरित किए जाते हैं और न ही रोककर रखे जाते हैं तब वित्तीय परिसंपत्तियों को उसी स्थिति में डि-रेकोग्राइज किया जाता है, जब कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्तियों पर नियंत्रण नहीं रखा हो।

जब संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन या रद्द होने या समाप्त होने की स्थिति में वित्तीय देनदारियों को डि-रेकोग्राइज किया जाता है।

बाद में गैर-व्युत्पन्न वित्तीय संपत्तियों का निर्धारण निम्न रूप में किया जाता है:

क. परिशोधित लागत

"परिशोधित लागत पर वित्तीय लिखत" का निर्धारण बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति से परिशोधित लागत पर किया जाता है। परिशोधित लागत का परिकलन उस छूट या अधिग्रहण पर प्रीमियम और शुल्क या लागत को ध्यान में रखकर किया जाता है, जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि में दर्शाया जाता है। इम्पेयरमेन्ट से होने वाले नुकसान को लाभ - हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

ख. एफवीटीपीएल श्रेणी –

इस श्रेणी में वर्गीकृत वित्तीय साधनों को बाद में लाभ और हानि के विवरण में दर्ज परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर रखा जाता है।

प्रत्यक्ष रुप से जिम्मेदार लेन-देन लागतों को लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों को बाद में नीचे दिए अनुसार मापा जाता है: प्रारंभिक मान्यता के बाद, गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

16. नकद एवं नकद समतुल्य

नगद और नगद समतुल्य में बैंक में शेष और अपने पास उपलब्ध नकदी शामिल होती है। इसमें तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ सावधि जमा और अन्य अल्पकालिक मुद्रा बाजार जमा शामिल हैं जो आसानी से ज्ञात राशि में नकदी रुप में परिवर्तनीय हैं और मूल्य परिवर्तन के कम जोखिम के अधीन हैं।

17. लाभांश

कंपनी इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करने की ज़िम्मेदारी तब मानती है जब वितरण अधिकृत होता है, और वितरण अब कंपनी के विवेक पर नहीं होता है। भारत में कॉर्पोरेट कानूनों के अनुसार, वितरण तब अधिकृत होता है जब इसे शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। एक संगत राशि सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त होती है।

18. प्रति शेयर आय

प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को देय शुद्ध लाभ कोअवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर आय की गणना कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को देय शुद्ध लाभ को प्रति इक्विटी शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और साथ ही सभी संभावित इक्विटी शेयरों के रुपांतरण पर जारी किए जासकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती ।

19. निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियाँ वे संपत्तियाँ (भूमि या भवन या भवन का कोई भाग या दोनों) हैं जो किराये की आय अर्जित करने और/या पूँजी वृद्धि के लिए धारित की जाती हैं। इसमें वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति में उपयोग के लिए या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए धारित संपत्ति शामिल नहीं है, न ही इसमें सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों में बिक्री के लिए धारित संपत्ति शामिल है।

इन्हें प्रारंभ में लागत पर मापा जाता है, जिसमें संबंधित लेनदेन लागत और, जहाँ लागू हो, लेखांकन मानकों के अनुसार उधार लागत शामिल होती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, निवेश संपत्तियों को लागत में से संचित मूल्यह्रास और संचित हानि हानि, यदि कोई हो, घटाकर रखा जाता है। यद्यपि लागत पर मापा जाता है, निवेश संपत्तियों का उचित मूल्य एक स्वतंत्र योग्य मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर वित्तीय विवरणों के नोट्स में प्रकट किया जाता है। यदि यह संभावना है कि भविष्य में आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और व्यय की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, तो बाद के व्यय को पूंजीकृत किया जाता है। दिन-प्रतिदिन की मरम्मत और रखरखाव को व्यय होने पर व्यय में शामिल कर लिया जाता है।

निवेश संपत्तियों का मूल्यह्रास उस परिसंपत्ति की श्रेणी के अनुसार किया जाता है जिससे वे संबंधित हैं और परिसंपत्ति का जीवनकाल पीपीई नीति के अनुरुप उसी के लिए निर्धारित किया जाएगा।

संपत्तियों का निवेश संपत्ति में या उससे स्थानांतरण केवल तभी किया जाता है जब उपयोग में स्पष्ट परिवर्तन हो, जिसका समर्थन साक्ष्यों से हो। निवेश संपत्ति और स्वामी-कब्जे वाली संपत्ति के बीच स्थानांतरण से स्थानांतरित संपत्ति की अग्रणीत राशि में कोई परिवर्तन नहीं होता है और वे मापन या प्रकटीकरण उद्देश्यों के लिए उस संपत्ति की लागत में भी परिवर्तन नहीं करते हैं। किसी निवेश संपत्ति की मान्यता निपटान के समय या जब उसे उपयोग से स्थायी रूप से हटा लिया जाता है, तब रद्द कर दी जाती है और उसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं होता है। मान्यता रद्द करने से होने वाले किसी भी लाभ या हानि (शुद्ध निपटान आय और अग्रणीत राशि के बीच का अंतर) को लाभ और हानि विवरण में मान्य

नोट [3क] - गैर चालू परिसंपत्तियाँ
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

संपत्ति, संयत्र एवं उपकरण (पीपीई) पर लेखांकन नीति के लिए नोट 2 के बिन्दु को देखें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति	31 मार्च 2024 की स्थिति
सकल ब्लॉक	7404.47	6897.00
घटाएँ : संचित मूल्यह्रास	4542.01	4386.31
निवल ब्लॉक (विवरण के लिए नोट 3.1 देखें)	**2862.46**	**2510.69**

शुद्ध ब्लॉक में आरओयू परिसंपत्तियों के संबंध में ₹304.56 करोड़ (पिछले वर्ष ₹142.17 करोड़) शामिल हैं।

कंपनी ने इंडएएस 101 के तहत छूट का विकल्प चुना था, और तदनुसार 31.03.2015 को वहन मूल्य को इंडएएस संक्रमण तिथि पर अनुमानित लागत माना गया था।

नोट [3ख] - गैर चालू परिसंपत्तियाँ
प्रगति पर पूंजीकृत कार्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति		31 मार्च 2024 की स्थिति	
संयत्र, मशीनरी एवं अन्य उपकरण:				
इरेक्शन/ फेब्रिकेशन/प्रतीक्षारत इरेक्शन प्रगति पर	87.16		81.86	
ट्रांसिट में	24.59	111.75	48.86	130.72
प्रगति पर निर्माण कार्य -सिविल		45.37		151.16
निर्माण भंडार - (मार्गस्थ सहित)		4.58		0.44
कुल		**161.70**		**282.32**

(₹ करोड़ में)

सीडबल्यूआईपी कालप्रभावन सूची - 31 मार्च 2025	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर	145.83	0.98	1.30	1.30	149.42
परियोजनाएं अस्थायी रुप से स्थगित	-	-	-	12.28	12.28

(₹ करोड़ में)

सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता कार्यक्रम (सीडब्ल्यूआईपी जो अतिदेय है या इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक हो गई है)- 31 मार्च, 2025 तक	वर्ष में पूरा किया जाना है				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगति पर परियोजनाएँ					
नया भवन - नोएडा	0.91	-	-	-	0.91
इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन	1.47	-	-	-	1.47
10 करोड़ रुपये से कम की अन्य परियोजनाएँ (कुल संख्या - 12)	1.10	-	-	0.37	1.47
अस्थायी रुप से स्थगित परियोजनाएँ					
उपकरण निर्माण संयंत्र - भंडारा	-	-	-	7.74	7.74
सक्षमीकरण कार्य - उप्पर	-	-	-	2.94	2.94
₹1 करोड़ से कम की अन्य परियोजनाएं (कुल संख्या - 5)	-	-	-	1.60	1.60

(₹ करोड़ में)

सीडबल्यूआईपी कालप्रभावन सूची - 31 मार्च 2024	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर	152.55	43.02	14.91	59.28	269.76
परियोजनाएं अस्थायी रुप से स्थगित	-	-	0.59	11.97	12.56

(₹ करोड़ में)

सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता कार्यक्रम (सीडब्ल्यूआईपी जो अतिदेय है या इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक हो गई है)- 31 मार्च, 2024 तक	वर्ष में पूरा किया जाना है				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर					
नया भवन - नोएडा	106.62	-	-	-	106.62
10 करोड़ रुपये से कम की अन्य परियोजनाएँ (कुल संख्या - 14)	2.58	0.09	0.48	-	3.15
अस्थायी रुप से स्थगित परियोजनाएँ					
उपकरण निर्माण संयंत्र - भंडारा	-	-	-	7.74	7.74
सक्षमीकरण कार्य – उप्पूर			0.59	2.35	2.94
1 करोड़ रुपये से कम की अन्य परियोजनाएँ (कुल संख्या - 4)	0.28	-	-	1.60	1.88

नोट [3ग] - गैर चालू परिसंपत्तियां

निवेश संपत्ति

निवेश संपत्ति पर सामग्री लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 19 का संदर्भ लें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति	31 मार्च 2024 की स्थिति
सकल ब्लॉक	1.17	-
घटाएँ: संचित परिशोधन	0.72	-
शुद्ध ब्लॉक (विवरण के लिए नोट 3.2 देखें)	**0.45**	**-**
निवेश संपत्ति का उचित मूल्य	111.58	लागू नहीं

नोट 3.1 – परिसंपत्ति, प्लांट व उपकरण का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/ परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	01.04.2024को अथशेष	परिवर्धन/ समायोजन	कटौती/ समायोजन	31.03.2025 को अंत शेष	01.04.2024 को संचित मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन	मूल्यह्रास समायोजन	31.03.2025 को संचित मूल्यह्रास	31.03.2025 को निवल ब्लॉक	31.03.2024 को निवल ब्लॉक
भूमि-फ्री होल्ड भूमि (विकास व्यय सहित)	27.73	0.00	0.00	**27.73**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**27.73**	27.73
भूमि-फ्री होल्ड भवन- फ्री होल्ड	1978.91	157.73	(6.38)	**2130.26**	763.87	41.61	(5.86)	**799.62**	**1330.64**	1215.04
सड़कें, पुल एवं पुलियाँ	16.29	1.72	0.00	**18.01**	15.05	0.19	0.00	**15.24**	**2.77**	1.24
जल व माल निकासी एवं जल-आपूर्ति	39.28	5.48	(0.00)	**44.76**	10.77	1.47	(0.00)	**12.24**	**32.52**	28.51
प्लांट व मशीनरी	3425.75	154.34	(11.84)	**3568.25**	2623.14	115.79	(11.57)	**2727.36**	**840.89**	802.61
रेलवे साईडिंग	8.85	0.00	0.00	**8.85**	6.17	0.41	0.00	**6.58**	**2.27**	2.68
लोकोमोटिव व वेगन	28.33	0.00	0.00	**28.33**	20.79	1.26	0.00	**22.05**	**6.28**	7.54
फर्नीचर व फिक्चर्स	82.00	6.37	(0.78)	**87.59**	52.17	6.07	(0.63)	**57.61**	**29.98**	29.83
वाहन	16.60	1.43	(0.05)	**17.98**	12.37	1.03	(0.06)	**13.34**	**4.64**	4.24
कार्यालय व अन्य उपकरण	156.14	12.50	(1.37)	**167.27**	135.16	7.81	(1.26)	**141.71**	**25.56**	20.97
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	174.99	9.43	11.10	**195.52**	168.02	3.24	11.12	**182.38**	**13.14**	6.97
इलेक्ट्रिकल अधिष्ठापन	311.12	36.35	(0.27)	**347.20**	197.20	10.51	(0.10)	**207.61**	**139.58**	113.91
निर्माण उपकरण	70.97	0.53	(4.65)	**66.85**	69.53	0.49	(4.66)	**65.36**	**1.49**	1.44
10,000/- तक की लागत वाली अचल संपत्तियाँ	24.36	3.90	(0.80)	**27.46**	24.36	3.90	(0.80)	**27.46**	**-**	-
सोलर पावर जेनरेशन	143.74	0.07	0.00	**143.81**	37.93	5.48	0.00	**43.41**	**100.40**	105.81
बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियाँ	391.97	215.22	(82.60)	**524.59**	249.80	51.89	(81.65)	**220.04**	**304.56**	142.17
कुल	**6897.02**	**605.08**	**(97.66)**	**7404.47**	**4386.33**	**251.13**	**(95.47)**	**4542.01**	**2862.46**	**2510.69**
पिछला वर्ष	6620.97	336.53	(60.51)	**6897.02**	4212.23	233.66	(59.53)	**4386.33**	**2510.69**	**2408.74**

टिप्पणियाँ:

31.03.2025 तक सकल ब्लॉक (पूर्ववर्ती IGAAP के अनुसार) 14411.16 करोड़ रुपये और 31.03.2024 तक 13965.56 करोड़ रुपये

31.03.2025 तक सकल ब्लॉक में 7.24 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 5.04 करोड़ रुपये) की निष्प्रयोज्य और सक्रिय उपयोग से हटाई गई संपत्तियाँ शामिल हैं। 31.03.2025 तक शुद्ध ब्लॉक में 0.12 करोड़ रुपये पिछले वर्ष 0.12 करोड़ रुपये) की निष्प्रयोज्य और सक्रिय उपयोग से हटाई गई संपत्तियाँ शामिल हैं।

सकल ब्लॉक में कार्यकारी एजेंसी के रुप में अनुसंधान के लिए भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों की लागत शामिल नहीं है क्योंकि संपत्ति कंपनी के पास निहित नहीं है। 243.50 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 242.91 करोड़ रुपये)।

* भूमि सकल ब्लॉक से निवेश संपत्ति में स्थानांतरण 1 शून्य, भवन फ्रीहोल्ड सकल ब्लॉक 0.53 करोड़ रुपये और संचित मूल्यह्रास। ₹10.51 करोड़ और बिल्डिंग आरओयू सकल ब्लॉक ₹10.64 करोड़ और संचित मूल्यह्रास ₹0.19 करोड़

वर्ष के दौरान कोई हानि नहीं हुई।

टेबल 3.1(क): बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियों में शामिल हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/ परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	01.04.2024को अथशेष	परिवर्धन/ समायोजन	कटौती/ समायोजन	31.03.2025 को अंत शेष	01.04.2024 को संचित मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन	मूल्यह्रास समायोजन	31.03.2025 को संचित मूल्यह्रास	31.03.2025 को निवल ब्लॉक	31.03.2024 को निवल ब्लॉक
भूमि (विकास व्यय सहित)	123.69	0.64	(0.00)	**124.33**	20.86	3.96	0.00	**24.82**	**99.51**	102.83
भवन	2.66	0.00	(0.64)	**2.02**	0.50	0.24	(0.19)	**0.55**	**1.47**	2.16
प्लांट व मशीनरी	20.91	0.00	(4.61)	**16.30**	10.34	5.47	(4.61)	**11.20**	**5.10**	10.57
कार्यालय व अन्य उपकरण	16.42	1.25	(9.80)	**7.87**	15.43	0.46	(9.80)	**6.09**	**1.78**	0.99
ईडीपी उपकरण	203.02	204.66	(66.00)	**341.68**	187.89	35.99	(66.16)	**157.72**	**183.96**	15.13
वाहन	7.25	0.95	(1.55)	**6.65**	2.78	1.60	(0.90)	**3.48**	**3.17**	4.47
अन्य	18.02	7.72	0.00	**25.74**	12.00	4.17	0.00	**16.17**	**9.57**	6.02
कुल	**391.97**	**215.22**	**(82.60)**	**524.59**	**249.80**	**51.89**	**(81.65)**	**220.03**	**304.56**	**142.17**
पिछला वर्ष	431.97	14.62	(54.63)	**391.97**	276.71	27.51	(54.43)	**249.80**	**142.17**	**155.26**

* बिल्डिंग आरओयू सकल ब्लॉक से निवेश संपत्ति में स्थानांतरण ₹0.64 करोड़ और संचित मूल्यह्रास ₹0.19 करोड़

नोट [3.1] संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के विवरण का अतिरिक्त प्रकटीकरण

विवरण		31 मार्च, 2025 की स्थिति	31 मार्च, 2024 की स्थिति
1. **भूमि एवं भवन जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:**			
क. i) जमीन, जिसके लिए औपचारिक अंतरण पट्टा विलेख नहीं किया गया है	(एकड़ में)	8441.47	8441.47
निवल ब्लॉक	(₹ करोड़ में)	63.52	64.24
ii) फ्लैटों की संख्या, जिनके लिए औपचारिक पट्टा विलेख नहीं किया गया है	(संख्या में)	12	12
निवल ब्लॉक	(₹ करोड़ में)	0.92	0.97
iii) जमीन, जिसके लिए प्रदत लागत अनंतिम है; [पंजीकरण प्रभार एवं स्टांप शुल्क (प्रावधानों को छोड़कर), जिसकी गणना भुगतान पर की जाएगी।]	(एकड़ में)	480.04	480.04
निवल ब्लॉक	(₹ करोड़ में)	59.82	60.54
ख. रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के विभागों और अन्य को पट्टे पर दी गई जमीन	(एकड़ में)	20.47	20.47
ग. जमीन, जो प्रतिकूल/ अनधिकृत कब्जे में है	(एकड़ में)	886.99	947.40

घ. हरिद्वार प्लांट में 1300.32653 एकड़ (वर्ष 1297.85903 एकड़) भूमि का म्यूटेशन लंबित है, जिसके लिए कानूनी कार्रवाई चल रही है। इसमें 934 एकड़ (वर्ष 934 एकड़) भूमि शामिल है जो बीएचईएल के कब्जे में है, लेकिन वर्ष 2004 और 2007 में उत्तराखंड सरकार की सिडकुल के नाम पर गलत तरीके से म्यूटेशन करवा ली गई। इसके अलावा, 2.4675 एकड़ (वर्ष शून्य) भूमि बीएचईएल बनाम नकली राम मामले से संबंधित है, जो न्यायालय में लंबित है।

ङ इसके अलावा, हरिद्वार प्लांट में, उत्तराखंड सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 01.12.2003 के तहत 8 एकड़ भूमि आईओसीएल/राज्य सरकार को हस्तांतरण हेतु लंबित है।

(ऊपर उल्लिखित (ख से ङ) की भूमि की लागत प्रत्यक्ष नहीं है)

विवरण		31 मार्च, 2025 की स्थिति	31 मार्च, 2024 की स्थिति
2.	i) भूमि का कुल क्षेत्रफल एकड़ में	16690.71	16690.71
	ii) 2 (i) में से फ्री होल्ड भूमि (सेल डीड)/ कब्जे / लाइसेंस अधिकार (एकड़ में)	15987.38	15987.38
	iii) 2 (i) में से पट्टा होल्ड भूमि (एकड़ में)	703.33	703.33

3. कंपनी ₹10000/- तक की लागत ओपनिंग नेट ब्लॉक वाले पीपीई के एक मद पर 100% मूल्यह्रास प्रदान करती है। पिछले वर्षों के प्रभाव पर विचार किए बिना, लाभ पर पीपीई की एक वस्तु पर 100% मूल्यह्रास प्रदान करने का प्रभाव निम्नानुसार है::

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति	31 मार्च, 2024 की स्थिति
10,000/- रु. चार्ज ऑफ तक पीपीई पर 100% मूल्यह्रास	6.18	4.48
घटाएँ : उपर्युक्त पर सामान्य मूल्यह्रास	(1.38)	(1.37)
वर्ष के लिए मूल्यह्रास के रुप में प्रभारित अतिरिक्त राशि	4.79	3.11

4. परिसंपत्ति मुद्रीकरण अभियान के तहत, आवश्यक अनुमोदन के अधीन इन संपत्तियों (i) चटर्जी इंटरनेशनल सेंटर, कोलकाता में दूसरी मंजिल का कार्यालय (ii) इंदौर आवासीय फ्लैट, नागपुर – भूमि और भवन और (iii) वडोदरा टाउनशिप - भूमि और भवन, जिन सबका निवल ब्लॉक मूल्य ₹1.42 करोड़ है, की पहचान बिक्री के लिए की गई है।

नोट 3.2 - निवेश संपत्ति का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				अवमूल्यन और परिशोधन				नेट ब्लॉक	
	01.04.2024 को आरंभिक शेष राशि	परिवर्धन/ समायोजन	कटौती/ समायोजन	31.03.2025 को समापन शेष	01.04.2024 तक संचित मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन	मूल्यह्रास समायोजन	31.03.2025 तक संचित मूल्यह्रास	31.03.2025 तक नेट ब्लॉक	31.03.2024 तक नेट ब्लॉक
भूमि - फ्रीहोल्ड भूमि (विकास व्यय सहित)	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00
भवन	0.00	0.00	1.17	**1.17**	0.00	0.02	0.70	**0.72**	**0.45**	0.00
कुल	**0.00**	**(0.00)**	**1.17**	**1.17**	**0.00**	**0.02**	**0.70**	**0.72**	**0.45**	**0.00**
पिछला वर्ष					NA					

उपरोक्त निवेश संपत्ति का उचित मूल्य ₹111.58 करोड़

सकल ब्लॉक (पूर्ववर्ती IGAAP के अनुसार) 31.03.2025 को ₹3.72 करोड़ और 31.03.2024 को ₹0 करोड़

नोट [4क] – गैर-चालू परिसंपत्तियाँ
अमूर्त परिसंपत्तियाँ

अमूर्त संपत्तियों पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 4 का संदर्भ लें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति	31 मार्च, 2024 की स्थिति
सकल ब्लॉक	343.70	339.23
घटाएँ: संचित परिसोधन	259.43	275.88
निवल ब्लॉक (विवरण के लिए 4.1 का संदर्भ लें)	**84.27**	**63.35**

कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 101 के अंतर्गत छूट का विकल्प चुना था, और तदनुसार 31.03.2015 को वहन मूल्य को भारतीय लेखा मानक परिवर्तन तिथि पर अनुमानित लागत माना गया।

नोट 4.1 – अमूर्त परिसंपत्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/ परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	01.04.2024 को प्रारंभिक शेष	परिवर्धन/ समायोजन	कटौती/ समायोजन	31.03.2025 को अंतिम शेष	01.04.2024 को संचित मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन	मूल्यह्रास समायोजन	31.03.2025 को संचित मूल्यह्रास	31.03.2025 को निवल ब्लॉक	31.03.2024 को निवल ब्लॉक
आंतरिक स्रोतों से विकसित										
- अन्य	75.90	0.00	(37.27)	38.63	71.03	2.11	(37.27)	35.87	2.77	4.87
आंतरिक स्रोतों से विकसित के अलावा अन्य										
- सॉफ्टवेयर	61.10	12.56	0.00	73.66	55.00	5.43	(0.00)	60.43	13.23	6.10
- तकनीकी ज्ञान	202.23	29.18	0.00	231.41	149.85	13.29	0.00	163.13	68.28	52.38
कुल	339.23	41.74	(37.27)	343.70	275.87	20.83	(37.27)	259.43	84.27	63.35
पिछला वर्ष		11.35	0.00	339.23	260.64	15.24	0.00	275.87	63.35	67.24

सकल ब्लॉक (पूर्व आईजीएएपी के अनुसार) 31.03.2025 को 1594.27 करोड़ तथा 31.03.2024 को 1606.94 करोड़ है।

वर्ष के दौरान कोई हानि नहीं हुई है।

नोट [4ख] - गैर-चालू परिसंपत्तियाँ
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को स्थिति	31 मार्च, 2024 को स्थिति
विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ	33.73	26.04
कुल	**33.73**	**26.04**

(₹ करोड़ में)

विकासाधीनअमूर्त परिसंपत्ति काल प्रभावन - 31 मार्च, 2025 को स्थिति	अवधि के लिए विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति की राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगति पर चल रही परियोजनाएं	7.69	20.04	3.46	2.54	33.73
अस्थाईरुप से स्थगित परियोजनाएं	-	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

विकासाधीनअमूर्त परिसंपत्ति पूर्णता कार्यक्रम (जो अतिदेय हैं या जिनकी लागत मूल योजना की तुलना में अधिक हो गई है) - 31 मार्च, 2025 को स्थिति	अवधि में कार्य पूर्ण होगा				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगति पर चल रही परियोजनाएं	-	-	-	-	-
अस्थाई रुप से स्थगित परियोजनाएं	-	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति काल प्रभावन - 31 मार्च, 2024 को स्थिति	अवधि के लिए विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति की राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगति पर चल रही परियोजनाएं	20.03	3.47	-	2.54	26.04
अस्थाई रुप से स्थगित परियोजनाएं	-	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

विकासाधीनअमूर्त परिसंपत्ति पूर्णता कार्यक्रम (जो अतिदेय हैं या जिनकी लागत मूल योजना की तुलना में अधिक हो गई है) - 31 मार्च, 2024 को स्थिति	अवधि में कार्य पूर्ण होगा				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगति पर चल रही परियोजनाएं	-	-	-	-	-
अस्थाई रुप से स्थगित परियोजनाएं	-	-	-	-	-

नोट [5] - गैर-चालू परिसंपत्तियाँ
इक्विटी पद्धति का उपयोग करके निवेश का लेखा-जोखा

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को स्थिति	31 मार्च, 2024 को स्थिति
बीएचईएल जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड		
आरंभिक शुद्ध परिसंपत्तियाँ	254.48	232.29
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	59.01	63.98
अन्य व्यापक आय	0.16	(0.14)
घटाएँ: लाभांश भुगतान	38.08	41.65
अंतिम शुद्ध परिसंपत्तियाँ	**275.57**	**254.48**
भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड		
आरंभिक शुद्ध परिसंपत्तियाँ	-	-
वर्ष के दौरान निवेश	0.00	-
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	0.00	-
अन्य व्यापक आय		
घटाएँ: लाभांश भुगतान		

(i) आरपीसीएल (संयुक्त उद्यम कंपनी) को घाटा हुआ है, जिसके कारण समूह ने 31 मार्च, 2019 तक निवेश की लागत के बराबर संचित घाटे को मान्यता दी है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए उनके अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार समूह के पास 1926 करोड़ रुपये के घाटे का अपरिचित हिस्सा है।

(ii) एनबीपीपीएल (संयुक्त उद्यम कंपनी) को घाटा हुआ है, जिसके कारण समूह ने 31 मार्च, 2019 तक निवेश की लागत के बराबर संचित घाटे को मान्यता दी है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए उनके अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार समूह के पास 120 करोड़ रुपये के घाटे का अपरिचित हिस्सा है।

(iii) वर्ष के दौरान कंपनी ने 21 मई, 2024 को निगमित संयुक्त उद्यम भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड ("बीसीजीसीएल") (बीएचईएल की हिस्सेदारी शेयर पूंजी का 49%) में 149000 रुपये का निवेश किया है, जिसे समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर।

नोट [5क] - गैर-चालू परिसंपत्तियाँ
वित्तीय परिसंपत्तियाँ – निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति			31 मार्च 2024 की स्थिति (पुनःघोषित)*		
	शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य रु. में)	राशि		शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य रु. में)	राशि	
I कोटेड इक्विटी साधन			-			-
II अनकोटेड इक्विटी साधन (पूरी तरह भुगतान किए गए शेयर)						
(क) संयुक्त उद्यमों में निवेश (लागत पर)						
(i) पावरप्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट लिमिटेड				1999999 (10)	2.00	
घटाएँ: हानि के लिए प्रावधान			-		2.00	0.00
(ख) पूर्णतः चुकता इक्विटी उपकरणों में निवेश (एफवीटीपीएल पर)						
(i) एपी गैस पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	728960 (10)	0.91		728960 (10)	0.91	
उचित मूल्य समायोजन जोड़ें/(कम करें)		0.91	0.00		0.28	1.19
(ii) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड	1892 (10)	*		1892 (10)	*	
सहकारी समितियों में हिस्सेदारी			#			#
कुल			**0.00**			**1.19**
*रु. 1 लाख से कम का मूल्य						
अनकोटड निवेश की कुल राशि			**0.91**			2.91
निवेश के मूल्य में हानि की सकल राशि			**0.91**			1.72

विभिन्न कर्मचारी सहकारी समितियों में धारित इक्विटी शेयर, जिनका मूल्य 1 लाख /- से कम है

संयुक्त उद्यम के बारे में जानकारी

विवरण	देश जहां निगमन हुआ	31 मार्च 2025 की स्थिति	31 मार्च 2024 की स्थिति
संयुक्त उद्यम का नाम (जेवीसी)		स्वामित्व का अनुपात (%)	
बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सेर्विसेस प्रा. लि. (बीजीजीटीएस)	भारत	एक शेयर 50% से कम	एक शेयर 50% से कम
एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट प्रा. लि. (एनबीपीपीएल)		50%	50%
रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लि. (आरपीसीएल)		22.14%	22.14%
पावरप्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रोवेमेंट लि. (पीपीआईएल)		एक शेयर 50% से कम	एक शेयर 50% से कम
भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड (बीसीजीसीएल)		49%	-

(i) एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में निवेश के मूल्य में हानि के लिए प्रावधान शुद्ध वित्तीय स्थिति के आधार पर ₹50.00 करोड़ (पिछले वर्ष तक ₹50.00 करोड़) की सीमा तक किया गया है। बीएचईएल निदेशक मंडल ने 28 जनवरी 2025 को आयोजित अपनी 566वीं बैठक में एनबीपीपीएल के समापन के लिए बीएचईएल निदेशक मंडल द्वारा 08.02.2018 को आयोजित अपनी 494वीं बैठक में दी गई सैद्धांतिक मंजूरी को रद्द करने की मंजूरी दी और एनबीपीपीएल द्वारा 1×800 मेगावाट एयूएससी प्रौद्योगिकी आधारित प्रौद्योगिकी प्रदर्शन संयंत्र (टीडीपी) के कार्यान्वयन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी।

(ii) मेसर्स पावर प्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट लिमिटेड अभी भी परिसमापन के अधीन है। परिसमापन प्रक्रिया के अनुसार, बीएचईएल को पीपीआईएल में ₹2 करोड़ के इक्विटी निवेश के बदले वित्त वर्ष 2024-25 में ₹0.87 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है।

(iii) नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) में निवेश का वित्त वर्ष 2022-23 में निपटान कर दिया गया है और वित्त वर्ष 2023-24 तक 26.22 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है, ₹5.76 करोड़ के विक्रय प्रतिफल की शेष राशि, जो आकस्मिक देयता के विरुद्ध रोकी गई है, को चालू वित्त वर्ष में निवेश की बिक्री पर लाभ के रूप में दर्ज किया गया है, जिसमें ₹0.64 करोड़ का ब्याज और ₹0.28 करोड़ का उपार्जित ब्याज शामिल है, जैसा कि टाटा स्टील लिमिटेड (एनआईएनएल के क्रेता) से प्राप्त सूचना के अनुसार है कि रोकी गई राशि को 3 एफडीआर के अंतर्गत रखा गया है, जिस पर ब्याज भी उपार्जित हो रहा है और उपार्जित ब्याज पर टीडीएस वित्त वर्ष 2024-25. के लिए होल्ड राशि में बीएचईएल के हिस्से के अनुपात में बीएचईएल को आवंटित किया गया है।

नोट [6] – वित्तीय परिसंपत्तियाँ – व्यापार प्राप्य

वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास की लेखांकन नीति के लिए नोट [2] का बिन्दु 13 देखें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति		31 मार्च, 2024 की स्थिति (पुनःघोषित)*	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
असुरक्षित, शोध्य	3351.23	6566.49	3601.58	5344.68
साख का मूल्यह्रास (बी&डी ऋणों के लिए भत्तों में शामिल)	8474.83	693.22	11682.32	544.70
	11826.06	**7259.71**	**15283.90**	**5889.38**
घटाएँ: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते	8779.48	1375.36	12059.21	1104.00
कुल व्यापार प्राप्य (शुद्ध)	**3046.58**	**5884.35**	**3224.69**	**4785.38**

व्यापार प्राप्यों के मूल्यह्रास हेतु सरलीकृत दृष्टिकोण का पालन किया जाता है, वर्गीकरण इंडएएस 109 के अनुसार किया जाता है।

व्यापार प्राप्यों में शामिल है:				
(क) निदेशकों से प्राप्य	-	-	-	-
(ख)अधिकारियों से प्राप्य	-	-	-	-

नोट (i) : व्यापारिक प्राप्तियों में ग्राहक एसटीपीजी (पूर्व में एनईसी सूडान) से ₹211 करोड़ (25.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की अतिदेय राशि शामिल है, जो गृहयुद्ध के कारण अटकी हुई है, जिसे अच्छा माना गया है और बोर्ड द्वारा अनुमोदित के अनुसार इसका प्रावधान नहीं किया गया है। यदि राशि का प्रावधान किया गया था, तो 'कर-पूर्व लाभ' पर प्रभाव ₹211 करोड़ होगा।

गैर-वर्तमान व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची - 31 मार्च, 2025 तक

(₹ करोड़ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					बिल नहीं किया गया बकाया	भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं है	कुल
	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
I) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – स्वीकृत माल	67.22	22.35	272.28	233.90	756.66	-	-	1352.41
II) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – ऋण बाधित	-	-	-	-	-	-	-	-
III) विवादित व्यापार प्राप्य - स्वीकृत माल	6.89	16.56	81.34	8.93	1885.10	-	-	1998.82
IV) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित	121.06	120.92	159.70	147.46	7925.69	-	-	8474.83

चालू व्यापार प्राप्य कालप्रभावन अनुसूची - 31 मार्च 2025

(₹ करोड़ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					बिल नहीं किया गया बकाया	भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं है	कुल
	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
I) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – स्वीकृत माल	4827.68	577.21	753.85	225.97	181.78	-	-	6,566.49
II) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – ऋण बाधित	-	-	-	-	-	-	-	-
III) विवादित व्यापार प्राप्य - स्वीकृत माल	-	-	-	-	-	-	-	-
IV) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित	5.60	1.11	4.25	1.96	680.30	-	-	693.22

गैर-चालू व्यापार प्राप्य कालप्रभावन अनुसूची - 31 मार्च, 2024

(₹ करोड़ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					बिल नहीं किया गया बकाया	भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं है	कुल
	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
I) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – स्वीकृत माल	80.11	202.23	251.34	154.46	1173.65	-	-	1,861.79
II) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – ऋण बाधित	-	-	-	-	-	-	-	-
III) विवादित व्यापार प्राप्य - स्वीकृत माल	65.26	37.02	10.28	5.34	1621.89	-	-	1,739.79
IV) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित	173.55	83.73	281.82	305.34	10837.88	-	-	11,682.32

चालू व्यापार प्राप्य कालप्रभावन अनुसूची - 31 मार्च 2024

(₹ करोड़ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					बिल नहीं किया गया बकाया	भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं है	कुल
	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
I) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – स्वीकृत माल	4009.53	638.13	387.24	142.68	167.10	-	-	5344.68
II) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – ऋण बाधित	-	-	-	-	-	-	-	-
III) विवादित व्यापार प्राप्य - स्वीकृत माल	-	-	-	-	-	-	-	-
IV) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित	2.72	1.42	9.65	19.58	511.33	-	-	544.70

नोट [7] – वित्तीय परिसंपत्तियाँ - अन्य

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 13 का संदर्भ लें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति		31 मार्च, 2024 की स्थिति	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
सुरक्षा जमा				
राज्य विद्युत बोर्ड, बंदरगाह ट्रस्ट और अन्य के पास जमा				
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	101.45	91.91	100.83	58.27
ऋण क्षीण	8.02	12.80	3.40	12.93
	109.47	**104.71**	**104.23**	**71.20**
घटाएँ: खराब और संदिग्ध जमाओं के लिए भत्ते	8.02	12.80	3.40	12.93
	101.45	**91.91**	**100.83**	**58.27**
जारी किए गए बैंक गारंटी के लिए मार्जिन मनी पर सावधि जमा	**614.50**		**105.27**	
बैंक जमा पर अर्जित ब्याज	**-**	**141.00**		**122.86**
कर्मचारियों को अग्रिम	-	68.29	-	59.00
घटाएँ: खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते	-	0.44	-	0.31
	-	**67.85**	**-**	**58.69**
कुल योग	**715.95**	**300.76**	**206.10**	**239.82**
प्रतिभूति जमा में शामिल है:				
निदेशकों से प्राप्य	-	-	-	-
अधिकारियों से प्राप्य	-	0.01	-	0.01

नोट [8] – गैर चालू परिसंपत्तियाँ आस्थगित कर संपत्तियाँ (शुद्ध देनदारियाँ)

आयकर पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 12 का संदर्भ लें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति	31 मार्च, 2024 की स्थिति
आस्थगित कर संपत्तियाँ		
प्रावधान	2439.70	2614.51
भुगतान आधार पर देय राशि की अनुमति	451.21	520.72
कर योग्य हानि पर	1187.80	1012.04
अन्य	62.43	78.85
उप कुल	**4141.14**	**4226.12**
घटाएँ : आस्थगित कर देयताएं		
मूल्यह्रास (पीपी एंड ई और अमूर्त संपत्ति)	73.42	24.86
आस्थगित कर संपत्तियाँ (शुद्ध देनदारियाँ)	**4067.72**	**4201.26**

नोट [9] - अन्य परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि पर सामग्री लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 13 का संदर्भ लें।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति		31 मार्च, 2024 की स्थिति	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
अनुबंध परिसंपत्तियाँ (बिना बिल किए गए राजस्व सहित)				
प्रतिभूति-रहित, शोध्य	14483.07	16759.98	14585.00	14342.73
साख का मूल्यह्रास (बी एंड डी ऋणों के लिए भत्ते में शामिल)	3633.32	127.58	3635.34	441.72
	18116.39	**16887.56**	**18220.34**	**14784.45**
घटाएँ: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	4450.81	1109.01	4924.61	1,332.64
उप कुल (ए)	**13665.58**	**15778.55**	**13295.73**	**13451.81**
प्रतिपूर्ति				
कर प्राधिकरणों एवं अन्यों के पास जमा				
प्रतिभूति-रहित, शोध्य	53.48	410.71	65.54	337.13
प्रतिभूति-रहित, संदिग्ध	35.20	69.89	39.88	72.04
	88.68	**480.60**	**105.42**	**409.17**
घटाएँ: अशोध्य एवं संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान	35.20	69.89	39.88	72.04
उप कुल (बी)	**53.48**	**410.71**	**65.54**	**337.13**
ऋण व अग्रिम				
प्रतिभूति-रहित, शोध्य				
क्रय के लिए अग्रिम (वेंडर एवं सब कांट्रेक्टर)	172.56	92.90	128.33	37.55
इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य	-	1645.96	-	1293.31
वसूली योग्य दावे एवं अन्य	179.28	1027.27	197.79	790.00
पूंजी अग्रिम	4.08	-	2.30	-
प्रतिभूति-रहित, अशोध्य				
क्रय के लिए अग्रिम (वेंडर एवं सब कांट्रेक्टर)	16.23	6.34	11.10	27.92
इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य	-	6.40	-	7.66
वसूली योग्य दावे एवं अन्य	515.36	205.20	372.60	161.00
पूंजी अग्रिम	0.58	-	-	-
	888.09	**2984.07**	**712.12**	**2317.44**
घटाएँ: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों व अग्रिमों के लिए प्रावधान	532.17	217.94	383.70	196.58
उप कुल (सी)	**355.92**	**2766.13**	**328.42**	**2120.86**
कुल (ए+बी+सी)	**14074.98**	**18955.39**	**13689.69**	**15909.80**

नोट (i): रिपोर्टिंग तिथि तक देनदारों में आरवीयूएनएल/सूरतगढ़ 7 और 8 परियोजना (2*660 मेगावाट) (परीक्षण संचालन से 3 वर्ष से अधिक) के प्रति ₹208 करोड़ का शुद्ध बकाया शामिल है। वसूली के आधार पर प्रावधान बनाना विवेकपूर्ण नहीं है क्योंकि ग्राहक ने वितरण विस्तार के लिए संशोधन जारी किया है और पुष्टि की है कि भुगतान प्रक्रियाधीन है और शीघ्र ही राशि भेज दी जाएगी। इसके अलावा, ग्राहक ने 08.05.2025 को ₹40 करोड़ का भुगतान भी किया है। यदि राशि का प्रावधान किया गया था, तो 'कर-पूर्व लाभ' पर शुद्ध प्रभाव ₹168 करोड़ है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति		31 मार्च, 2024 की स्थिति	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
I) निर्विवाद संविदा परिसंपत्तियां - शोध्य	11423.52	16759.98	11592.50	14342.73
II) अविवादित संविदा परिसंपत्तियां – अपसामान्य ऋण	-	-	-	-
III) विवादित संविदा परिसंपत्तियां - शोध्य	3059.55	-	2992.50	-
IV) विवादित संविदा परिसंपत्तियां - अपसामान्य ऋण	3633.32	127.58	3635.34	441.72
कुल	**18116.39**	**16887.56**	**18220.34**	**14784.45**
ऋण एवं अग्रिम में शामिल हैं:				
(ए) निदेशकों से प्राप्य	-	-	-	-
(बी) अधिकारियों से प्राप्य	-	-	-	-

नोट [10] - चालू परिसंपत्तियाँ

माल सूची

माल सूची के मूल्यांकन पर लेखा नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 6 का संदर्भ लें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति		31 मार्च, 2024 की स्थिति	
कच्चा माल एवं घटक	3726.37		2866.04	
मार्गस्थ में सामग्री	358.87	4085.24	203.29	3069.33
कार्य प्रगति पर		5369.49		3917.74
(उप-ठेकेदारों के पास मौजूद वस्तुओं सहित)				
तैयार माल	485.92		414.31	
मार्गस्थ में अंतर-विभागीय स्थानांतरण	119.98	605.90	89.18	503.49
भंडार एवं स्पेयर पार्ट्स				
उत्पादन	204.17		150.51	
ईंधन भंडार	8.26		5.49	
विविध	57.22	269.65	58.64	214.64
अन्य इन्वेन्ट्री				
फैब्रिकेटर्स/ठेकेदारों के पास सामग्री	121.65		105.00	
लूज़ टूल्स	23.88		19.20	
स्क्रैप (अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर)	159.45	304.98	173.33	297.53
		10635.26		**8002.73**
घटाएँ: अचल इन्वेन्ट्री के लिए प्रावधान		765.77		782.16
कुल		**9869.49**		**7220.57**
नोट:				
इन्वेन्ट्री का लेखा-जोखा		48.77		105.78
घटाएँ: इसके उलट		65.41		67.41
शुद्ध		(16.64)		38.37

नोट [11] - चालू परिसंपत्तियाँ
वित्तीय परिसंपत्तियाँ - नकद और नकद समकक्ष

नकद और नकद समकक्ष पर लेखा नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 16 का संदर्भ लें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति		31 मार्च, 2024 की स्थिति	
बैंकों में शेष				
ईईएफसी खाता	112.92		284.68	
3 महीने या उससे कम अवधि में परिपक्व होने वाले सावधि जमा	199.00			
चालू/नकद क्रेडिट खाता *	121.79	433.71	1547.21	1831.89
चेक, डिमांड ड्राफ्ट ऑन हैंड		3.55		3.08
नकदी एवं स्टाम्प ऑन हैंड		0.07		0.07
मार्गस्थ रेमिटेंसेज		1.88		-
कुल		**439.21**		**1835.04**

* इसमें विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए एस्क्रो खाते में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹48.89 करोड़ और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ₹116.18 करोड़ शामिल हैं।

नोट [12] - चालू परिसंपत्तियाँ
वित्तीय परिसंपत्तियाँ- बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति		31 मार्च, 2024 की स्थिति	
3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम अवधि की परिपक्वता वाली सावधि जमाएं		6618.06		3739.65
जारी किए गए बीजी के सापेक्ष मार्जिन मनी के नाम सावधि जमा		431.45		462.06
बैंकों बकाया राशि (निर्धारित):				
सीजी II सीईएफसी खाता एवं अन्य	5.76		9.70	
दावा न किया गया	1.35		1.74	
अप्रत्यावर्तनीय खाता	0.66		0.65	
बोनस अंक पर आंशिक शेयरों की बिक्री से आय	-		0.03	
संरचना खाता	0.14		0.14	
बीएचईएल खाते में न्यायालय के पास सावधि जमा	111.08		106.07	
सीएसआर	4.70	123.69	2.39	120.72
कुल		**7173.20**		**4322.43**
कुल नकदी और बैंक बैलेंस [11+12]		**7612.41**		**6157.47**

नोट [13] - चालू परिसंपत्तियाँ
वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ / (देयताएं) (शुद्ध)

आयकरों पर सामग्री लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 12 का संदर्भ लें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति	31 मार्च, 2024 की स्थिति
अग्रिम कर एवं टीडीएस	149.57	254.20
घटाएँ: : कराधान के प्रावधान	12.20	25.13
कुल	**137.37**	**229.07**

नोट [14] – इक्विटी
इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति		31 मार्च, 2024 की स्थिति	
	शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य ₹ में)	राशि	शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य ₹ में)	राशि
इक्विटी शेयर पूंजी				
प्राधिकृत	10000000000	2000.00	10000000000	2000.00
	(2)		(2)	
जारी, सब्सक्राइब्ड एवं पूर्णतः प्रदत्त	3482063355	696.41	3482063355	696.41
	(2)		(2)	
ए) बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या का पुनर्मिलान				
वर्ष की शुरुआत में शेष	3482063355	696.41	3482063355	696.41
बढ़े/घटे: वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष	3482063355	696.41	3482063355	696.41
बी) वर्ष के अंत में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों द्वारा रखे गए शेयरों का विवरण				
भारत के राष्ट्रपति (प्रमोटर)	2199650402	63.17%	2199650402	63.17%
वर्ष के दौरान प्रमोटर होल्डिंग का प्रतिशत परिवर्तन		Nil		Nil
भारतीय जीवन बीमा निगम	233921477	6.72%	284736920	8.18%
प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)		2.00		2.00

सी) इक्विटी शेयरों से जुड़े नियम/अधिकार

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है जिसका सममूल्य ₹ 2 प्रति शेयर है (पिछले वर्ष ₹ 2 प्रति शेयर)। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है।

नोट [15] - अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति	31 मार्च, 2024 की स्थिति
आरक्षित पूंजी	35.18	35.18
आरक्षित पूंजी मोचन	37.87	37.87
सामान्य आरक्षित	30476.66	30476.66
प्रतिधारित आय	(5943.29)	(6390.15)
ओसीआई (परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन)	(580.65)	(417.32)
कुल	**24025.77**	**23742.25**

उपर्युक्त प्रत्येक विशिष्ट शीर्ष के अंतर्गत परिवर्धन और कटौती के लिए, एसओसीआईई (इक्विटी में परिवर्तन का विवरण) का संदर्भ लिया जा सकता है।

आरक्षित कोष की प्रकृति और उद्देश्य:

(ए) आरक्षित पूंजी: यह मुख्य रूप से ली गई शुद्ध परिसंपत्तियों की अधिकता को दर्शाता है, जो तत्कालीन सहायक कंपनी (एचपीवीपी) के बीएचईएल के साथ विलय के दौरान भुगतान की गई लागत पर आधारित है।

(बी आरक्षित पूंजी मोचन: कंपनी ने अपने सामान्य रिजर्व से इक्विटी शेयरों की खरीद पर पूंजी मोचन रिजर्व को मान्यता दी है। पूंजी मोचन रिजर्व में राशि वापस खरीदे गए इक्विटी शेयरों की नाममात्र राशि के बराबर है।

(सी) सामान्य आरक्षित: यह भविष्य के (ज्ञात/अज्ञात) दायित्वों को पूरा करने के लिए कंपनी द्वारा बनाए गए मुनाफे के संचय को दर्शाता है।

(डी) प्रतिधारित आय: प्रतिधारित आय वह लाभ है जो कंपनी ने सामान्य आरक्षित, लाभांश या शेयरधारकों को अन्य वितरण में स्थानांतरण को घटा के बादआज तक कमाया है।

(ई) शुद्ध परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मापन: योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय और वास्तव में प्राप्त रिटर्न के बीच अंतर, तथा योजनाओं के भीतर बीमांकिक धारणा या अनुभव समायोजन में परिवर्तन के कारण वर्ष के दौरान देयताओं में कोई भी परिवर्तन, 'अन्य व्यापक आय' में मान्यता प्राप्त है और इन्हें बाद में लाभ और हानि के विवरण में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाना है।

नोट [16] - वित्तीय देयताएं - पट्टा देयताएं

पट्टा पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 3 का संदर्भ लें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति		31 मार्च, 2024 की स्थिति	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
पट्टा देयताएं	162.39	57.21	23.55	24.91
कुल	**162.39**	**57.21**	**23.55**	**24.91**

पट्टे के संबंध में और अधिक विवरण नोट [37] में दिया गया है।

नोट [17] - वित्तीय देयताएं - व्यापार देय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति		31 मार्च, 2024 की स्थिति	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
व्यापार देय				
(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के कुल बकाया देय	-	1430.24	-	1000.59
(ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के कुल बकाया देय	2170.79	8075.21	2292.76	7502.15
(iii) स्वीकृतियाँ	-	35.47	-	36.64
कुल	**2170.79**	**9540.92**	**2292.76**	**8539.38**

गैर-चालू व्यापार देय कालप्रभावन अनुसूची - 31 मार्च, 2025 की स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				बिल नही हुआ बकाया	अभी तक भुगतान के लिए देय नहीं $	कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
I)) एमएसएमई के अलावा		-	-	-	8.32	1829.59	1837.91
II) विवादित बकाया- एमएसएमई के अलावा ^	-	-	-	14.73	0.09	318.06	332.88

चालू व्यापार देय कालप्रभावन अनुसूची - 31 मार्च, 2025 की स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				बिल नही हुआ बकाया	अभी तक भुगतान के लिए देय नहीं $	कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
I) एमएसएमई	0.06	-	-	-	136.37	1289.82	1426.25
II) अन्य	166.63	8.65	2.73	3.21	1763.13	6154.34	8098.69
III) विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-	3.99	3.99
IV) विवादित बकाया - अन्य^	-	-	-	-	7.18	4.81	11.99

गैर-चालू चालू व्यापार देय कालप्रभावन अनुसूची - 31 मार्च, 2025 की स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				बिल नही हुआ बकाया	अभी तक भुगतान के लिए देय नहीं $	कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
I) एमएसएमई के अलावा	0.01	0.04	0.14	-	7.81	1863.77	1871.77
II) विवादित बकाया- एमएसएमई के अलावा ^	9.24	0.30	0.58	231.73	0.09	179.05	420.99

चालू व्यापार देय कालप्रभावन कार्यक्रम - 31 मार्च, 2025 की स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				बिल नही हुआ बकाया	अभी तक भुगतान के लिए देय नहीं $	कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
I) एमएसएमई	4.01	-	-	-	122.36	873.07	999.44
II) अन्य	495.55	18.32	15.13	19.48	1781.67	5198.29	7528.44
III) विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-	1.15	1.15
IIV) विवादित बकाया - अन्य^	-	-	-	7.00	-	3.35	10.35

$ अभी तक देय नहीं, अनुबंधित रूप से रखी गई राशि को दर्शाता है जो लक्ष्य प्राप्ति पर निपटान के बाद किया जाना है।

^बकाया का विवरण संविदात्मक रूप से नियत तिथि के आधार पर दिया जाता है. लेकिन इनका भुगतान तभी किया जाएगा जब विवाद का समाधान उनके पक्ष में होगा।

नोट [18] - वित्तीय देयताएँ - अन्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति		31 मार्च, 2024 की स्थिति	
	गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
ठेकेदारों और अन्य से जमा राशि	413.11	716.19	397.01	623.50
देयताएँ:				
- कर्मचारियों का बकाया	-	152.41	-	353.32
- पूंजीगत व्यय	9.68	131.02	10.86	114.90
- अन्य	-	212.24	-	374.89
अवेतनिक लाभांश*	-	1.35	-	1.74
उधार पर अर्जित ब्याज	-	27.31	-	24.97
कुल	**422.79**	**1240.52**	**407.87**	**1493.32**

*वर्ष के अंत में निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित करने के लिए कोई राशि देय और बकाया नहीं है।

नोट [19] - प्रावधान

कर्मचारी लाभ और प्रावधानों पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 9 और 10 का संदर्भ लें।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति		31 मार्च, 2024 की स्थिति	
	गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
अनुबंध संबंधी दायित्व	1349.46	422.32	1373.26	448.91
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान*	1028.48	855.64	903.47	1228.15
अन्य प्रावधान	206.09	534.18	212.35	639.07
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व	1.53	3.17	-	2.14
कुल	**2585.56**	**1815.31**	**2489.08**	**2318.27**

*कर्मचारी लाभों पर अधिक विवरण/ प्रकटीकरण नोट [25] में उपलब्ध है।

नोट [20] - अन्य देयताएँ

सरकारी अनुदानों पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 11 का संदर्भ लें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति		31 मार्च, 2024 की स्थिति	
	गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
'संविदागत देयताएं (ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम, जिसमें राजस्व से अधिक बिलिंग भी शामिल है)।	9742.94	5550.73	4063.35	3070.10
वैधानिक बकाया के प्रति देयताएँ	-	1220.75	-	989.83
आस्थगित आय- सरकारी अनुदान#	50.96	5.15	39.42	3.43
Total	**9793.90**	**6776.63**	**4102.77**	**4063.36**

सौर पी.वी. संयंत्र की स्थापना, मॉड्यूल के विनिर्माण और सामान्य इंजीनियरिंग सुविधा केंद्र योजना, परमाणु पंप परीक्षण सुविधा के तहत सरकारी अनुदान प्राप्त होता है।

नोट [21] - वर्तमान वित्तीय देनदारियाँ-उधार

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति	31 मार्च, 2024 की स्थिति
प्रतिभूति		
बैंकों से ऋण (कच्चे माल, घटकों, प्रगतिशील कार्य, तैयार माल एवं भंडार के दृष्टिबंधक द्वारा प्रतिभूत)	8795.00	8808.00
उप योग (ए)	**8795.00**	**8808.00**
अरक्षित (बी)	**-**	**-**
कुल उधार (ए + बी)	**8795.00**	**8808.00**

(i) स्वीकृत सीमाओं का विवरण

विवरण	स्वीकृत सीमा	31 मार्च, 2024 उपयोग की स्थिति		स्वीकृत सीमा	31 मार्च, 2023 उपयोग की स्थिति	
		मूल्य (रु./करोड़)	% उपयोग		मूल्य (रु./करोड़)	% उपयोग
गैर निधि आधारित सीमाएँ	**70500**	**52371**	**74.29%**	**51000**	**35096**	**68.82%**
बैंक गारंटी#	67000	49122	73.32%	48000	32828	68.39%
क्रेडिट पत्र (क्रेता क्रेडिट सहित)	3500	3262	93.20%	3000	2268	75.60%
फंड आधारित सीमाएँ	**9500**	**8795**	**92.58%**	**9000**	**8808**	**97.87%**
डब्ल्यूसीडीएल		8795			8808	
पीसीएफसी		शून्य			शून्य	
वाणिज्य पत्र	5000	शून्य		5000.00	शून्य	

#उपरोक्त में से ₹19.84 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी बीसीजीसीएल की ओर से जारी की गई, जो कोल इंडिया लिमिटेड और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का संयुक्त उद्यम है।

कुल कंसोर्टियम सीमा (निधि आधारित + गैर-निधि आधारित) दिनांक 26.03.2025 से ₹160,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹180,000 करोड़ कर दी गई है और यह कच्चे माल, घटकों, प्रगति पर कार्य, तैयार माल, भंडार, व्यापार प्राप्तियों और अन्य वर्तमान एवं भविष्य की वर्तमान परिसंपत्तियों के बंधक के माध्यम से प्रथम प्रभार द्वारा सुरक्षित है।

वाणिज्यिक पत्र अरक्षित अल्पकालिक उधार की प्रकृति के होते हैं।

(ii) बैंकों से प्राप्त ऋण ₹18795 करोड़ का WCDL (कार्यशील पूंजी मांग ऋण) दर्शाता है। (पिछले वर्ष ₹18808 करोड़)

(iii) कंपनी को किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(iv) कंपनी द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ दाखिल की गई त्रैमासिक रिटर्न या चालू संपत्ति के विवरण 'खाता बहियां' के अनुरुप हैं।

(v) दिनांक 31.03.2025 तक, बकाया स्वयं के दायित्वों के लिए दी गई कॉर्पोरेट गारंटी ₹315 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹328 करोड़)।

(vi) वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न उधार में परिवर्तन।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति	31 मार्च, 2024 की स्थिति
प्रारंभिक शेष (नकद ऋण को छोड़कर	8808.00	5385.00
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	(13.00)	3423.00
अंतिम शेष (नकद ऋण को छोड़कर)	**8795.00**	**8808.00**

वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न पट्टा देयता में परिवर्तन के लिए नोट [37 (बी)] देखें।

नोट [22]

परिचालनों से राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व पर भौतिक लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 7 का संदर्भ लें।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व		
निर्माण और परियोजना संबंधित गतिविधि से राजस्व	18478.11	15888.42
उत्पाद और अन्य सेवाओं की बिक्री	8877.06	7032.10
कुल (क)	**27355.17**	**22920.52**
अन्य परिचालन आय		
माल ढुलाई और बीमा	158.18	163.78
स्क्रैप बिक्री	270.51	249.20
आपूर्तिकर्ताओं से वसूली	228.55	220.12
रिटेन बेक देयताएं	182.94	161.16
बीमा दावे	34.67	28.83
निर्यात प्रोत्साहन	4.07	10.20
अन्य	105.39	138.97
कुल (ख)	**984.31**	**972.26**
परिचालन से राजस्व(क + ख)	**28339.48**	**23892.78**
परिचालन से प्राप्त राजस्व में माल और सेवा कर शामिल नहीं है:	4551.81	3786.00

नोट [23]

अन्य आय

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व पर भौतिक लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 7 का संदर्भ लें।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज से आय		
से बैंकों	374.63	345.35
अन्य	28.00	148.43
उप कुल (क)	**402.63**	**493.78**
अन्य आय		
निवेश की बिक्री पर लाभ	5.76	0.80
कैप्टिव उपयोग / सीईएफसी के लिए सोलर पीवी प्लांट पर सरकारी अनुदान	8.99	15.62
पीपीई एवं पूंजी भंडार की बिक्री से लाभ (शुद्ध)	13.46	8.92
अन्य	34.47	27.15
उप कुल (ख)	**62.68**	**52.49**
कुल अन्य आय (क+ख)	**465.31**	**546.27**

नोट [24]
तैयार माल,कार्य प्रगति पर एवं स्क्रैप की मालसूची में परिवर्तन [(वृद्धि)/कमी]

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	
कार्य प्रगति पर				
अंतिम शेष	5371.51		3917.74	
आरंभिक शेष	3917.74	**(1453.77)**	3482.75	**(434.99)**
तैयार माल				
अंतिम शेष	485.94		414.31	
आरंभिक शेष	414.31	**(71.63)**	422.57	**8.26**
स्क्रैप				
अंतिम शेष	159.45		173.33	
आरंभिक शेष	173.33	**13.88**	163.30	**(10.03)**
मार्गस्थ में अंतर-प्रभागीय अंतरण		**(30.80)**		**0.02**
(वृद्धि) / कमी		**(1542.32)**		**(436.74)**

नोट [25]
कर्मचारी लाभ व्यय

कर्मचारी लाभ पर भौतिक लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 9 का संदर्भ लें।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी, बोनस, भत्ते और अन्य लाभ	5029.68	4802.44
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	493.10	451.80
कर्मचारी कल्याण व्यय	292.27	248.10
ग्रेच्युटी फंड में योगदान	103.49	120.52
समूह बीमा	4.88	5.98
कुल	**5923.42**	**5628.84**

नोट [26]
अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	
विद्युत और ईंधन		490.64		452.20
अन्य उप- संविदा पर व्यय		288.10		262.63
कैरिज आउटवर्ड		244.24		199.95
सुरक्षा एजेंसियों को भुगतान		165.57		155.22
मरम्मत व रखरखाव:				
भवन	52.70		43.15	
प्लांट व मशीनरी	39.86		34.26	
अन्य	124.79	217.35	95.51	172.92
बीमा		225.69		139.72
यात्रा व वाहन		106.96		105.22
बैंक प्रभार		157.75		96.35
अनुसंधान एवं विकास संबंधी व्यय		11.65		9.95
भाड़ा व्यय		59.70		55.01
कोलाबोरेशन एवं रॉयल्टी पर व्यय		58.35		60.41
दर एवं कर		42.37		25.21
कार्यालय व्यय		30.88		29.83
कौशल विकास पर व्यय		15.67		13.49
विधिक, लेखापरीक्षा एवं प्रमाणन व्यय		41.48		55.15
ईडीपी, सॉफ़्टवेयर व लीज लाइन व्यय		25.94		16.64
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व		6.72		-
जल प्रभार		20.44		23.39
निर्यात से संबंधित व्यय		1.60		14.12
गैर आवासीय किराया		3.04		2.59
मनोरंजन एवं शिष्टाचार पर व्यय		3.24		3.54
पर्यावरण संरक्षण		6.08		5.53
सेमिनार, विकास और प्रशिक्षण व्यय		4.77		4.47
इक्विटी शेयर के निवेश में अप्राप्त हानि		-		1.94
प्रचार एवं जनसंपर्क व्यय		2.29		3.08
विविध खर्च		76.16		78.01
मुद्रा विनिमय से परिवर्तन [शुद्ध लाभ) / हानि]		(135.38)		(105.20)
प्रावधान एवं बट्टे खाते डाले (विवरण, नीचे बिंदु संख्या v पर)		158.04		(1037.14)
योग		**2329.34**		**844.23**
विस्तृत विवरण:				
(i) निदेशक की फीस		0.12		0.20
(ii) विभागीय मरम्मत एवं रखरखाव पर व्यय:				
प्लांट और मशीनरी		195.91		175.27
भवन		26.91		28.01
अन्य		31.33		28.60
(iii) अनुसंधान एवं विकास पर व्यय		132.98		126.08
(iv) विदेश यात्रा पर व्यय				
दौरों की संख्या		193		220
व्यय		6.81		5.10

(v) प्रावधान एवं बट्टे खाते में डालना:

(परिसंपत्तियों के ह्रास और प्रावधान पर भौतिक लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 10 एवं 13 का संदर्भ लें।)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	
संदिग्ध ऋण, परिसमाप्त क्षति और ऋण, अग्रिम और जमा				
वर्ष के दौरान निर्मित	1880.92		3271.76	
घटाएं: वर्ष के दौरान निकासी	4564.01	(2,683.09)	1819.13	1,452.63
संविदात्मक दायित्व				
वर्ष के दौरान निर्मित	410.04		109.43	
घटाएं: वर्ष के दौरान निकासी	607.49	(197.45)	2693.53	(2584.10)
अन्य प्रावधान				
वर्ष के दौरान निर्मित	197.81		320.56	
घटाएं: वर्ष के दौरान निकासी	310.59	(112.78)	292.40	28.16
निवेश बट्टे खाते में डाले गए				
निवेश बट्टे खाते में डाले गये		1.15		-
अशोध्य ऋण बट्टे खाते में डाले गए		552.39		19.94
परिसमापन हर्जाना और संविदात्मक शुल्क चार्ज ऑफ किया गया		2573.11		29.59
नुकसान बट्टे खाते में डाले गए		24.71		16.64
कुल		**158.04**		**(1037.14)**

नोट [27]
वित्त लागत

उधार लेने की लागत और प्रावधानों पर भौतिक लेखांकन नीति के नोट [2] के बिंदु 5 और 10 का संदर्भ लें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	
वाणिज्य पत्र पर छूट		5.31		8.77
प्रावधानों के ब्याज लागत		33.70		121.38
का लेखाकरण:				
बैंक/वित्तीय संस्थान	667.46		595.05	
पट्टा दायित्व पर	11.28		4.38	
अन्य	30.51	709.25	1.67	601.10
वाणिज्य पत्र जारी करने पर अन्य व्यय		0.07		0.04
उप-योग		**748.33**		**731.29**
घटाएँ: उधार लेने की पूंजीगत लागत		-		-
योग		**748.33**		**731.29**

नोट [28]
कर व्यय

आयकर पर लेखांकन नीति के नोट [2] के बिन्दु 12 का संदर्भ लें।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	
चालू कर				
वर्तमान वर्ष के लिए	7.69		30.72	
पहले के वर्षों के लिए	15.47	23.16	(143.28)	(112.56)
आस्थगित कर				
वर्तमान वर्ष के लिए	195.69		59.69	
पहले के वर्षों के लिए	(7.15)	188.54	13.31	73.00
योग		**211.70**		**(39.56)**

नोट [29]
अन्य व्यापक आय / (व्यय)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
आय / (व्यय)		
परिभाषित कर्मचारी लाभ का पुनः मापन	(218.49)	(110.13)
घटाएं: उपरोक्त मदों से संबंधित आयकर*	(54.99)	(27.72)
कुल	**(163.50)**	**(82.41)**
*सम्मिलित है		
चालू कर	-	-
आस्थगित कर	(54.99)	(27.72)

आयकर व्यय और लेखा लाभ (टीसीआई) का आयकर दर से गुणा का पुनर्मिलान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
कर पूर्व कुल व्यापक आय / (हानि) (टीसीआई) (क)	527.27	132.39
सांविधिक आयकर दर (ख)	25.168%	25.168%
कर व्यय [ग = (क * ख)]	132.70	33.32
के कारण अंतर: (घ)		
कर उद्देश्यों के लिए व्यय कटौती योग्य नहीं है	30.70	45.44
विशेष दर पर कर योग्य आय के कारण कर में अंतर	(0.12)	-
जेवी के लाभ/हानि के शेयर पर कर प्रभाव	(14.89)	(16.07)
कर व्यय में परिवर्तन - पिछले वर्षों में	8.32	(129.97)
उप कुल (घ)	**24.01**	**(100.60)**
शुद्ध कर व्यय [ई = (ग+घ)]	**156.71**	**(67.28)**

नोट [30]
प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर आय पर लेखा नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 18 का संदर्भ लें।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभ/(हानि)	533.90	282.22
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	348.21	348.21
2 रु के प्रति शेयर पर मूल और निश्रित आय	**1.53**	**0.81**

नोट [31]
प्रति शेयर लाभांश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश जिनकी पहचान देनदारियों में नहीं की गई है		
वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश 0.50 रुपए प्रति शेयर (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 0.25 रुपए प्रति शेयर)	174.10	87.05

इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम बैठक में कंपनी के शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है और बैलेंसशीट की तारीख में देयता के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

नोट [32]

खातों के लिए नोट्स

समेकित वित्तीय विवरण भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (कंपनी), संयुक्त उद्यम संस्थाओं में इसके हित से संबंधित है। समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किए गए हैं-

लेखांकन का आधार

i) समेकन में संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण क्रमशः मूल कंपनी के समान रिपोर्टिंग तिथि तक हैं।

ii) समेकित वित्तीय विवरण इंड एएस 110 "समेकित वित्तीय विवरण" और इंड एएस 28 "सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश" के अनुसार तैयार किए गए हैं।

समेकन का आधार

1. इक्विटी-अकाउंट वाले निवेशितियों में कंपनी की रुचि में संयुक्त उद्यम में रुचि शामिल है। संयुक्त उद्यम एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कंपनी का संयुक्त नियंत्रण होता है जिसके तहत कंपनी को इसकी संपत्तियों और देनदारियों के लिए दायित्वों के बजाय इसकी शुद्ध संपत्तियों पर अधिकार होता है। संयुक्त उद्यम में हितों का हिसाब इक्विटी पद्धति का उपयोग करके किया जाता है। उन्हें प्रारंभ में लागत पर पहचाना जाता है जिसमें लेन-देन लागत भी शामिल होती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, समेकित वित्तीय विवरण में कंपनी के लाभ या हानि का हिस्सा और इक्विटी – खाते वाले निवेशकर्ताओं का ओसीआई शामिल होता है, जब तक कि उस तारीख तक महत्वपूर्ण प्रभाव या संयुक्त नियंत्रण समाप्त नहीं हो जाता।

   जब किसी संयुक्त उद्यम के घाटे में समूह का हिस्सा उस संयुक्त उद्यम में समूह के हित से अधिक हो जाता है, तो समूह आगे के नुकसान के अपने हिस्से को मान्यता देना बंद से कर देता है। अतिरिक्त घाटे को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जब समूह ने कानूनी या रचनात्मक दायित्व वहन किया हो या संयुक्त उद्यम की ओर से भुगतान किया हो।

2. समेकित वित्तीय विवरण समान परिस्थितियों में समान लेन-देन और अन्य घटनाओं के लिए समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके तैयार किए गए हैं और यथासंभव सीमा तक प्रस्तुत किए गए हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित निकायों के परिणाम शामिल हैं:-

विवरण	व्यवसाय का मुख्य स्थान	स्वामित्व का अनुपात	
		2024-25	2023-24
संयुक्त उद्यम कंपनियां			
(इक्विटी पद्धति का उपयोग करके लेखाकरण)			
बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	भारत	50% से कम का एक शेयर	50% से कम का एक शेयर
एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड		50%	50%
रायचुर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड		22.14%	22.14%
भारत कोल गैसीफिकेशन & केमिकल्स लिमिटेड		49%	-

क. बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज लिमिटेड, एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और रायचुर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सापेक्ष संयुक्त उद्यमों में हित को दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर माना जाता है।

ख. भारत कोल गैसीफिकेशन & केमिकल्स लिमिटेड के सापेक्ष संयुक्त उद्यमों में हित को दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर माना जाता है।

ग. पावरप्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट लिमिटेड (पीपीआईएल) के संबंध में वित्तीय विवरण तैयार करने में हितधारिता मान्य नहीं किया गया है क्योंकि कंपनी परिसमापन के अधीन है। परिसमापन प्रक्रिया के अनुसार, बीएचईएल को वित्त वर्ष 2024-25 में पीपीआईएल में अपने 2 करोड़ के इक्विटी निवेश के बदले 0.87 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है।

नोट [33]

आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	जैसा 31 मार्च, 2025 को	जैसा 31 मार्च, 2024 को
A. . आकस्मिक देयताएं		
कंपनी के विरुद्ध ऐसे दावे जो ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किए गए :		
(क) बिक्री कर मामले	894.45	1243.96
(ख) सेवा कर मामले	431.21	700.83
(ग) न्यायालय एवं मध्यस्थता मामले	825.36	883.87
(घ) उत्पाद शुल्क मामले	84.53	174.03
(ड) सीमा शुल्क एवं अन्य	942.71	897.19
(च) वस्तु एवं सेवाकर	37.47	13.63
(छ) अन्य मामलों (कर्मचारी विवाद मामलों सहित)	149.99	105.40
(ज) परिनिर्धारित हर्जाना का दावा (एलडी)	2942.39	3926.30
कुल	**6308.11**	**7945.21**

(i) कंपनी द्वारा विभिन्न न्यायालयों में विवादित मामलों, मुकदमों और दावों को देखते हुए, संसाधनों के बहिर्वाह का इस स्तर पर पता लगाना संभव नहीं है। आम तौर पर, न्यायालय और मध्यस्थता मामलों की आकस्मिक देयताएं अवार्ड/न्यायालय के निर्णय पर निर्भर होता है और आकस्मिक देयता के मामले दर मामले के आधार पर समीक्षा भी की जाती है।

(ii) संबंधित कार्यवाहियों में समाधान के लंबित होने के मद (क) से (च), यदि कोई हो, के संबंध में वास्तविक नकदी बहिर्वाह के समय का अनुमान लगाना कंपनी के लिए व्यावहारिक नहीं है। हालांकि, नकदी के बहिर्वाह की संभावना आकस्मिक है

(iii) परिनिर्धारित क्षति परियोजनाओं के निष्पादन में देरी के कारण ग्राहक द्वारा रोकी गई राशि है, जो विलंब विश्लेषण के आधार पर परियोजना के कमीशनिंग और ट्रायल ऑपरेशन के बाद निपटारा किया जाएगा और इसका प्रकटीकरण इंड एएस-37 के अनुरुप किया जा रहा है।

(iv) **आकस्मिक देयताओं में बदलाव:**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
वर्ष के प्रारंभ में शेष	7945.21	7306.80
घटाएं : प्रारंभिक शेष से कटौती	2040.18	1308.15
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन (शुद्ध)	403.08	1946.55
वर्ष के अंत में शेष	**6308.11**	**7945.21**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
ख. प्रतिबद्धताएं		
क. अनुबंधों की अनुमानित राशि, शुद्ध अग्रिम, शेष को पूंजी खाते पर निष्पादित किया जाएगा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है ।	542.33	298.77
(द उपरोक्त में अमूर्त परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित शामिल हैं)	112.77	59.43
ख. संयुक्त उद्यम संस्थाओं (एनबीपीपीएल) में निवेश जिसके लिए कंपनी को परियोजना के निगमन वाणिज्यिक संचालन /परियोजना की पहली इकाई / पहली ईपीसी अनुबंध के पूरा होने की तिथि से पांच वर्षों के लिए उनके निपटान के लिए प्रतिबंध हैं, जैसा भी मामला हो, इस निवेश के लिए पूर्णप्रावधान किया गया है।	50.00	50.00
ग. बीएचईएल ने संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) के गठन के लिए दिनांक 28 फरवरी 2024 को मेसर्स कोल इंडिया लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जेवीए के अनुसार, बीएचईएल 4 वर्षों की अवधि (1 वर्ष की पूर्वनिर्माण अवधि के बाद) में जेवीसी में 1732 करोड़ रुपये का इक्विटी योगदान देगा।	1732.00	1,732.00
घ. व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए, दीर्घकालिक निर्माण अनुबंध होने के नाते भौतिक की खरीद आदि के लिए अन्य प्रतिबद्धताएं भी हो सकती हैं, जिसे सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया माना गया है।		

नोट [34]

कंपनी ने 1 अप्रैल, 1999 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) से 30 वर्ष की अवधि के लिए एमोर्फस सिलिकॉन सोलर सेल प्लांट (एएसएससीपी), गुड़गांव को पट्टे पर लिया था। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के साथ औपचारिक पट्टा समझौते को अभी अंतिम रुप दिया जाना बाकी है।

नोट [35]

व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, ठेकेदारों के अग्रिम, जमा और उप-ठेकेदारों/निर्माताओं के पास पड़े स्टॉक/भौतिक के अंतर्गत दर्शाए गए शेष की पुष्टि, समाधान और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं। कंपनी दीर्घकालिक निर्माण अनुबंधों के व्यवसाय में है, ग्राहक द्वारा अनुमोदित बिलिंग शेड्यूल के अनुरुप अनुबंध के अनुसार ग्राहकों को बिल जारी किए जाते हैं और समाधान निरंतर आधार पर किया जाता है और जहाँ भी आवश्यक समझा जाता है, प्रावधान किए जाते हैं। ग्राहक के साथ अंतिम समाधान परियोजना के पूरा होने पर किया जाता है (परीक्षण संचालन और पीजी परीक्षण पूरा हो गया है)। पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं की व्यापार प्राप्य राशि 6051 करोड़ (पिछले वर्ष 7906 करोड़) है। पूर्ण अनुबंधों में से, ग्राहकों के साथ समाधान की गई परियोजनाओं में ₹4278 करोड़ (पिछले वर्ष ₹4943 करोड़) की व्यापार प्राप्य राशि बकाया है।

नोट [36]

संयुक्त रुप से नियंत्रित संस्थाएं

क. इंडएएस – वित्तीय विवरण और वित्तीय विवरण में निवेश की धारित राशि के साथ समाधान के आधार पर संयुक्त उद्यम की सारांशित वित्तीय सूचना नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

संयुक्त उद्यम का नाम (इक्विटी प्रणाली के प्रयोग से गणना की गई)	व्यवसाय का मुख्य स्थान	स्वामित्व का अनुपात		धारित राशि (कैरिंग अमाउंट)	
		31 मार्च की स्थिति		31 मार्च की स्थिति	
		2025	2024	2025	2024
बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड (बीजीजीटीएस)	भारत	एक शेयर 50% से कम	एक शेयर 50% से कम	2.38	2.38
एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड (एनबीपीपीएल)		50.00%	50.00%	-	-
रायचुर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरपीसीएल)		22.14%	22.14%	664.04	664.04
पावर प्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट लिमिटेड		एक शेयर 50% से कम	एक शेयर 50% से कम	-	-
भारत कोल गैसीफिकेशन & केमिकल्स लिमिटेड (बीसीजीसीएल)		49.00%	-	-	-

क. बीजीजीटीएस, बीएचईएल और जीई, यूएसए की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसे जीई द्वारा डिजाइन किए गए गैस टर्बाइनों की मरम्मत और सर्विसिंग करने के लिए गठित किया गया है।

ख. एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में निवेश के मूल्य में हानि के लिए प्रावधान शुद्ध वित्तीय स्थिति के आधार पर 50.00 करोड़ (पिछले वर्ष 50.00 करोड़ तक) की सीमा तक किया गया है। दिनांक 28 जनवरी, 2025 को आयोजित 566वीं बैठक में बीएचईएल निदेशक मंडल ने दिनांक 08.02.2018 को आयोजित 494वीं बैठक में एनबीपीपीएल को बंद करने के लिए बीएचईएल निदेशक मंडल द्वारा दी गई सैद्धांतिक मंजूरी को रद्द करने की मंजूरी दी और एनबीपीपीएल द्वारा 1×800 मेगावाट एयूएससी प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रौद्योगिकी निरुपण प्लांट (टीडीपी) के कार्यान्वयन को शुरु करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी।

ग. रायचुर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, बीएचईएल और कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल) का संयुक्त उपक्रम है। इसे स्वयं निर्माण एवं परिचालन के आधार पर यरमारस, रायचुर, कर्नाटक में 2x800 मेगावाट सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट एवं एदलापुर, रायचुर, कर्नाटक में 1x800 मेगावाट सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के निर्माण हेतु गठित किया गया है। यरमारस टीपीपी की यूनिट-I और यूनिट-II का सीओडी क्रमशः मार्च 2017 और अप्रैल 2017 में प्राप्त किया गया।

घ. भारत कोल गैसीफिकेशन & केमिकल्स लिमिटेड (बीसीजीसीएल) को दिनांक 21.05.2024 को बीएचईएल और सीआईएल की एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) के रुप में शामिल किया गया, ताकि बीएचईएल की "प्रेशराइज्ड फ्लुइडाइज्ड बेड गैसीफिकेशन (पीएफबीजी)" तकनीक का उपयोग करके ओडिशा के लखनपुर में 2000 टीपीडी अमोनियम नाइट्रेट परियोजना की स्थापना करके कोयले से रसायन व्यवसाय शुरु किया जा सके।

ङ. पावरप्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट लिमिटेड अभी भी परिसमापन प्रक्रिया में है। परिसमापन प्रक्रिया के अनुसार, बीएचईएल को पीपीआईएल में अपने ₹2 करोड़ के इक्विटी निवेश के बदले दिसंबर 2024 में 0.87 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है।

ख. संयुक्त उद्यम कंपनियों के समूह की संक्षिप्त वित्तीय जानकारी इस प्रकार है:-

नीचे दी गई तालिका में संयुक्त उद्यम कंपनियों के समूह की इक्विटी पद्धति पर वित्तीय जानकारी को संक्षेप में दर्शाया गया है। यह जानकारी संबंधित संयुक्त उद्यम कंपनियों के वित्तीय विवरणों के अनुसार है, न कि इन राशियों के समूह के हिस्सेदारी से संबंधित है:

बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड

(₹ करोड़ में)

बैलेन्स शीट	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
गैर चालू परिसंपत्तियां	55.39	83.08
चालू परिसंपत्तियां	980.34	859.72
नकद और नकद समतुल्य (बैंक शेष सहित) को मिलाकर चालू परिसंपत्तियां	184.37	162.92
गैर-चालू देयताएं	9.23	8.19
गैर चालू वित्तीय देयताएं (व्यापार देय को छोड़कर)	1.55	1.45
चालू देयताएं	475.35	425.64
चालू वित्तीय देयताएं (व्यापार देय को छोड़कर)	6.87	7.08

(₹ करोड़ में)

लाभ और हानि का विवरण	निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2025 को
परिचालन से आय	1052.58	1054.74
ब्याज आय	27.15	23.67
मूल्यह्रास और परिशोधन	7.97	8.59
ब्याज व्यय	0.52	0.62
आयकर व्यय	40.95	43.75
वर्ष का लाभ/(हानि)	118.02	127.95
अन्य व्यापक आय	(0.32)	0.27
कुल व्यापक आय	118.34	127.68

रायचुर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(₹ करोड़ में)

बैलेन्स शीट	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
गैर चालू परिसंपत्तिय	9492.61	9685.94
चालू परिसंपत्तियां	4065.92	3657.93
नकद और नकद समतुल्य (बैंक शेष सहित) को मिलाकर चालू परिसंपत्तियां	190.90	13.08
गैर-चालू देयताएं	15909.25	16390.12
गैर चालू वित्तीय देयताएं (व्यापार देय को छोड़कर)	15,909.25	16390.12
चालू देयताएं	6349.36	4167.18
चालू वित्तीय देयताएं (व्यापार देय को छोड़कर)	6193.52	3847.07

(₹ करोड़ में)

लाभ और हानि का विवरण	निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2025 तक
परिचालन से आय	4296.02	3910.74
मूल्यह्रास और परिशोधन	674.98	661.74
ब्याज व्यय	2410.65	2210.09
आयकर व्यय	-	-
वर्ष का लाभ/(हानि)	(1486.64)	(1735.48)
कुल व्यापक आय	(1486.64)	(1735.48)

एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

(₹ करोड़ में)

बैलेन्स शीट	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
गैर चालू परिसंपत्तियां	184.89	192.23
चालू परिसंपत्तियां	370.44	385.24
नकद और नकद समतुल्य (बैंक शेष सहित) को मिलाकर चालू परिसंपत्तियां	0.87	7.67
गैर-चालू देयताएं	459.65	448.40
चालू देयताएं	335.99	352.37
चालू वित्तीय देयताएं (व्यापार देय को छोड़कर)	23.13	24.25

(₹ करोड़ में)

लाभ और हानि का विवरण	निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
परिचालन से आय	3.48	18.19
मूल्यह्रास और परिशोधन	5.65	5.79
ब्याज व्यय	0.63	1.64
आयकर व्यय	2.20	0.47
वर्ष का लाभ/(हानि)	(17.01)	(0.80)
कुल व्यापक आय	(17.01)	(1.07)

भारत कोल गैसीफिकेशन & केमिकल्स लिमिटेड

(₹ करोड़ में)

बैलेन्स शीट	जैसा 31 मार्च, 2025 को	जैसा 31 मार्च, 2024 को
गैर चालू परिसंपत्तियां	-	-
चालू परिसंपत्तियां	0.41	-
नकद और नकद समतुल्य (बैंक शेष सहित) को मिलाकर चालू परिसंपत्तियां	0.00	-
गैर-चालू देयताएं	-	-
चालू देयताएं	2.66	-
चालू वित्तीय देयताएं (व्यापार देय को छोड़कर)	0.01	-

(₹ करोड़ में)

लाभ और हानि का विवरण	निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
परिचालन से आय	-	-
मूल्यह्रास और परिशोधन	-	-
ब्याज व्यय	-	-
आयकर व्यय	-	-
वर्ष का लाभ/(हानि)	(2.26)	-
कुल व्यापक आय	(2.26)	-

टिप्पणी [37]
पट्टों पर प्रकटीकरण - इंडएएस 116

पट्टों पर प्रतिबद्धताएं - कंपनी पट्टेदार के रूप मे

कंपनी के महत्वपूर्ण पट्टे समझौते भूमि, भवन और ईडीपी उपकरणों के संबंध में हैं। कंपनी ने कंप्यूटर आइटम, प्रिंटर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण और पेरिफेरल्स पट्टा व्यवस्था के लिए दर अनुबंध किया है। पट्टे पर ली गई संपत्तियों को पूंजीकृत किया जाता है तथा संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के उपयोग के अधिकार का संपत्ति के रूप में अलग से प्रकटीकरण किया जाता है। पट्टा रेंटल को ब्याज, रखरखाव और मूलधन मूल्य के बीच आवंटित किया जाता है। ब्याज और रखरखाव शुल्क लाभ - हानि के विवरण पर लगाया जाता है और मूल राशि को पट्टा देयताओं के साथ समायोजित किया जाता है।

कंपनी ने निम्नलिखित उपलब्ध व्यावहारिक उपायों को लागू किया:

(i) ऐसे पट्टे, जिनकी पट्टा अवधि 12 माह से कम है, के लिए अल्पकालिक पट्टा छूट।

(ii) अल्पमूल्य (50,000 से कम मूल्य की परिसंपत्तियां) के परिसंपत्तियों के पट्टों के लिए अल्पमूल्य पट्टा छुट।

क. पट्टा देयताओं का आयु-वार विश्लेषण इस प्रकार है

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य में न्यूनतम पट्टा भुगतान		ब्याज		न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य [पीवी]	
	मार्च 31, 2025 की स्थिति	31 मार्च, 2024 की स्थिति	मार्च 31, 2025 की स्थिति	31 मार्च, 2024 की स्थिति	मार्च 31, 2025 की स्थिति	31 मार्च, 2024 की स्थिति
अधिकतम 1 वर्ष तक #	66.81	26.33	14.95	2.72	51.86	23.61
1 वर्ष के बाद एवं 5 वर्ष के अंदर	187.08	23.04	24.86	0.99	162.22	22.05
5 वर्ष से अधिक	3.03	4.46	2.85	2.96	0.18	1.50

उन पट्टों के संबंध में, जहां दिनांक 31 मार्च 2025 के अंत तक शेष पट्टा अवधि 12 महीने से कम है, भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान की राशि 8.03 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 9.18 करोड़ रुपये) है।

ख. वित्तीय वर्ष वर्ष 2024- 25 के दौरान पट्टा देयताओं में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	निम्नलिखित तिथि की स्थिति	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार पट्टा देयताएं*	48.45	68.50
जोड़ें: परिवर्धन	215.22	14.62
जोड़ें:ब्याज की वृद्धि	11.28	4.38
घटाएं : भुगतान/समायोजन	55.35	39.05
31 मार्च की स्थिति के अनुसार पट्टा देयताएं*	219.60	48.45

* 31 मार्च, 2025 और मार्च 31, 2024 तक क्रमशः 5.34 करोड़ (पिछले वर्ष 1.29 करोड़) और 1.29 करोड़ (पिछले वर्ष 1.66 करोड़) का अर्जित ब्याज शामिल है ।

ग. लाभ एवं हानि में स्वीकृत राशियां:

(₹ करोड़ में)

विवरण	निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय	0.63	2.10
कम मूल्यों की पट्टा संपत्ति से संबंधित व्यय	0.92	1.11
राइट ऑफ यूज़ संपत्ति का मूल्यहास शुल्क	51.89	27.51
ब्याज पर व्यय (वित्त लागत में शामिल)	11.28	4.38

घ. कंपनी के पास विभिन्न पट्टा अनुबंध हैं जो अभी तक शुरु नहीं हुए हैं। इन गैर-रद्द करने योग्य पट्टा अनुबंधों के लिए भविष्य के पट्टा भुगतान इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	निम्नलिखित तिथि की स्थिति	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
अधिकतम 1 वर्ष तक	2.25	1.20
1 वर्ष के बाद एवं 5 वर्ष के अंदर	12.03	4.81
5 वर्ष से अधिक	0.75	-

नोट [38]
'कर्मचारी लाभ' पर प्रकटीकरण - इंड एएस 19

क. कंपनी के पास परिभाषित लाभ योजनाओं के रूप में निम्नलिखित योजनाएं हैं :

i) उपदान (ग्रेच्यूटी) योजना
ii) सेवानिवृत्ति के उपरांत स्वास्थ्य योजना
iii) भविष्य निधि योजना
iv) सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ते का दावा

(i) ग्रेच्यूटी (वित्तपोषित योजना)

कंपनी के पास एक परिभाषित लाभ उपदान योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने निरंतर पाँच वर्ष या उससे अधिक सेवा की है, वह सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन पर ग्रेच्युटी (15/26 x अंतिम आहरित मूल वेतन और महंगाई भत्ता) का पात्र है, अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये है। ग्रेच्युटी देयताएं भविष्य के भुगतानों के कारण उत्पन्न होती है, जो सेवानिवृत्ति, सेवा के दौरान मृत्यु या त्यागपत्र की स्थिति में दिए जाने की आवश्यकता होती है। अनुमानित इकाई क्रेडिट बीमांकिक विधि के उपयोग से देयताओं का आकलन किया गया है।

ग्रेच्युटी योजना पर शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित लाभ दायित्व		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति) / देयता	
	31 मार्च, 2025 की स्थिति	मार्च 31, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति	मार्च 31, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति	मार्च 31, 2024 की स्थिति
प्रारंभिक शेष	**1921.07**	**1850.22**	**1534.45**	**1453.48**	**386.62**	**396.74**
वर्ष के लिए लाभ में सम्मिलित:						
वर्तमान सेवा लागत	95.16	91.16	-	-	95.16	91.16
विगत सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
ब्याज लागत /(आय)	139.28	136.92	(130.95)	(107.56)	8.33	29.36
वर्ष के लिए लाभ में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**234.44**	**228.08**	**(130.95)**	**(107.56)**	**103.49**	**120.52**
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में शामिल:						
पुनर्मापन हानि / (लाभ):						
निम्नलिखित से उत्पन्न बीमांकिक हानि / (लाभ) :						
जनसांख्यिकीय अनुमान में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
वित्तीय अनुमान में परिवर्तन	95.31	29.74	-	-	95.31	29.74
अनुभव समायोजन	(62.11)	(25.66)	11.70	(9.72)	(50.41)	(35.38)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**33.20**	**4.08**	**11.70**	**(9.72)**	**44.90**	**(5.64)**
अन्य						
नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया अंशदान	-	-	402.63	125.00	(402.63)	(125.00)
भुगतान किया गया	163.35	161.31	163.35	161.31	-	-
जमा शेष	**2025.35**	**1921.07**	**1892.98**	**1534.45**	**132.38**	**386.62**

योजना परिसंपत्तियों का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति	31 मार्च, 2024 की स्थिति
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधि*	82.44%	81.69%
उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बांड (उद्धृत)	1.93%	15.38%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां (उद्धृत)	2.30%	2.84%
बैंक में जमाराशि	13.33%	0.09%
कुल	**100.00%**	**100.00%**

* बीमाकर्ता भारतीय जीवन बीमा निगम है

बीमांकिक धारणाएं

रिपोर्टिंग तिथि पर प्रमुख बीमांकिक धारणाएं निम्नलिखित थीं:

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति	31 मार्च, 2024 की स्थिति
आर्थिक अनुमान:		
छूट की दर	6.79%	7.25%
वेतन वृद्धि दर	प्रथम 4 वर्ष के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रति वर्ष	प्रथम 4 वर्ष के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रति वर्ष
जनसांख्यिकीय अनुमान:		
सेवानिवृत्ति आयु	60	60
मृत्युदर तालिका	आईएएलएम का 100% (2012-14)	आईएएलएम का 100% (2012-14)
निकासी दर % (सभी आयु वर्ग)		
30 वर्ष तक	3%	3%
31 से 44 वर्ष तक	1%	1%
44 वर्ष से अधिक	1%	1%

बीमांकिक धारणाएं

रिपोर्टिंग तिथि पर प्रमुख बीमांकिक धारणाएं निम्नलिखित थीं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान			
	31 मार्च, 2025 की स्थिति		31 मार्च, 2024 की स्थिति	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर में परिवर्तन (0.50% संचलन)	(103.29)	112.09	(96.30)	104.67
वेतन वृद्धि दर में परिवर्तन (0.50% संचलन)	32.42	(39.42)	31.29	(37.52)

मृत्यु दर और निकासी कोई परिणाम परिवर्तक घटक नहीं हैं और इसलिए इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जाती है।

भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति से पूर्व पेंशन की वृद्धि दर और जीवन प्रत्याशा के रूप में संवेदनशीलताएं लागू नहीं होती हैं।

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण एक ऐसी प्रणाली के आधार पर निर्धारित किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मूल अनुमानों में होने वाले पर्याप्त परिवर्तनों के परिणामस्वरूप निर्धारित लाभ देयता पर प्रभाव को बढ़ाती है। यह विश्लेषण निर्धारित लाभ देयताओं में वास्तविक परिवर्तन का उदाहरण नहीं हो सकता है क्योंकि कुछ अनुमानों में अलग-अलग परिवर्तन हो सकता है और कुछ अनुमान एक दसरे से सम्बद्ध हो सकते हैं।

भविष्य के वर्षों में उपदान योजना की अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान	
	31 मार्च, 2025 की स्थिति	31 मार्च, 2024 की स्थिति
1 वर्ष से कम	150.30	158.20
1-2 वर्ष के बीच	124.94	125.81
2-3 वर्ष के बीच	109.47	111.49
3-4 वर्ष के बीच	100.29	98.46
4-5 वर्ष के बीच	88.88	89.43
5-6 वर्ष के बीच	69.68	78.90
6 वर्ष से अधिक	1381.79	1258.78
कुल	**2025.35**	**1921.07**

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए ग्रेच्युटी योजनाओं में अपेक्षित योगदान 125.54 करोड़ है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ग्रेच्युटी परिभाषित लाभ योजना दायित्व की भारित औसत अवधि 14.39 वर्ष (31 मार्च 2024: 14.83 वर्ष) है।

जोखिम की संभावना

मूल्यांकन कुछ गतिशील प्रकृति की मान्यताओं पर आधारित होते हैं, और समय के साथ बदलते रहते हैं। इस प्रकार, कंपनी को वेतन में वृद्धि, निवेश जोखिम, छूट दर, मृत्यु दर, विकलांगता और निकासी जैसे विभिन्न जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

(ii) सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ (वित्त पोषित योजना)

कंपनी में सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पति/पत्नी को कंपनी अस्पतालों/सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है जो कंपनी चिकित्सा नियमों के अधीन है। वे कंपनी द्वारा तय की गई सीमा में बाह्य रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए वार्षिक देयताएं वास्तविक मूल्यांकन आधार पर मान्य की जाती हैं।

सेवानिवृत्ति पश्चात के बाद चिकित्सा लाभ योजना पर शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित लाभ दायित्व		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति) / देयता	
	31 मार्च, 2025 की स्थिति	मार्च 31, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति	मार्च 31, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति	मार्च 31, 2024 की स्थिति
प्रारंभिक शेष	**2376.14**	**2249.60**	**1903.77**	**1831.92**	**472.37**	**417.68**
वर्ष के लाभ में सम्मिलित:						
वर्तमान सेवा लागत	45.84	44.73	-	-	45.84	44.73
पिछली सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
ब्याजदार / (आय)	172.27	166.47	(159.24)	(135.56)	13.03	30.91
वर्ष के लाभ के रूप में मान्य कुल राशि	**218.11**	**211.20**	**(159.24)**	**(135.56)**	**58.87**	**75.64**
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में सम्मिलित:						
पुनर्मापन हानि / (लाभ):						

सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना पर शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता में संचलन (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित लाभ दायित्व		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति) / देयता	
	31 मार्च, 2025 की स्थिति	मार्च 31, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति	मार्च 31, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति	मार्च 31, 2024 की स्थिति
निम्नलिखित से उत्पन्न बीमांकिक हानि/(लाभ):						
जनसांख्यिकीय अनुमान	-	-	-	-	-	-
वित्तीय अनुमान	106.52	34.69	-	-	106.52	34.69
अनुभव का समायोजन	38.24	81.94	10.86	(12.58)	49.10	69.36
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**144.76**	**116.63**	**10.86**	**(12.58)**	**155.62**	**104.05**
अन्य						
नियोक्ता द्वारा भुगतान किए गए अंशदान	-	-	250.00	125.00	(250.00)	(125.00)
भुगतान किए गए लाभ	241.34	201.29	241.34	201.29	-	-
अंतिम शेष	**2497.67**	**2376.14**	**2060.81**	**1903.77**	**436.86**	**472.37**

कंपनी की योजनागत परिसंपत्तियों का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कंपनी के दायित्वों के वित्तपोषण के लिए ली गई बीमा पॉलिसी के संदर्भ में कंपनी द्वारा प्रबंधित एक ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है।

बीमांकिक धारणाएं

रिपोर्टिंग तिथि पर प्रमुख बीमांकिक धारणाएं निम्नलिखित थीं:

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति	31 मार्च, 2024 की स्थिति
आर्थिक अनुमान:		
छूट की दर	6.79%	7.25%
वेतन वृद्धि दर	प्रथम 4 वर्ष के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रति वर्ष	6 प्रथम 4 वर्ष के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रति वर्ष
जनसांख्यिकीय अनुमान:		
सेवानिवृत्ति आयु	60	60
मृत्युदर तालिका	आईएएलएम का 100% (2012-14)	आईएएलएम का 100% (2012-14)
निकासी दर % (सभी आयु वर्ग)		
30 वर्ष तक	3%	3%
31 से 44 वर्ष तक	1%	1%
44 वर्ष से अधिक	1%	1%

संवेदनशीलता का विश्लेषण

महत्वपूर्ण प्रमुख मान्यताओं में परिवर्तन के प्रति परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ			
	31 मार्च, 2025 की स्थिति		31 मार्च, 2024 की स्थिति	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर में परिवर्तन (0.50% संचलन)	(148.04)	150.42	(124.67)	129.20
लागत में परिवर्तन (0.50% संचलन)	156.28	(146.42)	131.61	(125.77)

मृत्यु दर और निकासी कोई परिणाम परिवर्तक घटक नहीं हैं और इसलिए इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जाती है।

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण एक ऐसी प्रणाली के आधार पर निर्धारित किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मूल अनुमानों में होने वाले पर्याप्त परिवर्तनों के परिणामस्वरुप निर्धारित लाभ देयता पर प्रभाव को बढ़ाती है। यह विश्लेषण निर्धारित लाभ देयताओं में वास्तविक परिवर्तन का उदाहरण नहीं हो सकता है क्योंकि कुछ अनुमानों में अलग-अलग परिवर्तन हो सकता है और कुछ अनुमान एक दसरे से सम्बद्ध हो सकते हैं।

भविष्य के वर्षों में सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना की अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	
	31 मार्च, 2025 की स्थिति	31 मार्च, 2024 की स्थिति
1 वर्ष से कम	263.08	201.18
1-2 वर्ष के बीच	286.01	218.72
2-3 वर्ष के बीच	293.75	224.64
3-4 वर्ष के बीच	304.64	232.96
4-5 वर्ष के बीच	318.98	243.93
5-6 वर्ष के बीच	330.81	252.98
6 वर्ष से अधिक	700.40	1001.73
कुल	**2497.67**	**2376.14**

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना में अपेक्षित योगदान ₹64.59 करोड़ रुपए है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना दायित्व की भारित औसत अवधि 12.67 वर्ष (31 मार्च 2024: 12.53 वर्ष) है।

जोखिम की संभावना

मूल्यांकन कुछ मान्यताओं पर आधारित होते हैं, जो प्रकृति में गतिशील होते हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं। ऐसी स्थिति में कंपनी को चिकित्सा लागत में वृद्धि, निवेश जोखिम, छूट दर, मृत्यु दर, विकलांगता और निकासी जैसे विभिन्न जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

(iii) भविष्य निधि

कंपनी पृथक ट्रस्ट को पूर्व निर्धारित दरों पर नियत भविष्य निधि योगदान का भुगतान करती है जो अनुमत प्रतिभूतियों में धन का निवेश करती है। सदस्यों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम दर से ब्याज सुनिश्चित करना कंपनी के लिए बाध्यकारी है। तदनुसार, कंपनी ने बीमांकिक रिपोर्ट प्राप्त की है, बीमांकिक मूल्यांकन प्रमाणपत्र देयताओं के अनुसार जहां भी संभावित ब्याज की कमी उत्पन्न हो, उसके लिए, खातों में प्रावधान किया गया है।

भविष्य निधि ट्रस्ट मे ब्याज की कमी का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2025 की स्थिति	31 मार्च, 2024 की स्थिति
वर्ष के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पीएफ ब्याज देयता में अधिकता/(कमी)	(25.88)	9.97
बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पीएफ ब्याज देयता में कमी के लिए संचित प्रावधान	44.01	18.13
अन्य व्यापक आय विवरण के माध्यम से चिन्हित पुनर्मापन लाभ/(हानि)	(16.97)	(9.17)
लाभ - हानि के विवरण के माध्यम से ब्याज की कमी/(अधिशेष) का लेखा-जोखा	8.91	(19.14)

कंपनी में विभिन्न स्थानों पर स्थित पीएफ ट्रस्ट हैं जो संबंधित कर्मचारियों को सेवा प्रदान करते हैं और इनका पृथक-पृथक प्रबंधन किया जाता है। नियोजिय परिसंपत्तियों और देयताओं का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित लाभ दायित्व		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		अधिशेष / (कमी)	
	31 मार्च, 2025 की स्थिति	31 मार्च,2024 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति	31 मार्च, 2024 की स्थिति
बीएचईएल ईपीएफ ट्रस्ट, रानीपुर, हरिद्वार	1986.34	1824.36	2000.26	1841.54	13.92	17.18
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि - त्रिची	1084.17	988.93	1075.96	986.19	(8.21)	(2.74)
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि भोपाल	1719.01	1629.83	1705.24	1625.11	(13.77)	(4.72)
बीएचईएल नई दिल्ली कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	1520.79	1493.90	1514.16	1491.75	(6.63)	(2.15)
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि - हैदराबाद	887.48	901.38	918.33	917.02	30.85	15.64
बीएचईएल पीपीडी ईपीएफ ट्रस्ट, चेन्नई	1021.78	955.03	1006.38	946.51	(15.40)	(8.52)
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि - बेंगलुरु	679.89	637.68	694.38	653.29	14.49	15.61
बीएचईएल (बीएपी इकाई) ईपीएफ ट्रस्ट, रानीपेट	321.18	322.00	329.80	323.44	8.62	1.44
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट झांसी	512.75	494.82	526.07	508.78	13.32	13.96
भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसेल्स लिमिटेड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि–विशाखापट्टनम	160.10	152.27	201.56	192.31	41.46	40.04
कुल	**9893.49**	**9400.20**	**9972.14**	**9485.94**	**78.65**	**85.74**

भविष्य निधि पर शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट(समेकित)			
	परिभाषित लाभ दायित्व		नियोजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	
	31 मार्च, 2025 की स्थिति	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति	31 मार्च, 2024 की स्थिति
प्रारंभिक शेष	**9400.20**	**8933.68**	**9485.94**	**9009.99**
वर्ष के लिए लाभ में सम्मिलित:				
वर्तमान सेवा लागत	389.44	369.63	-	-
ब्याज लागत / (आय)	765.59	724.70	(784.63)	(760.00)
वर्ष के लिए लाभ में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**1,155.03**	**1,094.33**	**(784.63)**	**(760.00)**
अन्य व्यापक आय(ओसीआई) में शामिल				
पुनर्मापन हानि /(लाभ):				
निम्नलिखित से उत्पन्न बीमांकिक हानि/(लाभ) :				
जनसांख्यिकीय अनुमान	-	-	-	-
वित्तीय अनुमान	1.96	0.86	-	0.28
अनुभव समायोजन	(4.75)	29.61	28.91	(4.88)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(2.79)**	**30.47**	**28.91**	**(4.60)**
अन्य				
नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया अंशदान	-	-	389.44	369.63
कर्मचारी अंशदान	680.29	710.44	680.29	710.44
भुगतान किया गया हित लाभ	1,719.39	1658.60	1,719.39	1658.60
निपटान/ स्थानांतरण	380.15	289.88	380.15	289.88
अंतिम शेष	**9893.49**	**9400.20**	**9972.15**	**9485.94**

टिप्पणी: वर्ष के दौरान घाटे वाले पीएफ ट्रस्टों के संबंध में ब्याज की कमी केवल लाभ-हानि विवरण और अन्य व्यापक आय विवरण के माध्यम से लेखांकित की गई है।

उपरोक्त के अलावा, पुनर्प्राप्ति के सर्वोत्तम संभव मूल्यांकन के आधार पर पीएफ ट्रस्ट निवेश में कमी से संचयी रुप से ₹53.11 करोड़ रुपये की कुल वृद्धि भी हुई है ।

नियोजित परिसंपत्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति	31 मार्च, 2024 की स्थिति
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ [उद्धृत]	879.15	796.78
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ [उद्धृत]	4983.06	4678.27
कॉर्पोरेट बांड [उद्धृत]	3224.07	3259.15
विशेष जमा [उद्धरण नहीं]	299.98	344.65
लिक्विड फंड [उद्धृत]	6.65	3.76
अल्पावधि जमा [उद्धरण नही]	111.82	85.76
म्यूचुअल फंड और इक्विटी शेयर [उद्धृत]	467.42	317.58
कुल	**9972.14**	**9485.94**

बीमांकिक धारणाएं

रिपोर्टिंग तिथि पर प्रमुख बीमांकिक धारणाएं निम्नलिखित थीं:

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति	31 मार्च, 2024 की स्थिति
आर्थिक अनुमान:		
छूट की दर	6.79%	7.25%
बहीखाते पर अपेक्षित वैधानिक ब्याज दर	8.25%	8.25%
निधि पर ब्याज आय में अपेक्षित कमी	0.05%	0.05%
जनसांख्यिकीय अनुमान:		
मृत्यु दर तालिका	100% of IALM (2012-14)	100% of IALM (2012-14)
निकासी दर% (सभी आयु वर्ग)		
30 वर्ष तक	3.00%	3.00%
31 से 44 वर्ष तक	1.00%	1.00%
44 वर्ष से अधिक	1.00%	1.00%

संवेदनशीलता का विश्लेषण

महत्वपूर्ण प्रमुख मान्यताओं में परिवर्तन के प्रति परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट			
	31 मार्च, 2025 की स्थिति		31 मार्च, 2024 की स्थिति	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर में परिवर्तन (0.50% उतार-चढ़ाव)	(2.14)	2.25	(1.80)	1.89

मृत्यु दर और निकासी कोई परिणाम परिवर्तक घटक नहीं हैं और इसलिए इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जाती है।

आगामी वर्षों में अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि	
	31 मार्च, 2025 की स्थिति	31 मार्च, 2024 की स्थिति
अगले 12 महीनों के भीतर	705.69	787.86
2-5 वर्ष के बीच	1796.95	1755.71
5-10 वर्ष के बीच	1547.56	1554.56
10 वर्ष से अधिक	5843.29	5302.07
कुल	**9893.49**	**9400.20**

जोखिम की संभावना

मूल्यांकन कुछ मान्यताओं पर आधारित होते हैं, जो प्रकृति में गतिशील होते हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं। ऐसी स्थिति में कंपनी को चिकित्सा लागत में वृद्धि, निवेश जोखिम, छूट दर, मृत्यु दर, विकलांगता और निकासी जैसे विभिन्न जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

(iv) सेवानिवृत्ति पर यात्रा दावा - (निपटान भत्ता - (गैर वित्त पोषित योजना)

कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर स्वयं व परिजनों एवं सेवा के दौरान मृत्यु होने पर परिजनों की गृह नगर या इच्छानुसार भारत में किसी भी स्थान पर पुनर्वास करने हेतु यात्रा व सामान के परिवहन के व्यय की प्रतिपूर्ति पर होने वाला व्यय निपटान भत्ता (सेटलमेंट अलाउंस) है।

निपटान भत्ता देनदारी में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	निपटान भत्ता देयता	
	31 मार्च, 2025 की स्थिति	31 मार्च, 2024 की स्थिति
प्रारंभिक शेष	15.06	13.43
वर्तमान सेवा लागत	1.08	0.89
ब्याज लागत / (आय)	1.09	0.99
वर्ष के लाभ में सम्मिलित	2.17	1.88
बीमांकिक हानि / (लाभ)	0.99	2.55
वर्ष के लिए टीसीआई में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**3.16**	**4.43**
अन्य		
नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया अंशदान	-	-
लाभ का भुगतान	1.23	2.80
अंतिम शेष	**16.99**	**15.06**

बीमांकिक धारणाएं

रिपोर्टिंग तिथि पर प्रमुख बीमांकिक धारणाएं निम्नलिखित थीं।

विवरण	निपटान भत्ता	
	31 मार्च, 2025 की स्थिति	31 मार्च, 2024 की स्थिति
आर्थिक अनुमान:		
छूट की दर	6.79%	7.25%
वेतन वृद्धि दर	प्रथम 4 वर्ष के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रति वर्ष	प्रथम 4 वर्ष के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रति वर्ष
जनसांख्यिकीय अनुमान:		
सेवानिवृत्ति आयु	60	60
मृत्युदर तालिका का प्रतिशत	आईएएलएम का 100% (2012-14)	आईएएलएम का 100% (2012-14)
निकासी दर का प्रतिशत (सभी आयु वर्ग)		
30 वर्ष तक	3%	3%
31 से 44 वर्ष	1%	1%
44 वर्ष से अधिक	1%	1%

ख. दीर्घावधि छुट्टी देयताएं (अर्जित छुट्टी – ईएल/अर्धवैतनिक अवकाश-एचपीएल) - (गैर वित्त पोषित योजना)

कंपनी अपने कर्मचारियों को प्रति छमाही में 15 दिन (अधिकतम) अर्जित अवकाश और 10 दिन का अर्ध वैतनिक अवकाश प्रदान करती है। अर्जित अवकाश का नकदीकरण कुछ शर्तों के अधीन सेवा के दौरान होता है। कंपनी नीतियों व नकदीकरण नियमों के अधीन, सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता आयु पर अर्जित अवकाश और अर्धवैतनिक अवकाश को एक साथ मिलाकर अधिकतम 300 दिनों तक के अवकाश का नकदीकरण किया जा सकता है। छुट्टी देयताओं को अन्य दीर्घकालिक लाभों के रूप में माना गया है और अनुमानित यूनिट क्रेडिट एक्चुरियल विधि का उपयोग करके निर्धारित किया गया है।

दीर्घकालिक अवकाश देयता में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	दीर्घकालिक अवकाश देयता	
	31 मार्च, 2025 की स्थिति	31 मार्च, 2024 की स्थिति
प्रारंभिक शेष	1065.02	1037.18
वर्ष के लिए लाभ में सम्मिलित:		
वर्तमान सेवा लागत	162.56	138.96
ब्याज लागत / (आय)	77.21	76.75
बीमांकिक हानि / (लाभ)	(33.01)	(23.73)
वर्ष के लाभ के रूप में मान्य कुल राशि	**206.76**	**191.98**
लाभ का भुगतान	130.62	164.14
अंतिम शेष	**1141.16**	**1065.02**

बीमांकिक धारणाएं

रिपोर्टिंग तिथि पर प्रमुख बीमांकिक धारणाएं निम्नलिखित थीं:

विवरण	दीर्घकालिक अवकाश देयता	
	31 मार्च, 2025 की स्थिति	31 मार्च, 2024 की स्थिति
आर्थिक अनुमान:		
छूट की दर	6.79%	7.25%
वेतन वृद्धि दर	प्रथम 4 वर्ष के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रति वर्ष	प्रथम 4 वर्ष के लिए 6.50% और उसके बाद 6%प्रति वर्ष
जनसांख्यिकीय अनुमान:		
सेवानिवृत्ति आयु	60	60
मृत्यु दर तालिका का प्रतिशत	आईएएलएम का 100% (2012-14)	100% of IALM (2012-14)
निकासी दर (सभी आयु वर्ग)		
30 वर्ष तक	3%	3%
31 से 44 साल	1%	1%
44 वर्ष से अधिक	1%	1%

ग. पेंशन निधि

कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 में पेंशन योजना [परिभाषित अंशदान योजना] के लिए ₹266 करोड़ रुपए [पिछले वित्त में वर्ष ₹278 करोड़] का योगदान किया।

नोट [39]
इंड एएस-24 के अनुसार प्रकटीकरण - संबंधित पक्ष

क. संबंधित पक्षों की सूची

i)	**संयुक्त उद्यम कंपनियां**	बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (बीजीजीटीएस) एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एनबीपीपीएल) रायचुर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरपीसीएल) भारत कोल गैसीफिकेशन & केमिकल्स लिमिटेड (बीसीजीसीएल) पावरप्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट लिमिटेड (पीपीआईएल)
	रोजगारोत्तर लाभ योजनाए	भविष्य निधि ट्रस्ट ग्रेच्युती ट्रस्ट पीआरएमबी ट्रस्ट पेंशन ट्रस्ट
	अन्य	केंद्र सरकार नियंत्रित संस्थाए

कंपनी भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और इसकी अधिकांश हिस्सेदारी भारत सरकार के पास है। महत्वपूर्ण लेन-देन अन्य सार्वजनिक उपक्रमों, सरकारी प्रतिष्ठानों, रेलवे आदि के साथ है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से भारत सरकार द्वारा नियंत्रित हैं। ऐसी संस्थाओं के साथ आर्म्स लेंथ प्राइस पर बाजार संचालित दरों पर आधारित सामान्य लेन-देन है।

ii) अन्य संबंधित पक्ष:

क. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक [केएमपी]

विवरण	पद का नाम	धारित पद [से प्रभावी /तक]
कार्यात्मक निदेशक		
श्री के. सदाशिव मूर्ति	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	(01.11.2023 से)
श्री. जय प्रकाश श्रीवास्तव	निदेशक (ई, आर & डी)	(31.12.2024 तक)
श्री. कृष्ण कुमार ठाकुर	निदेशक (मा. सं.)	(04.07.2023 से)
श्री. तजिंदर गुप्ता	निदेशक (पावर)	(20.09.2023 से)
सुश्री बानी वर्मा	निदेशक (आईएस & पी)	(09.10.2023 से)
श्री. राजेश कुमार द्विवेदी	निदेशक (वित्त)	(19.06.2024 से)
कंपनी सचिव		
श्री राजीव कालरा	कंपनी सचिव	(10.07.2024 तक)
डॉ. योगेश आर छाबड़ा	कंपनी सचिव	(11.07.2024 से)

(₹ करोड़ में)

विवरण	निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को भुगतान		
- अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	3.64	4.31
- सेवोपरांत लाभ	0.78	0.64
- अन्य दीर्घकालिक लाभ	-	-
- सेवामुक्ति के समय लाभ	-	-
- शेयर आधारित भुगतान	-	-
कुल	**4.42**	**4.95**

ख. सरकारी निदेशक/स्वतंत्र निदेशक

नाम		धारित पद [से प्रभावी /तक]
श्री विजय मित्तल	सरकारी निदेशक	(25.03.2022 से)
श्रीमती आरती भटनागर	सरकारी निदेशक	(14.02.2023 से)
डॉ. के. शिवप्रसाद	स्वतंत्र निदेशक	(01.11.2024 तक)
डॉ. लेखाश्री सामंत सिंघर	स्वतंत्र निदेशक	(12.04.2024 तक)
श्री रमेश पटल्या मावस्कर	स्वतंत्र निदेशक	(08.06.2023 से)
श्री अशोक आसेरी	स्वतंत्र निदेशक	(29.03.2025 से)
श्री आशीष चतुर्वेदी	स्वतंत्र निदेशक	(29.03.2025 से)

(₹ करोड़ में)

विवरण	निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
बैठक शुल्क -- स्वतंत्र निदेशक	0.12	0.20

ख. सेवोपरांत लाभ योजनाएं जिनका प्रबंधन अलग ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है, के साथ लेन-देन

(₹ करोड़ में)

ट्रस्ट का नाम	सेवोपरांत लाभ योजना	नियोक्ता द्वारा अंशदान	
		निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष हेतु	
		31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
पीआरएमबी ट्रस्ट	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना	250.00	125.00
ग्रेच्युट ट्रस्ट	उपदान	402.63	125.00
कर्मचारी सेवानिवृत्ति निधि	पेंशन निधि	327.59	457.47
बीएचईएल ईपीएफ ट्रस्ट, रानीपुर, हरिद्वार	भविष्य निधि	70.22	60.18
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि-त्रिची	भविष्य निधि	63.50	59.60
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि भोपाल	भविष्य निधि	62.65	59.71
बीएचईएल नई दिल्ली कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	भविष्य निधि	46.51	45.64
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि-हैदराबाद	भविष्य निधि	43.73	44.24
बीएचईएल पीपीडी ईपीएफ ट्रस्ट, चेन्नई	भविष्य निधि	33.55	32.24
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि-बेंगलुरु	भविष्य निधि	29.80	29.47
बीएचईएल (बीएपी इकाई) ईपीएफ ट्रस्ट, रानीपेट	भविष्य निधि	17.51	17.68
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट झांसी	भविष्य निधि	14.44	14.14
भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि-विशाखापट्टनम	भविष्य निधि	7.53	6.73

ग. संयुक्त उद्यमों के साथ लेन-देन का विवरण और शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
उत्पाद एवं सेवाओं की बिक्री		
बीजीजीटीएस	324.31	305.92
आरपीसीएल	5.47	9.30
एनबीपीपीएल	0.11	0.61
लाभांश आय		
बीजीजीटीएस	38.08	41.65
रॉयल्टी आय		
बीजीजीटीएस	1.90	2.03
उत्पाद एवं सेवाओं का क्रय		
बीजीजीटीएस	1.49	1.18
आरपीसीएल	-	0.07
इक्विटी शेयरों की सदस्यता		
बीसीजीसीएल (10 रु. प्रति शेयर मूल्य के 4900 इक्विटी शेयर)	0.00	-
वर्ष के अंत में बीएचईएल को देय राशि		
बीजीजीटीएस	195.29	138.05
आरपीसीएल	632.82	643.84
एनबीपीपीएल	276.29	277.02
बीसीजीसीएल	0.16	-
वर्ष के अंत में बीएचईएल (अग्रिम सहित) से देय राशि		
बीजीजीटीएस	0.21	0.38
आरपीसीएल	8.17	8.55
एनबीपीपीएल	38.40	41.69
संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान		
बीजीजीटीएस	10.71	10.52
आरपीसीएल	20.73	20.73
एनबीपीपीएल	239.35	222.12

टिप्पणी: निवेश के मूल्य में कमी के प्रावधान के लिए नोट [5क] देखें

नोट [40]
प्रकटीकरण [प्रावधानों में संचलन] - इंड एएस- 37

(₹ करोड़ में)

क	परिनिर्धारित हर्जाना	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
	प्रारंभिक शेष	**9166.53**	**8234.67**
	जोड़ें: परिवर्धन	836.65	1165.80
	घटाएं: उपयोग/ राइट ऑफ/भुगतान	2499.68	21.72
	घटाएं: निकासी/समायोजन	433.97	212.21
	अंतिम शेष	**7069.53**	**9166.53**

कंपनी के लेखांकन नीति के अनुरूप परिनिर्धारित हर्जाने का प्रावधान किया गया है और इसे निपटान या अन्य खातों में उपयुक्त तरीके से समाहित किया जाता है। परिनिर्धारित हर्जाने से संबंधित आकस्मिक देयताओं को नोट 33 के पैरा क (ज) में दिखाया गया है।

(₹ करोड़ में)

ख	संविदात्मक दायित्व	31 मार्च, 2025 को		31 मार्च, 2024 को	
	प्रारंभिक शेष				
	नोट (19) के अनुसार	**1822.17**		**3774.42**	
	नोट (6) के अनुसार	**105.45**		**552.05**	
	नोट (9) के अनुसार	**397.29**	**2324.91**	**462.40**	**4788.87**
	जोड़ें: ऋण लागत		33.70		121.38
	जोड़ें: परिवर्धन		447.70		118.15
	घटाएं: पीवी समायोजन		36.33		3.81
	घटाएं: उपयोग/ राइट ऑफ/भुगतान		79.87		106.97
	घटाएं: निकासी/समायोजन		523.60		2587.80
	जोड़ें/(कम करें): अनुमान और दरों में परिवर्तन		(1.33)		(4.91)
	अंतिम शेष				
	नोट (19) के अनुसार	**1771.78**		**1822.17**	
	नोट (6) के अनुसार	**223.85**		**105.45**	
	नोट (9) के अनुसार	**169.54**	**2165.17**	**397.29**	**2324.91**

अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार वारंटी दायित्वों को पूरा करने के लिए, भौतिक लेखांकन नीति संख्या 10 के अनुरूप, रुपए के समय मूल्य के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, संविदात्मक दायित्व का प्रावधान किया गया है। संविदा के वारंटी दायित्वों के पूरा होने तक इसे बरकरार रखा जाता है। वारंटी दायित्व पर वास्तविक व्यय, अनुबंध दर अनुबंध एवं संबंधित अनुबंध के नियमों और शर्तों के आधार पर वर्ष दर वर्ष भिन्न हो सकते हैं। पूरी तरह से प्रदान की गई परियोजनाओं से बकाया राशि से संबंधित संविदात्मक दायित्व नोट 6 और 9 में बी & डी ऋणों के लिए गैर चालू भत्ते में दर्शाया गया है ।

कंपनी ने उन सभी अनुबंधात्मक दायित्वों के लिए प्रावधान रद्द करने की अपनी प्रथा में बदलाव किया है जहाँ अनुबंध के अनुसार निष्पादन गारंटी (पीजी) परीक्षण पूर्व-आवश्यक शर्त नहीं है। तदनुसार, वर्ष के दौरान ₹118.47 करोड़ रुपये के प्रावधान रद्द किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप लाभ में वृद्धि हुई है।

बी एच ई एल
BHEL

नोट [41]

प्रकटीकरण-ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व-इंडएएस- 115

क. क्षति प्रावधानों में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25		2023-24	
	व्यापार प्राप्य	अनुबंध परिसंपत्तियां	व्यापार प्राप्य	अनुबंध परिसंपत्तियां
प्रारंभिक शेष	**5192.66**	**3979.22**	**4322.46**	**4652.34**
जोड़ें: परिवर्धन	650.00	224.88	1519.23	254.95
घटाएं: बट्टा	484.18	92.50	26.55	1.26
घटाएं: लौटाया /समायोजन किया गया	559.92	509.60	622.48	926.80
अंतिम शेष	**4798.55**	**3602.00**	**5192.66**	**3979.22**

ख. ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व का विभाजन

(₹ करोड़ में)

विवरण	पावर		उद्योग		कुल
	भारत के भीतर	भारत के बाहर	भारत के भीतर	भारत के बाहर	
2024-25					
ग्राहकों से राजस्व					
राजस्व प्राप्ति का समय					
(ए) एक समय पर (उत्पाद/सेवाएं)	3782.90	64.31	4895.91	133.94	8877.06
(ख) ओवर टाइम (परियोजनाएं)	16138.30	266.87	2068.00	4.94	18478.11
2023-24					
ग्राहकों से राजस्व					
राजस्व प्राप्ति का समय					
(ए) एक समय पर (उत्पाद/सेवाएं)	3324.43	61.58	3603.94	42.14	7032.10
(ख) ओवर टाइम (परियोजनाएं)	13737.26	586.36	1562.54	2.25	15888.42

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25		2023-24	
	पावर	उद्योग	पावर	उद्योग
ग्राहकों से राजस्व				
सीपीएसयू	9227.07	2776.16	6888.04	2096.72
अदानी समूह	2553.12	-	103.78	-
टीएएनजेडको	1587.36	-	1631.90	-
टीएसजेनको	1578.55	-	2834.77	-

ग. अनुबंध शेष (प्रावधानों को छोड़कर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
व्यापार प्राप्य	8930.93	8010.07
संविदा परिसंपत्तियां (बिना बिल किए हुए राजस्व सहित)	29444.13	26747.54
अनुबंध देयताएं	15293.67	7133.45

घ. अनुबंध राजस्व प्राप्त किया गया

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
अनुबंध देनदारियों पर प्राप्त राजस्व (वर्ष के दौरान ग्राहकों से प्राप्त अग्रिमों का समायोजन एवं मूल्यांकन समायोजन)	2842.80	3011.15
पिछले वर्ष पूर्णकिए गए निष्पादन दायित्व के लिए प्राप्त राजस्व (अनुबंध राजस्व में परिवर्तन के कारण प्रभाव)	594.72	163.16

विद्युत परियोजनाओं की स्थापना एक दीर्घचक्रीय व्यवसाय है, जहाँ कंपनी द्वारा प्राप्त अनुबंध या तो ईपीसी अनुबंध (अभियांत्रिकी, खरीद और कमीशनिंग) या बीटीजी पैकेज (अर्थात बॉयलर, टर्बाइन और जेनरेटर पैकेज) होते हैं। विद्युत परियोजनाएं लंबी अवधि की परियोजनाएं होती हैं, जिनमें अनुबंध की सामान्य निष्पादन अवधि 3 से 5 वर्ष के बीच होती है। बीएचईएल की सेवाओं के दायरे में उपकरणों की आपूर्ति, निर्माण, कमीशनिंग, प्लांट को ग्रिड से सिंक्रोनाइज़ करना, ट्रायल ऑपरेशन पूरा करना और गारंटीकृत पैरामीटर प्रदान करना सम्मिलित है।

यद्यपि समग्र कार्यक्षेत्र में कई घटक हैं, लेकिन ऐसी परियोजनाओं को आम तौर पर एक निष्पादन दायित्व माना जाता है। नियंत्रण निष्पादन अवधि के बाद एक साथ स्थानांतरित होता है क्योंकि परियोजना जब पूरी तरह तैयार हो जाती है तभी वह निष्पादन कर सकती है और इसलिए प्रगति की माप (इनपुट लागत विधि) के आधार पर समय-समय पर राजस्व प्राप्त होता है।

नोट [42]
इंडएएस-107 के अनुपालन में प्रकटीकरण [वित्तीय लिखित-लेखा वर्गीकरण और उचित मूल्य मापन]

क. नकद एवं नकद समकक्ष, बैंक शेष, ऋण, व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, प्रतिभूति जमा और अन्य का उचित मूल्य उनके युक्तिसंगत धारित मूल्य को दर्शाता है। व्यापार प्राप्यों का मूल्यांकन अपेक्षित ऋण हानियों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। कंपनी मूल्यांकन तकनीक द्वारा वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का निर्धारण और खुलासा करने के लिए निम्नलिखित पदानुक्रम का उपयोग करती है।

उचित मूल्य पदानुक्रम

मूल्यांकन तकनीक में उपयोग किए गए इनपुट के आधार पर वित्तीय विलेखों के उचित मूल्य को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

स्तर 1: समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2: स्तर 1 में सम्मिलित किए गए उद्धृत मूल्यों के अतिरिक्त अन्य इनपुट जो परिसंपत्ति या देयताओं के लिए प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात, कीमतों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात, कीमतों से प्राप्त) अवलोकनीय हैं।

स्तर 3: परिसंपत्ति या देयताओं के लिए इनपुट जो अवलोकनीय बाजार डेटा (अदृश्य इनपुट) पर आधारित नहीं है।

(₹ करोड़ में)

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां-आवर्ती उचित मूल्य माप	स्तर 3 पदानुक्रम	
	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
वित्तीय परिसंपत्तियां:		
गैर-उद्धृत इक्विटी लिखतों में निवेश	0.00	1.19

ख. उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीकें

अनकोटेड इक्विटी लिखतों के उचित मूल्य स्तर 3 इनपुट का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जिसमें प्रति शेयर शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य के आधार पर निवेशित कंपनी के वित्तीय विवरणों से इनपुट शामिल होते हैं।

एफवीटीपीएल परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत अनकोटेड इक्विटी शेयरों के उचित मूल्य माप का समाधान

(₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2024 तक	**1.19**
उचित मूल्य में परिवर्तन	(1.19)
31 मार्च, 2025 तक	**0.00**

वित्तीय जोखिम प्रबंधन

उद्देश्य और नीतियां

कंपनी की गतिविधियों के समक्ष कई जोखिम हैं जो इस क्षेत्र में व्यवसाय करने वाली किसी भी कंपनी के समक्ष स्वाभाविक रूप से आती है। वित्तीय जोखिम का प्रबंधन हमेशा से कंपनी की व्यावसायिक रणनीतियों और नीतियों का एक अभिन्न अंग रहा है। कंपनी अपने विभिन्न हितधारकों की ज़रूरतों और अपेक्षाओं के अनुरूप वित्तीय जोखिमों को दर करने के लिए समय-समय पर अपनी नीतियों और दिशानिर्देशों की समीक्षा करती है और उन्हें संरेखित करती है। वित्तीय लिखत के उपयोग से जोखिम को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

क. क्रेडिट जोखिम

ख. लिक्विडिटी जोखिम

ग. बाजार ज़ोखिम

यह नोट उपर्युक्त जोखिमों में से प्रत्येक के लिए कंपनी के जोखिम के बारे में, जोखिम को मापने और प्रबंधित करने के लिए कंपनी के उद्देश्य, नीतियां एवं प्रक्रियाएं और कंपनी की पूंजी के प्रबंधन के विषय में जानकारी प्रस्तुत करता है। इसके अलावा, इन वित्तीय विवरणों में मात्रात्मक प्रकटीकरण सम्मिलित हैं।

जोखिम प्रबंधन संरचना

बीएचईएल में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन चार्टर एवं नीति लागू है जो कंपनी में जोखिम प्रबंधन के लिए समग्र रूपरेखा प्रदान करती है। चार्टर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जोखिमों की उचित पहचान, आकलन और उपयुक्त जोखिम शमन उपायों को अपनाकर प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जाना है। कंपनी के पास 3-स्तरीय जोखिम प्रबंधन ढांचा है। पहले स्तर पर, कंपनी के निदेशक मंडल स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति (बीएलआरएमसी) को कंपनी के जोखिम शासन संरचना, जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन ढांचे, दिशानिर्देश, नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। दसरे स्तर पर जोखिम प्रबंधन संचालन समिति (आरएमएससी) जोखिम प्रबंधन ढांचे को अपनाने और लागू करने और कंपनी में जोखिम प्रबंधन पहल का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार है। मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) बीएलआरएमसी और आरएमएससी का संयोजक होने के नाते निदेशक मंडल/बीएलआरएमसी को जोखिम प्रबंधन पर आवधिक रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार है । कंपनी के सामने आने वाले प्रमुख जोखिमों का विश्लेषण इकाई स्तर से शुरु करके उनके संबंधित क्षेत्रों में किया जाता है, ताकि जोखिम शमन योजनाएं तैयार की जा सकें तथा उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

क. क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम को व्यापार करने के जोखिम संतुलन का एक अभिन्न अंग माना जाता है। बीएचईएल भारत और विदेशों में सरकारी क्षेत्रों (राज्य उपयोगिताएं, सार्वजनिक उपक्रमों, रेलवे और अन्य सरकारी विभागों आदि) और निजी क्षेत्रों से संबंधित विद्युत परियोजनाओं की स्थापना में सम्मिलित है। परियोजनाओं को आम तौर पर वित्तीय संस्थानों/बैंकों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है या भुगतान लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) द्वारा कवर किए जाते हैं। परियोजना की अवधि 3 से 5 साल तक होती है और भुगतान आमतौर पर अग्रिम, प्रगति भुगतान, माइलस्टोन भुगतान (इंटर्मीडियट सहित) भुगतान और इस प्रकार की परियोजनाओं के पूरा होने पर जारी किए जाने वाले रिटेंशन सहित अनुबंध की शर्तों के अनुसार चरणों में प्राप्त किया जाता है । अधिकांश ग्राहकों की प्रोफ़ाइल सरकारी क्षेत्र से संबंधित है और कुल व्यापार प्राप्य का 80% इनसे ही आता है और यह देखते हुए कि कंपनी स्वयं एक सीपीएसई है, क्रेडिट जोखिम अपेक्षाकृत कम है। निजी क्षेत्रों के ग्राहकों के संबंध में, भुगतान की शर्तें मुख्य रूप से एलसी के माध्यम से है । कंपनी ने संगठन के भीतर विभिन्न स्तरों पर प्राप्यों के लिए अच्छी तरह से समीक्षा तंत्र स्थापित किया है ताकि कंपनी की नीतियों, प्रक्रियाओं और दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्राप्य राशि के प्राप्त होने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके । कंपनी हानि या लाभ का आकलन करने के लिए अपेक्षित क्रेडिट लॉस मॉडल का उपयोग करती है और उसी का खुलासा अन्यत्र किया जाता है। इसके अतिरिक्त, किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं।

(i) क्रेडिट जोखिम की संभावना

वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि अधिकतम ऋण जोखिम को दर्शाती है। रिपोर्टिंग तिथि पर क्रेडिट जोखिम की अधिकतम संभावना निम्नानुसार थी:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
नकद और नकद समकक्ष	439.21	1835.04
अन्य बैंक शेष	7173.20	4322.43
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	1016.71	445.92
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को क्षति हानि सहित आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
व्यापार प्राप्य	8930.93	8010.07

ऋण जोखिम का घनत्व - भौगोलिक	कुल प्राप्य का प्रतिशत	
	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
भारत के भीतर	97%	95%
भारत के बाहर	3%	5%
कुल	**100%**	**100%**

व्यापार प्राप्य, अनुबंध परिसंपत्तियों और प्रतिपक्ष के प्रकार द्वारा अन्य प्राप्य के लिए कंपनी का ऋण जोखिम निम्नानुसार है -

नोट	कुल व्यापार प्राप्य का प्रतिशत	
	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
रेलवे और सरकारी विभाग सहित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	46%	43%
राज्य विद्युत बोर्ड	35%	40%
निजी ग्राहक और अन्य	16%	13%
निर्यात	3%	5%
कुल	**100%**	**100%**

(ii) क्षति हानि

1. वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ता 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि का उपयोग करके मापा जाता है

कंपनी के पास ऐसी परिसंपत्तियां हैं जहां प्रतिपक्षों के पास दायित्वों को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है और जहां डिफ़ॉल्ट का जोखिम बहुत कम है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
1 अप्रैल को शेष राशि	**16.32**	**14.91**
मान्य क्षति ह्रास/ बट्टे खाते में डाली गई/ निकासी	4.50	1.41
31 मार्च को शेष	**20.82**	**16.32**

2. मूल्यह्रास प्रावधानों का पुनर्मिलान

वर्ष के दौरान व्यापार प्राप्य और अनुबंध परिसंपत्तियों के संबंध में हानि के भत्तों में संचलन निम्नानुसार रहा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
1 अप्रैल को शेष राशि	**9171.88**	**8974.80**
मान्य क्षतिह्रास	874.88	1774.18
बट्टाकृत / आहरित राशि	(1646.20)	(1577.09)
31 मार्च को शेष	**8400.55**	**9171.88**

कंपनी निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित और डीपीई दिशा निर्देशों के अनुरूप कंपनी की निवेश नीति के अनुसार अधिशेष निधियों से निवेश करती है। नकद और नकद समकक्षों तथा सावधि जमाओं पर क्रेडिट जोखिम बहुत सीमित है क्योंकि कंपनी आमतौर पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों में जमा राशि में निवेश करती है।

ख. लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन

कंपनी सावधि जमा सहित पर्याप्त नकदी और नकदी समतुल्य बनाए रखकर और जब भी देय हो, दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऋण सुविधाओं की पर्याप्त राशि के माध्यम से धन की उपलब्धता के माध्यम से तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है। मजबूत नकदी प्रबंधन प्रणाली और नकदी प्रवाह की नियमित निगरानी प्रबंधन को पूरे वर्ष अपनी निधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्रोतों की योजना बनाने और बनाए रखने में सक्षम बनाती है। पर्याप्त नकदी और बैंक शेष के अलावा, कंपनी को ऋण सुविधाएं भी प्राप्त हैं। कंपनी अपनी सभी फंड आवश्यकताओं को आंतरिक संसाधनों अर्थात परिचालन से उत्पन्न धन और बेहतर ट्रेजरी प्रबंधन परिचालन के लिए अल्पकालिक उधार के माध्यम से अपनी सभी निधि आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है।

संविदात्मक नकदी प्रवाह के आधार पर गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वताएं निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

वित्तीय देयताएं गैर व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं	31 मार्च, 2025 को		31 मार्च, 2024 को	
	1 वर्ष के अंदर	1 वर्ष से अधिक	1 वर्ष के अंदर	1 वर्ष से अधिक
व्यापार देयताएं	9540.92	2170.79	8539.38	2292.76
ठेकेदारों और अन्य से जमाराशि	716.19	413.11	623.50	397.01
वित्तपट्टा देयताएं	57.21	162.39	24.91	23.55
अन्य देय/देयताएं				
कर्मचारी बकाया	152.41	-	353.32	-
अन्य बकाया	240.90	-	401.60	-
पूंजीगत व्यय बकाया	131.02	9.68	114.90	10.86
लघु अवधि की उधारी	8795.00	-	8808.00	-
कुल	**19633.65**	**2755.97**	**18865.61**	**2724.18**

क. बाजार ज़ोखिम प्रबंधन

कंपनी को अपने परिचालन से उत्पन्न होने वाले कुछ मुद्रा, कमोडिटी, ब्याज दर जोखिमों का सामना करना पड़ता है। कंपनी के पास विदेशी मुद्रा जोखिमों को कवर करने के लिए विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति है। कंपनी को प्रमुख कमोडिटी मूल्य उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों सहित आपूर्ति श्रृंखला के दावों सहित फ्रेमवर्क समझौते नियमित रूप से दर्ज किए जा रहे हैं । परिचालन से उत्पन्न अधिशेष निधियों को केवल पीएसयू बैंकों या बड़े आकार के निजी बैंकों के साथ अल्पकालिक जमा और सार्वजनिक क्षेत्र के म्यूचुअल फंडों की ऋण आधारित योजनाओं में निवेश किया जाता है, जिससे जोखिम की कोई भी संभावना कम हो जाती है ।

विदेशी मुद्रा जोखिम एक्सपोजर :- रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी का विदेशी मुद्रा जोखिम एक्सपोजर निम्नानुसार है:

(i) दिनांक 31.03.2024 को रुके हुए और बकाया व्युत्पन्न विलेख शून्य (पिछले वर्ष भी शून्य) है

(ii) विदेश मुद्रा एक्सपोजर जो एक व्युत्पन्न उपकरण द्वारा या अन्यथा रुके हुए नहीं हैं, वे निम्नानुसार हैं:

विदेशी मुद्रा- मिलियन में
(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को		31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
	यूरो	समतुल्य भारतीय रुपया	यूरो	समतुल्य भारतीय रुपया	अन्य (रुपए में)	अन्य (रुपए में)
परिसंपत्तियां						
व्यापार प्राप्य	59.23	543.50	53.64	484.16	41.12	1.86
अनुबंध परिसंपत्तियां	221.26	2026.77	235.03	2112.15	263.20	39.52
अन्य परिसंपत्तियां	11.74	108.16	0.61	5.50	93.77	154.98
उप कुल (क)	**292.23**	**2678.42**	**289.29**	**2601.82**	**398.09**	**196.36**
देयताएं						
ग्राहक से अग्रिम	28.22	190.35	35.46	238.77	1.29	22.65
व्यापार देय और अन्य	27.69	256.30	29.79	272.79	343.61	308.96
उप कुल (ख)	**55.91**	**446.65**	65.25	511.56	**344.89**	331.61
परिसंपत्तियां (देयताओं को छोड़कर)	**236.32**	**2231.77**	**224.04**	**2,090.26**	**53.19**	**(135.25)**

विवरण	अमेरिकी डॉलर	समतुल्य भारतीय रुपया	अमेरिकी डॉलर	समतुल्य भारतीय रुपया
परिसंपत्तियां				
व्यापार प्राप्य	79.27	669.84	77.52	644.22
अनुबंध परिसंपत्तियां	187.27	1597.17	234.62	1948.28
अन्य परिसंपत्तियां	0.87	6.74	0.36	2.41
उप कुल (क)	**267.41**	**2273.76**	**312.50**	**2594.91**
देयताएं				
ग्राहक से अग्रिम	35.69	226.53	50.09	253.59
व्यापार देय और अन्य	76.85	655.22	132.79	1114.42
उप कुल (ख)	**112.55**	**881.75**	**182.88**	**1368.01**
परिसंपत्तियां (देयताओं को छोड़कर)	**154.87**	**1392.01**	**129.62**	**1226.90**

उपरोक्त आंकड़े प्रावधानों, यदि कोई हों, को मिलाकर है

संवेदनशीलता विश्लेषण

भारतीय रुपए के अमरीकी डॉलर, यूरो और अन्य मुद्राओं की तुलना में मजबूत/कमजोर होने के प्रभाव को वर्ष के अंत में लाभ या हानि के रुप में नीचे दिखाया गया है। यह विश्लेषण विदेशी मुद्रा विनिमय दर में बदलाव पर आधारित है, जिसे कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के अंत में यथोचित रुप से संभव माना है। विश्लेषण पिछले वर्ष के लिए उसी आधार पर किया गया है, यद्यपि विदेशी मुद्रा विनिमय दर में बदलाव भिन्न था, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को		31 मार्च, 2024 को	
1% के संचलन पर लाभ/(हानि) पर प्रभाव	चढ़ाव/मजबूती	कमजोर/उतार	चढ़ाव/मजबूती	कमजोर/उतार
यूरो	22.32	(22.32)	20.90	(20.90)
अमेरिकी डॉलर	13.92	(13.92)	12.27	(12.27)
अन्य	0.53	(0.53)	(1.35)	1.35

पूंजी प्रबंधन

क्रियाशील इकाई के रुप में पूंजी प्रबंधन करते समय कंपनी का उद्देश्य अपनी पूंजी को सुरक्षित, संरक्षित रखना और इसमें वृद्धि करना है ताकि शेयरधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके, अन्य हितधारकों को लाभ प्रदान किया जा सके और पूंजी लागत को कम करने के लिए एक इष्टतम पूंजी संरचना बनाई रखी जा सके। निदेशक मंडल इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश के स्तर की भी निगरानी करते हैं। कंपनी समान्यतः उद्योग द्वारा और रेटिंग एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई वित्तीय अनुपातों के आधार पर मध्यम कालिक दृष्टिकोण व दीर्घकालीन दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए पूंजी को मॉनिटर करती है । कंपनी बाह्य पूंजी आवश्यकताओं के अधीन नहीं है। कंपनी की पूंजी संरचना को विभिन्न वित्तीय अनुपातों के अनुसार प्रबंधित किया जाता है जैसा कि उच्चतम क्रेडिट रेटिंग बनाए रखने के लिए आवश्यक है ।

नोट [43]

समेकित परिचालन खंड

संबंधित व्यावसायिक क्षेत्रों द्वारा बुक किए गए ऑर्डर के आधार पर खंडों की पहचान 'पावर' और 'उद्योग' के रूप में की गई है। इन खंडों के कार्यों को तीन व्यावसायिक क्षेत्रों अर्थात पावर सेक्टर, उद्योग क्षेत्र, अंतरराष्ट्रीय परिचालन द्वारा निष्पादित किया जाता है।

पावर खंड में मुख्य रूप से थर्मल, गैस, हाइड्रो और परमाणु ऊर्जा संयंत्र व्यवसाय, संबंधित स्पेयर और सेवा व्यवसाय के अतिरिक्त कोयले से रसायन, उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण और गैर-बीएचईएल सेट के लिए स्पेयर के नए व्यवसाय सम्मिलित हैं।

उद्योग खंड प्रमुख उपकरणों की आपूर्ति करता है और ईपीसी परिवहन, ट्रांसमिशन, रक्षा और एयरोस्पेस, कैप्टिव पावर, नवीकरणीय ऊर्जा, डाउनस्ट्रीम तेल और गैस, ऊर्जा भंडारण और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में ईपीसी आधार पर काम करता है।

अंतरराष्ट्रीय प्रचालन समूह द्वारा बुक किया गया ऑर्डर, ऑर्डर के प्रकार के हिसाब से, पावर या उद्योग खंड को सौंप दिया जाता है।

कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों की समिति को मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता (सीओडीएम) के रूप में चिन्हित किया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण			31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए		
			पावर	उद्योग	कुल	पावर	उद्योग	कुल
I.	परिचालन से खंड राजस्व							
	परिचालन से राजस्व - बाह्य		20937.25	7402.23	28339.48	18435.79	5456.99	23892.78
II.	खंड परिणाम							
	क.	खंड परिणाम	1216.02	1262.45	2478.47	1657.03	137.08	1794.11
	ख.	गैर आवंटित व्यय (आय को छोड़कर)			984.54			820.16
	ग.	वित्त लागत एवं आयकर से पूर्व लाभ (क)-(ख)			1493.93			973.95
	घ.	वित्त लागत (ब्याज छूट सहित)			748.33			731.29
	ङ.	आयकर से पूर्व शुद्ध लाभ (ग)-(घ)			745.60			242.66
	च.	आयकर			211.70			(39.56)
	छ.	आयकर के पश्चात शुद्ध लाभ/हानि (ङ.)-(च)			533.90			282.22
III	परिसंपत्तियां और देयताएं							
	क.	खंड परिसंपत्तियां	45455.29	9240.71	54696.00	39561.83	8418.14	47979.97
	ख.	सामान्य परिसंपत्तियां			13387.18			11021.95
	ग.	कुल परिसंपत्तियां			68083.18			59001.92
	घ.	खंड देयताएं	29075.97	7034.26	36110.23	20670.89	6081.21	26752.10
	ङ.	सामान्य देयताएं			7250.79			7811.16
	च.	कुल देयताएं			43361.02			34563.26
IV	अन्य सूचनाएं							
	क.	पूंजीगत व्यय	335.93	146.46		158.93	91.86	
	ख.	अवमूल्यन और परिशोधन	158.06	69.18		138.73	76.90	
	ग.	गैर नकद व्यय (मूल्यह्रास और परिशोधन के अतिरिक)	(73.14)	214.64		(815.40)	147.31	

भौगोलिक खंड

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए		
		भारत के अंदर	भारत के बाहर	कुल	भारत के अंदर	भारत के बाहर	कुल
1	कुल बिक्री / परिचालन से राजस्व	27863.22	476.26	28339.48	23156.49	736.29	23892.78
2	गैर- चालू परिसंपत्तियां (पीपीई और अमूर्त परिसंपत्तियां)	3141.70	0.46	3142.16	2880.44	1.96	2882.40
3	पूंजीगत व्यय	535.30	0.34	535.64	286.57	0.85	287.41

प्रमुख ग्राहक- बीएचईएल के कुल राजस्व का 10% से अधिक एकल ग्राहक से प्राप्ति का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए		
	पावर	उद्योग	कुल	पावर	उद्योग	कुल
सीपीएसयू	9227.07	2776.16	12003.23	6888.04	2096.72	8984.76
अदानी समूह	2553.12	-	2553.12	103.78	-	103.78

नोट [44]
अतिरिक्त जानकारी

(₹ करोड़ में)

समूह में इकाई का नाम	वित्तीय वर्ष	शुद्ध परिसंपत्तियां, अर्थात सकल परिसंपत्तियां माइनस सकल देयताएं		लाभ या हानि में हिस्सेदारी		अन्य व्यापक आय में हिस्सा		सकल व्यापक आय में हिस्सा	
		समेकित शुद्ध परिणाम % के रुप मे	राशि	समेकित लाभ या हानि के % के रुप मे	राशि	कुल अन्य व्यापक आय के % के रुप मे	राशि	कुल व्यापक आय के % के रुप मे	राशि
बीएचईएल	2024-25	98.89	24446.59	88.95	474.89	100.10	(163.50)	84.03	311.39
	2023-24	98.96	24184.17	77.33	218.24	99.83	(82.41)	68.03	135.83
संयुक्त उद्यम (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)-									
बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	2024-25	1.11	275.57	11.05	59.01	(0.10)	0.16	15.97	59.17
	2023-24	1.04	254.48	22.67	63.98	0.17	(0.14)	31.97	63.84
एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	2024-25	-	-	-	-	-	-	-	-
	2023-24	-	-	-	-	-	-	-	-
रायचुर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2024-25	-	-	-	-	-	-	-	-
	2023-24	-	-	-	-	-	-	-	-
भारत कोल गैसीफिकेशन & केमिकल्स लिमिटेड	2024-25	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00
	2023-24	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	2024-25	100.00	24,722.16	100.00	533.90	100.00	(163.34)	100.00	370.56
	2023-24	100.00	24438.65	100.00	282.22	100.00	(82.55)	100.00	199.67

नोट [45] - प्रकटीकरण - निवेश परिसंपत्ति - इंडएएस 40
[नोट 2 के मद 19 में प्रकट भौतिक लेखांकन नीति]

वर्ष के दौरान कंपनी ने भौतिक लेखांकन नीति अपनाई है और निवेश संपत्ति के लेखांकन हेतु भी इसे लागू किया है। संबंधित विवरण निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
(i) आय और व्यय का विवरण:		
किराये से आय	1.82	-
प्रत्यक्ष परिचालन व्यय (मरम्मत और रखरखाव सहित)	0.39	-
(ii) निवेश संपत्ति का उचित मूल्य		

भोपाल और मुंबई में स्थित विभिन्न परिसंपत्तियों के लिए, दिनांक 31.03.2025 को निवेश परिसंपत्ति का बाजार मूल्य कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत परिभाषित पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा ₹111.58 करोड़ आँका गया है।

कंपनी ने अपनी निवेश परिसंपत्ति पोर्टफोलियो, जिसमें कुछ भूमि और भवन शामिल हैं, पर परिचालन पट्टे पर हस्ताक्षर किए हैं। दिनांक 31.03.2025 तक परिचालन पट्टे के अंतर्गत प्राप्त होने वाले भविष्य के बिना रियायती पट्टा भुगतान इस प्रकार हैं:

विवरण	2024-25	2023-24
1 वर्ष से कम	7.11	-
1 से 2 वर्ष के बीच	7.13	-
2 से 3 वर्ष के बीच	7.25	-
3 से 4 वर्ष के बीच	7.56	-
4 से 5 वर्ष के बीच	5.14	-
5 वर्ष से अधिक	1.85	-
कुल	36.04	**-**

नोट [46]

परिचालन चक्र के रूप में 12 महीने की अवधि को ध्यान में रखते हुए परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू और गैर-चालू के बीच वर्गीकृत किया गया है।

नोट [47]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत बंद की गई कंपनियों के साथ कंपनी का कोई लेन-देन नहीं है।

नोट [48]

वैधानिक अवधि के बाद कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत होने के लिए कोई चार्ज या सैटिस्फैक्शन नहीं था।

नोट [49]

कंपनी, कंपनी नियम, 2017 (स्तरों की संख्या पर निर्बंधन) के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित स्तरों की संख्या का अनुपालन कर रही है।

नोट [50]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई भी योजना/व्यवस्था अनुमोदित नहीं की गई है।

नोट [51]

कंपनी का ऐसा कोई भी लेन-देन नहीं है जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या प्रकट किया गया हो, जो लेखा पुस्तकों में दर्ज न हो।

नोट [52]

कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

नोट [53]

आंकड़ों को दो दशमलव के साथ रुपए करोड़ के निकटतम पूर्णांकित किया गया है।

नोट [54]

जहां भी आवश्यक समझा गया, पिछले वर्ष के आकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

नोट [55]

निदेशक मंडल ने 16 मई, 2025 को आयोजित बैठक में वित्तीय विवरण 2024-25 जारी करने के लिए अधिकृत किया है।

के लिए एवं निदेशक मंडल की ओर से

(योगेश आर छाबड़ा)	**(राजेश कुमार द्विवेदी)**	**(के. सदाशिव मूर्ति)**
कंपनी सचिव	निदेशक वित्त एवं सीएफओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
M. No. F 7463	**DIN: 10048893**	**DIN: 09184201**

समान तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

एबीपी और एसोसिएट्स के लिए	**पीएसएमजी एवं एसोसिएट्स के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंट	चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN – 315104E	**FRN – 008567C**
(प्रभात कुमार पांडा)	**(प्रबुद्ध गुप्ता)**
भागीदार	भागीदार
M No. 057140	**M. No. 400189**

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 16 मई, 2025

हितधारकों के लिए अतिरिक्त जानकारी

वित्तीय निष्पादन प्रवृत्ति 331

प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए हमारे उत्पाद एवं सेवाएं और उत्पादों की रूपरेखा 334

शब्दावली और संक्षिप्ति 344

शब्दावली (वित्तीय पारिभाषिक शब्द).. 347

वित्तीय निष्पादन प्रवृत्ति

क्र. सं.	विवरण		2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
	ऑर्डर बुक (करों को छोड़कर)						
	प्राप्त ऑर्डर	₹ करोड़ में	92535	77907	23548	20379	11470
	बकाया ऑर्डर	₹ करोड़ में	196328	131598	91336	90084	89813
अ.	**परिचालन परिणाम**						
I	कुल आय						
	राजस्व	₹ करोड़ में	27355	22921	22136	20153	16296
	अन्य परिचालन आय	₹ करोड़ में	984	972	1229	1058	1013
	परिचालन से राजस्व (अ)	₹ करोड़ में	**28339**	**23893**	**23365**	**21211**	**17308**
	अन्य आय (ब)	₹ करोड़ में	**503**	**588**	**515**	**368**	**370**
	कुल (आय= अ+ब)	₹ करोड़ में	**28843**	**24481**	**23880**	**21579**	**17678**
II	**परिचालन खर्चे**						
	सामग्री उपभोग, खरीदे गए आइटम, सिविल, इरेक्शन और अभियांत्रिकी व्यय	₹ करोड़ में	19955	16894	15954	13997	11071
	स्टोर एवं स्पेयर की खपत	₹ करोड़ में	433	350	404	271	289
	एफ़जी, डबल्यूआईपी एवं स्क्रेप की माल सूची में परिवर्तन	₹ करोड़ में	(1542)	(437)	(57)	526	511
	कर्मचारी लाभ व्यय	₹ करोड़ में	5923	5629	5701	5517	5372
	बिजली एवं ईंधन	₹ करोड़ में	491	452	488	415	319
	उत्पादकता, प्रशासन एवं एस &डी के अन्य खर्चे	₹ करोड़ में	1816	1534	1466	1355	1480
	विनियम परिवर्तन (लाभ) / हानि (शुद्ध)	₹ करोड़ में	(135)	(105)	(460)	(82)	(66)
	प्रावधान	₹ करोड़ में	158	(1037)	(1083)	(1526)	1467
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	₹ करोड़ में	272	249	260	314	473
	वित्तीय लागतें	₹ करोड़ में	748	731	521	355	373
	कुल (II)	₹ करोड़ में	**28118**	**24260**	**23194**	**21142**	**21290**
III	परिचालन लाभ/(हानि) (अ-II)	₹ करोड़ में	**221**	**(368)**	**171**	**69**	**(3982)**
IV	कर पूर्व लाभ / (हानि) (I-II)	₹ करोड़ में	**725**	**220**	**686**	**437**	**(3612)**
	कर व्यय (शुद्ध)	₹ करोड़ में	212	(40)	61	27	(894)
V	कर पश्चात लाभ / (हानि)	₹ करोड़ में	**513**	**260**	**624**	**410**	**(2717)**
	अन्य व्यापक आय	₹ करोड़ में	**(164)**	**(82)**	**(17)**	**77**	**20**
VI	कुल व्यापक आय	₹ करोड़ में	**349**	**177**	**607**	**487**	**(2697)**
	लाभांश भुगतान	₹ करोड़ में	174	87	139	139	-
	लाभांश वितरण कर	₹ करोड़ में	-	-	-	-	-
	ईबीआईटी	₹ करोड़ में	1473	952	1207	792	(3239)
	ईबीआईटीडीए	₹ करोड़ में	1745	1201	1468	1106	(2765)
	नगदी प्रवाह:						
	परिचालन गतिविधियों से	₹ करोड़ में	(2192)	(3713)	(741)	660	560
	निवेश गतिविधियों से	₹ करोड़ में	(2731)	1331	1480	(1125)	(43)
	वित्तीय गतिविधियों से	₹ करोड़ में	(857)	2656	89	(330)	(393)

क्र.सं.	विवरण		2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
ब.	**वित्तीय स्थिति (परिसंपत्ति, हिस्सेदारी और देयताएं)**						
VII	परिसंपत्तियाँ						
	संपत्ति, प्लांट व उपकरण एवं अमूर्त परिसंपत्तियां	₹ करोड़ में	2947	2574	2476	2398	2488
	संपत्ति में निवेश	₹ करोड़ में	0.45	-	-	-	-
	पूंजी डब्ल्यूआईपी और विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	₹ करोड़ में	195	308	354	431	420
	गैर- वर्तमान निवेश	₹ करोड़ में	672	668	670	670	670
	अन्य गैर वर्तमान संपत्ति	₹ करोड़ में	1125	600	492	365	365
	व्यापार प्राप्तियाँ (शुद्ध)	₹ करोड़ में	8931	8010	6544	6229	7213
	अनुबंध परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	₹ करोड़ में	29444	26748	26466	26940	24079
	नगद एवं बैंक शेष	₹ करोड़ में	7612	6157	6698	7154	6701
	इनवैनटरी	₹ करोड़ में	9869	7221	6756	6560	7191
	अस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)	₹ करोड़ में	4068	4201	4247	3530	3660
	अन्य मौजूदा परिसंपत्तियाँ	₹ करोड़ में	3615	2927	2652	2432	2913
	कुल संपत्ति	₹ करोड़ में	**68479**	**59414**	**57354**	**56708**	**55701**
VIII	**हिस्सेदारी**						
	हिस्सेदारी शेयर पूंजी	₹ करोड़ में	696	696	696	696	696
	अन्य हिस्सेदारी	₹ करोड़ में	24417	24154	24116	26275	25788
	कुल हिस्सेदारी	₹ करोड़ में	**25113**	**24851**	**24812**	**26971**	**26484**
IX	**देयताएं**						
	उधारी	₹ करोड़ में	8795	8808	5385	4745	4834
	व्यापार देयताएं	₹ करोड़ में	11712	10832	11962	9882	8559
	अनुबंध देयताएं	₹ करोड़ में	15294	7133	5635	6048	6864
	अन्य गैर चालू देयताएं	₹ करोड़ में	636	471	310	269	295
	गैर चालू प्रावधान	₹ करोड़ में	2586	2489	4101	3771	3913
	अन्य चालू देयताएं	₹ करोड़ में	2529	2511	2353	1956	1589
	वर्तमान प्रावधान	₹ करोड़ में	1815	2318	2797	3067	3164
	कुल देयताएं	₹ करोड़ में	**43366**	**34563**	**32542**	**29737**	**29217**
X	**कुल हिस्सेदारी एवं देयताएं (VIII+IX) में**	₹ करोड़ में	**68479**	**59414**	**57354**	**56708**	**55701**
	इक्विटी शेयर (प्रत्येक संख्या का रु 2 अंकित मूल्य)	संख्या	348	348	348	348	348
	वर्ष के अंत में बाजार पूंजीकरण	₹ करोड़ में	75230	86077	24420	17184	16975
	निवल मूल्य	₹ करोड़ में	25113	24851	24812	26971	26484
	निवल मूल्य (ओसीआई और पूंजी आरक्षित को छोड़कर)	₹ करोड़ में	25659	25233	25113	27254	26844
XI	**मानव संसाधन**	संख्या	**27800**	**28673**	**29536**	**30758**	**32131**
	मानव संसाधन	संख्या	10375	10256	10187	10280	9742
	गैर- कार्यपालक	संख्या	17425	18417	19349	20478	22389
XII	**वित्तीय निष्पादन अनुपात**						
1	निवल मूल्य पर वापसी	%	2.02	1.03	2.38	1.52	(9.63)
2	ईबीआईडीटीए मार्जिन	%	6.05	4.90	6.15	5.12	(15.64)
3	परिचालन लाभ मार्जिन	%	0.78	(1.54)	0.73	0.33	(23.01)

क्र. सं.	विवरण		2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
4	प्रति कर्मचारी राजस्व	₹ लाख में	98	80	75	66	51
5	कर्मचारी लाभ व्यय का प्रति रुपया राजस्व	₹	4.62	4.07	3.88	3.65	3.03
XIII	**तुलन पत्र अनुपात**						
1	वर्तमान अनुपात	अनुपात	1.51	1.37	1.24	1.30	1.39
2	चालू वर्ष के शुद्ध बिलिंग का परिसमापन (%)	%	81	78	86	86	82
3	प्राप्य व्यापार (दिनों में)	दिनों में	115	122	102	107	152
4	इनवेंटरी (दिनों में)	दिनों में	132	115	111	119	161
5	परिसंपत्ति कारोबार	समय	0.42	0.41	0.42	0.38	0.32
XIV	**प्रति शेयर डेटा**						
1	प्रति शेयर आय	(₹)	1.47	0.75	1.79	1.18	(7.80)
2	प्रति शेयर नेट वर्थ	(₹)	72.12	71.37	71.26	77.46	76.06
3	वर्ष के अंत में प्रति शेयर बाजार मूल्य (बीएसई)	(₹)	216.05	247.20	70.13	49.35	48.75
4	बाजार मूल्य और बुक मूल्य का अनुपात	अनुपात	3.00	3.46	0.98	0.64	0.64
XV	**परिचालन से खंडवार राजस्व**						
	पावर खंड	करोड़ में	20937	18436	18496	16206	12259
	उद्योग खंड	करोड़ में	7402	5457	4869	5005	5049
	कुल	करोड़ में	**28339**	**23893**	**23365**	**21211**	**17308**
	खंड शेयर						
	पावर खंड	%	74	77	79	76	71
	उद्योग खंड	%	26	23	21	24	29

I जहां भी आवश्यक समझा गया, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

II () में दिए गए आंकड़े नकारात्मक मान दर्शाते हैं।

III लाभांश भुगतान अंतरिम लाभांश और वर्ष के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश है।

टिप्पणियाँ:

1 ईबीआईटी = पीबीटी+ वित्तीय लागत

2 ईबीआईटीए = ईबीआईटी + मूल्यह्रास और परिशोधन

3 निवल मूल्य पर रिटर्न = (पीएटी/औसत निवल मूल्य, ओसीआई और पूंजी आरक्षित को छोड़कर)*100

4 ईबीआईटीए मार्जिन% = ईबीआईटीए/कुल आय *100

5 परिचालन लाभ मार्जिन = परिचालन लाभ / परिचालन से राजस्व *100

6 चालू अनुपात = चालू संपत्ति/चालू देनदारियां

7 व्यापार प्राप्य (दिनों की संख्या) = व्यापार प्राप्य * 365 / परिचालन से राजस्व

8 इन्वेंटरी (दिनों की संख्या) = इन्वेंटरी *365/राजस्व

9 संपत्ति कारोबार = कुल राजस्व/कुल संपत्ति

प्रमुख व्यवसायों के लिए हमारे उत्पाद एवं सेवाएं

कोयला आधारित पावर प्लांट

- अत्याधुनिक उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण सहित संपूर्ण ईपीसी समाधान
- स्टीम जेनरेटर, स्टीम टर्बाइन, टर्बो जेनरेटर (टीजी) पुनर्योजी फ़ीड चक्र के साथ 1000 मेगावाट यूनिट रेटिंग तक, जिसमें सुपरक्रिटिकल तकनीक पर आधारित 350,660,700,800 मेगावाट यूनिट रेटिंग सेट और सबक्रिटिकल तकनीक पर आधारित 600 मेगावाट तक यूनिट रेटिंग सेट शामिल हैं।
- वाटर और एयर कूल्ड कंडेनसर, कंडेनसेट निष्कर्षण पंप, बॉयलर फ़ीड पंप, डुप्लेक्स हीटर, वाल्व और हीट एक्सचेंजर्स - 1000 मेगावाट तक टीजी सेट की आवश्यकता को पूरा करना
- पुराने हाइड्रो पावर प्लांटों के अवशिष्ट का मूल्यांकन (आरएलए)।
- नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के माध्यम से प्लांटों के प्रदर्शन में सुधार और विस्तार करना
- पावर प्लांटों के लिए लचीलापन (फ्लेक्सी-संचालन) समाधान

गैस आधारित पावर प्लांट

- निम्नलिखित विशेषताओं के साथ 26 मेगावाट से 571 मेगावाट रेटिंग तक के (आईएसओ) गैस टर्बाइन और मैचिंग जनरेटर सहित संपूर्ण ईपीसी समाधान
  - » उद्योग और उपयोगिता अनुप्रयोगों के लिए गैस टरबाइन आधारित सह-उत्पादन और संयुक्त चक्र प्रणालियाँ
  - » विभिन्न प्रकार के ईंधनों (गैसीय और तरल दोनों, जिनमें इस्पात उद्योग में अनुप्रयोगों के लिए ब्लास्ट फर्नेस गैस (बीएफजी) और कोक ओवन गैस (सीओजी) शामिल हैं) को जलाने की क्षमता, साथ ही ईंधनों के विभिन्न संयोजनों में मिश्रित फायरिंग की क्षमता।
  - » शुष्क निम्न NOx (DLN) दहनकों और शोर में कमी के साथ NOx के 15 पीपीएम तक कम निकास उत्सर्जन स्तर।
- उच्च संयंत्र दक्षताओं के साथ 838 मेगावाट तक के संयुक्त चक्र संयंत्र
- गैस/तेल चालित बॉयलर आधारित विद्युत संयंत्र

परमाणु (न्यूक्लियर) पावर प्लांट

- PHWRs (प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स), FBRs (फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स) और AHWRs (एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स) के टीजी द्वीप के लिए पूर्ण ईपीसी समाधान, जिसमें स्टीम टर्बाइन, टर्बो जेनरेटर, एक्साइटर्स (ब्रशलेस और स्टैटिक), MSRs (मॉइस्चर सेपरेटर रीहीटर्स), अन्य हीट एक्सचेंजर्स और पंप शामिल हैं
- रिएक्टर साइड घटक जैसे स्टीम जेनरेटर, रिएक्टर हेडर, एंड शील्ड, विशेष प्रयोजन हीट एक्सचेंजर्स, प्रेशर वेसल्स, मोटर्स, इत्यादि रिएक्टर साइड उपकरणों की स्थापना के साथ।

हाइड्रो पावर प्लांट

- 100 मेगावाट तक के कपलान प्रकार, फ्रांसिस और पेल्टन प्रकार के 400 मेगावाट तक के कस्टम निर्मित पारंपरिक हाइड्रो टर्बाइन की इंजीनियरिंग और विनिर्माण की क्षमता।
- 400 मेगावाट तक कस्टम-निर्मित सैलिएंट पोल वर्टिकल सिंक्रोनस हाइड्रो जेनरेटर की इंजीनियरिंग, विनिर्माण, स्थापना और कमीशनिंग की क्षमता।
- 350 मेगावाट तक के पंप स्टोरेज संयंत्रों के लिए प्रतिवर्ती पंप-टर्बाइन, और 350 मेगावाट तक के पंप स्टोरेज संयंत्रों के लिए निश्चित गति जनरेटर-मोटर
- लिफ्ट सिंचाई योजनाओं (एलआईएस) के लिए 200 मेगावाट तक के उच्च क्षमता वाले पंप और 200 मेगावाट तक की मोटर
- हाइड्रो स्टेशनों के लिए बटर फ्लाई, स्फेरिकल वाल्व और उपकरण
- मेगावाट रेटिंग तक के मिनी, सूक्ष्म और लघु जल विद्युत संयंत्र
- 10 मेगावाट तक के बल्ब टर्बाइन और 20 मेगावाट तक के हॉरिज़ॉन्टल जेनरेटर के साथ मेचिंग जनरेटर और संदीपन प्रणाली (स्टेटिक/ब्रशलेस)
- सभी प्रकार के जल विद्युत संयंत्रों के लिए माइक्रोप्रोसेसर आधारित डिजिटल गवर्निंग सिस्टम
- प्लांट (बीओपी) और सिस्टम एकीकरण का संतुलन
- जल विद्युत संयंत्रों का नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और उन्नयन

सोलर पावर सिस्टम

- सोलर फोटो वोल्टाइक (एसपीवी) विद्युत संयंत्रों का संपूर्ण ईपीसी समाधान जिसमें शामिल हैं:
  - » बीईएसएस (बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली) के साथ और उसके बिना ग्रिड इंटरैक्टिव सिस्टम
  - » फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र
  - » स्टैंडअलोन सिस्टम
  - » रुफ टॉप सिस्टम
  - » हाइब्रिड सिस्टम
  - » कैनाल टॉप सिस्टम
  - » उपरोक्त सभी प्रणालियों के लिए इरेक्सन, कमीशनिंग, ओ एंड एम और परामर्श सेवाएं

परिवहन प्रणालियाँ

- इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, सेमी-हाई स्पीड 'वंदे भारत' ट्रेनसेट, ट्रैक मशीनें और डीजल इलेक्ट्रिक टॉवर कार (डीईटीसी) सहित रोलिंग स्टॉक
- ट्रैक्शन मोटर्स और ट्रैक्शन अल्टरनेटर
- ट्रैक्शन ड्राइव सिस्टम और कंटरोल्स

- ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर
- डिपो प्रबंधन और रोलिंग स्टॉक रखरखाव सहित रखरखाव सेवाएं

ट्रांसमिशन सिस्टम

- ट्रांसमिशन प्रणालियों के लिए पूर्ण ईपीसी समाधान
- 765केवी तक के अतिरिक्त उच्च वोल्टेज सबस्टेशन (एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन (एआईएस) और गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन (जीआईएस) दोनों प्रकार)
- +/- 800केवी तक के अल्ट्रा हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (एचवीडीसी) कनवर्टर स्टेशन
- 400 केवी तक के डिजिटल सबस्टेशन
- नियंत्रण एवं सुरक्षा प्रणाली
  - » लचीला एसी ट्रांसमिशन सिस्टम (एफएसीटीएस) समाधान
  - » निश्चित श्रृंखला मुआवजा (एफएससी)
  - » नियंत्रित शंट रिएक्टर (सीएसआर)
  - » फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर (पीएसटी)
  - » तुल्यकालिक कंडेंसर

डिफेंस और एयरोस्पेस

- सुपर रैपिड गन माउंट (एसआरजीएम) / अपग्रेडेड एसआरजीएम, जिसमें लाइफ टाइम उत्पाद सहायता भी शामिल है
- जहाजों के लिए आईपीएमएस (एकीकृत प्लेटफार्म प्रबंधन प्रणाली)
- एयरोस्पेस अनुप्रयोग के लिए कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर्स, लिक्विड कूलिंग सिस्टम और पंप मॉड्यूल
- अंतरिक्ष ग्रेड लिथियम-आयन सेल, लिथियम-आयन बैटरी और सौर पैनल
- मोटर जनरेटर सेट और स्थायी चुंबक आधारित मोटर और जनरेटर
- टर्बाइन, टर्बो अल्टरनेटर, टर्बो अल्टरनेटर टर्बाइन, डीजल अल्टरनेटर, कंडेनसर, स्टीम जेनरेटर, हीट एक्सचेंजर्स और नौसेना अनुप्रयोगों के लिए वाल्व
- टैंकों के लिए थर्मोप्रेस्ड कंपोनेन्ट और टोरेंट कास्टिंग
- अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए टाइटेनियम डोम और प्रोपेलेंट टैंक।
- नौसेना अनुप्रयोगों के लिए सिस्टम इंजीनियरिंग और विश्लेषण

औद्योगिक प्रणालियाँ

- डाउनस्ट्रीम ऑयल एंड गैस (डीएसओजी) सेगमेंट के लिए प्रोसेस पैकेज और उपकरण/समाधान के लिए पूर्ण ईपीसी समाधान
- कोल हैंडलिंग प्लांट और ऐश हैंडलिंग प्लांट जिसमें सिविल और स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल कार्य और ऑटोमेशन सिस्टम शामिल हैं
- माइन वाइन्डर सिस्टम
- कच्चे माल की प्रोसेसिंग और कॉम्पैक्टिंग के लिए इलेक्ट्रिक्स, ड्राइव, नियंत्रण और ऑटोमेशन सिस्टम, आयरन मेकिंग, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टील मेकिंग, कैस्टर और स्टील फिनिशिंग जैसे मिल्स और लंबे एवं फ्लैट दोनों उत्पादों के लिए प्रोसेस लाइनें
- इस्पात और अन्य उद्योगों के लिए सिविल और स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन सिस्टम सहित कच्चे माल की हैंडलिंग प्रणाली
- एल्यूमीनियम प्लांटों के लिए प्रोसेसिंग मिलें और स्मेल्टर्स के हाई करंट रेक्टिफायर के लिए इलेक्ट्रिक्स और ऑटोमेशन सिस्टम
- स्वचालित भंडारण एवं पुनर्प्राप्ति प्रणाली (एएसआरएस)

ऊर्जा भंडारण प्रणाली एवं ई-मोबिलिटी

- इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए सौर ऊर्जा आधारित चार्जिंग स्टेशन
- बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए संपूर्ण ईपीसी समाधान

हाइड्रोजन पावर सिस्टम

- 5 किलोवाट के एकल स्टैक आकार के साथ पीईएम ईंधन सेल सिस्टम

विस्तृत उत्पाद प्रोफ़ाइल इस प्रकार है:

उत्पाद प्रोफाइल

स्टीम जेनरेटर

- कोयला, लिग्नाइट, तेल, प्राकृतिक गैस या इन ईंधनों के संयोजन का उपयोग करके उपयोगिताओं के लिए 30 से 800 मेगावाट क्षमता तक के स्टीम जेनरेटर; 1000 मेगावाट यूनिट आकार तक सुपरक्रिटिकल मापदंडों के साथ बॉयलर बनाने की क्षमता
- उपयोगिताओं के लिए 350 मेगावाट तक के सबक्रिटिकल पैरामीटर और 151 मेगावाट से 660 मेगावाट यूनिट आकार के सुपरक्रिटिकल पैरामीटर के साथ सर्कुलेटिंग फ्लुइडाइज्ड बेड कम्बशन (सीएफबीसी) स्टीम जेनरेटर
- ईंधन लचीले बॉयलर आयातित/भारतीय कोयले के विभिन्न गुणों के मिश्रण/सह-फायरिंग, लिग्नाइट, पेटकोक आदि के मिश्रण के सभी संयोजन में सक्षम हैं।
- एएसएमई सेक्टर-III एनबी क्लास-1 आवश्यकताओं के अनुसार परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए स्टीम जेनरेटर और रिएक्टर हेडर के निर्माण और आपूर्ति की क्षमता
- औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए निम्न प्रकार के स्टीम जनरेटर, जिनकी क्षमता 40 टन/घंटा से शुरु होती है, कोयला, प्राकृतिक गैस, औद्योगिक गैसें, बायोमास, लिग्नाइट, तेल, पेटकोक, खोई या इनके संयोजन का उपयोग करते हैं।
  - » चूर्णित कोयला/लिग्नाइट से चलने वाले बॉयलर
  - » स्टोकर फायर्ड बॉयलर
  - » बबलिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कम्बशन (बीएफबीसी) बॉयलर
  - » सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कम्बशन (सीएफबीसी) बॉयलर
  - » हीट रिकवरी स्टीम जेनरेटर (एचआरएसजी)
  - » कागज उद्योग के लिए रासायनिक रिकवरी बॉयलर, 100 से 1000 टी/दिन सूखे ठोस पदार्थों की क्षमता तक

» बॉयलर में कोयले के साथ बायोमास सह-फायरिंग को लागू करने में विशेषज्ञता और क्षमता
» बॉयलरों के लचीले संचालन के लिए संपूर्ण समाधान

स्टीम जनरेटर के सहायक उपकरण

- एयर प्रीहीटर्स
  - » ट्यूबलर एयर प्रीहीटर्स
  - » रोटरी रीजनरेटिव एयर प्रीहीटर्स (विभिन्न प्रकार जैसे बाइसेक्टर, ट्राई सेक्टर और क्वाड सेक्टर)
- वायु गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली (एक्यूसीएस)

कण उत्सर्जन नियंत्रण
  - » न्यूनतम 15 मिलीग्राम/एनएम3 आउटलेट उत्सर्जन वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर (99.97% तक दक्षता)
  - » उपयोगिता और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए बैग फ़िल्टर
  - » अमोनिया ग्रिप गैस कंडीशनिंग प्रणाली
- स्टील चिमनी
  - » फ्लू गैस निकास अनुप्रयोगों के लिए स्टील चिमनी, अधिकतम 80 मीटर ऊंचाई और 6.5 मीटर तक आंतरिक व्यास के साथ
- फैन
  - » 200 डिग्री सेल्सियस तक स्वच्छ वायु अनुप्रयोग और धूल भरी गर्म गैसों के अनुप्रयोगों के लिए एकल चरण और डबल चरण के एक्सल रिएक्सन फैन, जिनकी क्षमता 40 से 1300 m3/s तक और दबाव 400 से 1,500 mmwc तक है।
  - » 200 डिग्री सेल्सियस तक स्वच्छ हवा और ग्रिप गैस दोनों अनुप्रयोगों के लिए एक्सल इनपल्स फैन, जिनकी क्षमता 25 से 600 m^3/s और दबाव 300 से 700 mmwc तक है।
- पल्वराइजर
  - » धीमी और मध्यम गति की बाउल मिलें (दबावयुक्त और सक्शन वातावरण दोनों के लिए) जिनकी क्षमता 10 टन/घंटा से 120 टी/घंटा तक है।
  - » बॉल ट्यूब मिल्स 30 टी/घंटा से 110 टी/घंटा तक।
- गिलोटिन गेट्स और डैम्पर्स
  - » विद्युत/वायवीय एक्चुएटर के साथ गिलोटिन गेट। सील एयर के साथ 100% लीक प्रूफ (अधिकतम चौड़ाई/ऊंचाई): टाइप 1: 7 मीटर/14.5 मीटर, टाइप 2: 14.6 मीटर/4.5 मीटर, टाइप 3: 11.5 मीटर/6.5 मीटर \
  - » विद्युत/वायवीय एक्चुएटर के साथ बाई -प्लेन डैम्पर्स। सील एयर के साथ 100% लीक प्रूफ (अधिकतम चौड़ाई/ऊंचाई): टाइप-1: 7 मीटर/14.5 मीटर, टाइप-2: 12 मीटर/10.5 मीटर
  - » इलेक्ट्रिक/न्यूमैटिक एक्चुएटर (अधिकतम चौड़ाई/ऊंचाई) के साथ लौवर डैम्पर्स (ओपन क्लोज/रेगुलेटिंग): टाइप-1: 6.5 मीटर/14.5 मीटर, टाइप-2: 12 मीटर/10.5 मीटर
  - » इलेक्ट्रिक/न्यूमैटिक एक्चुएटर (अधिकतम चौड़ाई/ऊंचाई) के साथ कंट्रोल डैम्पर्स (रेगुलेटिंग): टाइप- 1:6.5m/14.5m, टाइप-2: 12m/10.5m
- फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणालियाँ
  - » गीले चूना पत्थर और समुद्री जल आधारित एफजीडी प्रणालियाँ
  - » अवशोषक - डीसीएफएस (डबल कॉन्टैक्ट फ्लो स्क्रबर) तकनीक
  - » गीला चूना पत्थर एफजीडी -एकल और जुड़वां टॉवर अवशोषक
  - » समुद्री जल एफजीडी -ग्रिड टॉवर अवशोषक
  - » गैस से गैस हीटर के साथ और बिना अवशोषक
  - » 9.9% SO2 दक्षता के साथ एफजीडी
- डी NOx समाधान
  - » NOx उत्सर्जन को कम करने के लिए भट्ठी में दहन नियंत्रण समाधान।
- NOx उत्सर्जन नियंत्रण के लिए चयनात्मक उत्प्रेरक न्यूनीकरण (एससीआर) प्रणालियाँ (हनीकॉम्ब और प्लेट प्रकार)
- NOx उत्सर्जन नियंत्रण के लिए SCR प्लेट प्रकार उत्प्रेरक।
- सीईए दिशानिर्देशों के अनुसार 3%/मिनट रैंप दर पर 70-100% टरबाइन अधिकतम निरंतर रेटिंग (टीएमसीआर), 2%/मिनट रैंप दर पर 55-70% टीएमसीआर और 1%/मिनट रैंप दर पर 40-55% टीएमसीआर प्राप्त करने के लिए बॉयलरों का लचीला संचालन।

सूट ब्लोवर्स

- 12.2 मीटर तक की दूरी के लिए लॉन्ग रिट्रैक्टेबल सूट ब्लोवर्स (एलआरएसबी)
- वाटर वाल फर्नेस एरिया के लिए वाल ब्लोअर (वाटर वाल डिस्लेगर्स)।
- 10 मीटर तक की यात्रा लंबाई के लिए फर्नेस तापमान जांच (एफटीपी)
- एयर प्री हीटर के लिए फॉरवर्ड ब्लोइंग के साथ लंबे समय तक वापस लेने योग्य नॉन-रोटेटिंग (एलआरएनआर) सूट ब्लोअर
- रोटरी सूट ब्लोवर्स
- रैक टाईप लंबे रिट्रेक्टबल सूट ब्लोअर
- सीएफबीसी बॉयलर अनुप्रयोग के लिए ऐश डिस्चार्ज वाल्व
- अनुक्रमिक पीएलसी, नियंत्रण कक्ष और इंटीग्रल स्टार्टर के साथ सूट ब्लोअर

वाल्वस

- उपयोगिताओं और औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए उच्च और निम्न दबाव वाले टर्बाइन बाईपास वाल्व और हाइड्रोलिक प्रणाली
- 950 मिमी व्यास तक भाप, तेल और गैस कर्तव्यों के लिए गेट, ग्लोब, नॉन-रिटर्न (स्विंग-चेक और पिस्टन लिफ्ट-चेक) प्रकार के उच्च और मध्यम दबाव वाले वाल्व, कास्ट और फोर्ज्ड स्टील वाल्व, अधिकतम दबाव वर्ग 4500 (791 किग्रा) /cm2) और 650°C तापमान
- 900 मिमी तक के पाइप आकार वर्ग 1500 और भाप तापमान 650°C तक गर्म पुनः गरम और ठंडा पुनः गरम पृथक उपकरण
- 372 किग्रा/सेमी2 तक दबाव और 630°C तक तापमान सेट करने के लिए उच्च क्षमता वाले स्प्रिंग लोडेड सुरक्षा वाल्व
- 320 किग्रा/सेमी2 तक दबाव और 610°C तक तापमान सेट करने के लिए स्वचालित विद्युत चालित दबाव राहत वाल्व
- 421 किग्रा/सेमी2 तक दबाव और 537° तक तापमान सेट करने के लिए सेफ़्टी रिलीफ़ वाल्व

- प्रतिक्रियाशील सह अवशोषक प्रकार के वेंट साइलेंसर 2700 मिमी व्यास के
- डारेक्ट वॉटर लेवल गेज
- एंगल ड्रेन वाल्व - टर्बाइन ड्रेन एप्लीकेशन के लिए सिंगल और मल्टी स्टेज
- री-हीटर और सुपर हीटर स्प्रे लाइनों के लिए गंभीर सेवा नियंत्रण वाल्व
- एक्सट्रैक्शन लाइनों और पावर असिस्टेड नॉन रिटर्न वाल्व के लिए त्वरित समापन नॉन रिटर्न वाल्व, 900 मिमी व्यास तक, 158 किग्रा/सेमी^{2} दबाव और 540 डिग्री सेल्सियस तापमान
- एफजीडी अनुप्रयोगों के लिए 1300 मिमी और 1400 मिमी व्यास के नाइफ एज गेट वाल्व

पाइपिंग सिस्टम (प्रणालियाँ)

- पावर साइकिल पाइपिंग, लगातार लोड हैंगर, वेरिएबल स्प्रिंग हैंगर, हैंगर घटक, सुपर क्रिटिकल सेट सहित 1000 मेगावाट क्षमता तक के पावर स्टेशनों के लिए सर्कुलेटिंग वॉटर पाइपिंग सहित कम दबाव वाली पाइपिंग
- परमाणु ऊर्जा स्टेशनों, संयुक्त चक्र बिजली संयंत्रों एवं औद्योगिक बॉयलरों और प्रक्रिया उद्योगों के लिए पाइपिंग सिस्टम
- नेशनल एसोसिएशन ऑफ कोरोज़न इंजीनियर्स (एनएसीई) की आवश्यकताओं का अनुपालन करने वाले रिफाइनरी सेगमेंट को पूरा करने के लिए पूर्वनिर्मित पाइपिंग/डक्ट स्पूल

सीमलेस स्टील ट्यूब

- एएसटीएम/एएसएमई और अन्य अंतरराष्ट्रीय विशिष्टताओं के अनुरुप कार्बन स्टील और कम-मिश्र धातु स्टील्स में 21 से 133 मिमी के बाहरी व्यास और 2 से 12.5 मिमी की दीवार की मोटाई के साथ गर्म-तैयार और ठंडे-तैयार सीमलेस स्टील ट्यूब।
- राइफल्ड ट्यूब (रिब्ड) जिनकी रेंज ट्यूब के बाहरी व्यास 38.1 से 63.5 मिमी और दीवार की मोटाई से भिन्न होती है एएसएमई और अन्य अंतरराष्ट्रीय विशिष्टताओं के अनुरूप कार्बन स्टील और कम-मिश्र धातु स्टील्स में 5.6 मिमी से 7.1 मिमी
- कार्बन स्टील में सर्पिल पंखों वाली ट्यूबों की रेंज ट्यूब के बाहरी व्यास 31.8 से 114.3 मिमी और दीवार की मोटाई 2.4 मिमी से 9.5 मिमी और पंख की ऊंचाई 12.5 मिमी से 21 मिमी और पंख घनत्व 40 से 240 पंख प्रति मीटर तक होती है। ASME मानकों के अनुरुप मिश्र धातु इस्पात

प्रेशराइज्ड फ्लुइडाइज्ड बेड गैसीफायर (पीएफबीजी) (कोल से कैमिकल्स)

- पीएफबीजी तकनीक लिग्नाइट सहित उच्च और निम्न श्रेणी के कोयले के गैसीकरण के लिए उपयुक्त है
- प्रति दिन 2500 टन तक की एकल इकाई क्षमता का उच्च दबाव ऑक्सी-ब्लो कोयला गैसीफायर, निम्नलिखित अनुप्रयोगों को पूरा करने के लिए सिनगैस का उत्पादन करने में सक्षम है:
  - » हाइड्रोजन/अमोनिया/अमोनियम नाइट्रेट
  - » मेथनॉल/डाइमिथाइल ईथर
  - » आइरन ओर का डाइरैक्ट रिडक्शन
  - » पावर थ्रो आईजीसीसी
  - » सिंथेटिक नेचुरल गैस

स्टीम टर्बाइन

- 1000 मेगावाट यूनिट रेटिंग तक के स्टीम टर्बाइन, जिसमें सुपरक्रिटिकल तकनीक पर आधारित 350/660/700/800 मेगावाट यूनिट रेटिंग सेट और सबक्रिटिकल तकनीक पर आधारित 600 मेगावाट तक यूनिट रेटिंग सेट शामिल हैं।
- परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए 700 मेगावाट तक की रेटिंग वाले स्टीम टर्बाइन
- समुद्री प्रणोदन के लिए 15000 एचपी टर्बाइन

गैस टर्बाइन

- 26 मेगावाट (Fr-5) से 571 मेगावाट (Fr-9HA.02) तक के गैस टर्बाइन, बहुमुखी ईंधन दहन क्षमता (गैसीय और द्रव, इस्पात उद्योग अनुप्रयोगों के लिए BFG और COG सहित), मिश्रित ईंधन प्रज्वलन विकल्प, शुष्क निम्न NOx (DLN) दहनकों के माध्यम से निम्न निकास उत्सर्जन स्तर (NOx के 15ppm तक) तथा शोर न्यूनीकरण के साथ

टर्बो जनरेटर

- थर्मल/गैस पावर प्लांटों के लिए संबंधित सहायक प्रणालियों के साथ 1000 मेगावाट यूनिट रेटिंग तक वायु, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन/ वाटर कूल्ड टर्बो जेनरेटर
- 200 मेगावाट रेटिंग तक के एयर कूल्ड
- 300 मेगावाट रेटिंग तक के हाइड्रोजन कूल्ड
- 1000 मेगावाट रेटिंग तक के हाइड्रोजन / वाटर कूल्ड
- सीसीपीपी अनुप्रयोगों के लिए जेनरेटर
- परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए 700 MWe तक के जेनरेटर
- जनरेटर शीतलन प्रणाली: वायु, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन/ जल
- उत्तेजना प्रणाली: ब्रश रहित / स्थिर प्रकार
- सहायक प्रणालियाँ: प्राइमरी वाटर सिस्टम, सील ऑइल सिस्टम, गैस सिस्टम, आदि।

हाइड्रो पावर प्लांट

- फ्रांसिस और पेल्टन 400 मेगावाट यूनिट साइज तक के हाइड्रो टर्बाइन
- 1000 मेगावाट यूनिट साइज तक के कपलान टाइप हाइड्रो टर्बाइन
- 10 मेगावाट यूनिट साइज तक के बल्ब टाइप हाइड्रो टर्बाइन
- 400 मेगावाट यूनिट साइज तक के सैलिएंट पोल वर्टिकल सिंक्रोनस हाइड्रो जेनरेटर
- 20 मेगावाट यूनिट साइज तक के हॉरिजॉन्टल जनरेटर
- रिवर्सिबल पंप-टर्बाइन और फिक्स्ड स्पीड जेनरेटर- पंप स्टोरेज प्लांट (पीएसपी) के लिए 300 मेगावाट तक की मोटर

- लिफ्ट इरिगेशन स्कीम (एलआईएस) के लिए 200 मेगावाट तक के हाई स्पीड पंप और मोटर

औद्योगिक सेट

- स्टीम टर्बाइन आधारित कैप्टिव पावर प्लांट (नॉन रीहीट और रीहीट यूनिट)
  - » स्टीम टर्बाइन-जनरेटर (एसटीजी)/ बॉयलर/ बॉयलर टर्बाइन-जनरेटर (बीटीजी)/इंजीनियरिंग खरीद निर्माण (ईपीसी): 200 मेगावाट तक की इकाई रेटिंग
  - » 120 मेगावाट तक की यूनिट रेटिंग के लिए नॉन रीहीट
  - » 70 मेगावाट से 200 मेगावाट यूनिट रेटिंग तक रीहीट
- स्टीम टरबाइन से लेकर मैकेनिकल ड्राइव जैसे कंप्रेसर, पंप, ब्लोअर, समुद्री प्रणोदन आदि।
- एकीकृत इस्पात संयंत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शीर्ष रिकवरी टर्बाइन (टीआरटी)
- गैस टरबाइन आधारित कैप्टिव पावर प्लांट जीटीजी/एचआरएसजी/ईपीसी: 26 मेगावाट (एफआर-5) से 571 मेगावाट (एफआर-9एचए.02)
- डाउनस्ट्रीम तेल एवं गैस (डीएसओजी) खंड के लिए प्रक्रिया पैकेज/उपकरण/ समाधान

कास्टिंग और फोर्जिंग

- 0.5 मीट्रिक टन से लेकर 61 मीट्रिक टन सिंगल पीस तक स्टील कास्टिंग और 120 मीट्रिक टन वजन तक कास्ट-फैब्रिकेटेड कास्टिंग और विभिन्न सामग्री ग्रेड में 36 मीट्रिक टन तक फोर्जिंग। सादा कार्बन, क्रीप प्रतिरोधी, स्टेनलेस स्टील, सुपर क्रिटिकल स्टील्स और उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल मिश्र धातु 625

कंडेंसर और हीट एक्सचेंजर

- सर्फ़ेस कंडेंसर
  - » 1000 मेगावाट तक के ताप विद्युत संयंत्रों के लिए
  - » 700 मेगावाट तक के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए
  - » 12.5 मेगावाट समुद्री अनुप्रयोग
  - » इंडस्ट्रीयल कंडेनसर
- 660 और 800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट के लिए एयर कूल्ड कंडेनसर
- गैर-बीएचईएल हीटरों की रेट्रोफिटिंग सहित फ़ीड वॉटर हीटर (उच्च दबाव हीटर, कम दबाव हीटर, डुप्लेक्स हीटर, डी-सुपर हीटर, आदि)
  - » थर्मल 7 से 600 मेगावाट (सब-क्रिटिकल) और 350 से 1000 मेगावाट (सिंगल स्ट्रीम के साथ सुपर क्रिटिकल)
  - » परमाणु: 220 मेगावाट, 500 मेगावाट और 700 मेगावाट
  - » 7 मेगावाट से 150 मेगावाट तक औद्योगिक अनुप्रयोग
- नमी विभाजक और रिहाइटर (एमएसआर))
  - » परमाणु: 220 मेगावाट, 500 मेगावाट और 700 मेगावाट 00
- लाइव स्टीम रेहीटर (एलएसआर)
  - » 500 मेगावाट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (एफबीआर) परमाणु सेट
- परमाणु प्राथमिक चक्र के लिए डी2ओ और मॉडरेटर हीट एक्सचेंजर्स
- टर्बो और हाइड्रो जेनरेटर के लिए सहायक हीट एक्सचेंजर्स
  - » एयर कूलर (फ्रेम और ट्यूब प्रकार)
  - » ऑइल कूलर (शैल और ट्यूब प्रकार और प्लग इन प्रकार)
  - » हाइड्रोजन कूलर (फ्रेम और ट्यूब प्रकार)
- ट्रांसफार्मर ऑइल कूलर
  - » शैल और ट्यूब प्रकार: सिंगल ट्यूब या कंसेंट्रिक डबल ट्यूब प्रकार
  - » फ्रेम और ट्यूब प्रकार: ओएफएएफ (ऑयल फोर्स्ड/एयर फोर्स्ड) एल-फिन ट्यूब के साथ
- रक्षा अनुप्रयोगों के लिए एयर कूलर
  - » शैल एवं ट्यूब प्रकार
  - » सीएसीडब्ल्यू (क्लोज्ड एयर सर्किट, वाटर कूल्ड) प्रकार
- 400NB से 2800NB तक जल अनुप्रयोग के लिए बटरफ्लाई वाल्व और रबर विस्तार जोड़
- तेल और जल भंडारण के लिए फ्लैश टैंक और विविध टैंक
- ट्रांसफार्मर के लिए सहायक हीट एक्सचेंजर्स
  - » ऑइल कूलर (शेल और ट्यूब प्रकार सिंगल ट्यूब या कंसेंट्रिक डबल ट्यूब प्रकार) (फ्रेम और ट्यूब प्रकार)
- ड्रेन कूलर
  - » थर्मल 7 से 600 मेगावाट (सब-क्रिटिकल) और 350 से 1000 मेगावाट (सिंगल स्ट्रीम के साथ सुपर क्रिटिकल)
  - » परमाणु: 220 मेगावाट, 500 मेगावाट और 700 मेगावाट
  - » 150 मेगावाट तक औद्योगिक अनुप्रयोग
- सामान्य अनुप्रयोग और डाउनस्ट्रीम ऑयल एंड गैस (डीएसओजी) अनुप्रयोग के लिए सहायक हीट एक्सचेंजर्स
  - » वाटर - वाटर कूलर (शेल एवं ट्यूब प्रकार)
- ग्रंथि भाप संघनित्र
  - » 7 मेगावाट से 150 मेगावाट तक औद्योगिक अनुप्रयोग
  - » 1000 मेगावाट तक के थर्मल प्लांट
  - » 700 मेगावाट तक के परमाणु संयंत्र
- 126 मेगावाट (एफआर-9ई) तक जीटीजी के लिए एयर-कूल्ड हीट एक्सचेंजर्स, और डाउनस्ट्रीम ऑयल एंड गैस (डीएसओजी) एप्लिकेशन के लिए सभी रेटिंग के कंप्रेसर एप्लिकेशन
  - » 150 मेगावाट तक के कंडेनसर के लिए स्टीम जेट एयर इजेक्टर
  - » 7 मेगावाट से 1000 मेगावाट तक डिएरेटर
  - » कंप्रेसर अनुप्रयोगों के लिए गैस कूलर
  - » ऑइल कूलर- 150 मेगावाट तक एसटीजी, 126 मेगावाट तक जीटीजी (एफआर-9ई)
  - » 150 मेगावाट एसटीजी तक जनरेटर एयर कूलर और 250 मेगावाट (9 एफए) तक जीटीजी

पम्पस

- 1000 मेगावाट की क्षमता तक विभिन्न उपयोगिता बिजली संयंत्र अनुप्रयोगों के लिए पंप:
  - » बॉयलर फीड पंप (मोटर या स्टीम टरबाइन चालित) और बॉयलर फीड बूस्टर पंप।
  - » कंडनसैट एक्सट्रैक्सन पम्प ड्रिप पंपों सहित
  - » सर्कुलेटिंग वॉटर पंप (कूलिंग वाटर पंप
  - » कंक्रीट वोल्यूट कूलिंग वाटर पंप
  - » 700 मेगावाट रेटिंग तक के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के द्वितीयक पक्ष के लिए पंप (बीएफपी सहित)।
  - » एफजीडी अनुप्रयोगों के लिए स्लरी रीसर्क्युलेशन पंप

कंप्रेसर्स

- एपीआई 617 के अनुसार केन्द्रापसारक कम्प्रेसरों की पूरी श्रृंखला (स्टीम टरबाइन, इलेक्ट्रिक मोटर (वीएफडी/वीएसडी) और गैस टरबाइन द्वारा संचालित) के साथ-साथ रिफाइनरियों, उर्वरकों, पेट्रोकेमिकल्स, तेल और गैस, इस्पात, बिजली और प्राकृतिक गैस परिवहन क्षेत्रों जैसे विभिन्न उद्योगों में सभी प्रमुख संपीड़न अनुप्रयोगों के लिए सहायक प्रणालियों के साथ।
- वायु, CO, सिंथेटिक गैस, N2, H2, NH3, प्राकृतिक गैस, गीली गैस, प्रोपिलीन और अन्य सेवाओं जैसी विभिन्न गैसों के लिए 3,00,000 m^3/hr तक की क्षमता के लिए कंप्रेसर पैकेज
- 40 बार डिज़ाइन दबाव तक होरीजोंटल स्पिलिट टाइप
- 350 बार डिज़ाइनप्रेशर वर्टिकल स्पिलिट टाइप
- एफ़जीडी अनुप्रयोगों के लिए ओक्सीडेशन ब्लोअर

सोलर फोटोवोल्टिक्स

- मोनो/मल्टी क्रिस्टालाइन सोलर सेल्स
- मल्टी क्रिस्टालाइन /मोनो-पीईआरसी पीवी मॉड्यूल (400 डबल्यूपी तक के)
- सोलर इनवेरटर के लिए उपयोगिता और रेलवे ट्रेकशन अनुप्रयोगो के लिए
- पावर ट्रांसफार्मर (15 एमवीए और इससे अधिक)
- पैसिव सोलर ट्रेकिंग सिस्टम
- स्पेस ग्रेड सोलर ट्रेकिंग पैनल्स

स्वचालन और नियंत्रण प्रणाली

- » बॉयलर सुरक्षा सहित स्टीम जनरेटर/बॉयलर नियंत्रण
- » बिजली संयंत्रों के लिए टरबाइन और जनरेटर के लिए नियंत्रण और सुरक्षा प्रणालियाँ
- » बॉयलर फीड पंप (बीएफ़पी) ड्राइव टर्बाइन कंट्रोल
- » स्टेशन कंट्रोल एवं इंस्ट्रूमेंटेशन / डीसीएस
- » स्वचालित जनरेटर नियंत्रण
- » कंपन निगरानी प्रणाली
- » ऑफसाइट/ऑफ बेस नियंत्रण/बैलेंस ऑफ प्लांट कंट्रोल्स
  - ◊ ऐश हैंडलिंग प्लांट (एएचपी)
  - ◊ कोयला हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी)
  - ◊ पावर प्लांटों के लिए वाटर सिस्टम
  - ◊ मिल रिजेक्ट सिस्टम (एमआरएस)
  - ◊ कंडनसेट ऑन-लोड ट्यूब क्लिनिंग सिस्टम (सीओएलटीसीएस)
  - ◊ गैस बूस्टर कम्प्रेसर (जीबीसी)
  - ◊ कंडनसेट पोलिशिंग यूनिट (सीपीयू)
  - ◊ हीटिंग, वेंटीलेशन और एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी)
  - ◊ फ्यूल ऑयल अनलोडिंग सिस्टम (एफ़ओयूएस)
- » हाइड्रो पावर प्लांट कंट्रोल सिस्टम
- » गैस टर्बाइन कंट्रोल सिस्टम
- » परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्राइमरी साइकिल कंट्रोल सेंटर इंस्ट्रूमेंटेशन पैकेज (सीसीआईपी)
- न्यूक्लियर पावर प्लांट टर्बाइन और सेकेंडरी साइकिल कंट्रोल सिस्टम
- सोलर थर्मल ऊर्जा संयंत्र के पावर ब्लॉक
- इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन
- सब-स्टेशन ऑटोमेशन (एसएएस)
- गैर-एफएसटी एचवीडीसी नियंत्रण पैनल
- रिफाइनरियों के लिए इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम (ईसीएस)
- पावर प्लांटों के लिए एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम (ईएमएस)
- एमवी / एलवी स्विच गियरों के लिए इलेक्ट्रिकल इंटरफेस सिस्टम
- जेनरेटर सिंक्रोनाइजेशन के लिए इलेक्ट्रिकल इंटरफ़ेस सिस्टम

ट्रांसमिशन सिस्टम

- ईएचवी और यूएचवी सब-स्टेशन / स्विचयार्ड एआईएस और जीआईएस दोनों प्रकार के जिनकी रेंज 33kV से 765kV तक हैं।
- +/- 800 केवी तक के एचवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम
- डिजिटल सबस्टेशन
- फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम (एफ़एसीटीएस) सोल्यूशन
  - » फिक्स्ड सीरीज कंपनसेशन (एफ़एससी)
  - » कंट्रोल्ड शंट रिएक्टर (सीएसआर)
  - » फेज शिफ्टिंग ट्रांसफॉरमर (पीएसटी)
  - » सिंक्रोनस कंडेनसर
- पावर सिस्टम स्टूडियो

सॉफ़्टवेयर सिस्टम समाधान

- थर्मल यूटिलिटीज के लिए प्रदर्शन विश्लेषण, निदान और अनुकूलन (पीएडीओ)।
- प्रदर्शन गणना और अनुकूलन प्रणाली और वास्तविक समय प्रदर्शन डेटा निगरानी प्रणाली
- डीसीएस से थर्ड पार्टी सिस्टम तक ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशंस (ओपीसी) कनेक्टिविटी
- एंटरप्राइज एसेट मैनेजमेंट सिस्टम (ईएएमएस)
- ऑपरेटर प्रशिक्षण सिम्युलेटर
- रिमोट मॉनिटरिंग एवं डायग्नोस्टिक सिस्टम (आरएमडीएस)
- विद्युत प्रणाली विश्लेषण के लिए सॉफ्टवेयर (लोड प्रवाह / शॉर्ट सर्किट / मोटर स्टार्टिंग अध्ययन / ग्राउंडिंग अध्ययन / रिले समन्वय)

स्विचगीयर

- मध्यम वोल्टेज वैक्यूम स्विचगियर, इनडोर और आउटडोर अनुप्रयोगों के लिए, वोल्टेज रेटिंग 36 केवी के लिए और गैस इंसुलेटिड स्विचगियर्स 420 केवी तक के।
  - » इनडोर स्विचगियर
    - ◊ थर्मल, परमाणु, हाइड्रो और कम्बाईंड साइकिल (संयुक्त चक्र) पावर प्लांट परियोजनाओं के लिए 12 केवी, 50 केए और 4000 एएमपी तक के
    - ◊ उद्योगों, सौर ऊर्जा संयंत्र और रिफाइनरियों के लिए 36 केवी, 31.5 केए, 2500 एएमपी तक के
    - ◊ वितरण प्रणाली के लिए कॉम्पैक्ट स्विचगियर 12 केवी, 26.3 केए, 1250 एएमपी के
  - » आउटडोर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर
    - ◊ डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट के लिए 12केवी, 26.5 केए, 1250 एएमपी
    - ◊ डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट के लिए 36 केवी, 26.3 केए, 2000 ए
    - ◊ ट्रैक साइड रेलवे अनुप्रयोगों के लिए 25 केवी और 52 केवी (2x25 केवी) वैक्यूम इंटरप्टर्स और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर
  - » गैस इंसुलेटिड स्विचगियर्स
    - ◊ रिफाइनरियों, शहरी वितरण और उद्योगों के लिए 36 केवी, 40 केए, 2500 एम्पियर (सिंगल बसबार और डबल बसबार डिजाइन)
    - ◊ ट्रांसमिशन क्षेत्र के लिए 420kV, 40kA, 3150 एम्पियर (हाइड्रो स्टेशन/थर्मल पावर प्लांट/अन्य सबस्टेशन)
    - ◊ 420 केवी गैस इंसुलेटेड बस डक्ट

ऑन लोड टैप चेंजर्स (ओएलटीसी)

- 765 केवी क्लास ट्रांसफार्मर तक ऑन लोड टैप चेंजर और 765 केवी तक ऑफ सर्किट टैप स्विच, पावर ट्रांसफार्मर, फर्नेस ट्रांसफार्मर, स्टेशन ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर इत्यादि जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए 500 एमवीए क्लास ट्रांसफार्मर।

एलटी स्विचगियर और बस डक्ट्स

- 800 मेगावाट क्षमता तक की उपयोगिताओं के जनरेटर बिजली उत्पादन के अनुरूप संबंधित उपकरणों के साथ जेनरेटर बस-डक्ट (आईपीबीडी)
- थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर, कैप्टिव पावर प्लांट और स्टील उद्योग के लिए 415 वी एलटी स्विचगियर)

ट्रांसफार्मर्स और रिएक्टर्स

- 1200 केवी, वोल्टेज तक के लिए पावर ट्रांसफार्मर
  - » जनरेटर ट्रांसफार्मर (600 एमवीए, 420 केवी, 3 पीएच / 400 एमवीए, 765 केवी, 1 पीएच / 500 एमवीए, 420 केवी, 1 पीएच तक के
  - » ऑटो ट्रांसफार्मर (1000 एमवीए, 400 केवी, 3 पीएच / 600 एमवीए, 400 केवी, 1 पीएच / 500 एमवीए, 765 केवी, 1 पीएच / 1000 एमवीए, 1200 केवी, 1 पीएच तक के)
- एचवीडीसी के लिए कनवर्टर ट्रांसफार्मर / स्मूथिंग रिएक्टर (600 एमवीए तक, ±800 केवी)/ (254 एमवीएआर, ± 500 केवी तक) संचरण
- शंट रिएक्टर (150 एमवीएआर, 420 केवी, 3 पीएच/110 एमवीएआर तक, 765 केवी, 1 पीएच)
- नियंत्रित शंट रिएक्टर (200 एमवीएआर, 420 केवी, 3 पीएच/200 एमवीएआर, 420 केवी, 1 पीएच/200 एमवीएआर, 765 केवी, 1 पीएच तक) लचीले एसी ट्रांसमिशन सिस्टम अनुप्रयोग
- ट्रांसमिशन लाइनों के लिए चरण स्थानांतरण ट्रांसफार्मर (500 एमवीए, 400 केवी, 3 पीएच/500 एमवीए 400 केवी, 1 पीएच तक
- उपकरण ट्रांसफार्मर
  - » 800 kV तक के डेड टैंक करंट ट्रांसफॉर्मर
  - » 400 kV तक का लाइव टैंक करंट ट्रांसफार्मर
  - » 220 kV तक के विद्युत-चुंबकीय वोल्टेज ट्रांसफार्मर
  - » कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स (33केवी से 1200केवी)
  - » पॉलिमर इंसुलेटर कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर 400kV तक
  - » एचवीडीसी परियोजनाओं के लिए 24 केवी पीआर श्रेणी करंट ट्रांसफार्मर
- स्पेशल ट्रांसफॉर्मर्स
  - » रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर (120 केए, 132 केवी तक के
  - » फर्नेस ट्रांसफॉर्मर (33 केवी, 60 एमवीए तक के)
- ईएसपी ट्रांसफॉर्मर 95 केवीपी, 1600 एमए तक के
- ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर 15 एमवीए, 33केवी तक के
- पावर ट्रांसफॉर्मर्स के लिए कम्पोजिट मॉनिटरिंग सिस्टम

कैपेसिटर्स

- एच.टी. कैपेसिटर्स
  - » शंट, सीरीज और एसवीसी (स्टेटिक वीएआर कंपनसेशन), हार्मोनिक फिल्टर और एचवीडीसी अनुप्रयोग (3.3केवी से 500 केवी, 1 पीएच / 3 पीएच कैपेसिटर बैंक)
- सीवीटी (33kV to 1200kV) के लिए कैपेसिटर डिवाइडर
- ट्रांसमिशन लाइन के लिए कपलिंग कैपेसिटर (33केवी से 800 केवी, 4400 पीएफ़ से 13200 पीएफ़)
- जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर की सुरक्षा के लिए सर्ज कैपेसिटर (11 केवी से 40 केवी)

बुशिंग्स

- ट्रांसफॉर्मर अनुप्रयोगों के लिए ऑयल इम्परग्रेटेड पेपर (ओआईपी) कंडेनसर बुशिंग्स 52 से 800 केवी
- 25 केवी लोकोमोटिव बुशिंग्स
- 245 केवी तक वाल बुशिंग

कंट्रोल गीयर

- उद्योगों / बिजली संयंत्रों में ईएसपी के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर
- डिजिटल स्टेटिक एक्साइटेशन कंट्रोल सिस्टम (2000 ए, 400 वी डीसी के साथ रिडंडंट थाइरिस्टर स्टैक्स और डीसी फील्ड ब्रेकर)

- पीएलसी आधारित डिजिटल कंट्रोल्स सहित लार्ज करंट रेक्टिफायर्स
- ईएचवी ट्रांसमिशन परियोजनाओं के लिए कंट्रोल और प्रोटेक्शन पैनल्स (400 केवी तक के)
- तुल्यकालिक जनरेटर के लिए एकीकृत उत्तेजना और सुरक्षा पैनल
- जल विद्युत परियोजनाओं के लिए डिजिटल इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर (ईएचजी)

इंसुलेटर और सिरेमिक

- पोर्सलेन इंसुलेटर्स
  - » ट्रांसफॉर्मर और एसएफ6 सर्किट ब्रेकर के लिए 765 केवी तक के खोखले इंसुलेटर।
  - » बस पोस्ट के लिए 400 kV तक के सॉलिड कोर इंसुलेटर और सबस्टेशन अनुप्रयोगों के लिए आइसोलेटर्स।
- कम्पोजिट लॉन्ग रॉड इंसुलेटर्स
  - » एचवीडीसी अनुप्रयोगों के लिए ±800केवी, 420केएन तक के
  - » एचवीएसी अनुप्रयोगों के लिए 765केवी, 210केएन तक के
  - » भारतीय रेलवे के लिए ट्रैक्शन इंसुलेटर्स स्टेआर्म, ब्रैकेट और 9 टन इंसुलेटर्स।
- कम्पोजिट हॉलो इंसुलेटर
  - » सीटी हाउसिंग एप्लीकेशन के लिए 400 केवी तक
- थर्मल पावर प्लांट और ऐश स्लरी अनुप्रयोगों के लिए सेरामिक लाइनिंग (सेरालीन) वीयर रेजिस्टेंट मैटेरियल।
- औद्योगिक और स्पेशल सेरामिक्स
  - » बॉयलर ड्रम में वाटर लेवल मॉनिटरिंग के लिए प्रयोग होने वाले ईडबल्यूएलआई-इलेक्ट्रोनिक वाटर लेवल इंडिकेटर (बीएचईएल विजन सिस्टम)
  - » क्रिसमस ट्री वाल्व के लिए सिरेमिक और टंगस्टन कार्बाइड फ्लो बीन्स
  - » थर्मल पावर प्लांट में पल्वराइजिंग के लिए ग्राइंडिंग मीडिया
  - » ट्रैक्शन कन्वर्टर के लिए जीबीटी इंसुलेटर
  - » रेल व्हील कास्टिंग के लिए सिरेमिक पोरिंग ट्यूब

इलेक्ट्रिकल मशीन्स

- सुरक्षित क्षेत्र अनुप्रयोगों के लिए एसी मशीनें
  - » स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर – 150 किलोवाट से 22000 किलोवाट
  - » स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर – 150 किलोवाट से 10000 किलोवाट
  - » सिंक्रोनस जेनरेटर 1000 किलोवाट से 25000 किलोवाट
  - » सिंक्रोनस मोटर – 1000 किलोवाट से 15000 किलोवाट
  - » वेरिएबल स्पीड मोटर – 150 किलोवाट से 19000 किलोवाट (स्क्वेरल केज मोटर)
  - » वेरिएबल स्पीड सिंक्रोनस मोटर – 1000 किलोवाट से 12000 किलोवाट
- हजार्डस (खतरनाक) क्षेत्र अनुप्रयोगों के लिए एसी मोटर (फ़िक्स्ड स्पीड या वीएफ़डी के साथ))
  - » फ्लेम-प्रूफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर्स (एक्स 'डी') (150 किलोवाट से 2000 किलोवाट))
  - » नॉन-स्पार्किंग स्क्विरेल केज इंडक्शन मोटर्स (एक्स 'ईसी') (150 किलोवाट से 22000 किलोवाट)
  - » बढ़ी हुई सुरक्षा स्क्विरेल केज इंडक्शन मोटर्स (एक्स 'ईबी') (150 किलोवाट से 4000 किलोवाट)
  - » दबावयुक्त स्क्विरेल केज इंडक्शन मोटर (पूर्व 'पी') (150 किलोवाट से 22000 किलोवाट)
  - » दबावयुक्त तुल्यकालिक मशीनें (उदाहरण 'पी') (1000 किलोवाट से 8000 किलोवाट
- औद्योगिक अल्टरनेटर (स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन और डीजल इंजन चालित) (3000 केवीए से 31250 केवीए)
- परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए प्राथमिक शीतलक पंपों हेतु ऊर्ध्वाधर मोटर
- 2 पोल एयर कूल्ड स्टीम/गैस टरबाइन चालित जनरेटर (3 मेगावाट से 160 मेगावाट)
- 4 पोल एयर कूल्ड स्टीम/गैस टरबाइन चालित जनरेटर (3 मेगावाट से 40 मेगावाट)
- 2 ध्रुव हाइड्रोजन कूल्ड स्टीम/गैस टरबाइन चालित जनरेटर (36 मेगावाट से 270 मेगावाट)
- समुद्री अनुप्रयोगों के लिए 200 kW HTSC मोटर
- 5 मेगावाट तक के स्थायी चुंबक आधारित जनरेटर और मोटर
- स्थायी चुंबक आधारित अक्षीय फ्लक्स मोटर्स
- 270 मेगावाट तक के गैस टरबाइन जनरेटर

रेल परिवहन

परिवहन प्रणाली

- सेमी हाई स्पीड ट्रेनसेट (वंदे भारत)
- एसी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव (9000 एचपी तक, 25 केवी एसी)
- एसी-डीसी डुअल वोल्टेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव
- हाइब्रिड और वैकल्पिक ईंधन लोकोमोटिव
- एसी ईएमयू (इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स) कोच
- निम्नलिखित के लिए ट्रैक्शन प्रोपल्शन सिस्टम:
  - » 6000 एचपी और 9000 एचपी आईजीबीटी आधारित एसी लोकोमोटिव
  - » 3-फेज आईजीबीटी आधारित एसी इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (ईएमयू) और मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (एमईएमयू
  - » वातानुकूलित इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स (एसीईएमयू)
  - » पारंपरिक ईएमयू/एमईएमयू

- » सेमी हाई स्पीड ट्रेनसेट (वंदे भारत)
  - » 1600 एचपी आईजीबीटी आधारित डेमू (डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट)
  - » कोलकाता मेट्रो ट्रेन (डीसी-डीसी, डीसी-एसी)
  - » 600 एचपी मल्टी-जेनसेट लोकोमोटिव
- पुनर्योजी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ WAG7 लोकोमोटिव
- डीजल इलेक्ट्रिक टॉवर कार
- डीजल-इलेक्ट्रिक शंटिंग लोकोमोटिव (1400 एचपी तक)
- ओएचई रिकॉर्डिंग-सह-परीक्षण कार
- डानेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर्स
- रेल सह सड़क वाहन
- रेल अनुप्रयोग के लिए IIoT समाधान
- टीसीएमएस (ट्रेन नियंत्रण एवं निगरानी प्रणाली) पैनल

परिवहन उपकरण

- ट्रैक्शन कन्वर्टर और सहायक कनवर्टर
- वाहन नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक्स
- होटल लोड कनवर्टर
- ट्रैक्शन कन्वर्टर और होटल लोड कनवर्टर सहित कम्पोजिट कनवर्टर
- मुख्य लाइन लोको और वंदे भारत के लिए मोटर चालित बोगियां
- ट्रैक्शन ट्रांसफार्म
  - » पारंपरिक लोकोमोटिव के लिए 5400 केवीए तक
  - » 3 फेज ड्राइव लोकोमोटिव के लिए 9000 केवीए तक
  - » 1200 केवीए तक पारंपरिक एसी ईएमयू/एमईएमयू
  - » 3 फेज ईएमयू के लिए 1578 केवीए तक के
- लोकोमोटिव, ट्रेन सेट और ईएमयू एप्लिकेशन के लिए 1200 किलोवाट तक 3-फेज एसी ट्रैक्शन मोटर्स (एक्सल लटका हुआ / पूरी तरह से निलंबित प्रकार)
- लोकोमोटिव और ईएमयू के लिए डीसी ट्रैक्शन मोटर्स (630 किलोवाट तक)
- डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए ट्रैक्शन अल्टरनेटर (3860 किलोवाट तक)।
- 3300 एचपी के केप गेज अनुप्रयोग के लिए इलेक्ट्रिक्स
- गतिशील ब्रेकिंग प्रणाली के लिए 50 किलोवाट तक की डीसी ब्लोअर मोटर
- सहायक आवश्यकताओं के लिए 25 किलोवाट तक के मोटर जनरेटर सेट
- इडडी करंट क्लच
- लोकोमोटिव और ईएमयू के लिए ट्रैक्शन गियर और पिनियन
- विशिष्ट वैगन (28 एक्सल तक, 296 टन)
- रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण
- व्हील और एक्सल मशीनिंग

रक्षा और एयरोस्पेस

- सुपर रैपिड गन माउंट (एसआरजीएम) / उन्नत एसआरजीएम, जिसमें आजीवन उत्पाद समर्थन शामिल है
- जहाजों के लिए आईपीएमएस (एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म प्रबंधन प्रणाली)
- एयरोस्पेस अनुप्रयोग के लिए कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर्स, लिक्विड कूलिंग सिस्टम और पंप मॉड्यूल
- अंतरिक्ष ग्रेड लिथियम-आयन सेल, लिथियम-आयन बैटरी और सौर पैनल
- मोटर जनरेटर सेट और स्थायी चुंबक आधारित मोटर और जनरेटर
- टर्बाइन, टर्बो अल्टरनेटर, टर्बो अल्टरनेटर टर्बाइन, डीजल अल्टरनेटर, कंडेनसर, स्टीम जेनरेटर, हीट एक्सचेंजर्स और नौसेना अनुप्रयोगों के लिए वाल्व
- टैंकों के लिए थर्मोप्रेस्ड कंपोनेन्ट और टुरेंट कास्टिंग
- अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए टाइटेनियम डोम और प्रणोदक टैंक।
- नौसेना अनुप्रयोगों के लिए सिस्टम इंजीनियरिंग और विश्लेषण।

ऊर्जा संग्रहण प्रणाली और ई-मोबिलिटी

- इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए डीसी फास्ट चार्जर
- बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए पूर्ण ईपीसी समाधान

आयल फील्ड उपकरण

- ऑइल रिग - 9,000 मीटर तक की गहराई तक ड्रिलिंग के लिए एसी-वीएफडी और एसी-एससीआर प्रौद्योगिकी के साथ ऑन-शॉर ड्रिलिंग रिग, 6,100 मीटर तक की सर्विसिंग के लिए वर्क-ओवर रिग, 3,000 मीटर तक की ड्रिलिंग के लिए मोबाइल रिग, जिनमें सही ड्रॉ-वर्क्स और होइस्टिंग उपकरण के साथ-साथ:
  - » मास्ट और सबस्ट्रक्चर
  - » घूमने वाले उपकरण: ड्रॉ वर्क्स; रोटरी; स्विवल्स; ट्रैवलिंग ब्लॉक्स
  - » इंडिपेंडेंट रोटरी ड्राइव (आईआरडी) यूनिट
  - » डेड लाइन एंकर
  - » मड सिस्टम जिनमें पंप्स शामिल हैं
  - » ट्रिप्लेक्स मड पंप्स 5000 पीएसआई वर्किंग प्रेशर
  - » मड प्रोसेसिंग उपकरण: डीगैसर, डीसैंडर
  - » सकर रॉड पंप (बीम पंप स्ट्रक्चर और पंपिंग यूनिट गियर रीड्यूसर)
  - » ऑइल रिग की पुनर्नवीकरण और उन्नयन
  - » एसी एससीआर-डीसी ड्रॉवर्क्स के लिए विफलता-सुरक्षित ब्रेकिंग प्रणाली
  - » 1150 HP तक के 3-फेज ऑइल रिग मोटर (ड्रॉ वर्क्स, मड पंप, ड्रिलिंग के लिए)
  - » 1000 HP तक के ऑइल रिग मोटर (ड्रॉ वर्क्स, मड पंप, ड्रिलिंग के लिए)
  - » 1750 kVA तक के ऑइल रिग अल्टरनेटर (एसी पावर पैक के लिए)
  - » E760, E1400, E2000 और E3000 रिग के लिए एसी / डीसी पावर कंट्रोल रुम
  - » 1430 kVA तक के डीजी सेट्स के लिए एसी पावर पैक
    - › एसी नियंत्रण मॉड्यूल
    - › डीसी नियंत्रण मॉड्यूल
  - » ड्रिलर कंसोल तक, 3 मड पंप, आईआरडी और ड्रॉ वर्क नियंत्रण और मॉनिटरिंग, लोड रेटिंग (0-1800 ए, 0-1000 वी) के लिए
  - » मोबाइल लाइटिंग टॉवर, रिग लाइटिंग टॉवर
  - » एसी- वीएफडी नियंत्रण एसी रिग्स के लिए
  - » एसी एसीआर रिग्स में पावर फैक्टर में सुधार के लिए STATCOM
- 15,000 पीएसआई तक के वेल हेड्स और एक्समस ट्री, मड लाइन सस्पेंशन, चोक और किल मैनिफोल्ड, सीबीएम वेलहेड्स, मडवाल्व्स

फैब्रिकेटिड उपकरण और मैकेनिकल पैकेज

- क्रायोजेनिक संग्रहण टैंक, माउंडेड स्टोरेज सिस्टम और स्टोरेज स्फेयर्स
- प्रेशर वेसल्स, कॉलम्स, रिएक्टर्स/ सेपरेटर्स, हीट एक्सचेंजर्स
- फायर्ड हीटर्स
- पर्ज गैस रिकवरी यूनिट
- प्रेशर वैक्यूम स्विंग अब्सॉर्प्शन (पीवीएसए) ऑक्सीजन सिस्टम (एमओ2) चिकित्सा उद्देश्यों के लिए
- गियर बॉक्स
  - » गैस टरबाइन एप्लिकेशन के लिए एक्सेसरी और लोड गियर बॉक्स
  - » स्टीम टरबाइन एप्लिकेशन के लिए गियरबॉक्स
  - » बॉयलर फीड पंप ड्राइव टरबाइन (बीएफपी डीटी) एप्लिकेशन के लिए गियरबॉक्स
  - » एयर कूल्ड कंडेंसर (एसीसी) फैन एप्लिकेशन के लिए गियरबॉक्स
  - » सकर रॉड पंप (एसआरपी) एप्लिकेशन के लिए गियरबॉक्स
  - » इंडिपेंडेंट रोटरी ड्राइव (आईआरडी) के लिए गियरबॉक्स
  - » एसी ड्रॉ वर्क्स के लिए गियरबॉक्स
  - » कंप्रेसर ड्राइव एप्लिकेशन के लिए गियर बॉक्स

इंडस्ट्री 4.0

- प्लांट को व्यापक परिचालन और सलाहकार सहायता प्रदान करने के लिए रिमोट मॉनिटरिंग एंड डायग्नोस्टिक्स सिस्टम (आरएमडीएस)
- महत्वपूर्ण मुख्य टीजी सेट के लिए निरंतर स्वास्थ्य निगरानी के लिए KAMPAN 1.0 और विशेष रिमोट वाइब्रेशन डायग्नोस्टिक एंड कंडीशन मॉनिटरिंग सिस्टम (आरवीडीएस), जो 24x7 आधार पर संचालित होता है, कंपन की ऑनलाइन रिमोट मॉनिटरिंग और घूमने वाले उपकरणों के आवश्यक मापदंडों के माध्यम से हासिल किया जाता है।
- प्लांट ऑटोमेशन लाइव मॉनिटरिंग (पीएएलएम) प्रक्रिया मापदंडों की वास्तविक समय की दूरस्थ निगरानी के लिए एक एंड्रॉइड ऐप है, जिसमें उपयोगकर्ता के अनुकूल योजनाबद्ध और ग्राफिकल प्रतिनिधित्व शामिल हैं।
- स्वचालित उत्पादन नियंत्रण (एजीसी) लोड में परिवर्तन के जवाब में, विभिन्न बिजली संयंत्रों में कई जनरेटर के बिजली उत्पादन को समायोजित करने केलिए एक प्रणाली है।
- आईआईओटी का उपयोग करके मैन, सामग्री और मशीन को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम (एसपीएमएस)

शब्दावली एवं संक्षिप्त

एसीसी	एयर कूल्ड कंडेनसर
एडीए	वैमानिकी विकास एजेंसी
एआईएस	एयर इंसुलटेड स्विचगियर
एएमएनएस	आर्सेलर मित्तल और निप्पॉन स्टील
एपीजेनको	आंध्रप्रदेश पॉवर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एपीपीडीसीएल	आंध्रप्रदेश पॉवर डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
एआरएआई	ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया
एएसएससीपी	अनाकार सिलिकॉन सौर सेल संयंत्र
एयूएससी	एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल
बीएपी	बॉयलर औक्सीलरी प्लांट
बीएआरसी	भावा एटोमिक रिसर्च सेंटर
बीईएसएस	बैटरी एनर्जी स्टॉरिज सिस्टम
बीसीजीसीएल	भारत कोल गेसीफिकेशन एण्ड केमिकल्स लिमिटेड
बीजीजीटी एस	बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
बीएलएसी	बोर्ड स्तरीय लेखापरीक्षा समिति
बीएलडब्लू	बनारस लोकोमोटिव वर्क्स
बीओओएम	बिल्ड-ऑन -ऑपरेट-मैन्टैन
बीएलडब्लू	बनारस लोकोमोटिव वर्क्स
बीक्यूएमएम	बीएचईएल गुणवत्ता परिपक्वता मॉडल
बीटीजी	बॉयलर टरबाइन जेनरेटर
सीएएसआईडीसी	लड़ाकू विमान प्रणाली विकास एवं एकीकरण केंद्र
सीबीआई	केंद्रीय जांच ब्यूरो
सीडीएस एल	सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड
सीईएफसी	कॉमन इंजीनियरिंग सुविधा केंद्र
सीईआरटी	कंप्यूटर आपातकालीन रिस्पान्ड टीम
सीईटी	इलेक्ट्रिक परिवहन केंद्र
सीएफबीसी	सर्कुलेटींग फ्लूडाइज्ड बेड कंबुशन
सीएफएफपी	सेंट्रल फाउंड्री फ़ोर्ज प्लांट
सीएफपी	कम्पोनेन्ट फैब्रिकेशन प्लांट
सीएफएस	समेकित वित्तीय स्टेटमेन्ट
सीआईएल	कोल इंडिया लिमिटेड
सीआईआरओ	मुख्य निवेशक संबंधित अधिकारी
सीएलडब्लू	चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स
सीपीजीआरएएमएस	केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली
सीपीआईओ	केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
सीएसपीजीसीएल	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी
सीएसआर	कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी
सीटीआई	सिरेमिक प्रौद्योगिकी संस्थान
सीवीसी	केंद्रीय सतर्कता आयोग

सीवीओ	मुख्य सतर्कता अधिकारी
डीसी	डेजीगनटेड कंजूमर्स
डीईएसएल	डीजल इलेक्ट्रिक शंटिंग लोकोमोटिव
डीएमई	डाइ मिथाइल ईथर
डीपीई	डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज
डीएसओजी	डाउनस्ट्रीम ऑइल और गैस क्षेत्र
डीवीसी	दामोदर वेली कॉर्पोरेशन
ईएएफ	इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस
ईसीएल	एक्सपेक्टेड क्रेडिट लोसेस
ईसीएस	एनवायरमेंट कंट्रोल सिस्टम
ईडी	कार्यपालक निदेशक
ईडीएन	इलेक्ट्रॉनिक्स प्रभाग
ईडीआर	एंडपॉइंट डिटेक्शन और रेस्पॉन्स
ईई	ऊर्जा दक्षता
ईएफक्यूएम	गुणवत्ता प्रबंधन के लिए यूरोपीय फाउंडेशन
ईएचएस	इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक सिस्टम
ईएचवी	अतिरिक्त हाई वोल्टेज
ईएमआरपी	इलेक्ट्रिक मशीन रिपेयर प्लांट
ईएमएस	पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली
ईएमयू	इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट
एनकोन	उर्जा संरक्षण
ईपीसी	इंजीनियरिंग प्रापण निर्माण
ईपीआर	विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी
ईएसडी	इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम प्रभाग
ईएसईएस	एम्प्लोयी सेटिसफेक्शन एंड एंगेजमेंट सर्वे
ईएसजी	पर्यावरण, सामाजिक और शासन
ईटीपी	प्रवाह ट्रीटमेंट प्लांट
एफएएमई	इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को तेजी से अपनाना और विनिर्माण करना
एफएसआई	फ्रीक़एंसी सेवेरटी इंडेक्स
एफएसआईपी	फैब्रिकेशन, स्टैम्पिंग और इंसुलेटर प्लांट
जीआईएस	गैस इंसुलेटेड स्विचगियर
जीएसईसीएल	गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एचएएल	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
हीप	हेवी इलेक्ट्रिकल्स इक्यूपमेंट प्लांट
एचईपी	हेवी इलेक्ट्रिकल्स प्लांट
एचईआरपी	हेवी इक्यूपमेंट रिपेयर प्लांट
एचआईएल	लूप में हार्डवेयर
हीरा	खतरे की पहचान और जोखिम का मूल्यांकन
एचपीबीपी	हाई प्रेशर बॉइलर प्लांट

शब्दावली एवं संक्षिप्त

एचपीईपी	हेवी पावर इक्यूपमेंट प्लांट
एचपीवीपी	हेवी प्लेटस एंड वेसल्स प्लांट
एचआरएसजी	हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर
एचएसई	स्वास्थ्य सुरक्षा एवं पर्यावरण
एचवीएसी	हाई वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट
एचवीडीसी	हाई वोल्टेज डायरेक्ट करेन्ट
एचवीएफ	हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री
एचवीओएफ	उच्च वेग ऑक्सीजन ईंधन
आईबीसी	इनसॉल्वेनसी एण्ड बैंकरुपटसी कोड
आईसीए आई	भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
आईसीसी	इन्टर्नल कम्पलेन्ड कमेटी
आईसीक्यू सीसी	इंटरनेशनल कान्वेंशनल ऑन क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम
आईडीपी	इंडिविजुआल डवलपमेंट प्लान
आईईएम	स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर्स
आईआर	इंटरनेशनल एनर्जी रिसॉरसेस
आईएफसी	इन्टर्नल फाइनेंसियल कंट्रोल
आईजीबीटी	इंसुलटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर
आईआई सीए	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स
आईओसीएल	इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
आईपीएमएस	इन्टरग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम
आईपीआर	बौद्धिक संपदा अधिकार
आईपीएस	घुसपैठ रोकथाम प्रणाली
आईआर	भारतीय रेल
आईएसआईएन	अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या
आईएसएमएस	इनफॉर्मेशन सिकुरिटी मनेजमेंट सिस्टम
इसरो	इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाईजेशन
आईवीपी	इन्डस्ट्रीयल वाल्व प्लांट
जेएसए	जॉब सुरक्षा विश्लेषण
जेएसएल	जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड
कंपान	की टू वाईब्रेशन एनालेसिस एण्ड मॉनिटरिंग फॉर प्लांट
केएमपी	की मैनेजमेंट पर्सनल
केपीसीएल	कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एलसीए	हल्के लड़ाकू विमान
एलसीसी	लाइन- कमुटेड कनवर्टर्स
एलसीएस	लिक्विड कूलिङ्ग सिस्टम
एलआईएस	लिफ्ट सिंचाई योजना
एलओडीआर	दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं की सूची बनाना
एलटीआईएफ आर	लॉस्ट टाइम इनजूरी फ्रीक्यूनसी रेट
महाजेनको	महाराष्ट्र स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड

एमईएमयू	मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट
एमएफसी	मैन फ्रैक्शनेटर कॉलम
एमएचआई	भारी उद्योग मंत्रालय
एमओडी	रक्षा मंत्रालय
एमओपी	विद्युत मंत्रालय
एमएसई	सूक्ष्म और लघु उद्यम
एमएसईटीसीएल	महाराष्ट्र स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
एनएबीएल	परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड
एनएएल	नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज
नालको	नेशनल एलुमिनीयम कंपनी लिमिटेड
एनबीपीपी एल	एनटीपीसी बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
एनसीआईआई पी	राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र
एनडीसी	राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान
एनईएमएमपी	राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना
एनईपी	नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान
एनजीओ पीवी	नेक्स्ट-जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेससेल्स
एनपीए	नेटवर्क प्राइवेट एक्सिस
एनआरसी	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
एनआरपी	राष्ट्रीय रेल योजना
एनएसडीएल	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड
एनएसपी	राष्ट्रीय इस्पात नीति
ओए	परिचालन उपलब्धता
ओसीटी	ऑप्टिकल करंट ट्रांसफार्मर
ओईएम	मूल उपकरण निर्माता
ओएचएसएमएस	व्यवसाय स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली
पीएएलएम	प्लांट ऑटोमेशन और लाइव मॉनिटरिंग
पीएटी	प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार
पीसीआरआई	प्रदूषण नियंत्रण एवं अनुसंधान संस्थान
पीईएमएफसी	पीईएम फ्यूल सेल
पीएफबीजी	प्रेसराइज्ड फ्लूडाइज्ड बेड गैसीफिकेशन
पीएलएफ	प्लांट लोड फैक्टर
पीएलआई	प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेनटिव
पीएम इ -ड्राइव	पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव से वाहन के नवोन्मेषी उन्नयन में क्रांति
पीपीई	प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विप्मेंट
पीपीआईएल	पॉवरप्लांट परफ़ोर्मेंस इम्प्रुवमेंट प्राइवेट लिमिटेड
पीपीपीयू	पॉवर प्लांट पाइपिंग यूनिट

पीआरएडीएएन	प्रोफेशनल असिस्टेंस फॉर डवलपमेंट एक्शन
पीएसपीसीएल	पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पीडब्लूडी	पर्सन विद डिसाबिल्टीज
क्यूएचआई	क्वालिटी हेल्थ इंडेक्स
क्यूएमएस	क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम
आर &डी	अनुसंधान एवं विकास
आर &एम	नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण
आरसीए	रुट कॉज विश्लेषण
आरईसीपीडीसीएल	आरईसी पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
आरईएस	रिन्यूवेबल एनर्जी सोर्स
आरईएससीओ	रिन्यूवेबल एनर्जी सर्विस कंपनी
आरएलएनजी	रिगेसीफाइड लिकयुफ़ाइड नेचुरल गैस
आरएमडीएस	दूरस्थ निगरानी और निदान सेवाएँ
आरपीसीएल	रायचूर पावर कंपनी लिमिटेड
आरपीटी	संबंधित पार्टी लेनदेन
आरटीसी	राउन्ड द क्लाक
आरवीडीएस	रिमोट कंपन एवं निदान प्रणाली
आरवीयूएनएल	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
आरडब्लूएच	रैन वाटर हार्वेस्टिंग
सेल	स्टील ओथर्टी ऑफ इंडिया लिमिटेड
एसबीडी	सोलर बिजनेस डिवीजन
एससीसीएल	द सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड
एससीओपीई	सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन
एसडीजी	यूएन ससटेनेबल डवलपमेंट गोल
एसजी	स्टीम जेनरेटर
एसआईजी एचटी	हरित हाइड्रोजन संक्रमण के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप
एसआईएल	सॉफ्टवेयर इन द लूप
एसएलडीपी	उत्तराधिकार और नेतृत्व विकास योजना
एसएमई	लघु और मध्यम आकार के उद्यम
एसएमआर	लघु मॉड्यूलर रिएक्टर
एसओएआर	सुरक्षा ऑर्केस्ट्रेशन स्वचालन और प्रतिक्रिया
एसओसी	सुरक्षा संचालन केंद्र
एसपीपी	सिंगल पॉवर पैक
एसपीवी	स्पेशल परपज व्हीकल
एसआरजीएम	सुपर रैपिड गन माउंट
एसआरयू	सल्फर रिकवरी यूनिट
एसएसटीपी	सीमलेस स्टील ट्यूब प्लांट
एसटीजी	स्टीम टरबाइन जेनरेटर
एसटीपी	सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट
एसयूपीएफ	सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री
टीएलए	तकनीकी सहायता और लाइसेंस समझौता
टैंट्रांस्को	तमिलनाडु ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन
टीबीसीबी	टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली
टीसीए	प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते
टीसीएएस	ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली
टीजी	टरबाइन जेनरेटर
टीआईआई	ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया
टीएमआर	ट्रिपल मॉडुल रेएडुनडेन्सी
टोलिक	नगर राजभाषा कार्यान्वियन समितियाँ
टीपी	ट्रांसफॉर्मर प्लांट
टीआरईडीएस	व्यापार प्राप्य इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग प्रणाली
टीआरएसएल	टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड
टीएसडीएफ	ट्रीटमेंट स्टोरेज एण्ड डिस्पोजल फेसिलिटी
टीएसजेनको	तेलंगाना स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी
टीवीएनएल	तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड
यूबी	यूटिलिटी बॉयलर
यूईबीए	उपयोगकर्ता और इकाई व्यवहार विश्लेषण
यूएचवी	अल्ट्रा हाई वोल्टेज
वीएडब्लू	सतर्कता जागरुकता सप्ताह
वीजीएफ	व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण
वीपीआई	वोग्ट पावर इंटरनेशनल इंक.
वीपीएन	वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क
डब्लूएएफ	वेब एप्लीकेशन फ़ायरवॉल
डब्लूईएफ	विश्व आर्थिक मंच
डब्लूआरआई	वेल्डिंग अनुसंधान संस्थान
जेडटीएनए	जीरो ट्रस्ट नेटवर्क ऐक्सेस

शब्दावली (वित्तीय पारिभाषिक शब्द)

लेखांकन नीतियां: लेखांकन नीतियां विशिष्ट लेखांकन सिद्धांत एवं इनके अनुप्रयोग की विधियां है जिन्हें कंपनी द्वारा वित्तीय विवरण तैयार करने व प्रस्तुत करने हेतु अपनाया गया है।

अक्रूअल (उपचय): वित्तीय विवरण मरसेंटाइल प्रणाली पर तैयारी किया गया है। संव्यवहार व अन्य घटनाओ के प्रभावों को उनके होने पर मान्यता दी जाती है व लेखांकन अभिलेखों में इनकी गणना की जाती है एवं संबंधित समयावधि के वित्तीय विवरण में इनका उल्लेख किया जाता है।.

परिशोधन: एक अमूर्त परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर मूल्यह्रास योग्य राशि सुव्यवस्थित रुप से आंबंटित करना परिशोधन है।

तुलन पत्र: तुलन पत्र एक इकाई की विततीय स्थिति का विवरण है जो किसी समय विशेष पर परिसंपत्तियों, दायित्वों एवं स्वामी की इक्विटी को दर्शाता है।

बोनस शेयर: बोनस शेयर एक शेयरधारक के स्वामित्व वाले शेयरों के आधार पर, निर्बंध आरक्षित शेयरों में वर्तमान शेयरधारक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के प्रदत्त अतिरिक्त शेयर है।

बही मूल्य: वह राशि जो लेखा बही अथवा वित्तीय विवरण में किसी मद के लिए दर्शाई गई है।

शेयरों की पुन: खरीद: पुन:खरीद शेयरों की पुनर्क्रय के रुप में भी जाना जाता है जब एक कंपनी खुले बाजार मे अपने शेयरों की उपलब्धता कम करने हेतु उसके स्वयं के बकाया शेयर क्रय करती है।

नियोजित पूंजी: इकाई की निवल संपत्ति से पूंजी डब्ल्यूआईपी, विकास के तहत अमूर्त संपत्ति और आस्थगित कर संपत्ति को घटाकर गणना की जाती है।

आरक्षित पूंजी: किसी इकाई की आरक्षित पूंजी वह है जो लाभांश के रुप मे वितरित की जाने हेतु उपलब्ध हो।

कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व: कंपनी ने अपने सामान्य रिजर्व से इक्विटी शेयरों की वापसी पर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को मान्यता दी है। पूंजी मोचन आरक्षित राशि वापस खरीदे गए इक्विटी शेयरों की नाममात्र राशि के बराबर है।

नकदी व नकदी समतुल्य: नकद में नकद एवं मांग जमा राशियां सम्मिलित है। नकद समकक्ष अल्पकालिक, अत्यधिक तरल निवेश हैं जो सरलता से ज्ञात नकद राशि में परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के एक तुच्छ जोखिम के अधीन हैं।

अनुबंधित परिसंपत्तियां: अनुबंधित परिसंपत्तियां (आस्थगित देनदार व अगण्य राजस्व) उन राशियों का प्रतिनिधित्व करता है जो ग्राहक के साथ अनुबंध शर्तो/तय कार्यक्रम पर सहमति के अनुसार अभी भुगतान हेतु देय नहीं है। यह अनुबंध संबंधित गतिविधियों/तय शुदा चरणों के पूरा होने पर देय होगा।

अनुबंध देयता: इकाई का दायित्व एक ग्राहक के लिए वस्तुओं या सेवाओं को स्थानांतरित करना है जिसके लिए ग्राहक से इकाई को प्रतिफल (या राशि बकाया है) प्राप्त हो चुका है।

आकस्मिक देयताएं है:

(a) भूतपूर्व घटनाओं से उत्पन्न होने वाले संभावित दायित्व और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या न होने से होगी, जो इकाई के पूर्ण नियंत्रण में नहीं हैं; अथवा

(b) पूर्व घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान देयता जिसे मान्यता नहीं दी गई क्योंकि:

(i) यह संभाव्य नहीं है कि दायित्वों के निपटान हेतु आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाले स्त्रोतों का बहिर्वाह आवश्यक होगा; अथवा

(ii) देयताओं की राशि पर्याप्त विश्वसनीयता के साथ आंकलित कर पाना संभव नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस): समेकित वित्तीय विवरण किसी समूह के वित्तीय विवरण होते हैं जिनमें किसी मूल कंपनी व उसकी सहायक कंपनियों की परिसंपत्तियां, देयताएं, ईक्विटी, आय, व्यय एवं नकद प्रवाह को एक ही आर्थिक इकाई के रुप में प्रस्तुत किया जाता है।

क्रेडिट जोखिम: यह जोखिम किसी वित्तीयसाधन का एक पक्ष किसी दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहने पर दूसरे पक्ष के लिए वित्तीय हानि का कारण बनेगा।

वर्तमान अनुपात: वर्तमान अनुपात एक तरलता अनुपात है जो एक वर्ष के भीतर अल्पकालिक दायित्व या बकाया का भुगतान करने की क्षमता का आंकलन करता है। इसकी गणना वर्तमान परिसंपत्तियों को वर्तमान देनदारियों से विभाजित करके की जाती है।

वर्तमान परिसंपत्तियां: किसी परिसंपत्ति को वर्तमान परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जब:

a) संपत्ति को उसके सामान्य परिचालन चक्र में वास्विक माना जा सके, या विक्रय या उपभोग का प्रयोजन हो सके;

b) प्राथमिक तौर पर इसे व्यापारि उपयोग हेतु रखा हो;

c) सूचित समयकाल से 12 माह के भीतर इसे वास्तविक माने जाने की अपेक्षा की जाती है, अथवा;

d) परिसंपत्ति नकद या नकद समतुल्य है, जब तक कि परिसंपत्ति को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए विनिमय या देनदारी का निपटान करने के लिए उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है।

वर्तमान देयताएं: किसी देयता को वर्तमान देयता में वर्गीकृत किया जाएगा जब:

a) यह उम्मीद की जाती है कि वह अपने सामान्य परिचालन चक्र में देनदारी का निपटान कर लेगी;

b) यह मुख्य रुप से व्यापार के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है;

c) देनदारी का निपटान रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के भीतर किया जाना है; या

d) उसे रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देनदारी के निपटान को स्थगित करने का, बिना शर्त अधिकार नहीं है।

वर्तमान कर व्यय: वर्तमान कर किसी अवधि के लिए कर योग्य लाभ (हानि) के संदर्भ में देय (वसूली योग्य) आयकर की राशि है।

आस्थगित ऋण: आस्थगित कर्ज वे कर्ज हैं जो अनुबंध शर्तों के अनुसार चिह्नित उपलब्धियों जैसे ट्रायल ऑपरेशन,पीजी टेस्ट इत्यादि पर देय बन जाएँगे।

अस्थगित कर: आस्थगित कर की गणना उन दरों और कर कानूनों का उपयोग करके की जाती है जो बैलेंस शीट की तारीख तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किए गए हैं।

आस्थगित कर संपत्ति: आस्थगित कर संपत्ति कटौती योग्य अस्थायी अंतर, अप्रयुक्त कर घाटे को आगे बढ़ाने और अप्रयुक्त कर क्रेडिट को आगे बढ़ाने के संबंध में भविष्य की अवधि में वसूली योग्य आयकर की राशि है।

आस्थगित कर देनदारी: आस्थगित कर देनदारियां कर योग्य अस्थायी अंतर के संबंध में भविष्य की अवधि में देय आयकर की राशि हैं।

निर्धारित लाभ योजनाएं: परिभाषित लाभ योजनाएँ परिभाषित अंशदान योजनाओं के अतिरिक्त रोजगारोपरांत लाभ योजनाएं है। परिभाषित अंशदान योजनाएँ ऐसी रोजगारोपरांत लाभ योजनाएं हैं। परिभाषित योगदान योजनाएं रोजगार के बाद की लाभ योजनाएं हैं, जिसके तहत एक इकाई एक अलग इकाई (एक फंड) में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और इस पर आगे कोई योगदान देने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं, होगा यदि फंड वर्तमान और पूर्व की अवधि की कर्मचारी सेवा के लिए सभी कर्मचारी लाभों से संबंधित भुगतान करने के लिए पर्याप्त संपत्ति नहीं रखता है।

प्रति शेयर लाभांश: इसकी गणना वर्ष के लिए कुल लाभांश (लाभांश वितरण कर को हटा कर) को कुल बकाया ईक्विटी अंशों की संख्या से विभाजित कर जाती है।

मूल्यह्रास: मूल्यह्रास एक परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर मूल्यह्रास योग्य राशि के व्यवस्थित आबंटन है।

लाभांश वितरण कर: यह कंपनी द्वारा लाभांश के रूप में घोषित, वितरित या भुगतान की गई किसी भी राशि पर भुगतान किया जाने वाला एक अतिरिक्त आयकर है।

ईबीआईडीटीए: इसका अर्थ है ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन के पूर्व अर्जित आय। परिचालन ईबीआईडीटीए का निर्धारण अन्य आय को ईबीआईडीटीए से घटा कर किया जाता है।

प्रति शेयर आय (ईपीएस): यह प्रत्येक शेयर के लिए वर्ष के दौरान अर्जित लाभ का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी गणना कर के बाद लाभ को बकाया इक्विटी शेयरों की कुल संख्या से विभाजित करके की जाती है।

इक्विटी विधि: उद्यम में कंपनी के निवेश के आकार के अनुपात में संयुक्त उद्यम से उत्पन्न शुद्ध आय निर्धारित करने के लिए लेखांकन की इक्विटी विधि का उपयोग किया जाता है।

इक्विटी विधि लेखांकन की एक विधि है जिसके तहत निवेश को शुरु में लागत पर पहचाना जाता है और उसके बाद निवेशिती की शुद्ध संपत्ति में निवेशक के हिस्से में अधिग्रहण के बाद के बदलाव के लिए समायोजित किया जाता है।

अपेक्षित क्रेडिट हानि: अनुबंध के अनुसार एक इकाई के कारण होने वाले सभी संविदात्मक नकदी प्रवाह और इकाई को प्राप्त होने वाली सभी नकदी प्रवाह के बीच का अंतर, मूल प्रभावी ब्याज दर पर छूट दी गई है

उचित मूल्य: उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त की जाएगी या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा।

वित्तीय संपत्ति: कोई भी संपत्ति जो (ए) नकद है, (बी) किसी अन्य इकाई का इक्विटी उपकरण है, (सी) किसी अन्य इकाई से नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने या किसी अन्य इकाई के साथ वित्तीय संपत्ति या वित्तीय दायित्व का आदान-प्रदान करने का संविदात्मक अधिकार है (डी)) एक अनुबंध जो इकाई के स्वयं के इक्विटी उपकरणों में तय किया जाएगा या किया जा सकता है।

वित्तीय देनदारी: कोई भी देनदारी जो (ए) किसी अन्य इकाई को नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति देने या किसी अन्य इकाई के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों का आदान-प्रदान करने के लिए संविदात्मक दायित्व है या (बी) एक अनुबंध जो इकाई के स्वयं के इक्विटी उपकरणों में तय किया जाएगा या किया जा सकता है।

वित्तीय साधन: कोई भी अनुबंध जो एक इकाई की वित्तीय संपत्ति और किसी अन्य इकाई की वित्तीय देनदारी या इक्विटी साधन को जन्म देता है।

वित्तीय गतिविधियाँ: ऐसी गतिविधियाँ जिनके परिणामस्वरूप इकाई की योगदान की गई इक्विटी और उधार के आकार और संरचना में परिवर्तन होता है।

सामान्य रिज़र्व: सामान्य रिज़र्व किसी कंपनी की रखी हुई कमाई होती है जिसे भविष्य (ज्ञात या अज्ञात) दायित्वों को पूरा करने के लिए कंपनी के मुनाफे से अलग रखा जाता है।

कार्यशील संस्था: इसका अर्थ उस इकाई से है जिसका निकट भविष्य मे परिचालन बंद करने का कोई प्रयोजन न हो।

होल्डिंग कंपनी: एक या अधिक अन्य कंपनियों के संबंध में "होल्डिंग कंपनी" का मतलब ऐसी कंपनी से है जिसकी ऐसी कंपनियां सहायक कंपनियां हैं।

इंपेयरमेंट लॉस: इंपेयरमेंट लॉस वह राशि है जो किसी संपत्ति अथवा नकदी निर्माता इकाई से उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक है। किसी संपत्ति अथवा नकदी निर्माता इकाई की वसूली योग्य राशि निपटाने की लागत कम करके उचित मूल्य और इसकी उपयोगी मूल्य में से जो अधिक हो वह राशि है।

भारतीय लेखांकन मानक (संक्षेप में इंड ए एस): कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रयुक्त लेखांकन मानक हैं।

अमूर्त संपत्ति: अमूर्त संपत्ति अभिज्ञेय गैर-मौद्रिक अभौतिक संपत्ति है।

दिनों की संख्या में इंवेंट्री: यह इंवेन्ट्री को राजस्व से विभाजित कर इसके गुणा वर्ष में दिनों की संख्या से करके ज्ञात किया जाता है।

निवेश गतिविधियाँ: निवेश गतिविधियाँ दीर्घकालिक संपत्तियों तथा नकद समकक्षों में न आने वाले निवेशों का अधिग्रहण और निपटान है।

संपत्ति निवेश: निवेश संपत्तियां वे संपत्तियां (भूमि या भवन या भवन का भाग या दोनों) हैं जो किराये की आय अर्जित करने और/या पूंजी वृद्धि के लिए रखी जाती हैं।

संयुक्त उद्यम: संयुक्त उद्यम एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत व्यवस्था के संयुक्त नियंत्रण वाले संगठनों के पास व्यवस्था की निवल संपत्ति के अधिकार हैं।

लिक्विडिटी जोखिम: वह जोखिम है जो एक इकाई जब और जैसे अपेक्षित वित्तीय देयताओं से जुड़े दायित्वों के निवर्हन में अनुभव कर सकती है।

बाजार जोखिम: बाजार मूल्य में परिवर्तन के कारण किसी वित्तीय विलेख के उचित दाम और भावी नकद प्रवाह में होने वाले उतार-चढाव का जोखिम। बाजार जोखिम तीन प्रकार के होते है: मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम, और अन्य कीमत जोखिम।

शुद्ध लाभ/(हानि) मार्जिन (%): यह परिचालन से राजस्व के प्रतिशत के रूप में उत्पन्न लाभ का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी गणना कर पश्चात लाभ (पीएटी) को राजस्व परिचालन से विभाजित करके की जाती है।

शुद्ध वसूली योग्य मूल्य: शुद्ध वसूली योग्य मूल्य व्यापार के सामान्य दौर में अनुमानित विक्रय मूल्य को अनुमानित पूर्णता की लागत व विक्रय के लिए आवश्यक अनुमानित लागत से घटा कर ज्ञात किया जाता है।

निवल मूल्य: किसी इकाई की निवल परिसंपत्तियों के बही मूल्य का इसकी देयताओं से अधिकता निवल मूल्य है। यह शेयर धारकों की निधि भी कहा जाता है।

प्रति शेयर निवल मूल्य: प्रति शेयर निवल मूल्य की गणना कुल मूल्य को बकाया ईक्विटी अंशों की संख्या से विभाजित कर किया जाता है।

नॉन कन्ट्रोलिंग इन्टरेस्ट (NCI): किसी मूल कंपनी का एक सहायक कंपनी में इक्विटी स्वामित्व का वह शेयर है जो उस पर एट्रीब्यूट नहीं होता है, मूल कंपनी का नियंत्रण हित (50% से अधिक लेकिन 100% से कम) है और वह सहायक कंपनी के वित्तीय परिणामों को अपने साथ समेकित करता है।

गैर चालू संपत्तियां: गैर चालू संपत्ति एक ऐसी संपत्ति है जो बैलेंस शीट की तिथि के एक वर्ष के भीतर अप्रतिबंधित नकदी में परिवर्तित नहीं होने वाली है।

गैर चालू देयताएं: गैर चालू देयताएं वे दायित्व है जो एक वर्ष के भीतर निपटान हेतु देय नहीं है।

अन्य व्यापक आय (ओसीआई): अन्य व्यापक आय में वे आय और व्यय (पुर्नवगीकृत समायोजन को मिलाकर) सम्मिलित हैं जो अन्य इंड एएसएस के द्वारा लाभ या हानि के रूप में मान्य न करने हेतु आवश्यक हैं अथवा अनुमत की गई हैं।

परिचालन गतिविधियां: परिचालन गतिविधियां किसी इकाई की प्रमुख राजस्व उत्पादक गतिविधियां एवं अन्य गतिविधियां हैं जो निवेश अथवा वित्तपोषण गतिविधियां नहीं हैं।

परिचालन लाभ मार्जिन (%): लाभप्रदता प्रदर्शन अनुपात का उपयोग कंपनी द्वारा अपने परिचालन से उत्पन्न लाभ के प्रतिशत की गणना करने के लिए किया जाता है। इसकी गणना परिचालन से प्राप्त राजस्व में अन्य आय को छोड़कर कर पूर्व आय (पीबीटी) को विभाजित करके की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई): संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) वे मूर्त मदें हैं जो:

(a) वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति में उपयोग के लिए, दूसरों को किराये पर देने के लिए, या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए रखे गए हैं; और

(b) एक से अधिक अवधि के दौरान उपयोग किए जाने की उम्मीद है।

परिचालनों से राजस्व: किसी इकाई की सामान्य गतिविधियों के दौरान उत्पन्न होने वाली अवधि के दौरान आर्थिक लाभ का सकल प्रवाह, जब उन प्रवाह के परिणामस्वरुप इक्विटी में वृद्धि होती है, इक्विटी प्रतिभागियों के योगदान से संबंधित वृद्धि के अलावा।

नेटवर्थ पर रिटर्न (%): नेटवर्थ पर रिटर्न किसी कंपनी की लाभप्रदता का माप है, जिसकी गणना शुद्ध लाभ को औसत नेटवर्थ (ओसीआई और पूंजी भंडार को छोड़कर) से विभाजित करके की जाती है।

परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार: वह परिसंपत्ति जो पट्टा अवधि के लिए निर्धारित किसी संपत्ति के उपयोग हेतु, किसी पट्टेदार के अधिकार को दर्शाती है।

व्यापार प्राप्य: प्राप्य राशियां किसी इकाई का प्रतिफल हेतु बिना शर्त का अधिकार है। प्रतिफल का अधिकार बिना शर्त के उस देय प्रतिफल के पूर्व समय की आवश्यकता है।

सजगता कथन (कॉशनरी स्टेटमैंट)

वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए कंपनी के उद्देश्य, अपेक्षा या अनुमानों का वर्णन करने वाले विवरण, लागू कानूनों और विनियमों के अर्थ की सीमा में हैं। वास्तविक परिणाम आर्थिक विकास, सरकारी नीतियों और अन्य आकस्मिक कारकों के आधार पर व्यक्त किए गए या निहित परिणामों से भिन्न हो सकते हैं।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

(CIN: L74899DL1964GOI004281)
पंजीकृत कार्यालय : बीएचईएल हाउस, सीरीफ़ोर्ट नई दिल्ली - 110049
Phone: 011-66337598
वेव साइट : www.bhel.com, मेल : shareholderquery@bhel.in

सूचना

सूचित किया जाता है कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के सदस्यों की 61वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 19 अगस्त, 2025 को सुबह 10 बजे भारतीय समयानुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (वीसी) के माध्यम से निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी:-

सामान्य कार्य

1. 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों की बोर्ड की रिपोर्ट और उस पर आडिटर की रिपोर्ट के साथ प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अपनाना।

2 वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लाभांश को मंजूरी देना और घोषित करना।

3 श्री तेजेन्द्र गुप्ता (DIN-10327530 के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना जो रोटेशन से सेवा निवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं।

4 सुश्री बानी वर्मा (डीआईएन: 10337787) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रही हैं और पात्र होने के कारण, पुनः नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करती हैं।

5 वर्ष 2025-26 के लिए लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करना।

विशेष कार्य

6. निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधन सहित या बिना संशोधन के **साधारण प्रस्ताव** के रूप में पारित करना

   “संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और अन्य लागू प्रावधानों के साथ कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित, वर्तमान में लागू) के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत अभिलेखों की लेखा परीक्षा करने के लिए नियुक्त लागत लेखा परीक्षकों (₹15.76 लाख) का पारिश्रमिक, जैसा कि इस बैठक को बुलाने की सूचना के साथ संलग्न विवरण में निर्धारित है, कंपनी के शेयरधारकों द्वारा एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।”

   "इसके अतिरिक्त यह भी संकल्प लिया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल को ऐसे सभी कार्यक्रम और चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिन्हें इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक, उचित या समीचीन समझा जाए।"

7. निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधन सहित या बिना संशोधन के **साधारण प्रस्ताव** के रूप में पारित करना:

   “संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के साथ कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियम 24ए तथा अन्य लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुसरण में, मेसर्स अखिल रोहतगी एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज (आईसीएसआई पंजीकरण कोड P1995DE072900) की कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि अर्थात वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30 तक के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नियमों और शर्तों (वित्त वर्ष 2026-27 तक पहले से अनुबंधित शेष कार्यकाल, वित्त वर्ष 2029-30 तक विस्तारित) पर स्वीकृत की जाती है।”

   "इसके अतिरिक्त यह भी संकल्प लिया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल को ऐसे सभी कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिन्हें इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक, उचित या समीचीन समझा जाए।"

8. निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधन सहित या बिना संशोधन के **विशेष प्रस्ताव** के रूप में पारित करना:

   “संकल्प लिया गया कि श्री अशोक कुमार असेरी (डीआईएन: 09405164), जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 और 161 (1) के साथ कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 67 (iv) के अनुसार 29.03.2025 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारण करने के लिए और जिनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 (1) के प्रावधानों के अनुसार निदेशक से स्वयं लिखित में एक नोटिस प्राप्त हुआ है, को लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप कंपनी के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।”

9. निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधन सहित या बिना संशोधन के **विशेष प्रस्ताव** के रूप में पारित करना:

   "संकल्प लिया गया कि श्री आशीष चतुर्वेदी (डीआईएन: 00534621), जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 और 161 (1) के साथ कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 67 (iv) के अनुसार अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, 29.03.2025 से इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारण करने के लिए और जिनके संबंध में, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 (1) के प्रावधानों के अनुसार निदेशक से स्वयं लिखित में एक नोटिस प्राप्त किया है, को लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप कंपनी के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

10. निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधन सहित या बिना संशोधन के **साधारण प्रस्ताव** के रूप में पारित करना

    "संकल्प लिया गया कि श्री सेरुगुलाथुर महादेवन रामनाथन (डीआईएन: 11084884), जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 (1) के साथ पठित कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 67 (iv) के अनुसार अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, 30.04.2025 से इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारण करने के लिए और जिनके संबंध में, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 (1) के प्रावधानों के अनुसार निदेशक से स्वयं लिखित में एक नोटिस प्राप्त किया है, को लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, और वे रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं।"

निदेशक मण्डल के आदेश से

(डॉ. योगेश आर छाबड़ा)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: जुलाई 25, 2025

टिप्पणियां: -

1. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के दिनांक 08.04.2020, 13.04.2020 और 05.05.2020 के परिपत्रों के साथ पठित दिनांक 19.09.2024 के परिपत्र (सामूहिक रुप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) में सदस्यों की किसी एक स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य ऑडियो-विज़ुअल (वीसी) से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का आयोजन करने की अनुमति दी है। एमसीए परिपत्रों, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (सेबी सूचीबद्धता विनियम) के अनुसार, कंपनी की एजीएम वीसी के माध्यम से आयोजित की जा रही है। एजीएम के लिए मान्य स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।

2. उपरोक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी लिस्टिंग विनियमों के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के साथ एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन्हीं सदस्यों को भेजी जा रही है जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिट्रिज के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य ध्यान दें कि सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 कंपनी **(www.bhel.com)**, बीएसई लिमिटेड **(www.bseindia.com)**, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड **(www.nseindia.com)** की वेबसाइटों और ई-वोटिंग एजेंसी, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजटरी लिमिटेड (NSDL) की वेबसाईट **www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध होगी। वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम नोटिस की हार्ड कॉपी उन सदस्यों को भेजी जाएगी, जिन्होंने इसके लिए अनुरोध किया है।

3. कंपनी से इलेक्ट्रॉनिक रूप से सभी संचार (नोटिस, वार्षिक रिपोर्ट और ई-वोटिंग निर्देश के साथ यूज़र आईडी और पासवर्ड) प्राप्त करने के लिए कृपया नोटिस के साथ संलग्न निर्देशों को देखें।

4. कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने और मतदान करने का पात्र सदस्य, अपनी ओर से उपस्थित होने और उसके स्थान पर मतदान करने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने का पात्र होता है इस प्रतिनिधि को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि यह वार्षिक आम सभा एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में वीसी के माध्यम से आयोजित की जा रही है, सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, वार्षिक आम सभा के लिए सदस्यों को प्रतिनिधि की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए प्रतिनिधि फॉर्म और उपस्थिति सूची इस सूचना के साथ संलग्न नहीं हैं।

5. चूंकि यह वार्षिक आम सभा वीसी के माध्यम से आयोजित की जाएगी, इसलिए बैठक स्थल का मानचित्र इसके साथ संलग्न नहीं हैं।

6. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अनुसार वीसी के माध्यम से सदस्यों की प्रतिभागिता वार्षिक आम सभा की गणपूर्ति (कोरम) के प्रयोजन हेतु मान्य की जाएगी।

7. कॉर्पोरेट / संस्थागत सदस्यों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अतिरिक्त) को अधिकृत प्रतिनिधिओं के विधिवत सत्यापित नमूना हस्ताक्षरों सहित बोर्ड के रिज़ॉल्यूशन/अथॉरिटी लेटर आदि की स्कैन की हुई प्रमाणित मूल प्रति (पीडीएफ फाइल) स्क्रूटनाइज़र को sachincs2022@gmail.com पर भेजना और evoting@nsdl.co.in को कॉपी करना आवश्यक है।

8. संस्थागत निवेशकों की श्रेणी के कंपनी के सदस्यों को वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

9. उपरोक्त वर्णित विशेष कार्यों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुपालन में प्रासंगिक व्याख्यात्मक विवरण, भी इसके साथ अनुलग्नित है।

10. निदेशक श्री तजिंदर गुप्ता और सुश्री बानी वर्मा, चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण, पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। हालाँकि,उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार, श्री गुप्ता और सुश्री वर्मा का कार्यकाल उनकी सेवानिवृत्ति पर, अर्थात् क्रमशः 28.02.2027 और 31.12.2027 को समाप्त होगा। श्री तजिंदर गुप्ता और सुश्री बानी वर्मा का संक्षिप्त विवरण सूचना के अनुलग्नक में दिया गया है।

11. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के साथ पठित धारा 124 के अनुसार, 7 वर्षों की अवधि के लिए अप्रदत्त/अदावाकृत लाभांश राशि को केंद्र सरकार द्वारा गठित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अंतिम लाभांश और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिएअंतरिम लाभांश, जो अदावाकृत है, को क्रमशः 18 अक्टूबर, 2025 और 10 मार्च, 2026 को उक्त खाते में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। जिन सदस्यों ने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष या उसके बाद के किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए अभी तक अपने लाभांश का दावा/नकदीकरण नहीं किया है, वे निर्धारित 7 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले भुगतान प्राप्त करने के लिए कंपनी/रजिस्ट्रार एवं स्थानांतरण एजेंट से संपर्क कर सकते हैं।

12. कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी पर 25% (2 रुपये के प्रत्येक शेयर पर 0.50 रुपये) का अंतिम लाभांश देने की सिफारिश की है। यह अंतिम लाभांश, यदि वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो लाभांश की घोषणा की तिथि से 30 दिनों के भीतर, अर्थात सितंबर 17, 2025 को या उससे पहले, उन सदस्यों को देय होगा जिनके नाम रिकॉर्ड तिथि अर्थात शुक्रवार, अगस्त 01, 2025 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज हैं।

    शेयरधारकों के हाथों में लाभांश आय कर योग्य होती है और कंपनी को आयकर अधिनियम, 1961 (आईटी अधिनियम) में निर्धारित दरों पर सदस्यों को दिए गए लाभांश से स्रोत पर कर (टीडीएस) काटना आवश्यक है। भविष्य में कंपनी द्वारा घोषित लाभांश के संबंध में टीडीएस आवश्यकताओं के अनुपालन को सक्षम बनाने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आधार पर फॉर्म 15जी/15एच जमा करें और आयकर अधिनियम के अनुसार अपनी आवासीय स्थिति, पैन और श्रेणी के बारे में विवरण अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास या भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के पास अद्यतन करें, ताकि भविष्य में कंपनी द्वारा किए गए लाभांश भुगतान के संबंध में लागू दरों के अनुसार स्रोत पर कर, यदि कोई हो, काटा जा सके।

13. सेबी लिस्टिंग विनियमों के अनुपालन में, सभी सूचीबद्ध कंपनियां लाभांश भुगतान के लिए आरबीआई द्वारा अनुमोदित भुगतान सुविधा जैसे कि ईसीएस / एनईसीएस / डायरेक्ट क्रेडिट आदि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड का उपयोग करेंगी। सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपना नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस/इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (एनईसीएस) अधिकार पत्र हेतु विधिवत भरा हुआ व हस्ताक्षरित फार्म (वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र दिया गया) जमाकरें ताकि कंपनी द्वारा ईसीएस के माध्यम से धनराशि खातों में जामा की सा सके।

14. सदस्यों से अनुरोध है कि वे पता और एनईसीएस/ईसीएस विवरण सहित अन्य संबंधित पत्राचार में किसी भी परिवर्तन को तत्काल सूचित करें और स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रस्तुत करें:-

i. अपने इलेक्ट्रिनिक शेयर खातों के संबंध में अपने डिपोसिट्री भागीदार (डीपी) को, और

ii. कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय में या रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड (4E/2, अलंकित हाउस, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली -110055) को उनके भौतिक शेयरों के संबंध में, https://www.bhel.com/shareholders-information पर उपलब्ध प्रपत्रों का प्रारुप में भर कर भेजें ।

15. सदस्य कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 72 के अनुरुप ऐसे किसी व्यक्ति को मनोनीत करते हुए नामांकन की सुविधा का लाभ ले सकते हैं जिन्हें, उनकी मृत्यु की दशा में, कंपनी में उनके शेयर विहित होंगे।

16. कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 142 (1) के साथ पठित धारा 139 (5) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किसी सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षक नियुक्त किए जाते है और उनका पारिश्रमिक वार्षिक आम बैठक में कंपनी द्वारा नियत किया जाता है। शेयरधारक मण्डल को 2025-26 के लेखापरीक्षकों का उपर्युक्त पारिश्रमिक जो मण्डल द्वारा उचित समझा जाए, नियत करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत कर सकते है।

17. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों एवं इनकी शेयरधारिता का रजिस्टर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत अनुबंधों या व्यवस्थाओं का रजिस्टर, जिसमें निदेशकों की रुचि है, बनाए रखा जाता है और संबन्धित दस्तावेजों का रखरखाव किया जाता है। यह एजीएम के दौरान सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रुप से उपलब्ध होगा।

18. नोटिस में उल्लिखित सभी दस्तावेज इस नोटिस के जारी होने की दिनांक से वार्षिक आम सभा की दिनांक तक सदस्यों द्वारा नि:शुल्क निरीक्षण हेतु इलेक्ट्रॉनिक रुप में उपलब्ध होंगे। इन दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य shareholderquery@bhel.in पर ईमेल भेज सकते हैं।

19. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 44 के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। प्रस्तावों को एनएसडीएल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (रिमोट ई-वोटिंग) द्वारा एजीएम में पारित करने का प्रस्ताव है। वे सदस्य जिनके नाम मंगलवार, अगस्त 12, 2025 (कट-ऑफ तिथि) को सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी मालिकों की सूची में दिखाई देते हैं, वे ई-वोटिंग/एजीएम के प्रयोजन के लिए मतदान करने के पात्र होंगे और एक व्यक्ति जो सदस्य नहीं है कट-ऑफ तिथि के अनुसार इस नोटिस को केवल सूचना प्रयोजनों के लिए माना जाना चाहिए। ई-वोटिंग की अवधि शनिवार, अगस्त 16, 2025 को सुबह 9.00 बजे से शुरु होगी और सोमवार, अगस्त 18, 2025 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी । ई-वोटिंग मॉड्यूल सोमवार, अगस्त 18, 2025 को शाम 5.00 बजे ब्लॉक कर दिया जाएगा। एक बार शेयरधारक द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, शेयरधारक को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शेयरधारकों का मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि यानी अगस्त 12, 2025 को कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा

20. ऐसे सदस्य जिन्होंने अपना मत ई-रिमोट से एजीएम के पहले किया हो और वे बैठक में उपस्थित रहे हैं तो उनको पुन: मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

21. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान (तात्क्षणिक मतदान) करने की सुविधा वार्षिक आम सभा में भी उपलब्ध कराई जाएगी एवं वार्षिक आम सभा में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे तात्क्षणिक मतदान के माध्यम से बैठक में मतदान कर सकेंगे।

22. कंपनी ने मेसर्स अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज के श्री सचिन अग्रवाल, कंपनी सचिव (एफसीएस संख्या 5774, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस संख्या 5910) को एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए स्क्रूटिनाइज़र के रुप में नियुक्त किया है।

संवीक्षक, वार्षिक आम बैठक में मतदान की समाप्ति के तुरंत बाद, बैठक में डाले गए मतों और दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए मतों की संवीक्षा करेगा, पक्ष में या विपक्ष में डाले गए कुल मतों, यदि कोई हों, की एक समेकित संवीक्षक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा। बैठक के समापन के दो कार्यदिवसों के भीतर परिणाम और संवीक्षक की रिपोर्ट घोषित की जाएगी और अध्यक्ष/उनके द्वारा लिखित रुप से अधिकृत व्यक्ति द्वारा परिणाम घोषित किए जाने के तुरंत बाद कंपनी की वेबसाइट (wwwbhel.com) और ई-वोटिंग एजेंसी की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर उपलब्ध होगी। परिणाम तुरंत स्टॉक एक्सचेंजों को भी भेजे जाएँगे।

23. वीसी के माध्यम से वार्षिक आम सभा में शामिल होने, रिमोट ई-वोटिंग एवं बैठक में (तात्क्षणिक) मतदान की प्रक्रिया के साथ इससे संबन्धित शिकायतों की सुनवाई के लिए संपर्क विवरण सूचना के साथ संलग्न निर्देशों में उपलब्ध कराए गए हैं।

निदेशक मण्डल के आदेश से

(डॉ. योगेश आर छाबड़ा)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: जुलाई 25, 2025

सूचना का अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुपालन में व्याख्यात्मक विवरण

निम्नलिखित व्याख्यात्मक विवरण में संलग्न सूचना के मद संख्या 6 से 10 में उल्लिखित कार्यों से संबंधित तथ्यों का उल्लेख है।

मद सं. 6

कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अनुसार निदेशक मण्डल के अनुमोदन के अनुसार लेखापरीक्षकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक की पुष्टि उसके बाद शेयरधारकों द्वारा किया जाना आवश्यक है।

बोर्ड स्तरीय लेखा परीक्षा समिति की अनुशंसा के आधार पर निदेशक मंडल ने 16 मई, 2025 को आयोजित बैठक में ₹ 15.76 लाख के कुल पारिश्रमिक पर नियुक्ति के लिए सात लागत लेखापरीक्षकों / फर्मों के नामों को निम्नानुसार अनुमोदित किया है:

₹ लाख में

क्र. सं.	लागत लेखा परीक्षक का नाम	इकाई	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पारिश्रमिक
1	मेसर्स विजेंदर शर्मा एण्ड कंपनी, दिल्ली	समेकित लेखा परीक्षा रिपोर्ट	1.01
		हीप हरिद्वार	2.00
		सीएफ़एफ़पी हरिद्वार	0.40
2	मेसर्स आर. एम. बंसल एण्ड कंपनी, कानपुर	एचईपी भोपाल	2.00
		टी पी झांसी	0.81
		एचईआरपी वाराणसी	0.40
3	मेसर्स नरसिम्हा मूर्ति एण्ड कंपनी, हैदराबाद	एचपीईपी हैदराबाद	2.00
4	मेसर्स सुब्रमण्यम राजगोपाल एण्ड एसोसिएट्स, तिरुचिरापल्ली	एचपीबीपी त्रिची	2.67
		बीएपी रानीपेट	1.33
5	मेसर्स मूर्ति एंड कंपनी एलएलपी, बेंगलुरु	एसबीडी बेंगलुरु	0.53
		ईडीएन बेंगलुरु	0.67
6	मेसर्स पालीवाल एण्ड एसोसिएट्स, लखनऊ	एसबीडी बेंगलुरु	0.40
		ईडीएन बेंगलुरु	0.61
		एसबीडी बेंगलुरु	0.40
7	मेसर्स एसएसपीजीआर एण्ड एसोसिएट्स, एलएलपी, विशाखापत्तनम	एचपीवीपी विशाखापत्तनम	0.53
	कुल		**15.76**

उपरोक्त शुल्क लागू करों और अन्य व्यय से अलग है जो अतिरिक्त देय हैं।

तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वे 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लागत लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक की पुष्टि करें।

कंपनी का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी या उनके रिश्तेदार किसी प्रकार से मद क्रमांक 6 में पारित संकल्प से वित्तीय रुप से या अन्यथा प्रकार से सम्बद्ध या हितबद्ध नहीं है।

निदेशक मंडल शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए संकल्प की अनुशंसा करता है।

मद सं. 7

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अनुसार, कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के संशोधित विनियम 24ए के साथ-साथ अन्य लागू वैधानिक प्रावधानों और इस संबंध में सेबी द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार, 01.04.2025 से प्रभावी, कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक को निदेशक मंडल की सिफारिश के आधार पर कंपनी द्वारा अपनी वार्षिक आम बैठक में नियुक्त किया जाना आवश्यक है।

मेसर्स अखिल रोहतगी एंड कंपनी, कार्यरत कंपनी सचिव, बीएचईएल के मौजूदा सचिवीय लेखा परीक्षक हैं, जिनका अनुबंधित कार्यकाल वित्त वर्ष 2026-27 तक वैध है। चूँकि सेबी के FAQ के अनुसार सचिवीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति कम से कम 5 वर्ष (01.04.25 से शुरु होकर, अर्थात वित्त वर्ष 2025-26) के लिए अनिवार्य है, इसलिए निदेशक मंडल ने मौजूदा नियमों और शर्तों पर वित्त वर्ष 2029-30 तक उनकी नियुक्ति जारी रखने की सिफारिश की है, जिसमें कार्यकाल के लिए 1,22,000 रुपये की फीस और कर शामिल हैं।

मेसर्स अखिल रोहतगी एंड कंपनी ने (क) पुष्टि की है कि वे सचिवीय लेखा परीक्षक के रुप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं और उनके पास इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित अनुभव है, (ख) उन्होंने उक्त अवधि के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए अपनी सहमति प्रस्तुत की है और (ग) आईसीएसआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार उनकी समीक्षा की गई है।

तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वे मेसर्स अखिल रोहतगी एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी की नियुक्ति को 5 वर्ष की अवधि अर्थात वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक के लिए अनुमोदित करें।

कंपनी का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, मद संख्या 7 में निर्धारित संकल्प से संबंधित नहीं हैं।

निदेशक मंडल शेयरधारकों के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव की अनुशंसा करता है।

मद सं. 8

श्री अशोक कुमार असेरी (डीआईएन: 09405164), आयु 54 वर्ष, को 29 मार्च, 2025 से बीएचईएल के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रुप में शामिल किया गया।

उन्होंने जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है तथा पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय से मानव संसाधन में एम.बी.ए. की डिग्री प्राप्त की है।

श्री असेरी प्रबंधन और प्रशासन में विशेषज्ञ हैं। उन्होंने कम उम्र में ही कंसल्टेंसी के क्षेत्र में अपना करियर शुरु किया, विभिन्न स्तरों पर विभिन्न ज़िम्मेदारियाँ संभालीं और

विभिन्न क्षेत्रों में बहुमूल्य अनुभव प्राप्त किया। अपने पूरे करियर के दौरान, उन्होंने अपने असाधारण नेतृत्व कौशल, रणनीतिक सोच और मज़बूत निर्णय लेने की क्षमता के लिए एक प्रतिष्ठा अर्जित की है। लोक सेवा में 27 वर्षों से अधिक के व्यापक अनुभव के साथ, उन्होंने पात्र व्यक्तियों, विशेष रूप से वंचित समुदायों, के समर्थन और उत्थान के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

लोक प्रशासन में श्री असेरी के विविध अनुभव ने उन्हें शासन, नीति-निर्माण और सामाजिक-आर्थिक विकास की गहरी समझ प्रदान की है। प्रभावी प्रबंधन पद्धतियों और जन कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, समावेशी विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित उनकी सफल पहलों के ट्रैक रिकॉर्ड में परिलक्षित होती है। वे जटिल नियामक ढाँचों को समझने और लाभार्थियों तक सेवाओं की सर्वोत्तम पहुँच सुनिश्चित करने में अत्यधिक कुशल हैं।

अपनी पेशेवर विशेषज्ञता के अलावा, श्री असेरी सामाजिक सेवा के एक उत्साही समर्थक हैं और विभिन्न समुदाय-आधारित गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। वह समाज के हाशिए पर पड़े और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए अपना पर्याप्त समय और प्रयास समर्पित करते हैं। सामाजिक कल्याण में उनकी गहरी रुचि ने उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास और आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित परियोजनाओं पर काम करने के लिए प्रेरित किया है, जिससे लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास में, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में, महत्वपूर्ण योगदान मिला है।

श्री आसेरी की नियुक्ति 27.03.2026 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, रहेगी। एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में, वे बोर्ड की बैठकों और बोर्ड स्तरीय समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क के हकदार हैं।

श्री असेरी के पास बीएचईएल में कोई शेयर नहीं है और उनका कंपनी के अन्य निदेशकों/प्रबंधकों/प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के साथ कोई संबंध नहीं है।

वित्त वर्ष 2024-25 में श्री असेरी के कार्यकाल के दौरान कोई बोर्ड बैठक आयोजित नहीं की गई

कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के अनुच्छेद 67(iv) के साथ पठित लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप, श्री असेरी आगामी वार्षिक आम बैठक की तिथि तक पद पर बने रहेंगे और नियुक्ति के लिए पात्र हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 की अपेक्षा के अनुसार, कंपनी को लिखित रूप में एक नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसमें कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के पद के लिए श्री असेरी की उम्मीदवारी का प्रस्ताव है।

कंपनी को श्री अशोक कुमार असेरी से एक घोषणा प्राप्त हुई है कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और सेबी लिस्टिंग विनियमन के विनियम 16 के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

उनकी विशाल विशेषज्ञता और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए, यह कंपनी के हित में होगा कि श्री असेरी को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए और उनके पास इस भूमिका के लिए आवश्यक कौशल और क्षमताएं हैं।

श्री असेरी कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं। श्री अशोक कुमार असेरी को छोड़कर, जो एक नियुक्त व्यक्ति हैं, कंपनी का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, मद संख्या 8 में दिए गए संकल्प से संबंधित नहीं हैं।

निदेशक मंडल शेयरधारकों के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव की अनुशंसा करता है।

मद सं. 9

श्री आशीष चतुर्वेदी (डीआईएन: 00534621), आयु 47 वर्ष, को 29 मार्च, 2025 से बीएचईएल के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में शामिल किया गया।

उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली (2000 बैच) से वस्त्र प्रौद्योगिकी में बी.टेक. किया है।

श्री चतुर्वेदी की विशेषज्ञता का क्षेत्र प्रबंधन और प्रशासन है। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर के रूप में अपना करियर शुरू कर दिया था। उन्होंने मुंबई और यूके में डेढ़ साल तक कॉर्पोरेट जगत में काम किया। उन्होंने अजमेर में शिक्षा के क्षेत्र में भी 16 वर्षों तक काम किया, उनके हज़ारों छात्र आईआईटी, एनआईटी, एम्स और भारत के अन्य प्रतिष्ठित कॉलेजों से स्नातक हुए। वर्तमान में, वे कपड़ा, औद्योगिक अचल संपत्ति और कृषि जैसे विविध व्यवसायों में कार्यरत हैं।

वर्तमान में वे एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में स्तंभकार भी हैं। श्री आशीष चतुर्वेदी, जयश्री बिल्डमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, ट्रायम्फ ट्यूटोरियल्स प्राइवेट लिमिटेड और डायनेमिक स्विचगियर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल में निदेशक हैं।

श्री आशीष चतुर्वेदी की नियुक्ति 27.03.2026 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, रहेगी। एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में, वे बोर्ड की बैठकों और बोर्ड स्तरीय समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क के हकदार हैं।

श्री आशीष चतुर्वेदी के पास बीएचईएल में कोई शेयर नहीं है और उनका कंपनी के अन्य निदेशकों/प्रबंधकों/प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के साथ कोई संबंध नहीं है।

वित्त वर्ष 2024-25 में श्री आशीष चतुर्वेदी के कार्यकाल के दौरान कोई बोर्ड बैठक आयोजित नहीं की गई।

कंपनी को श्री आशीष चतुर्वेदी से एक घोषणा प्राप्त हुई है कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 16 के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

उनकी व्यापक विशेषज्ञता और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए, यह कंपनी के हित में होगा कि श्री आशीष चतुर्वेदी को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए और उनमें इस पद के लिए आवश्यक कौशल और क्षमताएँ मौजूद हैं। श्री आशीष चतुर्वेदी कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

श्री आशीष चतुर्वेदी को छोड़कर, जो एक नियुक्त व्यक्ति हैं, कंपनी का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, मद संख्या 9 में दिए गए संकल्प से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

निदेशक मंडल शेयरधारकों के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव की अनुशंसा करता है।

मद सं. 10

श्री सेरुगुलाथुर महादेवन रामनाथन (डीआईएन: 11084884), आयु 58 वर्ष, को 30 अप्रैल, 2025 से बीएचईएल के बोर्ड में निदेशक (इंजीनियरिंग, अनुसंधान एवं विकास) के रूप में शामिल किया गया।

उन्होंने आईआईटी मद्रास से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, साथ ही स्ट्रेस एंड वाइब्रेशन एनालिसिस और आईसीडब्ल्यूए (कॉस्ट अकाउंट्स) में एम.टेक की डिग्री भी प्राप्त की है। वे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य भी हैं।

श्री रामनाथन ने 1988 में कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से कंपनी के हाई प्रेशर बॉयलर प्लांट, तिरुचिरापल्ली में इंजीनियर प्रशिक्षु के रूप में बीएचईएल के साथ अपना कैरियर शुरु किया और 1989 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर प्रशिक्षु पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

उन्होंने आईटी उपकरणों और गणितीय तकनीकों का उपयोग करके हाइड्रो टर्बाइनों के शोधन और डिज़ाइन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे लागत और चक्र समय में बचत हुई। श्री रामनाथन ने भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई तकनीकी शोधपत्र प्रस्तुत किए। उनके नाम एक टर्बाइन पेटेंट भी था। उन्हें बीएचईएल में सर्वोच्च सम्मान, उत्कृष्ट (नवाचार) श्रेणी के अंतर्गत एक्सेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।

श्री रामनाथन के पास कंपनी के कई प्रमुख कार्यों में 37 वर्षों का विविध और व्यापक अनुभव है, जिसमें इंजीनियरिंग, डिजाइन, अनुसंधान एवं विकास, रणनीतिक प्रबंधन और वाणिज्यिक, सामग्री प्रबंधन, रखरखाव, उत्पादन, फील्ड इंजीनियरिंग सेवाएं आदि सहित संचालन के विविध क्षेत्र शामिल हैं, साथ ही रानीपेट, तिरुचिरापल्ली और भोपाल में बीएचईएल की विनिर्माण इकाइयों में संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में विभिन्न क्षमताओं में वित्त के विभिन्न मुख्य क्षेत्र भी शामिल हैं।

इस पदोन्नति से पहले, श्री रामनाथन बीएचईएल के नई दिल्ली स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय में कार्यपालक निदेशक (ओएसडी - ई, अनुसंधान एवं विकास) के पद पर कार्यरत थे और साथ ही भोपाल स्थित भारी विद्युत संयंत्र (एचईपी) का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे। इससे पहले नवंबर 2023 में, उन्हें तिरुचिरापल्ली स्थित उच्च दाब बॉयलर संयंत्र (एचपीबीपी) के कार्यपालक निदेशक एवं प्रभारी के रुप में पदोन्नत किया गया था।

और रानीपेट में बॉयलर सहायक संयंत्र (बीएपी) और उसके बाद जनवरी 2024 में ईडी (एचईपी) भोपाल के रूप में उन्हें निगम के शीर्ष तीन राजस्व ग्रॉसर्स का नेतृत्व करने का अनूठा गौरव प्राप्त हुआ, जिससे प्रदर्शन में सफल बदलाव आया और विकास की प्रक्रिया में लगातार कई माइल स्टोन स्थापित हुए। श्री रामनाथन अपने गतिशील और परिणाम-उन्मुख नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं, जो अपनी टीम को ऊर्जा से प्रेरित करते हैं और सभी स्तरों पर दक्षता को बढ़ावा देते हैं। हाइड्रो टर्बाइन, स्टीम टर्बाइन, स्विचगियर्स, एफजीडी और जल प्रणालियाँ, स्पेयर्स, आउटसोर्सिंग, केंद्रीय योजना, डिजिटल टेक्नोलॉजी सहित बीएचईएल इकाइयों के विभिन्न कार्यों में प्रारंभिक चरण के उनके व्यापक अनुभव को देखते हुए, उन्हें यह सम्मान प्राप्त है। और वित्त ने उन्हें बाज़ार की गहरी समझ से लैस किया है। इससे वे रुझानों का प्रभावी विश्लेषण कर पाते हैं, बाज़ार के लिए तैयार उत्पाद और क्षमताएँ विकसित कर पाते हैं और रणनीतिक योजना बनाने में योगदान दे पाते हैं। उनका दूरदर्शी शोध-उन्मुख दृष्टिकोण, बीएचईएल को तेज़ी से विकसित हो रहे व्यावसायिक परिदृश्य में प्रतिस्पर्धी और भविष्य के लिए तैयार रहने में मदद करेगा।

श्री रामनाथन की नियुक्ति 31.01.2027 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नियमों और शर्तों पर ₹1,80,000 - ₹3,40,000 प्रति माह के वेतनमान पर की गई है।

श्री रामनाथन के पास बीएचईएल में कोई शेयर नहीं है और उनका कंपनी के अन्य निदेशकों/प्रबंधकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ कोई संबंध नहीं है।

चूंकि श्री रामनाथन को 30.04.2025 को निदेशक नियुक्त किया गया था, इसलिए उन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान किसी भी बोर्ड बैठक में भाग नहीं लिया।

कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 67(iv) के साथ पठित लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, श्री रामनाथन आगामी वार्षिक आम बैठक की तिथि तक पद पर बने रहेंगे और नियुक्ति के पात्र हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 की आवश्यकता के अनुसार, कंपनी को एक लिखित सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें कंपनी के निदेशक पद के लिए श्री रामनाथन की उम्मीदवारी का प्रस्ताव है।

श्री रामनाथन को छोड़कर, जो एक नियुक्त व्यक्ति हैं, कंपनी का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार, मद संख्या 10 में दिए गए संकल्प से किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

निदेशक मंडल शेयरधारकों के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव की अनुशंसा करता है।

निदेशक मण्डल के आदेश से

(डॉ. योगेश आर छाबड़ा)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: जुलाई 25, 2025

पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तावित निदेशकों का विवरण

श्री तजिंदर गुप्ता

श्री तजिंदर गुप्ता (डीआईएन: 10327530), आयु 58 वर्ष, को 20 सितंबर, 2023 से बीएचईएल के बोर्ड में निदेशक (पावर) के रूप में शामिल किया गया है।

निदेशक (पावर) के रूप में, श्री गुप्ता बीएचईएल के उपयोगिता विद्युत व्यवसाय खंड के लिए उत्तरदायी हैं जो बीएचईएल के व्यवसाय में लगभग 75% का योगदान देता है।

विद्युत क्षेत्र के परिचालन में विद्युत क्षेत्र (तापीय, जलविद्युत, परमाणु) में विपणन और व्यवसाय विकास, उपयोगिता विद्युत परियोजना की इंजीनियरिंग, उपयोगिता, कैप्टिव/औद्योगिक और विदेशी उपयोगिता विद्युत परियोजना का निष्पादन तथा बिक्री के बाद सेवा और पुर्जों की आपूर्ति सहित मूल्य श्रृंखला का संपूर्ण दायरा शामिल है।

वे देश भर में 50,000 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन का नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी व्यावसायिक अंतर्दृष्टि के कारण, बीएचईएल 2024-25 के दौरान विद्युत क्षेत्र में 81,000 करोड़ रुपये से अधिक के ऑर्डर प्राप्त करने में सफल रहा। उन्होंने समयबद्ध निर्माण और कमीशनिंग के लिए टीम का मार्गदर्शन किया और इस प्रकार 2024-25 के दौरान 8.1 गीगावाट कमीशनिंग/सिंक्रोनाइज़ेशन का लक्ष्य हासिल किया।

श्री गुप्ता को भारत के विभिन्न राज्यों में विद्युत परियोजनाओं के परियोजना प्रबंधन, अवधारणा से लेकर कमीशनिंग तक के क्षेत्र में 36 वर्षों का विविध और बहुमुखी अनुभव है। बीएचईएल के निदेशक (पावर) के रूप में नियुक्ति से पहले, श्री गुप्ता एनटीपीसी लिमिटेड में मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) थे। श्री गुप्ता ने 1989 में ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी ऑफिसर के रूप में एनटीपीसी लिमिटेड में अपनी सेवा आरंभ की थी।

एनटीपीसी लिमिटेड में रहते हुए, उन्होंने एनटीपीसी के विशाल विद्युत संयंत्रों के संचालन और रखरखाव के अलावा, बड़े आकार की ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड विद्युत परियोजनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने खरगोन (2x660 मेगावाट) में निर्माण टीम का नेतृत्व किया, जो अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल मानकों पर आधारित है। श्री गुप्ता ने बिजनेस यूनिट हेड के रूप में झारखंड में 3x660 मेगावाट नॉर्थ कर्णपुरा एसटीपीपी में निर्माण गतिविधियों का संचालन किया।

वे एक कर्मठ व्यावसायिक हैं, जिनमें गहन विश्लेषण की तीक्ष्ण कुशाग्रता है। परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए उनके पास विद्युत क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र का ज्ञान और अनुभव है।

श्री तजिंदर गुप्ता बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज (बिट्स), पिलानी से 1989 बैच के इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं।

श्री तजिन्दर गुप्ता रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बोर्ड में गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर हैं।

श्री तजिंदर गुप्ता की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नियमों और शर्तों पर ₹1,80,000 - ₹3,40,000 प्रति माह के वेतनमान पर 28.02.2027 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक है।

श्री गुप्ता के पास बीएचईएल में कोई शेयर नहीं है और उनका कंपनी के अन्य निदेशकों/प्रबंधकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ कोई संबंध नहीं है।

श्री तजिंदर गुप्ता ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित सभी बोर्ड बैठकों (दस) में भाग लिया है।

श्रीमती बानी वर्मा

सुश्री बानी वर्मा (डीआईएन: 10337787), आयु 57 वर्ष, को 9 अक्टूबर, 2023 से बीएचईएल के बोर्ड में निदेशक (औद्योगिक प्रणाली और उत्पाद) के रूप में शामिल किया गया।

सुश्री वर्मा दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं और उन्होंने 1990 में कंपनी के उद्योग क्षेत्र में इंजीनियर प्रशिक्षु के रूप में बीएचईएल के साथ अपना कैरियर शुरु किया था। ऊर्जा, उद्योग और परिवहन क्षेत्रों में विविध और व्यावहारिक अनुभव के अपने 35 वर्षों के कार्यकाल के दौरान, उन्होंने रणनीतिक प्रबंधन, व्यवसाय विकास, संचालन और परिवर्तन प्रबंधन के क्षेत्रों में दक्षताओं का एक व्यापक सेट विकसित किया है।

उन्होंने बीएचईएल के नए विकास क्षेत्रों के लिए योजना तैयार करने और कार्यान्वयन में तथा विभिन्न कार्यों और कार्यक्षेत्रों में बीएचईएल के परिवर्तनकारी पहलों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इससे पहले, सुश्री वर्मा ने नई दिल्ली स्थित बीएचईएल के परिवहन व्यवसाय खंड और बैंगलोर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स प्रभाग निर्माण इकाई का दोहरा कार्यभार संभाला था। कंपनी के परिवहन व्यवसाय एवं सिस्टम समूह की प्रमुख के रूप में, वे रेल परिवहन व्यवसाय के लिए बीएचईएल के विविधीकरण पहलों के लिए ज़िम्मेदार थीं और प्रतिष्ठित वंदे भारत ट्रेन निर्माण एवं रखरखाव ठेका हासिल करने की रणनीति बनाई थी।

इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन की प्रमुख के रूप में, वे उस इकाई के संपूर्ण संचालन के लिए उत्तदायी थीं, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और नियंत्रण उपकरण बनाती है। उन्होंने 25% की शीर्ष वृद्धि के साथ इकाई को लाभप्रद रूप से पुनर्जीवित करने में सफलता प्राप्त की। उन्हें कंपनी की किसी विनिर्माण इकाई का नेतृत्व करने वाली पहली महिला होने का गौरव भी प्राप्त है।

सुश्री वर्मा जनवरी 2025 से सीआईजीआरई इंडिया की गवर्निंग काउंसिल की उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।

एक उत्साही और व्यावसायिक मार्ग दर्शक, सुश्री वर्मा का तीन दशकों से अधिक का उल्लेखनीय प्रदर्शन का ट्रैक रिकॉर्ड हैं।

सुश्री बानी वर्मा की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नियमों और शर्तों पर ₹1,80,000 - ₹3,40,000 प्रति माह के वेतनमान पर 31.12.2027 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक है।

सुश्री वर्मा के पास बीएचईएल में कोई शेयर नहीं है और उनका कंपनी के अन्य निदेशकों/प्रबंधकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ कोई संबंध नहीं है।

सुश्री बानी वर्मा ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित सभी बोर्ड बैठकों (दस) में भाग लिया है।

निदेशक मण्डल के आदेश से

(डॉ. योगेश आर छाबड़ा)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: जुलाई 25, 2025

वीसी के माध्यम से एजीएम में शामिल होने तथा एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और वोटिंग करने की प्रक्रिया

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 यथासंशोधित, सपठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 एवं सेबी लिस्टिंग विनियमों के नियम 44 के प्रावधानों, तथा ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कराने वाली सूचीबद्ध संस्थाओं के संबंध में सेबी परिपत्र संख्याः सेबी/ एचओ/ सीएफडी/ सीएमडी/ सीआईआर/ पी/ 2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020, के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को वार्षिक आम सभा में (एजीएम) पारित किए जाने वाले संकल्पों पर उनके मताधिकार का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (ई-वोटिंग) के माध्यम से करने की सुविधा प्रदान कर रही है। यह सुविधा एनएसडीएल की ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से प्रदान कर रही है।

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि इस प्रकार होगी:-

रिमोट ई-वोटिंग की शुरुआत:	शनिवार, अगस्त 16, 2025 को प्रातः 9.00 बजे से
रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति:	सोमवार, अगस्त 18, 2025 को शाम 5.00 बजे तक

मंगलवार, अगस्त 12, 2025 यानी कट-ऑफ तारीख तक भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्य उपर्युक्त अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। उसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सदस्यों के पास अगस्त 16, 2025 से शुरू होकर अगस्त 18, 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग करके रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करके किसी भी प्रस्ताव पर अपना वोट डालने का विकल्प है। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन ऐसे प्रस्ताव पर दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।.

कंपनी के निदेशक मंडल ने एजीएम में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया की जांच करने के लिए मैसर्स अग्रवाल एस एंड एसोशिएट कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी श्री सचिन अग्रवाल को स्क्रूटिनाइज़र के रूप में नियुक्त किया है।

सदस्यों का मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होगा।

संवीक्षक, बैठक में ई-वोटिंग के समापन के बाद, बैठक में डाले गए वोटों एवं दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोटों की जांच करेगा और इन्हे समेकित कर एक संवीक्षक रिपोर्ट बनाकर अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत करेगा। ई-वोटिंग का परिणाम बैठक के समापन के दो कार्य दिवसों के भीतर घोषित किया जाएगा और इसी के साथ, समेकित संवीक्षक रिपोर्ट, कंपनी की वेबसाइट (www.bhel.com) और ई-वोटिंग एजेंसी की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर पर डाल दी जाएगी। परिणाम उसी समय स्टॉक एक्सचेंजों को भेज दिये जाएंगे।.

अपेक्षित संख्या में वोट प्राप्त होने पर, नोटिस में प्रस्तावित प्रस्तावों को बैठक की तारीख, यानी अगस्त 19, 2025 को पारित माना जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वोटिंग और आभासी (वर्चुअल) बैठकों में भाग लेने की प्रक्रिया

क. रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान वोटिंग के लिए निर्धारित प्रक्रिया नीचे समझाई गई है :

चरण-1: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली में लॉग इन

क.1) डीमैट मोड में प्रतिभूतियां धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा सम्बंधी सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार और मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के हिस्से के रूप में, डिमैट मोड में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले सभी व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग प्रक्रिया को इस प्रकार सक्षम किया गया है कि वे डिपॉज़िटरी/डिपॉज़िटरी की वेबसाइट/डिपॉज़िटरी प्रतिभागियों के पास खोले गए उनके डीमैट खाते के माध्यम से वोट कर सके। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल-आईडी अपडेट करें।

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
एनएसडीएल में डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. ओटीपी आधारित लॉगिन के लिए आप https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp पर क्लिक कर सकते हैं। आपको अपनी 8 अंकों की डीपी आईडी, 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, पैन नंबर, सत्यापन कोड दर्ज करना होगा और ओटीपी जनरेट करना होगा। पंजीकृत ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉज़िटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जहाँ आप ई-वोटिंग पृष्ठ देख सकते हैं। कंपनी के नाम या **ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल** पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 2. मौजूदा IDeAS उपयोगकर्ता NSDL की ई-सेवा वेबसाइट https://eservices.nsdl.com/ पर पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर जा सकते हैं। ई-सेवाओं के होम पेज पर "लॉगिन" के अंतर्गत **"लाभार्थी स्वामी"** आइकन पर क्लिक करें जो 'IDeAS' सेक्शन में उपलब्ध है, यह आपको अपना मौजूदा यूज़र आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के लिए प्रेरित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप मूल्य वर्धित सेवाओं के अंतर्गत ई-वोटिंग सेवाएँ देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "ई-वोटिंग तक पहुँच" पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पृष्ठ देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी NSDL पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए NSDL की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

	3. यदि आप IDeAS ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। **"IDeAS पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें"** चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। 4. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। वेब ब्राउज़र खोलें और अपने पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्न URL टाइप करें: https://www.evoting.nsdl.com/ । ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज खुलने के बाद, **'शेयरधारक/सदस्य'** सेक्शन में "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूज़र आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहाँ आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या **ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल** पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। 5. शेयरधारक/सदस्य निर्बाध मतदान अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप "एनएसडीएल स्पीड" सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं।
सीडीएसएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. जिन उपयोगकर्ताओं ने CDSL Easi/Easiest सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुँचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। Easi/Easiest लॉगिन करने के लिए, उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे CDSL की वेबसाइट www.cdslindia.com पर जाएँ और लॉगिन आइकन और न्यू सिस्टम Myeasi टैब पर क्लिक करें और फिर अपने मौजूदा Myeasi उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करें। 2. सफल लॉगिन के बाद, Easi/Easiest उपयोगकर्ता उन पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख पाएँगे जहाँ कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ई-वोटिंग चल रही है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पृष्ठ देख पाएँगे। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम तक पहुँचने के लिए लिंक भी दिए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें।

	3. यदि उपयोगकर्ता ईज़ी/ईज़ीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है और लॉगिन और न्यू सिस्टम माईईएएसआई टैब पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। 4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com के होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुँच सकता है। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देख पाएगा जहाँ ई-वोटिंग चल रही है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम तक सीधे पहुँच भी पाएगा।
शेयरधारकों (डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले) का उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन	1. आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉग इन कर सकते हैं। 2. लॉग इन करने के बाद आपको ई-वोटिंग का विकल्प दिखाई देगा। एक बार जब आप ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं, तो सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। 3. कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता-एनएसडीएल के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या मीटिंग के दौरान मतदान करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण टिप्पणी: जो सदस्य यूज़र आईडी / पासवर्ड याद करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगॉट यूज़र आईडी एंड पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों की डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के समाधान के लिए हेल्पडेस्क

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल में डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर या 022- 4886 7000 पर कॉल करके NSDL हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।
सीडीएसएल में डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर या टोल फ्री नंबर1800- 21-09911 पर कॉल करके CDSL हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

क.2) डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों और भौतिक मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले शेयरधारकों के अलावा शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएँ। अपने पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल के वेब ब्राउज़र पर निम्नलिखित URL टाइप करके खोलें : https://www.evoting.nsdl.com/ .

2. ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज दिखाई देने के बाद, 'शेयरहोल्डर/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध 'लॉगिन' आइकन पर क्लिक करें।

3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूज़र आईडी, अपना पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाई देने वाला एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा।

4. वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ई-सेवाओं यानी IDeAS में पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा IDeAS लॉगिन के साथ https://eservices.nsdl.com/ पर लॉगिन कर सकते हैं। एक बार जब अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करते हुए एनएसडीएल ई-सेवाओं में लॉगिन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 पर आगे बढ़ सकते हैं यानी एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें।

5. आपकी यूज़र आईडी का विवरण नीचे दिया गया है:

शेयर रखने का तरीका अर्थात डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक		आपका यूज़र आई डी
क)	उन सदस्यों के लिए जो एनएसडीएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखते हैं	8-कैरेक्टर डीपी आईडी के बाद 8- डिजिट क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी डीपी आईडी IN300*** है और क्लाइंट आईडी 12****** है तो आपकी यूज़र आईडी IN300***12****** होगी। IN300***12******.
ख)	उन सदस्यों के लिए जो सीडीएसएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखते हैं	16- अंकीय लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12************** है तो आपकी उपयोगकर्ता आईडी 12************** होगी
ग)	भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए.	कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर के बाद EVEN नंबर उदाहरण के लिए यदि फोलियो संख्या 001*** है और EVEN 134421 है तो उपयोगकर्ता आईडी 134421001*** है

6. व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिए गए हैं:

   क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा पासवर्ड के उपयोग से लॉगिन करके अपना वोट डाल सकते हैं।

   ख) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको **'प्रारंभिक पासवर्ड'** जो आपको सूचित किया गया था उसे याद/पुनः प्राप्त करना होगा। एक बार जब आप अपना **'प्रारंभिक पासवर्ड'** याद/ प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए संकेत देगा।

   ग) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे प्राप्त करें?

      (i) यदि आपकी ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते या कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपका **'प्रारंभिक पासवर्ड'** आपको आपकी ईमेल आईडी पर सूचित किया जाता है। एनएसडीएल द्वारा आपको भेजे गए ईमेल को अपने मेलबॉक्स से ट्रेस करें। इस ईमेल को खोलने पर एक अटैचमेंट यानी .pdf फ़ाइल होगी उसे खोलें। .pdf फ़ाइल को खोलने का पासवर्ड एनएसडीएल खाते के लिए आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक या भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए फोलियो नंबर है। .pdf फ़ाइल में आपकी **'यूज़र आईडी'** और आपका **'प्रारंभिक पासवर्ड'** दिया गया है।

      (ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया नीचे **'शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश'** में बताए गए चरणों का पालन करें।

7. यदि आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त नहीं हुआ है या प्राप्त करने में असमर्थ हैं या आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं:

   क) **'फॉरगॉट यूज़र डिटेल्स/पासवर्ड?'** पर क्लिक करें (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल में डीमैट खाते में शेयर रखते हैं) विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

   ख) **फिजिकल यूज़र रीसेट पासवर्ड?'** पर क्लिक करें (यदि आप भौतिक रूप में शेयर रखते हैं) विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

   ग) यदि आप अभी भी उपर्युक्त दोनों विकल्पों द्वारा पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप अपना डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, अपना पैन, अपना नाम और अपना पंजीकृत पता आदि का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

   घ) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

8. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, **'नियम और शर्तों से सहमत'** के चेक बॉक्स पर चयन करके टिक करें।

9. अब, आपको **'लॉगिन'** बटन पर क्लिक करना होगा।

10. **'लॉगिन'** बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

चरण-2: अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर आम बैठक में शामिल हों

1. चरण 1 में सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, आप उन सभी कंपनियों को **'EVEN'** देख पाएंगे जिनमें आपके शेयर हैं और जिनका मतदान चक्र सक्रिय स्थिति में है।

2. रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने एवं आम बैठक के दौरान अपना वोट डालने के लिए कंपनी के **'EVEN 134421'** का चयन करें। वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए, आपको **'ज्वाइन जनरल मीटिंग'** के तहत दिए गए 'VC/OAVM' लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब वोटिंग पेज खुलते ही आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।

4. सहमति या असहमति में से उचित विकल्प का चयन करके अपना वोट दें, उन

शेयरों की संख्या को सत्यापित/संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट देना चाहते हैं और **'सबमिट'** पर क्लिक करें और संकेत मिलने पर **'कंफर्म'** पर क्लिक करें।

5. 'कंफर्म' होने पर, **'वोट कास्ट सक्सेस्फुली'** संदेश प्रदर्शित होगा।
6. आप कंफर्मेशन पेज़ पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
7. एक बार जब आप संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि कर लेते हैं, तो आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ख. सदस्यों को वी.सी. के माध्यम से एजीएम में भाग लेने तथा आम सभा के दिन मतदान करने सम्बंधी निर्देश :

1. सदस्यों को वीसी के माध्यम से एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम द्वारा एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य **'एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम में प्रवेश'** हेतु ऊपर बताए गए चरणों का पालन करके इसे एक्सेस कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, सदस्यों को कंपनी के नाम के सामने 'ज्वाइन मीटिंग' मेनू के तहत रखे गए **'वीसी/ओएवीएम लिंक'** पर क्लिक करना चाहिए। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा, जहां कंपनी की EVEN प्रदर्शित किया जाएगा।
2. जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या फिर यूज़र आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
3. सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए परामर्श दिया जाता है। इसके अलावा, सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी व्यवधान से बचने के लिए कैमरे की अनुमति देने और अच्छी गति के साथ इंटरनेट का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।
4. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से लैपटॉप से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की उपरोक्त गड़बड़ियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है।
5. ऐसे सदस्य जिन्हें एजीएम से पहले या उसके दौरान सहायता की आवश्यकता हो, वे एनएसडीएल से evoting@nsdl.com / 022- 4886 7000 पर संपर्क कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे - एनएसडीएल से evoting@nsdl.com पर संपर्क कर सकते हैं।
6. ऐसे सदस्य जो एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अगस्त 9, 2025 (सुबह 9:00 बजे भा.स.अ.) से अगस्त 12, 2025 (शाम 5:00 बजे भा.स.अ.) तक अपने नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर, पैन, मोबाइल नंबर और संभावित प्रश्न (यदि कोई हो) का उल्लेख करते हुए अपने पंजीकृत ई-मेल पते से shareholderquery@bhel.in पर अनुरोध भेजकर खुद को एक स्पीकर के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं। वे सदस्य जिन्होंने स्वयं को स्पीकर के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें ही एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। कंपनी एजीएम के सुचारु संचालन के लिए पर्याप्त समय की उपलब्धता के अधीन प्रश्नों की संख्या और वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
7. सदस्य अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो नम्बर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपेक्षित विचार/प्रश्नों का उल्लेख करते हुए अग्रिम रूप से shareholderquery@bhel.in पर मेल भेजकर लिखित में भी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसका कंपनी द्वारा समुचित उत्तर दिया जाएगा।
8. बैठक में शामिल होने की सुविधा एजीएम के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले खोली जाएगी और एजीएम की पूरी कार्यवाही के दौरान खुली रखी जाएगी।
9. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया भी रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर बताए गए निर्देशों के अनुसार ही है।
10. केवल वे सदस्य / शेयरधारक, जो वीसी सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं है, ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे।
11. रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने वाले सदस्य एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। परंतु वे एजीएम में वोट करने के पात्र नहीं होंगे।

ग. शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थागत सदस्यों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई, आदि के अलावा) को विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि(यों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर (हस्ताक्षरों) के साथ बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र, आदि की स्कैन की गई प्रमाणित मूल प्रति (पीडीएफ प्रारूप) जांचकर्ता को sachincs2022@gmail.com पर भेजनी होगी, जिसकी कॉपी evoting@nsdl.com पर भी भेजी जानी आवश्यक है। संस्थागत शेयरधारक (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) अपने लॉगिन में "ई-वोटिंग" टैब के अंतर्गत प्रदर्शित "अपलोड बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र" पर क्लिक करके अपना बोर्ड संकल्प/पावर ऑफ अटॉर्नी/प्राधिकार पत्र आदि अपलोड कर सकते हैं।
2. प्रबल अनुशंसा की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। सही पासवर्ड दर्ज करने के पाँच असफल प्रयासों के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन अक्षम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध **'फॉरगॉट यूज़र डिटेल्स/पासवर्ड?' या 'फिजिकल यूज़र रीसेट पासवर्ड?'** विकल्प का चयन कर पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं।
3. नोटिस भेजने के बाद भौतिक रूप में शेयर रखने वाला कोई भी व्यक्ति और गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक, जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है एवं कम्पनी का सदस्य बन जाता है तथा कट-ऑफ तिथि तक शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, अगर वह रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत है तो वह वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूज़र आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। नोटिस भेजने के बाद डीमैट मोड में शेयर रखने वाला कोई भी व्यक्ति और गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक, जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है एवं कम्पनी का सदस्य बन जाता है तथा कट-ऑफ तिथि तक शेयर रखता है, वह उपर्युक्त वर्णित **'डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि'** में दिए गए चरणों का पालन कर सकता है।
4. किसी भी शंका के समाधान हेतु, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

(FAQ) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे-एनएसडीएल को evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

5. जिन सदस्यों की ईमेल आईडी डिपॉजिटरी/कंपनी में पंजीकृत नहीं हैं, वे ई-वोटिंग के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने हेतु **evoting@nsdl.com** पर अनुरोध भेज सकते हैं

   i) यदि शेयर भौतिक रूप में धारित हैं, तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (सामने और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) प्रदान करें।

   ii) यदि शेयर डीमैट मोड में धारित हैं, तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों की डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वयं-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वयं-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) प्रदान करें।

   iii) यदि आप डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप (बिंदु संख्या ए.1) में बताई गई लॉगिन विधि, अर्थात डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि का संदर्भ लें ।

   iv) सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा सम्बंधी सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही अपडेट करना आवश्यक है।

6. कंपनी मे अपना ईमेल पता स्थायी रूप से पंजीकृत/अपडेट करने तथा भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सभी संचार (नोटिस, वार्षिक रिपोर्ट तथा ई-वोटिंग निर्देश, यूज़र आईडी एवं पासवर्ड) प्राप्त करने के लिए, कृपया नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें:

   a) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य प्रथम शेयरधारक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति के साथ **shareholderquery@bhel.in** पर या कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट मेसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड को **rta@alankit.com** पर ई-मेल अनुरोध भेज सकते हैं। अनुरोध पत्र में ईमेल पता, मोबाइल नंबर, पैन की स्व-सत्यापित प्रति और शेयर प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न होना आवश्यक है, ताकि RTA उनका ई-मेल पता पंजीकृत कर सके।

   b) डीमैटरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपने ई-मेल पते को रजिस्टर/अपडेट करें।

   c) इस सम्बंध में किसी अन्य प्रश्न के उत्तर हेतु, सदस्यों से अनुरोध है कि वे **rta@alankit.com** पर मेल लिखें या 011-42541234 पर कॉल करें।

BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED
(CIN: L74899DL1964GOI004281)
Regd. Office: BHEL House, Siri Fort, New Delhi-110049
Phone: 011-66337598
Website: www.bhel.com, Email: shareholderquery@bhel.in

प्रिय शेयरधारकों,

विषय: राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस)/इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाओं (ईसीएस) के माध्यम से लाभांश का भुगतान

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के अनुसार, सभी सूचीबद्ध कंपनियाँ लाभांश के भुगतान के लिए आरबीआई द्वारा अनुमोदित भुगतान सुविधा के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके जैसे ईसीएस / एनईसीएस / डायरेक्ट क्रेडिट आदि का उपयोग करेंगी। यदि आपने एनईसीएस / ईसीएस / बैंक खाते का विवरण हमारे रजिस्ट्रार अर्थात मेसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड या अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) (डीमैट होल्डिंग के मामले में) को नहीं भेजा है, तो आपसे अनुरोध है कि उक्त विवरण नीचे दिए गए प्रारुप में उपलब्ध कराएं ताकि कंपनी द्वारा किसी भी समय घोषित लाभांश का तत्काल, सुरक्षित और सही भुगतान किया जा सके। कृपया सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा रजिस्ट्रार/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को प्रस्तुत किए गए विवरण सही हैं क्योंकि उनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर लाभांश राशि गलत खाते में जमा हो सकती है।

आपको बेहतर सेवा करने के इस प्रयास में कृपया हमारी सहायता करें।

भवदीय,

(डॉ. योगेश आर छाबड़ा)

कंपनी सचिव

पी.एस. यदि आपके पास डीमैट रुप में शेयर हैं, तो कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को अपने बैंक खाते के विवरण / एनईसीएस / ईसीएस / डायरेक्ट क्रेडिट मैंडेट पर ध्यान देने की सलाह दें।

एनईसीएस / ईसीएस मैंडेट / बैंक खाता विवरण के लिए प्रपत्र

मैं / हम .... एतद्द्वारा बीएचईएल / अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को निम्नलिखित के लिए अधिकृत करते हैं कि

☐ मेरे / हमारे लाभांश वारंट पर निम्नलिखित विवरण मुद्रित करें

☐ एनईसीएस / ईसीएस / डायरेक्ट क्रेडिट द्वारा मेरे बैंक खाते में मेरी लाभांश राशि जमा करें

(जो लागू न हो उसे काट दें)

मेरा/हमारा फोलियो नंबर .... या डीपी आईडी नंबर .... क्लाइंट खाता नंबर .... है।

बैंक खाते का विवरण:

A. बैंक का नाम : ....

B. शाखा का नाम : ....

(पता केवल मैंडेट के लिए)

C. बैंक और शाखा का 9 अंकों का कोड नंबर जैसा कि एमआईसीआर चेक पर दिखाई देता है : ....

D. आईएफएससी कोड : ....

E. खाता प्रकार (बचत/चालू) : ....

F. चेक बुक पर प्रदर्शित खाता संख्या : ....

G. शेयरधारक का एसटीडी कोड और टेलीफोन नंबर : ....

यदि एनईसीएस / ईसीएस लागू नहीं किया जा सका या बैंक किसी भी कारण से एनईसीएस / ईसीएस बंद कर देता है तो मैं / हम कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे।

Mail to

मेसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड
यूनिट : बीएचईएल
4ई/2, अलंकित हाउस, झंडेवालान एक्सटेंशन,
नई दिल्ली-110055

शेयरधारक के हस्ताक्षर

कृपया इस फॉर्म के साथ (i) 9 अंकों की कोड संख्या की सटीकता की पुष्टि करने के लिए उपर्युक्त खाते से सम्बंधित अपने बैंक द्वारा जारी किए गए चेक की फोटोकॉपी या एक खाली कैंसिल किए गए चेक और (ii) अपने **पैन** कार्ड की एक प्रति संलग्न करें।

बैंकर्स, लेखा परीक्षक और रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट

बैंकर्स	लेखा परीक्षक
भारतीय स्टेट बैंक	मेसर्स एबीपी एण्ड एसोशिएटस, नई दिल्ली
केनरा बैंक	मेसर्स पी एस एम जी एंड एसोशिएट, नई दिल्ली
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	मेसर्स संजय श्रीवास्तव एंड कंपनी, भोपाल
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	मेसर्स गणेशन एंड कंपनी, चेन्नई
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	मेसर्स वाई सी आर जे एसोशिएट, बेंगलुरु
एक्सिस बैंक	मेसर्स सरत एण्ड एसोशिएट, हैदराबाद
इंडसइंड बैंक लिमिटेड	मेसर्स के गोपाल राव एण्ड कम्पनी, चेन्नई
बैंक ऑफ बड़ौदा	
एक्सिस बैंक	**लागत लेखा परीक्षक**
इंडियन बैंक	मेसर्स विजेंदर शर्मा एण्ड कंपनी, दिल्ली
पंजाब नेशनल बैंक	मेसर्स आर. एम. बंसल एण्ड कंपनी, कानपुर
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	मेसर्स नरसिम्हा मूर्ति एण्ड कंपनी, हैदराबाद
यश बैंक लिमिटेड	मेसर्स सुब्रमण्यम राजगोपाल एण्ड एसोसिएट्स, तिरुचिरापल्ली
आर बी एल बैंक लिमिटेड	मेसर्स मूर्ति एंड कंपनी लिमिटेड, बेंगलुरु
इंडियन ओवरसीज बैंक	मेसर्स पालीवाल एण्ड एसोसिएट्स, लखनऊ
कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड	मेसर्स एसएसपीजीआर एण्ड एसोसिएट्स, विशाखापत्तनम
फेडरल बैंक लिमिटेड	
एच एस बी सी	
साउथ इंडियन बैंक	
	रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड अलंकित हाउस, 4ई/2, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110055 फोन : 011-4254 1234, ई मेल : rta@alankit.com बेबसाइट : www.alankit.com

पंजीकृत कार्यालय

बीएचईएल हाउस, सीरी फोर्ट, नई दिल्ली-110049 (भारत) सीआईएन:
L74899DL1964GOI004281
फोन : 011-66337598
बेबसाइट: **www.bhel.com** ई-मेल : **shareholderquery@bhel.in**

ईएसजी में निवेश

(पर्यावरण, सामाजिक कार्य एवं अभिशासन)

हरित बीएचईएल अभियान
वित्त वर्ष 2023-24 में शुरु किया गया – 2047 तक नेट जीरो का लक्ष्य

बीएचईएल परिसरों में लगे हुए **30 लाख पेड़ों** के संरक्षण के लिए डब्ल्यूईएफ शपथ

वित्त वर्ष 2024-25 में **85,800+** पौधे लगाए गए

पिछले 6 वर्षों में **3,86,000+** पौधे लगाए गए

वित्त वर्ष 2024-25 में बीएचईएल इकाइयों में जोड़े गए मियावाकी वन - **22,900+** वर्गमीटर

ग्रीनको गोल्ड रेटिंग:
01 विनिर्माण इकाई

ग्रीनको सिल्वर रेटिंग:
04 विनिर्माण इकाइयाँ

ग्रीनको ब्रॉन्ज रेटिंग:
2 विनिर्माण इकाइयाँ

कैप्टिव सौर पीवी संयंत्र
~42 मेगावाट

वित्त वर्ष 2024-25 में कैप्टिव एसपीवी से बिजली उत्पादन
~39 एमयू

वित्त वर्ष 2024-25 में कार्बन फुटप्रिंट से बचाव **~28,700** मिलियन टन - पिछले वर्ष की तुलना में 8.8% की वृद्धि

बीएचईएल इकाइयों में **21** एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और **19** सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट

बीएचईएल इकाइयों में **140+** वर्षा जल संचयन प्रणालियाँ और जल निकाय

बीएचईएल के टाउनशिपों को **'सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री टाउनशिप'** के रूप में प्रमाणित किया गया

बी एच ई एल
BHEL

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः बीएचईएल हाउस, सिरी फोर्ट, नई दिल्ली - 110049, भारत
कॉर्पोरेट पहचान संख्याः L74899DL1964GOI004281
www.bhel.com

फॉलो करें

BHELOfficial   BHEL_India   BHEL_India   bhel.india   company/bhel